

C O N T E N T S

**Sixteenth Series, Vol.IX, Fourth Session, 2015/1937 (Saka)
No.25, Monday, April 27, 2015/Vaisakha 7, 1937 (Saka)**

S U B J E C T	P A G E S
OBITUARY REFERENCE	13
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos.461 to 464	15-55
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos.465 to 480	56-113
Unstarred Question Nos.5291 to 5520	114-566

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE	567-573
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE 14 th to 16 th Reports	574
STANDING COMMITTEE ON AGRICULTURE 10 th and 11 th Reports	575
STANDING COMMITTEE ON DEFENCE 6 th to 9 th Reports	576
STANDING COMMITTEE ON ENERGY 5 th and 6 th Reports	576
STANDING COMMITTEE ON FOOD, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION 3 rd and 4 th Reports	577
STANDING COMMITTEE ON PETROLEUM AND NATURAL GAS 3 rd and 4 th Reports	577
STANDING COMMITTEE ON URBAN DEVELOPMENT 4 th to 6 th Reports	578
STANDING COMMITTEE ON WATER RESOURCES (i)3 rd Report	578
(ii)Statement	578
STANDING COMMITTEE ON INDUSTRY 264 th to 266 th Reports	579
STANDING COMMITTEE ON SCIENCE AND TECHNOLOGY, ENVIRONMENT AND FORESTS 254 th Report	579

STATEMENT BY MINISTER

Status of implementation of the recommendations contained in the 97th, 159th and 212th Reports of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture

Dr. Mahesh Sharma 580

SUBMISSION BY MEMBERS

Re : Loss of lives due to earthquake in Nepal, some parts of India and steps taken to prevent damages caused by earthquakes 581-605

MATTERS UNDER RULE 377 606-618

- (i) Need to undertake development of Jasidih railway station, Jharkhand
- Shri Nishikant Dubey 607
- (ii) Need to augment railway services providing better railway connectivity to Mandsaur Parliamentary Constituency, Madhya Pradesh
- Shri Sudheer Gupta 608
- (iii) Need to enact a law ensuring adequate medical facilities and efficient medical staff in Ambulances
- Shri Rajendra Agrawal 609
- (iv) Need to build a memorial of Swami Dayanand Saraswati at Bhinoy Kothi, Ajmer, Rajasthan
- Shri C.R. Choudhary 610
- (v) Need to exempt Gujarat Safai Karamchari Vikas Nigam from Income Tax Act, 1961
- Dr. Kirit P. Solanki 611
- (vi) Need to provide compensation to farmers whose crops have been damaged due to excessive rains, hailstorms and pest attacks
- Shri Bodh Singh Bhagat 612

- (vii) Need to take necessary steps for creation of employment opportunities in various sectors of economy for unemployed youth belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes
- Dr. Virendra Kumar
- 613
- (viii) Need to accord approval of Cauvery, Vaigai and Gundar rivers interlinking project and canal modernization projects in Tamil Nadu
- Shri P.R. Senthilnathan
- 614
- (ix) Need to provide compensation and announce loan waiver scheme for farmers whose crops have been damaged by unseasonal rains and hailstorms in the country
- Prof. Saugata Roy
- 615
- (x) Need to allocate funds from the Central Road Fund to construct roads linking Dhenkanal to Joda in Odisha
- Shrimati Sakuntala Laguri
- 616
- (xi) Need to provide a comprehensive policy framework for investment and sustainable economic growth of Andhra Pradesh
- Shri Ram Mohan Naidu Kinjarapu
- 617
- (xii) Need to introduce an additional train from Vishakhapatnam to Araku in Andhra Pradesh
- Shrimati Kothapali Geetha
- 618

DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL), 2015-16 (Ministry of Human Resource Development)	619-774
Shri Laxmi Narayan Yadav	619-622
Shri Mullapally Ramachandran	623-626
Shri Rattan Lal Kataria	627-629
Shri S.R. Vijaya Kumar	630-632
Shri Shrirang Appa Barne	633-634
Shri Bhartruhari Mahtab	635-638
Kumari Shobha Karandlaje	639-642
Shri Gajendra Singh Shekhawat	643-647
Shrimati Santosh Ahlawat	648
Shri C.R. Choudhary	649-651
Shri Gourav Gogoi	652
Shri Jai Prakash Narayan Yadav	653-655
Shri Virender Kashyap	656-659
Shrimati Jayshreeben Patel	660-662
Shrimati Anju Bala	663-665
Shrimati Rekha Verma	666
Shri Adhalrao Patil Shivajirao	667-668
Shri Asaduddin Owaisi	669-671
Shri Tej Pratap Singh Yadav	672-675
Dr. Virendra Kumar	676-679
Shri Prem Singh Chandumajra	680-682
Shrimati Darshana Vikram Jardosh	683
Adv. Joice George	684-685
Shri D.K. Suresh	686-689
Dr. Ratna De (Nag)	690-693

Dr. Arun Kumar	694-695
Shri Shivkumar Udasi	696-699
Shri N.K. Premachandran	700-703
Shri Md. Badaruddoza Khan	704
Dr. Prasanna Kumar Patasani	705-709
Shri Kaushalendra Kumar	710-711
Shri P. Karunakaran	712-713
Shri Jose K. Mani	714-715
Sadhvi Savitri Bai Phule	716
Shri E.T. Mohammad Basheer	717-718
Dr. Udit Raj	719
Dr. Shashi Tharoor	720-724
Shri Pralhad Joshi	725-731
Prof. Chintamani Malviya	732-733
Shri S.P. Muddahanume Gowda	734-735
Shri Sunil Kumar Singh	736-745
Shrimati Rama Devi	746-747
Shri Sharad Tripathi	748-750
Shri Daddan Mishra	751-754
Shri Ashwani Kumar Choubey	755
Shrimati Smriti Zubin Irani	756-773
Cut Motions – Negatived	773
Demands-Voted	774
(ii) Ministry of Home Affairs	775
Shri Mallikarjun Kharge	776-785
Cut Motions	786-791
Shri Hukum Singh	792-797
Shri Nishikant Dubey	798-803

Shri Rattan Lal Kataria	804-805
Dr. Kirit P. Solanki	806
Shri Shrirang Appa Barne	807-808
Shri Rabindra Kumar Jena	809-816
Shri Prasanna Kumar Patasani	817-820
Shrimati Supriya Sule	821-826
Dr. J. Jayavardhan	827-833
Shri Ajay Mishra Teni	834
Shri Tathagata Satpathy	835-838
Shrimati Santosh Ahlawat	839
Prof. Saugata Roy	840-845
Shri Baijayant Jay Panda	846-851
Shri Jugal Kishore	852
Kumari Shobha Karandlaje	853-857
Shrimati Jayshreeben Patel	858-801
Shri Vinayak Bhaurao Raut	862-863
Shri Bhairon Prasad Mishra	864-865
Shri Ganesh Singh	866-867
Shri T.G. Venkatesh Babu	868-876
Shrimati Riti Pathak	877
Shri Thota Narasimham	878-879
Shri P.R. Sundaram	880-882
Shrimati Ranjanben Bhatt	883
Shrimati Pratyusha Rajeshwari Singh	884-885
Shri Ram Prasad Sarmah	886
Shri Mohammad Salim	887-890
Shri P.P. Chaudhary	891-896
Dr. Kulamani Samal	897-899
Shri K. Parasuraman	900-901

Shri Sharad Tripathi	902
Shri Y.S. Avinash Reddy	903-905
Shri P. Karunakaran	906-908
Shri Shailesh Kumar	909-910
Shri Badruddin Ajmal	911-914
Shri Naranbhai Kachhadia	915
Shri Jai Prakash Narayan Yadav	916
Shri Prem Singh Chandumajra	917-918
Shri R.K. Singh	919-925
Shri D.K. Suresh	926-928
Shri M.I. Shanavas	929-931
Shri Kaushalendra Kumar	932-933
Shri R. Radhakrishnan	934-935
Shri E. Ahamed	936-939
Shri Ninong Ering	940
Shri Asaduddin Owaisi	941-943
Adv. Joice George	944
Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank	945-948
Shri Satyapal Singh	949-952
Shri Md. Badaruddoza Khan	953
Mohammed Faizal	954-955
Shri Bishnu Pada Ray	956-957

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions	982
Member-wise Index to Unstarred Questions	983-988

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions	989
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	990

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi

Shri Hukmdeo Narayan Yadav

Shri Anandrao Adsul

Shri Pralhad Joshi

Dr. Ratna De (Nag)

Shri Ramen Deka

Shri Konakalla Narayana Rao

Shri Hukum Singh

Shri K.H. Muniyappa

Dr. P. Venugopal

SECRETARY GENERAL

Shri Anoop Mishra

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Monday, April 27, 2015/Vaisakha 7, 1937 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

OBITUARY REFERENCE

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, जैसा कि आप जानते हैं, 25 अप्रैल, 2015 को नेपाल में आया एक शक्तिशाली भूकम्प जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7.9 आंकी गई है, हाल ही में आई सबसे भयंकर प्राकृतिक आपदाओं में से एक है जिसके झटके भारत, बांग्लादेश, तिब्बत और म्यांमार में भी महसूस किए गए। इस भूकम्प का केन्द्र काठमांडू के उत्तर-पश्चिम में 77 किलोमीटर दूर था, जिसने दक्षिण एशिया प्रायद्वीप के उत्तरी भाग और माउंट एवरेस्ट को भी एक प्रकार से हिलाकर रख दिया जिसके परिणामस्वरूप एवरेस्ट की चोटी पर हिमस्खलन हुए। यह बड़ा भूकम्प 26 अप्रैल को दोबारा आया और इसके झटके इस क्षेत्र में अभी भी महसूस किए जा रहे हैं।

यह विनाशकारी हिमालयी त्रासदी जिसके कारण नेपाल में 3200 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हुई और कई मकान गिर गए, धरहरा टावर ध्वस्त हो गया, दरबार स्क्वायर में अधिकांश प्राचीन मंदिर और सदियों पुराने निर्माण नष्ट हो गए जिसके कारण नेपाल में व्यापक विनाश हुआ है। भूकम्प के कारण हुए हिमस्खलनों से एवरेस्ट बेस कैम्प में भी 25 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है।

इन भूकम्पों के कारण भारत में भी बर्बादी हुई जिसके कारण लगभग 67 लोगों की मृत्यु हुई और सबसे अधिक बिहार में हुई जहाँ लगभग 50 से अधिक लोगों (open to correction) की मृत्यु हुई, जिसके पश्चात उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से मध्य प्रदेश तक उत्तरी भारत के बड़े भाग, पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। इसका असर दिल्ली में भी रहा।

यह सभा नेपाल की सरकार और जनता और हमारे अपने देश के विभिन्न भागों तथा हमारे पड़ोसी देशों में सभी प्रभावित लोगों को इस दुख की घड़ी में अपनी सहानुभूति और पूर्ण समर्थन व्यक्त करती है। यह सभा बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु और व्यापक विनाश पर अपना गहरा शोक व्यक्त करती है और शोक-संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करती है तथा घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती है।

यह सभा अब दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़ी रहेगी।

11.04 hrs.

The Members then stood in silence for short while.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : Madam, can we also speak for five minutes each?

HON. SPEAKER: Yes, I will allow you.

I have received notice of Adjournment Motion from Prof. Saugata Roy. इसी विषय पर शून्यकाल में भी बोलने के लिए आपका नाम है। श्री जय प्रकाश नारायण यादव और श्री पी.वेणुगोपाल जी के विषय अलग हैं, लेकिन मेरा कहना है कि अभी हमने श्रद्धांजलि दी है। 12 बजे मैं आप सभी को समय दूंगी कि जो नेचुरल कैलामिटी आई है, इस पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करें। अगर सरकार भी कुछ कहना चाहे तो उसके लिए भी आप सभी को मौका दूंगी। इसलिए अभी एडजर्नमेंट मोशन नहीं लेते हुए, 12 बजे अपनी-अपनी संवेदनाएं हम इस विषय पर प्रकट करेंगे। मैं आप सभी को मौका दूंगी। यही मेरा निवेदन है।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव : मैडम, भूकम्प से जो परिस्थिति पैदा हुई है, उससे बड़ी कोई त्रासदी नहीं हो सकती। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि सारे काम रोककर देश के सामने आज जो सबसे बड़ा संकट है, जो मौतें हुई हैं, देश हिल गया है, उस पर चर्चा करें।

माननीय अध्यक्ष : जय प्रकाश जी, आप मेरी बात समझिए। प्लीज बैठिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह विषय ऐसा है कि अभी कदाचित भूकम्प के झटके आ रहे हैं, अभी कुछ न कुछ हो रहा है। मुझे लगता है कि स्थिति का पूरा आकलन भी अभी सरकार के सामने नहीं आया होगा, मुझे पता नहीं है, अगर आया हो तो बताएं। पूरा आकलन भी अभी चल रहा है, चाहे बिहार में हो या अपने देश में अन्य कहीं हो, आकलन अभी हो रहा है। इतना ही नहीं, अभी भी कहीं न कहीं एक दहशत का माहौल है। कल दिन में कई बार, तीन बार-चार बार फिर झटके आए, जो दिल्ली में भी महसूस किए गए हैं। एक प्रकार से यह अभी चल ही रहा है, फिर भी हमारी जो संवेदना है और अगर हम सरकार को कोई सुझाव देना चाहे तो 12 बजे मैं आप सभी को बोलने की अनुमति दे दूंगी। तब तक सरकार भी और जानकारी हासिल करें।

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वेंकैया नायडू) : मैडम, यह कोई विवाद का विषय नहीं है। हम ऐसे ही शान्तिपूर्ण वातावरण में आराम से चर्चा करेंगे।

11.07 hrs

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

HON. SPEAKER: Now, we will take up Question Hour, Shrimati R. Vanaroja.

(Q.461)

PROF. SAUGATA ROY: Madam, this question is relating to the Ministry of Petroleum. Why is the Minister of Power replying?

माननीय अध्यक्ष : उनकी रिक्वेस्ट मेरे पास है, उनका पत्र है, ऐसे एलाऊ नहीं किया है।

...(व्यवधान)

SHRI PIYUSH GOYAL: He has given notice that he is not in town because there was some very important official work which is why we have sought the hon. Speaker's permission.

HON. SPEAKER: Yes.

प्रो. सौगत राय : मैडम, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैडम, पेट्रोलियम मिनिस्टर को भूकम्प में क्या करना है। हाउस में रहना ज्यादा जरूरी है।...(व्यवधान)

SHRI PIYUSH GOYAL: I am surprised that a senior Member is talking like this.

माननीय अध्यक्ष : आपको उत्तर मिलना चाहिए। मुझे भी मालूम है। मेरी ओर से अनुमति दी गयी है। ऐसी बातें मत कीजिए। थोड़ा विश्वास मुझ पर भी रखिए। मैं भी 25 साल से सदन देख रही हूँ।

SHRIMATI R. VANAROJA: Respected Madam Speaker, while replying to my Question, the hon. Minister has agreed that oil marketing companies have received complaints pertaining to the retail outlet allotment selection but he has not mentioned what action has been taken by the Government with regard to the said complaints.

Therefore, I would like to make a request to the hon. Minister to inform about the action taken by the Government in this regard.

SHRI PIYUSH GOYAL: Madam Speaker, the hon. Member has raised a very important issue regarding irregularities. These are all Maharatna Companies which run independently. The Government does not directly deal with the complaints or receive the complaints or act on the complaints. But to inform the

hon. Members, the Government has taken the information from all these three Companies. The information that we have shows that in the last three years, we have received complaints in IOCL, BPCL and HPCL regarding irregularities in allotments.

There are two types of actions that have been taken. In several cases the Merit Panel itself has been scrapped wherever it was found that the irregularity has some substance. In some cases, we had to terminate the dealership if the Merit Panel work had already progressed. I am happy to inform the hon. Members that in the last one year, since the new Government came in, the number of complaints has drastically reduced. Against 220 complaints received in 2012-13 by IOCL, only three complaints were received in the last one year. Similarly, against 29 complaints in BPCL, we received only one complaint in last year. In HPCL, in 2012-13, against 79 complaints, we received no complaints in the last one year. Even the four complaints that were received in the last one year, all four merit panels have been cancelled. In the erstwhile years several merit panels had been cancelled. In some cases there was no change and in some cases dealerships were terminated.

SHRIMATI R. VANAROJA : Madam, Speaker, what we have been seeing today is that there are many petrol pumps in a row in a location but in some places the people have to travel many kilometres for getting fuel. So, there should be a uniform policy on this. The representatives of the people should also be made a part of selection of oil retail outlets. I would like to know from the hon. Minister whether the Government is considering to introduce a uniform policy for the allotment of retail outlet with active participation of people's representatives.

SHRI PIYUSH GOYAL: In the erstwhile days the selection was done through a very subjective process where there were selection guidelines for RO dealership and marks were given. There were certain parameters like capacity to provide land and infrastructure, capacity to provide finance, educational background, capacity to generate business. All of these are subjective issues. A lot of irregularities were

being observed because of the subjective nature. In such a subjective scheme possibly the hon. Member's suggestion to involve people's representatives may have been a good idea. But I am happy to inform the hon. Members and the House through you that in this year, 2014-15, we have done away with the system of selection through a subjective process and we now have a completely transparent system where there are certain criteria laid down. People are free to approach with applications for RO outlets and based on the criteria, objectively it is decided whether a person is eligible to be considered or not eligible. After that, for people belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, it is by draw of lots and for all others in the A category cities it is by way of online process, by bidding and therefore there is no possibility of even a Member of Parliament influencing the process of selection and there is no role for an MP any more. It is a transparent and an honest process that we have run and the proof lies in the fact that the complaints have fallen so drastically.

श्री नारणभाई काछडिया: अध्यक्ष महोदया, सरकारी हो या प्राइवेट हो, जो कच्चा तेल है, पेट्रोल या डीजल, उसकी तस्करी होती है तो उसे रोकने की जवाबदेही भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय पर आती है। गुजरात में मेरे संसदीय क्षेत्र में पीपावाओ पोर्ट और पीपाओ सीपीआर, दोनों जगह पर पिछले साल पहले 22-10-2014 को बड़ी मात्रा में डीजल चोरी हुआ, जो आयात किया गया था और कालाबाजार में बेच दिया गया। इसी तरह 5-6-2014 को ऐसी घटना हुई थी और उसकी पुलिस कम्प्लेंट कराई और एफआईआर भी दर्ज कराई। मैं दो बार विभाग को इस बारे में चिट्ठी भी लिख चुका हूँ, लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं मिला और न ही कोई कार्रवाई हुई है। पीपावाओ पोर्ट और पीपाओ सीपीआर में आज भी दो नंबर के डीजल और कच्चे तेल की तस्करी हो रही है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इसे रोकने के लिए कोई कार्रवाई होगी या नहीं?

श्री पीयूष गोयल: मुझे खुशी है यह बताते हुए कि इस प्रकार के जो कारनामे हो रहे थे, उन पर बड़ी सख्ती से सरकार पेश आई है और हमने इस प्रकार की मिलावट रोकने के लिए कई टेक्नोलॉजिकल और रेगुलेटरी मैजर्स इंट्रोड्यूस किए हैं। रेगुलेटरी मैजर्स में सरकार बहुत सख्त पेनल्टी लगाती है। रिटेल आउटलेट्स पर ऑटोमेशन किया जा रहा है। इस ऑटोमेशन से हम जांच कर सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ पेट्रोल कैसा है? अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं, उसके हिसाब से पूरे देश में कैरोसिन एडल्ट्रेशन बहुत कम हुई

है। आज की तारीख में लगभग 25927 रिटेल आउटलेट्स सौ किलोलीटर्स से ज्यादा पेट्रोल या डीजल हर महीने देते हैं, उनमें से 14286 के ऊपर ऑटोमेशन कर दिया गया है और बाकी 11213 में नैनो स्कीम इंट्रोड्यूस कर दी गयी है, जिससे केरोसिन एडल्ट्रेशन को लगभग कंट्रोल में ले लिया गया है। साथ ही साथ टेम्परप्रूफ लॉकिंग सिस्टम्स, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन, रिटेल आउटलेट्स, पेट्रोल-डीजल ले जाने वाले ट्रक्स में जीपीएस ट्रेकिंग सिस्टम, जिससे मिसयूज़ न हो सके, इस तरह की चीजें हमने इंट्रोड्यूस की हैं। माननीय सदस्य की जो स्पैसिफिक कम्प्लेंट है, इस पर भी मुझे कॉन्फिडेंस है कि जो कम्पनी है, वह उसकी जांच कर रही होगी। मैं संबंधित माननीय मंत्री जी से उस बारे में लेटेस्ट इनफोर्मेशन प्राप्त करके अवगत करवा दूंगा।

SHRI GAURAV GOGOI :Madam Speaker, the Question relates to the irregularities in the allotment of petrol pumps. The Minister has given his reply but in today's environment, it is not only in the allotment of petrol pumps where we see irregularities but it is also there in the allotment of oil tankers. Specifically, when it comes to oil refineries such as the refineries in my State of Assam where there are many, specifically in my constituency of Kaliabor, we see oil tankers being allotted on a very arbitrary basis, on a very opaque basis. There are no clear set of guidelines on the basis of which oil tankers are being given to the public. So, will the Ministry look into the allotment of oil tankers as well?

Coming to the Numaligarh Refinery, last week, the hon. Minister for Petroleum and Natural Gas stated that he had visited the Numaligarh Refinery to look at many issues and projects. Numaligarh Refinery is situated in my constituency. While we appreciate the visit of the Minister, it was deeply unfortunate and regretful that I was not invited to the Refinery situated in my constituency when the Minister had visited along with two Members of Parliament from the ruling party from the neighbouring constituencies.

Therefore, it was highly unfortunate that I was not invited. I would have been able to raise many issues of oil, natural gas and other issues relating to Numaligarh Refinery also but I failed to do so. The Minister visited my

constituency with other MPs from neighbouring constituencies. I hope that this will not happen in future with other Ministries as well.

We hope that there are clear and transparent criteria for distribution of oil tankers.

SHRI PIYUSH GOYAL: The hon. Member has raised a very important point about the oil tankers. I would like to inform the hon. Member through you Madam, that no tanker can ever be given on an arbitrary fashion. There is a proper process for it; the process is followed. The process has certain criteria in terms of competitiveness of the suppliers. If there is any case of irregularity, I would urge the hon. Member to please write to us so that the Government will take suitable, most appropriate and tough action on that.

As regards the visit of the hon. Minister to Assam, the hon. Minister for Petroleum and Natural Gas whom I am representing here today, has taken very serious interest to solve the problems of the entire State of Assam. He has spent more than two hours with the hon. Chief Minister of Assam discussing various issues relating to Assam and various refineries including the Refinery situated in the constituency of the hon. Member. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: It is not only your problem.

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : मैं पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर से यह कहना चाहूंगी कि वह इस बात को नोट करें और उस दिन शायद आपके सीनियर ने भी इस बात को नोट किया था। केवल यही बात नहीं और भी लोगों ने इस मुद्दे को उठाया था। ये कमियां कुछ रही गयी हैं कि संबंधित माननीय सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र में किसी कार्यक्रम में जब कोई मंत्री जी जाते हैं तो माननीय सदस्य तक इनफोर्मेशन पहुंचने में लेकना रह जाता है। उस दिन माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने खुद भी कहा था कि वह इसका संदर्भ ले लेंगे, लेकिन आज फिर एक बार यह बात उठी है तो मैं चाहूंगी कि केवल आप इसे नोट कर लें।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): मैडम, आपने उस दिन बैठक में यह कहा था और इसकी चर्चा संसदीय कार्य मंत्री ने की थी कि संवाद नहीं जाता है और जो महत्व सांसदों को मिलना चाहिए, कई बार ऐसा नहीं हो पा रहा है।

आपके इस आग्रह को हम लोगों ने सरकार में दोहराया और हम इसका समन्वय स्थापित करेंगे, लेकिन यहां जो उत्तर था, यह विषय कुछ भिन्न है, जो अभी माननीय मंत्री जी ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं, वह बात नहीं है।

श्री राजीव प्रताप रूडी : अगर आपस में घर में बातचीत न हो तो ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट मेरी बात सुनिये, सदस्य चाहे किसी भी पार्टी का हो, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि मुझे इतना याद है कि उस दिन प्रश्न का उत्तर देते समय मिनिस्टर ने कहा था कि मैं आपके क्षेत्र में आ रहा हूं। मुझे यह याद है, गौरव जी, मैं खुद भी थोड़ा याद रखती हूं और यह कहा गया था कि मैं आपके क्षेत्र में आ रहा हूं। इतनी बात यहां हुई थी, लेकिन बाद में शायद इंफोर्म करना रह गया, मैं केवल वही आपसे कह रही हूं। आप इसे नोट कर लें।

(Q.462)

श्री कीर्ति आज़ाद : अध्यक्ष महोदया, अभी जो त्रासदी आई है, उसमें दस जिले 1816 में सुगौली पैक में अंग्रेजों ने नेपाल को दिये थे और उनमें से एक जनकपुर है, जहां राम, जानकी रामायण सर्किट बन रहा है। उन दस जगहों में त्रेताकाल से लेकर आज तक बहुत सारे ऐसे अवशेष हैं, जिन्हें नहीं देखा गया है, जो पर्यटन की दृष्टि से बढ़ाये जा सकते हैं। वैसे काफी कुछ हमारे क्षेत्र दरभंगा जिले में भी है, जिसे अहिल्या स्थान कहते हैं, जहां भगवान राम ने पत्थर को पांव लगाया था और अहिल्या वापस जीवित रूप में आई थी। वहां गौतम कुंड है, महर्षि बाल्मीकि जी का वह आश्रम है, जहां लव और कुश बड़े हुए थे और उन्होंने दीक्षा पाई थी। मंडन मिश्र जी की जगह है, जहां आदिशंकराचार्य उनसे शास्त्रार्थ में हारे थे और उन्हें गुरु माना था। कोकिल कवि विद्यापति का स्थान है। यहां सौगत राय और अन्य माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, मैथिली लिपि पूरे नेपाल में, बंगाल में, आसाम में, यहां तक कि बंगलादेश में इस्तेमाल होती है, लेकिन हम उससे वंचित हैं। ऐसे बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं, जो रामायणकाल से हैं, जिनकी राज्य सरकार द्वारा अनदेखी की जा रही है।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आप इन विषयों को लेंगे और रामायण सर्किट में इन्हें जोड़ेंगे। क्या आपकी ऐसी कोई व्यवस्था है कि आप जो राम, जानकी सर्किट बना रहे हैं और जनकपुर में, जहां भगवान राम और सीता मां का विवाह हुआ था, क्या आप उसके अंदर इन सभी क्षेत्रों को जोड़ेंगे?

डॉ. महेश शर्मा : अध्यक्ष महोदया, बिहार की आध्यात्मिक और धार्मिक धरोहर पर किसी तरह का प्रश्नचिह्न नहीं है और यह हमारे देश के लिए गौरव की बात है। आदरणीय सांसद ने जो विषय उठाया है, वह वास्तव में हमारे राष्ट्रीय गर्व और आध्यात्मिक केन्द्र का बिन्दु रहा है। भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय जब से नई सरकार आई है, उसके माध्यम से स्वदेश दर्शन योजना घोषित हुई है और इसके प्रथम चरण में जो छः सौ करोड़ रुपये की राशि घोषित की गई है, इस बार उसमें पांच सर्किट घोषित किये गये हैं, जिनमें बुद्धिस्ट सर्किट, कृष्णा सर्किट, कोस्टल सर्किट, हिमालयन सर्किट और नार्थ-ईस्ट सर्किट घोषित किये गये हैं। अगली योजना में प्रस्तावित रामायण सर्किट है, जिसमें रामरेखा घाट, सीताकुंड, सीतामढ़ी, अहिल्या स्थान, बाल्मीकि नगर, प्रेतशिला घाट को कंसीडर किया जा रहा है और इसमें प्रदेश सरकार और भारत सरकार की तरफ से भी एक प्रपोजल जो हमारे इंडियन फाइनेन्स डिवीजन के पास एक मेगा सर्किट नालंदा, तिलेरा, बरबरा के लिए 37.56 करोड़ रुपये राशि से, राम, जानकी माघ रामायण सर्किट 579.38 लाख रुपये की लागत से, हैरिटेज टूरिज्म दरभंगा, राजनगर और मधुबनी पर 460.35 लाख रुपये की लागत से,

सूफी सर्किट हसनपुरा, सीवान, सती 220.00 लाख रुपये की लागत से और बेकुली धाम, सुकेश्वर स्थान 681.21 लाख रुपये की लागत से प्रस्तावित है। मैं सांसद महोदय की चिंता को समझता हूँ और अगर उनके पास कोई और सुझाव राम, जानकी कुंड या भगवान राम की मर्यादाओं से जुड़े हुए हों तो हमारे संज्ञान में लायें, मंत्रालय उन्हें लेने का प्रयास करेगा।

श्री कीर्ति आज़ाद : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने कहा है कि यदि और भी सहायता की आवश्यकता होगी तो वह करेंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कम से कम वहां वे सुविधाएं हों कि सैलानी वहां आ सकें। दरभंगा में एक बड़ा एयरपोर्ट होने के बावजूद वहां पर हवाई यातायात सेवा नहीं है और सौभाग्य से हमारे मंत्री जी सिविल एविएशन के मंत्री भी यहां बैठे हैं। इसके साथ ही साथ दरभंगा में चंद्रधारी संग्रहालय को अपग्रेड करने की बात हुई थी। उसको ले कर अभी तक क्या कार्यवाही हुई है, जिससे कम से कम एक टूरिज्म स्पॉट जो वहां पर बनने वाला था, उसका क्या हुआ है और कब तक वह काम पूरा होगा, उसके लिए कितना पैसा दिया गया है? साथ ही साथ हवाई यातायात भी शुरू करें तो लोग त्रेताकाल के रामायण सर्किट की जानकारी प्राप्त कर सकें और पर्यटन स्थल को देख सकें।

डॉ. महेश शर्मा : महोदय, माननीय सदस्य ने दरभंगा हवाई अड्डे के विकास के बारे में कहा है। हमारे कैबिनेट मिनिस्टर भी यहां पर बैठे हुए हैं। अपनी बैठक के अंदर चिंतन कर के मैं इस विषय में आदरणीय सदस्य को अवगत कराऊंगा कि किस तरह से वहां पर विकास किया जा सकता है। लेकिन हमारी सरकार कनेक्टिविटी को प्राथमिकता देते हुए चाह रही है कि टायर-2 और टायर-3 सिटीज़ तक भी एयर कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए। लेकिन उसके बहुत सारे कारण हैं। यह उसकी इकॉनमिक्स वायबिलिटी देखने के बाद ही हो सकता है। लेकिन मैं माननीय सदस्य की भावनाओं की कद्र करते हुए इसे आदरणीय वरिष्ठ मंत्री जी के साथ विचार करूंगा। चंद्रधारी म्युजियम के बारे में अभी कोई प्रस्ताव वर्तमान में इस योजना के अंदर प्रस्तावित नहीं है, लेकिन मैं माननीय सदस्य के इस सुझाव पर अगली बैठक के अंदर इस प्रस्ताव पर विचार करूंगा।

श्रीमती कमला पाटले : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय पर्यटन मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि सरकार देश में पर्यटन के बहुआयामी क्षेत्र, विशेषकर छत्तीसगढ़ स्थित एकमात्र एवं दुर्लभ क्रोकोडायल पार्क कोटमी सोनार के लिए, पर्यटन और संरचना विकास में निवेश हेतु कोई विशेष योजना है एवं देश-विदेश के भीतर प्रदर्शित करने के किसी उपाय पर विचार करेगी?

डॉ. महेश शर्मा : महोदय, आदरणीय सदस्य ने छत्तीसगढ़ के विषय में जो विचार मेरे संज्ञान में लाया है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के अंदर जो प्रोजेक्ट हमारे सामने है, गिरौधपुरी टूरिस्ट डेस्टिनेशन, छत्तीसगढ़

डेस्टिनेशन सर्किट है और एक कनवेंशन सेंटर रायपुर में बनाने की योजना है जो क्रमशः लगभग 4 करोड़ 40 लाख रुपये और पांच करोड़ रुपये की योजनाएं हैं। मैं माननीय सदस्या के प्रस्ताव पर विचार करूंगा।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : अध्यक्ष महोदया, पर्यटन देश के विकास और प्रगति के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। स्वयं जब मंत्री जी ने कहा है कि 6-7 करोड़ लोगों को रोजगार के अवसर इस क्षेत्र से उत्पन्न होते हैं, तो मुझे आश्चर्य और खेद है कि मंत्री जी ने अपने उत्तर में लिखा है कि पर्यटन का प्रमोशन प्राथमिक तौर पर राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की नहीं है। यह बड़े खेद का विषय है। उसी के साथ उन्होंने उत्तर में यह कहा है कि सन् 2013-14 और 2014-15 के हमारे पास रोजगार के आंकड़े ही नहीं हैं। सरकार के सूचना तंत्र का क्या हाल है कि दो साल पहले के आंकड़े भी सदन में हम पेश नहीं कर पा रहे हैं। इसी के साथ मैं प्रश्न में पूछना चाहता हूँ कि सरकार ने जो टूरिस्ट वीजा ऑन अराइवल की स्कीम की घोषणा की थी, उसके आधार पर बड़ी असमंजस्य की स्थिति है क्योंकि पर्यटक विदेश से देश में आते हैं तो वे समझते हैं कि उनको वीजा मिल चुका है। एयरपोर्ट में दो-तीन दिन उनको रहना पड़ता है और किसी को तो वहीं से वापस भेजा जाता है। इस स्कीम में या तो आप पहले ही वीजा दिलवाइए या फिर इस स्कीम का नामांतरण बदल दीजिए और कह दीजिए ई-वीजा, यह नहीं कि टूरिस्ट वीजा ऑन अराइवल, क्योंकि वीजा ऑन अराइवल तो लोगों को मिलता नहीं है। इसी के साथ वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स जो देश में आती हैं, वे केवल दो-तीन शहरों में आती हैं। पर्यटकों को दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलोर में रात बितानी पड़ती है तथा बेकार में पैसा खर्च करना पड़ता है। हम अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स को डायरेक्ट टूरिस्ट स्पॉट्स में कनेक्टिविटी क्यों नहीं दे पाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर भी हम चाहते हैं, ताकि पूरे देश में पर्यटन की वृद्धि भी हो। क्या इसका मूल्यांकन सरकार करने वाली है? पर्यटन के क्षेत्र को डायरेक्ट कनेक्टिविटी देने के लिए और यह ई-वीजा और टूरिस्ट वीजा ऑन अराइवल की असमंजस की स्थिति से पूरी तरह से निजात देने के लिए सरकार क्या ठोस कदम उठाने वाली है?

डॉ. महेश शर्मा : महोदया, आदरणीय सदस्य ने एक प्रश्न किया है सन् 2012-13 तक के आंकड़े हमारे पास हैं, जिसमें लगभग 66.96 मिलियन का रोजगार टूरिज्म के द्वारा था। मैं इसका तरीका बता दूँ कि टूरिस्ट सैटेलाइट अकाउंट ऑफ इंडिया के माध्यम से ये आंकड़े हमें प्राप्त होते हैं। इन उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सन् 2010-11, 2011-12, और 2012-13 के आंकड़े हमारे सामने हैं कि क्रमशः 57.94 मिलियन, 62.04 और 66.96 मिलियन का रोजगार टूरिज्म के द्वारा था। अन्य आंकड़े प्राप्त हो चुके हैं। मैं सदन को बता दूँ कि जैसे ही वे आंकड़े हमें प्राप्त हो जाएंगे, उनकी घोषणा उनके सामने करेंगे।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : क्या सरकार के पास कोई सूचना तंत्र नहीं है कि पब्लिकली कितने पर्यटक आते हैं?...(व्यवधान)

डॉ. महेश शर्मा : यह सरकार का सूचना माध्यम ही है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, आप इधर उत्तर दीजिए।

...(व्यवधान)

डॉ. महेश शर्मा : दूसरा, मैं बता दूँ कि विपक्ष की सूचना के अनुसार जो विसंगति वीजा ऑन अराइवल की पाई गई थी, आज से सात दिन पहले, उस योजना का नाम ई-टूरिस्ट वीजा घोषित कर दिया गया है। अब वह वीजा ऑन अराइवल नहीं है, उसमें कुछ विसंगतियां थीं।

तीसरा विषय जो आदरणीय सदस्य ने उठाया है, **About connectivity at Tier II or Tier II city at ultimate site of destination, I think, he will understand that it is not possible but we have provided a scheme of E2E tourism (End to End tourism) which has started progressing in Buddhist circuit. We would receive all those tourists at a destination and will ensure -** कि वह वहाँ से अपने गंतव्य स्थान तक चाहे रेल के माध्यम से या अन्य माध्यमों से जाएं और जिसके विषय में पर्यटन मंत्रालय ने एक विशेष योजना, हमारी जो तीन स्ट्रेंथ टूरिज्म की हैं, स्वच्छता, सुरक्षा और हॉस्पिटैलिटी। स्वच्छता को हमने प्रधानमंत्री जी के स्वच्छता अभियान से जोड़ा है। सुरक्षा के लिए एक इन्क्रेडिबल इंडिया हेल्प लाइन 1363 है, जो अभी दो भाषाओं में है और इसके बाद वह 12 भाषाओं में उपलब्ध होगी, यह चालू हो गई है। इमीग्रेशन काउंटर पर अगर आप जाएंगे तो आपको एक “वेलकम टू इंडिया टिप्स फॉर टूरिस्ट” शीर्षक वाला बुकलेट मिलेगा, जिसमें डूज एंड डोन्ट्स होंगे और एक स्वागत कार्ड भी आपको मिलेगा। आदरणीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, इसमें हमारी चिंता है, लेकिन मैंने विषय की सूचना देते हुए कि यह विषय हमारे स्ट्रक्चर के अनुसार राज्यों का है, लेकिन फिर भी भारत सरकार अपनी पूरी जिम्मेदारी से, संजीदगी से इसे कर रही है। मैं कहूँगा कि अगर सबसे बड़ा एंबेसडर इस वक्त पर्यटन के लिए, देश के लिए कोई एक व्यक्ति है, तो वो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी कर रहे हैं। यह हमारे लिए गौरव की बात है कि भारतीयता का पर्यटन की दृष्टि से जो परसेप्शन है, वह बहुत ऊँचाइयों तक पहुँचा है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सुल्तान अहमद जी, क्या आप प्रश्न पूछना चाहेंगे?

...(व्यवधान)

श्री सुल्तान अहमद : मैडम, मैं आपकी आवाज सुन नहीं पाया।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : रिकार्ड में बाकी कुछ नहीं जा रहा है, केवल सुल्तान अहमद जी की बात रिकॉर्ड में जाएगी।

*(Interruptions) ... **

माननीय अध्यक्ष : जितनी भी क्रॉस टाकिंग होती है, वे रिकार्ड में नहीं जाएंगी।

*(Interruptions) ... **

श्री सुल्तान अहमद : मैडम, माननीय मंत्री ने आँकड़े दिए हैं, वर्ष 2012-13 और 2013-14 में विभिन्न राज्यों को उन्होंने ग्रांट इन ऐड दिया है, लेकिन वर्ष 2012-13, 2013-14 इन दोनों वर्षों में वेस्ट बंगाल को एक रूपए का भी ग्रांट नहीं मिला है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि वर्ष 2015-16 में उन्होंने कोई बजटरी ग्रांट रखा है, इसलिए कि बंगाल हमारे देश के टूरिस्ट डेस्टिनेशन में एक स्थान रखता है। वहाँ दार्जिलिंग है, द्वारस है, बीच है, सुन्दर वन है, सेवन वंडर्स ऑफ दी वर्ल्ड में इसका शुमार हो गया है। बंगाल के साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि लास्ट ईयर भी आपने कुछ नहीं दिया, इससे पहले यूपीए-टू में भी कुछ नहीं मिला। हम पूछना चाहते हैं कि क्या इस साल कुछ बंगाल को देने का विचार है?

माननीय अध्यक्ष : आप सिर्फ प्रश्न पूछिए। मंत्री जी, बंगाल को कुछ दिया है तो बताइए।

डॉ. महेश शर्मा : मंत्रालय के लिए सभी राज्य बराबर हैं। इसकी एक प्रक्रिया है कि सभी राज्यों से विभिन्न पर्यटक सर्किटों के लिए, पर्यटक योजनाओं के लिए डीपीआर आमंत्रित की जाती हैं और जब वे डीपीआर प्राप्त होती हैं, कई बार कुछ राज्यों से डीपीआर प्राप्त नहीं होती हैं। वर्ष 2012-13 में वेस्ट बंगाल को एक सर्किट और दो उत्सवों के माध्यम से 46.94 करोड़ की राशि अवमुक्त की गई थी। वर्ष 2013-14 में कोई भी डीपीआर हमारे पास प्रस्तावित नहीं है या उचित नहीं समझी गई। अगर माननीय सांसद के पास कोई ऐसी योजना प्रदेश सरकार की तरफ से हो तो उसे वे हमारे संज्ञान में लाएं।... (व्यवधान)

* Not recorded.

श्री अर्जुन लाल मीणा : महोदया, मैं सबसे पहले तो मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारा जो राजस्थान प्रदेश है, वह टूरिज्म का हब है और जो देश में पर्यटक आते हैं, वे राजस्थान जरूर आते हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानकारी लेना चाहता हूँ कि राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित जो मानगढ़ धाम है, जहाँ 17 नवंबर, 1913 को गोविन्द गुरु के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई हुई, जहाँ जलियाँवाला बाग से भी ज्यादा जघन्य हत्याकांड हुआ था जिसमें 1500 आदिवासी शहीद हुए थे, जहाँ गुजरात के तत्कालीन मुख्य मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात सरकार ने पर्यटन की दृष्टि से बागीचा और गार्डन का निर्माण कराया और राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्य मंत्री जी वसुंधरा राजे जी ने भी इस बजट में प्रावधान किया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या इस स्मारक मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक में जोड़ने का विचार सरकार रखती है?

डॉ. महेश शर्मा : जो प्रश्नगत सवाल है, इसमें जो विषय सांसद जी द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया है, मैं प्रदेश सरकार के माध्यम से इसको अपनी बैठक में निश्चित करूँगा। वैसे पर्यटन मंत्रालय डैजर्ट सर्किट के नाम से एक योजना शुरू करने जा रही है जो राजस्थान के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। वैस्ट बंगाल के साथियों के लिए भी मैं बता दूँ कि कोस्टल सर्किट और हिमालयन सर्किट के माध्यम से भारत सरकार की 200 करोड़ रुपये की जो योजनाएँ हैं, उनका फायदा वैस्ट बंगाल को भी मिलेगा।

SHRI P. KARUNAKARAN: Madam Speaker, Kerala is considered as the God's own country as far as tourism is concerned. Many of the hon. Members and Ministers have also visited Kerala, especially the important tourist destinations in Kerala. But at the same time, in the reply given by the hon. Minister, the details regarding the projects sanctioned for tourism development and the amount allocated have been given.

As far as the State of Kerala is concerned, there were projects sanctioned in the years 2012-13 and 2013-14. But I am sorry to say that there is no project sanctioned for Kerala in the year 2014-15. There is ample potential for development of tourism in Kerala and as far as tourism is concerned, Kerala is not only nationally well known but it is also internationally accepted as one of the best tourist destinations in the world. So, I would like to know from the hon. Minister, through you, as to what is the reason for not sanctioning any project to Kerala.

डॉ. महेश शर्मा : केरल राज्य के पर्यटन महत्व को मंत्रालय अहमियत देता है। 2013 में केरल के लिए 10 प्रोजैक्ट्स के माध्यम से 40 करोड़ 65 लाख रुपये की राशि से अवमुक्त किए थे। 2014-15 में जो सर्किट हमारे सामने लाए गए थे, उसके बावजूद भी जैसा मैंने बताया, भारत सरकार द्वारा कोस्टल सर्किट का सौ करोड़ रुपये किया है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, आप इधर देखिये। ऐसे प्रश्नों के उत्तर नहीं दिये जाते।

... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: He is answering. Let him complete. Please do not disturb him.

... (Interruptions)

डॉ. महेश शर्मा : आदरणीय अध्यक्ष जी, यह विषय है कि जब प्रोजैक्ट्स हमारे पास आते हैं, डीपीआर आती हैं, हमारी प्रायारिटाइज़ेशन मीटिंग्स में बैठकर यह तय किया जाता है कि जो धनराशि हमारे पास होती है, उसको हम किस तरह किन-किन प्रदेशों में दे सकें, यह प्रायारिटाइज़ेशन मीटिंग्स में तय किया जाता है। कई बार समय पर डीपीआर नहीं आ पाती हैं, कई बार वह डीपीआर या प्रोजैक्ट्स वायेबल नहीं होते हैं या उनकी उपयोगिता सिद्ध नहीं कर पाते हैं। उनके अधिकारी भी आते हैं, उनके मंत्री भी आते हैं और उनके साथ बैठकर ही ये प्रायारिटाइज़ेशन मीटिंग्स तय होती हैं। इस विषय पर पूरा देश हमारे सामने है, मंत्रालय के सामने है और विभिन्न राज्यों को इसकी उपलब्धता, डीपीआर और उनकी उपयोगिता के अनुसार राशि अवमुक्त की जाती है।

HON. SPEAKER: Please do not disturb like this. Please take your seat.

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : मैं सभी राज्यों को अकोमोडेट करने की कोशिश कर रही हूँ।

श्री के. परसुरमन।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बाद में मिल लीजिए केरल के संदर्भ में।

... (व्यवधान)

SHRI K. PARASURAMAN: Madam Speaker, I am very thankful to you for giving me this opportunity. As far as my constituency Thanjavur in Tamil Nadu is concerned, it has a historical value as there are a number of religious places and temples constructed during the First Century. So, I would like to know from the hon. Minister whether the Union Government has any plan to promote rural tourism in the nine temples of celestial bodies located in Thanjavur District of Tamil Nadu.

माननीय अध्यक्ष : क्या तंजावूर डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ है, वह बताएँ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह तो सभी जानना चाहेंगे। उस पर डिसकशन मांग लेना।

...(व्यवधान)

डॉ. महेश शर्मा : मैं बता दूँ कि वर्तमान में तंजावूर डिस्ट्रिक्ट का कोई प्रपोज़ल हमारे सामने नहीं है। एक सूचना मैं अपने केरल के दोस्तों को और दे दूँ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Venugopal ji, this is not the way. Do not answer like this.

... (Interruptions)

डॉ. महेश शर्मा: माननीया, तंजावूर डिस्ट्रिक्ट का प्रपोज़ल अभी आया है। केरल के लिए मैं बता दूँ कि यूटीलाइजेशन सर्टिफिकेट हमें दिसम्बर में प्राप्त हुआ है। वे अपनी प्रदेश सरकारों से पूछें कि यूटीलाइजेशन सर्टिफिकेट वे समय पर क्यों नहीं दे पाये।

SHRI KIRTI VARDHAN SINGH: Madam Speaker, in July 2014, the Government had launched a strategy for integral tourism development of the Buddhist sector in UP and Bihar. I would like to your attention to Sravasti which is an integral part of this circuit. It is located in Balrampur district and also in a very backward area of Uttar Pradesh. Sravasti is a place where Gautam Buddha spent 24 years of his life preaching there. The famous incident of Daku Angulimaal also happened here. Every year, thousands of tourists from South East Asian countries, from Japan, from Sri Lanka come to Sravasti. But they face a huge problem because the nearest airports of Varanasi and Lucknow are eight to ten hours away and they

have to travel by bus over these very bad roads. There is already an airstrip located in Sravasti.

So, through you, hon. Speaker, Madam, I would like to ask the hon. Minister that under the strategy for integral tourism development of the Buddhist circuit, what is the budget allocation for this sector in UP and Bihar. Sepcifically, is there any programme to upgrade the airstrip at Sravasti to an airport? Thank you very much.

डॉ. महेश शर्मा: माननीय सांसद ने बुद्धिस्ट सर्किट पर जो चिन्ता जाहिर की है, भारत सरकार ने इस बार स्वदेश दर्शन योजना में बुद्धिस्ट सर्किट के माध्यम से 120 करोड़ रुपये की राशि अवमुक्त की है और जो आठ में से सात स्थान हमारे पास हैं, उनमें से तीन बिहार में और चार उत्तर प्रदेश में हैं। उसमें श्रावस्ती भी है और मैं माननीय सांसद को अवगत कराना चाहूंगा कि सातों विषयों पर बिहार और उत्तर प्रदेश को खास तौर पर बुद्धिस्ट सर्किट से जोड़ने की जो भारत सरकार की योजना है, मिनिस्ट्री इनीशिएटिव में इंटरनेशनल फाइनेंस डिवीजन के साथ भी उत्तर प्रदेश सरकार और बिहार सरकार के साथ एक समझौता हुआ है, जिसका प्रथम चरण पूरा हो गया है। लेकिन एयरपोर्ट का विषय अभी हमारे पास विचाराधीन नहीं है, यह मैं माननीय सांसद को अवगत करा रहा हूं। बुद्धिस्ट सर्किट के माध्यम से श्रावस्ती के विकास के लिए भारत सरकार और पर्यटन मंत्रालय प्रतिबद्ध है।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न 463

श्री धर्मेन्द्र यादव - उपस्थित नहीं।

Shri Anandrao Adsul

माननीय अध्यक्ष: आप पहले क्वश्चन नम्बर बताइये, क्योंकि, धर्मेन्द्र जी उपस्थित नहीं हैं।

SHRI ANANDRAO ADSUL: Q. 463.

माननीय अध्यक्ष: अब प्रश्न पूछिये। आपको दो प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया।

(Q. 463)

SHRI ANANDRAO ADSUL: Madam, nowadays there is a good network of the Indian Railways right from Jammu & Kashmir to Kanyakumari and from Kutch to Kolkata. The Indian Railways are the lifeline and the helpline of the Indian people. The passenger transport and goods transport is preferably safe and the cheapest. But, nowadays, there is a mismatch.

I will bring to the notice of the hon. Minister, as I told, the Indian Railways are the network for the Indian people unless tariff is affordable to the common people. But nowadays it is essential to have a new regulatory authority for this mismatch in passenger tariff and the goods tariff. I would like to know from the hon. Minister, in the Budget of 2015-16, you have announced the regulatory mechanism for this one. But, will it be competitive in the case of road transport and water transport? The Railways will get good income out of it. It will also be affordable to the common people.

SHRI SURESH PRABHU: Madam, it is absolutely true that Railways have a structure of fare and freight which is essentially favouring the passengers. We overcharge a bit to the freight. This overcharged freight cross subsidizes the fares of the passengers travel at a lower rate. Therefore, to make that happen, the people who actually send their goods by train, they will have to pay a little more. Over a period of time, we have seen that the fares remained more or less the same and the freight charges have gone up considerably. It is in the interest of our national economy. We should make sure that we actually have a very rational structure to decide who should pay how much. For that same reason, as I had mentioned in my Budget Speech, we have already decided to appoint a regulatory framework to come out with a proper structure and also the costing structure.

When we want to decide what should be the freight and fare, we must have a proper structure to decide as to what is the cost which goes into each of these two. So, we have already decided to do that. We are already in the process of deciding as to how we should move on this. Mr. Arvind Panagariya, Vice-Chairman of Niti Aayog, is the one who is actually suggesting us the framework for this and we will make it happen.

The point that you have mentioned whether common people will be benefited out of this, I would like to tell you that this cross-subsidization is not unusual in this world. Countries like China, Russia, USA and Japan have charged more or less a little more to the passengers and they cross subsidize the freight. In India, the situation is exactly the opposite. We actually overcharge a little to the freight and cross subsidize the fare of the passengers. This cross subsidization is not uncommon. This is something which is unique in India that we charge a little more freight than what we charge to passengers.

In fact, even in power sector, the same situation is there. Mr. Jyotiraditya Scindia was also the Minister of Power. He knows that there has been a cross subsidization even in this sector. I think, we really need to find out the way of coming out of this situation. I think, the House will agree with me that we must have a very transparent system to do that. This is the legacy of our past. We have been doing this for so many years. Therefore, we must make sure that we move out to this system which will be fair to both, passengers as well as to the freight operators. But loading a lot of money on the freight discourages more investment and increasing the cost of business. It does not allow more employment to be created. So, we must have a transparent system in place.

SHRI ANANDRAO ADSUL: Madam, somehow, I agree with the hon. Minister but then a question arises. Indian Railways have been a loss-making organisation for a long time now. Nowadays, other modes of transport like road transport and shipping are also coming into picture. That is why Railways must be commercially

viable. We will have to regulate our authorities in a way that they will charge the freight which will be affordable to the common people.

SHRI SURESH PRABHU: Madam, today the whole exercise is directed to make sure that common people get benefited. They are paying far less than the actual cost of transportation. In fact, the people who pay the least are the people who travel more by the economy class not the high-ended passengers. There is a very small subsidization for the first class passengers. So, it has already been done. But to make sure what hon. Member is saying happens, the concerned authority will definitely look into that.

As pointed out by the hon. Member about the transport sector, it is really alarming that the total share of railways in the investment, which has gone into the country in terms of transportation sector, has come down dramatically in the last few years. In the year 1950, the share of freight was 89 per cent. It has come down to 36 per cent in total transportation because there is no way to handle more freight. This has nothing to do with tariff. This is the capacity of the Railways to handle it. In the year 1950, the increase in freight handling had increased by 15 times. There was an increase of passenger numbers by 15.7 times whereas the route kilometres were increased only by 1.23 times. Just imagine, the investment in Railways was only 1.23 times more whereas the amount of passengers and the amount of freight that we handle had gone up to 15 to 16 times. How are we going to manage it? Therefore, the solution lies, as you have said, in terms of making investment. This Budget talks about Rs.8.5 lakh crore of investment in the next five years. That is precisely for the reason to decrease the congestion that has happened. In fact, 16 per cent of the total route kilometres handle 60 per cent of traffic. So, this is something which is unviable and undoable. That is why, what you are saying is right. We will make sure that other modes of transportation like road and sea transport take place. We will also not compete. In fact, Railway should come up. The only solution lies in terms of more investment in Railways.

श्री सुधीर गुप्ता: महोदया, रेलवे ने माल भाड़े और माल ढोने के लिए अनेक सुविधायें बढ़ाई हैं। मेरा संसदीय क्षेत्र मंदसौर है। यहां माल भाड़े के लिए बहुत ट्रेनों का विकास हुआ, मगर यात्री ट्रेनों में कमी आई है। उदयपुर से उज्जैन टूरिस्ट सर्किल भी है। मेरा प्रश्न है कि माल भाड़े की वृद्धि में कहीं यात्री गाड़ियों की कमी तो नहीं हो रही है?

श्री सुरेश प्रभु : मैडम, मालगाड़ी चलती हैं, तो दो-तिहाई आमदनी मालगाड़ी से आती है। इतनी मालगाड़ी चलती हैं, तो हम पैसेंजर ट्रेंस भी चलाते हैं। पैसेंजर ट्रेंस चलाने के लिए, उनको क्रॉस सब्सिडाइज करने के लिए यदि यहां वृद्धि नहीं होगी, तो हम पैसेंजर ट्रेंस चलाने में इतने सफल नहीं हो पाएंगे। आपने कहा कि उदयपुर में दिक्कत है, उसके बारे में हम जरूर देखेंगे। मैं यही कहना चाहता हूं कि जो डिस्ट्रार्शन हो गया है फ्रेट और फेयर में, इसे भी ठीक करने की आवश्यकता है। सोने के अंडे देने वाली जो मुर्गी है, उसे भी जीवित रखना आवश्यक है, जैसे कि हमारी फ्रेट सर्विस है।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Madam Speaker, the hon. Minister, in his reply, stated that Indian Railway is unlike most other Government Departments has to meet its working expenditure through its own revenues. So, cross subsidization has been going up for decades. The hon. Minister has been devising many innovations. May I ask the hon. Minister whether he is proposing to the Government that in order to meet the social obligations – because it meets social services also – to cough up the formidable amount of cross subsidization from the central exchequer so that you Railway could save its own revenues?

SHRI SURESH PRABHU: Madam, again this is a very important point. I fully appreciate the point of the hon. Member. The hon. Member had been the Railway Minister himself. So, he knows it better than anybody else. Therefore, we must find out a non-tariff, non-fare based revenues for the Railway also. We are thinking about advertisement. In fact, this time, the target is very high. We are trying to find out unconventional ways of raising resources. We will definitely look into this. The hon. Member is right that we must find out the way. But, at the same time, we must also have, over the period of time, a cost-based structure for deciding the difference between freight and fare, and we must have a system for that. To avoid any arbitrariness on this, we must have an independent

regulatory system based on costing. So, this is again will not be arbitrary, not personality-oriented. This will be a very objective system. We have to avoid subjectiveness and to make sure that it is based on costing and based on certain system. Then, we can arrive at this.

(Q.464)

श्री शरद त्रिपाठी : अध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी ने हमें मूल प्रश्न का उत्तर दिया है, जो श्रम विभाग एवं उत्पादन हानि से संबंधित है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो उत्तर माननीय मंत्री जी ने हमें उपलब्ध कराया है, उससे मैं सहमत हूँ। जो आंकड़े हैं, वे देश के लिए बड़े चौंकाने वाले हैं। श्रम विवादों एवं हड़तालों की जो स्थिति थी, वर्ष 2013 में विवादों की संख्या 200 थी, जबकि श्रम दिवसों के हानि की संख्या 37,02,094 थी, मजदूरी हानि की संख्या 1,77,84,91,363 थी और उत्पादन में 4,31,35,13,582 की हानि हुई। यह वर्ष 2013 में हानि हुयी है, उसके बाद संख्या में कमी आनी शुरू हो गयी है, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा। हम लोगों की सरकार वर्ष 2014 में बनी है। श्रम विवादों की संख्या 146 हुयी है, शामिल कामगारों की संख्या 10,50,000 है, मजदूरी हानि की संख्या घट कर 1,88,49,61,389 हुयी है, उत्पादन में 2,00,39,71,899 की हानि हुयी है और वर्ष 2015 में विवादों की संख्या घट कर 20 हो गयी है। मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को विशेषरूप से बधाई देना चाहूंगा कि हमें जो विवादों की संख्या 200 विरासत में मिली थी, वह घटकर 20 हो गयी है। जैसा जापान इत्यादि देशों में यह है कि जब वहां पर मजदूर हड़ताल करते हैं तो वे काम बंद नहीं करते हैं बल्कि वे उत्पादन बढ़ा देते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वह कोई ऐसा प्रावधान लायेंगे जिससे हमारे भी देश में प्रेरणा देकर या किसी कठोर कानून के माध्यम से कि जब वे हड़ताल करें तो उत्पादन की संख्या बढ़ा दें और उनके हड़ताल के समय पारिश्रमिक का जो मूल्य हो, जब वे उत्पादन की संख्या बढ़ा देते हैं, हम उनका कोई विशेष मूल्य निर्धारण करें, क्या ऐसी कोई योजना माननीय मंत्री जी बनायेंगे?

SHRI BANDARU DATTATREYA : Hon. Madam Speaker, the hon. Member has asked a very pertinent question. I appreciate him. Whatever answer was required, I have already given it in my written reply.

But the point is that in India, for disputes and settlements, we have the Grievance Redress Mechanism, which has been provided. At the same time, I also wanted to inform the hon. Member that there are a large number of processes into the Act itself. As per the Committee, a mechanism is there among the factories itself that the workers and employers both will have a Committee where there will be a redressal system.

The second part is the conciliatory method. At any juncture, if it fails, then it goes to Tribunal, courts or settlements. But according to this process, we are continuing.

Madam, I am happy to inform the House about the very trend in the country that the maturity has increased among the employees and employers. Now, the trade unions are also coming with the right spirit. That is why I feel that the system is doing well.

On the issue which he had raised about Japan, in spite of the strike there, they would go for production. As regards any amendment can be made, any law can be got into the ambit into our system, I would see to it. Ours is a Tripartite mechanism. If it is agreed there, we can think about going ahead.

श्री शरद त्रिपाठी: माननीय मंत्री जी के उत्तर से मैं संतुष्ट हूँ। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या औद्योगिक विवाद अधिनियम की संशोधित धारा-20 से कितने औद्योगिक प्रतिष्ठानों को शिकायत तंत्र का लाभ मिला है और उसको लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, जिससे अधिक-से-अधिक कर्मचारी इसका लाभ भी उठा सकें और क्या माननीय मंत्री जी कोई ऐसी योजना लायेंगे कि जितने भी श्रमिक विवाद हैं, उनके लिए कोई विशेष अदालत बनाकर उनका अविलंब निस्तारण कर दिया जाये?

SHRI BANDARU DATTATREYA: It is also a new initiative, which we have taken up. About the Shram Suvidha Portal, I have already mentioned.

So, about this also we will examine it.

HON. SPEAKER: Shri K.N. Ramachandran – Not present

12.00 hrs.

डॉ. वीरेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदया, श्रमिक एवं प्रबंधन के बीच जो विवाद उत्पन्न होते हैं, उनके निपटारे और समाधान के संबंध में जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, मैं इस संबंध में कहना चाहता हूँ कि श्रमिक का काम श्रम करना होता है और प्रबंधन की जिम्मेदारी श्रमिकों के कल्याण के हित में काम करना होती है। जहां इसमें गतिरोध होता है, वहीं टकराव होते हैं और विवाद जन्म लेते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 बना। उसमें आपने तमाम प्रबंधन किए, लेकिन

क्या कोई ऐसा तंत्र बनाएंगे जो श्रमिकों और प्रबंधन के बीच पुल का काम करे ताकि इस तरह की स्थिति निर्मित न होने पाए?

SHRI BANDARU DATTATREYA: Madam, I have already intimated him. In spite of that, I tell him that a mechanism already exists. At many levels, these are examined. And, if any lacunae are there, there are some rules and norms which have come into force. Then we will take it under this mechanism itself.

HON. SPEAKER: Thank you. Question Hour is over.

12.0 ½ hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

HON. SPEAKER: Now, Papers to be Laid on the Table.

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री कलराज मिश्र) : अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (क) (एक) अंडमान एण्ड निकोबार आईलैण्ड्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) अंडमान एण्ड निकोबार आईलैण्ड्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 2334/16/15]

(ख) (एक) ओमनीबस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ दमन एण्ड दीव एण्ड दादर एण्ड नागर हवेली लिमिटेड, नानी दमन के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ओमनीबस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ दमन एण्ड दीव एण्ड दादर एण्ड नागर हवेली लिमिटेड, नानी दमन का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2335/16/15]

(3) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर माइक्रो, स्मॉल एण्ड मीडियम इंटरप्राइजेज, हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर माइक्रो, स्मॉल एण्ड मीडियम इंटरप्राइजेज, हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2336/16/15]

(5) (एक) महात्मा गाँधी इंस्टिट्यूट फॉर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, वर्धा के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महात्मा गाँधी इंस्टिट्यूट फॉर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, वर्धा के वर्ष 2013-2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2337/16/15]

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल ओराम) : अध्यक्ष महोदया, मैं नेशनल शिड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनैस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[Placed in Library, See No. LT 2338/16/15]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI BANDARU DATTATREYA): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the V. V. Giri National Labour Institute, Noida, for the year 2012-2013, alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the V. V. Giri National Labour Institute, Noida, for the year 2012-13.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 2339/16/15]

(3) A copy of the Financial Estimates and Performance Budget (Hindi and English versions) of the Employees' State Insurance Corporation, New Delhi, for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 2340/16/15]

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Employees' Provident Fund Organisation, New Delhi, for the year 2013-2014.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Employees' Provident Fund Organisation, New Delhi, for the year 2013-2014, together with Audit Report thereon.

(5) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (4) above.

[Placed in Library, See No. LT 2341/16/15]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY (SHRI PIYUSH GOYAL):

Madam, on behalf of my colleague, Shri Dharmendra Pradhan, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

- (i) Memorandum of Understanding between the Hindustan Petroleum Corporation Limited and the Ministry of Petroleum and Natural Gas for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 2342/16/15]

- (ii) Memorandum of Understanding between the Indian Oil Corporation Limited and the Ministry of Petroleum and Natural Gas for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 2343/16/15]

- (iii) Memorandum of Understanding between the Bienco Corporation Limited and the Ministry of Petroleum and Natural Gas for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 2344/16/15]

- (iv) Memorandum of Understanding between the Balmer Lawrie and Company Limited and the Ministry of Petroleum and Natural Gas for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 2345/16/15]

- (v) Memorandum of Understanding between the Bharat Petroleum Corporation Limited and the Ministry of Petroleum and Natural Gas for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 2346/16/15]

(2) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-

- (i) Review by the Government of the working of the Indian Strategic Petroleum Reserves Limited, Noida, for the year 2013-2014.
- (ii) Annual Report of the Indian Strategic Petroleum Reserves Limited, Noida, for the year 2013-2014 alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

[Placed in Library, See No. LT 2347/16/15]

(4) A copy of the Kerosene (Restriction on Use and Fixation of Ceiling Price) Amendment Order, 2015 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 41(E) in Gazette of India dated 19th January, 2015 under sub-section (3) of Section 6 of the Essential Commodities Act, 1955 together with a corrigendum thereto published in Notification No. G.S.R.89(E) (Hindi version only) dated 13th February, 2015.

[Placed in Library, See No. LT 2348/16/15]

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Oil Industry Development Board, New Delhi, for the year 2013-2014, along with Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Oil Industry Development Board, New Delhi, for the year 2013-2014.

(6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

[Placed in Library, See No. LT 2349/16/15]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CULTURE, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TOURISM AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION (DR. MAHESH SHARMA):

Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Airports Authority of India and the Ministry of Civil Aviation for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 2350/16/15]

- (2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Museum, Kolkata, for the year 2013-2014, along with Audited Accounts.
(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Museum, Kolkata, for the year 2013-2014.
- (3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

[Placed in Library, See No. LT 2351/16/15]

खान मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर): अध्यक्ष महोदया, मैं अपने सहयोगी श्री विष्णु देव साय की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
(एक) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड तथा खान मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 2352/16/15]

- (दो) एनएमडीसी लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 2353/16/15]

- (तीन) हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 2354/16/15]

(चार) भारतीय स्टील प्राधिकरण लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 2355/16/15]

(पाँच) एमएसटीसी लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 2356/16/15]

(छह) केआईओसीएल लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 2357/16/15]

(सात) मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड तथा खान मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 2358/16/15]

(आठ) हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड तथा खान मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 2359/16/15]

(नौ) नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड तथा खान मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 2360/16/15]

(दस) मेकॉन लिमिटेड तथा खान मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 2361/16/15]

(2) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 423(अ) जो 10 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित 31 खनिजों को लघु खनिजों के रूप में घोषित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2362/16/15]

12.01 hrs.

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

14th to 16th Reports

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : महोदया, मैं लोक लेखा समिति (2014-15) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:-

- (1) 2012-13 के सी एण्ड एजी प्रतिवेदन संख्यांक 22 पर आधारित "एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) स्कीम" विषय पर 14वां प्रतिवेदन ।
 - (2) 2013 के सी एण्ड एजी प्रतिवेदन संख्यांक 12 पर आधारित "रेल वित्त" विषय पर 15वां प्रतिवेदन ।
 - (3) 'कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना, 2008' के बारे में 95वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 16वां प्रतिवेदन ।
-

12.01 ½ hrs.**STANDING COMMITTEE ON AGRICULTURE**
10th and 11th Reports

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : महोदया, मैं कृषि संबंधी स्थायी समिति (सोलहवीं लोक सभा) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:-

- (1) कृषि मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) की अनुदानों की मांगों (2015-2016) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति (2014-15) का 10वां प्रतिवेदन।
- (2) कृषि मंत्रालय (पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2015-2016) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति (2014-15) का 11वां प्रतिवेदन।

12.01 ¾ hrs.**STANDING COMMITTEE ON DEFENCE**
6th to 9th Reports

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी एवीएसएम (गढ़वाल): महोदया, मैं रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2014-2015) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:-

- (1) 'रक्षा मंत्रालय के सिविल व्यय तथा रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय (मांग संख्या 21, 22 और 28) पर वर्ष 2015-2016 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों' के बारे में छठा प्रतिवेदन।
- (2) 'थल सेना (मांग संख्या 23) पर वर्ष 2015-2016 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों' के बारे में सातवां प्रतिवेदन।
- (3) 'नौसेना और वायुसेना (मांग संख्या 24 और 25) पर वर्ष 2015-2016 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों' के बारे में आठवां प्रतिवेदन।
- (4) 'आयुध निर्माणियों तथा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (मांग संख्या 26 और 27) पर वर्ष 2015-2016 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों' के बारे में नौवां प्रतिवेदन।

12.02 hrs.**STANDING COMMITTEE ON ENERGY****5th and 6th Reports**

डॉ. किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : महोदया, मैं ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2014-15) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:-

- (1) वर्ष 2015-2016 के लिए विद्युत मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों के बारे में पांचवां प्रतिवेदन।
- (2) वर्ष 2015-2016 के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों के बारे में छठा प्रतिवेदन।

12.03 hrs.

**STANDING COMMITTEE ON FOOD, CONSUMER AFFAIRS AND
PUBLIC DISTRIBUTION**
3rd and 4th Reports

SHRI J.C. DIVAKAR REDDY (ANANTAPUR): Madam, I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution (2014-15):-

- (1) Third Report on Demands for Grants (2015-16) of the Department of Food and Public Distribution (Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution).
- (2) Fourth Report on Demands for Grants (2015-16) of the Department of Consumer Affairs (Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution).

12.03 ½ hrs.**STANDING COMMITTEE ON PETROLEUM AND NATURAL GAS****3rd and 4th Reports**

SHRI PRALHAD JOSHI (DHARWAD): Madam, I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Petroleum and Natural Gas:-

- (1) Third Report on Action Taken by the Government on the recommendations contained in the Nineteenth Report (Fifteenth Lok Sabha) of the Standing Committee on Petroleum and Natural Gas (2014-15) on 'Allocation and Pricing of Gas'.
 - (2) Fourth Report on 'Demands for Grants (2015-16)' of the Ministry of Petroleum and Natural Gas
-

12.04 hrs.**STANDING COMMITTEE ON URBAN DEVELOPMENT****4th to 6th Reports**

SHRI PINAKI MISRA (PURI): Madam, I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Urban Development (2014-2015):-

- (1) Fourth Report on Action Taken by the Government on the observations/recommendations contained in the Second Report (16th Lok Sabha) on Demands for Grants (2014-2015) of the Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation.
 - (2) Fifth Report on 'Demands for Grants (2015-2016)' of the Ministry of Urban Development.
 - (3) Sixth Report on 'Demands for Grants (2015-2016)' of the Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation.
-

12.04 ½ hrs.**STANDING COMMITTEE ON WATER RESOURCES****(i) 3rd Report**

श्री हुकुम सिंह (कैराना) : अध्यक्ष महोदया, मैं जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2015-2016)' के बारे में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति (2014-15) का तीसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

(ii) Statement

श्री हुकुम सिंह: अध्यक्ष महोदया, मैं 'गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की समीक्षा' के बारे में 21वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी दूसरे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा में) अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

12.05 hrs.**STANDING COMMITTEE ON INDUSTRY****264th to 266th Reports**

SHRI RABINDRA KUMAR JENA (BALASORE): I beg to lay the following reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Industry:-

- (1) Two Hundred and Sixty-fourth Report on Demands for Grants (2015-16) pertaining to the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises.
- (2) Two Hundred and Sixty-fifth Report on Demands for Grants (2015-16) pertaining to the Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises (Department of Heavy Industry).
- (3) Two Hundred and Sixty-sixth Report on Demands for Grants (2015-16) pertaining to the Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises (Department of Public Enterprises).

12.06 hrs.

**STANDING COMMITTEE ON SCIENCE AND TECHNOLOGY,
ENVIRONMENT AND FORESTS**
254th Report

KUMARI SUSHMITA DEV (SILCHAR): I beg to lay on the Table the Two Hundred Fifty-fourth Report (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Science & Technology, Environment & Forests on Demands for Grants (2015-2016) of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change.

12.07 hrs.

STATEMENT BY MINISTER

**Status of implementation of the recommendations contained in the 97th,
159th and 212th Reports of the Standing Committee
on Transport, Tourism and Culture***

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CULTURE, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TOURISM AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION (DR. MAHESH SHARMA): I beg to lay the following statements regarding:

- (1) the status of implementation of the recommendations contained in the 97th Report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on Action Taken by the Government on the recommendations/observations contained in the 90th Report of the Committee on `Development of Airport Sector with Special Emphasis on new Modern Airports, pertaining to the Ministry of Civil Aviation.
- (2) the status of implementation of the recommendations contained in the 159th Report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on Action Taken by the Government on the recommendations/observations contained in the 131st Report of the Committee on `Closure of Bangalore

* Laid on the Table and also placed in Library, See Nos. LT (1) 2363/16/15, (2) 2364/16/15 and (3) 2365/16/15 respectively.

- and Hyderabad Airports'; 141st Report of the Committee on 'Modernisation of Airports'; and 142nd Report of the Committee on 'Functioning of Private Airports', pertaining to the Ministry of Civil Aviation.
- (3) the status of implementation of the recommendations contained in the 212th Report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on 'Development of Tourism in Darjeeling and Sikkim, pertaining to the Ministry of Tourism.
-

HON. SPEAKER: Now, we shall take up 'Zero Hour'.

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज) : अध्यक्ष महोदया, मेरा व्यवस्था का सवाल है।

माननीय अध्यक्ष : क्या यह स्टेटमेंट पर है?

श्री मोहम्मद सलीम : यह स्टेटमेंट पर नहीं है। हम यहा विभिन्न डिपार्टमेंट्स के बजट कम ग्रांट्स पर डिसकशन करते हैं। स्टैंडिंग कमेटीज उस पर डिटेल्स में बात करती हैं। लेकिन जब हम चर्चा समाप्त कर रहे हैं, तब स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो एक्साइज फ्यूटाइल हो रही है। आप कृपया सब चेयरमन्स को निर्देश दें कि बजट के दूसरे सत्र से पहले ही सब रिपोर्ट्स आ जायें, ताकि सदन और जनता को उसका पता लग जाये।

12.08 hrs.

SUBMISSION BY MEMBERS

Re : Loss of lives due to earthquake in Nepal, some parts of India and steps taken to prevent damages caused by earthquakes

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Madam, I am drawing the attention of the House to the terrible human tragedy that happened in our neighbouring country of Nepal on the 25th April, 2015.

I have given notices both on Adjournment Motion and Zero Hour and I thank you for allowing me to read the same. The earthquake with the epicenter near Pokhara in Nepal caused by shifting of tectonic plates in Himalayas has caused immense damage in that country with number of deaths crossing 2400 and thousands injured. A huge amount of property has been destroyed in that country. It is good that the Government of India has sent relief and rescue teams with relief materials to Nepal through the Indian Air Force as a humanitarian gesture. The earthquake has affected India also with at least 63 people dead – 46 in Bihar, 13 in Uttar Pradesh and two each in West Bengal and Rajasthan – and 156 people injured in Bihar, 43 in Uttar Pradesh, 52 in West Bengal and also some in Sikkim.

The Government of India has been in touch with the States for relief. More needs to be done in the form of disaster relief. The Chief Minister of West Bengal has gone to North Bengal where the earthquake happened near Siliguri, to o

supervise relief and rescue operations. I am told that the National Disaster Management Authority is supervising the relief work in Nepal and in India, but I would like to know how much money has been released from National Disaster Relief Fund for different States.

Madam, earthquakes cannot be prevented, but with modern developments in science and technology, they can be predicted. I am surprised that there was no previous warning about the earthquake in India which took us all by surprise. Also, in cities like Delhi and Kolkata, there are large numbers of high-rises as well as illegal constructions. So, the Government should examine whether these buildings are earthquake resistant and whether proper disaster management teams are in place in the big cities which will be affected more by the earthquakes. In Nepal, it is mainly in Kathmandu and other cities where most people have lost their lives rather than in villages.

I express deep sorrow at the deaths, including of those who died at the Everest Base Camp and the expeditionists. I would like the House to consider this.

माननीय अध्यक्ष : सर्वश्री पी.के. बिजू, डॉ. ए. सम्पत, शंकर प्रसाद दत्ता, एम.बी. राजेश और श्रीमती पी.के. श्रीमथि टीचर को प्रो. सौगत राय द्वारा उठाए मुद्दे से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : अध्यक्ष महोदया, एक बहुत ही गंभीर विषय को लेकर पूरा सदन चिंतित है और मैं उस विषय को आपके सामने रखना चाहता हूँ। शनिवार को नेपाल में आए विनाशकारी भूकम्प, जिसकी तीव्रता 7.9 बताई जा रही है, इस भूकम्प के कारण मरने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अभी करीब 2600 से भी ज्यादा लोगों के मारे जाने की और 7000 से भी ज्यादा लोगों के घायल होने की आशंका है। यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। नेपाल के 80 साल के इतिहास में यह सर्वाधिक भयानक प्राकृतिक आपदा बताई जा रही है। हिमालय में करीब पिछले पचास सालों में आठ ऐसे भूकम्प आए हैं, जिनकी तीव्रता 8 से भी ऊपर थी। यह भूकम्प शनिवार 11.56 बजे आया जिसका केंद्र काठमांडू से 80 किलोमीटर दूर उत्तर-पश्चिम में स्थित लामजुंग में था। भूकम्प का प्रभाव बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में पड़ा तथा राजस्थान के भी कई शहरों में इसका प्रभाव हुआ है। पूर्वी तथा उत्तर भारत में भूकम्प के झटके महसूस किए गए हैं। रविवार सुबह भी भूकम्प के झटके महसूस

किए गए। बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल में 70 से भी अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है और इसमें नए आंकड़े सामने नहीं आए हैं, शायद गृह मंत्री जी या प्रधानमंत्री जी सदन में बताएंगे।

नेपाल में तबाही की तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं, जान-माल को भारी नुकसान हुआ है। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ कि नेपाल और भारत में इस आपदा से प्रभावित लोगों पर क्या बीत रही होगी। हमें गर्व है कि हम इस विपदा की घड़ी में नेपाल के साथ खड़े हैं और सारा देश नेपाल के साथ खड़ा है क्योंकि वह हमारा पड़ोसी देश ही नहीं है, बल्कि हमारी रक्षा के लिए भी नेपाल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैं आशा करता हूँ कि गृह मंत्रालय बचाव कार्य में पूरी जी-जान से कोशिश करेगा। भारतीय सेना ने नेपाल में बचाव कार्य के लिए ओपरेशन मैत्री शुरू करने का वायदा किया है, मैं समझता हूँ कि शायद वे इस दिशा में काम कर रहे हैं। नेशनल डिजास्टर्स रिस्पॉन्स फोर्स के हमारे वीर जवान राहत बचाव कार्य में जुटे हैं। मैं आशा करता हूँ कि इस विपदा की घड़ी में हम सब अपने कर्तव्य का पालन करेंगे और पार्टियों से ऊपर उठकर एकसाथ अपने पड़ोसी देश की तथा भारत में जो लोग प्रभावित हुए हैं, उनकी मदद करेंगे। किसी एक व्यक्ति द्वारा ही प्रभावित लोगों की मदद नहीं हो सकती है, इसलिए सभी लोगों को अपना-अपना योगदान देना होगा। भारत के वीर जवानों को हौंसला देना होगा और हमें यह भी सोचना होगा कि क्या इस विकास की दौड़ में हमने प्रकृति को ठेस पहुंचाई है, जिसका जवाब हमें इस विनाश द्वारा मिला है। क्या टेक्नोलोजी की दौड़ में हम गलत दिशा में भाग रहे हैं? क्या हम भी मार्डन अर्ली वार्निंग सिस्टम की दिशा में जा रहे हैं। क्या हम पहले से वार्निंग जारी नहीं कर सकते हैं, क्या हम जान-माल की हानि को मिनिमाइज़ नहीं कर सकते हैं?

In case of India, the human and economic losses from disasters are high in comparison to many other developing nations. According to an estimate by the World Bank, direct losses from natural disasters are up to 2 per cent of India's GDP. इनमें सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, गरीब बच्चे, डिसेबल व्यक्ति और महिलाएँ। अक्सर यह कहा जाता है कि *earthquakes do not kill, but buildings do*. मतलब भूकम्प से इतना खतरा नहीं है, जितना हमारे इमारतों से है। इस विषय में सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए। The National Policy on Disaster Management prepared by the National Disaster Management Authority, Government of India and approved by the Cabinet in 2009 was formulated with the vision to build a safe and disaster-resilient India. इसमें हमारा विज़न था कि रिलीफ और रिहैबिलिटेशन से बढ़कर भविष्य में ऐसी घटनाएँ न हों, उस पर कार्य किया जाए। आज हमारे देश को डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स की सख्त जरूरत है। राज्य के स्तर पर अभी भी

डिजास्टर्स मैनेजमेंट अथारिटीज का गठन नहीं हो पाया है। बहुत से राज्य अभी तक इस कमेटी को कंस्टिच्यूट नहीं किये हैं। इसकी वजह से इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल होता है। कम से कम अब तो सभी राज्यों को ऐसा करना चाहिए और केन्द्र सरकार भी उनको कहे कि इसका गठन जल्द से जल्द करके ऐसी आपदा या इंसीडेंट को रोकने के लिए काम करें।

आखिर में, मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि भारत नेपाल के साथ खड़ा है। हम सब को एक साथ मिलकर इस आपदा का सामना करना होगा। आपको यह भी मालूम है कि वर्ष 1993 में महाराष्ट्र के लातूर में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। उसमें कम से कम 30,000 लोग मारे गए थे, उसी प्रकार वर्ष 2001 में गुजरात में 30,000 लोग अर्थक्वेक में मारे गए थे और उत्तराखण्ड भी उसी का शिकार हुआ। ऐसे बड़े-बड़े हादसे हमारे यहां हुए हैं, उनका सामना हमने ताकत के साथ करने कोशिश की और भारत की जनता ने भी पूरी ताकत से इसको सुलझाने की कोशिश की है। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि गृह मंत्रालय इस बचाव कार्य में जुटा रहे, किसी भी प्रकार की बाधा का सामना न करना पड़े और इसमें पैसे की कमी भी महसूस न होने दी जाए। फाइनेंस डिपार्टमेंट भी इसके लिए आगे आए। मुझे सुनने को मिला कि मदद की बहुत सी सामग्री नेपाल को भेजी गयी है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान आदि राज्यों में क्या स्थिति है, उसके बारे में ज्यादा मालूमात नहीं है क्योंकि पेपर में और टीवी चैनल्स पर ज्यादा से ज्यादा न्यूज नेपाल के बारे में आ रही है। यह बहुत बड़ा हादसा हुआ है, इसलिए हम सभी लोग इस विषय पर और इस विषय को सुलझाने के लिए एक हैं, साथ में हैं। मैं आशा करता हूँ कि सरकार इस पर रिस्पांड करे कि क्या कदम उठाए गए हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं और राज्यों में कमेटीज अभी तक क्यों फॉर्म नहीं हुई हैं? इनके बारे में बताएं। मैं पूरी तरह से सदन के साथ हूँ। हम सभी लोग इसमें शामिल हैं, जो लोग मर चुके हैं, उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

माननीय अध्यक्ष: कुमारी सुष्मिता देव, एडवोकेट जोएस जॉर्ज, श्री निशिकान्त दुबे, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री रवीन्द्र कुमार जेना, श्री मोहम्मद बदरुद्दोज़ा खान, श्री अजय मिश्रा टेनी, श्री प्रहलाद सिंह पटेल, डॉ. किरिट पी. सोलंकी, श्री जगदम्बिका पाल, श्री वीरेन्द्र कश्यप, श्री शरद त्रिपाठी, श्री गणेश सिंह, कुमारी शोभा कारान्दलाजे, श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, श्री रामचरण बोहरा, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री राहुल कस्वां, श्री अरविंद सावंत, श्रीमती रीती पाठक, श्री राजेन्द्र अग्रवाल, श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल, श्रीमती संतोष अहलावत एवं डॉ. वीरेन्द्र कुमार को श्री मल्लिकार्जुन खड्गे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री मुलायम सिंह यादव (आज़मगढ़) : अध्यक्ष जी, मुझे एक मिनट बोलने का समय दीजिए। एक मिनट से ज्यादा हो तो मुझे रोक दें।

अध्यक्ष जी, हम सभी लोग दुखी हैं। जब ऐसी आपदा आई तो हम लोगों ने भी सहयोग किया। आज हम लोग भी तय करें, जो आप बताएं या सरकार बताए, हम जितने लोक सभा सदस्य हैं, वे अपनी तनखाह का एक हिस्सा दें, जिससे पूरे हिन्दुस्तान की जनता इस मामले में एक साथ खड़ी हो जाए। मेरा प्रस्ताव है, नेपाल की जनता के लिए मैं अपनी एक महीने की तनखाह भेज ही दूंगा।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : अध्यक्ष महोदया, देश के विभिन्न भागों में खासकर, बिहार, उत्तर प्रदेश में एवं पड़ोसी देश नेपाल में भयानक त्रासदी आई है। विनाशकारी भूकम्प ने दुखदायी कहर ढाने का काम किया। माननीय गृह मंत्री जी ने बिहार के माननीय मुख्यमंत्री के साथ मौका का दौरा किया और स्थिति का स्वयं मूल्यांकन भी किया। सबसे पहले मैं बिहार, उत्तर प्रदेश एवं अन्य प्रदेशों और नेपाल के हमारे जो भाई भूकम्प में मारे गए हैं, उनके प्रति संवेदन व्यक्त करता हूँ। वर्ष 1934 के बाद यह सबसे बड़ा भूकम्प आया और आंसुओं का सैलाब छोड़ गया। बिहार का कोई भी इलाका नहीं छूटा, चाहे सीमांचल हो, पूर्वांचल हो, मिथिलांचल हो या कोसी का इलाका हो, चारों तरफ कई मौतें हुईं, जानें गईं, लोग घायल हुए। 25 और 26 तारीख को लोग रात-रात भर घरों से बाहर पड़े रहे। गांधी मैदान में हजारों लोग अपने बाल-बच्चे लेकर पड़े रहे, चारों तरफ दुखदायी स्थिति बनी रही।

अध्यक्ष महोदया, इसके साथ-साथ, बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, एवं दिल्ली में भारी तबाही, बर्बादी एवं जान-माल की हानि हुई और सबके आशियाने उजड़ गए। प्रकृति का भयानक खेल हुआ। इस संकट की घड़ी में पूरा राष्ट्र एक है। हम सभी लोग दल और पार्टी से ऊपर उठकर ऐसे विनाशकारी भूकम्प से जो तबाही देश में हुई है, खासकर बिहार और नेपाल में हुई है, उसका सामना करने के लिए साथ हैं और पड़ोसी राज्य को मदद भी कर रहे हैं। हमारे कितने ही पर्वतारोही और विदेशी पर्यटक वहां फंसे हुए हैं। आज की तारीख में मानवता यही कहती है कि ऐसे मौके पर हमें एक होकर पूरी मदद करनी चाहिए। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि हमें किसी भी प्रकार की कोई अफवाह पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि कल मोबाइल से लोगों को ऐसा संदेश मिला कि रात को 12 बजे या एक बजे फिर से भूकम्प आएगा। इसलिए ऐसी अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। भूकम्प से पीड़ित लोगों को राहत देने के लिए बिहार के मुख्य मंत्री ने राशि दी है और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने भी सात-सात लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की है। हम गृह मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। बिहार में इस त्रासदी से भयंकर संकट पैदा हुआ है, लोग परेशान हुए हैं इसलिए उसे विशेष पैकेज

दिया जाए। कई हजार लोग बिहार के आज भी नेपाल में फंसे हुए हैं। हम मांग करेंगे कि पीड़ितों को 25-25 लाख रुपए की मदद दी जाए और जिनके घर तबाह हो गए हैं, उन्हें पुनर्निर्माण के लिए बिना ब्याज के ऋण की सुविधा मुहैया कराई जाए। ऐसे समय में सब मिलकर तत्परता से राहत कार्य चलाएं। इसके साथ ही वैज्ञानिकों को भी सलाह दें कि पहले से ही भूकम्प आने की जानकारी मिल सके, इसके लिए वे प्रयास करें। ऐसे वक्त में जहां हम पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हैं, वहीं इस विनाशकारी आपदा से नेपाल, बिहार और देश के अन्य भागों में जो बर्बादी हुई है, उससे लोगों को बचाने के लिए एक होकर राहत कार्य चलाएं।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अध्यक्ष महोदया, मुझे भी अपनी बात कहने का अवसर दिया जाए, क्योंकि मेरा संसदीय क्षेत्र नेपाल की सीमा से लगता है।

डॉ. भोला सिंह (बेगूसराय) : अध्यक्ष जी, मैं आसन के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि 25 तारीख को जो तबाही, बर्बादी और विनाश का मंजर नेपाल में तथा भारत के बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भूकम्प से उपस्थित हुआ, वह काफी वेदना से, दहशत से और आतंक से भरा हुआ है। उस समय सर्वत्र अंधेरा छाया हुआ था, उस अंधेरे में प्रकृति की चुनौती ने इस क्षेत्र को दहशत और आतंक में डुबो दिया और मानव सम्पदा को भीषण नुकसान पहुंचाया। ऐसे समय में विश्वास का, आस्था का और सहायता का दीप जिसने जलाया, जिस व्यक्तित्व ने इस दहशत में खड़े होकर इस पीड़ा का शमन करने के लिए कदम उठाया, वह हमारे देश में ही नहीं, सम्पूर्ण विश्व में निश्चित रूप से प्रशंसा से भरा हुआ है। वह व्यक्ति कोई दूसरा नहीं, भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी हैं। मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं कि भारत की संस्कृति सीमा नहीं जानती, जाति नहीं जानती, रंगभेद नहीं जानती, मानव-मानव में कोई रागद्वेष नहीं करती। आज हमारे प्रधान मंत्री जी ने जिस ढंग से नेपाल में, यमन में, बिहार में और देश के दूसरे राज्यों में प्रभावित लोगों के आंसू पोंछने का कदम उठाया है, निश्चित रूप से यह एक नई संस्कृति पैदा हुई है, एक नया दर्शन पैदा हुआ है, एक नई राजनीति की रूपरेखा निर्धारित हुई है, मैं इस बात को कह सकता हूं। न जाने कितनी बार हमारी आलोचनाएं हुई हैं। न जाने कितनी बार हम पर अंगुलियां उठी हैं। हमने खुदा को नहीं देखा, लेकिन प्रकृति की तासीर में हमने खुदा को जरूर देखा है। अगर खुदा प्रकृति की लीला है, अगर खुदा प्रकृति की प्रतिभा है और प्रकृति अगर स्वयं तबाही करना चाहती है तो उस लीला में, उस तबाही में एक व्यक्ति उसका मुकाबला करने के लिए पूरे प्रशासनिक यंत्र और सम्पूर्ण जनमानस को उठा करके वह इस पीड़ा की घड़ी में उपस्थित है।

अध्यक्षा जी, वर्तमान बड़ा दहशत भरा है। हम आतंक में हैं। आज स्वयं प्राकृतिक संरचना ध्वस्त होने की स्थिति में है। वर्तमान जब दहशत से भरा है तो भविष्य भी कोई सुनहरा नहीं दिखता है। भविष्य भी हमें दुखदायी लगता है। इसलिए हम प्रधानमंत्री जी से और सम्पूर्ण सदन से आग्रह करना चाहते हैं कि दहशतभरे वर्तमान को मिलजुलकर समाप्त करें, लोगों में विश्वास लाएं कि सम्पूर्ण मानव जाति एक है, सम्पूर्ण मानव जाति एक सामाजिक संस्कृति का अंग है और हम उसमें विश्वास करते हुए वर्तमान की पीड़ा को सहलाएं। भविष्य में यह दहशत न हो, भविष्य में यह आतंक न हो, भविष्य में यह वेदना न हो, इसके लिए जो भी तकनीक हैं, जो भी वैज्ञानिक उपादान हैं, जो भी विज्ञान है, उसे लाकर के हम भविष्य को सुरक्षित करें, भविष्य की सम्पदा को सुरक्षित करें और सम्पूर्ण मानव जाति की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो कदम उठाया है, देश की सीमाओं को तोड़ा है, जाति को तोड़ा है, देश की सीमाओं को छोड़ा-तोड़ा है, हम ऐसी संस्कृति का समादर करें। उसके माध्यम से प्रधानमंत्री के कीर्तिमान को और उनके द्वारा उठाए गए कदम को और सम्पूर्ण सदन को एक स्वर से और एक साथ होकर उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

DR. P. VENUGOPAL (TIRUVALLUR): Hon. Speaker, Madam, on behalf of my Party the AIDMK and on my own behalf, I also join the House in expressing my deep condolence on the sad death and destruction caused by the massive earthquake that has shaken Nepal on Saturday. The tragedy is compounded by after shock and the heavy rain that is pouring in Nepal, which is hampering the rescue effort that is being undertaken there. This tragedy has already taken 3,200 lives in Nepal, 25 lakhs in the Everest Base Camp and more than 20 lives in Bihar and other States in India. We mourn the loss of live. It is a great havoc befell on peace loving country of Nepal. In this hour of crisis, all of us join hands in extending support to the stranded people of Nepal. I would request that the Government of India may extend full support to the nation. The Indian Government should undertake relief and rescue efforts and should also send food and medicines to the people of Nepal.

On its part, the Government of Tamil Nadu is also with the grief-stricken people of Nepal and in India. It is ready to extend all possible help and assistance. In this regard, it has already set up a control room in New Delhi for this purpose. I

once again convey my deepest condolence to the people of Nepal and mourn the loss of life due to this great disaster.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam, we all know that an earthquake cannot be predicted nor can it be prevented. The tremor that occurred between Kathmandu and Pokhara is still being felt not only in Nepal but also in the Northern borders of our country. The tectonic plates that shift periodically have caused large scale destruction under the Himalayan Plateau. I would say that it is not only Nepal's tragedy but it is India's grief also. When the earthquake struck at noon last Saturday, severe as it was, the initial intensity was 7.5 and later it was revised to 7.9, which is very huge. More worryingly, the earthquake had occurred at a shallow depth of 9.5 miles, tremors are still being felt in Nepal and in some northern border areas of our country. States in the North to East and Northeast also are witnessing it. People are in distress. They need support. Both food and medicines are required. Human support is essential.

I would congratulate the Government of India on its swift and wholehearted involvement in Nepal, and that is a very welcome step. Operation Maitri is in action. India is doing a creditable job no doubt and has to operate the with cooperation of Nepalese Army. Already 72 hours have passed.

The whole world is aware about the destruction that has occurred in Kathmandu and Pokhara. These places are approachable. Media is present there. However, large tracts are affected in rural Nepal especially in those areas which are bordering Tibet. My suggestion is that India should focus on the overall disaster management. Our expertise will help Nepal to reconstruct itself. First is rescue, then relief, and then the reconstruction will follow.

Odisha Chief Minister, President of Biju Janata Dal, on that day itself had expressed grief and offered to the Union Government that Odisha Disaster Rapid Action Force (ODRAF) is ready provided you allow it to go to Nepal and to those affected areas. ODRAF is a trained force. When the cyclone hit Andhra and also

parts of Odisha, ODRAF did a commendable job and this was appreciated by the Chief Minister of Andhra Pradesh.

Nepal's tragedy, as I said, is our grief. We are aware about the destruction of Nepal but very little is known about the situation in Tibet. Nothing is there in public domain. India should bring to light the damage that has occurred in Lhasa and other parts of that Himalayan plateau.

I would also express my thanks to the Government, especially the External Affairs Ministry, for bringing back home the under-14 girls football team which was in Kathmandu at the time of earthquake. Five of those girls are from Odisha. They stated themselves that they were saved because they were in the field and not inside the hotel where they were put up. They were in training. Their coach Shradhanjali Samantray, who had been felicitated by the Union Government, hails from Odisha. Janaki Murmu, Iva Panna, Banya Kabiraj, Shanti Murmu were all from Odisha. All the girls who were there participating in that tournament were below the age of 14 years. A special provision was made by the Indian Government to bring them back. We got the information *via* Mumbai because telephonically the contact was not being made. I express my grief and I would say that here is a time when India has stood up to be with Nepal. We should also stand up to be with those people who have been affected in Lhasa in Tibet. Adequate steps should also be taken to provide shelter, medicine and food to the affected people including those who have been affected in Bihar, Rajasthan, in Siliguri area of West Bengal and Uttar Pradesh. I express my sorrow and grief to those who have been bereaved.

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग) : अध्यक्ष महोदया, नेपाल और भारत के कई अन्य प्रदेशों में जिस तरह से भूकंप का संकट आया और उसमें हजारों लोगों की मृत्यु हुई है, ऐसे मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए शिव सेना पार्टी की तरफ से मैं खड़ा हूँ और साथ-साथ जो गंभीर जख्मी हैं, उन्हें स्वास्थ्य प्रदान करने की प्रार्थना मैं भगवान से करता हूँ। महोदया, नेपाल में जैसी प्राकृतिक आपदा आई है, वही ही आपदा इसके पहले महाराष्ट्र के लातूर में आई थी, गुजरात के भुज में आई थी ऐसी भयंकर

आपदा के परिणाम से कई हजार लोगों की जान इस प्राकृतिक आपदा में जाती है। महोदया, यह स्पष्ट हो चुका है कि निसर्ग ने अपना रूप बदल दिया है। कई संशोधनों के बावजूद आज ही वर्तमान पत्र में प्रसिद्ध हुआ है कि मानव जाति ने कई ऐसे संशोधन किए हैं, कई ऐसे प्रयोग किए हैं कि जिनका दुष्परिणाम निसर्ग के ऊपर हो चुका है। उसी वजह से प्राकृतिक तबाही दिन ब दिन आती रहती हैं। लातूर जैसे इलाके में भूकंप आने से कम से कम से 35 हजार से भी ज्यादा लोग एक रात में जमीन में गढ़ चुके हैं, भुज में भी ऐसा ही हुआ था। ऐसी स्थिति में आज नेपाल के लिए आदरणीय पंथ प्रधान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नेपाल को आधार देने के लिए, उनको मदद करने के लिए जिस तरीके से उन्होंने एक प्रयत्न किया, कोशिश की और नेपाल को एक बड़ा आधार दिया है, उसके लिए मैं पंथ प्रधान नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। इसके साथ-साथ भारत के कई पर्यटक वहां फंसे हुए हैं, उनको भी निकालने का काम तो हो रहा है, लेकिन आज भी ऐसे मालूम हो रहा है कि महाराष्ट्र के पुणे, यवतमाल, नासिक और अन्य जिलों के कई पर्यटक आज भी नेपाल में फंसे हुए हैं, उनको हिंदुस्तान में लाने की कोशिश सरकार को गंभीरता से करनी चाहिए और करेंगे। नेपाल और हिंदुस्तान का रिश्ता गहरा है। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है और हमारी संस्कृति भी एक है, इसी वजह से हिंदुस्तान का परम कर्तव्य है कि नेपाल को आज ही नहीं लेकिन भविष्य के लिए भी, जब तक नेपाल अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता है, तब तक भारत का कर्तव्य हो सकता है कि भारत को मजबूती के साथ नेपाल के साथ रहना चाहिए। इसीलिए हमारी पार्टी के अध्यक्ष माननीय उद्धव ठाकरे जी ने तुरंत ही कहा कि भारत के पंथ प्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस तरीके से तत्परता दिखाई और नेपाल को एक संरक्षण और आधार देने का काम किया, वह बहुत ही अच्छी बात है। इसलिए पंथ प्रधान जी की सहायता के लिए शिवसेना के सांसदों ने अपने एक माह का वेतन तुरंत पंथ प्रधान रिलीफ फंड में जमा कर पंथ प्रदान जो काम कर रहे हैं, उसमें सहयोग करें।

अध्यक्ष महोदया, इसी के साथ-साथ मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि शिवसेना ने अपना कर्तव्य इसके पहले भी निभाया था, जब भुज में भूकंप आया था, तब भी वहां के एक गांव को दत्तक ले कर उसका पूरा निर्माण करने का काम शिवसेना ने किया था। लातूर में भी एक गांव का निर्माण करने का काम शिवसेना ने किया है। ऐसे ही नेपाल में भी मुंबई से और महाराष्ट्र की सरकार ने भी अपनी रेस्क्यू टीम तैयार रखी है। मैं इस ओर सदन का और शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जैसे कि निसर्ग ने अपना रूप बदल दिया है, मुझे डर यह है कि जैसे हमारे रत्नागिरी में जैतापुर में अणुऊर्जा प्रकल्प लाने की कोशिश हो रही है। जैतापुर और रत्नागिरी, ये भी भूकम्प का ग्रेड फोर का एक शहर माना जाता है। इसके पहले भी वहाँ कई भूकम्प आ चुके हैं। रिक्टर स्केल पर 5.5 तीव्रता तक के भूकम्प वहाँ आए हैं। भविष्य में मुझे डर है कि अणुऊर्जा जैसा प्रकल्प अगर जैतापुर में आता है और वहाँ दुर्घटना हुई तो क्या हो सकता

है, मैं उसके बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। मेरी प्रार्थना है कि भविष्य में इस भूमि का रक्षण करने के लिए, भूमि के ऊपर रहने वाले सारे लोगों का रक्षण करने के लिए शासन को उसकी रक्षा की भी गंभीरता से चिंता करनी चाहिए। मैं यह प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।

HON. SPEAKER: Dr. Ravindra Babu. Please be brief; We must conclude within two minutes. हर एक केवल संवेदना प्रकट कीजिए।

DR. RAVINDRA BABU (AMALAPURAM): Thank you, Madam, for giving this opportunity.

On behalf of the Telugu Desam Party, we express solidarity and grief over the sudden deaths. There is a strong message in this earthquake. We read in geography books that there are certain specific areas which are earthquake prone and tectonic plate movements cause earthquakes. These are the two things which usually produce earthquakes but the recent phenomenon is a grim reminder of human limitations over nature's might. It is happening everywhere; maybe, because of, reckless development of human activity, maybe reckless development of urban growth, maybe reckless growth of multi-storeyed buildings, or drilling operations or mining operations or building of reservoirs. There are many activities which may be going against nature. So, we have to learn a lot of strong lessons from this earthquake.

We have to be very careful while tinkering with Mother Earth. We have to deal with Mother Earth very gently, very scientifically, without going emotional about growth and the mad rush to imitate the Western countries. India cannot afford to have this type of artificially induced earthquakes and artificially induced global warming. We should strongly protest that sort of development. We must always live in harmony with Mother Earth so that Mother Earth will be kind enough and will not produce any further earthquakes. Our area where earthquakes are happening is never known to be earthquake prone or seismicity prone. Still it is happening in this unusual area. Therefore, this is my strong appeal to all hon. Members and my strong appeal to the Government.

Of course, the Government is making disaster management very fast, very quick and very effective. We have been managing disasters very effectively. The way our Leader Shri Chandrababu Naidu managed recently the Hudhud Cyclone has been taken note of by the whole world. It was really wonderful. I think, the Nepal Government also must be doing it the same way with the help of our Government. I wish them all the best. At the same time, the Telugu Desam Party expresses solidarity and grief over the sudden deaths.

Let us remind ourselves that we are very small before the mighty Mother Earth. Let us not tinker with this. Let us not tamper with that.

Thank you.

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज) : मैडम, इस तरह की जो आपदा होती है, खासकर जिस तरह से भूचाल आए। आपने जब यहाँ से शोक व्यक्त किया, तो हम सब उससे सम्बद्ध हुए। भूचाल से दरो-दीवार में दरार पड़ती हैं, लेकिन दिलों को जोड़ने का एक मौका होता है। नेपाल परंपरागत रूप से सिर्फ हमारा पड़ोसी नहीं है, वह हमारा मैत्री देश है। इसके साथ-साथ हमारे भारत के भी, जैसे सबने कहा कि बिहार, उत्तर प्रदेश, हमारे उत्तर बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित इसका असर कई और जगहों पर भी देखने को मिला। जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई मुआवजे से नहीं होती है। मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो 8.1 या 7.9 मैग्नीट्यूड का जो कहा जा रहा है कि भूचाल आए हैं, आप देखेंगे कि पिछले 48 घंटों में हर घंटे मौतों की संख्या बढ़ रही है। होम मिनिस्टर जी का ट्वीट भी एक घंटे के अंदर हुआ कि हमारे देश में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। उस समय मैंने भी ट्वीट किया कि थोड़ा वक्त देना चाहिए, यह प्री-मैच्योर हो जाएगा, क्योंकि खबर देर से आती है। अगर देखा जाए तो अभी भी जो अंदरूनी इलाका है, जो पिछड़ा हुआ इलाका है, हमारे दक्षिण एशिया में जैसी स्थिति है, संग-संग खबर नहीं आती है। हालाँकि शहरों में ज्यादा होता है।

अभी सौगत राय जी बोल रहे थे कि गाँवों में कम और शहरों में नुकसान ज्यादा होता है। इसलिए कि परंपरागत रूप से हमारी जो निर्माण शैली है, वह लोगों को बचा देती है, लेकिन आधुनिक नगरों का हम जो निर्माण कर रहे हैं, वे अर्थक्वेक प्रूफ भी नहीं होते हैं। हम अर्थक्वेक को प्रिवेंट भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन मौत को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। हमें इससे सीख लेनी चाहिए। खासकर पूरे हिमालय की गोद में जिस तरह के निर्माण हो रहे हैं, सरकार की तरफ से, राज्य सरकार हो या केन्द्र सरकार हो, हमें यह एहतियात करना चाहिए कि परंपरागत रूप से हमारी जो निर्माण शैली होती थी, उसमें जो इलाकाई सामग्री होती थी, उसके बजाय हम जो आरसीसी वगैरह लगा रहे हैं, उससे नुकसान ज्यादा हो रहा है। मैं समझता

हूँ कि भारत सरकार ने इस पर क्विक रिस्पान्स किया और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी किया जा रहा है। हमारे लिए मौका है कि हमारे एम.ई.ए. से इसको जोड़ा जाए। दक्षिण एशिया में इतनी बड़ी आपदा के राहत में भारत नेतृत्व दे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी लोगों के साथ हम जो जुड़ रहे हैं, उसमें किस तरह से आधुनिक प्रौद्योगिकी और इनफॉर्मेशन टेक्नोलाजी का इस्तेमाल करके हम इसका रीहैबिलिटेशन कर सकें, यह देखना चाहिए। खासकर रेस्क्यू आपरेशन तो चल रहा है लेकिन रिलीफ और रीहैबिलिटेशन में हम सहयोग दे सकें तो अच्छा होगा। सदन से भी अगर आप यह निर्देश दें तो हम एक महीने की तनखाह इस रिलीफ फंड में भेज सकते हैं। एक बड़ी आपदा नेपाल में होने की वजह से बिहार में, उत्तर प्रदेश में या उत्तरी बंगाल में जो हुआ, मौत के लिए मुआवज़ा दिया जा रहा है, लेकिन हमारे जो ब्रिज हैं और दूसरे निर्माण हैं, उसमें क्या नुकसान हुआ है और उनकी भरपाई करने के लिए भारत सरकार को भी आगे बढ़ना पड़ेगा, इतना कहते हुए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।

श्री चिराग पासवान (जमुई) : मैडम स्पीकर, मैं इस दुखद विषय पर अपनी चिन्ताओं को अपने दिल की तरफ से रखना चाहता हूँ। जिस वक्त यह भूकंप आया था, उस वक्त मैं खुद अपने पैतृक गाँव शहरबन्नी, जो कि बिहार के खगड़िया ज़िले में आता है, मैं उस वक्त वहाँ पर मौजूद था। मैंने बहुत ही करीबी रूप से इसका जो प्रभाव है, इसके जो विनाशकारी इफ़ेक्ट्स हैं, बहुत ही करीबी रूप से मैंने इसका अनुभव किया है। उसके बाद मैं खुद गया भी था। मैं पूर्णिया में जाकर जितने भी घायल हैं, उनसे मिला और जितने भी प्रभावित जिले हैं, वहाँ का मैंने दौरा किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राम विलास पासवान जी ने भी कटिहार, अररिया, सुपौल, दरभंगा, समस्तीपुर आदि विभिन्न इलाकों का दौरा किया।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमें पुनर्वास के कार्यों में थोड़ी और गति लाने की ज़रूरत है। जितने वहाँ पर पुनर्वास के कार्य हैं और जितना वहाँ इनफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, और जब हम पुनर्वास की बात करते हैं तो उसमें स्वास्थ्य सेवाएँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं जिन जिन अस्पतालों में गया, मैंने देखा कि वहाँ स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है। जितनी तत्परता से स्वास्थ्य सेवाओं में तत्परता दिखानी चाहिए, कहीं न कहीं उसका अभाव है। इसलिए आपके माध्यम से मैं सरकार से आग्रह करूँगा और धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि प्रधान मंत्री जी ने तत्परता दिखाते हुए हमारे पड़ोसी राज्य नेपाल में राहत पहुँचाई। मैं विशेष तौर पर हमारे गृह मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि वे हमारे राज्य बिहार में आए और उन्होंने खुद वहाँ प्रभावित क्षेत्रों का जायज़ा लिया। पर मैं दोबारा दोहराऊँगा कि हमारे प्रदेश में सीमांचल का जो इलाका है जहाँ विभिन्न जिले आते हैं, लगातार एक के बाद एक प्राकृतिक विपदा का ये प्रतीक रहे हैं। कुछ समय पहले वहाँ पर बाढ़ आई थी। उसके बाद जिस तरह से ओलावृष्टि हुई,

उसके बाद जिस तरीके से हम लोग अभी तूफान से उबर ही रहे थे, उसके बाद जिस तरह से वहाँ पर भूकंप आया है, इस प्रकार नैचुरल कैलैमिटी से हमारे प्रदेश का यह हिस्सा बहुत ज्यादा प्रभावित रहा है। मैं चाहूँगा कि अगर संभव हो तो हमारे प्रदेश को इसके लिए कोई विशेष पैकेज दिया जाए क्योंकि हमारे प्रदेश में एक के बाद एक ऐसी घटनाएँ घट रही हैं। इसको राष्ट्रीय आपदा भी घोषित किया जाए। इसी के साथ मैं चिराग पासवान मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी तरफ से, अपने दल लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से संवेदना प्रकट करता हूँ और घायलों की शीघ्र रिकवरी की आशा करता हूँ।

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : माननीय मैडम स्पीकर, नेपाल, बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में जो भूकंप की स्थिति के कारण जान-माल का नुकसान हुआ है, मैं अपनी पार्टी शिरोमणि अकाली दल की ओर से उन दुखी परिवारों में शामिल होता हूँ और अपनी संवेदना जाहिर करता हूँ। मैं समझता हूँ कि हमारी संस्कृति में हमें हमारे ऋषियों, मुनियों, गुरुओं और पैगम्बरों ने शिक्षा दी है कि दुख के समय में, विपदा के समय में न कोई जात देखनी है, न रंग देखना है, न सरहदें देखनी हैं, सबको मानवता के तौर पर इकट्ठा होना चाहिए।

मैं समझता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने हमारे देश की उस संस्कृति को पहचानते हुए इस दुखद घड़ी में दुनिया में सबसे पहले किसी देश के प्रधानमंत्री ने सहानुभूति अमली रूप में जतलाई, नेपाल के लिए तो वे माननीय नरेन्द्र मोदी जी हैं। मैं समझता हूँ कि हमारी बहुत सारी ऐसी एन.जी.ओ. हैं, जो ऐसे दुखद समय में आकर काम करती हैं।

अभी-अभी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी, जो हमारी सिखों की सबसे बड़ी संस्था अमृतसर में है, उसने 25000 लोगों के लिए रोजाना राशन देने के लिए ट्रक भिजवाये हैं। अभी सरदार प्रकाश सिंह बादल जी के डायरेक्शन पर हमारे प्रेसीडेंट शिरोमणि अकाली दल के मा. डिप्टी सी.एम. सरदार सुखबीर सिंह बादल यहां नजदीक में रकाबगंज साहेब से दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी की ओर से 25000 लोगों का राशन रोजाना यहां दिल्ली से जाया करेगा और दो ट्रक दवाइयों के जाएंगे। ऐसे में मैं माननीय गृह मंत्री जी को एक निवेदन करना चाहता हूँ, पहले जम्मू-कश्मीर में जब ऐसी विपदा आई तो वहां भी शिरोमणि कमेटी ने वहां भी मदद की और अब तक भी वहां दवाइयां भेजी जी रही हैं। वहां भी राशन भेजा गया। ऐसे ही उत्तरांचल में हुआ। जैसा माननीय श्री मुलायम सिंह जी ने कहा, ठीक है, मैं भी अपनी पार्टी की ओर से सहमत हूँ कि एक-एक महीने की तनखाह सांसदों की ओर से दी जाये तो अच्छी बात है, किन्तु अकेली सरकार ऐसे समय में काम नहीं कर सकती, प्रशासन अकेला काम नहीं कर सकता, जितनी देर तक समाज इकट्ठा नहीं होता, सब लोग मानवता के तौर पर इकट्ठे नहीं होते तो इस समय जो

एन.जी.ओज़. हैं, माननीय गृह मंत्री जी, कभी-कभी ऐसी संस्थाओं को इकट्ठा करके उनको प्रोत्साहन देने के लिए, उत्साहित करने के लिए जरूर कभी-कभी सम्मानित करें, ताकि हमारी ऐसी विपदा के समय जो हमारी संस्कृति है, उसमें हम देश के लोग इकट्ठे होकर उनके दुख को भुला सकें। धन्यवाद।

डॉ. अरुण कुमार (जहानाबाद) : माननीय अध्यक्ष महोदया, इस विपदा के मौके पर आपने मुझे अपनी पार्टी राष्ट्रीय समता पार्टी की ओर से दुख प्रकट करने का अवसर प्रदान किया है। निश्चित तौर से हमारी परम्परा रही है, हमारे पुरखों की परम्परा रही है, हमने वसुधैव कुटुम्बकम् के विचार में आस्था व्यक्त की है और उसी के तहत आज देश और माननीय प्रधानमंत्री जी ने नेपाल की इस दुख की घड़ी में बिल्कुल एक क्षण बिताये बिना जिस तत्परता से अपना सहयोग प्रकट किया है, निश्चित तौर से वह हमारी परम्परा के अनुकूल है और हम उस परम्परा को आगे बढ़ा रहे हैं।

आज हम अपनी पार्टी की ओर से सभी सांसदों की तरफ से मैं अपनी एक महीने की तनखाह देने की घोषणा करता हूँ। बिहार में और उत्तर पूर्वी राज्यों में जो संकट है, इसे भी प्राथमिकता पर हमें लेना पड़ेगा, चूंकि खास कर बिहार में तूफान के बाद, अभी ओलावृष्टि के बाद यह घटना हुई है और उत्तर बिहार में काफी क्षति हुई है, ऐसे तो पूरे उत्तर भारत में और पूर्व की दिशा में यह प्रकोप रहा है। एक बात कई माननीय सांसदों ने कही कि निश्चित तौर से हम प्रकृति का जो एक विकास की अंधी दौड़ में शामिल होकर के अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं, यह भी हमारे इस दुख का कारण बन रहा है। इस पर सरकार को भी और सभी जनप्रतिनिधियों को भी चिन्ता व्यक्त करनी चाहिए।

इसी के साथ मैं पुनः तमाम पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी पार्टी की ओर से दुख प्रकट करता हूँ और जल्दी जो घायल लोग हैं, वे स्वस्थ हों, इसकी कामना करता हूँ।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : माननीय अध्यक्ष महोदया, आपने इस दुख की घड़ी में बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

खास कर मैं बिहार से आता हूँ, बिहार की बगल में नेपाल देश में जो घटना घटी है और बिहार में, उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में, इन तमाम जगहों पर जो घटना घटी है, उसके प्रति मैं दुख व्यक्त करता हूँ और भारत की सरकार को मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने नेपाल की सरकार को दुख की घड़ी में खड़ा रहने का मौका दिया और गृह मंत्री जी ने बिहार जाकर अपने साथियों के साथ जो दौरा किया और लोगों के प्रति जो सहानुभूति दी, उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ।

13.00 hrs.

बिहार में लगभग 51 लोगों की मौत हुई और करीब 180 लोग घायल हुए हैं। वहां काफी नुकसान हुआ है। वहां जो पिछली बार घटना घटी थी, उसके एक दिन बाद मैंने उसको उठाया था।

ऐसी परिस्थिति में मैं भारत सरकार से दो बातें जरूर कहूंगा। माननीय गृह मंत्री जी ने वहां का दौरा किया है। वे हर चीज़ से अवगत हैं। मैं उन्हें इसके लिए धन्यवाद भी देता हूँ। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहूंगा कि बिहार में जो घटना घटी है, उसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। इस दुःख की घड़ी में जो आप नेपाल सरकार की मदद कर रहे हैं, उसमें मैं भी आपके साथ खड़ा हूँ। हमारी पार्टी भी आपके साथ खड़ी है। जो भी मदद हो, वह भारत सरकार करे। हम अपनी पार्टी की तरफ से यह घोषणा करते हैं कि हम सब लोग एक-एक महीने की तनखाह देंगे। सरकार इस पर निर्णय ले और अगर इस पर सदन निर्णय ले तो ऐसी परिस्थिति में सभी सांसदों को एक-एक महीने की तनखाह देकर इसमें मदद करने की जरूरत है।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव: महोदय, हम माननीय सदस्य की बात का सपोर्ट करते हैं।

माननीय अध्यक्ष : जी, ठीक है।

SHRI MEKAPATI RAJA MOHAN REDDY (NELLORE): Madam, a great tragedy has occurred and a very grim situation has arisen by a severe earthquake that has hit our neighbouring country, Nepal and our own States like Bihar, Uttar Pradesh, Bengal and Rajasthan. The reported loss of human lives, property and other infrastructure is huge. Nepal has been paralysed.

Natural disasters are a universal reality. The immediate challenge is providing affected persons with basic amenities before the actual enormous task of reconstruction starts.

I praise the timely action taken by the Government of India by sending relief materials to Nepal. Our Prime Minister has promised all possible help in its hour of grief.

In our own country, natural calamities like earthquakes, Tsunami, floods and drought are a regular feature. While nature's fury picks no favourites, damages can be minimized and rehabilitation can be effectively met with an organized disaster management plan.

On behalf of our Party, Y.S.R. Congress Party, I express and convey our condolences to the families of those who lost their kith and kin in the tragedy.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Madam Speaker, I also express my deep sorrow and condolences to the people of Nepal who have been affected by the earthquake which had an magnitude of 7.9 Richter scale.

I also had the experience day before yesterday in Khan Market when I was sitting on a chair in a saloon. I got the experience of shaking of my chair and the lights colliding with each other. So, feeling the fear psychosis which I had at the time of this tremor, we can very well imagine the pathetic conditions or the situation of the people of Nepal.

I would like to take this opportunity to express our solidarity to the people of Nepal in rebuilding, reconstructing and rehabilitation the country of Nepal especially Kathmandu and other nearby places.

I appreciate the stand taken by the Government in having an immediate intervention supporting the people of Nepal. I urge upon the Government to render entire support for the rescue operations, relief operations, reconstruction and rehabilitation of Nepal in the original situation.

I would like to endorse and express my views in respect of the hon. Member from the TDP who has cited that, ignoring the ecological and environmental protection, if we are concentrating on development in the way of GDP growth, definitely this will happen. From Koyna Dam disaster to Latur and Kutch disaster and now upto Nepal disaster, the lesson which we have to learn is that we have to be concerned about ecological and environmental protection when we try to reach our development goal.

With these words, I would once again express my solidarity in rebuilding the State of Nepal.

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): अध्यक्ष जी, 25 अप्रैल को नेपाल और उत्तर भारत में भूकम्प के साथ जो त्रासदी आई है, वह एक आधिदैविक त्रासदी है। हम मान सकते हैं कि आधिदैविक त्रासदियों पर मानव का कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन बचाव और राहत से उसको कम अवश्य किया जा सकता है। हम सब

माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी के आभारी हैं कि उन्होंने तत्काल राहत और बचाव के कार्य प्रारम्भ करके दुनिया को एक बार फिर भारत की ताकत का अहसास कराया है। नेपाल के एकदम पड़ोस में हम लोग रहते हैं। भूकम्प के झटकों से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार तो थरथरा ही था, लेकिन नेपाल के अन्दर की उन संवेदनाओं को हम लोगों ने महसूस किया, जो भारत सरकार ने तत्काल वहाँ पर राहत कार्यों को प्रारम्भ करके अपनी संवेदनाएं वहाँ के नागरिकों के प्रति व्यक्त की हैं।

महोदया, बहुत सारे प्रश्न हम सबके सामने उमड़ते हैं, जब इस प्रकार की त्रासदियाँ आती हैं। हिमालय के बारे में कहा जाता है कि भूकम्प जैसी त्रासदियों के बारे में यह काफी सेन्सेटिव है और उस जोन में पूरी बेल्ट आती है और बार-बार इस प्रकार की चेतावनी के बावजूद उस ओर जब ध्यान नहीं दिया जाता है और इस प्रकार की त्रासदियों को हम आमंत्रित करते हैं तो यह और भी दुर्भाग्यपूर्ण होता है। ल्हासा, तिब्बत जो पूरी दुनिया की छत है, उसको पूरी तरह जंगल विहीन कर दिया गया है और इस तरीके से खिलवाड़ करके उसको नष्ट किया जा रहा है। अब एक नई योजना चल रही है कि एवरेस्ट पर टनल बनाकर चीन को नेपाल के माध्यम से जोड़ने का यह सीधे-सीधे इस प्रकार की त्रासदियों को और भी आमंत्रित करने का प्रयास हो रहा है।

मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि एक बार पुनः इस पर अवश्य चर्चा होनी चाहिए कि हिमालय के साथ छेड़छाड़ जब भी होगी, यह सबसे आधुनिक पर्वत है, पहाड़ है तो पर्यावरण और प्रकृति के साथ जब इस प्रकार की छेड़छाड़ होगी तो इस प्रकार की दैवीय आपदाओं को हम आने से रोक नहीं पाएंगे। यह एक त्रासदी है। इसमें सबसे अच्छी बात भारत सरकार की पहल रही है। एनडीआरएफ के त्वरित कार्रवाई दल ने नेपाल के अंदर सहायता की। नेपाल के साथ हमारे भावनात्मक संबंध है। एक सहोदर भाई जैसे नेपाल और भारत के संबंध हैं। इन संबंधों पर बीच के कुछ कालखंड में धुंध छाई थी। माननीय प्रधानमंत्री जी की नेपाल की लगातार यात्राओं ने उन संबंधों को एक विश्वास में जोड़ा और इस बार जो प्रयास हुए हैं, वह वहाँ के लोगों को केवल दिल से ही नहीं, वहाँ के लोगों के दिमाग में यह बात आई है कि सचमुच भारत हमारा हितैषी है और भारत ही हमारा सच्चा मार्गदर्शन कर सकता है। काठमांडू वैली तक, पोखरा तक राहत कार्य हो रहे हैं। जो मुख्य केन्द्र लामचुंग था और उसके आसपास का गोरखा आदि, आधुनिक नेपाल की नींव जिस गोरखा में पड़ी थी, वह क्षेत्र पूरी तरह से नष्ट हो गया है। वहाँ कुछ भी नहीं बचा है। वहाँ तक अभी कोई पहुंच ही नहीं पा रहा है, क्योंकि वहाँ जाने के साधन नहीं हैं।

जिस प्रकार से यहां पर सभी लोगों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है, नेपाल सांस्कृतिक रूप से, भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से हमारा एक सहोदर भाई के रूप में वहां पर जिस रूप में आज भी हिमालय में हम सबकी सुरक्षा की दृष्टि से अभेद्य, सुदृढ़ दुर्ग के रूप में खड़ा है। हम सबको दुख की इस घड़ी में उनका साथ और अधिक से अधिक मदद देनी चाहिए। उन्हें इस बात का आभास कराना चाहिए कि एक बड़े भाई के रूप में भारत अपने कर्तव्यों को निर्वहन कर रहा है। एक बार पुनः मैं अपने दल की ओर से उन सबके प्रति जो इस त्रासदी के शिकार हुए हैं, उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। जो भी सहयोग हम लोगों के स्तर पर होगा, हम लोग भरपूर मदद करेंगे। यह अच्छा होगा कि यहां का एक संसदीय दल भी उन क्षेत्रों में जाकर के राहत कार्यों में मदद करे। हम लोग इसमें भरपूर सहयोग करेंगे।

श्री दहन मिश्रा (श्रावस्ती) : अध्यक्ष महोदया, आपने इस दुखद त्रासदी के ऊपर अपनी संवेदना व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए धन्यवाद। शनिवार 25 अप्रैल को जो विनाशकारी भूकंप आया। इसका केन्द्र बिंदु नेपाल था। हमारा संसदीय क्षेत्र चूंकि नेपाल सीमा से पूरी तरह से लगा हुआ है। हमारे क्षेत्र में उसका व्यापक असर देखने को मिला। हमारे क्षेत्र के अंतर्गत इकौना तहसील के मझौआ सुमाल गांव में निशा पुत्री ननके कश्यप उम्र 15 वर्ष जो कक्षा 9 की छात्रा थी, अपने कच्चे मकान के बगल में बैठकर बर्तन धुल रही थी। भूकंप के झटके में कच्चे मकान की दीवार भरभरा के गिर गई। उसी के बगल में उसका चचेरा भाई विनय कुमार सन आफ सोहन लाल उम्र 25 वर्ष भी खड़ा था। दोनों मिट्टी की ढेर के नीचे दब गए। दोनों को आनन-फानन निकालकर सीएचसी इकौना पहुंचाया गया, जहां पर निशा को मृत घोषित कर दिया गया और उसके भाई को भर्ती कर लिया गया।

अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के प्रयासों की सराहना करते हुए कहना चाहूंगा कि जिस द्रुत गति से यह भूकंप आया था, उसी द्रुत गति से उन्होंने राहत पहुंचाने का काम किया है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि भारत सरकार और प्रदेश सरकारों द्वारा बहुत से आवास योजनाएं चलयी जा रही हैं लेकिन आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी गरीब पात्र लोगों को पक्का मकान हम मुहैया नहीं करा पाये हैं। आज भी लोग कच्चे मकानों में रहने के लिए विवश हैं। हमारे क्षेत्र में एक और त्रासदी शुरू हो गयी है जो मार्च-अप्रैल के महीने से लेकर जब तक मानसून नहीं आ जाता है, आगजनी की घटनायें, चूंकि वहां कच्चे मकान हैं।...(व्यवधान)

SHRIMATI MALA RAJYALAKSHMI SHAH (TEHRI GARHWAL): I would thank you, Madam, for allowing me to speak today.

I would, first of all, like to thank the hon. Prime Minister and the hon. Home Minister for helping Nepal. It has been a great tragedy. Within these two years – a year back or so after that it happened – we had a big tragedy in Uttarakhand to which I belong. Just two days before, we had this terrific tragedy in Kathmandu in Nepal as well as in India. I would like to convey my condolences to all the peoples of Nepal and India who have lost their kith and kin. I am very glad – and I think - that India is the first one to help the people of Nepal.

Madam, I was born in Nepal. I would like to tell you all. It has a very close connection with India. I am thankful and I am very happy that the hon. Prime Minister has helped. Even in the case of the Uttarakhand tragedy, he was the first one to help. When I called him up, he said he would come and he has helped Uttarakhand people. I would like to thank the Army and the Air Force people again. I am very much grateful to every one. As the rest have said, we will all give one month's pay. What we did in the case of the Uttarakhand tragedy, we would also like to do that now. I would like to thank everyone. I would like to tell you that I have still not been able to find my brother who is in Kathmandu.

HON. SPEKAER: I know that. Because of that, I allowed you.

SHRIMATI MALA RAJYALAKSHMI SHAH : Even now, I have still not been able to find him. Thank you.

माननीय अध्यक्ष : बाकी सभी सदस्य अपना नाम लिखवा कर अपनी संवेदना प्रकट कर सकते हैं और यहां पर एसोसिएट भी कर सकते हैं।

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैकैय्या नायडू) : इस संबंध में गृह मंत्री जी जवाब देने वाले हैं। पार्लियामेन्ट्री मिनिस्ट्री के नाते मेरा सभी सदस्यों से अनुरोध है, जैसा मुलायम सिंह जी और अन्य सदस्यों ने कहा है, पूरे पार्लियामेन्ट की ओर से हर एक सदस्य अपने एक महीने का वेतन, हम लोग ऑफिशियली इंडॉर्स करके, सभी पॉलिटिकल पार्टिज घोषणा करें तो अच्छा होगा।

I appeal to all the sides of Parliament that we all contribute one month's salary from the MPLAD Fund. Subsequently, what is to be done with regard to MPLAD Fund and all, we can discuss later. I hope the entire House agrees to this appeal.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : अभी संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो कहा है, वही हमारे दिल में था। पहले ही जे.डी.यू. और आर.जे.डी. के नेताओं ने कहा है और हमारे पार्टी के नेताओं का भी यही कहना है कि सारे लोग अपने एक-एक महीने की तनखाह रिलीफ फंड में दी जाये, हम इससे सहमत हैं।

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : अध्यक्ष महोदया, जो कुछ भी 25.04.2015 की दोपहर में भारत और नेपाल में घटित हुआ है उसे मैं एक साधारण संकट नहीं मानता हूँ बल्कि मैं इसे एक बहुत बड़ा हादसा मानता हूँ। इस सदन के कई सम्मानीत सदस्यों ने, जिनमें कांग्रेस लोक सभा के नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, श्री मुलायम सिंह यादव, श्री जयप्रकाश यादव, श्री विनायक राऊत, श्री रविन्द्र बाबू, मोहम्मद सलीम, श्री चिराग पासवान, श्री चन्द्रमाजरा, श्री अरूण कुमार, श्री कौशलेन्द्र कुमार, श्री राजमोहन रेड्डी, श्री प्रेमचन्द्रन, श्री योगी आदित्यनाथ, श्री ददन मिश्र और श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी जी ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। सभी ने हताहत परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। मैं भी आप इस सदन में ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर, सरकार की तरफ से और देश की ओर से भी हताहत परिवार के सभी सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ। इस घटना के संबंध में जानकारी देते हुये, मैं इसका उल्लेख करना आवश्यक समझता हूँ कि जिस समय यह घटना घटित हुई उसके पांच मिनट पहले ही नेशनल इंटैलिजेन्स एकेडमी की एक नयी बिल्डिंग परिसर का उद्घाटन करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी वहां पर मौजूद थे और मैं भी वहां पर मौजूद था। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद ज्यों ही प्रधान मंत्री जी गए, उसके बाद मैं निकला। ज्यों ही मैं घर पर पहुंचा, तुरंत प्रधान मंत्री जी का टेलीफोन आया। उन्होंने कहा कि राजनाथ जी, मैंने तीन बजे बैठक बुलाई है। एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है जिसकी जानकारी आपको मिल गई होगी। मुझे इस हकीकत को सदन के सामने स्वीकार करने में रंच मात्र गुरेज नहीं है कि जब तक मैं घर पहुंचा था, मुझे इसकी जानकारी नहीं मिली थी। लेकिन प्रधान मंत्री जी को पहले ही इसकी जानकारी मिल गई थी। मैंने टेलीविजन खोलकर देखा तब विस्तृत जानकारी मिली। सचमुच जो तत्परता गृह मंत्री होने के नाते मुझे दिखानी चाहिए, जो जानकारी मेरे पास पहले होनी चाहिए, वह नहीं हो पाई। मैं इसका उल्लेख इसलिए करना चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री जी ने तत्परता दिखाई और तुरंत फैसला किया कि इस संकट की घड़ी में मदद करने के लिए हमें बैठक बुलानी चाहिए। उन्होंने बैठक बुलाई। मैं सरकार की तरफ से आश्वस्त करना

चाहता हूँ कि भारत में इस भूकम्प के हादसे के परिणामस्वरूप जो लोग हताहत हुए हैं और पड़ोसी देश नेपाल के लोगों को भी हम अपने परिवार का ही सदस्य मानते हैं। जो लोग भी हताहत हुए हैं, उनके प्रति यहां संवेदना व्यक्त करते हैं, वहीं यह आश्वस्त करना चाहते हैं कि संकट की घड़ी में भारत सरकार भारतवासियों के साथ खड़ी है और अपने नेपाल वासियों के साथ भी खड़ी है।

आज मैं इस बात का भी उल्लेख करना चाहता हूँ कि ज्यों ही यह घटना घटित हुई, 11 या 13 मुख्य मंत्रियों से तुरंत प्रधान मंत्री जी ने टेलीफोन से बातचीत की। दूसरे दिन मैंने भी तीन राज्यों के मुख्य मंत्रियों - उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और उत्तराखंड के मुख्य मंत्री श्री हरीश रावत से बातचीत की। मैंने उनसे सहयोग की अपील की। मैंने कहा कि एरोप्लेन के माध्यम से सभी लोगों को रैसक्यू किया जाना मुझे संभव नहीं दिखाई देता। तीनों राज्य नेपाल बार्डर से लगे हुए हैं। यदि तीनों राज्य अपनी बस वहां भेज सकें तो ज्यादा बेहतर होगा। नेपाल से बहुत सारे लोग जो भारत आना चाहते हैं, भले ही वे विदेशी हों, वहां से निकाल कर उन्हें भारत लाया जा सकता है। हमारे प्रधान मंत्री जी ने ग्रेटिस वीज़ा का प्रावधान भी कर दिया है। दूसरे देशों के लोग भी यदि भारत आना चाहते हैं तो तुरंत उन्हें ग्रेटिस वीज़ा दिया जाना चाहिए और भारत लाया जाना चाहिए। इमीग्रेशन सेंटर्स भी कुछ स्थानों पर स्थापित किए जा चुके हैं। यह सारा फैसला उस समय हुआ। इसलिए तीनों मुख्य मंत्रियों - उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार ने जितनी त्वरित गति से वहां से बसें भेजीं और साथ ही नेपाल के लिए राहत की सामग्री भेजी, मैं सदन के माध्यम से उन तीनों राज्य सरकारों के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। उनके इस सहयोग और प्रशंसनीय कार्य के लिए उन्हें बधाई भी देना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदया, मैं जानता हूँ कि यह सदन चाहता होगा कि इस घटना के बारे में थोड़ी विस्तृत जानकारी अब तक प्राप्त हुई रिपोर्ट के आधार पर मिल जाए। इसलिए मैं यहां स्टेटमेंट प्रस्तुत करना चाहूंगा।

नेपाल के पोखरा क्षेत्र में 25.04.15 को 11.45 पर भारतीय समयानुसार 7.9 रिक्टर स्केल का भयानक भूकम्प आया। इस भूकम्प ने न केवल बहुत बड़े पैमाने पर नेपाल में विनाश किया बल्कि भारत में भी कई राज्यों को प्रभावित किया। भारत में अब तक 72 मौतों की जानकारी है। बिहार में 56, उत्तर प्रदेश में 12, पश्चिम बंगाल में 3, राजस्थान में एक और 280 से अधिक लोगों के घायल होने की सूचना है। यह संख्या 300 से भी अधिक हो सकती है। भवनों और अन्य निर्माणों को सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में भी क्षति पहुंची है। संबंधित राज्य सरकारें आवश्यक कदम उठा रही हैं। वैसे भारत सरकार द्वारा पांच एनडीआरएफ की टीमों भेजी गई हैं जिनमें से चार बिहार में और एक उत्तर प्रदेश में तैनात हैं। मैं यह भी जानकारी देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश जहां टीम भेजी गई है, वह गोरखपुर और बिहार में गोपालगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सुपौल में भेजी गई है। हम भी राज्य सरकारों से लगातार संपर्क में हैं

और हमने हर संभव मदद का वायदा भी किया है। नैशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति इस पूरी परिस्थिति का निरंतर आकलन कर रही है। सभी भारतीय अपने नेपाली भाई और बहनों के साथ दुख और आपदा की घड़ी में साथ हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी स्वयं इस परिस्थिति का निरीक्षण कर रहे हैं और उन्होंने आदेश दिया है कि हर संभव सहायता हम अपने नेपाली भाई-बहनों को देंगे।

जहां तक हमारे बचाव और राहत प्रयासों का संबंध है, भारत के दस एनडीआरएफ के दल काठमांडू पहुंच चुके हैं। एनडीआरएफ टीमों ने अब तक दस व्यक्तियों को जिंदा निकाला है और 46 शव निकाले हैं। मैं समझता हूं कि यह संख्या और अधिक बढ़ गयी होगी। अन्य छः एनडीआरएफ की टीमें नेपाल के लिए भेजी जा रही हैं। भारतीय सेना ने एक इंजीनियरिंग टॉस्क फोर्स और 18 चिकित्सा दल काठमांडू में नियुक्त कर दिये हैं। 22 टन खाद्य सामग्री और राशन पैकेट, 50 टन मिनरल पानी, 02 टन दवाइयां और चिकित्सा उपकरण, 1400 कम्बल और 40 तंबू नेपाल भेजे जा चुके हैं। थल सेना, वायु सेना और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कई दल भी चिकित्सीय सहायता के लिए नेपाल भेजे गये हैं। ये सभी दल दवाइयों, स्टेचर, बिस्तर आदि से लैस हैं। एक मानव रहित यान यूएवी, जिसे अनमैंड एयर व्हीकल बोलते हैं, वह भी बचाव के लिए नेपाल के रास्ते में है। एक उच्च स्तरीय इंटर मिनिस्ट्रियल टीम में एडिशनल सैक्रेट्री होम के नेतृत्व में, जिसमें विदेश मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं और संचार विशेषज्ञों के साथ बचाव एवं राहत कार्य में समन्वय के लिए नेपाल भेज दिए गए हैं। ये दल अपने साथ 250 वेरी हाई फ्रिक्वेंसी वायरलेस सैट और 15 हाई फ्रिक्वेंसी वायरलेस सैट लेकर गये हैं।

जहां तक नेपाल में फंसे हुए भारतीयों को निकालने का सवाल है, हमने अब तक ढाई हजार से अधिक भारतीयों को निकालने में कामयाबी हासिल की है। अब तक यह संख्या काफी बढ़ गयी होगी। हम उन्हें हवाई एवं सड़क मार्ग से भी निकालने का प्रबंध कर रहे हैं। हमने उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड की सरकारों से बसों एवं एम्बुलेंसों द्वारा सड़क मार्ग से काठमांडू ... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : क्या आपने बंगाल सरकार से कोई कान्टैक्ट किया है? ... (व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जी से प्रधान मंत्री जी की बात हुई थी, लेकिन हमारी बात नहीं हो पायी। जो हकीकत है, उसे मुझे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। हमने उत्तर प्रदेश, बिहार एवं उत्तराखंड की सरकारों से बसों एवं एम्बुलेंसों द्वारा सड़क मार्ग से काठमांडू एवं अन्य क्षेत्रों से भारतीयों और अन्य विदेशी नागरिकों को, जो नेपाल में फंसे हुए हैं, को निकालने के लिए कहा है। हमने विदेशियों को नेपाल से भारत आने के लिए मुफ्त वीजा देने की भी व्यवस्था कर दी है। इसी तरह की अन्य सुविधाएं उन

विदेशियों को, जो सड़क मार्ग से भारत नेपाल की सीमा के रास्ते आ रहे हैं, को भी प्रदान कर दी गयी हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों को उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमाओं पर सड़क से आने वाले लोगों के लिए राहत शिविर लगाने की सलाह दी गयी है और मुझे सदन को यह बतलाते हुए बेहद खुशी हो रही है कि इन राज्य सरकारों ने वहां पर राहत शिविरों की व्यवस्था कर दी है। सशस्त्र सीमा बल से लोगों के आने-जाने को आसान बनाने का कहा गया है और सीमावर्ती इलाकों में भूकम्प पीड़ितों के लिए चिकित्सीय राहत शिविर सीमा क्षेत्रों में प्राथमिक चिकित्सा एवं अन्य चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है।

अध्यक्ष महोदया, माननीय प्रधानमंत्री ने भूकम्प से मरने वाले हर व्यक्ति के निकट संबंधी को एनडीआरएफ के प्रावधानों के अनुसार चार लाख रुपये तथा अन्य को दो लाख रुपये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से देने की घोषणा की है। मैं माननीय सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत सरकार मरने वालों के परिवारों को हर सम्भव सहायता प्रदान करेगी। मरने वाले परिवारों को ही नहीं, बल्कि जिनके मकानों को क्षति पहुंची है, उनको भी सहायता पहुंचाएगी। मैं हृदय से प्रभावित राज्यों के दुखी परिवारों को तथा अपने मित्र पड़ोसी देश नेपाल के दुखी परिवारों को दुख की इस घड़ी में अपनी सांत्वना देता हूं।

श्री मुलायम सिंह यादव (आज़मगढ़) : उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से तीन ट्रक पानी की बोतलें और बिस्किट्स नेपाल में पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश में जिन लोगों की भूकम्प से मौत हुई है, उनको सात-सात लाख रुपये दे दिए गए हैं।

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी ने सभी को धन्यवाद दिया है।

श्री मुलायम सिंह यादव : भारत सरकार का खजाना भरा हुआ है। आप पीड़ितों को दस-दस लाख रुपये दीजिए।

HON. SPEAKER: Hon. Members, there will be no lunch time today.

13.25 hrs**MATTERS UNDER RULE 377 ***

HON. SPEAKER: Hon. Members, the Matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members who have been permitted to raise matters under Rule 377 today and are desirous of laying them, may personally hand over text of the matters at the Table of the House within twenty minutes.

Only those matters shall be treated as laid for which text of the matters have been received at the Table within the stipulated time. The rest will be treated as lapsed.

* Treated as laid on the Table.

(i) Need to undertake development of Jasidih railway station, Jharkhand

SHRI NISHIKANT DUBEY (GODDA) : The Jasidih railway station on the Delhi-Howrah via Patna main line is of paramount and strategic significance on a number of counts. As many as Five railway lines are proposed to meet here. These are:

1. Doogarh-Dumka
2. Pirpainti-Jasidih
3. Bhagalpur-Jasidih via Banka
4. Sultanganj-Jasidih via Banka
5. Sultanganj-Jasidih via Asarganj

Over 50 million people visit Deogarh Jyotirling every year for darshan. Thus, the Jasidih Station is perhaps as important as the Jammu and Katra Railway stations for Mata Vaishno Devi darshan. Unless, measures are taken for management of flow of huge number of passenger at this station, the yatra of these devotees will be hampered. Imagine, the situation that will be created when the five new railway lines are commissioned and the number of yatris increases manifold in the years ahead.

Not only this, this station has other strategic significance, including for the movement of security forces and also for transportation of coal which is extremely important for power-generation. The Eastern Coalfield Company has already said that it wants to produce and transport 30 million tonnes of coal over five years but does not have Railway infrastructure to do so in this region. I would like to quote the Railway Minister "Second, we will partner with PSUs to ensure that sufficient capacity is built to transport critical commodities like coal, iron, ore, and cement, etc., from where they are extracted or imported to where they are consumed or processed." In the absence of infrastructure, railway line for Godda-Pakur (survey

yet to be carried out) and Pirpainti to Naugachia via Bateshwarsthan is not possible.

Accordingly, I would draw your kind attention towards this matter and a direction to the concerned authority for the laying of above said railway lines.

The mineral rich state of Jharkhand is the single largest revenue contributor to the Indian Railways and yet has been at the receiving end of a step-motherly treatment all long. The state is afflicted with Naxalism. In contrast, relatively more developed regions in the adjoining states have taken a lion's share of the projects, without any cost sharing.

(ii) Need to augment railway services providing better railway connectivity to Mandsaur Parliamentary Constituency, Madhya Pradesh

श्री सुधीर गुप्ता (मंदसौर) : रेलवे आज देश में यात्री व माल आवागमन का महत्वपूर्ण साधन है। देशभर में इसमें विस्तार भी हो रहा है, सुधार भी हो रहा है, मगर मेरा संसदीय क्षेत्र मंदसौर (मध्य प्रदेश) जो डब्ल्यू.आर. व डब्ल्यू.सी.आर. पर स्थित है, इसमें माल आवागमन में तो वृद्धि हो रही है, यात्री आवागमन डब्ल्यू.आर. में बढ़ रहा है मगर यात्री ट्रेन की संख्या में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो रही है। मैं कारण जानना चाह रहा हूँ व पूछना चाहता हूँ कि क्या देश के बड़े संसदीय क्षेत्रों में से एक मंदसौर संसदीय क्षेत्र के जिला केन्द्र मंदसौर, जिला केन्द्र नीमच व प्रमुख केन्द्र जखरा से दिल्ली जाने वाले यात्री क्या एक अच्छी यात्री ट्रेन की इच्छा रख सकते हैं, क्या आपने नीम से चित्तौड़गढ़ मार्ग दोहरीकरण की हमारी माँग स्वीकार की? मगर यह दोहरीकरण सर्वे रतलाम से चित्तौड़गढ़ है। निर्माण आदेश में रतलाम से नीमच शेष रहे हिस्से पर भी शीघ्र निर्णय किया जाना चाहिए। मेरी ओर से कुछ यात्री गाड़ियों के संचालन हेतु निम्न सुझाव प्रस्तुत है:-

1. अजमेर से तिरुपति नवीन ट्रेन
2. कोटा-नीमच पैसंजर व उदयपुर-नीमच पैसंजर को मंदसौर स्टेशन तक संचालन
3. ट्रेन क्रमांक 19327 व ट्रेन क्रमांक 12964 की समय सारणी सुधार कर चित्तौड़गढ़ जंक्शन पर मिलान निश्चित करना।

(iii) Need to enact a law ensuring adequate medical facilities and efficient medical staff in Ambulances

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ) : एम्बुलेंस सेवा स्वास्थ्य सेवाओं से परोक्ष रूप से जुड़ी एक अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा है। एम्बुलेंस में आई.सी.यू. से संबंधित सुविधाओं का होना अत्यंत आवश्यक है ताकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय रोगी की प्राण रक्षा हो सके। परन्तु इसके लिए कोई ऐसा नियम कानून नहीं है, जिसमें एम्बुलेंस में जरूरी उपकरण व व्यवस्थाओं की अनिवार्यताओं का उल्लेख हो। कोई भी वाहन परिवहन विभाग से वाहन फिटनेस प्रमाण-पत्र लेकर एम्बुलेंस के रूप में चलने लगता है, चाहे उसके अंदर आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण व दक्ष स्टाफ हो या न हो। परिणामस्वरूप इन सबसे अनभिज्ञ व मजबूरीवश इनकी सेवाएं लेने को मजबूर मरीज की जान खतरे में पड़ी रहती है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि सरकार इस संबंध में अवैध रूप से तथा आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण व दक्ष स्वास्थ्य स्टाफ के बिना चल रही एम्बुलेंस पर नियंत्रण के लिए प्रभावी कानून बनाने का कष्ट किया जाए।

(iv) Need to build a memorial of Swami Dayanand Saraswati at Bhinoy Kothi, Ajmer, Rajashtan

श्री सी.आर. चौधरी (नागौर) : मैं सरकार के ध्यान में यह लाना चाहता हूँ कि आज़ादी के प्रथम स्वप्नदृष्टा, समग्र क्रांति के अग्रदूत, नवजागरण के पुरोधे महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती जी का निर्वाण 1883 में अजमेर (राजस्थान) स्थित भिनाय कोठी में हुआ। स्वामी जी का सम्पूर्ण जीवन मानव जाति के उत्थान में लगा। स्वामी जी ने समग्र क्रांति का मंत्र फूँका तथा जाति-पाति व छुआछूत को त्याज्य ही नहीं माना अपितु छुआछूत व जाति-पाति के खिलाफ समाज में अलख जगाया। सामाजिक क्रांति के साथ ही शिक्षा के प्रचार-प्रसार का स्वामी जी का इतिहास आज भी देश में सर्वोपरि है। ऐसा संत जिसने आध्यात्म सामाजिक क्रांति की अलख एक साथ जगाई, भारत के इतिहास में दूसरा नहीं है। इतना ही नहीं आज़ादी के आंदोलन में स्वामी दयानन्द सरस्वती व इनके द्वारा स्थापित आर्य समाज का योगदान कभी नहीं भुलाया जा सकता। श्री बाल गंगाधर तिलक का नारा "स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है" में स्वराज्य शब्द स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा रचित "सत्यार्थ प्रकाश" में सबसे पहले उपयोग हुआ। महर्षि दयानन्द जी की यह निर्वाण स्थली आर्यों के लिए आस्था का केंद्र है। आर्य इसे अपने प्यारे ऋषि की निर्वाण स्थली ही नहीं अपितु एक प्रेरणा स्थली के रूप में मानते हैं और चाहते हैं कि इस स्थान पर प्यारे ऋषि का वृहद स्मारक बने जो विश्व के लिए एक प्रेरणा स्थली हो तथा समाज के नव निर्माण का जीवन्त स्मारक। भिनाय कोठी का अधिकांश भाग वर्तमान में आर्यों के पास नहीं है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि पूरे क्षेत्र को सरकार अधिगृहीत कर आर्य जगत को दिया जाए ताकि आज़ादी के प्रथम स्वप्नदृष्टा, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महर्षित दयानन्द जी का एक विशाल स्मारक बनाया जा सके।

(v) Need to exempt Gujarat Safai Karamchhari Vikas Nigam from Income Tax Act, 1961

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) : गुजरात सरकार के द्वारा किये गये अथक प्रयासों के बावजूद भी गुजरात के सफाई कर्मचारियों को धारा 10(26बी) आई.टी. एक्ट-1961 के अंतर्गत इनकम टैक्स में छूट का मामला अभी तक विवाद में फँसा हुआ है। उपरोक्त अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के सभी राज्यों के गरीब, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए वचनबद्ध है, लेकिन आयकर विभाग, गुजरात सरकार ने उपरोक्त अनुच्छेद को पूर्णतः अनदेखा करते हुए सफाई कर्मचारियों पर पूरा आयकर टैक्स लगा दिया जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग आते हैं।

गुजरात सरकार ने इस संदर्भ में अनेक पत्र भारत सरकार को लिखे हैं ताकि इन सफाई कर्मचारियों को आयकर में छूट मिले। गुजरात सफाई कर्मचारी विकास निगम को विशेष तौर पर मैला ढोने वाले, कूड़ा बीनने वाले और मलिन कार्यों में लगे लोगों के उत्थान और उनके विकास के लिए ही बनाया गया था। गुजरात सफाई कामगारों की नियुक्ति में गरीब तबके के लोगों को आयकर से मुक्त करने हेतु राज्य सरकार से कई अनुशंसाएं केंद्र सरकार को प्रेषित की जा चुकी हैं, जो अभी तक लंबित हैं।

अतः मेरा केंद्र सरकार से आग्रह है कि गुजरात सफाई कर्मचारी विकास निगम को बिना किसी शर्त के आयकर मुक्त किया जाए।

(vi) Need to provide compensation to farmers whose crops have been damaged due to excessive rains, hairstorms and pest attacks

श्री बोध सिंह भगत (बालाघाट) : देश में अनेक प्रदेशों के अनेक जिलों के ग्रामों में फरवरी-मार्च 2015 में ओलावृष्टि, अतिवृष्टि एवं खराब मौसम से कीट प्रकोप के कारण रबी मौसम की गेहूं, चना, मटर, सरसो, तुअर, अलसी एवं फल व सब्जी इत्यादि फसलें पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं। कृषकों को भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। कृषकों के सामने जीवकोपार्जन का कोई साधन नहीं होने के कारण संकट उत्पन्न हो गया है। कृषक काफी चिंतित एवं परेशान है। कृषकों में तीव्र रोष एवं आक्रोश व्याप्त है। किसान आत्महत्या कर रहा है। वर्तमान समय में सरकार द्वारा ओला प्रभावित कृषकों को ही मुआवजा दिया जा रहा है जो पर्याप्त नहीं है। अतिवृष्टि एवं कीट प्रकोप से प्रभावित कृषकों को मुआवजा नहीं मिल पा रहा है क्योंकि राजस्व परिपत्र में प्रावधान नहीं है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि अतिवृष्टि एवं कीट प्रकोप से प्रभावित कृषकों को मुआवजा दिये जाने हेतु राजस्व परिपत्र में संशोधन कर डॉ. स्वामीनाथ आयोग की सिफारिशें लागू की जाएं ताकि खेती लाभ का व्यवसाय बन सके तथा किसानों को आत्महत्या न करनी पड़े।

(vii) Need to take necessary steps for creation of employment opportunities in various sectors of economy for unemployed youth belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): यह सर्वविदित है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण के बावजूद इस समुदाय के बेरोज़गार युवाओं की बढ़ती संख्या की समस्या का समाधान नहीं हुआ है। किसी वैकल्पिक आय के अभाव में युवा लड़के और लड़कियाँ जिन्हें अर्हता प्राप्त है, रोज़गार पाने की आशा रखते हैं। हमारे देश में बेरोज़गारी की यह स्थिति अनेक सामाजिक समस्याओं की जड़ है। सरकारी क्षेत्र में एक वरीयता देने का प्रस्ताव है जो उनमें उद्यमशीलता की भावना को प्रोत्साहित कर सकता है और उन्हें जीविका के वैकल्पिक साधन दे सकता है।

अतः मेरा केंद्र सरकार से आग्रह है कि वह इस मामले में शीघ्र कार्रवाई करते हुए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बेरोज़गार युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ढंग से स्वरोज़गार अथवा व्यापार में आजीविका प्रदान करने हेतु उचित प्रबंध करे।

(vii) Need to accord approval of Cauvery, Vaigai and Gundar rivers interlinking project and canal modernization projects in Tamil Nadu.

SHRI P.R. SENTHILNATHAN (SIVAGANGA): As water is becoming a precious commodity, It is prudent on the part of any government to use its water resources potential to its optimum level. With this in mind our visionary leader Makkalin Muthalvar Amma has taken up with Centre the matter relating to permission and funding of the interlinking of rivers within Tamil Nadu, This can serve as the pioneering model project for the linking of major rivers of India. The flood waters of Cauvery must be diverted to the drought prone areas of Tamil Nadu by way of linking cauvery with the rivers Gaigai and Gundar. This will greatly benefit the rain fed agricultural land in the districts of Tiruchi, Pudukottai, Madurai, Sivagangai, Ramanathapuram and Virudhunagar. A detailed project report along with the cost estimates of Rs. 5,166 crore has been sent to the Centre for approval. Similarly, modernisation of canals at a cost of Rs. 11,421 crore has also been sent to the Centre for its approval at the earliest. So is the case with Pennaiyar and Palar link scheme and Athikadavu-Avinashi flood canal scheme. I urge upon the Centre to accord approval and provide funds for the early completion of these projects.

(ix) Need to provide compensation and announce loan waiver scheme for farmers whose crops have been damaged by unseasonal rains and hailstroms in the country

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): The recent suicide by a farmer from Rajasthan has highlighted the losses, the farmers have suffered due to unseasonal rains and hailstroms across 13 states in North India in February-March. States like Gujarat, Punjab, Himachal Pradesh, Haryana, Maharashtra, Bihar, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Jammu & Kashmir and West Bengal have been affected by the calamity. What is needed now is not only compensation but also loan waiver. The Secretary (A&C) has written on 30.03.2015 to Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance highlighting major difficulties faced by the farmers in repayment of crop loans taken by them and requested to issue directions to banks in this regard as well as consider whether the benefit could be considered for restructured loans. But there has been no response so far. The West Bengal Chief Minister has written to Union Finance Minister on 09.04.2015 on the plight of the farmers, mentioning the losses suffered by potato farmers due to bumper crop and the steps State government has taken to give them relief. She has also asked for waiver of loans of farmers. The Centre should announce a decision immediately regarding payment of compensation to farmers and waiver of bank loans.

(x) Need to allocate funds from the Central Road Fund to construct roads linking Dhenkanal to Joda in Odisha

श्रीमती सकुंतला लागुरी (क्योंझर): ओडिशा राज्य के आदिवासियों के क्षेत्रों के विकास करने के लिए डेनकानाल, जोडा वाया कंकराहाड, तेलकुई, बासपाल, बामेबारी में सड़कों को केन्द्रीय सड़क निधि के माध्यम से बनाना अति आवश्यक है, परन्तु केन्द्र सरकार ने अभी तक इस पर निर्णय नहीं लिया है। इस लंबित कार्य के कारण ओडिशा के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों का विकास रुका हुआ है। इस क्षेत्र में कई मूल्यवान खनिज के अपार भंडार हैं परन्तु समुचित सड़क नहीं होने के कारण यहाँ पर कोई उद्योग लगने की बजाय यहाँ से खनिज पदार्थों को ढोकर ले जाया जाता है। इन उपरोक्त आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में केन्द्रीय सड़क निधि के माध्यम से सड़क बनाने से ही इन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की सड़कों का विकास हो सकेगा। उससे इस क्षेत्र का औद्योगीकरण करने में सहायता मिलेगी, जो देश के संतुलित विकास को दिशा प्रदान करेगा।

अतः मेरा केंद्र सरकार से आग्रह है कि उक्त सड़कों को केंद्रीय सड़क निधि के माध्यम से बनाने की मंजूरी प्रदान की जाए।

(xi) Need to provide a comprehensive policy framework for investment and sustainable economic growth of Andhra Pradesh

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM) : I would like to bring to the notice of the Government that Andhra Pradesh Re-organisation Act, 2014 has done serious injustice to the residual Andhra Pradesh. It distributed assets based on location while apportioning liabilities on the population ratio. Considering that virtually all the major assets are located in and around Hyderabad city which has since become an integral part of Telengana. Despite it being the common capital, Andhra Pradesh has forfeited all major economic assets and inherited huge liability without having the wherewithal to service the debt. Further Andhra Pradesh, by virtue of its location, is vulnerable to serious natural calamities. Therefore, the Union Government needs to create a level playing ground through a proactive policy framework and substantial financial package, apart from creating an ecosystem for investment and sustainable economic growth. Andhra Pradesh is likely to plunge into deep financial crisis with adverse consequences for its citizens especially the poor and vulnerable. So kindly do justice to Andhra Pradesh.

(xii) Need to introduce an additional train from Vishakhapatnam to Araku in Andhra Pradesh

SHRIMATI KOTHAPALLI GEETHA (ARAKU) : I would like to draw kind attention of the Government towards the dire need to sanction an additional train from Visakhapatnam to Araku and vice-versa to improve the tourism.

In this regard, I would like to bring to notice that Araku situated in Andhra Pradesh is a fast growing tourism destination. At present, there is only one train (one trip per day) operating between Visakhapatnam and Araku and it runs with full passenger capacity. This train runs through beautiful hills and valleys, natural water falls and greenery and many of the visitors prefer travelling by train to enjoy the beautiful nature. It is the dream of the Araku people that one day the Government will promote a glass train which becomes very successful and pride of Andhra Pradesh. Many private organizations are also ready to invest for the train in PPP mode also and this proposal is pending with Railway Ministry for the past 3 decades. Though many promises have been made but all in vain.

The bookings finish well in advance and many tourists end up in disappointment of not getting a chance to travel. Hence, I request the Government to immediately conduct a viability check on this route and provide for second train on this route. I also request to kindly examine the possibility of introducing a glass train in PPP mode, which will certainly boost up tourism in the area.

Keeping in view the position explained above, I request the Hon'ble Minister of Railways to kindly consider and do the needful urgently.

13.26 hrs.**DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL), 2015-16****(i) Ministry of Human Resource Development – Contd.**

माननीय अध्यक्ष : अब हम एचआरडी की डिमान्ड्स फोर ग्रान्ट्स टेकअप कर रहे हैं। करीब दस माननीय सदस्य बोल चुके हैं और बीस से भी ज्यादा माननीय सदस्य स्पीच ले कर चुके हैं। मेरा इतना ही निवेदन है कि हम इसे ढाई-तीन बजे से पहले खत्म करके, दूसरे मंत्रालय की डिमान्ड टेकअप करेंगे।

श्री लक्ष्मी नारायण यादव (सागर): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे एचआरडी मंत्रालय की ग्रान्ट्स के संबंध में बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं मंत्रालय की अनुदान की मांगों का तहेदिल से स्वागत करता हूँ और समर्थन करता हूँ।

13.27 hrs.**(Mr. Deputy Speaker in the Chair)**

उपाध्यक्ष जी, चूंकि समय बहुत सीमित है इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि पिछले एक वर्ष में, जब से वर्तमान सरकार सत्ता में आई है, सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में सभी स्तरों पर प्राथमिक शिक्षा से लेकर मिडिल, हाई और यूनिवर्सिटी स्तर की शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन विस्तार की दृष्टि से और अच्छी शिक्षा बच्चों को मिल सके, इसके लिए किए हैं। इसके लिए मैं सरकार का साधुवाद करता हूँ। चूंकि लिस्ट बहुत लम्बी है और समय सीमित है, इसलिए मैं संक्षिप्त में अपनी बात सदन के सामने रखूंगा।

मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में कुछ बातें जरूर लाना चाहूंगा जिनके बारे में मैं चाहता हूँ कि वे जरूर ध्यान दें। महोदय, कल जब निशंक साहब बोल रहे थे, उन्होंने कहा था कि जब तक हम मानव मूल्य आधारित शिक्षा नहीं करेंगे, तब तक शिक्षा का कोई अर्थ नहीं रहेगा। महोदय, मैं उनकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ और माननीय मंत्री जी से एक ही मांग करता हूँ और सलाह देना चाहता हूँ कि वे हर स्कूल में प्राथमिक स्कूल से लेकर हाई स्कूल तक जब असेम्बली में सभी बच्चे प्रार्थना के लिए इकट्ठे होते हैं तब महात्मा गांधी जी का 'वैश्व जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे', इस भजन को इंट्रोड्यूस करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह इस प्रकार का भजन है जो सर्वोत्तम मानवता के निर्माण में सहायक हो सकता है, इसलिए मेरा अनुरोध है कि वे इस बात पर विचार करें। इससे एक फायदा और हो सकता है कि जब महात्मा गांधी जी के इतने अच्छे भजन को आप इंट्रोड्यूस करेंगी, लोगों को प्रार्थना करने के लिए आदेशित करेंगी तो आप पर जो सेफरोनाइजेशन का आरोप लगता है, वह भी नहीं लग पाएगा क्योंकि हिंदुस्तान में धर्मनिर्पेक्षता का अगर कोई प्रतीक है, तो वह महात्मा गांधी जी हैं और उनका यह भजन है। मैं माननीय मंत्री महोदया से गुजारिश करूंगा कि वे इस बारे में जरूर ध्यान दें। उपाध्यक्ष महोदय, जो बजट

प्रस्तुत किया गया है, उसमें मैं कुछ अपनी व्यथा तथा कुछ विभाग की कमजोरियों की ओर भी ध्यान दिलाना चाहता हूँ। वैसे मुझे इस बात का बड़ा खेद है और मैं तो चाहूँगा कि भारत सरकार, माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कटौतियों की हैं, वे नहीं होनी चाहिए। मानव संसाधन विभाग या शिक्षा विभाग की कटौतियों का अर्थ होता है कि हम अपने सुन्दर भविष्य, एक सुसभ्य भविष्य में कटौती करते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदया का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूँ कि उन्होंने जो पेपर सर्कुलेट किये हैं, उसमें एक Appendix IX(J) है, मुझे समझ में नहीं आया कि एक ओर तो सरकार के पास पैसे की कमी है और जन शिक्षण संस्थानों के नाम से कौन सा काम हो रहा है? आज हमारी आजादी के 65-66 साल हो गये। उसके बाद शिक्षा का इतना विस्तार हो गया, उसके बाद भी प्रौढ़ शिक्षा के नाम पर, 114 करोड़ रुपये की राशि सरकार जन शिक्षण संस्थानों को देने के नाम पर व्यय करती है। मैंने कई क्षेत्रों में देखा है, मैंने अपने संसदीय क्षेत्र के आसपास के कई सांसद मित्रों से पूछा है, जो जानते हैं कि इस प्रकार के जन शिक्षण संस्थान कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वे सिर्फ यहाँ से ग्रांट लेकर जाते हैं और उसे खा जाते हैं। मेरा कहना है कि आप इसकी जांच करा लें। यदि कोई बहुत अच्छा संस्थान हो, तो उसे राशि निश्चित रूप से जारी करें। मुझे तो अपने संसदीय क्षेत्र के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से पता है। वहाँ भी एक जन शिक्षण संस्थान है और उसके अगल-बगल में भी कई संस्थान हैं, उनका कोई काम नहीं है। अतः माननीय मंत्री महोदया इस बारे में विचार करें और इस पर ध्यान दें। जो कटौतियाँ हुई हैं, वे डिवोल्यूशन के नाम पर हुई हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि डिवोल्यूशन के नाम पर यह नहीं होना चाहिए। जो विभिन्न योजनाएँ चल रही हैं, उनमें किसी प्रकार धन की कमी नहीं होनी चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से एक बात और कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार हम देख रहे हैं, यह ईमानदारी की बात है, सच्चाई है, इसे स्वीकार करना चाहिए कि ग्रामीण स्तर पर शिक्षा देने का काम प्रदेश सरकारों का है, उनकी इस स्तर की शिक्षा में बहुत खराबियाँ हैं, बहुत कमियाँ हैं। ग्रामीण स्तर पर जो स्कूल हैं, उनमें बच्चों का हम अच्छा रिजल्ट नहीं देखते हैं। ऐसे स्कूल के बच्चे अच्छे विद्यार्थी नहीं बन पाते हैं।

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Member, please be very brief. Hon. Minister is going to reply at 2.30 p.m. Still 20 members are there to speak.

श्री लक्ष्मी नारायण यादव: इसलिए मैं चाहता हूँ कि भारत सरकार को चाहिए कि ग्रामीणों के लिए नये प्रकार अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए हर ब्लॉक में एक नवोदय विद्यालय आरंभ करे। उससे यह होगा कि उस ब्लॉक के स्तर पर जो विद्यार्थी अच्छे होंगे, प्रतिभावान होंगे, उन्हें भी अच्छी शिक्षा मिल जाएगी और उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।

इसके बाद मैं कहना चाहता हूँ कि जब से आर.टी.ई. लागू हुआ है तब से ऐसे निर्देश हो गये हैं कि आठवीं कक्षा तक किसी बच्चे को न रोका जाए। इसका परिणाम हुआ है, मैंने पच्चीसों स्कूलों में जाकर देखा है, आठवीं कक्षा तक के बच्चों को ठीक से अपना नाम भी नहीं लिखना आता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि पहली-दूसरी-तीसरी कक्षा तक तो विद्यार्थियों को न रोका जाए, लेकिन उसके बाद की कक्षा के बच्चों की परीक्षा ली जानी चाहिए और उन्हें इस योग्य बनाये जाने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए ताकि वे पढ़ने-लिखने वाले बच्चे बन सकें।

मैं एक बात यूनिवर्सिटी एजुकेशन पर भी कहना चाहता हूँ। हालांकि कहने के लिए तो बहुत था, लेकिन आपने मेरा समय बहुत कम कर दिया है, इसलिए मैं संक्षेप में अपनी बात कहूँगा।

वर्ष 2009 में भारत सरकार ने 30 नये विश्वविद्यालयों को अपने हाथ में लिया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि उन विश्वविद्यालयों की स्थिति बहुत खराब है। उनमें से तीन-चार विश्वविद्यालयों को तो मैं जानता हूँ। कुछ जगहों पर तो इतनी बुरी हालत है, हमारे यहाँ सागर के वाइस चांसलर तो जेल में हैं। मुझे यह भी बताया गया है कि बिलासपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के खिलाफ भी सीबीआई की जांच चल रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इसका एकमात्र कारण यही है कि उन विश्वविद्यालयों पर आपने किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रखा। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जिसे वहाँ पर नियंत्रण रखना चाहिए, उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल का निर्माण वाइस-चांसलर की मर्जी से होता है। ये संस्थान राजनीति से दूर रहें, इसलिए लोकल पॉलिटिशियन्स को उनको नहीं रखा जाता है। वाइस-चांसलर जिनको नॉमिनेट करते हैं, वे लोग अधिकांशतः उनके सबॉर्डिनेट्स होते हैं और वे उन सबॉर्डिनेट्स से कुछ भी कराते हैं। हमारे यहाँ कई प्रोफेसर्स, चूंकि वाइस-चांसलर ने दस्तखत करा लिए हैं, सीबीआई की जांच के दायरे में आ गए हैं, जबकि मैं जानता हूँ कि उनका कोई दोष नहीं है, उनको वाइस-चांसलर ने कहा कि दस्तखत कर दो और उन्होंने दस्तखत कर दिए। इसलिए मैं मंत्री महोदया से कहना चाहता हूँ कि आपको इस एक्ट में परिवर्तन करना चाहिए और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में स्थानीय सांसद एवं अन्य अच्छे लोगों को भी रखना चाहिए, सिर्फ प्रोफेसर्स से काम नहीं चलेगा और आपके अधिकारियों के पास इतना समय नहीं होता है कि बहुत गंभीरतापूर्वक उसे देख सकें। इस देश में आज निजी विश्वविद्यालय बहुत ज्यादा खुल गए हैं, जैसा कहा जाता है मशरूम ग्रोथ, इनकी ग्रोथ उससे भी ज्यादा हो गयी है। इसे रोका जाना चाहिए। इसके लिए कोई अच्छी रेगुलेटरी अथॉरिटी बननी चाहिए, जो इन पर नियंत्रण कर सके वरना कल इनमें से पढ़े हुए बच्चे डिग्री लेकर घूमेंगे और अच्छे विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी भी डिग्री लिए घूमेंगे। उनकी डिग्री कौन देखेगा। उनमें से पहला भी कहेगा कि मैं एमए, एलएलबी उत्तीर्ण हूँ और दूसरा भी कहेगा कि मैं एमए, एलएलबी उत्तीर्ण हूँ या पीएचडी हूँ, उस स्थिति में शिक्षा का डिवैल्यूएशन हो जाएगा। इसलिए मेरा आग्रह है

कि इस बारे में विचार करें कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बारे में एक स्ट्रॉंग रेगुलेटरी ॲथारिटी बननी चाहिए ताकि वे वाकई में शिक्षा के संस्थान बन सकें। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि वे इन बातों पर ध्यान दें और मैं इस विभाग की डिमाण्ड्स फॉर ग्राण्ट का समर्थन करता हूँ।

***SHRI MULLAPALLY RAMCHANDRAN (VADAKARA):** Education is the most important tool to bring about social transformation, development and growth. Any change made in the educational sphere will have far reaching ramifications in society. Therefore it is through education that we are going to build a resurgent nation which can meet the challenges of tomorrow.

The demographic dividend is a great advantage of our country. And the great potential and talent of our budding generation could be properly tapped only through education which is qualitative.

While participating in the Demands for Grants-2015, I remind this Government that ample caution needs to be taken before finalizing the proposed New Education policy of this Government. We should not forget the fact that we live in a pluralistic society and ours is a composite culture. Therefore, the New Education policy will have to take into account our secular ethos and cultural heritage. It should also promote scientific temper in the minds of the children.

This was exactly what our late Prime Minister, Rajiv Gandhi had done in the year 1986. While envisaging and finalizing the then New Education Policy he had wide ranging discussions across the spectrum. And the great leap forward in the educational system gathered momentum through these wide consultations and interactions.

The Total Literacy programme and the establishment of the Navodaya Vidhyalayas in each district for rural children were landmark achievements of Rajivji's National Education policy.

The Right to Education is a bi-product of this policy and we can be proud of the fact that a huge democratic country like ours, with the second largest population in the world, could ensure universal, compulsory and free education to all children between 6 and 14. Nutritious food, books, uniforms etc. are also provided by the Government free of cost.

* Speech was laid on the Table

Right to Education Act to my mind, is the greatest legislation that independent India has ever made. And the destiny of India is going to be determined in the classrooms.

It was Rajiv Gandhi who converted the Ministry of Education into the Ministry of Human Resource Development. This was intended to build a vibrant, strong nation through human resource development.

Keeping in view India's rich demographic dividend, the HRD Ministry is the most critical Ministry and it holds the key to the progress of our country.

If, however, one looks at the allocation made for education it is shocking to note that there is a savage cut in the budgetary allocation.

There is 22.14% reduction in allocation for SSA over the last year. With such a huge cut, how is it possible to increase the focus on enhancing the quality of education to address the poor learning levels of our children?

Compared to the previous year the amount allocated for Rashtriya Madyamik Shiksha Abhiyan, a flagship programme of the previous Government, is 29% lower this year. For the Rashtriya Uchha Siksha Abhiyan (RUSA), the decrease is a staggering 48%. It is astonishing to note that the allocation for mid-day meals has also been drastically cut.

The argument of the Government is that the state will be getting their due share following the recommendations of the 14th Finance Commission. In reality this is not going to happen.

India has the maximum number of Universities in the world, according to UNESCO estimates. But it is alarming to know that not one of these Universities figure among the 200 Best Universities in the world. No doubt we have institutes of excellence like IITs, IIMs etc. But when it comes to the question of universities we have a long way to go.

If you look at the best universities in the world you will find that many of these universities do have professors and academics from India. Why this brain

drain? Serious introspection is to be made and all out efforts are to be taken to bring these talents back.

Right to education assures 25% reservation in all educational institutions for children belonging to disadvantaged section of society. It is a paradox to see that many of the private institutions do not adhere to these rules and they charge huge capitation fee for admission to these schools. If such a situation prevails how could the children from vulnerable sections benefit from this landmark Act. Government should pay special attention to this point and strict instructions should go from HRD Ministry to implement the same in letter and spirit. If education is run on commercial lines the cardinal principles of equity, excellence and expansion would remain only on papers.

A lot of criticism has been raised against the HRD Ministry by the academic community and the intellectual strata that the Government is impinging on the autonomy of many of the educational institutions.

The controversy relating to treatment meted out to the Chairman of the Board of Governors of the Indian Institute of Technology, Mumbai, renowned Nuclear Scientists Sri Anil Kakodkar, is a case in point.

The Director of NCERT, Prof. Parvin Sinclair, was unceremoniously sent out of office two years before her term ended. She was not allowed to defend herself before the decision to terminate her.

The resignation of the Director, IIT, Delhi, Sri Shevgaonkar, two years ahead of tenure triggered another controversy.

The Four Year Undergraduate Programme in Delhi University created lot of controversy and ultimately was withdrawn by the Government exposing its inept handling of academic affairs in the university.

The revamping of Indian Council of Historical Research was another major issue on which this Government was under attack from Historians from across the spectrum. The appointment of Sri Y. Sudarshan Rao as Chairman of ICHR generated a lot of heat as his academic records revealed that he was not a

distinguished Historian. Anyone could see how surreptitiously this Government is attempting to saffronise an important academic Body like ICHR.

The deliberation at the All India Science Congress in Mumbai also reveals that this Government is taking such an important event in a cavalier manner. The scientific community was totally disenchanted with this year's science Congress. I am emphasizing this point as science and education is integrated.

I have good number of other instances wherein this Ministry is going in for saffronization of educational system at a rapid speed.

While concluding, I would say that any reorientation of education should begin with the New Education Policy of 1986 as laid down by Rajiv Gandhi, which was a road map for the overall development of our country through Human Resource Development.

***श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला):** मैं एचआरडी मंत्रालय की ग्रांट्स पर समर्थन करता हूँ। भारत जैसे विविधताओं वाले एवं भिन्न-भिन्न भाषाओं वाले विशाल देश में शिक्षा एक चुनौती है, देश के प्रधानमंत्री ने देश की जनता को गुणवत्ता एवं रोजगार दिलाने वाली कौशल विकास शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित किया है। इसीलिए देश में 80,000 स्कूलों को अपग्रेड करने का निर्णय हुआ है। एवं 6 हजार मॉडल स्कूल, हर राज्य में आईआईएम, आईआईटी, ट्रिपल आईटी जैसे विश्वस्थरीय संस्थान खड़े करने के निर्णय लिए गए हैं। हम प्रधानमंत्री के विजन का इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही महामना मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी थी उन्हें भारत रत्न दिया। राष्ट्रपति महोदय ने भी संसद के दोनों सदनों में सरकार के विजन को प्रदर्शित करते हुए उच्च शिक्षा एवं गुणवत्ता वाली शिक्षा पर बल दिया है। इसी प्रकार से हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉ० अब्दुल कलाम ने भी कहा है कि शिक्षा वो होनी चाहिए जो विद्यार्थियों के चेहरे पर मुस्कान ला सके। बजट में शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा पर जोर दिया गया है ताकि जमीनी हालात को बदला जाए और एजुकेशन और स्किल डेवलेपमेंट को शिक्षा का आधार बनाया जाए।

सर्वशिक्षा अभियान शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी भूमिका निभा रहा है इसलिए बजट में 22 हजार करोड़ रुपए इस मद में रखा गया है। मिड डे मील के लिए 9 हजार करोड़ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा में 3565 करोड़ तकनीकी शिक्षा में 2200 करोड़, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा में 1155 करोड़, सूचना प्रौद्योगिकी मिशन के लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मेरा मानना है कि गुणवत्ता उन्मुख शिक्षा प्रणाली एक शक्ति संवर्द्धक है, जो विश्व के एक प्रमुख राष्ट्र के रूप में भारत की कालाकल्प कर देगी। जिस प्रकार से आज दुनिया में डिजिटल क्रांति आई है, भारत भी उस डिजिटल क्रांति की ओर बढ़ रहा है। यह तकनीक हमारे छात्रों को अच्छी शिक्षा और अच्छे मूल्यों को प्रदान कराएगी और उनका भविष्य संवारने में सार्थक साबित होगी। हमारी शिक्षा नीति में इनपुट की बजाट आउटपुट पर जोर दिया गया है, इसलिए पढ़ने लिखने और गणीतीय दक्षता का एक माहौल बनाने के लिए (पढ़े भारत, बढ़े भारत) एक उत्तम कदम है। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने 'बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ' कार्यक्रम के लिए हरियाणा को चिन्हित किया और सारे विश्व को भारत के इस संकल्प के बारे में अवगत कराया।

जहाँ पर सरकार ने शिक्षा क्षेत्र को प्राथमिकता दी है, वहीं पर आजादी के बाद जो तस्वीर दिखायी पड़ती है उसमें धुंधलापन है। ताजा रिपोर्ट ने सरकारी स्कूलों में पढ़ाई-लिखाई के गिरते स्तर के बारे में सचेत किया है। बुनियादी शिक्षा के स्तर को हमें गंभीर चुनौती के रूप में बनाना होगा। आज मन को बड़ा

* Speech was laid on the Table.

दुख होता है जब रिपोर्ट में यह प्रदर्शित किया जाता है कि हमारे पांचवीं के बच्चे दूसरे क्लास की पुस्तक नहीं पढ़ सकते। हमारे बच्चों की गणित व अंग्रेजी की नींव बहुत कमजोर होती है। इसमें अध्यापकों का ट्रेड न होना भी आग में घी का काम कर रहा है। ये भी सर्वे में आया है कि 20 प्रतिशत अध्यापक अपने योग्यता टेस्ट को पास ही नहीं कर पाते। यह देश के लिए बड़ा चिंता का विषय है। इसीलिए शिक्षा के क्षेत्र में और बड़े बदलाव की जरूरत है। बाजारीकरण के इस दौर में अभिभावक शिक्षा को बच्चे के द्वारा अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति का साधन भी मानते हैं। यद्यपि इसे गलत प्रवृत्ति भी कहा गया है क्योंकि बाजारीकरण की शिक्षा बच्चे के सर्वांगीण विकास में बाधा खड़ी कर सकती है।

यह सच है कि शिक्षा केन्द्र और राज्यों की मिलीजुली जिम्मेवारी है। यद्यपि 14वें फाइनेंस कमीशन ने राज्यों के वित्तीय अधिकार 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिए हैं। इससे राज्यों की शिक्षा पर खर्च करने की जिम्मेवारी अधिक बढ़ गयी है। यद्यपि हमारे आलोचक सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मिल, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, टीचर ट्रेनिंग जैसी मदों में बजट में कमी की बात कहकर हमारे ऊपर निशाना साध रहे हैं। हमें राज्यों के साथ ठोस ढंग से बात करके इस भ्रांति को मिटाना होगा और चाहे हमें कोई भी तकनीक अपनानी पड़े, हमें इस क्षेत्र में धन की उपलब्धि बढ़ानी पड़ेगी। हमें सर्वशिक्षा अभियान में ट्रांसपेरेंसी भी लानी होगी और अध्यापकों की भर्ती करते वक्त क्वालीफाइड अध्यापकों की भर्ती पर भी जोर देना होगा। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूँगा कि 68 साल की आजादी के बाद आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है कि अक्वल में तो गाँवों में स्कूल नहीं है, स्कूल हैं तो सिंगल अध्यापक है, आधारभूत ढाँचे की कमी है। हमें इस ओर ध्यान देना होगा। मैं मंत्री महोदय को बधाई भी देना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री द्वारा अपनाए गए स्वच्छता अभियान के अंतर्गत स्कूली बच्चों के लिए टॉयलेट बनाने का क्रांतिकारी कदम सरकार ने उठाया है। मैं ये भी अनुरोध करना चाहूँगा कि सरकार इस अवधारणा को समाप्त करे कि प्राइवेट स्कूलों में ही गुणवत्ता की शिक्षा मिलती है। हमें आरटीई एक्ट के अनुसार क्लास में अध्यापक व बच्चों का 1.30 के रेशियो को भी बनाकर रखना होगा और शिक्षा के लिए हमने जो भी योजना बनाई है उस योजना को हमें एक निश्चित समय में लागू करना होगा ताकि कोई योजना पिछड़ न जाए।

मैं अंबाला लोक सभा क्षेत्र से चुनकर आता हूँ जो एक आरक्षित क्षेत्र है। मेरे क्षेत्र का विकास पिछले कई दशकों से रुका पड़ा है। जब 1966 में हरियाणा का निर्माण हुआ तब अंबाला गेटवे ऑफ हरियाणा कहा जाता था। यह प्रदेश का हर क्षेत्र में उन्नत लोक सभा क्षेत्र था, परंतु आज वहाँ न कोई आईआईएम है न कोई आईआईटी है, न कोई स्किल डेवलेपमेंट के लिए कोई संस्थान है। छात्राओं के लिए भी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। मेरी लोक सभा का पंचकूला जिला हरियाणा की मिनी राजधानी कहा जाता है। फिर शिक्षा के क्षेत्र में वहाँ पर कोई बड़ा संस्थान आज तक क्यों नहीं आया। आज भारत सरकार बाबा साहेब डॉ०

भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती मनाने जा रही है। भारत सरकार ने इस दिशा में बहुत सकारात्मक कदम उठाए हैं। मैं इस जयंती वर्ष में माननीय मंत्री महोदय से ये अनुरोध करूँगा कि मेरे क्षेत्र में बाबा साहेब डॉ० भीमराव अंबेडकर के नाम से एक विश्वविद्यालय बनाया जाए। महिला विश्वविद्यालय बनाया जाए, आईआईएम, आईआईटी जैसी संस्था लायी जाए। मैं यह भी मांग करूँगा कि दलित छात्रों के स्कॉलरशिप में वृद्धि की जाए एवं उनके लिए आधुनिक छात्रावास बनाए जाए। ताकि उनको उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कोई तकलीफ न आए। अतः मैं इन मांगों का समर्थन करता हूँ।

***SHRI S.R. VIJAYA KUMAR (CHENNAI CENTRAL) :** I thank our beloved leader Hon. Makkalin Mudalvar Idhaya Deivam Puratchi Thalaivi Dr. Amma for having given me an opportunity to represent Central Chennai Lok Sabha Constituency in this august House and also for enabling me to express my views on the Demands for Grants for the Ministry of Human Resource Development for the year 2015-16.

The Ministry of Human Resource Development comprises two Departments viz. the Department of School Education and Literacy and the Department of Higher Education.

The Budget Estimates for the Department of School Education and Literacy stands at Rs.42,219.50 crores out of which Rs.39,038.50 crores for Plan outlay and Rs.3,181.00 crores for Non-Plan outlay. The total Budget Estimates for this Department has been reduced from Rs.55,115.10 crores for the fiscal 2014-15 to the present Rs.42,219.50 crores. The Government intends upgrading over 80,000 secondary schools and add or upgrade 75,000 junior/middle to the senior secondary level to ensure that there is a senior secondary school within 5 km reach of each child. In order to achieve universal school education and continuing the many ongoing schemes under this Department, the Budget allocation for the year 2015-16 has been increased from the previous fiscal. Let us hope for rethink on this matter and enhancement of the outlay for the year 2015-16.

Enhancing the outlay for this Department is a must to meet the such school education related issues including mid-day meals. The shining example of the State of Tamil Nadu is providing mid-day meal to the school children with balanced nutrition and also providing the students free of cost with all necessary things like bicycles, books, mathematical instruments, atlas, uniform, bags, shoes etc. to all school going children and even laptop, computers to higher secondary, ITI, Polytechnic and College students should be studied by the Central Government for universal implementation.

* Speech was laid on the Table

The Budget Estimates for the Department of Higher Education stands at Rs.26,855.26 crores out of which Rs.15,855.26 crores for Plan outlay and Rs.11,000.00 crores for Non-Plan outlay. The total Budget Estimates for this Department has been reduced from Rs.27,656.00 crores for the fiscal 2014-15 to the present Rs.26,855.26 crores.

There are numerous proposals like setting up of new IIT in Karnataka and upgradation of Indian School of Mines, Dhanbad into a full-fledged IIT, setting up of Institutes of Science and Education Research in Nagaland and Odisha, a Centre for Film Production, Animation and Gaming in Arunachal Pradesh and Apprenticeship Training Institute for Women in Haryana and Uttarakhand, setting up All India Institutes of Medical Sciences (AIIMS) in Jammu and Kashmir, Punjab, Tamil Nadu, Himachal Pradesh and Assam. I fervently appeal for sanction of one more IIT for the state of Tamil Nadu and setting up the proposed All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) within this fiscal.

It is observed that the total slash in the education sector as compared to the revised allocation in 2014-15 fiscal is 2.02%. In total, the school education and literacy department and higher education department have got a total of approximately Rs.69.074 crores. The revised estimate for 2014-15 was approximately Rs.70,505 crores. The cut is, however, about 16.54% if compared with the actual outlay the 2014-15 fiscal.

The huge reduction in the outlay for both the school education and literacy department and the higher education department will delay our efforts in achieving the objectives of providing a better school education and state of the art higher education.

I would, therefore, urge upon the Government to revisit the allocation matter and enhance it to reasonable higher levels so as to help the important education sector.

I would once again thank our revered leader Dr. Amma and the Chair for this opportunity and conclude.

***श्री श्रीरंग अप्पा बारणे (मावल):** शिक्षा केवल कार्यक्षमता को बढ़ाने का मात्र साधन नहीं है यह जन साधारण की सहभागिता को व्यापक बनाने और व्यक्ति समाज की समग्र गुणवत्ता को प्रभावी बनाने का उपकरण भी है शिक्षा के माध्यम से ही किसी भी समाज को सभ्य और सुविकसित बनाया जा सकता है। इसी सोच को ध्यान में रख कर वर्तमान सरकार कार्य कर रही है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन दो विभाग शिक्षा और साक्षरता तथा उच्च शिक्षा विभाग है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग का उद्देश्य है राष्ट्र की मानव क्षमता का भरपूर उपयोग के लिए सभी को एक सामान शिक्षा मिले और उच्च शिक्षा विभाग का उद्देश्य समानता और उत्कृष्टता के साथ भारत की मानव क्षमता का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में हो, और आज के एक इस अत्यंत प्रतिस्पर्धा के वातावरण में अच्छे गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन आधार बहुत ही आवश्यक है इसी दिशा में पिछले कई दशकों से विकास की अवधारणा विकसित हुई है।

जहाँ एक ओर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार एवं शिक्षा का स्तर बढ़ाने हेतु नई नई योजनाएं बनाई जा रही है, वहीं शिक्षा के प्रति हमें जमीनी हकीकत को समझने की जरूरत हैं। देश के सरकारी शिक्षण संस्थान में हमें बेहतर शिक्षा मिलेगी या नहीं, यह बात हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। वर्तमान में कोई स्कूल भवन नहीं है। बच्चे खुले मैदानों या पेड़ के नीचे पढ़ाई करने को मजबूर हैं और अगर कहीं पर कोई स्कूल भवन है तो बहुत ही जर्जर हालत में है। स्कूल में बैठने के लिए फर्नीचर तक उपलब्ध नहीं है। छात्र-छात्राएं जमीन पर बैठकर पढ़ाई करते हैं अतः सरकार को इस हकीकत पर विचार करना होगा और इस स्थिति से निपटने के लिए व्यापक कार्यक्रम बनाने होंगे। तभी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं सफल साबित होंगी।

शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन तो किया जाता रहा है लेकिन मैं सरकार का ध्यान स्कूलों में शिक्षकों की कमी की ओर दिलाना चाहता हूँ। आज देश में कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ लगभग 500 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2 या 3 ही शिक्षक हैं। एक ही शिक्षक इतने छात्रों को कई विषयों की पढ़ाई कराते हैं। इस गंभीर स्थिति को भी समझने की जरूरत हैं अगर एक ही शिक्षक कई विषयों की पढ़ाई कराएगा तो शिक्षा का स्तर क्या होगा। यह अपने आप समझ में आता है अतः सरकार को सबसे पहले स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा करना होगा ताकि बच्चों को एक अच्छी शिक्षा मिल सके।

पिछले कुछ सालों से शिक्षा का व्यावसायीकरण बढ़ गया है। हर जगह कई निजी स्कूल खुल चुके हैं और इन निजी स्कूलों ने पूर्ण रूप से शिक्षा का व्यवसाय शुरू कर दिया है। आज के समय में निजी स्कूल

* Speech was laid on the Table.

वह सब शिक्षा देती हैं जिस प्रकार की शिक्षा मानव उत्थान के लिए जरूरी है। परंतु इस शिक्षा के बदले निजी स्कूल एनुअल चार्ज, एवं अन्य तरह तरह के चार्ज लगाकर अभिभावकों से मोटी रकम वसूलते हैं और हर साल 20 से 30 प्रतिशत तक फीस बढ़ा रहे हैं। मेरा सुझाव है कि सरकार इस प्रकार निजी स्कूलों द्वारा फीस बढ़ाए जाने से रोकने हेतु उचित कार्यवाही करे और शिक्षा के व्यवसायीकरण कारण को रोकें तथा निजी स्कूल पर सरकार का नियंत्रण और बढ़ाया जाए।

इस बात को नाकारा नहीं जा सकता है कि सरकारी स्कूलों की स्थिति अभी भी दयनीय है और हम उच्च गुणवत्ता की शिक्षा की बात करते हैं। आज भी देश के सभी सरकारी स्कूलों में आवश्यक सुविधाओं की कमी नजर आती है। देश में जितने भी सरकारी स्कूल हैं वहां पर शौचालय, पीने का पानी, उचित प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेलने की सामग्री और खेल मैदान तथा खेल प्रशिक्षक की बेहद कमी है और करीब 700-800 बच्चों पर मात्र 35-40 कंप्यूटर उपलब्ध हैं और इसी के चलते लोग सरकारी स्कूल में बच्चों को भेजना पसंद नहीं करते और मेरा ऐसा मानना है कि जब तक इन सब तरह की सुविधाओं की पूर्ति नहीं की जाएगी तब तक शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ पाएगा और देश के नागरिक विशेषकर शहरों में रहने वाले लोगों को सरकारी स्कूलों पर भरोसा नहीं होगा। यदि हमें लोगों का भरोसा इन सरकारी स्कूलों पर बढ़ाना है तो हमें सभी सरकारी स्कूलों में सभी आवश्यक सुविधाओं के साथ-साथ शिक्षकों की संख्या भी बढ़ानी होगी।

केन्द्रीय विद्यालय एवं जवाहर नवोदय विद्यालय में शिक्षा का स्तर बाकी सरकारी स्कूलों से बेहतर है और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रत्येक सांसद के लिए उनके क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय में प्रवेश दिलाने हेतु प्रतिवर्ष 6 सीट का कोटा निर्धारित किया हुआ है। इन मात्र 6 सीट के लिए हमारे पास प्रतिवर्ष 400-500 लोगों का आवेदन आता है और यह हमारे लिए कठिन स्थिति बन जाती है। अतः मैं मानव संसाधन विकास मंत्री जी से आग्रह करूँगा की केन्द्रीय विद्यालय में प्रत्येक सांसद को उसके क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक केन्द्रीय विद्यालय के लिए 10-10 सीट का कोटा बनाया जाए जिससे की क्षेत्र वासियों की कोई नाराजगी न हो और बच्चों को भी एक बेहतर शिक्षा मिले सके।

***SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK):** All the Governments around the world recognize the importance of education. Only those societies that have acquired the relevant knowledge and skills can compete successfully in the global market today and it depends on the quality and standard of education that the children and youth received. Therefore investments on education has emerged as a power mechanism for accelerating growth and development of a nation. Education is not only an instrument of enhancing efficiency but also an efficient tool for augmenting and widening democratic participation and upgrading the overall quality of individual and society. India has a vast population and to capture the potential demographic dividend to remove the acute regional, social and gender imbalances, there is a need to make concerted efforts for improving the quality of education as mere quantitative expansion will not deliver the desired results in view of fast changing domestic and global scenario.

While primary education is fundamental to the nation, higher education determines its economic and technological progress in the globalized era. The Ministry of Human Resource Development has two departments, that is, Department of School Education and Literacy and the Department of Higher Education. I would like to deal with these two departments, separately and specifically on this year's budgetary allocation. Union Budget 2015-16 has brought mixed reactions. While Higher education, skill development and jobs have received more importance, I feel, basic issues in the educational sector have been neglected or is seen as very less important. A total of Rs.68,968 crore has been allocated to the education sector. Higher education department has got Rs.26,855 crore in 2015-16 which is 13.31 per cent higher than the previous year when it got Rs.23,700 crore in 2014-15. The focus towards quality education is demonstrated by planning to upgrade over 80,000 secondary schools and add or upgrade 75,000 junior/middle to senior secondary level. Sarva Shiksha Abiyan (SSA) has been allocated Rs.100 crore as compared to Rs.93.14 crore last year.

* Speech was laid on the Table

Yet, I would say there has been a marginally reduction on the overall allocation towards education. About 22% increase towards higher education is there and this indicates that there is a shift in focus from school to higher education. The Government has set aside Rs.42,219.5 crore for the Department of School Education for 2015-16 as compared to Rs.46.805 crore last year. The allocation in the school sector was cut by around 10% in the planned outlay from Rs.43,517.9 crore in the last budget to Rs.39,038 crore. The Mid-day Meal Scheme suffered a drastic fund cut from Rs.1296.5 crore last year to Rs.133 crore this year. There is great deal of talk to provide quality education. But there is little mention of how to make education to all at the grass-root level.

The deteriorating learning quality in Government schools is currently one of the most discussed issues in the education sector. Economic Survey 2014-15 also has flagged issues like how more than one crore children are missing out on the benefits of legislation like RTE Act. Though there are improvement in Literacy rate and school enrolment, learning scenario in India is dismal in international comparison. NCERT also has pointed out that learning is a big challenge in the Indian Education sector. The levels of learning vary across states, gender, social ground and regions. The situation is more severe in higher levels of education. In a Continuous and Comprehensive Evaluation (CCE) of CBSE for 2 lakh students in Class IX, only 90 thousand could pass the evaluation. Poor learning at earlier stages of education was identified as a key reason for this failure.

Elementary education is a fundamental right of every child in the age group 6-14 years. The total population of children in this age group in approximately 237 million. Total population of children of age group of 0-18 years is 442 million. Right to Education Act is in force since 2009. Though many circulars have been issued by the Central and State Governments for effective implementation of the Act, very little progress has been made. Though the demand for education is expanding the enrolment in government schools has been

decreasing over time. As per Annual Status of Education Report (ASER) data, private school enrolment in rural India is increasing at an annual rate of 10 per cent. In 2014, more than 30 per cent of children in rural areas were enrolled in private schools. The poor quality of output in the form of learning outcomes is one of major reasons for this preference shift. Therefore, there is need to make adequate allocations for universalisation of elementary and secondary education across the country. The recommendation of Kothari Commission in 1966 for 6 per cent of GNP for public expenditure on education is still unmet. At present, the Union Government bears only one fourth of the total government spending on education, whereas the rest three fourth of the spending come from the state governments.

As education is in concurrent list, the Union government needs to take a larger responsibility towards promising financial resources for education. They constitute 39 per cent of India's population, making the country home to 20 per cent of the world's child population, but children received the lowest share in the Budget this time. The education sector has 2% cut in the outlay in this Budget even as the Government propose to set up new IITs and IIMs in some states. This year's budget has marginally reduced overall allocation towards education but increased the planned higher education budget by nearly 22%. This shows there is a shift in focus from school to higher education, but increase of about Rs.3000 crore, from revised estimate of Rs.23,400 to Rs.26,855 crore, will not be enough to power the new IITs, five new IIMs. On an average one IIT costs Rs.1750 crore and an IIM nearly Rs.1000 crore. So is the case of establishing new Indian Institutes of Science and Education Research in Bhubaneswar and one in Nagaland. This will entail big expenditure. Where is the money? Larger problem afflicting higher education is the pathetic condition of state universities. In its last leg UPA-II had come up with an ambitious Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA) to state universities. Many states have come on board, but this Government seems less enthusiastic about RUSA.

While discussing Demands for Grants on HRD, I would say the overall provision for education in the budget is not that encouraging. Though the focus on higher education is appreciable, but strengthening of the state higher education institutions- a dire necessity of time- is not seen in the budget. Now states have to spend more on key school schemes. UGC stares at fund crunch as Government does not budget for its costs.

It is not that higher education is only in difficulty, technical education is in shambles. Indian education, be it school education, higher education or technical education, requires a serious change in the mindset. Education is the foundation of society, its values, culture and progress. It is time we bring back the archetypal school teacher. It is also time to realize that education too is serious a business to be left to the private sector.

***KUMARI SHOBHA KARANDLAJE (UDUPI CHIKMAGALUR):** The quality of primary education in India has been a cause for concern for quite some time. While the current policy, including a new legislation for Universal Education, lays out a grand vision of raising children's education profile, it barely lays emphasis on developing their skills to learn.

There is rapid fall in quality of education in a country where education is a constitutionally guaranteed fundamental right. Poor families in rural India are spending a lot of hard-to-find cash to get half-baked education for their children. Even as the Government undertakes to educate all its children under the Right to Education (RTE) Act, private schools are mushrooming in rural India and attract 10% more students every year, compared to the previous year.

There has been a feeling that RTE may have led to relaxation of classroom teaching since all exams and assessments are scrapped and no child is to be kept back. Teaching learning of basic foundational skills should be the main agenda for primary education in India. There is a national crisis in learning. The quality of education and performance of the students in both Government and private schools have to improve and the Government has to check the invasion of the sector by private capital. With or our without RTE, even the primary school education in moving in the same direction.

The Annual Status of Education Report (ASER) released in 2013 had some startling observations on reading and math levels in all Indian States. In 2010, nationally, 46.3 per cent of all children in Class V could not read a Class-II level text. This proportion increased to 51.8 per cent in 2011 and further to 53.2 per cent in 2012. This decline in reading levels is mainly in States such as Haryana, Bihar, Madhya Pradesh, Maharashtra and Kerala, which happens to be the most literate state in the country. In Maths, the situation seems as grim, especially in Government schools.

* Speech was laid on the Table

Clearly, the public education sector has failed in building strong institutional mechanisms to promote learning skills. New policy initiatives do not inspire confidence either. The Right to Education Act, for instance, requires School Management Committees (SMC) to be set up to co-ordinate activities in every Government school. The SMC oversees the operations of the schools and receives funding from the State and Central Government. Three-fourths of the SMC should consist of parents and the rest local authorities, teachers and educationists. The idea was to have increased community participation in the school's operation. A working paper by the Delhi based Centre for Civil Society says that School Development Plans are barely functional in SMCs and that members are unaware of their responsibilities.

The teaching system needs to cater to students with unique skill sets and these skills need to be developed at the primary level. For that to happen., the teaching evaluation system has to be overhauled. Over 99 per cent of the 7.95 lakh teachers who appeared for the Central Teacher Eligibility Test in 2012, a benchmark for teacher eligibility, failed to clear the exam. This is largely due to the outdated B.Ed degree system. An NCERT paper says the B.Ed Programme is too short and focuses on 'rote memorisation' rather than 'teaching for understanding'.

The National Curriculum Framework for Teacher Education of 2009 recommended longer preparation for teachers, but the B.Ed curriculum structure continued to be for a single year. There is also a lack of enough skilled trainers and preparation to develop skills, abilities and attitudes to teach students.

Clearly, the primary education system in the country is broken and attempts to fix it are feeble. Unless the problem is addressed quickly, these young ones would grow to join the swelling ranks of the educated unemployables in the country.

Four steps that could transform India's education system from a medicore to a world-class system are :-

First, it is important not only to invest more in education but to do so more strategically. Government should invest more resources in teacher education and development, principal training, ICT in education and assessments. Furthermore, a portion of the budget allocation to states should be contingent upon the adoption of progressive education policies and improvement of outcomes.

Second, improve quality standards through nationwide assessments. Assessments need to be at the core of any planning exercise for improving India's education system. The Government should introduce state-wide learning assessments that are undertaken at regular periods during a child's school journey, which can also contribute to remediation and improvement in teaching. Additionally, a school rating system should be instituted to set targets for school level improvements.

Gujarat Government has already taken a lead in this regard with the Gunotsav Programme, an accountability framework for quality of primary education that includes learning outcomes of children as well as co-scholastic activities, optimal use of financial resources and community participation. This model can be replicated in other states.

Third, equip school principals to become efficient school leaders. Great leaders make great institutions, in every sphere. In schools, principals are the highest point of leverage, yet their role is often restricted to administrative functions. There is a need to re-imagine the role of the principal- as an instructional leader, rather than an administrator. Moreover, we need to institute stricter guidelines for recruitment of school leaders that prioritise merit over seniority. Gujarat has again taken the lead by establishing the Headmaster eligibility test for selection of its principals. The government should set up centres for school leadership in every State and mandate induction as well as ongoing training for all principals.

Fourth, improve teacher quality for better learning outcomes. It is unfortunate that teaching today does not attract the best talent. We need public

awareness campaigns in India that are able to effectively project teaching as a rewarding and meaningful profession. Centres of Excellence need to be created for teacher education in prestigious universities across India. Our Teacher Education Institutes (TEI) capacity is extremely fragmented with over 11 lakh seats in 14,000 TEIs. Most of this capacity is of poor quality that has been created through non-transparent, poorly formulated TEI recognition procedures. Government should build and scale high-quality institutes at top 10 Central Universities and strengthen SCERTs and DISEs (District Information System of Education).

I believe that every child in India deserves excellent education. I also believe that given the vastness and diversity of our country we can only succeed through experimentation and analysis, rather than a mere adoption of predefined rules. Our country needs bold reforms and focused implementation with clear targets for learning outcomes to achieve this goal.

Our emerging market peers- China, Brazil and Poland, among others - have made education reform a priority as they recognize it as the surest path to sustained economic development. The future of 240 million children is at stake, and as concerned citizen, I urge Government's attention to these bold steps that can truly improve their lives. With these words, I conclude.

***SHRI GAJENDRA SINGH SHEKHAWAT (JODHPUR):** Why is India still a developing country and what is stopping it from being a developed country? This particular question strikes me every time when I read something about India's education system. I see India's education system as a stalling block towards its objective of achieving inclusive growth.

Let me inform the Government which all of us realize about certain startling facts. India is going to experience a paradox of nearly 90 million people joining the workforce but most of them will lack requisite skills and the mindset for productive employment according to a report in DNA. India has about 550 million people under the age of 25 years out of which only 11% are enrolled in tertiary institutions compared to the world average of 23%.

I wouldn't be laying too much emphasis on the drawback of India's public education system and its history or its origin because it has been an issue well debated in the past and the main flows has already been pointed out before I will be focusing on how the education system's failure is leading to another social issue of income inequality and hence, suggest certain policies to improve India's education system and reduce inequality.

The really critical aspect of Indian public education system is its low quality. The actual quantity of schooling that children experience and the quality of teaching they receive are extremely insufficient in government schools. A common feature in all government schools is the poor quality of education, with weak infrastructure and inadequate pedagogic attention. What we are not realizing right now is the education which is a source enriching the human capital can create wide income inequalities. It will be surprising to see how income inequities are created within the same groups of educated people.

Certain policy measure need to be taken by the Government. The basic thrust of government education spending today must surely be to ensure that all

* Speech was laid on the Table

children have access to government schools and to raise the quality of education in those schools.

Another reason for poor quality of education is the poor quality of teachers in Government schools. Our Government schools are unable to attract good quality teachers due to inadequate teaching facilities and low salaries. The Government currently spends only 3% of its GDP on education which is inadequate and insufficient. To improve the quality of education the Government needs to spend more money from its offers on education.

Most economist feel that only panacea to the ills of the public schooling system is the voucher scheme. Under the voucher system, parents are allowed to chose a school for their children and they get full or partial reimbursement of their expenses from the Government. The present education system in India has come a long way and age old traditions have undergone a makeover to produce an ecosystem that is evolving every single day.

Initiatives like the 'Right to Education Act' have provided that emptive to growth and progress by laying special emphasis on elementary education in India, but this is not sufficient. 25% of the Indian population is illiterate. Only 7% of the population that goes to school managed to graduate and only 15% of those who enroll manage to make it to highs school and achieve a place in the higher education system.

A few reason why education in India is given less importance in some area as follows: 80% of the schools are managed by the government. Private schools are expensive and out of reach of the poor. More hand to earn remains the mentality amongst many families and therefore little kind are set out to fend for the family once over going to schools to garner adequate education in the most literate sense of the word. Infrastructure facilities at schools across rural areas and in slum dispense very poor quality of education. The teacher are not well qualified, and therefore not will be paid and therefore are not willing to work hard

enough. This has been a classical Catch-22 problem that the government has been trying hard to fight against.

The type of Education system in India can be classified as: (1)Pre Primary education in India; (2)Primary education in India; (3)Elementary education (4)Secondary education in India; and (5)Higher education in India

What do we need to change about the Indian Education System:-Focus on skill based education; reward creativity, original thinking, research and innovation; get semester people to teach; implement massive technology infrastructure; re-define the purpose of the education system; effective deregulation; take mediocrity out of the system; and allow private capital in education.

Education system in India is quite different from the curriculum followed in other countries of the world. Education system in India focus more on theory then other activities whereas countries like USA and Canada have divided their syllabuses into content, practical as well as sports and other curricular activities like music, dance, drama and so on. There are many other systems followed by other countries. So let us discuss the system adopted by a few countries to understand the Indian Education system.

United State divide their years of study into three stages: 1) Elementary school
2) Middle School ; and 3) High school

This concept builds a sense of progress in the kids from quite young age.

Australia - follows quite a different method in terms of their educational system. Australia is very famous and reputed about the education pattern followed there. It is divided into 3 parts: 1) The primary school; 2) Secondary school; and 3) College

Australia gives great importance to sports like cricket, hockey, boxing and offer scholarships to make students ready for events like Olympics making then the leader in many games played in the world.

Talking about education system followed in India it is focused mostly on theory and offers degrees in different fields which help children to aspire and take up relevant jobs in future. Educational years in India is divided into Kindergarten, primary, secondary, college, university level and finally post graduation.

The Indian Education system mainly focuses on cramming and not on the concept. Here the emphasis is more on getting good grades in the exams. Children are overburdened with theoretical knowledge with no trace of practical knowledge. As a result, when they are employed in firms requiring the use of practical knowledge they are out of the race.

I strongly feel that in this era of transition our country is undergoing, we must discuss the issue at length and rethink about the future of our education system for the future of the nation.

***श्रीमती संतोष अहलावत (झुंझुनू):** हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में मा0 वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली जी द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट के लिए शुभकामना देते हुए मैं माननीया मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की सराहना करती हूँ। भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न अभियानों जैसे मिड डे मील, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आदि को सुचारू ढंग से चलवाने के लिए बधाई देती हूँ।

मेरा संसदीय क्षेत्र झुंझुनू शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। देश के कोने-कोने में मेरे यहां से शिक्षित लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं। शिक्षा के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय मंत्री महोदया से अपने संसदीय झुंझुनू में एक केन्द्रीय विद्यालय बुहाना में खोलने का आग्रह करती हूँ जिससे शिक्षा के क्षेत्र में और विकास कर सके तथा देश को शिक्षित नागरिक दे सकें।

* Speech was laid on the Table.

श्री सी.आर.चौधरी (नागौर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने एचआरडी मिनिस्ट्री की डिमाण्ड्स फॉर ग्राण्ट्स पर बोलने के लिए अवसर दिया, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ।

बजट की कटौती को लेकर हमारे कुछ साथी ज्यादा चिन्तित नजर आए, वास्तविकता यह है कि बजट में पहले वाले वर्ष में जितना पैसा खर्च किया है, उसको मद्देनजर रखते हुए बजट तैयार किया जाता है। वर्ष 2014-15 में बजट पूरा एग्जास्ट नहीं हो पाया, इस कारण से संभवतः फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में कुछ कटौती की होगी। दूसरे, बजट की चिन्ता किसी को करने की जरूरत नहीं है, जब हमारी फ्लैगशिप योजनाएं, जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी एवं एचआरडी मंत्री महोदया ने लागू किया है, बहुत उत्साहनजक और अच्छी योजनाएं हैं। तब निश्चित रूप से हमारी सरकार कटिबद्ध है, किसी प्रकार से बजट की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, बशर्ते वह सही जगह पर खर्च हो, तभी बजट दुबारा दिया जा सकता है। Thirdly, share of the state is being enhanced from 32 per cent to 42 per cent, which was announced by our hon. Prime Minister and by the 14th Finance Commission. इस कारण राज्यों के पास दस प्रतिशत पैसा ज्यादा जा रहा है। यदि राज्यों को कहीं कोई कमी नजर आ रही है तो उससे उसे पूर्ण कर सकते हैं। लिहाजा, बजट के बारे में हमारे जिन साथियों ने चिन्ता जाहिर की है, मेरा उनसे यही अनुरोध है।

आज मेरा मेन इम्फेसिस क्वाण्टिटिव एंड क्वालिटेटिव एजुकेशन पर रहेगा, आज मैं इसी के बारे में आपसे निवेदन करना चाहूंगा। देश में वास्तव में आजादी के पश्चात शिक्षा में काफी प्रगति हुई है, बहुत अच्छा कार्य हुआ है। जहां पहले बीस-बीस किलोमीटर तक सेकेण्डरी स्कूल नहीं थे, मिडिल स्कूल नहीं थे, वहां आज ऐसा कोई ढाणी या मजरा नहीं है, जहां पर स्कूल नहीं है। प्राथमिक पाठशालाएं खोली गयी हैं। चाहे सरकार कोई भी रही हो, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र को अहमियत दी गयी है। आज हमारी सरकार ने यह तय किया है कि पांच किलोमीटर के दायरे के अंदर हर जगह सीनियर सेकेण्डरी स्कूल होना चाहिए और उसी के तहत 80 हजार सीनियर सेकेण्डरी स्कूल एवं 75 हजार सेकेण्डरी स्कूल खोलने का विचार है। मैं अपने राज्य के बारे में बताता हूँ, जहां राजस्थान सरकार एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने यह घोषणा की है कि कोई भी पंचायत हेडक्वार्टर ऐसा नहीं होगा, जहां सीनियर सेकेण्डरी स्कूल नहीं हो। यह बहुत अच्छा, सराहनीय कदम है, जो राजस्थान सरकार द्वारा एनाउंस किया गया है।

इसी प्रकार से प्राइमरी स्कूलों की बात है, कहा गया है कि इनकी कोई कमी नहीं होगी। जहां-जहां ये स्कूल नहीं हैं, वहां पर हमारी राज्य सरकार ने इनकी व्यवस्था कराई है। जहां तक बच्चों की बात है, राइट टू एजुकेशन एक्ट जब अप्रैल 2010 में लागू हुआ, तब से GER (Gross Enrolment Ratio) is about 100 per cent in the primary level, it is 87-90 per cent in the upper primary level; and slightly less, around 50 per cent, in the secondary and senior secondary levels, जो थोड़ा चिंता का विषय है। हम कहते हैं कि क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, क्वालिटी की ओर ध्यान देना चाहिए। आज भी उच्च शिक्षा में 15 per cent students are going or enrolling in the universities and colleges. हमारी सरकार ने तय किया है कि by 2020, it will be increased up to 30 per cent. The hon. Minister is here. 30 प्रतिशत तक युनिवर्सिटी और कालेज में Enrolment का लक्ष्य रखा गया है। उसकी सराहना की जानी चाहिए और we will certainly achieve this target. यह 2020 तक करने की बात कही है। क्वांटिटी देखते हैं तो काफी हद तक देश में शिक्षा का प्रचार हो रहा है, जहां तक क्वालिटी की बात है, इसकी ओर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। उसका कारण यह है कि पिछले एक साल में जो आपने ट्रिपल आईटीज़, आईआईए या आईटीआई या आईआईटी डिजाइन सम्बन्धी जो बिल पास किए, चम्पारण में सेंट्रल युनिवर्सिटी खोलने सम्बन्धी बिल पास किया, ग्लोबल स्तर की संस्थान कायम करने का जो आपका इरादा है और उसकी ओर आप अग्रसर हैं, उसके लिए हम माननीय मंत्री महोदया को बधाई देते हैं। मेरा यह भी कहना है कि शिक्षा ज्यादा से ज्यादा रोजगारपरक होनी चाहिए जबकि अभी engineering graduates, even only 20 per cent graduates are employable. We have to take care of them also. अच्छी पढ़ाई कराएं, उनकी ट्रेनिंग, प्लेसमेंट और बेस्ट एजुकेशन तीनों जब साथ चलेंगे तो हम एजुकेशन की फील्ड में आगे जाएंगे।

सन् 2007 में हमारा ड्रॉपआउट रेशो 9.4 प्रतिशत था। That came to 4.7 per cent. The Ministry has to take care of even this also. ड्रॉपआउट कम से कम हो। We should bring the drop-out rate to zero per cent. इसी प्रकार से प्राइमरी के छोटे बच्चे हैं।

They are not coming to the schools. उन्हें स्कूल लाने का प्रयास करेंगे, five per cent of the schools are not having drinking water. 17 per cent of the schools do not have separate toilets for girls. जिसके लिए माननीय प्रधान मंत्री जी ने स्वस्थ भारत - स्वस्थ विद्यालय की बात कही है, उसके तहत करोड़ों रुपए खर्च भी हो रहे हैं। Even as Members of Parliament, all

must be doing but I did it. I have given Rs.1 crore to the scheme for building separate toilets for girls to different schools in my constituency. हर सांसद इस काम को कर रहा है। 42 per cent of the schools are not having boundary walls. सबसे बड़ी दिक्कत है। But it is a problem of all. आपका जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है, उसके तहत आप स्कूलों के कमरे बनाने की स्वीकृति देते हैं। What about the old ones? जो जर्जर हो रहे हैं। Even under the MPLAD fund, we cannot get it repaired. We cannot get them repaired from our fund. इसलिए उसे थोड़ा ज्यादा करने की जरूरत है ताकि बच्चों के बैठने के लिए स्कूलों में जो कमरे जर्जर हो रहे हैं, वे ठीक हो सकें। अभी तक आठवीं क्लास की परीक्षा तक हर विद्यार्थी को पास होना जरूरी है, यह ठीक बात है। मेरा तो मानना है कि आठवीं की परीक्षा बोर्ड की होनी चाहिए। It should be a uniform decision. It should be the decision of the Central Government, and all the State and UT Governments will follow that. इस प्रकार की व्यवस्था की जाए। जहां तक टीचर्स की रिक्रूटमेंट का सवाल है, there is a shortage of teachers. उसके लिए मंत्री जी चिंता कर रही हैं। There is a shortage of 30 per cent teachers in colleges and universities. कई जगह पर जैसे राज्यों में छोटे-छोटे मामलों को लेकर लोग लिटीगेशन में चले गए हैं। राजस्थान में एक मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो हमारी मुख्य मंत्री जी ने एफिडेविट दिलाकर 12,000 टीचर्स की भर्ती कर दी, जो पाइपलाइन में थे। बिहार और यूपी ऐसे दो राज्य हैं, जहां यह कम है।

मैं अंत में एक निवेदन और करना चाहूंगा कि केन्द्रीय विद्यालय बहुत ही अच्छे विद्यालय हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि भारत के हर डिस्ट्रिक्ट में एक केन्द्रीय विद्यालय होना चाहिए। आज के बच्चों और पैरेंट्स की जो मांग है, उनके अनुसार हम आपसे निवेदन कर रहे हैं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं विभाग की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूँ।

*SHRI GAURAV GOGOI (KALIABOR): For a developing country and emerging economy like India, education of our children and youth deserves utmost priority. In our history when India won its Independence, our education sector faced huge challenges such as dismal literacy, poor enrollment, low participation of female students and limited outreach of Government schools. In the past 60 years under successive governments the situation improved significantly. There are greater number of girl students, nearly 90% enrollment of students, around 73% literacy rate and massive increase in school infrastructure especially in poor and remote areas. Undoubtedly, Government policies such as Right to Education, Mid –day Meal. Sarva Shiksha Abhiyan ensured that families with limited resources were able to send their children to school where they studied in a hygienic environment and nutritional support. Consequently, 60 years ago when education was unavailable to large parts of the child and youth population in contemporary India, it has become a right.

Now the current Government needs to reaffirm its priority to the education of our children. Unfortunately it has started off on the wrong foot. Reduction in the Budget for key government policies such as SSA, RMSA right is not right. There also has been concern about mixing mythology and science, high number of vacant VC posts and public discontent amongst Directors of top educational institutions.

The Ministry also has to ensure that the investment in Government schools yield better learning outcomes. Research indicates that private schools pay less salaries to their teachers but produce the same academic results as Government schools. This implies that the governance of Government schools must improve. This will not be provided without an increase in the budget of the HRD Ministry.

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा और मानव संसाधन मंत्रालय की मांगों पर बोलने के खड़ा हुआ हूँ। मानव संसाधन विभाग ज्ञान की रोशनी देने वाला, देश को एकता के सूत्र में बांधने वाला है। भारत एक अखण्ड देश है। ज्ञान तपस्या है, डैडिकेशन है। ज्ञान से मानसिक हीनता दूर की जा सकती है। इंसान पेट की भूख को 24 घण्टे तक सहन कर सकता है। लेकिन दिमाग से यदि कोई गुलाम बनाना चाहे तो इंसान को नहीं बनना चाहिए। ज्ञानहीन समाज से मानसिक हीनता पैदा होती है और जहाँ मानसिक हीनता पैदा होगी, वहाँ समाज की संरचना में उथल-पुथल पैदा होगी। जिससे समाज में कमियाँ आएंगी। इसलिए हमें ज्ञानवान समाज बनाना है। ज्ञान के मंदिर को बेहतर बनाना है।

13.46 hrs.

(Shri Arjun Charan Sethi in the Chair)

एक कहावत है कि हमारे हाथ की घड़ी को कोई छीन सकता है, हमारे हाथ की अंगूठी को कोई छीन सकता है, धन-दौलत को लूटा जा सकता है, लेकिन ज्ञान एक ऐसी चीज है, जिसे दुनिया में लूटा नहीं जा सकता है, केवल बांटा जा सकता है। इसलिए हमें शिक्षा पर विशेष जोर देना है और ज्ञानवान समाज बनाना है। ज्ञान उजाला है, पूर्णमासी है। पूर्णमासी में उजाला होता है। अज्ञान अमावस्या की काली रात है, अंधेरा है। ज्ञान के बिना जीवन में अंधेरा होता है। निरक्षरता मैली चादर है, जिसे उठा कर फेंकना भारत सरकार का कर्तव्य है, हर नागरिक का कर्तव्य है। इसके लिए समाज के प्रबुद्ध वर्ग को आगे आना चाहिए, केन्द्र सरकार और राज्य सरकार को आगे आना चाहिए। ज्ञान की हमारी धरोहर है विक्रमशिला। इतिहास में उसको ज्ञान की रोशनी फैलाने के लिए जाना जाता था। पूरी दुनिया में उसके ज्ञान का डंका बजता था। आज भी हमारे पास ज्ञान और कुशाग्रता है, क्षमता है, बुद्धि है। देश और दुनिया में हमारा नाम है। हमें शिक्षा पर विशेष जोर देना है। सरकारी स्कूल यदि कमजोर होगा तो भारत की शिक्षा कमजोर हो जाएगी। प्राइवेट स्कूल्स हमारा उद्धार नहीं कर सकते हैं। आज भी 70 परसेंट लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। इसीलिए सरकारी स्कूल को सभी साज-सज्जा से सुसज्जित करना, उनको हर तरह से बेहतर बनाना, हमारा कर्तव्य है। प्राइवेट स्कूल्स को इसलिए खोला गया था कि उनसे शिक्षा की रोशनी सभी तरफ पहुंचे, लेकिन हमें प्राइवेट स्कूल्स नहीं, सरकारी स्कूल्स यानी गांव के स्कूल्स, जो ज्ञान के मंदिर हैं। जहाँ समाज के सभी जाति, धर्म और मज़हब के छात्र, चाहे वह रिमोट इलाके के हों, आदिवासी हो, बैकवर्ड हो, पिछड़ा हो, दलित हो, शोषित हो, ज्ञान में बंटवारा नहीं होता है। नामांकन सही होना चाहिए, फर्जी नहीं होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा पर जोर देना चाहिए। एससी और एसटी की शिक्षा पर विशेष रूप से जोर देना चाहिए। ग्रामीण शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए। मिड-डे मील को बेहतर बनाना चाहिए। सर्व शिक्षा अभियान को बेहतर ढंग से गांव-गांव पहुंचाया जाना चाहिए। मिडिल क्लास में बोर्ड परीक्षा की शुरूआत फिर से की जानी चाहिए। नारी शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए। हम भाई की शिक्षा पर जोर देते हैं, छात्रों की शिक्षा

पर जोर देते हैं, लेकिन ये दोनों जीवन के पहिए हैं। जितना हम छात्रों की शिक्षा पर जोर देते हैं, उससे भी बढ़-चढ़ कर जब हम नारी शिक्षा पर जोर देंगे तभी शिक्षा के क्षेत्र में भारत देश समृद्ध होगा, ज्ञानवान होगा। इसलिए हमें शिक्षा में समता लानी है। गुणवत्ता को बेहतर करना है। मैं बांका संसदीय क्षेत्र से आता हूँ। वहाँ एक केन्द्रीय विद्यालय है, जो कि एक छोटे भवन में चल रहा है। मैंने माननीय मंत्री जी से इस बारे में आग्रह किया। इन्होंने उस पर ध्यान भी दिया। पत्राचार भी हुआ, लेकिन हम आग्रह करेंगे कि बांका के केन्द्रीय विद्यालय की पहली और दूसरी कक्षा बंद हो चुकी है। अब जमीन भी मिल चुकी है, इसलिए जल्दी से जल्दी राशि आवंटित करके बांका के केन्द्रीय विद्यालय को बेहतर बनाया जाए। नवोदय विद्यालय को बेहतर बनाया जाए। छात्रों को किताबों का बोझ नहीं दिया जाए, किताबों के बोझ से ज्ञान नहीं बढ़ता है। इसीलिए हमें आज मानव विकास के लिए शिक्षा पर जोर देना है, शौचालयों की व्यवस्था करनी है, पुस्तकालयों की व्यवस्था करनी है। हमें मीडिया का भी सहयोग लेना है और आज बेटे पढ़ाओ, बेटे बचाओ के नारे को मूर्तरूप देना है। उन्हें हमें शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञानवान बनाना है। हम लोग नारे लगाते थे, हम भी बिहार में शिक्षा मंत्री रहे हैं। हम कहते थे कि जन्म दिया तो शिक्षा दो, आधी रोटी खायेंगे, फिर भी स्कूल जायेंगे। यह हमारे नेता लालू जी ने हमें कहा कि नारा लगाओ - आधी रोटी खायेंगे, फिर भी स्कूल जायेंगे। जन्म दिया तो शिक्षा दो। इसीलिए यह हमारा कर्तव्य और फर्ज है कि आज हमें लोगों को शिक्षा देनी है। आज कक्षाओं की कमी है, लेकिन छात्रों की संख्या बढ़ी है। सारे देश में और बिहार में एक-एक कक्षा में तीन-तीन क्लास चलती हैं। आज शिक्षकों की देश में भारी कमी है, इसमें कैसे सुधार किया जा सकता है। इस बात पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। आज बहुत सारे रिमोट इलाके हैं, गरीब इलाके हैं, आदिवासी इलाके हैं, अल्पसंख्यक हैं, माइनोरिटीज हैं, हमें उनका हित भी देखना है। आज हमें चतुर्विध ज्ञान देना है। छात्रों के अनुपात में हमें शिक्षक देने हैं। यह आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। हम स्वदेशी भाषा, भारतीय भाषा का अधिक प्रयोग करें। इसीलिए आज हम यही कहना चाहते हैं कि जो हमारा सामाजिक दायित्व है, जो हमारा राजनीतिक दायित्व है, जो सरकार का दायित्व है कि शिक्षा को हमें बेहतर बनाना है। हमें सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में जो भी कमियां हैं, उन्हें दूर करना है। जब तक हम मानव का विकास नहीं करेंगे, शिक्षा का विकास नहीं करेंगे, बुनियादी शिक्षा पर ध्यान नहीं देंगे, प्राइमरी शिक्षा पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक हम प्रगति नहीं कर सकते। वही हमारी फाउंडेशन है, वही हमारी बुनियाद है, वही हमारी इमारत है। इसलिए चंदन की तरह उसकी सुवास आनी चाहिए। आज हमें समाज के सभी जाति, सभी धर्म, सभी मजहबों में जो हमारे अखंड भारत की ज्ञान की ज्योति है, उसे बेहतर तरीके से फैलाना है और ज्ञान की रोशनी को गांव-गांव तक पहुंचाना यही हमारा कर्तव्य है। इसीलिए हम माननीय शिक्षा मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि आज शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर गुणवत्ता के साथ शिक्षा को बेहतर बनाना हमारा

फर्ज है। जब हमारा ज्ञान ही खत्म हो जायेगा तो अंधकार हो जायेगा। इसीलिए भारत हमेशा से ज्ञान का संदेश बांटता आ रहा है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला) : माननीय सभापति जी, मैं सर्वप्रथम मानव संसाधन विकास मंत्री, श्रीमती स्मृति इरानी जी को अपने ओर से बधाई देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से वह इस विभाग को आगे बढ़ा रही हैं और विभिन्न कार्यक्रमों को प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गनिर्देशन में संचालित करने में अपना योगदान दे रही हैं, वह सराहनीय है। वर्ष 2015-2016 के लिए शिक्षा के क्षेत्र में जो बजट का प्रावधान सभी मदों को सामने रखकर किया है, वह 69074 करोड़ रुपये का है। एक बात कही जा रही है कि इस बार का बजट पिछले वर्षों से कम है। यह बात सही है, परंतु हमें इस बजट के आंकड़ों में नहीं देखना होगा। हमें यह भी देखना है कि 14वें वित्त आयोग द्वारा सीधे तौर से केन्द्र से दस प्रतिशत सीधी बढ़ौतरी हुई है और यदि पंचायतें और म्युनिसिपैलिटीज का जोड़ें तो केन्द्र से सीधा-सीधा लगभग 65 प्रतिशत से अधिक बजट का प्रावधान है।

इसी के साथ-साथ उच्च शिक्षा के बजट में 22 प्रतिशत की बढ़ौतरी भी की गई है। यानी उसे 13 हजार करोड़ रुपये बढ़ाकर 15855.26 करोड़ रुपये किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा का स्तर बढ़े, इस पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। भाजपा ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में शिक्षा के क्षेत्र में रिफॉर्म्स की बात कही थी। जिसमें लड़कियों की शिक्षा पर बल देना, ई-लर्निंग तथा नेशनल मल्टी स्किल मिशन की स्थापना पर बल दिया गया था। इस तरह से हमारा शिक्षा मंत्रालय आगे की ओर बढ़ रहा है और मुझे इस बात की खुशी है कि जो सर्व शिक्षा अभियान माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में एनडीए सरकार ने शुरू किया था, उससे ग्रामीण क्षेत्र में मैं बहुत से लाभ देखता हूँ, जहां स्कूल के लिए कमरा नहीं होता था, टीचर नहीं होते थे, वहां पर आज बेहतरीन प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल के कमरे हैं, टीचर्स हैं और सारी व्यवस्थाएं वहां उपलब्ध हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज देश में जहां 68 प्रतिशत के करीब औरतें अनपढ़ हैं, उन्हें आगे ले जाने के लिए अच्छे कार्यक्रम बनाए गए हैं, बेटे बचाओ, बेटे पढ़ाओ का कार्यक्रम बनाया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चियां स्कूल जाएं तो वहां पर लड़कियों के लिए अलग से शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है, इसके लिए मैं अपने मानव संसाधन मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ। देश में लड़कियां अच्छा काम कर रही हैं, अच्छाई आगे बढ़ रही है और मैं देख रहा हूँ कि यह हमारा जेंडर पैरिटी का जो रेश्यो है, सन् 1999 में 0.84 था, आज वह बढ़ कर सन् 2012 में 1.02 हो गया है। हम देख रहे हैं कि लड़कियां आज गांवों में ट्रिपल एम.ए. तक जा रही हैं, क्योंकि आज उनको वह एक्सपोजर मिला है। वे लड़कियां, जब उनको पढ़ाया नहीं जाता था, घर से माँ-बाप उनको स्कूल नहीं भेजते थे तो वे अनपढ़ रहती थीं, परंतु आज जब उनको इस एजुकेशन में एक्सपोजर दिया गया है तो हमारी बच्चियां एम.ए. नहीं, डबल एम.ए. नहीं, बल्कि ट्रिपल एम.ए. घर में बैठ कर रही हैं। इसी तरह से

आपने दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में कौशल विकास के लिए प्रोत्साहन दिया है और माननीय प्रधान मंत्री जी एक अलग से कौशल विकास का मंत्रालय बनाया है, उसके लिए 1500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है, जिससे बैनिफिट होने वाला है।

महोदय, इससे पहले जो शिक्षा नीति थी, उसमें हम क्लर्क्स प्रोड्युज़ करते थे, क्लास 4 एंप्लाइज़ प्रोड्युज़ कर रहे थे, परंतु आज जो कौशल की जरूरत है, हमारा जो पढ़ा-लिखा नौजवान है, उसको नौकरी नहीं मिल रही है, जब तक स्किल डिवेलपमेंट नहीं होगा, तब तक नौजवानों का फ्युचर अंधकारमय है, इसलिए आपकी ये योजनाएं इसमें आई हैं, इसलिए भी मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपने पढ़े भारत, बढ़े भारत की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत जो छोटी श्रेणी में, क्लास 1 और क्लास 2 के बच्चे जो पढ़ते हैं, परंतु उनको अक्षर का ज्ञान नहीं है, डिजिट का ज्ञान नहीं है, इसके माध्यम से उनको ज्ञान होगा और हिसाब में, मैथ्स में उनका स्टैंडर्ड अच्छा बढ़े तो उसके लिए भी पढ़े भारत बढ़े भारत में लाभ होगा और यह बड़े खेद का विषय है कि आज अगर हम एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2014 को अगर ठीक तरह से एनालाइज़ करें तो उसमें यह सब कुछ पता चल जाएगा कि हम बच्चों को पढ़ा तो रहे हैं और मंत्री जी यहां पर बैठी हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि यह जो सिस्टम पिछली सरकार ने शुरू किया कि हम पहली से ले कर आठवीं तक बिना ब्रेक के बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं तो कई बार कहता हूँ कि यह तो इस प्रकार से हो गया कि आप बच्चे को पहाड़ी पर ले जाओ और उसको साइकल दे दो, साइकल पर बिठा दो और फिर उसको धक्का दे कर कहें कि बेटा चल। यानि बिना किसी ब्रेक के आप उस बच्चे को किस प्रकार की शिक्षा देना चाहते हैं। उसको कुछ पढ़ना-लिखना नहीं आ रहा है, हिसाब के वह दो जमा दो नहीं कर सकता है, घटा नहीं सकता है। इस पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। शाला दर्पण नामक एक अच्छा कार्यक्रम आपने शुरू किया है। पंडित मदन मोहन मालवीय टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम आपने शुरू किया है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसाज़ के लिए सौ करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जिसमें 10 लाख मुस्लिम बच्चों को आगे की शिक्षा के लिए उसमें व्यवस्था की है। कैंपस कनेक्ट के लिए आपने उच्च शिक्षा के लिए एक बड़ी अच्छी शुरुआत की है, जिसमें 21 हजार कॉलेजों के 20 हजार क्लासरूम्स यानि 4.2 लाख क्लासरूम्स वाईफाई होंगे, क्योंकि डिजिटल इंडिया बनाना है तो इसकी तरफ हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। लगभग डेढ़ करोड़ विद्यार्थियों को इसका लाभ होगा। 600 यूनिवर्सिटियां इससे वाई-फाई कर दी जाएंगी, ई-लाइब्रेरी हो, मूक प्लेटफार्म आदि की जितनी योजनाएं आपने दी हैं, वे बहुत अच्छी हैं। आपने बहुत से आईआईएम, ट्रिपल आईटीज़ और आईआईटी, एनआईटी खोले हैं। आईआईएम और आईआईटीज़ के लिए 1 हजार करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान किया है। इसके लिए भी मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। एक बात जो प्रधान मंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के अंतर्गत आपने जो

शुरूआत की है, उच्च शिक्षा के लिए, वह बहुत अच्छी है और माननीय फाइनेंस मिनिस्टर अपने बजट में कहा है कि हम सैकेंड्री एजुकेशन के लिए बच्चों को पांच किलोमीटर से ज्यादा नहीं चलने देंगे। इसलिए 80 हजार सैकेंड्री स्कूल को अपग्रेड करना, उसको खोलना और 75 हजार जूनियर स्कूलों को अपग्रेड करना और खोलना, यह बहुत अच्छा काम आपने किया है। मैं दो-तीन बिंदु माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूँ। हम आज गांवों में देख रहे हैं कि सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं और वहां पर जो प्राइवेट स्कूल शुरू हो रहे हैं, परंतु खेद तब होता है, जब हमारे बड़े-बड़े अधिकारी, चाहे वे एजुकेशन में अच्छे अधिकारी हैं, डिवजनल लेवल के अधिकारी हैं, आईएएस अफसर हैं, वे टीचर हैं, हेड टीचर हैं या प्रिंसिपल हैं।

14.00 hrs.

वे अपने बच्चों को कहाँ भेज रहे हैं, वे उन प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को भेज रहे हैं और जहाँ पर वे पढ़ा रहे हैं, जहाँ पर वे 50-60 हजार रूपया वेतन ले रहे हैं, वहाँ पर वे अपने बच्चों को नहीं भेज रहे हैं यानी शिक्षा का स्तर नीचे आ रहा है। मैं तो हिमांचल प्रदेश से आता हूँ, मेरे बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे विद्यालय हो गए हैं कि वहाँ पर सिर्फ एक बच्चा ही रह गया है।...(व्यवधान)

महोदय, मुझे सिर्फ दो मिनट दीजिए। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ कि आज जरूरत इस बात की है कि हम मंथन करें कि एक नई हमारी शिक्षा नीति, भारतीय शिक्षा नीति आयोग जो है, वह उसको बनाएं ताकि हम इस पर पूरा विचार कर सकें, इसके ऊपर मंथन कर सकें।

मंत्री महोदया, हम आपसे चाहते हैं, पिछली बार कपिल सिब्बल जी यहाँ पर थे, सेन्ट्रल स्कूल में दो का कोटा मिलता था, वह उन्होंने बन्द कर दिया, यहीं पर उन्होंने कहा, सारे सांसद उनके खिलाफ हो गए, एक-दो सांसद ने ऐसे ही हाउस में कह दिया कि सिर्फ दो नहीं, या तो फिर उसे बंद कर दीजिए। उनकी पीड़ा है, 6 का कोटा फिर बाद में बढ़ा है, महोदय, आपको पता है। परन्तु आज उस 6 के कोटे को अगर आप 10 कर देते हैं तो बहुत अच्छा होगा। हमारी पीड़ा यह है कि हमारे पास बहुत लोग आते हैं। उसको बन्द नहीं किया जाना चाहिए, बन्द करने की कोई स्थिति नहीं है, क्योंकि लोग हमारे पास आते हैं, गरीब लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। मैडम महोदया, मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि आप इसे अवश्य बढ़ाएं।

अंत में मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। आप एजुकेशन लोन इसलिए दे रहे हैं कि कोई विद्यार्थी बी.टेक. करना चाहता है, कोई एमबीबीएस की एजुकेशन लेना चाहता है, परन्तु वह एजुकेशन लोन 13-14 प्रतिशत ब्याज पर माँ-बाप से वापिस लिया जाता है। इसमें मैं चाहूँगा, हमारी मंत्री महोदया यहाँ पर बैठी हैं, कि वह लोन इंटरैस्ट फ्री हो या अगर लेना ही हो तो दो परसेंट उससे तब लिया जाए जब वह बच्चा, जिसने एजुकेशन लोन लिया है जब वह कहीं नौकरी पर लग जाए। मैं बहुत सी बातें कहना चाहता

था, लेकिन आपने कह दिया है तो मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि जो कुछ मैंने सुझाव दिए हैं, मंत्री जी उन पर विचार करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

***श्रीमती जयश्रीवेन पटेल (मेहसाणा) :** मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुपूरक माँगों पर अपने विचार प्रकट करना चाहती हूँ।

हमारे राष्ट्रीय नेता और स्वतंत्रता सेनानी चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य कहते थे कि शिक्षा चेतना की खेती है। शिक्षा केवल रोजगार कमाने का और कार्य क्षमता को बढ़ाने का एकमात्र साधन नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करने वाला और आज के बच्चे जो कल के देश भविष्य है वह अच्छा नागरिक बने, इसके लिए शिक्षा महत्वपूर्ण साधन है।

1996 में डॉ० कोठारी पंच ने लिखा था कि हमारा भविष्य वर्ग खंडों में पल रहा है। महानायक डॉ० अंबेडकर ने कहा था कि कोई भी राष्ट्र के विकास का मापदंड उनकी महिलाओं की शिक्षा प्रगति पर निर्भर है।

2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार देश में 73 प्रतिशत साक्षरता का दर है। जिसमें महिला साक्षरता में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। 1.9 प्रतिशत की पुरुष साक्षरता की तुलना में 64.6 प्रतिशत पर महिला साक्षरता अभी भी कमतर बनी हुई, लेकिन पुरुष साक्षरता की 5.6 प्रतिशत की वृद्धि दर की तुलना में महिला साक्षरता में 10.9 प्रतिशत वृद्धि हुई है, जो सराहनीय है। मैं इसके लिए सरकार को धन्यवाद देती हूँ।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम भी एक सराहनीय कार्यक्रम है। पढ़ने लिखने और गणितीय दक्षता का एक माहौल बनाने के लिए पढ़े भारत बढ़े भारत नामक पहल एक उत्तम कदम है। विश्व के 300 विश्वविद्यालयों में हमारा एक भी विश्वविद्यालय इसमें शामिल नहीं है। लेकिन मुझे विश्वास है कि हमारी सरकार इस ओर ठोस कदम बढ़ा रही है। सर्वोदय नेता विनोबाभावे जी ने कहा था कि शिक्षा एच धन (H³)की होनी चाहिए। एच का मतलब हार्ट, हेड, हैंड।

शिक्षा, जनसाधारण की सहभागिता को व्यापक बनाने तथा व्यक्ति एवं समाज की समग्र गुणवत्ता के उन्नयन का एक प्रभावी उपकरण भी है। इसलिए 'सभी को शिक्षा', इस लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए हमारी सरकार क्षेत्रीय, सामाजिक तथा लैंगिक असमानताओं को दूर करने हेतु शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए वचनबद्ध है। यह खुशी की बात है।

राष्ट्र की मानव क्षमता के भरपूर उपयोग के लिए सभी को एक समान शिक्षा मिले और उच्च शिक्षा विभाग का उद्देश्य समानता और उत्कृष्टता के साथ भारत की मानव क्षमता का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में हो, ऐसा क्रियान्वयन शिक्षा मंत्रालय कर रहा है। वह अच्छी बात है।

* Speech was laid on the Table.

स्कूलों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन योजना जो केन्द्र सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है उसमें बदलाव लाया जा रहा है वह भी सराहनीय है। मध्याह्न भोजन योजना, एसएसए, आरएमएसए के लिए सांसदों के चेयरमैनशिप वाली जो मॉनीटरिंग कमेटी बनाई है उसके लिए मैं मानव संसाधन विकास मंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ। मध्याह्न भोजन योजना सहित शिक्षा के लिए 2015-16 के बजट में 68 हजार 968 करोड़ रूपयों का प्रावधान किया गया है। उसके लिए मैं केन्द्र सरकार को धन्यवाद देती हूँ।

एससीएससी तथा ओबीसी परिवार के बच्चों को सब्सिडी और स्कालरशिप के लाभ सीधे बैंक खातों में जमा करने की बात सराहनीय है। इससे शिक्षा का स्तर जरूर सुधरेगा। राष्ट्रीय स्किल मिशन का निर्णय भी शिक्षा के स्तर को सुधारने में सराहनीय है। केन्द्र सरकार ने हर राज्य में आईआईटी और आईआईएम खोलने का निर्णय किया है। वह भी शिक्षा के भविष्य में उचित कदम है।

गुणवत्ता उन्मुख शिक्षा प्रणाली एक शक्ति संवर्धक है जो विश्व के एक प्रमुख राष्ट्र के रूप में भारत का कायाकल्प कर देगी। गुणवत्ता के माध्यम से ही किसी भी समाज को सभ्य और सुविकसित बनाया जा सकता है। मिशेल फुको ने कहा था कि ज्ञान ही शक्ति है, ज्ञान और ज्ञान प्राप्ति के सभी तरीके शक्ति प्राप्त करने के ही तरीके हैं।

शिक्षा को परीक्षा के मकड़ जाल से छुटकारा दिलाना चाहिए क्योंकि शिक्षा केवल परीक्षा के लिए ही नहीं होती। कुछ ऐसे उपाय ढूँढने चाहिए जिसके कारण 10वीं कक्षा तक परीक्षा मुफ्त शिक्षा दी जा सके।

मेरी मांग है कि यूजीसी के वर्तमान नियमों के मुताबिक नई कॉलेज का प्रारंभ करने के लिए शहरी (नगर इकाई / कॉरपोरेशन) क्षेत्र में 2 एकड़ भूमि और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 एकड़ भूमि संपादन करना अनिवार्य है। आज भी म्युनिसिपल - नगर इकाई क्षेत्रों को भी ग्रामीण क्षेत्र में गिना जाता है। इसलिए नगर इकाई / म्युनिसिपल क्षेत्र में जमीन बहुत महंगी हो गई है तथा उन क्षेत्रों में शहर के मध्य में आयी हुई प्रतिष्ठित और पुरानी शिक्षा संस्थाओं को अब उनका विस्तार करने तक रहती नहीं है, जिससे नई कॉलेज शुरू करने में सुगमता हो, जिससे समाज को अच्छी शिक्षा संस्थाओं का लाभ मिल सके। मेरी यह मांग भी है कि नगर इकाई / म्युनिसिपल क्षेत्र में भी जमीन संपादित करने की नीति रखी जाए।

समूचे देश में पीपीपी मॉडल पर कुल 20 आईआईटी की स्थापना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके तहत डायमंड सिटी सूरत को नई आईआईटी की मंजूरी दी जाए। केन्द्र पुरस्कृत योजना-एसएसए जो गुजरात में 2001 से प्रारंभ की गई है, इसमें केन्द्र की वित्तीय सहायता मिले। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) के तहत वित्तीय सहायता की असमान प्रक्रिया है। इसको हटाया जाए और 2009 से समानता के तौर पर वित्तीय सहायता समान रूप से दी जानी चाहिए।

भारतीय शिक्षा व्यवस्था वर्तमान में एक गंभीर संक्रमण के दौर से गुजर रही है। निजी शिक्षा और सार्वजनिक शिक्षा और शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है क्योंकि कांग्रेस -यूपीए सरकार द्वारा हमें केवल बाजारीकरण वाली शिक्षा ही मिली हैं। इसमें बदलाव लाने के लिए वर्तमान सरकार की इच्छा शक्ति के अच्छे परिणाम मिलेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है।

देश के जिन जिलों में केन्द्रीय विद्यालय तथा कस्तूरबा गांधी कन्या विद्यालय का प्रावधान नहीं है, उनमें मानव संसाधन विकास मंत्री जी द्वारा उचित निर्णय लिया जाए।

शिक्षा रोजगार के अवसरों के अनुरूप होनी चाहिए, इसलिए शिक्षा नीति में उचित परिवर्तन लाने की जरूरत है। प्रौढ़ शिक्षा की साक्षरता को एक संपूर्ण साक्षर की स्थापना करने वाला कार्यक्रम है। वह स्त्री, पुरुष समानता प्राप्त करने वाली बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने वाला है उस पर और जोर देने की जरूरत है।

माननीय मंत्री जी को अनुपूरक मांगें लेकर आए हैं उसकी मैं सराहना करती हूँ तथा उनका समर्थन करती हूँ।

***श्रीमती अंजू बाला (मिश्रिख):** शिक्षा वह माध्यम है जिसके बिना जीना दुश्वार है क्योंकि शिक्षा नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन चिन्ता का विषय है, शिक्षा के प्रति हो रहे खिलवाड़ जो अच्छे नहीं हैं। जैसे बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां प्रश्न पत्र पहले ही लीक हो जाते हैं। इन स्कूलों ने अपना एक धंधा सा बना लिया है जहाँ पर पढ़ने वाला जो बच्चा है वो अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। क्योंकि उसके वो अंक नहीं आते जो बिना पढ़े वालों के आते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जो नकल का धंधा है वह बंद होना चाहिए। ऐसे स्कूलों पर पाबंदी लगनी चाहिए, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो अन्य कोई राज्य। अभी जो परीक्षाएं हुई हैं कहीं भी स्कूलों / कालेजों में ईमानदारी से परीक्षाएं नहीं हुई हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि माता-पिता अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में ही क्यों भेज रहे हैं। क्यों कोई सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को भेजना नहीं चाहता, क्योंकि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई अच्छी नहीं होती। सरकार द्वारा सभी संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं तब भी वो व्यवस्थाएं हम क्यों नहीं दे पाते हैं जो प्राइवेट स्कूलों में मिलती है। यह चिन्ता का विषय है। इसलिए दुखी मन से कहना पड़ता है कि हम लोगों की सरकार की तरफ से एक ऐसी समिति गठित हो, जो इन स्कूलों की जांच कराए क्योंकि जो सरकारी स्कूल में बच्चों के लिए यूनीफार्म, किताबें आती हैं वो भी बच्चों को सही से नहीं मिल पाती है। अगर मैं खाने की बात करूँ, जैसे मिड डे मील जो बच्चों को पहुँचाया जाता है, उस खाने की जाँच मैं खुद ही अपने क्षेत्र में करके आयी हूँ जिसमें मेरे साथ मिडिया भी था जिसमें दलिया, दूध की जगह पानी मिलाया था जो मेरे सामने ही बच्चों ने फेंक दिया और खाने लायक नहीं था। मेरे पूछने पर बच्चों ने बताया कि हमें तो हर रोज ऐसा ही मिलता है। पहले खाना विद्यालयों में बनता था, परंतु अब यह किसी एनजीओ को दे दिया गया है। जिसमें यह स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। मैं मंत्री जी को कहना चाहती हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, आप टीम बनाकर उसकी जाँच कराएं तथा जो इसमें दोषी पाया जाता है उसे दंड जरूर दें। माननीय मंत्री जी से मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि जो केन्द्रीय विद्यालय में हम सांसदों का छः बच्चों का प्रवेश कोटा है, उस कोटे को बढ़ाया जाए। क्योंकि जब हम लोग गाँव में जाते हैं उन लोगों की माँग को देखते हुए हमें लगता है यह कोटा बढ़ना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से यह भी कहना चाहती हूँ मेरी लोक सभा मिश्रिख में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर स्कूल तो हैं लेकिन बच्चे नहीं हैं और अध्यापक पूरी तनखाह लेते हैं, लेकिन स्कूलों में नहीं आते उपस्थिति तो दर्ज होती है रजिस्टर में, परंतु स्कूलों में कोई अध्यापक नहीं दिखता है। मैंने खुद स्कूलों में जाँच की, ज्यादातर स्कूल मुझे बंद दिखे। कुछ बच्चों से जब मैंने पूछा,

* Speech was laid on the Table.

उन्होंने यह बताया हम तो पढ़ना चाहते हैं लेकिन अध्यापक जी आते। नहीं इसकी भी मंत्री जी जाँच कराए। जाँच में जो दोषी पाया जाता है उनको तुरंत दंडित किया जाए।

शिक्षा की गुणवत्ता में आज गिरावट की पराकाष्ठा है। उच्च शिक्षा की दशा में तो बहुत खराब है उत्तर प्रदेश राज्य, जहाँ से मैं सांसद हूँ, स्नातक एवं परास्नातक के बच्चों का स्तर यह हो गया है मार्कशीट पर 80 प्रतिशत नम्बर लिखे हैं परंतु अगर मार्कशीट की कॉपी स्वयं लिखकर देने को कह दिया जाए, तो शायद 80 प्रतिशत नम्बर वाला छात्र नहीं कर पाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, जिसकी चिन्ता शायद पिछली सरकार को नहीं हुई। आज प्रवेश के समय महाविद्यालयों में प्रवेश अधिक उन्हीं महाविद्यालयों में होते हैं जहां नकल की अच्छी व्यवस्था होती है। परीक्षा के समय परीक्षार्थी को पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। विद्यालय प्रबंधक नकल की अच्छी से अच्छी व्यवस्था स्वयं करता है। प्रश्न पत्र का उत्तर ब्लैक बोर्ड पर लिखकर हल कराया जाता है। प्रश्न पत्र शुरू होने के समय से घंटों पहले खोल लिए जाते हैं, जिसको किराए के अध्यापकों द्वारा पहले ही पहले हल करा लिया जाता है। फिर उसकी फोटो कापी करके प्रत्येक परीक्षा कक्ष में पहुँचा दी जाती है। विद्यालय केवल प्रवेश के समय खुलते हैं और परीक्षा के समय खुलते हैं शेष पढ़ाई के समय बंद रहते हैं। एक बाबू व एक सफाई कर्मी विद्यालय में रहता है। जो पैसा जमा करने का कार्य करता है।

महाविद्यालयों में अधिकांश के पास पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है। शिक्षक महाविद्यालय से नियुक्त तो होते हैं परंतु नियुक्ति की प्रक्रिया इस प्रकार होती है कि एक शिक्षक कई विद्यालयों में अपने प्रपत्र की कापी के साथ नियुक्त रहता है। पढ़ाता एक विद्यालय में है। उत्तर प्रदेश में भारी संख्या में विद्यालय हैं। एक ही शिक्षक बहुत से विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध विद्यालयों में अपनी नियुक्ति रखता है। विश्वविद्यालय अलग-अलग होने के कारण जांच करने पर भी वह पकड़ा नहीं जाता है, क्योंकि एक विश्वविद्यालय दूसरे विश्वविद्यालय से सम्पर्क नहीं रखता। न तो ऐसी सरकार की ही कोई व्यवस्था है कि शिक्षक की नियुक्ति के समय जिस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय में उसकी नियुक्ति हो रही है, शेष विश्वविद्यालयों में एनडीसी मांगी जाए। परीक्षा में नकल तथा शिक्षक नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया में विश्वविद्यालय के कर्मचारी-अधिकारी सभी संलिप्त रहते हैं। पैसे का अच्छा लेन-देन रहता है। नकल रोकने के नाम पर विश्वविद्यालय फ्लाइंग स्कॉड/उड़नदस्ता की व्यवस्था करता है परंतु एक बार महाविद्यालय उसको पच्चीस हजार रूपया देता है। फ्लाइंग स्कॉड पैसा प्राप्त कर नकल रहित परीक्षा का प्रमाण पत्र देकर दूसरे विश्वविद्यालय की तरफ चला जाता है। यही कार्य वह उस दिन जितने महाविद्यालयों पर जाता है हर विद्यालय में करता है। प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा का हाल तो पहले से बहुत खराब है, परंतु अब उच्च शिक्षा का भी स्तर अत्यंत खराब हो चुका है। यह देश के लिए गंभीर समस्या के साथ चिन्ता का विषय है।

अतः मैं माननीय मंत्री जी / सरकार से मांग करती हूँ कि शिक्षा व्यवस्था नीति में परिवर्तन कर हमारे देशवासियों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा दिलाने का कष्ट करें।

***श्रीमती रेखा वर्मा (धौरहरा) :** संस्कृत विद्यालय मढ़िया जनपद लखीमपुर खीरी में कुल विद्यालयों की संख्या 7 है। जिनमें 3 विद्यालय पूर्णतः जर्जर की स्थिति में है। इन विद्यालयों में 3 शिक्षक हैं। उनमें 2 शिक्षक 30 जून 2015 को रिटायर हो रहे हैं। फिर 3 विद्यालयों पर एक शिक्षक रह जाएगा। इन विद्यालयों में विकास बिल्डिंग क्षतिपूर्ण के नाम पर कोई धनराशि उपलब्ध नहीं हो पा रही है। विद्यालय बंद होने की कगार पर है। जैसे सीतापुर में 20 विद्यालयों में 4 टीचर, हरदोई में 14 विद्यालयों में 3 टीचर, शाहजहाँपुर में 14 विद्यालयों में 5 टीचर यह स्थिति है। पूरे प्रदेश के विद्यालयों की है यह स्थिति। इन विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। बिल्डिंगों की जीर्णोद्धार कराया जाए। माननीय मंत्री जी से अनुरोध है इस पर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो बंद होने की कगार पर हो जाएंगे।

SHRI ADHALRAO PATIL SHIVAJIRAO (SHIRUR): Mr. Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on the Demands for Grants of the Ministry of Human Resource Development.

Sarva Shiksha Abhiyan is one of the important schemes launched by the Human Resource Development Ministry. It has made a great impact on elementary education, particularly in rural areas and in the State of Maharashtra. However, we have noticed with great pain that during the last two or three years, the budgetary allocation has been reduced considerably towards this important scheme. I would like to mention here that during the last two to three years, not a single classroom or not a single compound wall has been constructed in Maharashtra, particularly in Pune District, which is one of the important educational centres in India.

Presently, there is an urgent requirement for the construction of 800 to 900 classrooms in my Pune District alone. At present, many classes are being conducted in temple premises and *Gram Panchayat* offices. Whenever we approach the State Government, they say that due to shortage of funds and priority being given to other sectors, they cannot construct further classrooms. I spoke to the hon. Minister a couple of months back and she said that there was no restriction from the side of the Central Government to build classrooms under Sarva Shiksha Abhiyan. I would still request her to send advisories to the State Government as there is a large requirement of classrooms and also there is a need for construction of compound walls around schools in the State of Maharashtra. If the Minister intervenes, I am sure the State Government will take some positive steps.

Besides that, I would like to refer to higher education and technical education. There are many Government-aided engineering colleges in the State of Maharashtra. For example, recently, the Government of Maharashtra has started one of the best engineering colleges in my constituency, in Pune District. We have spent more than Rs. 300 crore for constructing the campus and for providing other

facilities. However, there is a problem due to the non-availability of the required teachers. Only 43 vacancies have been filled so far. I do not know whether this comes under the purview of the hon. Minister. This is one of the important requirements. When the Central Government talks to the Maharashtra Government, this important issue should be solved.

With these words, I conclude my speech.

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Sir, the recent empirical data says that in 2011-12, 74 per cent of the population of the age of six years and above is literate. But when we compare this with the Muslims, it is the lowest literacy rate of 70 per cent as compared to the 74 per cent of our Hindu brothers and 83 per cent of any other religious minorities. The lowest literacy level is of the SCs and STs followed by OBC Muslims. In fact, between the OBC Muslims and the OBC Hindus, there is a gap of five percentage point.

When we come to current attendance for Muslim OBCs, it is even lower than that of SCs and STs. In 2011-12 – I am again putting forward the data –the Muslim community has the highest percentage of children who have not attended the school. It comes to 15 per cent. It is even lower than that of SCs and STs which is 14 per cent. The dropout rates for Muslims and SC/STs start at the age of ten years as compared to the Hindu OBCs and Hindu General at 11 years. There is a sharp decline of dropout rates for Muslims and SCs at the age of 13 years. Yes, the parents are also responsible for this dropout. But the main reason for dropout rate between the age of 5 and 14 is the financial constraints which account for 30 per cent. Between the age of 15 and 24, about 27 per cent is due to financial constraint. That is why, at the graduate and above level, we have only two per cent of SC/ST and Muslims who are getting graduates.

That is why, through you, I want to propose this to the Government. We might be having political differences and I take pride in that political differences. But as far as inclusive dream and vision of India is concerned, we want to cooperate with the Government. And to attain that *Sabka Saath, Sabka Vikas* especially in education, it is very important that the Government must make scholarship a demand-driven, especially for SC/ST and minorities. Anyone who applies for scholarship, should get a scholarship so that our literacy rates can be improved and we can have a stronger India. It is not good to just have numbers.

When we come to the *Madarsa* education, out of Rs.275 crore which we had allocated last year, only Rs.144 crore were released and Rs.131 crore was not released. May I know the reason for not giving this amount?

Secondly, Rs.334 crore was not given for post-matric scholarship for SC/ST. That is why, I demand that SC/ST and for Muslim boys and girls should get the same access and affirmative action should be given to SC/ST population.

Coming to opening of campuses of the Aligarh Muslim University, in Aurangabad, Maharashtra, land is available. Through you, I would like to request the hon. Minister to please speak to the State Government and open a campus of the Aligarh Muslim University in Aurangabad. For this, 250 acres of land is required. It is easily available in Aurangabad. This will really improve the education and literacy standards of the whole Marathawada Muslim community.

When we come to *Sarva Shiksha Abhiyan*, I would like to know from the hon. Minister this, when she stands up to give a reply. For *Sarva Shiksha Abhiyan*, it is Rs.22,000 crore and for MDM, it is Rs.7,811 crore. But the surprising thing is that under the Gross Budgetary Support, it is Rs.2,200 crore and Rs.36 crore respectively. What happens tomorrow if the cess collection drops? Will this not affect this very flagship programme which is very important to control child labour and to ensure that more girls study?

Even coming to this *Padhe Bharat, Badhe Bharat*, I want to know from the hon. Minister this fact. I have gone through the Budgetary document. But it is surprising that not a single amount has been earmarked for *Padhe Bharat, Badhe Bharat*. Last time, Rs.760 crore were approved to States in *Sarva Shiksha Abhiyan*. But right now, nothing is there. They have announced 20 schemes for 2014-15. With the 14th Finance Commission, how would the Ministry implement all those 14 schemes?

Lastly, I would like to talk about the Kendriya Vidyalayas. Government is a continuous institution. Parties come and go. Ashraf Ali Fatimi Committee, which was set up during the last Government, recommended various steps. The report was taken on board by the Government as well. I want to know from the hon. Minister the fate of the Fatimi Committee recommendations. Kundu Committee recommendations have come to you. Fatimi Committee recommendations said that in Kendriya Vidyalayas, under categories 7 and 8 OBCs and minorities should be included so that more number of OBC and minority children can get admission in Kendriya Vidyalayas and Navodaya Vidyalayas.

In conclusion I hope that the hon. minister would give specific attention to improve literacy rates of the Muslim minorities and the SCs. This is very important especially with the Government not opening 6,000 model schools at block level. God knows what is going to happen! I feel that for HRD the 14th Finance Commission has become a bane now. I hope that when the Minister stands up to reply, certain steps will be announced to improve the literacy rates especially to control the dropout rate of Muslims.

Thank you.

***SHRI TEJ PRATAP SINGH YADAV (MAINPURI):** I would like to express my views on the Demand for Grants under HRD. Outlay for education sector 2015-16:- A total of Rs.68,968 crore has been allotted to the education sector in the Union Budget 2015. Despite having over 280 million illiterate people, primary, secondary education spends are cut by 16% over the last fiscal. The Government has set aside Rs.42,219.5 crore for the department of school education for 2015-16, as compared to Rs. 46,805 crore last year.

The mid-day-meal scheme suffered a drastic fund cut from Rs.1,296.5 crore last year to Rs.132 crore this year.

There was an increase in the Higher Education Budget from Rs.23,700 crore in 2014-15 to Rs.26,855.26 crore in 2015-16, indicating a shift in focus from school to higher education in the national budget presented in Parliament. This is despite the fact that nationally the percentage of children out of school in the age group 6-14 remains at 3.3 per cent (As per 2014). Access to education beyond higher secondary schooling in a mere 10% among the university-age population in India.

Lack of infrastructure at the school level is also a matter of concern. Even though the government intends to upgrade over 80,000 secondary schools and add or upgrade 75,000 junior/middle to the senior secondary level to ensure that there is a senior secondary school within 5 km reach of each child, despite this the funding for school education has been cut.

An IIT is to be set up in Karnataka and Indian School of Mines, Dhanbad to be upgraded in to a full-fledged IIT. 5 new All India Institute of Medical Science (AIIMS) are to be set up in J&K, Punjab, Tamil Nadu, Himachal Pradesh and Assam. Another AIIMS like institution is to be set up in Bihar. Government has to realize that in order to achieve high growth it needs an educated and highly motivated youth population. It just cannot realize its dream by providing with skill training.

* Speech was laid on the Table

There is no universal enrolment in secondary schools and children drop out by the time they reach secondary schools. This will result in not having enough trained workforce. Therefore, to make the PM's Make in India campaign a success, we need a trained labour force. The Government of the day must realize that investment in secondary schools is very important for the economic growth of the country.

If one looks at the Asian Tigers one finds that they invested heavily in primary and secondary school systems. China also is now investing heavily in university education after achieving universal primary education 30 years ago.

The role of education in social transformation is indisputable. That the ruling Bharatiya Janata Party (BJP) takes education very seriously is equally indisputable. The Government does seem to be serious about taking a relook at most aspects of education, guided as it seems to be by the notion of restoring 'national' pride. The HRD Ministry and the Government found themselves in a controversy over the decision to introduce Sanskrit in place of German for classes 6 to 8 in the 700-odd Kendriya Vidyalayas on the grounds that teaching German had violated the Constitution, the NEP and the three language formula. There were two things inherently wrong in the HRD Ministry's move to replace German with Sanskrit. First, the timing was awry, as the decision was taken in the middle of the term, and second, Sanskrit was not listed as a modern Indian language as laid down in the Constitution. The introduction of Sanskrit also violated the three-language formula.

While the purported aim of the Government is reform, that is couched in the language of cultural nationalism and notions of superiority, some of the recent pronouncements on stem cell research or plastic surgery from none other than the Prime Minister himself as disturbing. There are textbooks prescribed in government schools in Gujarat which state that an Indian surgeon who has a United States patent on stem cell research was inspired by the Mahabharat. *Tejomay Bharat*, a textbook published by the Gujarat State school Text Board, is

taught in schools. The book is prescribed as supplementary reading in Gujarat schools.

The HRD Ministry' approval of creation of the Bharatiya Shiksha Niti Ayog (BSNA), which has been constituted by the RSS-affiliated Shiksha Sanskriti Utthan Nyas, that is mandated to 'suggest corrective steps' to Indianize the education system, will be headed by the controversial Dinanath Batra author of Tejomay Bharat. Mr. Batra, who will be heading the BSNA, a staunch advocate of revamping the whole education system with his campaign of Shiksha Bachao Andolan, which seeks to ban all 'anti-Hindu' books says, 'NCERT textbooks will be rewritten according to the aim and objects of the nation so that it inculcates feeling of patriotism among children. Modernity is not westernization. We want modernity with Indian base (marked by) patriotism and spiritualism.

Communalization or not, the focus of the government should have been on institutional reform rather than tinkering with books. It is simply amazing that given the myriad problems facing the government school sector - a shocking lack of infrastructural facilities, poorly qualified and indifferent teachers, low enrolment, high dropout rate- one of the first things the HRD Ministry talked of introducing was 'Hindu perspective' to education.

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : सभापति महोदय, मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत अनुदान मांगों के समर्थन में खड़ा हुआ हूँ। शिक्षा किसी भी व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के विकास की धुरी होती है, शिक्षा का सम्बन्ध सिर्फ साक्षरता से ही नहीं है, बल्कि शिक्षा चेतना और उत्तरदायित्व की भावना को जागृत करने वाला औजार भी है। शिक्षा मानव-मानव के मध्य व्याप्त हर विभेद को समाप्त करने का अस्त्र है।

मैं आपके माध्यम से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का तथा माननीया मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी का अभिनन्दन करना चाहता हूँ कि हमारे बहुत सारे मित्रों ने कटौती के बार में चर्चा की, लेकिन मैं उनका अभिनन्दन करना चाहता हूँ कि उपलब्ध संसाधनों का व्यवस्थित और बेहतर ढंग से किस तरह से उपयोग किया जा सकता है, एक सांसद होने के साथ-साथ देश की मंत्री होने के साथ-साथ वे एक कुशल गृहिणी भी हैं और कुशल गृहिणी होने के नाते वे जानती हैं कि मानव संसाधन मंत्रालय की इन जरूरतों को पूरा करने के लिए किस तरह से सृजनात्मक रूप से सोचा जा सकता है।

हमारे यहां भारत सरकार ने देश में सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा सुलभ बनाने के लिए और बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों को रोकने के लिए तथा प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन जैसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किये हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य देश भर में लड़कियों और वंचित सामाजिक समूहों की शिक्षा पर विशेष रूप से फोकस करते हुए सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा की सुलभता सुनिश्चित करना है। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उनके और सरकार के प्रयासों से प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई बीच में छोड़ देने की बच्चों की दर, जो 2007-08 के बीच 9.4 प्रतिशत से घटकर 2013-14 में 4.7 प्रतिशत रह गई है। मैं माननीय मंत्री महोदय जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस रोशनी को उन जगहों पर भी पहुंचाने की आवश्यकता है, जो 60 लाख बच्चे अभी शिक्षा के माध्यम से सीधे नहीं जुड़े हैं। यह शिक्षा की रोशनी उन अंधेरे क्षेत्रों में भी पहुंचाकर उनको भी और सब को शिक्षित, सब को साक्षर करने का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, उन्हें भी शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़कर देश का सुयोग्य नागरिक बनाया जाये।

मध्याह्न भोजन के उद्देश्य में देश भर के वंचित सामाजिक समूहों, बालिकाओं के स्वास्थ्य को केन्द्र में रखकर इस योजना को विसंगतियों से बचाने की जरूरत है। इसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र में एक बिजावर स्थान है। बिजावर में मैं अभी 15 दिन पहले, सत्र शुरू होने से दो दिन पहले दौरा करने के लिए गया तो मैंने देखा, अचानक मैं उस स्कूल में पहुंचा। वहां पर परिक्षाएं चल रही थीं और वहां पर मैंने जो भोजन की गुणवत्ता देखी, वहां बिल्कुल घर जैसा भोजन बना था और परीक्षा में जो

विद्यार्थी, बालक-बालिकाएं बैठे थे, 96 प्रतिशत छात्र-छात्राएं उस विद्यालय में उपस्थित थे। मैंने जब शिक्षकों से बातचीत की तो शिक्षकों के मन में जो दर्द था कि हमारा विद्यालय अगर श्रेष्ठ चलेगा, बच्चों की शिक्षा का स्तर अगर अच्छा होगा तो इससे केवल हमको बड़ाई ही नहीं मिलेगी, बल्कि आसपास के विद्यालयों में भी उसका मैसेज जाता है। मध्यान्ह भोजन की विसंगतियों को दूर के लिए जो सरकार ने इस पर नियंत्रण करने के लिए देश भर में 38 स्वतंत्र निगरानी संस्थाएं गठित की हैं, जो कि 101 जिलों में 3985 स्कूलों का निरीक्षण कर चुकी हैं और उन स्कूलों में मध्यान्ह भोजन योजना का कुशल संचालन हो, इसके लिए उनको स्पष्ट दिशा-निर्देश सरकार द्वारा दिये गये हैं। सरकार के द्वारा यह जो कदम उठाया गया है, यह वास्तव में बहुत सराहनीय कदम है और इससे निश्चित रूप से देश भर में तरह-तरह की जो बातें मध्यान्ह भोजन के बारे में आती हैं, उन पर निश्चित रूप से नियंत्रण होगा और उसकी गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। सरकारें माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच में विस्तार करने, उसमें समानता स्थापित करने तथा इसकी गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान प्रारम्भ किया गया है। इस 'राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान' की पहुंच को व्यापक बनाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित अन्य योजनाएं, जैसे स्कूलों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, लड़कियों के लिए छात्रावास, माध्यमिक स्कूल के स्तर पर विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा को वर्ष 2013-14 से 'राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान' में शामिल कर लिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि ये प्रयास वास्तविक रूप में शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होंगे।

भारत सरकार ने जो 'सर्व शिक्षा अभियान', 'मध्याह्न भोजन योजना', 'राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान' शुरू किया है, इससे पूरे देश भर में एक व्यापक परिवर्तन देखने में आ रहा है। 'सर्व शिक्षा अभियान' के बारे में मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूँ कि हमने अपने क्षेत्र में देखा है कि अब वहां स्कूल भवन पर्याप्त हो गए हैं। अतिरिक्त अध्यापकों की संख्या भी ज्यादा हो गयी है। इसलिए अब 'सर्व शिक्षा अभियान' की राशि का उपयोग स्कूलों की बाउंड्री वॉल बनाने के लिए, अच्छे शौचालयों के निर्माण के लिए, और किचन सेट के लिए करने की आवश्यकता है। उसमें हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने आह्वान किया है। इसमें माननीय सांसद भी अग्रणी रूप से आगे आए हैं। हम सभी सांसदों ने अपने-अपने क्षेत्रों में स्वच्छ शौचालय बनाने के लिए काफी राशि देकर इसके लिए पहल की है। 'सर्व शिक्षा अभियान' के लिए सरकार ने बारहवीं योजना की कुल योजना राशि का 200% अधिक आबंटन दिया है। शिक्षा संबंधी कुछ योजनाओं में जो बजटीय आबंटन है, वह इस प्रकार है-

- 'सर्व शिक्षा अभियान' के लिए 27,785 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

- 'मध्याह्न भोजन योजना' के लिए 13,125 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- 'राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान' के लिए प्रस्तावित आबंटन 5,000 करोड़ रुपये का है।
- देश भर में जो छः हजार मानक स्कूल खोले जाने हैं, उसके लिए 1,200 करोड़ का योजनागत आबंटन किया गया है।
- अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति को पिछले वर्ष के 980 करोड़ रुपये से बढ़ा कर उसे 1,100 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
- अनुसूचित जाति के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति के अनुदान को पिछले वर्ष के 670 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 685 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ।

महोदय, 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' - यह माननीय प्रधान मंत्री जी का आह्वान है। जब हम सभी सांसदगण अपने-अपने क्षेत्रों में दौरा करने के लिए जाते हैं तो जब हम गांवों की तरफ जाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि कहीं 15 बच्चियां, कहीं 20 बच्चियां, कहीं 12 बच्चियां साईकिलों से एक गांव से दूसरे गांव में पढ़ने जाती हैं। पहले वहां पर मां-बाप अपनी बेटियों को दूसरे गांव में पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे और वहां बालिकाओं की शिक्षा का प्रतिशत बहुत कम होता था। लेकिन, इस अभियान से बालिकाओं की शिक्षा का प्रतिशत बढ़ेगा। वहीं गांवों में यह विसंगति भी देखने में आती थी कि जब गांवों की बेटियां कम पढ़ी-लिखी होती थीं तो उनकी शादियां गांवों में ही होती थीं और शहरों में उनका शादी का सपना या पढ़े-लिखे नौजवानों से शादी का उनका सपना अधूरा रह जाता था। यह 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान इस दिशा में मील का एक पत्थर साबित होगा और बेटियां पढ़-लिख कर न केवल नगरों में, बल्कि महानगरों में भी ब्याही जाएंगी। शासन के द्वारा प्रशिक्षण अभियान चलाए जाते हैं, जैसे गर्मी के दिनों में सिलाई-कढ़ाई का प्रशिक्षण, बूटिक का प्रशिक्षण, ब्यूटीशियन का प्रशिक्षण इत्यादि। इनके लिए पहले हमारी बेटियों को कस्बों में, शहरों में जाना पड़ता था, पर आज उनके लिए ग्रामीण स्तरों पर भी यह सुविधा उपलब्ध होने लगी है। बेटियों के जीविकोपार्जन की दिशा में यह एक बहुत महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो रहा है।

माननीय सभापति : अब अपना भाषण समाप्त करें।

डॉ. वीरेन्द्र कुमार: महोदय, मैं बस एक मिनट का समय और लूंगा। इससे ज्यादा का समय नहीं लूंगा।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि आज रोजगारोन्मुखी शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, शिक्षा को व्यावहारिक बनाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही साथ केन्द्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालयों के संबंध में माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहता हूँ

कि इन विद्यालयों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के प्रवेश के लिए निश्चित रूप से कुछ स्थान आरक्षित किए जाएं, ताकि हमारा जो वंचित समाज है, जो उपेक्षित समाज है, आर्थिक रूप से पिछड़े समाज के जो बच्चे हैं, उन्हें इन विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अच्छे अवसर उपलब्ध हो सकें।

इसके साथ ही साथ, जो विश्वविद्यालय अब केन्द्रीय विश्वविद्यालय बन गए हैं, उन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में एडमिशन के लिए वहां के स्थानीय छात्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

अन्त में, मैं अनुदान मांगों का समर्थन करते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं।

श्री प्रेम सिंह चन्द्रमाजरा (आनंदपुर साहिब) : चेयरमैन साहब, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसकी अनुदान मांगों पर चर्चा हो रही है, मैं समझता हूँ कि वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है। यह सच है कि समाज के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, मनुष्य की सोच के विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण औज़ार के तौर पर काम करती है। यह सच है कि शिक्षा मनुष्य के तीसरे नेत्र के तौर पर जाना जाता है। यह भी सच है कि शिक्षा के बिना मनुष्य अंधेरे में है, शिक्षा के बिना वह आधा है।

चूंकि यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मुझे कुछ ज्यादा समय देना। मेरी पार्टी एक छोटी पार्टी है, मुझे कम समय न देना। महोदय, मुझे दो बातें ही कहनी हैं। जब देश आजाद हुआ, तो लोगों को बहुत अपेक्षायें थीं। पंडित नेहरू जी बहुत सूझमंद थे, लेकिन पता नहीं गलती कैसे कर गए या कैसे दबाव में आकर शिक्षा जैसा महत्वपूर्ण जो मंत्रालय था कुछ ऐसे लोगों को सौंपा गया, जिन्होंने अपने देश के इतिहास से कम प्यार किया और विदेशी इतिहास से ज्यादा प्यार किया। हमारी पुस्तकों में विदेशी इतिहास को ज्यादा महत्व दिया गया। मैं दो-तीन उदाहरण देना चाहता हूँ। बाबर को रूलर दिखाया गया, जबकि वह इन्चैडर था।

14.21 hrs.

(Mr. Deputy Speaker in the Chair)

अगर बाबर रूलर था, तो गुरुनानक कैसे सच्चे हो सकते हैं, जो कहते हैं कि पाप की जांज लै काबिलो धाया, जोरी मंगे दान बे लालौ। बाबर को गुरुनानक देव साहब ने जाबर कहा। ऐसे ही औरंगजेब को देश का रूलर बताया गया। गुरु तेगबहादुर साहब, जिन्होंने दिल्ली में देश के धर्म को बचाने के लिए, जनेऊ की रक्षा के लिए शहादत दी। हमारी इतिहास की पुस्तकों में बताया गया कि गुरु तेगबहादुर साहब की औरंगजेब के साथ कन्फ्रंटेशन हो गई थी, इसलिए उनका कत्ल कर दिया। यह कितने दुख की बात है? एक महत्वपूर्ण शहादत को उन्होंने ऐसा बता दिया।

ऐसे ही महाराजा रणजीत सिंह का इतिहास है। जिस रूलर की वजह से देश 300 साल अंग्रेजों का गुलाम रहा, जबकि पंजाब केवल 100 साल गुलाम रहा, वह था महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह के राज की सबसे बड़ी महत्ता यह है कि दर्रा खैबर से मुगल आते थे, यहां के हिंदु समाज के मंदिरों को लूटकर ले जाते थे, हमारी बहू-बेटियों की इज्जत लूट लेते थे। अगर दर्रा खैबर का रास्ता किसी ने बंद किया तो महाराजा रणजीत सिंह के जरनैलों ने किया, हरिसिंह नलवा जैसे लोगों ने किया, लेकिन उनका इतिहास ही नहीं लिखा गया, जिसकी वजह से हमारा इतिहास बचा, हमारी डेमोग्रेफी बची।

मुझे इस बात की खुशी भी है कि आज के जो माननीय मंत्री जी हैं, एचआरडी मंत्रालय जिनको सौंपा गया है। जैसे हमारी वाणी में लिखा गया है, तख्त भये तख्त एकैलेका। आज एचआरडी मंत्रालय जिनको सौंपा गया है, माननीय मंत्री जी का टेस्ट भी है, लिटरेरी टेस्ट है, उनकी दिलचस्पी भी है, मैं

समझता हूँ कि हमें अपेक्षा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इतिहास को रिव्यू किया जाए। इतिहास की पुस्तकें लिखते समय किसी धर्म का, किसी हिस्ट्री का, किसी व्यक्ति का ... (व्यवधान) महोदय, अभी तो मैंने शुरू किया है और आपने बेल बजा दी। उस खिते के लोगों को हिस्ट्री की पुस्तकें लिखते समय लेना चाहिए, ताकि हमारी हिस्ट्री ठीक हो जाए।

दूसरी बात मैं भाषा के बारे में करना चाहता हूँ। भाषा और कल्चर से देश बढ़ता है। भाषा और कल्चर से देश की एकता और अखंडता रहती है। यहां भाषा के नाम पर लोग लड़ाए गए। कहीं तमिल और हिंदी में लड़ाई कराई गई, कभी पंजाबी और हिंदी में लड़ाई कराई गई। यहां लोगों को आपस में भाषा के नाम पर लड़ाया गया। मैं माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि रीजनल लैंग्वेज को सीबीएसई और आईसीएसई कोर्सेज में जरूर प्राथमिकता दी जाए और कंपल्सरी बनाया जाए। जो रीजनल इतिहास है, उसे भी वहां जोड़ा जाए। पहले देश को साउथ, सेंटर, ईस्ट, नार्थ में बांटा, फिर एक-एक प्रदेश को कई-कई हिस्सों में बांटा जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है, क्योंकि भाषा के नाम पर लड़ाई इस देश में हो तो बुरी बात है। मैं भाषा के नाम पर एक सेर कहना चाहता हूँ, "जबानों के नाम पर पंक्षी चमन के कब लड़े अख्तर, वो रहें मिलकर चमन में, अपनी-अपनी बोलियां बोलें"। अगर पंक्षी अलग-अलग बोलियां बोलकर चमन में रह सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं रह सकते हैं? इन लोगों ने शरारत के साथ भाषा के नाम पर लोगों को लड़ाया, कल्चर को तोड़ा। आज देश को बचाने की जरूरत है।

हमारी स्कूल एजुकेशन को प्रायोरिटी देनी चाहिए। जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी, पटियाला में पढ़ता था, वहां 70 परसेंट गांवों के लोग आते थे, 30 परसेंट शहरों के लोग आते थे। आज पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला में गांव से 8 प्रतिशत लोग आते हैं। गुरुनानक देव यूनिवर्सिटी में गांवों से 6 प्रतिशत लोग आते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में गांवों से केवल 4 प्रतिशत लोग आते हैं। इसलिए स्कूल एजुकेशन को प्राथमिकता दी जाये और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, आज शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन हो गया है, उसका व्यापारीकरण हो गया है, उनको कंट्रोल करने की जरूरत है। वहां पर फीस पर कोई कंट्रोल नहीं है, वहां किसी तरह के अध्यापक रखने पर कोई कंट्रोल नहीं है। समाज को दो हिस्सों में बांटा जा रहा है, अमीर लोग उन स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं और गरीब लोग सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ... (व्यवधान)

मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है लेकिन उसके पास ग्रांट तो नहीं है, इसलिए उनको भी कुछ पैसा दिया जाये। हमारी यूनिवर्सिटीज फाइनेंशियल क्रन्च में आयी हुयी हैं। यहां से सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के ऑर्डर्स हो जाते हैं कि यह पे-स्केल हों, लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते हैं, पैसे स्टेट्स गवर्नमेन्ट्स को देने पड़ते हैं। पिछले सात-आठ वर्षों की जो

शिक्षा में कमियां हैं, अब उन्हें माननीय मंत्री जी को दूर करना होगा, ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके और तरक्की कर सके। धन्यवाद।

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Members, at 3 o'clock, the House is going to take up the discussion on Demands for Grants relating to the Ministry of Home Affairs. The Speaker has already made an announcement in this regard. Before that we have to conclude this discussion and the hon. Minister has to reply also. Therefore, I would request the hon. Members to lay their written speeches on the Table of the House. But if any Member wants to speak, he has to conclude in 2-3 minutes. The time allotted for all the parties is already exhausted. No Member is adhering to the time and when I am ring the bell, one feels hurt. That is the problem. Therefore, the Members may submit only the salient features and conclude in 3 minutes.

SHRI E. AHAMED (MALAPPURAM) : The subject is far and wide. We will have to speak.

HON. DEPUTY SPEAKER: As you know, the Ministry of Home Affairs is also important and we have to pass it today. For tomorrow, other two Ministries are also listed and then there is Guillotine and afterwards we cannot discuss them. That is why, I am requesting all of you to be very brief. You may highlight only the points. I am not denying that this is a very important subject. Already the allotted time of three hours is over.

***श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश (सूरत) :** अगर भारत का विकास करके भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं तो हमें बच्चों के स्तर पर ध्यान देना होगा। करीब हर स्कूलों में कक्षा 6 से साइंस फेयर का आयोजन साल में एक बार होता है। कई बच्चे काफी अच्छे विचार लेकर मॉडल्स बनाते हैं। पर उसका राष्ट्र के हित में कोई उपयोग नहीं होता है, मसलन किसी ने सोलर एनर्जी का प्रयोग किया तो किसी ने कम क्षेत्र में कुदरती मार्ग से ज्यादा ऑक्सीजन कैसे बन सकता है, इस पर शोध। मेरा सुझाव है कि एक ऐसा नेशनल पोर्टल बने जिसमें ऐसे हर जिले के पहले 10 विद्यार्थियों को पेटेन्ट जैसे नंबर देकर प्रोत्साहित किया जाए। और अगर कोई कंपनी उसका प्रयोग करना चाहे तो उसे एचआरडी मिनिस्ट्री से परमिशन लेकर उस विद्यार्थी के भविष्य का खर्च उठाकर उपयोग कर सके। ताकि गाँवों एवं स्कूलों से राष्ट्र के विकास की गति को तेज करने के साथ प्रभावी विद्यार्थी का भविष्य भी सुनिश्चित होगा। यही प्रयास संशोधन के क्षेत्र एवं पीएचडी के रीसर्च स्कॉलर विद्यार्थियों को भी साथ रखकर कर सकते हैं।

एक और विषय की ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। अपना परिणाम अच्छा ना आने के कारण अपना जीवन समाप्त करने की वृत्ति एवं संख्या दिनोदिन बढ़ती जा रही है। मैं सुझाव देना चाहती हूँ की एक राष्ट्रव्यापी अभ्यास करके ऐसी संभावना के स्तर पर काउन्सिलिंग की व्यवस्था पर जोर दिया जाए और शैक्षिक संस्थानों को प्रेरित किया जाए। सायकोलॉजी के विद्यार्थियों को इस कार्य में साथ लेकर कार्य किया जाए।

आज अपने भविष्य को लेकर कम मार्क्स लाने वाले विद्यार्थी चिंतित होते हैं। मैं चाहती हूँ कि छात्रालय शिक्षाक्रम में गृह उद्योग को भी तवज्जो दी जाए ताकि वह अपने भविष्य को लेकर चिंतित न हो। इतना ही नहीं, कई ऐसे उद्योग हैं जिनका कोई शिक्षा संस्थान नहीं होता, पर वे व्यवसाय से अच्छी कमाई कर सकता है। डीटर्जेंट, मसाले बनाना, बुनाई-कढ़ाई, जरदोशी वर्क, पेपर से भिन्न-भिन्न स्टेशनरी की चीजें बनाना, पापड़ अचार बनाना जैसे गृह उद्योग की शिक्षा की भी व्यवस्था की जाए।

युनिवर्सिटी स्तर पर पूरे देश में समान शैक्षिक कैलेंडर पर भार दिया जाए ताकि अन्य युनिवर्सिटी में प्रवेश लेना आसान हो, और कई छात्रों का वर्ष बिगड़ें नहीं।

* Speech was laid on the Table.

ADV. JOICE GEORGE (IDUKKI): Sir, we are looking at our younger generation with a lot of hope. But going through the Budget proposals for this year, there has been a cut of 29 per cent in the budget for children. Without having sufficient allocation for education sector, we cannot achieve our targeted results in education sector.

As far as SSA is concerned, it is our flagship programme for the students. There has been a cut of Rs.13000 crore in this sector alone. Last year, there was an allocation of Rs.55115 but now it has been reduced to Rs. 42210 crore as far as education sector is concerned. Without having sufficient allocation, there is no point in speaking big things. As far as functioning of SSA in my Constituency is concerned, I bring to the notice of this august House that there are some irregularities in its functioning. I convey this message to the hon. Minister. Though the MPs are the Chairmen of the Vigilance and Monitoring Committees, the officials who are in charge of SSA are not willing to disclose the things to the MPs and other members of the Vigilance and Monitoring Committee. When we ask for some specific details regarding the functioning of SSA, they have even went to the extent that they are not ready to disclose these things to the Vigilance and Monitoring Committee. It is happening in my Constituency. Therefore, I urge upon the hon. Minister to intervene in this matter. There are some irregularities in the functioning of SSA in Idukki district in Kerala State. Some measures should be taken in that respect also.

As far as RMSA is concerned, the Government has upgraded six schools in my Constituency but the State Government failed to get a nod from the Central Government. The schools were upgraded and the students were admitted but no teachers are there to teach the students. There are no facilities. Nothing is being provided. They are in dismay. I urge upon the Government to intervene in the matter and at least protect the interest of poor and hapless people. They are finding it difficult to continue their studies there.

Almost 400 students are there. There are no teachers. These students are now in the tenth standard and are supposed to appear for the Board examination next year. But nobody is there to take care of them.

Sir, lastly I would like to mention that we are having a lot of schemes and a lot of educational institutions. But the element of motivation and inspiration is badly lacking in our education system. We must have some mechanism to motivate the children and students and inspire them to achieve higher goals in their lives otherwise no purpose is going to be served despite spending this much of money in the education sector.

Thank you.

***SHRI D.K. SURESH (BANGALORE RURAL):** The Human Resource Development Department plays a significant role in the all-round development of the citizens of this country. This development can be achieved only by building a strong foundation in education.

Public spending on education in India is about 3.2% of the GDP. If we look at the global scenario, out of 192 countries, for which data about the expenditure of education are available, India stand at 133rd position. The advanced countries are the ones with a strong education foundation. India has lagged behind in the education field despite efforts by various governments. Education is the building blocks for an economically strong country. Therefore, public expenditure on education needs to increase in order to match the requirements to build infrastructure and education services in the country.

The Union Government in its budget reduced the allocation for the education sector. Rupees 42,210 crore has been allocated for school education in 2015-16. This is about 13,000 crore less compared to 2014-15 revised budget. The budget allocated for Higher education is Rs.26,800 crore which is around Rs.800 crores less than the previous budget. Even the HRD ministry's flagship programme SSA also saw a cut of nearly Rs.6,635 crores. Using devolution of taxes to states as the reason for reduced allocation is not an excuse. States cannot be expected to raise funds required to build educational infrastructure entirely on their own.

Welfare of the country depends on the education it gives to the people. To realise the objectives of the Right to Education the country needs more funding. At present, the ground reality of the education sector is very disappointing-inadequate teachers, poor infrastructure and poor quality of education are pushing the education sector to a corner.

According to the estimates of the HRD ministry, nearly 5 lakh posts are vacant in schools across India. If the Government wants to achieve a modest

* Speech was laid on the Table

objective of 30:1 student teacher ratio, the Government should take urgent measures to fill up vacant posts in all Government schools in the country. There is a need to improve the quality of teacher training programmes all over the country. Existing teachers should be provided with distance learning options to improve their teaching standards.

The education system in India is faltering because of a lack of good teachers. A planning commission report of the 12th Five Year Plan stated that there are 8.1 lakh untrained teachers in the country. In addition, there are a large number of un-qualified ad-hoc teachers who are virtually running primary schools in many of states of the country.

Around 40% of the teachers in primary schools have been appointed on a temporary basis. Many of them have studied only up to higher secondary and draw a paltry salary of about Rs.5,000 to 7,000 per month. Therefore, I would like to urge the Union Government to take effective and immediate measures to improve education standards by imparting proper training to teachers. Also, teachers have to be encouraged by providing them job security and paying them higher salaries to motivate them to upgrade their skills so that the nation as a whole can benefit.

With regard to teaching practice, I would like to point out that the traditional system of rigid instructional practices are being followed even today in large number of schools in primary and secondary education. I would like to suggest the Government to encourage qualitative education instead of rigid instructional practices. Adequate infrastructure should be provided to use technology to go beyond traditional structure. If the Government encourages innovation in education and enquiry based learning, it would help to put an end to brain drain and our country would see more prosperity in the years to come.

As our country has been facing new challenges in the field of health, environment, defence etc, it is the need of the hour to take steps for augmentation of research and promotion of science among students particularly in rural India. In

order to provide better education especially in science, the Government should give special attention to rural areas as they are lagging behind in infrastructure.

In order to promote science education in schools, I would like to urge the Government to allocate additional funds for setting up well equipped science labs along with adequate number of science teachers. There is also a need to provide scholarships to students to encourage and promote science among them. This would attract our bright and young students to develop inclination towards research and technology and help the country to become an economic superpower in the coming decades.

Therefore I would like to suggest that there is an urgent need to raise the level of education and also the quality of education to reduce drop outs and provide better education to ensure all children can grow up to earn a good living. Education in Government schools is free up to the age of 14. Making provision for free and compulsory education up to 18 years would increase educational levels and also help girl children who would otherwise be subjected to early marriage. Providing compulsory education for all up to the age of 18 will also ensure that child labour can be completely eliminated.

The basic objective of education is to make every citizens literate. The 2011 census shows that the Indian literacy rate is at 73%. Priority to female education and an increase in budgetary allocation for literacy programme are required to increase the literacy levels. Concrete steps should be taken to provide standard infrastructure including drinking water, functional toilets, play grounds, libraries, labs, etc. in all Government schools.

I welcome the decision of the Union Government to establish an IIT in Karnataka. This will be a welcome addition to the state of Karnataka. However, the Union Government should ensure that this institution should be completed in a time bound manner.

Ramanagara District which is in my Bangalore Rural Lok Sabha constituency is a backward region. One of the reasons it is backward is due to the

fact that there are not enough quality educational institutions in the region. Even though it is mandated by the Union Government that every district in the country should have a Kendriya Vidyalaya and Navodaya school, both of these institutions are not established in the district. After I become an M.P., I have requested the Union Government to establish these institutions in Ramanagara district as soon as possible, but yet there is no progress in this regard despite the fact that the district administration has written to the Union Government and made arrangements to provide land for the same. I urge the Union Government to provide budgetary provisions for the same.

Overall the budget allocated in the Union Budget of 2015-15 is woefully inadequate for the current requirements of the country. There is an urgent need for steps to be taken to rectify the education system in the country. Hence, I request the Union Government to increase the budgetary allocations made to the Human Resource Department.

***DR. RATNA DE (NAG) (HOOGHLY):** I would like to express my views on this very important Demands for Grants of the Ministry of Human Resource Development for 2015-15 on behalf of my party, Trinamool Congress. The Demands of the Ministry of HRD are rarely taken up. This is a welcome sign considering the poor quality of education being imparted in schools, colleges and universities of our country.

On the one hand, Ministry is announcing IITs and IIMs in Jammu and Kashmir, Andhra Pradesh and Karnataka but when the Budget was presented, we could see 17% cut. In the case of Department of School Education, there was a cut of nearly Rs.13,000 crore and in the case of Department of Higher Education, we could see a cut of around Rs.800 crore. The Minister should throw more light on drastic cuts.

No one can deny that students coming out of colleges and universities have bleak prospects at the job market. There should be a synergy between the skills taught in colleges and universities and schools and job market. The Ministry should ensure that those enrolled in schools attend schools and get quality education.

We achieved independence in 1947, though we have made considerable strides in every field, we could not do so in the field of education, particularly in the area of increasing the literacy rate. Our population explosion may be one of the reasons for not showing commendable results in literacy rate, particularly in terms of imparting quality education. Much more needs to be done in the field.

Would the Ministry strive with more vigour to ensure that literacy rate takes a great leap towards a more literate India in the years to come? Is it true that 35% illiterates in the world reside in India? If yes, what measures are put in place by the Ministry to reduce illiteracy with the help of National Literacy Mission in the last few years?

* Speech was laid on the Table

The other issue is admission of Economically Weaker Section children in Government and Government-aided schools. We often come across interference of High Courts in the form of directions to Schools to implement Section 12(1) (c) of the RTE Act of 2009 which ensures at least 25 per cent of admission of EWS children in Government and unaided schools. It is for sure that Government Schools and Unaided Schools, with the exception of some, float the said rule, without any strict penalty by the Government. There is a need for the Ministry to strictly follow whether the Schools, both Government and unaided schools, provide admission to EWS children in letter and spirit by following the said Act. Would the hon. Minister assure the House that he would make renewed efforts to ensure no school turn down the right of EWS children of seeking admission in Government and unaided schools?

It is often reported that students with degree and post-graduate degrees are incapable of cracking simplest of exams in order to get jobs. There is a need to give a shift in what we teach in colleges and universities. A shift which takes students closer to mastering skills which keep them in good stead for life, for chartering their course in search of job or career. There is a need to bring such skills in the existing and new courses that are being planned by the UGC, NCERT, which would help our students in colleges and universities to not only excel in academics, but also to find better jobs. Instead of bringing about cosmetic changes as and when a new Government takes over, would the hon. Minister assure the august House that skill development is given prominence in courses in the colleges and universities under the new dispensation?

I am not going to say that our higher education is not up to the mark and our best of institutions like IIT, IIMs are not finding a place even 200 best institutions in the world because the yardsticks of such surveys differ from one another. I appreciate the good work being done by institutions like IITs and IIMs and some of the universities. I am sure that the hon. Minister would agree that when it comes to standard and quality of our higher education, much needs to be

done. Would the hon. Minister highlight what efforts have been made in the past 11 months to address the issue of improving the standard and quality of our higher education. How much of the funds allocated under the 12th Plan for higher education have been spent so far? What changes concerning higher education are proposed to achieve during the 12th Plan period? To what extent, the Ministry has succeeded as we are about to complete 3 years of 12th Plan period?

Annual Status of Education Report (ASER) 2014 highlights the deteriorating quality of education in the country, particularly in the primary education. Quality of education needs to be enhanced. It pains me to see the quality of education in our country. Even after 67 years of Independence, we would not afford quality education to our people. All the emphasis on improving the quality of education being imparted at primary and secondary level through the National Literacy Mission is required at the Ministry level. Is there any move at the Ministry level to improve the quality of education in the current year? If yes, the complete details thereof? If not, the reasons therefor?

Annual Status of Education Report (ASER) 2014 has mixed results- some good, some not so good. Enrolment over the years is good. There is a need to improve the quality. What changes have been brought about by the Ministry to improve the quality of education through Literacy Campaign of the Ministry post ASER 2014? What efforts are being made by the Ministry to improve the quality of education through National Literacy Mission post ASER 2014? How to improve the basic skills of subtraction, division in primary schools across the country?

What measures have been enunciated in the National Literacy Mission to bridge the gender gap from 16.25 per cent points? Have the Ministry sought more allocations for the Mission to succeed? If yes, the details thereof? If no, the reasons therefore? The Government is implementing many schemes including Sarva Shiksha Abhiyan, etc. I am sure, the House would not agree more that the quality and the standard of education being imparted in Government schools are

much to be desired. There is a lot of room for improvement and much more needs to be done in the field. There is a need for the Government to revisit various schemes of the Ministry aimed at quality of education, etc. with a view to enhancing the quality of education. I hope the hon. Minister would strive in this direction with more vigour to ensure that literacy rate takes a great leap towards a more literate India in the years to come.

There is an urgency to impart education to 35% illiterates in the world who reside in India. Before we think of Make in India, we should think of Make India. We cannot hold our head high when 35% of illiterates in the world reside in India. On a war footing, the Ministry should address the issue of improving quality of education being imparted at every level, including colleges and universities.

I hope the Government would give much needed fillip to the education sector with more emphasis on improving the quality of education in the country.

डॉ. अरुण कुमार (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। यह बहुत गंभीर विषय है, इसमें विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। फिर भी मैं आपके माध्यम से दो-तीन बातें कहना चाहता हूँ। केन्द्र और राज्य सरकार दोनों अपने-अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। शिक्षा ही विकास का मूल है। इस देश में शिक्षकों का अभाव हुआ है। पिछले 25-30 वर्षों में शिक्षा में उत्तरोत्तर गिरावट आई है। माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है तो लोगों को एक परिवर्तन की आस लगी है। आज हम खासकर बिहार की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि आप सर्वशिक्षा अभियान में जो पैसे देते हैं, बिहार में सैकंडरी और प्राइमरी एजुकेशन में साढ़े तीन लाख ऐसे शिक्षक हैं जो वेतनमान में नहीं हैं। साढ़े तीन लाख शिक्षक नियोजित शिक्षक बना दिए गए। आजादी के बाद लोग वेतनमान पर काम करते थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से वेतनमान नहीं मिलने की वजह से एक शिक्षक को समान कार्य के लिए 36 हजार रुपये मिल रहे हैं और दूसरे को 6 हजार रुपये मिल रहे हैं। यह असंतोष, कुंठा कुंठित पीढ़ियों को जन्म देगी। आज शिक्षा की जो अराजक स्थिति बनी है, निश्चित तौर से इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत है। भारत सरकार जो पैसे दे रही है, वह कुप्रबंधन का शिकार हो रहा है। आज हम मध्याह्न भोजन की चाहे जितनी तारीफ करें, शिक्षालय भोजनालय के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। मैं उस क्वालिटी पर नहीं जाता कि कैसे मिलता है, क्या मिलता है। शिक्षक और छात्रों के बीच अनावश्यक विवाद पैदा हुआ है। जो वातावरण वहां बना है, माननीय मंत्री जी अपने क्षेत्र में गए थे तो रोड जाम थी। छोटे-छोटे बच्चों ने रोड जाम की हुई थी। वहां बीडीओ भी उपस्थित था। मास्टर मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। हम यह किस संस्कृति का संरक्षण कर रहे हैं, कैसी व्यवस्था दे रहे हैं, इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। आज जो वातावरण बन रहा है, हमारी संस्कृति, सभ्यता, सामाजिक संरचना शिक्षकों पर आधारित है और गुरु-छात्र संबंध जो टूट रहे हैं, इस पर हमें पुनर्विचार करना चाहिए। हम एक नए भारत की तस्वीर देख रहे हैं, शिक्षा उसकी बुनियाद है। बिहार में अभी माननीय मंत्री जी ने भी देखा होगा कि डिग्री बांटी जा रही है। डिग्रियों से कैसे भविष्य का निर्माण होगा, हम इसकी कल्पना कर सकते हैं। जब शिक्षक ही नहीं हैं, एक-एक विद्यालय में संस्कृत या मैथमैटिक्स के टीचर सभी विषय पढ़ा रहे हैं। वे उन छात्रों की कैसे परीक्षा ले सकते हैं, यह एक कठिन प्रश्न हमारे सामने है। हम चाहेंगे कि शिक्षक को भयमुक्त वातावरण और सम्पूर्ण वेतनमान के साथ काम करने की व्यवस्था उत्पन्न करनी चाहिए ताकि स्वाभिमानी वर्ग पैदा हो या नए स्वाभिमानी राष्ट्र का निर्माण कर सकें।... (व्यवधान)

मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा।

मन में बहुत सारी बातें कहने की इच्छा थी। बिहार में हाल में परीक्षा संपन्न हुई है लेकिन उसका मूल्यांकन बंद है। अन्य राज्यों के बच्चे मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए जाएंगे, लेकिन जिन बच्चों का रिजल्ट घोषित नहीं होगा वे पिछड़ जाएंगे राष्ट्र को समेकित विकास के रास्ते पर ले जाने की जरूरत है। जिस तरह से हायर एडुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन बनाया है उसी तरह से सेंकडरी ग्रांट कमीशन भी सेंकडरी एडुकेशन के लिए बनाएं, जिससे सेंकडरी लेवल पर जो विद्यालय अच्छा कार्य कर रहे हैं उसे इसका लाभ मिल सके। वर्तमान में विभिन्न कारणों से जो शिक्षा की अधकचरा व्यवस्था शुरू हुई है, उसको दूर किया जाए सके। माननीय शिक्षा मंत्री जी संकल्प की धनी हैं, वह निश्चित रूप से नया परिवर्तन लाने के लिए अपने संकल्प को दुहराएंगी।

***SHRI SHIVKUMAR UDASI (HAVERI):**The Department of School Education and Literacy is responsible for the promotion and development of elementary education, Secondary education and adult education. Overall the Department is responsible for the universalization of education for all.

The Gross Enrolment Ratio (GER) in higher education, which is the participation in the age group of 18-23 years in higher education continues to be low and is estimated to be nearly 13.5%. This is much below the world average of 24% two thirds of that of the developing countries i.e. 18% way behind the developed countries (58%).

Eleventh plan was a logical response to the rising aspirations of young people, improved schooling, and the fact that jobs created through rapid economic growth and skill-based technical change require higher levels of education.

Twelfth plan approach paper which mentions that about 18 per cent of all Government education spending or 1.12 per cent of GDP be spent on higher education. This funding should be raised to 25 per cent and 1.5 per cent respectively. However, the overall scenario regarding the declining allocations over the years as discussed in preceding paras shows altogether a different picture. This is also reflected in low achievement of GER which is taken as an indicator of the growth and development of Higher Education sector in the country. As may be seen from the comparative figures, India ranks at the bottom regarding GER amongst those nations, therefore, reiterates that to achieve higher GER and for making India an educational hub globally, not only more allocations are required but the utilization of allocations also has to be more efficient.

Indian institutes of Science Education and Research (IISERs) have been envisaged not only as institutes of higher education but would also carry out research in various fields which would bring good name to the country. Any delay would impact the research part heavily as it requires not only facilities like labs, libraries and other related infrastructure but also an appropriate ambience to do so.

* Speech was laid on the Table

The department of higher education and the Government should work for this purpose with synergy to get best of the results.

They provide manpower of global standards for information technology industry to cater to the needs of emerging areas of knowledge, economy, education and training information technology is a pre-requisite. There is also no denying the fact that the IT sector has a positive impact on our economy and the governance which in turn has improved immensely every aspect of our society, be it education, health facilities, agricultural innovations or service sector. The existing centrally-funded IITs, mode of setting up the new IITs, their governance structure and likely impact on all the envisaged stakeholders is concerned.

It is a matter of concern that there is acute shortage of faculty in higher educational institutions across the country. Right from well-established Central Universities to those set up recently, state universities as well as private universities, premier institutions like IITs, NITs and IIMs, this problem has emerged as the biggest handicap for the development and growth of higher education vis-a-vis maintaining the quality of education. The situation continues to be grim with no improvement foreseen in the near future.

There can be only two possibilities either our young students are not attracted towards the teaching profession or the recruitment process is a prolonged one and involves too many procedural formalities.

In the Higher Educational Institutions (HEIs), there should be an increase in the number of research fellowships and new schemes for teaching assistantship should be introduced. The Standing Committee on HRD also recommended that there should be appropriate linkage with S&T institutions, joint appointment of teachers and research as faculty and promotions should be linked with performance. The committee further adds that the department should take steps to enhance the prestige value of the teaching profession. The committee is also of the view that in case the stricter norms for the appointment of faculty is coming in the

way then UGC and other regulatory bodies should review them on regular basis and bring in necessary changes so as to fill up the vacant posts at the earliest.

Some strategies for the skill component like skills requirement assessment, diploma Education, lateral entry of ITIs to diploma programme, industrial finishing schools and special manpower development programme should be taken up. This area should be accorded highest priority as it will impact the development strategies. Skill development, in fact is not confined to one Ministry/Department; many of them including state Governments and private sector would be involved, although we have a separate ministry for coordination in this regard.

That the development, expansion and growth of higher education, both in the public and private sector, especially in view of the demographic dividend in the form of young population available in the country which is at present highest in the world requires highest attention of the government. The youth of the country deserves the best of education environment to realize its dreams. India has got all the ingredients to become an international education hub as can be seen in the growth of the IT sector. That paucity of funds should not be allowed to come in the way of India acquiring the status of a leader in this field. All the stakeholders, be it government regulatory like UGC/AICTE, institutions of higher education and research like IITs, IIMs, IISERs, NITs, IITs, private sector and most importantly the society should galvanize to achieve the dreams of our young population thereby making India not only education hub globally but also realizing the ambition of rubbing the shoulders with the best in the world.

There are large number of complaints about working of our regulatory bodies in higher education, particularly UGC and AICTE, which needs to be looked into seriously.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Hon. Deputy-Speaker Sir, the human resources development is the key factor in the nation-building process. Human resources capital is also the precious wealth of our country. India, the developing nation, is aspiring to be a developed nation by 2020-30 on the basis of the working age population of our country. But it is quite unfortunate and desperate to see that such vision is not being highlighted or expressed in the Budget especially in the Demands for Grants for the Ministry of Human Resources Development.

Moreover, I strongly oppose the Demand No. 57 which is in respect of school children and literacy because a drastic Plan cut is there without any genuine reasonable justification.

Sir, when we come to the education sector, education is the major and most important social engine in accelerating the growth, development, prosperity and progress of our country. What is the concept and vision of this Government in respect of school education?

It has been seen that the literacy rate in the present scenario of Indian school education is 74 per cent according to 2011 census. If a person is able to read and write his name, he is known to be a literate. But the international standard in respect of the criteria of becoming a literate is entirely different.

My first suggestion to the Government is, we have to draw a new line. A proper base line needs to be put in place so as to assess the actual literacy in the country. Only then we can plan the programme so as to avoid illiteracy in our country. This is the first point which I would like to make.

Regarding literacy, I would like to make an alarming point. From 2001-11, literacy growth is about 9.2 per cent but that is very slow and very low than the previous decade also. In which direction are we moving? In such a pathetic scenario, what this Government is doing in respect of this Budget is very concerning.

I would like to quote page 23 of the BJP manifesto.

“Investment in education yields the best dividend. Public spending on education would be raised to six per cent of the GDP and involving the private sector would further enhance this. For this, under the scheme, Quality Education for All, BJP would take the following steps. Sarva Shiksha Abhyan shall be strengthened and expanded with a goal to remove illiteracy. Mid-Day Meal Scheme would be revitalized in terms of management and delivery.”

Many other slogans like these are being given. Have those promises been fulfilled in this Budget in respect of school education and literacy? That is the first question which the hon. Minister has to answer. I am not going into the figures. In 2015-16, the Budget allocation compared to that of the previous year, 2014-15 is -24.68 per cent. This what the Standing Committee Report says. Such a situation has never come in the history of Indian school education. In non-Plan sector also, there is a cut of -3.23 per cent. What is the vision of the Government now? It is not only so with regard to the allocation in 2015-16 Budget.

Regarding the performance of the Ministry, I would request the hon. Minister to kindly see the expenditure. In 2013-14, the total plan expenditure was Rs. 43,803 crore; and in 2014-15, till 31.1.2015 it was just Rs. 36,594 crore. What are the major schemes? They are Sarva Shiksha Abhiyan, mid-day meal scheme, Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan, Model School Programme, etc. No utilisation of allocated funds in these Schemes means it is a non-performing Ministry. It is violating the fundamental rights which is enunciated in article 21 (a) of the Constitution. Who is responsible for that? Is it ‘minimum Government and maximum governance’? What is the deduction? The actual expenditure during 2014-15 was lower by 16.25 per cent in comparison to actual expenditure of 2013-14. ... (*Interruptions*)

SHRI E. AHAMED (MALAPPURAM): I may please be allowed to intervene. ... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: He is speaking. Let him complete.

... (*Interruptions*)

SHRI E. AHAMED : The point raised by him is a serious one. He is saying that the Government has not performed. ... (*Interruptions*) The Government has not utilized the money. ... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Premachandran, you please continue.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Shri Ahamed, thank you. Due to paucity of time I could not respond.

That is about the non-utilisation of funds and allocation of funds. I would also like to state one more figure regarding the allocation of funds. I have with me the Report of the Standing Committee, which very specifically states that in 2012-13 the increase in Budgetary allocation was 17.68 per cent. It has come down to 8.04 per cent in 2013-14; 4.58 per cent in 2014-15; and in 2015-16, under the new Government which has promised to spend more than six per cent of the GDP in the field of education, it has come down to minus 23.40 per cent. What is the promise and what is the practice? I would like to know whether the Government is concerned about the school education, literacy and the Right to Education Act.

So, I would like to make two points. One is regarding the non-allocation of funds through Budgetary proposals; and the other is the under-utilization of funds. So, optimum and judicious utilization of funds are the criteria for assessing the performance of a Department or a Ministry. So, going by that criteria here it is well established that it is not being done.

I do admit the fact that there has been an increase in the allocation for higher education sector. There is a 22 per cent increase in the allocation to the higher education sector. I will just make one more point and then conclude. What do the increase of 22 per cent more to the higher education and minus 23.4 per cent in respect of elementary education indicate? It indicates that you are building a structure on a weak foundation. That will definitely collapse. So, my humble

submission and suggestion to the hon. Minister as well as to the Government is that please revise the Budgetary proposals so as to allocate more funds for the school education and literacy.

With these words, I conclude. Thank you very much.

*SHRI MD. BADARUDDOZA KHAN (MURSHIDABAD): I would like to draw the attention of Human Resource Development Minister that education is an important subject. People of every corner of our country are associated with this subject. Development of a country always depends on education. We always demand allocation of fund at least 6% of GDP a 10% of budget. But since independence, no Government has implemented this demand. It is true that due to SSA, infrastructure development has been done. Till now, India is not a full literate country. Till now, people are facing lack of schools to admit their children. At present, many schools are facing trouble due to lack of teachers. We want quality based education for all. It is possible if Government allocate money for free education from KG to PG. If private sector is allowed to do this job, they will come forward for the interest of personal profit not for the interest of the people. Quality of education will be decreased. Finally our country will lose its own strength.

So, I request the Government to allocate 10% money of budget for free education and quality based education for all.

***SHRI PRASANNA KUMAR PATASANI (BHUBANESWAR):** Education is not only an instrument of enhancing efficiency but also an efficient tool for augmenting and widening democratic participation and upgrading the overall quality of individual and society. India has a vast population and to capture the potential demographic dividend, to remove the acute regional, social and gender imbalances, the government is committed to make concerted efforts for improving the quality of education as mere quantitative expansion will no deliver the desired results in view of fast changing domestic and global scenario.

The Ministry of Human Resource Development has two Departments i.e. Department of School Education and Literacy and the Department of Higher Education. The vision of the Department of School Education and Literacy is to ensure education of equitable quality for all to fully harness the nation's human potential, and the vision of the Department of Higher Education is to realize India's human resource potential to its fullest in the education sector, with equity and excellence. It is being increasingly realized with higher intellectual and professional capabilities of human beings. A good quality human resources base is extremely important in today's highly competitive environment. The very concept of development in the past two decades has evolved in this direction which has moved from income and income distribution to human resource development. This is the very reason for the marked shift from the welfare approach of education to the right based approach, providing the foundation for the right to dignified living through its transformative potential to development.

To meet these challenges, the Ministry's endeavour has been to achieve 'Education for All' with an inclusive approach. Elementary Education comprising primary and upper primary forms the foundation of the education pyramid. Hence to strengthen this foundation and to achieve the goal of universal access to quality education for all, the Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009 became operative on 1st April, 2010. Further to enhance enrolment,

* Speech was laid on the Table

retention and attendance and simultaneously improving nutritional levels among children, the major intervention includes 'National Programme of Mid-Day Meal (MDM) in schools. At the same time, the Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) is being implemented to achieve the goals of universal access and retention, bridging of gender and social gaps in enrolment levels and enhancement of learning levels of all children.

Article 21-A of the Constitution of India and its consequent legislation, the Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009 became operative in the country on 41st April, 2010. Every child has a right to elementary education of satisfactory and equitable quality in a formal school which satisfied certain essential norms and standards specified in the RTE Act. The reform processes initiated in 2010-11, pursuant to this important development, were continued during the year 2011-12, 2012-13 and 2013-14, All States/UTs have notified their State RTE Rules

Bridging gender and social category gaps in elementary education is one of the four goals of SSA. Consequently, SSA attempts to reach out to girls and children belonging to SC, ST and minority communities. SSA has also given attention to urban deprived children, children affected by periodic migration, and children living in remote and scattered habitation. SSA has identified Special Focus Districts on the basis of adverse performance on indicators of girls' enrolment, as well as concentration of SC, ST and minority communities. RTE SSA provides a clear thrust and special focus on education for girls and children belonging to disadvantage groups and weaker sections; these include ensuring availability of primary and upper primary schools within the habitation has prescribed under the RTE Rules, uniforms, textbooks etc. Special training interventions are also largely focused on girls and disadvantaged groups.

With a view to enhance enrolment, retention and attendance and simultaneously to improve nutritional status of children, a Centrally Sponsored Scheme 'National Programme of Nutritional Support to Primary Education (NP-

NSPE): was launched on 15th August, 1995. The Scheme was extended during 2008-09 to cover children of upper primary classes and the name of the Scheme was changed as 'National Programme of Mid-Day Meal in Schools'. At present all the primary and upper primary Government, Government-aided Local Body Schools, National Child Labour Projects (NCLP) schools, the Centres run under Education Guarantee Scheme (EGS)/Alternative and Innovative Education) Madarsas and Maqtabas supported under SSA are covered under Mid-Day Meal Scheme. The scheme is being revised from time to time to its content and coverage. The Mid-Day Meal scheme covered 10.68 crore elementary class children in 12.12 lakh schools in the country.

The objectives of the Mid-Day Meal Scheme are to address two of the pressing problems for majority of children in India, viz, hunger and education by;

- i. improving the nutritional status of children in class I-VIII in Government Local Body and Government aided schools and EGS and AIE center NCLP schools and Madarsas and Maqtabas supported under SSA.
- ii. Encouraging poor children, belonging to disadvantaged sections, to attend school more regularly and help them concentrate on classroom activities.
- iii. Providing nutritional support to children of elementary stage in drought affected areas during summer vacations.

While only 73 per cent literacy has been achieved as per Census 2011, there has been marked improvement in female literacy. Male literacy at 80.9 per cent is still higher than female literacy at 64.6 per cent but the latter has increased by 10.9 per cent points compared to 5.6 per cent points for the former. The Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009 was enacted by the Centre to increase the quality as well as accessibility of elementary education to Indian in April 2010. Sarva Shiksha Abhiyan is the designated scheme for implementation of the RTE Act. The framework of the SSA has been revised to include reimbursement for expenditure incurred for at least 25 per cent admissions of children belonging to disadvantaged and weaker sections in private unaided

schools from the academic year 2014-15. Between 2007-08 and 2013-14, according to the DISE (District Information System for Education), total enrolment in primary schools increased from 134 million to 137 million in 2011-12 and then declined to 132 million in 2013-14 while upper primary enrolment grew from 51 million to about 67 million. This is in line with the changing demographic age structure. India has achieved near universal enrolment and enhanced hard and soft infrastructure (schools, teachers and academic support staff.)/

There is a dual challenge here of developing skills on the one hand and using skills on the other since skills that are not used are lost. As per the Labour Bureau Report 2014, the current size of India's formally skilled workforce is small approximately 2 per cent. This number contrasts poorly with small countries like South Korea and Japan that report figures of 96 and 80 per cent respectively. At all India level around 6.8 per cent persons aged 15 years and above are reported to have received/ are receiving vocational training.

As per studies conducted by National Skill Development Corporation for the period 2013-2022, there is an incremental requirement of 120 million skilled people in the non-farm sector. The current capacity for skilling is grossly inadequate and needs to be speedily scaled upto meet immediate skill needs of the country. The poor skill levels among India's workforce are attributed to dearth of a formal vocational educational framework, with wide variation in quality, high school dropout rates, inadequate skills training capacity, negative perception towards skilling and lack of industry-ready skills even in professional courses (Labour Bureau Report 2014). Some recent initiatives that aim to enhance access, equality, quality, innovation, etc. in the area of higher and vocational education are the Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA), Technical Education Quality Improvement Programme (TEQIP) and National Skill Qualification Framework (NSQF).

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शिक्षा विभाग की अनुदान मांगों की चर्चा पर भाग लेने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इस बार बजट में सबसे ज्यादा कटौती स्कूली शिक्षा और साक्षरता के खर्च पर की गयी है। पिछले बजट में इसे 55 हजार करोड़ रुपये दिये गये थे, जबकि इस बार महज 42 हजार करोड़ रुपये ही दिये गये हैं। इसी प्रकार उच्च शिक्षा में भी कटौती की गयी है।

महोदय, सरकार शिक्षा के बजट का उपयोग करने में बहुत ही असफल साबित हुई है। स्कूली शिक्षा के लिए मौजूदा वित्तीय वर्ष में कुल 55 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध थे, मगर सरकार ने माना नहीं और 31 मार्च तक उसमें से महज 47 हजार करोड़ रुपये ही खर्च हो सके। इसी प्रकार उच्च शिक्षा के लिए दिये गये 28 हजार करोड़ रुपये में से केवल 24 हजार करोड़ रुपये ही खर्च हुए हैं।

महोदय, शिक्षा के स्तर में आज निश्चित रूप से गिरावट आयी है, खासकर सरकारी स्कूलों और प्राइवेट स्कूलों में काफी अंतर है। सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं उनके लिए राज्य सरकारों द्वारा कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं और केंद्र सरकार द्वारा भी बहुत-सी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे बच्चों को पढ़ाई में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनमें दोपहर का भोजन दिया जाता है, पोशाक देने की योजना है और भी कई तरह की योजनाएं हैं। इन योजनाओं से बच्चों के पढ़ने का अनुपात बढ़ा है लेकिन गुणवत्ता में कमी आ रही है। मेरी माननीय मंत्री जी से मांग है कि पढ़ाई की गुणवत्ता पर भी ध्यान देने की जरूरत है। आज बड़े-बड़े शिक्षण संस्थाओं में, खास कर कालेजों में हमारे दलित परिवार के बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे हैं। हमें इसका कारण समझने की जरूरत है। कुछ लोग कहते हैं कि निचले तबके के लोग साक्षर हो रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि निचले तबके के लोग प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा ही प्राप्त कर रहे हैं। कालेज तक पहुंचते-पहुंचते उनका प्रतिशत बहुत कम हो जाता है। इंजीनियरिंग कालेज या मेडिकल कालेज या उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करने में इनका कोई प्रतिशत नहीं है। जब तक हम समाज के अंतिम व्यक्ति को पढ़ा नहीं लेते हैं, तब तक हमारे देश की समृद्धि सम्भव नहीं है।

मैं मंत्री जी को विशेषकर अपने संसदीय क्षेत्र की बात बताना चाहता हूँ। हमारे यहां नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से स्थापित करके चलाया जा रहा है लेकिन हर बार यह यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट के विवाद में फंसी रहती है जिसके कारण इसकी छवि खराब हो रही है। इस सरकार ने आते ही अमृत्य सेन जैसे शिक्षाविद और विद्वान व्यक्ति को चांसलर के पद से हटाने का काम किया है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि जब विश्व को ज्ञान का प्रकाश देने वाली भूमि नालंदा में फिर से अंतरराष्ट्रीय स्तर का शिक्षण संस्थान

स्थापित किया जा रहा है तो सरकार सुचारु रूप से वहां प्रबंध मुहैया कराए, ताकि उसकी गरिमा बनी रहे। उसकी जो नई आधारभूत संरचना बन रही है, उसमें तीव्र गति लाने की जरूरत है। बिहार में दो केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की मंजूरी दी गई है, यह सराहनीय है, किंतु उसे अविलम्ब फंड मुहैया कराया जाए और सुचारु रूप से शुरू कराया जाए।

***SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD):** At the very outset, I would like to say that highest priority has to be given to this Ministry since it deals with the education from elementary education to the higher education. Education doesn't need to get some jobs it makes society conscious of human development besides the development of all other sections.

The allocation for HRD is lower considering the last budget. So the allocation has to be increased to meet the demands of this Ministry. The Finance Minister in his budget speech said that sufficient resources is allocated to all sectors but the figures show that the facts are contradictory to the statement made by the Finance Minister.

I would like to focus on some issues related with education. Central Universities are under the direct control of the Ministry. States have no role at all. It is governed by an Act passed by the Parliament. There was serious criticisms in the House itself that Vice Chancellor is all in all in the administration of the Central University. There is no syndicate or Senates or academic councils. Some bodies are nominated by the VC. There is concentration of power in the hands of VC which leads to the authoritarian decision and in some cases in leads some cases of mismanagements. Appointments are made by their own wishes and decision. There was vigilance inquiry with regard to the appointment of security persons in the Central University of Kasargod district. It is true in the case of the teaching staff merits are not considered. When UGC spends crores and crores of rupees, it should not be misused and wasted. So there should be a revisit in the administration of Central Universities.

Central Government has introduced new schools known as 'RMS schools. Sufficient funds are not allotted for the construction of buildings. It is very sad to say that staff pattern is insufficient to meet the demands. States like Kerala, has better education system in India. But these new schools have really made it much difficult since local people or PTA has to pay the salaries of the teachers in some

* Speech was laid on the Table

of the schools. So Government should take urgent steps in this regard Navodaya Vidyalaya is also the under control of HRD Ministry. These schools are also suffering in the case of sufficient teachers. Most of the schools are employing temporary teachers, it affects the quality of education.

Kendriya Vidyalayas are functioning throughout India. Here also we witness the need of qualified teachers. The school authorities employ temporary teachers in these schools also. Both in the Navodayas and Kendriya Vidyalayas there is no provision for teaching mother tongue. It is strongly objectionable to exclude a mother tongue in the curriculum of educational institutions. So, I request the Government to include mother tongue within the KVs and Navodaya Vidyalayas. There are some views expressed to the quota allotted for the admission of Kendriya Vidyalayas to the MPs . Now it is only 6. I would like to request the Minister to increase it to at least 15 because we are getting hundreds of applications.

Though we have passed various laws in the Parliament to ensure that there should not any capitation fee, SC/ST and Minority students should be given at atleast 25% of admission in allied institutions, still these decisions are not implemented.

Better faculty is the major issue that we face now a days. Our students have to compete with national level as well as international level. It has highest priority now a days. How is it possible for students to compete with other excellent institutions? So I request the Hon. Minister to take immediate steps. There is no justification for delaying the decisions in education field. It would be a crime when we face our young generation.

SHRI JOSE K. MANI (KOTTAYAM): I would thank you, Hon. Deputy-Speaker, Sir, for calling me to speak.

Sir, we are very well aware of the demographic dividend of the country and the need to harness its potential for the development of the country. The Government, in this Budget, has fallen short of being innovative and resourceful when it comes to the education sector. There are ample number of examples cited by my colleagues regarding the allocation cut. They have spoken about the BJP's manifesto where the thrust was given to education sector. But, in reality, they have deviated totally from it. This shows, hon. Minister, you are not candid in your approach and not for the future of the country. I am just shortening my speech because of paucity of time.

Sir, the hon. Prime Minister is promoting his agenda of 'Make in India'. To make this a successful Mission, young college students must be encouraged, motivated to innovate and they must be helped to start their own start-ups. Though the hon. Finance Minister has given Rs.1000 crore to boost the environment for start-ups, yet he should have also given a separate grant to all the Universities to set up incubation centres so that viable research and entrepreneurship ideas can be given a head start. In Kerala, during this Budget, a grant of Rs. one crore each was given to almost all the 11 Universities to start their incubation centres. It is besides the Rs.300 crore which has been allocated for the overall start-up villages in the State. For the entire country, the Government has given only Rs.1000 crore for the start-up village but, in the State of Kerala alone, it has given Rs.300 crore!

My suggestion to the Government is more fund allocation should be given for the start-up villages as well as for starting up incubation centres in all the professional colleges and also to the Universities.

The National Education Policy is in the process of making and is expected to be done by December. Education should be objective and unbiased towards any ideology. It has been observed various times in the past that the syllabus of certain

subjects was changed, essays and topics were removed following political pressure from certain ideological groups. For this purpose, it is important that an independent curriculum framework is drawn by a Board which is constituted by the Parliament and has a constitutional backing.

The State of Kerala was keenly waiting for its demand of IIT and the Rubber University are to be fulfilled. However, Kerala has been sidelined. A couple of times I had mentioned that in Kerala, aided schools have contributed a lot. Unlike all the other States, Kerala has more than aided schools – 7,000 aided schools; and the Government schools are about 4,000. But under *Sarva Shiksha Abhiyan*, assistance is given only to the Government schools. What we need is, we extend assistance to aided schools also. A scheme should be worked out for the infrastructure development. Assistance should also be given to the aided schools under the *Sarva Shiksha Abhiyan*. With these words, I conclude.

***साध्वी सावित्री बाई फूले (बहराइच):** हम सब जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश के युवा वर्ग को ही सच्ची ताकत बताते हुए उनकी शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से पूरे विश्व में भारतीय मानव संसाधन के योगदान हेतु महत्वाकांक्षी योजनाओं पर बल दिया है। इस बात में कोई शंका नहीं है कि विदेशों में भारतीय प्रतिभाओं ने धूम मचा रखी है और इनकी मांग भी जोरों पर है। परंतु देश में प्राथमिक शिक्षा की हालात अत्यंत चिन्ताजनक है। शिक्षा अधिकार कानून एवं सर्व शिक्षा अभियान के तहत मध्याह्न भोजन के जरिए सरकारी स्कूलों में नामांकन तो सुनिश्चित किया जा सका, परंतु छात्रों में अक्षर बोध एवं आंकिक एवं तार्किक स्तर पर बौद्धिक क्षमता हासिए पर है।

मेरा संसदीय क्षेत्र बहराइच उत्तर प्रदेश में नेपाल की सीमा से सटा हुआ तराई क्षेत्र है जो कि शिक्षा के मानकों में देश के सबसे पिछड़े जिलों में से एक है। ऐसे क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए विशेष पैकेज के तहत केन्द्रीय सीबीएससी बोर्ड के अंतर्गत आवासीय एवं केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की नितांत आवश्यकता है। जनपद बहराइच के लिए प्रस्तावित केन्द्रीय विद्यालय स्थानीय प्रशासन के असहयोग एवं अकर्मण्यता की वजह से पिछले कई वर्षों से लटका हुआ है। इसके लिए जमीन मुहैया करने की जिम्मेदारी उ. प्र. राज्य सरकार की है जो शायद केन्द्र की योजना में कोई रूचि नहीं लेती। मैंने व्यक्तिगत रूप से केन्द्रीय विद्यालय संगठन के आयुक्त से मिलकर इस मामले को उठाया तो वहां से जवाब मिला कि आवश्यक पत्रक जिले के अधिकारियों द्वारा भेजे जाने के बाद ही हम इस योजना को कार्यान्वित कर सकते हैं। इस स्थिति में क्षेत्रीय जनता राज्य और केन्द्र की खींचतान और परस्पर असहयोग के चलते उच्च गुणवत्ता के केन्द्रीय विद्यालय से आज भी महरूम है। मेरी प्रार्थना है कि ऐसे मामले में कोई भी ढीलढाल नहीं बरतते हुए तत्काल जमीन अधिग्रहण कर नए विद्यालय खोलने पर ध्यान देना चाहिए। छात्रों के भविष्य निर्माण में शिक्षकों की बढ़ती भूमिका होती है। इसीलिए उनके चयन को लेकर राजनीति न करते हुए शिक्षक भर्ती के मानक पूरे देश में एक समान रहें तो छात्रों की पढ़ाई का स्तर भी सुधारने में मदद मिलेगी, जिससे हम आज के प्रतियोगी युग में सबको शिक्षा के समान अवसर प्रदान कर सकें और हमारे शिक्षक होनहार नवयुवक निर्माण में अपनी प्रतिभानुसार सहयोग कर सकें।

* Speech was laid on the Table.

SHRI E.T. MOHAMMAD BASHEER (PONNANI): Sir, as far as education is concerned, this is India's golden era because of two reasons. Firstly, the 21st century is knowledge-driven; foundation of economy in this century is nothing but knowledge. This is an era of internationalization of education. Question before us is whether India is equipped to make use of this favourable situation and reach at the forefront of the world nations. I am not disappointed. Involvement and infrastructure in this sector is very much. The enactment of The Right of Children to Free and Compulsory Education Act and Schemes like SSA/RMSA/RUSA, etc have made tremendous impact on our education. Arresting the dropout has also made tremendous progress.

As far as higher education is concerned, quantitative growth of colleges, professional colleges, national Institutes, universities, etc. are increasing day by day. With regard to quantitative growth, it is okay. As far as qualitative growth is concerned, our graph is much lower.

Students from India are going abroad - to the US, the UK, Canada, Australia. What are the reasons? Reasons are - quality of education, increasing prosperity and aspiration, social prestige and also exposure and experience.

We must think loudly as to why can we not attract students from other countries to come to India. It is simple. We can; of course, we have some favourable situations - cost of education; medium of instruction is English similarly young generation believe about the cost and value of education imparted in India. Earlier, it was 'education' only. Now, it is titled as 'human resource development'.

Why is it so? It is not only to beautify the name, there are important aims and objectives - importance of value education; curriculum revision with the aim and objective of individual and national development. Curriculum revision is a thing to be done very carefully. We should think loudly as to whether we are at a satisfactory level. I wish to say here that my answer is `no`. Unfortunately we are adding politics to everything. Instead of enriching the young generation with intellectual inputs, we are feeding them with half-baked truth and misrepresented facts and distorted history. This is a very deplorable thing. The Government is even interfering in the preparation of text books at NCERT level. The Government have reconstituted all the educational bodies like NCERT, Indian Council of Historical Research, etc. Vedas, ancient Hindu text, Upanishad, *jyothish*, vedic mathematics, Sanskrit, yoga, *ithihas*, etc. are given top priority. I am not against that. It was during my period in Kerala we have started a Sanskrit University but what should be our priority? Why should we emphasise these things?

I would like to make an appeal to the effect that education should inculcate all kinds of sacredness of communal harmony, tolerance, kindness and compassion in the minds of young generation.

Education should inculcate all kinds of communal harmony, tolerance, kindness and compassion in the kinds of young generation. We must develop kindness in the hearts of the students. Kindness is a language which a deaf can hear and the blind can read. That should be our motto.

With these words, I conclude.

डॉ. उदित राज (उत्तर-पश्चिम दिल्ली) : उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ।

आज सदन में डिमाण्ड्स फॉर ग्राण्ट्स अंडर दि कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री एचआरडी पर चर्चा हो रही है। जो पैसा दिया जा रहा है, उसका मिसयूटिलाइजेशन, अंडरयूटिलाइजेशन भी बहुत है। माननीय मंत्री जी कोशिश कर रही हैं। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में ओबीसी के लिए जो पैसा दिया, उसे वहां के वाइस-चांसलर ने डायवर्ट कर दिया, उसी तरीके से शिड्यूल्ड कास्ट्स कंपोनेंट प्लान में जो पैसा शिड्यूल्ड कास्ट्स स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए दिया गया था, वर्ष 2013-14 में उसमें से केवल तीन प्रतिशत पैसा खर्च किया गया और 97 प्रतिशत पैसा खर्च नहीं हो सका। इस तरह की चीजें हो रही हैं। केन्द्रीय विद्यालय के बारे में भी मंत्री जी चिन्तित हैं। हम लोगों को जिस तरह की विरासत मिली है, उसे दुरुस्त करना है। वहां पर ट्रांसफर-पोस्टिंग में रूल्स-रेगुलेशन्स की बहुत बेंडिंग की गयी, उनको ट्विस्ट किया गया है। सरकार और मंत्री महोदया से मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि शिक्षा को इस तरह बनाया जाए कि जो स्टूडेंट्स शिक्षित होकर निकल रहे हैं, वे अपनी जिम्मेदारी एवं नैतिकता को समझ सकें। हमारे कॉलेजेज, यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स स्टूडेंट्स को यह भी नहीं बता सके कि सफाई करना चाहिए। हमारे यहां की एजुकेशन का इतना फेल्योर रहा कि प्रधानमंत्री जी को इसके बारे में कहना पड़ा। इसलिए हमें शिक्षा में बहुत परिवर्तन करने की जरूरत है। धन्यवाद।

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Mr. Deputy Speaker, Sir, I am afraid we can have few more important issues before this House than the one before us today. We have heard people speaking about the demographic dividend. There are about 225 million young people in our country between the age of 10 and 19. The International Labour Organization says we will have 20 per cent more young people starting to work in 2020 than even China has today. But we need to train, educate and equip them to take advantage of these opportunities. If we fail to do that, Mr. Deputy Speaker, we have seen the dangers that confront us in the form of Maoists and Naxalities. Education is not just a socio-economic issue. It is a national security issue because nothing is more dangerous to our country than under-educated, unemployed and unemployable young men who will be tempted by a Kalashnikov in the absence of any other stake in our society.

This is why we are so dismayed, Mr. Deputy Speaker, by the slashing of the education budget in this country. I will not repeat all the numbers that many colleagues have already mentioned. But it is very sad. Just to give you percentages, the Plan allocation for education has gone down by 24 per cent though it had gone up under UPA every year, the allocation for *Sarva Shiksha Abhiyan* has been reduced by 22 per cent, the allocation for Mid-Day Meal Scheme has been slashed by 16 per cent, the allocation for *Madhyama Shiksha Abhiyan* by 28 per cent and the allocation for *Utchatar Shiksha Abhiyan* by 48 per cent. How can we achieve these objectives when we cut the money? Our Parliamentary Affairs Minister is very fond of saying - जितना आटा उतनी रोटी। जब आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री आटा नहीं देती है तो रोटी कैसे बनाएंगे? चूल्हे में अगर आग नहीं है तो आप रोटी कैसे पकाएंगे?

This is the problem that we have got with this budget. The objectives that have been set cannot be achieved. We talk about higher education. Somebody acknowledged that the budget for higher education is higher. But the fact is, let us look at the substance of it. We lament that we have no higher education institution in any of the global rankings of the top 200. Let us take the case of IITs. The Government announces the creation of five new IITs and it is giving only Rs. 1000 crore for the entire purpose whereas the Government's own Detailed Project Report shows that each new IIT needs at least Rs. 350 crore a year for seven years to be able to function. So, what is going to be happening is that we are going to have inadequate funding which will compromise the quality of education in the new IITs and the new IIMs.

Now, Mr. Deputy Speaker, the fact is that we have to move on to other subjects because the time is so short. But let us also look at the school system. When it comes to enrolment and drop outs, it is extremely worrying that though we have over 100 per cent enrolment at the primary level, the drop out rate is so high that about 30 per cent are dropping out by Class Eight. You cannot educate children if they are not in school. How can we keep them in school? There are alarming figures in the latest MHRD Report of 60 lakh out of school children.

15.00 hrs.

This was 30 lakh just a couple of years ago. So the trend is reversing in a negative way. The problem is, my concern is that the Scheduled Castes, the Scheduled Tribe and the disadvantaged children are the ones who are disproportionately missing out from educational opportunities. We find that they are not taking advantage of schemes like the Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya. We find that the Centre is refusing to support now in the new Budget the States in supporting, in building 6,000 model schools. We know the Minister is going to reply saying the onus is now going to go on the States because of the Finance Commission. But the truth is the States could not even manage to spend what they

were supposed to spend in the earlier system when the Centre was giving so much more. How are they going to manage now?

Let us take Kendriya Vidyalayas. Regarding Kendriya Vidyalayas, each of us knows as an MP what public demand there is. For my six seats, I have 459 requests. The Standing Committee has suggested that we increase the number of seats for MPs. We know that is not a solution. The only solution is serious Central investment in building maybe 500 new KVs in this country to cater to the people's demand for quality, affordable education. Is that Central investment coming?

Will Jawahar Navodaya Vidyalayas also be built and expanded? I had suggested some time ago that the disadvantaged community should be favoured because a residential school is a place where people who cannot study at home should be allowed to stay. Regarding our coastal communities, fishermen, why cannot we have the JNVs for the fishing community, for other minorities and disadvantaged groups?

Look at our situation today regarding teaching. Only 63 per cent of our Government schools have the pupil teacher ratio as per the RTE norms. What is the Government doing about it? The deadline was supposed to be March, 2015. There is a shortage of trained teachers even in the training institutes. The problem we have now is that even in the Kendriya Vidyalayas, there is a 15 per cent vacancy rate. Sir, 50 per cent of our positions in teacher training institutions are vacant. You may remember the study of the Late Justice Verma of teacher training colleges in one State, Maharashtra. He studied 200 colleges and he said 193 are so bad that they should be closed down immediately. If we train teachers badly, they will teach children badly and the result will be poor quality of learning outcomes.

Coming to infrastructure, for construction of Kendriya Vidyalayas, where is the money in this Budget? There are 177 Kendriya Vidyalayas with pending delays in construction including one in my constituency. Even in my

constituency, KV Pangode in Thiruvananthapuram is pending for some time. The ground reality is, we must have more redoubled effort in monitoring and Central financing. The Government cannot walk away from its Central financing responsibilities; otherwise learning outcomes will continue to be weak. The national achievement surveys will continue to show that not even half the children in class five can read a class two text in our country. Even in Kerala State – we have been so proud of having first achieved hundred per cent literacy – the latest Sarva Shiksha Abhiyan Report shows a drop in the net enrolment ratio and a decline in learning outcomes.

I have two final points, Mr. Deputy Speaker; I know you are pressed for time. The first is our very serious concern as MPs in this House about the declining autonomy of institutions under MHRD. We are concerned about the resignations of a number of key figures, the Chairman of the Board of Governors of IIT Bombay, the Director of IIT Delhi, the Director of the NCERT and even the Chairman of the National Book Trust. We had a writer who had published 17 novels, 20 collections of short stories, the Book Trust headed by somebody who has written books and he has been asked to leave prematurely and has been replaced by the editor of an RSS magazine. This is something we have to worry about. There has been an attempt to move the Delhi University Vice Chancellor and only the Rashtrapati has blocked it asking for more clarifications and details. UGC has been asked to issue directives to withdraw the four-year course of the Delhi University, the very course the same UGC had approved the previous year.

I will give you one example, Mr. Deputy Speaker, on the subject. The Ministry of HRD has given an instruction that it must be informed before any MoUs with foreign universities are signed. This is contrary to the Acts of this Parliament which govern institutions like the IITs and Central Universities which give them the power to enter into academic collaborations with whoever they like. The previous NDA Government had done the same thing, but when the UPA came to power in 2004, we withdrew the requirement saying it was unnecessary

interference in the autonomy of institutions. Now it has come right back again. My worry, and I say this to the Minister with due respect, is that education is becoming over-regulated and under-governed. What we need is more governance, more Central investment, more Central financing.

My final point is on the concerns that others have already expressed about saffronisation of education. I would not repeat them but I will ask the Minister to please give this House an assurance that she will uphold the integrity of educational attainment in India irrespective of religion.

Thank you, Sir.

***SHRI PRALHAD JOSHI (DHARWAD):** Mahatma Gandhiji had said 'Basic education links the children, whether of the cities or the villages, to all that is best and lasting in India.'

First of all, I would like to draw the attention on the fact that India ranks 135th out of 187 countries in the human development index report released last year in Tokyo. India is the lowest performing country among the BRICS nations. Among the BRICS countries, Russia, Brazil and China are in the high HDI category with Russia securing the highest rank at 57, followed by Brazil at 79 and China at 91. South Africa has the HDI rank of 118th. Poor access to education is one of the biggest reasons of why India has failed to improve its ranking in human development.

Literacy in India is one of the key deterrents to socio-economic progress of the country. The Indian literacy rate currently stands at 74%, the level is well below the world average literacy rate of 84%, and India currently has the largest illiterate population compared to any other nation in the world.

Even after 67 years of independence, there is no vision or long term policy. Out of these 67 years, 58 years have been ruled by the UPA and Congress Government. This is what we have inherited from the previous UPA and Congress regime.

According to the 10th Annual Survey of Education Report of 2014, only 58.8% children who are in class 6th can read a text of class 2nd. This means every second class 5 student in rural India can't read the text of a class four levels below. The problem of arithmetic is even worse. Only 44.1% of Class 8 students in rural India managed to do a division in 2014. And only 25.8% students of class 6th could do subtraction.

Further, only 49.3% of schools are meeting the teacher pupil ratio as per the right to Education Act. And only 5.7% schools had a separate usable toilets for girls.

* Speech was laid on the Table

There has been a steady increase in private school enrollment from 18.76% in 2006 to 19% in 2013. In some states, enrollment on Government school is high but higher portion of the students were found to depend on private tuitions for improvement.

India's schools still fall short of 5.86 lakh primary-level teachers and 3.5 lakh upper primary level teachers. Many Government schools are running on contractual teachers who are serving for years together and agitating on roads for regularization because they are spending their employable age as a contractual teacher.

The situation is worse in the secondary education where the dropout rate is higher especially that of the girls.

However, I think we have not been successful in achieving this. In the last 10 years, the situation of Education in India has become worrisome.

Sarva Shiksha Abhiyan was a flagship programme which was launched under the leadership of Shri Atal Bihari Vajpayee Ji. It was launched in partnership with the State Governments and Local Self-Governments, SSA aimed to provide useful and relevant education to all children in the 6-14 age groups by 2010.

In 2002, SSA had helped in increasing the access to schools by 85.6% as per the 7th All India Education survey. It improved to 98% rural population having access to a primary education within 1 km.

Further, construction of 2.16 lakh school buildings have got sanctioned and about 8.12 lakh additional classrooms were sanctioned for elementary schools. Under SSA, 11.34 lakh teacher at elementary stage had been sanctioned. It was because of SSA, pupil teacher ratio at primary stage had been reduced from 46:1 to 36:1.

Even though Right to Education came into practice, these facts indicate the UPA government only continued to focus on outlays and inputs instead of on outcomes and impact resulting in this dismal achievements.

For progress of any country, Primary and secondary education plays a very important role and paves way for quality higher education. Unfortunately, we are lacking both in primary and secondary education. Basic amenities like, buildings, teachers, libraries, laboratories and also toilets are lacking. School children are deprived of their fundamental rights.

In this background this Government under the able leadership of Shri Narendra Modiji is addressing these issues and HRD has a greater role to play. The Budget of 2015-16 has taken proper care of this.

For example, to control the systematic problem of the number of dropouts in the secondary education, the Finance Minister has announced to establish a senior secondary school within 5 kms reach of every child.

The Government has taken a paradigm shift in its policy of education system. There is an increase of funds to the amount of Rs. 1.78 lakh crore, through devolution the Centre has provided greater funds and thus greater autonomy to states so that they can focus on their educational needs as per their requirements. Instead the Government has now moved to a bigger concern and that is of Higher education in India.

In higher education the Government has increased the budgetary allocation under Rashtriya Uchchar Shiksha Abhiyan from revised budget estimates of 397.47 crores to 1155 crores.

Further it has been given a plan allocation of Rs.15855.26 crores in 2015-16 as against Rs.13000 crores in the revised Budget for 2014-15 thereby an increase of 22% increase for this sector. There has been an overall increase of 13.32% in the budget allocation for higher education as compared to the revised budget.

As per the Standing Committee report the Gross Enrollment Ratio in higher education which is the participation in the age group of 18-23 years continues to be low and is estimated to be nearly 13.5%

This is much below the world average of 24%. Where the GER of developed countries is whopping 58%, India lags behind other developing countries where the GER on average is 18%.

From 26 universities and 695 colleges at the time of independence, we have risen to 700 universities and 35,539 colleges today. This is a 20-fold and 46-fold increase in the number of universities and colleges, respectively. However, as the low GER very aptly indicates, increase in the number of institutions has still remained inadequate to meet the increased demand for higher education.

This is in this background the FM has announced more and more National institutes of higher learning like IITs, IIMs and AIIMS. I once again take this opportunity to thank profusely the PM and FM for sanctioning IIT for Karnataka, my state. Further, with financial aid given through Pradhan Mantri Vidyalaxmi Karyakram the students will get an opportunity to get the best of the education in India.

The thrust for higher education is long pending in view of growing unemployment. I always quote John Ruskins words who says 'the human hands are the most efficient and subtlest and skillful tools made by god'.

As per the labour Bureau report of 2014, the current size of the formally skilled work force is just 2% in India as compared to small countries like Korea and Japan which 96% and 80% respectively. Therefore, through different skill development initiatives along with emphasis on education undertaken by the Government, there would be a substantial increase in the job opportunities for the youth.

Education system of India has been gripped by different policy issues since even before the independence. Lord Macaulay who extensively promoted the use of English as the medium of instructions in all schools in the country had written to his father a letter in 1836. His letter stated : "Our English schools are flourishing wonderfully; we find it difficult to provide instruction to all. The effect of this education on Hindus is prodigious. No Hindu who has received an

English education ever remains sincerely attached to his religion. It is my firm belief that if our plans of education are followed up, there will not be a single idolater among the respected classes 30 years hence. And this will be effected without our efforts to proselytize; I heartily rejoice in the prospect'. It is the Lord Macaulay and the British rulers who played a major role in destroying our Traditional and Holistic education system which we had inherited from our forefathers.

Even Mahatma Gandhi had acknowledged this fact when in the Round table conference in 1931, Mahatma Gandhi in one of his speeches said, 'the beautiful tree of education was cut down by you British. Therefore today India is far more illiterate than it was 100 years ago.'

Therefore I believe it is time to look in to the problems in toto and bring fundamental changes in the education sector some of which are as follows.

As per the Programme for International Student Assessment conducted in the year 2012, India ranked 73rd out of 74 countries which participated in this assessment only beating Krgystan. The assessment is conducted by Organization for Economic Co-operation and Development's Secretariat and tests reading and arithmetic skills.

The educational system followed in most schools today is the 'factory model' where focus of education is only on passing the exams than doing the critical thinking which is important for the holistic development of the children. Therefore, we need to put focus on the outcome of education rather than only Rote Learning.

The Global Monitoring Report- Education For All 2014 released in 2014 stated that Accountability ranks low among teachers in India; only one headmaster reported dismissing a teacher for repeated absence, in over 3,000 government schools surveyed. Shortage of teachers and inadequate training have also raised serious concerns. The analysis shows that not even half the school children are learning their basics well in 21 countries including India.

There is a need to put thrust on producing more Researchers and Scholars in the country. For example, the Kakodkar Committee, set up by the Ministry of Human Resources Development (MHRD) stated that the USA and China are producing around 8,000 to 9,000 engineering Ph.D. scholars each. However, IITs are producing only around 1,000 Ph.D scholars per year. As per the committee, Engineering Ph.D scholars being produced per year should be increased to 10,000 over the course of the next decade. The Government is committed towards motivating young scientists to continue their research work in India and to curb the brain drain it has increased the fellowship amount by over 50% for various categories of research scientists. It is a positive step, however now we need to make an infrastructure to increase the number of research scholars in the country.

In past 67 years since independence we have not been successful in giving a safe educational environment to the children with disabilities. As per an independent survey conducted in 2013, commissioned by the Ministry of Human Resource Development more than 6 lakh children with special needs between the age group of 6-13 years are out of school. Therefore, we need to make a composite education system where children with special needs are not denied their right to get educated.

Country will required 6.0 million more teachers by 2020 to attain the world average in terms of student teacher ratio. This would mean a requirement to train 0.75 mn teachers per annum as against this the total capacity of all B.Ed. Colleges currently is only 0.25mn per annum. There is a dire need to recruit more teachers. At the same it is important that we achieve a global standard in the field of teaching. For that, it is important that there should teacher training institutes as per the global standards.

I should also congratulate the Government for its intention to address education sector concerns and bring about better education loan facilities when it will ensure that no student misses out higher education due to lack of funds. I take

this opportunity to request the Finance Minister for formulating such guidelines for Banks for these educational loans as are more students friendly.

I also take this opportunity to request the government to increase the number of Kendriya Vidyalayas across the country one each in every taluk (block) headquarters so that more and more rural students are benefited and quality of elementary education improves. I also request the government to establish two more KVs in Hubli-Dharwad, my constituency where demand and supply factor is imbalanced for these schools.

I had at the very beginning said that the greatest success of 10 years UPA government is its monumental failure in bringing qualitative changes or improvement in elementary education sector. But under the leadership of Pradhan Mantri Shri Narendra Modi, I am sure we will be able to achieve new heights in the sector of education.

***प्रो० चिंतामणि मालवीय (उज्जैन):** शिक्षा के लिए दिया गया अनुदान खर्च नहीं वस्तुतः हमारे देश के और हमारे भविष्य का सुरक्षित निवेश (इन्वेस्टमेंट) है और अगर हमें स्वर्णिम भविष्य बनाना है तो निवेश में कमी नहीं की जा सकती। भारतीय शिक्षा व्यवस्था अमेरिका और चीन के बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी शिक्षा व्यवस्था है।

माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार का लक्ष्य भारत को नॉलेज के क्षेत्र में सुपर पावर बनाना है। इसलिए पिछली यू०पी०ए० सरकार के बजट की तुलना में 65867 करोड़ के स्थान पर 69794.50 करोड़ किया गया, यानी 400 करोड़ रुपए बढ़ाया गया है। यह बढ़ोतरी शिक्षा के प्रति सरकार की गंभीरता और प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इतना ही नहीं यू०पी०ए० सरकार ने अंतिम बजट में मात्र 16198 करोड़ का प्रावधान उच्च शिक्षा के लिए किया था, जिसे वर्तमान सरकार ने बढ़ाकर 1000 करोड़ बढ़ाकर 26198 करोड़ किया। यह बढ़ोतरी आवश्यक है क्योंकि भारत विश्व का सबसे युवा देश है हमारी 60 प्रतिशत आबादी 35 के अंदर है और उसमें भी कुल आबादी का 40 प्रतिशत 18 वर्ष के अंदर है। सन 2020 तक भारत के लोगों की औसत आयु 29 वर्ष होगी जबकि अमेरिका और चीन की 37 वर्ष होगी जापान जैसे देशों की 48 वर्ष औसत आयु होगी। ऐसी स्थिति में हमें भविष्य की तैयारियों के लिए शिक्षा में बड़े अनुदान की आवश्यकता है। शिक्षा के क्षेत्र में चुनौतियां भी हैं। 1993 में कक्षा 1 में 270,00,000 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया, लेकिन 2013 में मात्र 1 करोड़ विद्यार्थी ही कक्षा 10 तक पहुँचे। देश में लड़के और उनसे भी बढ़कर लड़कियों का ड्रॉपआउट रेट ज्यादा है क्योंकि शिक्षक नहीं है, स्कूल बहुत दूर है, हाइस्कूलों की कमी है, टॉइलेटों की कमी है। पूर्व की यू.पी.ए. सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र को लगातार नजरअंदाज किया और प्रयोग भूमि बना दिया। इसका उदाहरण यह है कि यू.पी.ए. सरकार के मंत्रियों ने ए.सी. कमरों में बैठकर 8वीं तक की परीक्षा समाप्त कर दी। उसका परिणाम है कि बच्चों पर बुरा असर जा रहा है। केवल पास हो रहे हैं उनके ज्ञान में बढ़ोतरी नहीं हो रही है।

गरीबों के नाम पर राजनीति करने वाली कांग्रेस ने गरीब की जड़ों में मट्टा डालने का काम किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि 5वीं और 8वीं की सेमी बोर्ड की परीक्षा पुनः आरंभ की जाएं।

कांग्रेस ने गरीबों के साथ मिड-डे-मिल के नाम पर एक और मजाक किया। मिड-डे-मिल के कारण हमारे बच्चों को खाना तो मिल रहा है लेकिन शिक्षा नहीं मिल रही है। शिक्षक का ध्यान पढ़ाने से ज्यादा

* Speech was laid on the Table.

मिड-डे-मिल पर होता है। मैं निवेदन करता हूँ कि यदि बढ़ाना है तो राशि बढ़ाए लेकिन अच्छा मिड-डे-मिल उपलब्ध कराएं तथा शिक्षकों को मिड-डे-मिल से दूर रखें।

यू.पी.ए. सरकार ने राइट टू एजुकेशन बिल पर अपनी पीठ खून थपथपाई, कहा कि शिक्षा सबका जन्म सिद्ध अधिकार है और कानून बनाया कि सभी प्रकार के स्कूलों में 25 प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे के बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा, जिसका भुगतान सरकार करेगी। लेकिन धरातल पर स्थिति कुछ और है। मैं बताना चाहता हूँ कि अल्पसंख्यक संस्थाएं और मिशनरी स्कूल इस कानून को नहीं मानते। वे 25 प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे के बच्चों को प्रवेश नहीं देते। इतना ही नहीं, यदि किसी संस्था का संचालक जैन व सिंधी हो तो वह भी ये कहकर प्रवेश नहीं देते कि हम भी भाषायी अल्पसंख्यक हैं।

अमृत्य सेन कहते हैं कि भारत में संसटेनेबल डेवलेपमेंट के लिए गरीब से गरीब बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन देश के अल्पसंख्यकवाद इस कानून को अंगूठा दिखा रहे हैं। इस देश में पारसी के अतिरिक्त कोई अल्पसंख्यक नहीं है, अल्पसंख्यकों की पुनःपरिभाषा होनी चाहिए।

मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सभी प्रकार के शिक्षा संस्थानों को राइट टू एजुकेशन कानून की परिधि में लाया जाए। मैं माननीय मंत्री महोदया का ध्यान स्टेट यूनिवर्सिटीज की ओर भी खींचना चाहता हूँ। स्टेट यूनिवर्सिटीज की स्वायत्तता राज्य सरकारों द्वारा समाप्त की जा रही है। समय-समय पर भेजे गए अनुदान में कटौती की जा रही है। कई राज्यों में यूनिवर्सिटीज में राज्यपाल की भूमिका सीमित की जाती है, इससे उनके संरक्षण में कमी आई है। यदि स्टेट यूनिवर्सिटीज को नहीं संभाला गया, उनकी स्वायत्तता पर बंदिश लगाई गई, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के दौड़ में स्टेट यूनिवर्सिटीज पिछड़ जाएंगी। मैं मांग करता हूँ कि स्टेट्स यूनिवर्सिटीज ओटोनॉमी प्रोटेक्शन के लिए कड़े नियम बनाए जाएं।

*SHRI S.P. MUDDAHANUME GOWDA (TUMKUR): Overall reduction in the budgetary allocation to the Ministry of Human Resource Development for the year 2015-2016 goes to show that the present Government's priority is education. Government should have taken education as one of the priority sector. For any under-developing country, the Government should take the Department of Education very seriously.

The trend in the whole country regarding the Government primary schools is most alarming. The general impression created among the parents of the children whose children are studying in government schools is that their children would get better and quality education only in private educational institutions. This trend is an eye opener for the Government to seriously think about competing with the private educational institutions by providing quality and good education to the children who are studying in government schools.

Rashtriya Madhyamik Abhiyan Scheme started during UPA regime to provide fund for secondary Higher Education for the purpose of construction of school rooms and also maintenance.

Providing education to rural children should be considered more seriously. Government of India should start more Kendriya Vidyalaya Schools all over the country. Only selected students are able to get admission in the Kendriya Vidyalaya schools thereby depriving the needy students of the rural areas who should be provided with good education as contemplated in the Constitution.

Technical Education which is now provided in the country through IITs is also not sufficient. More such institutions should be started throughout the country. I am happy that the Government of India has announced that IIT will be started at the State of Karnataka. If the said IIT is to be started, the ideal place is Tumkur in Karnataka, which is a suitable place viewing from any angle. If

* Speech was laid on the Table.

Government of India prefers to start the said IIT at Tumkur, Government of Karnataka will also give its consent.

With this words, I conclude.

***श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा):** मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय की 2015-16 अनुदानों की मांग का समर्थन करते हुए अपनी बात रखना चाहता हूँ। शिक्षा का महत्व किसी भी राष्ट्र की स्थिरता और प्रगति के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सुशासन के बाद इसे दूसरा स्तम्भ कहा जा सकता है। मानव संपदा में असीमित क्षमता है, बशर्ते उन्हें उचित शिक्षा, उपयुक्त कौशल और व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त हो सकें।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अन्तर्गत दो विभाग क्रमशः विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग एवं उच्चतर शिक्षा विभाग हैं। विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग का उद्देश्य है कि सभी को एक समान शिक्षा मिले जिसका भरपूर उपयोग राष्ट्र की मानव क्षमता को विकसित करने की दृष्टि से हो सकें। उच्च शिक्षा विभाग का उद्देश्य है कि समानता और उत्कृष्टता के साथ भारत की मानव क्षमता का उपयोग हो सकें। सारे विश्व में यह महसूस किया जा रहा है कि आर्थिक कल्याण और उच्चतर कार्यक्षमता का विकास उच्चतर बौद्धिक एवं व्यवसायिक क्षमताओं से ही प्राप्त हो सकता है। आज के प्रतिस्पर्द्धापूर्ण वैश्विक वातावरण में आगे बढ़ने के लिए गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन अत्यंत आवश्यक है। इस दिशा में पिछले दो दशकों में विकास की अवधारणा विकसित हुई है जो आय और आयवितरण से हटकर मानव संसाधन विकास बन गई है, जिससे वह विकास के रूपान्तरण की संभावनाओं के माध्यम से गौरवपूर्ण जीवन व्यतीत करने के अधिकार की नींव बनी। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए मंत्रालय का लक्ष्य "सभी को शिक्षा" उपलब्ध करवाना है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अपने दोनों विभागों के लिए 69074.76 करोड़ रुपए की मांग सदन के सामने रखी है। जिसमें से विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग के लिए 42219.50 करोड़ एवं उच्चतर शिक्षा के लिए 26855.26 करोड़ रुपया है। मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता की मांगों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि विभाग को आवंटित बजट का लगभग 93 प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजनाओं यथा सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), मिड-डे-मील (एमडीएम), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, मदरसों में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने (एसपीक्यूएम), अल्पसंख्यक संस्थानों के अवसंरचना विकास करने (आईडीएमआई) और शिक्षा प्रशिक्षण व प्रौढ़ शिक्षा सहित शिक्षा के विकास जैसी योजनाओं पर व्यय होगा। जबकि बाकी 7 प्रतिशत केन्द्रीय सेक्टर की परियोजनाओं क्रमशः केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस), नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) राष्ट्रीय, शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी), राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकार (एनएलएमए), विद्यालय आंकलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल भवन, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन सहित गैर-सरकारी संगठनों के सहायतार्थ खर्च होगा।

* Speech was laid on the Table.

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम 'सर्व शिक्षा अभियान' को 22000 करोड़ रुपये, मिड-डे-मील को 9236.40 करोड़ रुपये, आरएमएसए को 3566 करोड़, एसपीक्यूईएम और आईडीएमआई को 375.50 करोड़, अध्यापक प्रशिक्षण एवं प्रौढ़ शिक्षा सहित शैक्षणिक विकास के लिए 1257.60 करोड़ रुपये सहित कुल 36434.50 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान है। वहीं एनवीएस में 1550 करोड़ रुपये, केवीएस में 875 करोड़, विद्यालय आंकलन योजना के तहत 50 करोड़, एनसीईआरटी पर 25 करोड़, प्रौढ़ शिक्षा तथा कौशल विकास सहित एनजीओ, राज्य सरकार के संस्थानों सहित अन्य को 76 करोड़, एनएलएमए, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन और राष्ट्रीय बाल भवन पर 28 करोड़ रुपए सहित केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर मात्र 2604 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रथम दृष्टि से यह प्रावधान 2014-15 के बजट प्राक्कलन और संशोधित बजट के आवंटनों क्रमशः 51828 करोड़ और 435.90 करोड़ की जगह 39038.50 करोड़ रुपये है जो तुलना में कम है। परन्तु यह स्पष्ट है कि 2014-15 के बजट प्राक्कलन से संशोधित बजट की राशि कम तो है परन्तु इसका अर्थ है कि विभाग द्वारा बजट प्राक्कलन से 8310.10 करोड़ कम खर्च किया गया था।

2013-14 और 2014-15 में विभाग द्वारा प्लान और नान-प्लान खर्च का ब्यौरा क्रमशः देखें तो यह ज्ञात होता है कि जहां 2013-14 में बजट प्राक्कलन में प्लान मद में 49659 करोड़ रुपये और नान-प्लान में 3042 करोड़ रुपये समेत कुल 52701 करोड़ थे, जो संशोधित प्राक्कलन में प्लान और नान-प्लान मद में क्रमशः 47159 करोड़ रुपये और 3022.30 करोड़ रुपये सहित कुल 50181.30 ही रह गया, अर्थात् एक ओर जहां प्लान मद में 2500 करोड़, वही नान-प्लान में 20 करोड़ रुपये घट गए। इस प्रकार 2013-14 के बजट प्राक्कलन से संशोधित बजट का प्राक्कलन में 2519.7 करोड़ रुपये घट गए, किन्तु सच्चाई यह है वास्तविक खर्च इससे भी कम रहा है। विभाग द्वारा 31.03.2014 तक मात्र 46975.74 करोड़ रुपये ही खर्च किए गए, अर्थात् 2013-14 के बजट प्राक्कलन (बीई) से 5725.26 करोड़ रुपये ही खर्च हुए। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि नान-प्लान मद में 149.46 करोड़ अधिक खर्च किया गया। उसी प्रकार 2014-15 में कुल बीई 55115.10 करोड़ रुपये की तुलना में आरई में 46805 करोड़ रुपये ही है। अर्थात् बीई से आरई में 8310.10 करोड़ रुपये घट गए, जबकि 31.01.2015 तक का वास्तविक खर्च का आंकलन करें तो और कम खर्च हुआ है। 2014-15 में वास्तविक खर्च विभाग द्वारा प्लान और नान-प्लान मद में क्रमशः 36954.01 और 2752.05 करोड़ रुपये सहित कुल 39346.06 करोड़ रुपये ही है। इस प्रकार हम पाते हैं कि एक ओर जहां 2014-15 में विभाग का वास्तविक खर्च 2013-14 की तुलना में 16.25 प्रतिशत कम रहा, वहीं बजट के प्राक्कलन, संशोधित बजट और वास्तविक खर्च में भारी अन्तर है। अर्थात् पूर्ववर्ती सरकारों ने सिर्फ लोकलुभावन कार्यक्रमों की घोषणा मात्र की, उन्हें अमलीजामा पहनाने पर उनका ध्यान नहीं रहा। इसी

प्रकार, अनेक योजनाएं जो शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करती थी उनकी घोषणा मात्र राजनैतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए की गई।

2015-16 में विभाग द्वारा योजना मद में आवंटित राशि की तुलना 2014-15 के संशोधित प्राक्कलन से करने पर कुछ प्रमुख स्कीमों की जो तस्वीर उभरती है उसके अनुसार हम पाते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान में और मिड-डे-मील कार्यक्रम में क्रमशः 9.76 प्रतिशत और 16.41 प्रतिशत की कमी हुई है। वहीं आरएमएसए (राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान) में 2.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, अल्पसंख्यकों से संबंधित योजनाओं क्रमशः एसपीक्यूईएम और आईडीएमआई में 161.16 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जबकि प्राध्यापक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा, केवीएस और एनवीएस में क्रमशः 12.15 प्रतिशत, 6.41 प्रतिशत और 17.92 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस प्रकार हम पाते हैं कि सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है कि एक ओर जहां शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जाए वहीं दूसरी ओर शिक्षा के आधुनिकीकरण से वंचित समुदायों को भी विशेष लाभ दिया जाए। साथ ही, एनवीएस और केवीएस में वृद्धि का अर्थ है कि राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने की दृष्टि से सभी को समान अवसर मिल सके। इन संस्थानों की संख्या और क्षमता में राष्ट्रीय स्तर पर वृद्धि की जा सके। उसी प्रकार विभाग के दो फ्लेक्सिबल कार्यक्रमों, सर्व शिक्षा अभियान/आरटीई और मिड-डे-मील के लिए कुल बजटकीय प्रावधान 31236.40 करोड़ रुपये का हुआ है, जो विभाग के लिए 2012-13, 2013-14 और 2014-15 में किए गए कुल बजटीय आवंटनों की समीक्षा करते हैं तो यह पाते हैं कि बजट आवंटन निरन्तर घटते क्रम में है। 2012-13 में जहां विभाग का कुल बजटीय आवंटन प्लान मद में 45969 करोड़ रुपये था। वहीं 2013-14 और 2014-15 में क्रमशः 49659 करोड़ और 51828 करोड़ रुपये था इस प्रकार जहां 2012-13 में 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई वहीं यह वृद्धि घटकर 2013-14 में 8.03 प्रतिशत और 2014-15 में 4.37 प्रतिशत ही रह गई। इस प्रकार हम पाते हैं कि विभाग के बजट आवंटन में वृद्धि की दर निरन्तर घटते क्रम में रही है। परन्तु 2015-16 में सर्वाधिक 24.68 प्रतिशत बजट आवंटन में कमी आई है। परन्तु हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि विभाग के बजट प्राक्कलन, संशोधित बजट प्राक्कलन और वास्तविक खर्च में लगातार कमी आती रही है। इसका अर्थ यह है कि आवंटन बढ़ा-चढ़ाकर गैरआवश्यक मदों और योजनाओं में किया जाता रहा है। वर्तमान सरकार ने वित्तीय अनुशासन लागू करने और शिक्षा के उद्देश्यों के अनुरूप, शिक्षा के सर्वसुलभीकरण और गुणवत्ता पर जोर देते हुए सामाजिक न्याय के प्रति अपने दायित्वों के अनुरूप आवंटन करते हुए एक ठोस दिशा में कदम बढ़ाते हुए शिक्षा के बजट को निर्धारित किया है।

सर्व शिक्षा अभियान/आरटीई और मिड-डे-मील में बजट राशि के आवंटन की कमी की बात लेकर जो चर्चा हो रही है वो पूरी तरह से बेमानी है। सच्चाई इन दोनों योजनाओं में की गई पिछले तीन वर्षों के

आवंटनों के समीक्षा से स्पष्ट हो जाती है। सर्व शिक्षा अभियान में 2012-13 के प्रस्तावित बजट में 25555 करोड़ रुपये, 2013-14 के प्रस्तावित बजट में 27258 करोड़ रुपये और 2014-15 में 28258 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था वहीं इसके संशोधित प्राक्कलन में इन्हीं वर्षों में क्रमशः 23875.83 करोड़ रुपये, 26608.01 करोड़ रुपये और 24380 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए, जबकि खर्च और कम हुआ जो क्रमशः इस प्रकार है: 2012-13 में 23858.01 करोड़, 2013-14 में 24820.93 करोड़ रुपये और वर्ष 2014-15 में 22641.13 करोड़ रुपये हुआ। उसी प्रकार मिड-डे-मील में बजट प्राक्कलन के अनुसार वर्ष 2012-13 में 11937 करोड़ रुपये, 2013-14 में 13215 करोड़ रुपये और 2014-15 में 13215 करोड़ रुपये था। जबकि इन्हीं वर्षों में संशोधित बजट प्राक्कलन 11500 करोड़ रुपये, 12189.16 करोड़ रुपये और 11050.90 करोड़ रुपये था। जबकि वास्तविक खर्च इससे कम 2012-13 में 10867.90 करोड़ रुपये, 2013-14 में 10927.21 करोड़ रुपये और 2014-15 में 10400.57 करोड़ रुपये ही था।

मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि सर्व शिक्षा अभियान और मिड-डे-मील जैसे योजनाओं का लाभ पिछड़े क्षेत्रों सहित एस.टी., एस.सी., ओबीसी और वंचित समुदाय को अधिक से अधिक मिले। इस दृष्टि से विभाग द्वारा समुचित कदम उठाये जाने की आवश्यकता है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में 2013-14 में जीईआर जहां 101.36 प्रतिशत था वहीं एनईआर 88.08 प्रतिशत था जबकि उच्च प्राइमरी शिक्षा क्षेत्र में जीईआर 89.33 प्रतिशत एनईआर 70.20 प्रतिशत था। पिछले वर्षों की तुलना में यह उल्लेखनीय है, परन्तु एशिया सहित विश्व के अन्य देशों की तुलना में इस दिशा में अभी बहुत काम किये जाने की आवश्यकता है। इस दृष्टि से सर्व शिक्षा अभियान की दृष्टि से आवासीय/पड़ोसी क्षेत्र के निकट स्कूल की उपलब्धता, स्कूलों में आवश्यक अवसंरचना शौचालय (बालक व बालिकाओं के लिए भिन्न) और पीने के पानी की सुविधा और आवश्यक शिक्षकों की उपलब्धता की जरूरतों को तत्काल ध्यान देकर एक निश्चित समयवधि के अन्तर्गत पूरा करना चाहिए। साथ ही स्कूल बीच में छोड़ने वाले की संख्या में कमी आई है परन्तु अभी भी एस.सी., एस.टी. में बीच में स्कूल छोड़ने वालों की संख्या 2013-14 में 6.1 और 8.4 प्रतिशत है। स्कूल छोड़ने वालों की संख्या को 0 प्रतिशत के लक्ष्य को ध्यान में रखकर कार्य करना होगा। उसी प्रकार स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों की संख्या आज भी लगभग 60 लाख है। इस दृष्टि से खासकर उत्तर प्रदेश 26 प्रतिशत, बिहार 19 प्रतिशत, राजस्थान 10 प्रतिशत, उड़ीसा व मध्य प्रदेश 7 प्रतिशत और पश्चिम बंगाल 6 प्रतिशत पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से विभाग ने 2014 तक 3.58 लाख नये प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल खोले हैं। 1,77,432 नए प्राइमरी स्कूल भवन और 1,02,628 नये अपर प्राइमरी स्कूल के भवन बनाये हैं। 16,29,990 अतिरिक्त क्लास रूम का निर्माण किया है। जबकि 2,25,440 पीने के पानी की सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ

8,17,036 शौचालयों का निर्माण किया है। 15.6 लाख शिक्षकों की नई बहाली हुई है। 8.02 करोड़ बच्चों के बीच निःशुल्क टैक्ट बुक वितरित किए गए हैं। फिर भी, एसएसए के अन्तर्गत अभी भी पीने के पानी और शौचालयों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। इस दृष्टि से हमें तेजी से काम करना होगा। खासकर सर्व शिक्षा अभियान के तहत उसके द्वारा तय किए गए मानक अनुरूप अभी भी अवसंरचना निर्माण की दृष्टि से क्षेत्रीय स्तर पर बहुत विषमता दृष्टिगत होती है। खासकर के जब हम शौचालय, बिजली, पानी और खेल के मैदानों की उपलब्धता स्कूलों में हो, इस स्तर पर जब तुलना करते हैं तो भारी विषमता पाते हैं। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आसाम, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बंगाल में इन सुविधाओं की भारी कमी है। इसको ठीक किए जाने की जरूरत है। नवोदय विद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय और कस्तूरबा गांधी विद्यालयों का विस्तार अखिल भारतीय स्तर पर अधिक से अधिक होना चाहिए, जिससे शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने के साथ ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी एक समान रूप में पूरे देश को उपलब्ध हो।

मिड-डे-मील के अन्तर्गत 2014-15 में 11.74 लाख स्कूलों के कुल 10.33 करोड़ छात्रों को लाभ प्राप्त हुआ। इस योजना में शिक्षा के सर्व सुलभीकरण के उद्देश्य कार्य करते करते हुए जहां नामांकन और उपस्थिति में वृद्धि की उल्लेखनीय दर दर्शायी है, वहीं स्कूल छोड़ने वालों की संख्या में कमी हुई है। इस योजना ने भूख से छुटकारा दिलाते हुए कुपोषण की समस्या से बच्चों को मुक्ति दिलाई है। फिर भी, फण्ड की उपयोगिता की दृष्टि से यह योजना अपने लक्ष्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर पा रही है। अनेकों गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। जैसे घटिया किस्म के अनाज का उपयोग, अनाज के उठाव में अनियमितता, भोजन बनाने की दृष्टि से आवश्यक संरचना और मानव शक्ति की भारी कमी, खाने की गुणवत्ता में कमी। इस दृष्टि से आवश्यक है कि मिड-डे-मील स्कीम के सही संचालन के लिए एक प्रभावी और ठोस निगरानी का तंत्र खड़ा किया जाए। अगर संभव हो तो मिड-डे-मील से संबंधित राशि को छात्रों के या उनके अभिभावकों के खाते में सीधे स्थान्तरित कर दिया जाए अथवा ऐसी कोई व्यवस्था बनाई जाए जिससे स्कूलों में उपस्थिति का आंकलन प्रतिदिन किया जा सके और उसी आधार पर मिड-डे-मील में ही लगा रहता है, जिसके कारण शिक्षण और पाठन का काम काफी प्रभावित हो रहा है। इस दृष्टि से प्रभावी कदम उठाया जाना चाहिए।

इस बजट में शिक्षकों के प्रशिक्षण की दृष्टि से बजट आवंटन में वृद्धि की गई है। यह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में एक ठोस पहल है। साथ ही विद्यालय आंकलन कार्यक्रम में भी बजटीय प्रावधान में वृद्धि हुई है, परन्तु यह वृद्धि कम है क्योंकि ग्रामीण बच्चों के बीच कराये गये सर्वेक्षण से यह स्पष्ट हुआ है कि मूल पठन-पाठन और गणित के मामले में हमारा स्तर विश्व के अन्य देशों की तुलना में

अत्यन्त कम है। इस दृष्टि से विद्यालय आंकलन अत्यन्त जरूरी है। निजी स्कूलों में बढ़ती दाखिला के वृद्धि दर का संकेत भी बहुत अच्छा नहीं है। 2005 में निजी स्कूलों जहां 16 प्रतिशत बच्चों ने दाखिला लिया था, वहीं यह प्रतिशत 2014 में 30.8 प्रतिशत हो गया है। मौजूदा रुझान दर्शाते हैं कि इस दशक के अन्त तक यह प्रतिशत बढ़कर 50 प्रतिशत हो जाएगा। 2007-08 और 2013-14 के दौरान सरकारी स्कूलों, प्राईमरी तथा अपर प्राईमरी सहित में दाखिला 133.7 मिलियन में 11.7 मिलियन की गिरावट के साथ मात्र 121 मिलियन रह गया है। जबकि निजी स्कूलों में यह दाखिला 27 मिलियन बढ़ा और 51 मिलियन से बढ़कर 78 मिलियन जा पहुंचा है। ग्रामीण इलाकों में भी यही स्थिति देखी जा रही है, जबकि वहां सर्व शिक्षा अभियान एवं अन्य शैक्षणिक कार्यक्रमों के माध्यमों से भारी निधियां दी जाती रही हैं। इससे एक प्रश्न उठता है कि क्या सरकारी स्कूलों में शिक्षा का गिरता हुआ स्तर ही तो इसका कारण नहीं है। इसलिए हमें स्कूलों में आवश्यक अवसंरचना, प्रशिक्षित शिक्षक और कक्षा अध्यापक का अनुपात सुधारना होगा। तभी हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। पढ़ने लिखने और गणितीय दक्षता का एक माहौल बनाने के लिए सरकार द्वारा घोषित कार्यक्रम “पढ़े भारत-बढ़े भारत” एक उत्तम कदम है। इस प्रयास की सफलता के लिए यह जरूरी होगा कि इस संबंध में स्थानीय प्रशासन को इस प्रक्रिया में ज्यादा शामिल किया जाए और संवेदनशील बनाया जाए।

उच्चतर शिक्षा विभाग के लिए मंत्रालय ने कुल 26,855.26 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान रखा है, जिसमें योजना मद में 15855.26 करोड़ रुपये और गैर योजना मद में 11000 करोड़ रुपये है। यह राशि 2013-14 के वास्तविक बजट और 2014-15 के संशोधित बजट में क्रमशः 24465.17 करोड़ रुपये और 23700 करोड़ रुपये की तुलना में अधिक है। योजना मद की दृष्टि से भी उच्चतर शिक्षा में 2012-13 में 15855.26 करोड़ रुपये 2013-14 के 14182.83 करोड़ रुपये और 2014-15 के संशोधित बजट में 13000 करोड़ रुपये की तुलना में अधिक है। उच्चतर शिक्षा के कार्यों में शिक्षा नीति को सभी पहलुओं के साथ तैयार करना तथा अनुसंधान सहित उच्चतर शिक्षा के मानकों का निर्धारण करना तथा समन्वय करना शामिल है। इस विभाग को तकनीकी शिक्षा के विकास एवं विस्तार, छात्रवृत्तियों का प्रबंध करना, संस्कृत तथा अन्य प्राचीन भाषाओं में अनुसंधान तथा अध्ययन के लिए प्रेरित करना तथा इसे आगे बढ़ाने एवं यूनेस्को के साथ अपने कार्यक्रमों का समन्वय करने की जिम्मेदारी है।

महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की संख्या की दृष्टि से भारतीय उच्चतर शिक्षा प्रणाली विश्व में सबसे बड़ी शिक्षा प्रणालियों में से एक है। 2005-06 में 350 विश्वविद्यालय और 16982 महाविद्यालय थे जो बढ़कर वर्ष 2013-14 में 713 विश्वविद्यालय और 36739 महाविद्यालय हो गये हैं और डिप्लोमा के स्तर की 11343 संस्थाएं हो गईं। आज आवश्यक है कि मांग के अनुरूप शिक्षा के क्षेत्र में आपूर्ति हो सके और

रोजगार के अवसरों के अनुरूप शिक्षा नीति में समयक परिवर्तन लाया जाए। इसलिए उच्चतर शिक्षा को भविष्य की दृष्टि से ऐसे क्षेत्रों की पहचान करनी होगी जो भविष्य में ज्यादा रोजगार जुटा सकें और उसी के अनुरूप छात्रों को यथोचित पाठ्यक्रम मुहैया करा सकें। उच्चतर शिक्षा में जीईआर 2005-06 के 11.6 प्रतिशत से लगभग 2 गुना होते हुए 2012-13 में 21.1 प्रतिशत हो गया है। अर्थात् 2005-06 के 14.3 मिलियन की तुलना में 2012-13 में 29.6 मिलियन छात्रों ने उच्च शिक्षा में नामांकन करवाया। लेकिन चूंकि उच्चतर शिक्षा तक पहुंच की कमी और संसाधन के अभाव के कारण कम लोग ही होते हैं इस कारण उच्चतर शिक्षा में विशेषतः महाविद्यालयी शिक्षा में ड्रॉप आउट की प्रगति को बढ़ावा मिलता है। जिसके कारण रोजगार के अवसर की खोज में लगे युवाओं में कम शिक्षित और कम कुशल युवाओं की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। इस समस्या को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए हमें उच्चतर शिक्षा को भी सर्वसुलभ बनाने के साथ साथ वैश्विक मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण बनाना होगा।

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा), उच्चतर शिक्षा विभाग के अग्रणी कार्यक्रमों में से एक है। इससे राज्यों के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सहायता प्रदान करने के लिए खोला गया है, ताकि उसकी समग्र अवसंरचना को बेहतर बनाया जा सके। इस दृष्टि से स्वायत्त कॉलेज उत्कृष्ट दर्जा प्राप्त करने की संभावना हेतु स्तरोन्मन और एनएएसी विश्वविद्यालय स्तर के संस्थान प्राप्त कर सकेंगे। 2014-15 में रूसा के अन्तर्गत 14 मॉडल डिग्री कॉलेज और 16 नए व्यवसायिक कॉलेजों की स्वीकृति दी गई। रूसा द्वारा विश्वविद्यालयों कॉलेजों के स्तरोन्मन के लिए किया जा रहा कार्य सराहनीय है। रूसा के अन्तर्गत राष्ट्रीय गुणवत्ता पुर्नजागरण पहल (एलक्यूआरआई) एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। राष्ट्रीय शिक्षक और शिक्षण मिशन की शुरुआत की गई है। यह मिशन कई समस्याओं जैसे शिक्षक/संकाय की कमी और रक्तियां, भर्ती नीतियां, योग्यता, शैक्षणिक कौशलों में सुधार हेतु शिक्षकों का क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी पर आधारित शिक्षा, सतत प्रशिक्षण और पुनः प्रशिक्षण, सेवापूर्व और अर्न्तसेवा प्रशिक्षण, शिक्षकों की अनुपस्थिति और जवाबदेही, एकेडमी, स्टॉफ कॉलेजों का पुर्नरुद्धार, विश्वविद्यालय शिक्षकों और अभियांत्रिकी तथा तकनीकी शिक्षकों की वृद्धि और विकास इत्यादि का समाधान करेगा। 8 नए आईआईटी की स्थापना की मंजूरी दी गई है। मंत्रालय द्वारा जहां आईएसएम धनबाद को आईआईटी का दर्जा दिया गया, वहीं पूर्व में घोषित आईआईटी हैदराबाद, पटना, रोपड़, इन्दौर, गांधीनगर, मण्डी, भुवनेश्वर और जयपुर को अवसंरचना संबंधित सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में आवश्यक राशि मुहैया कराई गई है। इसके अतिरिक्त जम्मू, छत्तीसगढ़, आन्ध्र प्रदेश, गोवा और केरल में एक-एक आईआईटी और स्थापित करने की योजना पर कार्य चल रहा है। पूर्व में घोषित 7 नए आई आई एम, शिलांग, रोहतक, रायपुर, त्रिची, रांची, काशीपुर, उदयपुर के लिए उनके स्थायी परिसरों में

स्थानान्तरण हेतु कार्यक्रम चल रहे हैं। नए आई आई एम में बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश में भूमि और स्थान चयन की दृष्टि से राज्य सरकारों द्वारा समन्वय का कार्य चल रहा है।

मंत्रालय के सामने एक बड़ी समस्या है कि संबंधित क्षेत्रों से विभाग को अप्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र और खर्च नहीं होने वाली राशि का हिसाब नहीं मिल रहा है। 31 जनवरी, 2015 तक 1191 उपयोगिता प्रमाण-पत्र जो 15479.12 करोड़ की है, पेंडिंग पड़ा हुआ है। 31.12.2014 तक खर्च नहीं किया गया। बकाया राज्यों/यूटी की सरकारों के पास है। इसकी छान-बीन कर समाधान होना चाहिए।

मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान अपने राज्य झारखंड और अपने लोक सभा क्षेत्र की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। चतरा लोक सभा क्षेत्र में तीन जिले चतरा, लातेहार और पलामू आते हैं। मैं आपका ध्यान मेरे क्षेत्र में स्थित नेत्रहाट आवासीय विद्यालय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। यह विद्यालय किसी समय देश के शीर्ष विद्यालयों में आता था। इस विद्यालय के छात्र आज देश दुनिया के अन्दर अत्यंत महत्वपूर्ण स्थानों पर पदस्थापित है। इस एक विद्यालय से हजारों की संख्या में निकले आई.ए.एस., आई.पी.एस., आई.आर.एस. तथा अन्य भारतीय सरकारी सेवा सहित डॉक्टर और अभियंता देश की सेवा करने के साथ-साथ विदेश में भी देश का मान बढ़ा रहे हैं। आपसे अनुरोध होगा कि इस विद्यालय पर विशेष ध्यान देते हुए इसकी प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना के साथ साथ इसके उन्नयन और संवर्द्धन हेतु उचित कदम उठाये।

मेरा क्षेत्र वामपंथी उग्रवाद प्रभावित (एलडब्ल्यूई) के अंतर्गत आता है। पूरे क्षेत्र में स्कूली शिक्षा की स्थिति अत्यंत दयनीय है। विद्यालयों में भवन, शौचालय, पीने के पानी, खेल के मैदान सहित शिक्षकों की भारी कमी है। मध्याह्न भोजन योजना में भारी अनियमितता है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में आवश्यक अवसंरचना की अत्यंत कमी है। बालिका विद्यालयों में यह आवश्यक है कि बाउण्डरी वॉल मजबूत और ऊंची हो। साथ ही पीने के पानी और शौचालयों की अच्छी सुविधा उपलब्ध करानी होगी। मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए यह बताना चाहूँगा कि मेरे पूरे लोक सभा क्षेत्र में मात्र एक अंगीभूत महाविद्यालय है, जो विनोबाभावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के अन्तर्गत आता है। उसमें भी शिक्षकों की भारी कमी है। 9000 छात्रों पर मात्र 11 शिक्षक ही उपलब्ध हैं। पूरे लोक सभा क्षेत्र में एक भी महिला महाविद्यालय नहीं हैं। कुछ महाविद्यालय जो विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारी बाग और निलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय डाल्टनगंज से सम्बद्ध है उनमें भी आधारभूत अवसंरचना की भारी कमी है। मेरे पूरे लोक सभा क्षेत्र में मात्र लातेहार जिले में एक केन्द्रीय विद्यालय उपलब्ध है। उसमें भी आधारभूत अवसंरचना की भारी कमी है। जबकि मेरे लोक सभा क्षेत्र चतरा में कोयला उत्पादन की दृष्टि से भारत सरकार की कोल कंपनियां कार्यरत है। अतः मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि चतरा जिले में एक केन्द्रीय विद्यालय

की स्थापना करने की स्वीकृति प्रदान करें। राज्य में शिक्षकों के प्रशिक्षण की दृष्टि से उच्चतर शिक्षक प्रशिक्षण के लिए आवश्यक संस्थान केन्द्रीय योजना के तहत खोला जाए। साथ ही, संबंधित विश्वविद्यालयों को यह निर्देशित किया जाए कि मेरे क्षेत्र के कम से कम सभी विधान सभा क्षेत्रों में एक महिला महाविद्यालय और एक सामान्य महाविद्यालयों की स्थापना की जाए।

अन्त में, मैं मानव संसाधन विकास मंत्री को याद दिलाना चाहता हूँ कि उन्होंने पूरे देश में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की बात कह थी। उन्होंने यह भी कहा था कि इस संबंध में वह देश भर, खासकर दूर दराज के तमाम गांवों के छात्रों उनके अभिभावकों के भी विचार व सुझाव शामिल करेगी, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था और पाठ्यक्रम का सीधा असर इन्हीं पर होता है। भारत ने अपनी पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में तैयार की थी। आज शिक्षा का परिदृश्य पूरी तरह बदल चुका है। अब समय आ गया है कि शैक्षणिक जगत से जुड़े समस्त व्यावहारिक पहलुओं को ध्यान में रखने के साथ ही रोजगार की संभावनाओं और वैश्विक चुनौतियों को और समाधानों को ध्यान में रखते हुए एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की जाए। विकल्प आधारित क्रेडिट ट्रांसफर प्रणाली को स्कूलों और विश्वविद्यालयों में अपनाया जाए ताकि विद्यार्थी अपने पसंद के विषयों का चुनाव कर सकें। अन्तरविषयक शिक्षा प्रणाली का विकास हो। जहां विज्ञान का विद्यार्थी साहित्य और दर्शन भी अपनी रुचि के अनुसार पढ़ सकें। अंक आधारित शिक्षा प्रणाली को बदल कर ग्रेडिंग सिस्टम को अपनाया जाए। हमारे विश्वविद्यालयों क वैश्विक स्तर पर उत्कृष्टता के केन्द्र के रूप में जाना जाए, यह कार्य किया जाना चाहिए।

***श्रीमती रमा देवी:** शिक्षा के माध्यम से ही किसी भी समाज को सभ्य और सुविकसित बनाया जा सकता है। आजादी के 68 साल बीतने के बाद भी यह विडम्बना है कि आज भी हमारे समाज में शिक्षा व्यवस्था पर खास ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जब समाज में तोता रटंत ज्ञान, और ढेर सारे अंक बटोर लेने को ही असली शिक्षा समझा जाने लगे, तो हम एक रचनात्मक और मौलिक समाज की कल्पना नहीं कर सकते। चाहे स्कूली शिक्षा हो या विश्वविद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा, वह एक बने-बनाए ढांचे पर और कुछ परीक्षाओं के आधार पर ही योग्यता निर्धारित कर देने वाला माध्यम बन कर रह गयी है। ग्रामीण इलाकों में आज भी समुचित संख्या में विद्यालयों का अभाव है और कुछ राज्यों के प्राईमरी विद्यालयों का हाल यह है कि बच्चे वहां सिर्फ मिड-डे-मील का भोजन करने जाते हैं उनके हाथ में किताबें नहीं बल्कि थालियां होती हैं। गांव में जगह-जगह खुलते निजी स्कूल अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा के सपने दिखा कर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं! ये प्राईवेट स्कूल गुणवत्ता के किसी भी मापदंड को पूरा नहीं करते! न तो उनके पास अच्छे शिक्षक हैं, और न ही शैक्षणिक माहौल जो खाई शहरी और ग्रामीण जीवन स्तर में है वही दोनों जगहों के छात्रों में भी है। शिक्षा का अधिकार भले ही मौलिक अधिकार हो गया है, लेकिन इसमें आज भी तमाम विरोधाभास है। आगे चलकर तमाम बड़े विश्वविद्यालयों में ग्रामीण छात्रों का शहरी छात्रों से पिछड़ना लाजिमी है।

11 महीने पूर्व केन्द्र में एन.डी.ए. की सरकार आई है और सरकार ने सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ देश को आगे बढ़ाना शुरू किया है। अभी हाल में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे निश्चय ही प्रोत्साहित किया जाए और प्रश्नों को हतोत्साहित न किया जाए।

पूर्व राष्ट्रपति डॉ. अब्दुल कलाम ने अपने पुस्तक में यह लिखा है कि हमें ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनानी होगी जो हर चेहरे पर मुस्कान ला सके। आज हमें शिक्षा व्यवस्था को एक कमरे की चाहरदीवारी से बाहर निकालकर खुले आसमान में लाना होगा, ताकि हमारे छात्र पुस्तक के साथ-साथ व्यवहारिक दुनिया का ज्ञान भी प्राप्त कर सकें।

आज उच्च शिक्षा पर बहुत जोर दिया जा रहा है। नित नए उच्च शिक्षण संस्थान खुल रहे हैं, परन्तु वे केवल डिग्री बांट रहे हैं ज्ञान नहीं। छात्रों में मौलिक प्रतिभा का विकास नहीं हो रहा है। मौलिक शोध के मामलों में हमारा देश पीछे है।

यह गौरतलब है कि देश में 13.62 लाख प्राथमिक स्कूलों में 41 लाख शिक्षक हैं, परन्तु वहां 12 लाख से ज्यादा शिक्षकों का पद रिक्त पड़ा हुआ है। जो शिक्षक है उनमें भी 8.5 लाख शिक्षक अप्रशिक्षित है।

* Speech was laid on the Table.

ऐसे हालात में देश में प्राथमिक शिक्षक की ढांचागत गुणवत्ता तथा शिक्षा गारंटी जैसे लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। मध्याह्न भोजन, स्कूल ड्रेस, साईकिल और पुस्तकों जैसी सुविधाओं के कारण सरकारी विद्यालयों में 96 प्रतिशत तक प्रवेश बढ़े हैं। परन्तु क्या बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ छात्र की संख्या बढ़ाने तक ही होना चाहिए। इसके अतिरिक्त बाजारीकरण के इस दौर में अभिभावकगण भी शिक्षा को बच्चे के द्वारा अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति का साधन मानते हैं। यह एक गलत प्रवृत्ति है जिसे रोके जाने की आवश्यकता है। खोखली बुनियाद पर आकाश छूने का सपना देखा नहीं जा सकता।

इन सब परिस्थितियों के बीच गुणवत्ता उन्मुख शिक्षा प्रणाली एक शक्ति संवर्धक है जो विश्व के एक प्रमुख राष्ट्र के रूप में भारत का कायाकल्प कर देगी। हमारे वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में 2 नए आई.आई.टी. एवं आई.आई.एम. खोलने का ऐलान किया है और प्रत्येक बच्चे को 5 कि.मी. के दायरे में माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए 80 हजार माध्यमिक विद्यालयों को उन्नत करके वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बनाए जाएंगे एवं 75 हजार मिडिल स्कूलों को सीधे वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में तब्दील करने का ऐलान हुआ है। ऐसे में मुझे आशा है कि माध्यमिक शिक्षा में बुनियादी ढांचे का विस्तार होगा। केन्द्र एवं राज्यों की हिस्सेदारी से चलने वाली यह योजना राज्यों को भी काफी राहत प्रदान करेगी। शिक्षा के बजट में करीब 69 हजार करोड़ रूपए दिए गए हैं, जिससे निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव होगा।

अंत में, मैं यह कहना चाहती हूँ कि शिक्षा ही मानव और हमारी प्रकृति से संबंधित सभी कठिनाइयों का समाधान देने में सक्षम है। मोदी जी की स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सभी कार्यक्रम हमारे देश को आगे बढ़ाएंगे और हमारे छात्रों का जीवन निश्चय ही बेहतर होगा।

***श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर):** हमारे देश के स्कूल हमारे बच्चों को बुद्धिमान नहीं बोझ बना रहे हैं। स्कूलों में छात्रों की तादाद तो बढ़ रही है, लेकिन पढ़ाई में बच्चे पिछड़ रहे हैं। हमारे बच्चों को न तो तरीके से भाषा सिखाई जा रही है, न गणित और न ही विज्ञान। कुल मिलाकर स्कूलों में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।

हमारे देश में निजी और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले पहली क्लास के 57 फीसदी से ज्यादा बच्चे अंग्रेजी नहीं जानते। अंग्रेजी जानना तो दूर वो अंग्रेजी का एक अक्षर तक नहीं पढ़ सकते। पहली क्लास के 50 फीसदी से ज्यादा बच्चों को किसी भी भाषा की जानकारी नहीं। पहली क्लास के ये बच्चे ना तो अक्षरों को पहचानते हैं और ना ही शब्दों को। मैं अंग्रेजी का पक्षधर नहीं, लेकिन विभिन्न भाषा के ज्ञान का पक्षधर हूँ। ये हमारे स्कूलों की हकीकत है। हमारे स्कूलों में शिक्षा के स्तर की पोल खोल रहे हैं ये आंकड़ें। ये आंकड़े बता रहे हैं कि सरकार एक तरफ शिक्षा के अधिकार पर अमल की तैयारी कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे स्कूलों में शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। शिक्षा अगर ज्ञान और काबिलियत का पैमाना है तो उस पर हमारे स्कूली छात्र कतई खरे नहीं उतरते।

शिक्षा की स्थिति पर मशहूर एनजीओ 'प्रथम' की ओर से कराए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि देश भर के स्कूलों में शिक्षा का स्तर कितनी तेजी से गिरता जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक शिक्षा के स्तर के मामले में निजी स्कूलों का भी बुरा हाल है। हालांकि निजी स्कूलों में छात्रों की तादाद बढ़ी है, लेकिन पढ़ाई का स्तर गिरा है। रिपोर्ट के मुताबिक निजी स्कूलों में पढ़ने वाले पांचवी क्लास के करीब 53.2 फीसदी छात्र दूसरी क्लास की किताबें नहीं पढ़ सकते। सरकारी स्कूलों में ये आंकड़ा 58.3 फीसदी है। रिपोर्ट में ये चौंकाने वाला खुलासा भी किया गया है कि पांचवी क्लास के करीब 46.5 फीसदी बच्चे गणित में घटाना नहीं जानते। पांचवी क्लास के 75.2 फीसदी बच्चों को भाग देना नहीं आता।

यह साफ है कि वो चाहे गणित हो या साहित्य, स्कूली छात्र ज्ञान के मामले में खोखले साबित हो रहे हैं। हमारा स्कूली सिस्टम उनकी बुनियाद को इतना कमजोर बना रहा है कि उसके आधार पर न तो खुद बच्चों का भविष्य बेहतर बन सकता है और न ही देश का। रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि हमारे स्कूल हमारे बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। आलम ये है कि तीसरी क्लास के बच्चे पहली क्लास की किताबें नहीं पढ़ सकते। तीसरी क्लास के सिर्फ 30 फीसदी बच्चे पहली क्लास की किताबें पढ़ना जानते हैं। एनजीओ की इस रिपोर्ट का दूसरा पहलू यह भी है। रिपोर्ट बता रही है

* Speech was laid on the Table.

कि ग्रामीण इलाकों में स्कूली छात्रों की तादाद बढ़ी है। खासकर निजी स्कूलों की तरफ अभिभावकों का रुझान बढ़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक 2012 में दाखिले की फीसदी करीब 96 फीसदी रही। ग्रामीण इलाके के निजी स्कूलों में भी दाखिले में 10 फीसदी की बढ़ोत्तरी रही। यही हाल रहा तो 2018 तक देश के आधे से ज्यादा बच्चे निजी स्कूलों में होंगे। जाहिर है, अभिभावक निजी स्कूलों की तरफ भाग रहे हैं। उन्हें निजी स्कूलों में मौजूद सुविधाएं दाखिले के लिए खींच रही हैं। लेकिन एनजीओ प्रथम की रपट बताती है कि चमक-दमक, मोटी फीस और सुविधाओं के नाम पर अभिभावकों को अपनी ओर खींचने वाले निजी स्कूलों में भी पढ़ाई खस्ताहाल है। हमारे स्कूल हमारे बच्चों को बुद्धिमान नहीं बल्कि बोझ तैयार कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर यही हाल रहा तो शिक्षा के अधिकार का क्या मायने रह जाएगा? शिक्षा का ही क्या मतलब रह जाएगा? सवाल ये भी है कि शिक्षा के स्तर में गिरावट की वजह क्या है।

हमारे सरकारी स्कूल प्रायः जर्जर भवनों वाले और कहीं-कहीं खंडहरनुमा हालत में हैं। कहीं जरा अच्छे भवन हैं भी तो उनका प्रायः अन्य कामों में उपयोग किया जाता है। मतदान केन्द्रों के रूप में तो हम उनका उपयोग देखते ही हैं, कई सरकारी आयोजन भी इनमें होते हैं। इसके अलावा रावण दहन, पटाखे की दुकानें, नेताओं की भाषणबाजी, कथा-वाचन, प्रवचन-पंडाल, पुरानी कारों के बाजार, बिल्डिंग मैटेरियल के ढेर, मेले, प्रदर्शन-रैली, त्योहार मनाने, नाच-गाने आदि सबके लिए सरकारी स्कूल सुलभ होता है। आंधी-बारीश के समय ये स्कूल लोगों की शरणस्थली के काम भी आते हैं। पहुँच वालों की शादी-ब्याह के आयोजन के लिए यही श्रेष्ठ स्थल होते हैं। ऐसे में सरकारी स्कूल शिक्षा के लिए पवित्र स्थान कैसे बने रह सकते हैं।

योग्य शिक्षकों और साधनों का अभाव दूसरा बड़ी समस्या है जिससे सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूलों से पिछड़ते हैं। इसे केवल बजट का मामला नहीं मानना चाहिए। सरकारी स्कूल के शिक्षकों से तमाम गैर शैक्षिक कार्य लिए जाते हैं। यह समझना होगा कि शिक्षक बेकार करने वाला तबका नहीं है। कहीं-कहीं पचास-साठ बच्चों के स्कूल में आवश्यकता से बहुत अधिक शिक्षक होते हैं तो कहीं-कहीं इनकी संख्या न्यूनतम से भी कम होती है। कहा जाता है कि वेतन का बोझ सरकारी स्कूलों की हालत सुधरने नहीं देता है। दरअसल हमारा शिक्षा का बजट ठीक नहीं है। धन की कमी तो प्राइवेट स्कूलों में भी होती है किंतु वहां की कार्य-संस्कृति और मैनेजमेंट बेहतर है।

सरकारी स्कूलों की बुरी दशा के पीछे इसका सरकारीपन और दोषपूर्ण प्रबंधन भी है। कई जगह स्थानीय विकास-समितियां बनाई गई हैं किन्तु इसके जरिए राजनीति घुसने लगी है और स्कूल छुटभैये नेताओं के उपकरण बनते जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों को इनके प्रभाव से मुक्त करने की जरूरत है। अनेक गांवों में तो शिक्षकों को वेतन के लिए सरपंच या प्रभावी नेताओं की चिरौरी करना पड़ती है।

अगर प्राइवेट स्कूलों के साथ दो-दो सरकारी स्कूलों को नत्थी कर दिया जाए तो उनके चुस्त मैनेजमेंट का लाभ इन्हें भी मिलेगा। इसके अलावा समाज में बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त शिक्षाविद मौजूद हैं जिन्हें पेंशन के रूप में पंद्रह-बीस हजार रूपए तक मिल रहे हैं। यदि उन्हें दो-तीन स्कूलों का प्रभारी बनाकर उनकी प्रतिभा का उपयोग किया जाए, तो अच्छे परिणाम मिल सकते हैं और उन्हें भी लगेगा कि वे अभी भी सक्रिय, उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं।

देश भर में बड़े उद्योग और व्यावसायिक संगठन सरकारी योजनाओं, बैंकों आदि से सुविधा प्राप्त करते हैं। उन्हें सब्सिडी, टैक्स रिबेट, लोन वगैरह का लाभ मिलता है। इन बड़े-बड़ों में कई पर करोड़ों का टैक्स बकाया है, लेकिन वे समाज में शिव-नंदी की तरह बेफिक्र घूमते हैं। यदि इन डिफाल्टर्स का दो-तीन स्कूल गोद लेने के लिए प्रेरित या विवश किया जाए तो कुछ अच्छे परिणाम अवश्य मिलेंगे।

***श्री दहन मिश्रा (श्रावस्ती):** हम सब जानते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने देश के युवा वर्ग को ही सच्ची ताकत बताते हुए उनकी शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से पूरे विश्व में भारतीय मानव संसाधन के योगदान हेतु महत्वाकांक्षी योजनाओं पर बल दिया है। इस बात में कोई शंका नहीं है कि विदेशों में भारतीय प्रतिभाओं ने धूम मचा रखी है और इनकी मांग भी जोरों पर है। परन्तु देश में प्राथमिक शिक्षा की हालत अत्यंत चिंताजनक है। शिक्षा अधिकार कानून एवं सर्व शिक्षा अभियान के तहत मध्याह्न भोजन के जरिए सरकारी स्कूलों में नामांकन तो सुनिश्चित किया जा सका, परन्तु छात्रों में अक्षर बोध एवं आंकिक एवं तार्किक स्तर पर बौद्धिक क्षमता हाशिए पर है। इसके मूल में कई राजनैतिक एवं सामाजिक कारण हैं, पर मैं सिर्फ इसके व्यवहारिक पक्ष पर कुछ बात रखूंगा। आजादी के 70 साल बाद भी देश में शिक्षा की अनेकों पद्धतियां और पाठ्यक्रम प्रचलन में हैं, जिसके अंतर्गत प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग पाठ्यक्रम पढ़ाये जाते रहे हैं। साथ ही शिक्षकों के चयन के आधार भी भिन्न हैं। ये बात इसलिए बताना जरूरी है कि एस सांसद होने के नाते हम सबको अपने संसदीय क्षेत्र के केन्द्रीय विद्यालय में 6 बच्चों के प्रवेश हेतु संस्तुति करने का प्रावधान है, परन्तु केन्द्रीय विद्यालय में प्रवेश हेतु अभिभावकों और बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। ऐसे में जिन लकी सिक्स को संस्तुति पत्र से प्रवेश मिल गया उनको छोड़कर बाकी जनता में अपने सांसद से निराशा हाथ लगी है। ऐसा इसलिए भी है कि हमने एक भेदभाव पूर्ण शिक्षा व्यवस्था बना रखी है।

अगर रैंकिंग की बात करें तो शायद सभी जागरूक/मध्यम वर्गीय अभिभावक सरकारी विद्यालय के चुनाव में केंद्रीय विद्यालय और आवासीय जवाहर नवोदय विद्यालय को पहली तरजीह देते हैं क्योंकि इन विद्यालयों में अध्यापकों का चयन एक उच्चस्तरीय प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर होता है और इनमें केन्द्रीय सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई होती है जिसका पाठ्यक्रम छात्रों को उज्ज्वल भविष्य हेतु इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए भी काफी कुछ कवर कर लेता है। इन मानकों पर राज्य सरकारों की शिक्षण संस्थाएं, उनके पाठ्यक्रम और शिक्षक सभी गुणवत्ता के मामले में पिछड़ जाते हैं। देखा जाए तो ये विद्यालय एक ब्राण्ड बन चुके हैं और समानता के मौलिक अधिकार के हिसाब से सभी को एक समान शिक्षा प्राप्त करने का अवसर भी मिलना चाहिए।

जरूरत इस बात की है कि शिक्षा को लेकर सभी राज्यों के सहयोग से एक केंद्रीय नीति बनाई जानी चाहिए जहां एक यूनिवर्सल पाठ्यक्रम हो, शिक्षक एवं आधारभूत ढांचा समान हो। तभी हम देश के

* Speech was laid on the Table.

नौनिहालों को गला काट प्रतियोगी युग में कम से कम एक समान प्लेटफार्म दे सकेंगे। इसलिए मैं आग्रह करता हूँ कि देश में अधिकाधिक केंद्रीय विद्यालय खोले जाएं और शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर दिया जाए। अभी केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश के कूपन अपने ही संसदीय क्षेत्र में दिया जा सकता है। कई जगह ऐसी भी हैं जहां केंद्रीय विद्यालय नहीं हैं, तो पड़ोसी जिले में ही दिया जा सकता है। मेरा अनुरोध है कि ये बाध्यता समाप्त कर कूपन की संख्या काफी बढ़ा देनी चाहिए। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि छोटे शहरों से अधिकांश लोग रोजगार और शिक्षा के अच्छे अवसर की तलाश में देश के बड़े शहरों रहने चले जाते हैं। ऐसे में उनकी उपेक्षा होती है कि क्षेत्रीय सांसद उनकी पैरवी कर सकें पर हमारे हाथ बंधे हुए हैं ऐसा कोई नहीं मानता। आज हम मेक इन इंडिया की अवधारणा को लेकर संकल्पित हैं जिसके लिए कौशल विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है पर समान शिक्षा के अवसर न होने के कारण अभी भी छोटे शहर/ग्रामीण इलाके के बच्चे मानसिक योग्यता प्रतियोगी परीक्षाओं में पिछड़ जाते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि तार्किक शिक्षा, बुद्धि परीक्षण एवं वैदिक गणित को अनिवार्य रूप से शिक्षण पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए जिससे बच्चों को स्कूल से ही प्रतियोगी माहौल के लिए तैयार किया जा सके।

शुक्रवार को हुई चर्चा में श्री तथागत सत्यथी (बीजू जनता दल) ने हमारी शिक्षा प्रणाली के मूल यानि प्राथमिक शिक्षा के कमजोर होने की बात कही थी। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि तत्कालीन भारतीय शिक्षा के मूल ही नहीं, उसके मूलाधार को मजबूत करने की जरूरत है। इस मूलाधार की कमजोरी का एक प्रमुख कारण है कि शिक्षा के किसी भी स्तर पर लॉजिक यानि तर्कशास्त्र नहीं पढ़ाया जाता। लॉजिक ऐसा विषय है जो कि तर्कसंगत बात और कुतर्क में फर्क करना सिखाता है और कलियुग में कुतर्क बहुत होगा ऐसा हमारे शास्त्रों में भी लिखा है और सच भी है।

आपने और मंत्री जी ने ऐसा भी जरूर देखा होगा कि जहां हमारी सरकार शास्त्रों, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति की बात करती है, वहीं हमारी सरकार या ऐसी बात करने वालों की आलोचना ही नहीं उनका मजाक बनना भी शुरू हो जाता है। लेकिन मैं यह बताना चाहता हूँ कि वो पहली सभ्यता जिसने लॉजिक का आविष्कार किया वो भारतवर्ष की ही सभ्यता थी। यही नहीं, हमार बाद हमारे अतिरिक्त मात्र एक ग्रीक सभ्यता हुई जिसके मशहूर दार्शनिक एरिसटॉटल ने भी तर्कशास्त्र ईजाद किया और पश्चिम के देशों का सारा भौतिक ज्ञान-विज्ञान तरक्की एरिसटॉटल के इसी तर्कशास्त्र पर आधारित है।

एक समय था कि हमारे गुरुकुलों का मूल पाठ्यक्रम था- भाषा ज्ञान, व्याकरण, लॉजिक और गणित। ऐसा माना जाता था कि इन चार विषयों का ज्ञान अनिवार्य है अन्य किसी विषय को पढ़ पाने के लिए।

फिर आज क्या बदल गया? आज भी इंटर के बाद होने वाली लगभग हर परीक्षा में लॉजिकल रीजनिंग का पेपर होता है - कैट, सीएलएटी, सीएसएटी, जीएमएटी, बैंक पीओ, एनडीए - सब में। लेकिन लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाई केवल कोचिंग में जाती है।

“लॉजिक” शब्द का प्रयोग हर टीवी चैनल के डिबेट पर हर दिन लगभग सौ बार होता है। हाल में मंत्री जी ने एक पत्रकार को इंडरव्यू दिया जिसमें 5-10 बार लॉजिकल होने की बात दोनों ने कही। आए दिन जनता में और जनता के प्रतिनिधी वर्ग में वाद-विवाद होता है कि तुम लॉजिकल कि हम लॉजिकल। वाद-विवाद पहले भी होता था, शास्त्रार्थ पहले भी होता था पर पहले तर्क के नियमों के अनुसार होता था और आजकल मनमर्जी से होता है। सबको लगता है कि वही लॉजिकल हैं, बाकी मूर्ख। पर जैसे गणित में सही गलत निर्धारित और निश्चित है ठीक वैसे ही क्या लॉजिकल है और क्या नहीं, ये भी सदियों से निर्धारित और निश्चित है। लोगों के तर्क अलग हो सकते हैं पर उनका मूल्यांकन तर्कशास्त्र के ही आधार पर होगा और तर्कशास्त्र सबके लिए एक ही है।

फिर ऐसा क्यों कि आज की तारीख में लॉजिक केवल बंगाल स्टेट बोर्ड के पाठ्यक्रम का हिस्सा है और वो भी ओप्शनल? ऐसा क्यों कि यूनिवर्सिटी में भी केवल फिलॉस्फी के छात्रों को लॉजिक पढ़ाई जाती है? क्या जीवन में या परीक्षा में या प्रोफेशनल जीवन में लॉजिक का उपयोग नहीं?

भारत के आखिरी विश्वविख्यात तर्कशास्त्री डॉक्टर बिमल कृष्ण मतिलाल हुए थे जो कि सन 1977 से 1991 तक ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर थे। ये खुद संस्कृत कॉलेज में पढ़े थे। पं. तारनाथ तर्कतीर्थ और कालीपद तर्कचार्या के निर्देशन में जितना काम भारतीय लॉजिक पर डॉक्टर मतिलाल ने किया उतना उनके बाद किसी ने नहीं किया और इनकी सारी पुस्तकें उपलब्ध हैं। नागार्जुना और गौतम से लेकर एरिसटॉटल, एरिसटॉटल से लेकर मतिलाल और मतिलाल से लेकर कोपी और कोहेन तक सारी पुस्तकें उपलब्ध हैं। क्या हम उनसे प्रेरित होकर हाई स्कूल और इंटर के पाठ्यक्रम के लिए पुस्तकें नहीं बना सकते? क्या हम लॉजिक के टीचर तैयार नहीं कर सकते? क्या हम हर स्कूल में लॉजिक का एक ट्रेड टीचर नहीं रख सकते? हम कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। ये धर्म का काम है, इसमें स्टूडेंट्स का हित है, देश का हित है, सभ्यता का हित है। कुछ दिन पूर्व पायोनियर अखबार में एक तर्कशास्त्री (अधीर सोम) ने भी ये दलील दी थी और सरकार से यही इत्तजा की थी। मुझे आश्वासित किया गया है कि देश के बहुत से तार्किक, दर्शनविद, यहां तक कि मशहूर सेंट स्टेफन्स कॉलेज का फिलोस्फी डिपार्टमेंट भी लॉजिक को स्कूल पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने के कार्य में सरकार की मदद करने को तत्पर है और वो भी धर्मार्थ, यानि मुफ्त में क्योंकि उनका भी ये मानना है कि ये धर्म का काम है, हिंदू धर्म का नहीं, मानव धर्म का काम है। मुझे नहीं लगता कि संकीर्ण राजनीतिक दृष्टि से भी किसी को इस बात पर आपत्ति होगी या कोई इसका

मजाक बनाएगा कि भारत में लॉजिक की पुरातनकालीन परंपरा दोबारा प्रबल हो और भारत का तार्किक, वैज्ञानिक विकास और तेज हो।

जून 9-12, 2015 को फ्रांस में लॉजिक पढ़ाने के विषय पर चौथी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने वाली है। मैं मंत्री जी से सादर अनुरोध करता हूं कि हो सके तो एक डेलीगेशन इस कॉन्फ्रेंस में जरूर भेजें और स्कूल में लॉजिक पढ़ाने के मेरे सुझाव पर विचार करें।

*श्री अश्विनी कुमार चौबे (बक्सर) :अन्य वक्ताओं के साथ मुझे भी भूकम्प त्रासदी हेतु संबद्ध किया जाए ।

मैं देश एवं पड़ोसी देश नेपाल सहित बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में विगत दो-तीन दिनों से हुए भूकम्प त्रासदी में मृतकों के प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ एवं उन सभी पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं । साथ ही हमारे संसदीय क्षेत्र बक्सर के ब्रह्मपुर प्र0 में इसके परिणामस्वरूप तीन अल्प संख्यक लोगों के प्रति भी शोक संवेदना व्यक्त करते हैं ।

इसके अतिरिक्त, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में माननीय गृहमंत्री की तत्परता एवं पड़ोसी देश को सहायता प्रदान करने हेतु साधुवाद देते हैं ।

* Speech was laid on the Table.

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी) : उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरा विश्वास था कि शिक्षा के विषय पर बिना किसी द्वेष के इस सदन में बातचीत होगी। मैं सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करती हूँ कि बिना द्वेष की भावना से राष्ट्र हित की भावना से शिक्षा के विषय पर बोले हैं।

मुझसे पहले शिक्षा विभाग का जो दायित्व रखते थे, उनकी आज मैंने हिन्दी में एक टिप्पणी सुनी। उन्होंने आदरणीय वेंकेया नायडु जी का उल्लेख किया और कहा कि जितना आटा होगा, रोटी उतनी ही बनायी जाएगी। शास्त्रों में लिखा है और मैंने महाकाल की धरती पर सुना है-

अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकरप्राणवल्लभे, ज्ञान वैराग्य सिद्धयर्थम् भिक्षाम् देहि च पार्वती।

मां अन्नपूर्णा को यह आशीर्वाद है कि रोटी जितनी चाहिए, अन्नपूर्णा रोटी का प्रबन्ध करती है। लेकिन आज एक माननीय सदस्य ने जो केरल से संबंध रखते हैं, उन्होंने इस चिंता को व्यक्त किया कि खर्च नहीं हो रहा है यूटिलाइजेशन नहीं हो रही है। उनको बड़े सम्मान सहित कहना चाहूंगी कि आप ही की पंक्ति में जो महाशय बैठे हैं, वर्ष 2013-14 के शिक्षा विभाग के यूटिलाइजेशन को अगर आप देखें तो वह रिवाइज़ एस्टीमेट का 92.9 परसेंट रहा है, जबकि हमारी सरकार के अंतर्गत वर्ष 2014-15 के रिवाइज़ एस्टीमेट का एक्सपेंडिचर 97.69 रहा है। प्रश्न अब उनकी तरफ उठता है कि जब आटा था तो रोटी पर्याप्त क्यों नहीं बनायी गयी? इन्होंने एक आक्षेप किया कि अटॉर्नमी पर प्रहार हो रहा है। एमएचआरडी ने एक निर्देश दिया है कि सभी सैन्ट्रल यूनिवर्सिटीज या संस्थान पहले एमएचआरडी के माध्यम से पूछें कि किस प्रकार का एमओयू इंटरनेशनल स्तर पर साइन होने वाला है। देश का संविधान यह कहता है कि देश की संसद में जो निर्णय लिया जाएगा, उस निर्णय के तहत देश की सरकार को काम करना है। देश की सरकार द्वारा संचालित सभी शिक्षण संस्थान इसी संसद का सम्मान करेंगे। आज यह प्रश्न उठता है कि जब केन्द्र में यूपीए की, कांग्रेस की सरकार थी तब इसी संसद द्वारा बनाए गए आईआईटी एक्ट का उल्लंघन क्यों हुआ? क्यों एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय करार किया गया, जिसमें भारत के टेक्सपेयर्स के पैसे से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आईआईटी एक्ट का उल्लंघन करते हुए एक कैम्पस के निर्माण की बात की गयी। क्यों उस वक्त ये मंत्री मूकदर्शक बन कर तमाशा देख रहे थे? क्या संसद की गरिमा का, संविधान का और कानून का भय अथवा चिंता तब नहीं थी?

एक आरोप मुझ पर लगाया जाता है कि चार साल के दिल्ली युनिवर्सिटी के प्रोग्राम को रोल बैक किया गया। वह प्रोग्राम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नहीं चलाया जा रहा था। एमएचआरडी में जब दस्तावेजों को खोजा गया तो यह पाया गया कि 77 हजार छात्रों को 40 से ज्यादा ऐसे कार्यक्रमों में भागीदार बनाया गया, जिसकी परमिशन स्वयं राष्ट्रपति महोदय ने नहीं दी थी। क्या हम एक ऐसा नजारा

देखना चाहते थे, जब चार साल बाद दिल्ली की सड़कों पर, देश की राजधानी में लगभग चार लाख छात्र ऐसे उपस्थित हों, जिनकी डिग्री का कोई मोल नहीं है? अगर उस गैर कानूनी हरकत को रोका गया तो चोट उनको क्यों पहुंचती है? अगर उन छात्रों का संरक्षण किया गया, उनके भविष्य का संरक्षण किया गया तो दुख उनको क्यों होता है? आज मैं पूछना चाहती हूँ कि बार-बार हम पर यह आरोप लगाया जाता है कि हमने आईसीएचआर के माध्यम से हमने इतिहास में दखल देने की कोशिश की है। प्रोफेसर साहब यहां बैठे हैं। मैं सांसद के नाते उन्हें संबोधित नहीं करती, प्रोफेसर इसलिए कहती हूँ कि उस दिन जब तथागत सत्पथी जी सदन में बोल रहे थे, तब उन्होंने कहा कि एजुकेशन में वेस्टेड इंटररेस्ट है। उन वेस्टेड इंटररेस्ट को एजुकेशन से दूर करने की जरूरत है। आज मुझे पूछना है कि आईसीएचआर में कौन है? ... (व्यवधान) मैंने आपके आरोप सुने, अब मेरे जवाब को आने दीजिए। आईसीएचआर में कौन है, मैं आईसीएचआर में कौन से लोगों की बात कर रही हूँ। आईसीएचआर में पूर्वी रॉय है। पूर्वी रॉय कौन है, मैं उनके नाम का यहां उल्लेख कर रही हूँ। Purabi Roy is a veteran scholar of international relations, is a renowned historian of Netaji Subhas Chandra Bose and the Indian Freedom Struggle of Indian Russian Relations, has done an outstanding work. She has also done work on documents related to the Russian Archives. Let me tell the House, through you, Sir, very respectfully that Purabi Roy was also associated with CPI. Her husband Kalyan Roy was a dynamic CPI Member of the Rajya Sabha. क्या हम पक्षपात कर रहे हैं? अगर पक्षपात करते तो क्या इस प्रकार के हिस्टोरियन आईसीएचआर में रहते? मुझे सुस्मिता देव जी कह रही हैं don't get angry. महोदय, आप ही ने कहा था कि मेरे खिलाफ चार्जशीट बनाई जा रही है। मैं आज उस चार्जशीट का जवाब दे रही हूँ और आग्रह करती हूँ कि सब जवाब सुनें।

महोदय, मैं आपके माध्यम से टी.एम.सी. के मैम्बर से पूछना चाहती हूँ कि क्या आपकी सरकार में सीपीआई(एम) से कोई भी ताल्लुकात रखते हुए किसी भी व्यक्ति को निष्पक्ष तरीके से आप नौकरी दे सकते हैं? ... (व्यवधान) आईसीएचआर की बॉडी में हमने पूर्वी रॉय को लिया, क्या यह पक्षपात है? वह एक इतिहासकार हैं, जिन्होंने देश नहीं छोड़ा, बल्कि देश में रहकर देश की सेवा की है, क्या उनका सम्मान करना अपराध है? आईसीएचआर में सचिन आनन्द साहब जी हैं, उन्हें प्रोफेसर ऑफ एपिग्राफी किसने बनाया, यूपीए की सरकार ने बनाया। क्या उनका सम्मान करना हमारा अपराध है? आज यहां पर सुष्मिता देव जी बैठी हैं, उन्होंने उस दिन कहा कि मैं अपने ऊपर लगे चार्ज का, आरोप का जवाब दूँ, मैं उनसे कहना चाहती हूँ, विश्व भारती के बारे में बहुत लोगों ने चिंता व्यक्त की। विश्व भारती की जो इंकवायरी

कमेटी है, उस इंक्वायरी कमेटी के मैम्बर कौन हैं - बी.बी.दत्त। बी.बी.दत्त जी नार्थ-ईस्ट कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी के जनरल सैक्रेटरी थे। उन्हें कांग्रेस पार्टी के रिजीम में राज्य सभा का मैम्बर बनाया गया। वह आपके पिता संतोष मोहन देव जी के साथ भी काम कर चुके थे। उनका सम्मान करना क्या हमारा अपराध है? ये सब वे लोग हैं, जो इस वक्त भारत सरकार के साथ शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मात्र इसलिए क्योंकि वे भारत का नवनिर्माण करना चाहते हैं। जे.के.रे., जयन्त कुमार रे, जिन्हें आपने यूपीए के रूल में मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज का चेयरमैन बनाया था, उनको आज हमने नेशनल प्रोफेसर बनाया, क्या हमने उनसे पूछा कि आपके कांग्रेस के साथ क्या ताल्लुकात थे। हमने मात्र यह देखा कि शिक्षा के क्षेत्र में वह कैसे आगे काम कर सकते हैं।

श्री ध्रुवनारायण जी पीछे बैठे हैं। डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पर सबसे पहला भाषण उनका था। पहले सत्र में जब मेरा उनसे परिचय हुआ तो उन्होंने कहा कि दस साल से मेरे क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय नहीं चल पा रहा है। आप इसे खोलिये और हमने उसे खोला, क्या हमने पक्षपात किया, नहीं किया। सुस्मिता देव जी स्वयं इस बात की गवाह हैं कि उनके अपने क्षेत्र में हमने केन्द्रीय विद्यालय में जितना सहयोग संभव था, उतना सहयोग किया। यह सहयोग करना क्या पक्षपात है, क्या यह हमारा अपराध है? आज इस सदन में मैं कहना चाहती हूँ कि एक वेकेन्सी को लेकर चिंता व्यक्त की गई। वेकेन्सीज पर महामहिम राष्ट्रपति जी को आठ मई को एक पत्र लिखा गया था और कहा गया था कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लगते ही 15 वेकेन्सीज भरने का कुछ लोग प्रयास कर रहे थे, जो कानून के विरोध में है, इसकी जांच हो, हमने जांच की। यूपीए के कार्यकाल के दौरान चार लोग जो प्रस्तावित थे, उन्हें सेंट्रल यूनिवर्सिटी, गुजरात, उत्तराखंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी केरल और पंजाब में सम्मान सहित कार्य करने का मौका दिया। यह हमने चयनित नहीं किया, यूपीए की सरकार द्वारा चयनित हुआ और हमने उसका सम्मान किया। लेकिन जिन चयन समितियों में हमने कहीं न कहीं कोई चैलेंज देखा उसको हमने रोकने का प्रयास किया, क्योंकि आज जैसे लक्ष्मी नारायण यादव जी कह रहे हैं, उनमें से एक नाम ऐसे व्यक्ति का था, जो आज सीबीआई की गिरफ्त में है। क्या उस व्यक्ति को रोकना हमारा अपराध है? रिवाइज़ एस्टिमेट्स की बात हो रही है। इसी सदन में और दूसरे सदन में भी हमने बार-बार कहा है कि शिक्षा प्रायोरिटी ऑफ प्रायोरिटीज़ है। हमसे पूछा गया कि बीजेपी के मैनिफेस्टो है कि मिडि डे मील को और सशक्त करना है, क्या उसका प्रयास किया, जी हाँ हमने किया है। सेफ्टी और हाईजीन ऑफ फूड्स के लिए फरवरी के महीने में नई गाईडलाइंस बनाई हैं। साथ ही एक सेंट्रलाइज़्ड वॉइस मॉनिट्रिंग रिकगनिशन सिस्टम तैयार कर रहे हैं ताकि प्रदेश और केंद्र की सरकार को एक साथ पता चले कि मिडि डे मील में कहीं कोई चुनौती तो नहीं है।

हमसे यह कहा गया कि हम शिक्षा के निजीकरण में कोई काम नहीं कर रहे हैं। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। स्वयं नाम का एक कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत देश की सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, आईआईटीज़, आईआईएमज़, एनआईटीज़, आईसरज़ ये सब मिल कर देश के इतिहास में पहली बार हमारे देश के नागरिकों को मुफ्त शिक्षा देंगे ताकि डिग्री हो, डिप्लोमा हो या फिर वह सर्टिफिकेट का कोर्स हो, कम से कम टैक्नोलॉजी के माध्यम से वह शिक्षा प्राप्त हो। देश में लगभग 500 ऐसे केंद्र करेंगे, जिसमें नागरिक जा कर अपने एग्ज़ाम को दें और बहुत ही न्यूनतम शुल्क पर सर्टिफिकेट लें। क्या उच्च शिक्षा में इतनी बड़ी क्रांति लाना हमारा अपराध है? तथागति सतपति जी का मैं स्वागत करती हूँ, जिन्होंने राजनीति से ऊपर उठ कर प्रदेश की कुछ चुनौतियों की ओर ध्यान आकर्षित करने का काम किया है। आपने कहा कि मात्र संस्कृत का सम्मान काफी नहीं है, सभी प्रादेशिक और ट्राईबल लैंग्वेजिस का सम्मान होना चाहिए। मैं आपसे बहुत ही सम्मानजनक तरीके से कहना चाहूंगी कि आपने जो भाषण दिया, उसकी मैं सराहना करना चाहती हूँ। आप एक वरिष्ठ राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। मेरी पार्टी से आपका कोई इत्तेफाक नहीं है। आपने और सुप्रीया सूले ने उस दिन जो बातें कहीं, उसका राजनीति से कोई सरोकार नहीं था, वह चिंता थी, जो आपने व्यक्त की थीं। सुप्रीया सूले जी ने कहा कि लगभग 2 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। दो करोड़ नहीं हैं, तीन करोड़ नहीं हैं, 60 lacks children are out of school. शशि थरूर जी ने कहा कि पहले कम थे, अब ज्यादा हो गए हैं। इनके आंकड़े गलत हैं। पहले 1 करोड़ 36 लाख थे, अब 60 लाख हैं। Sir, your math is wrong. हम ज्ञान नाम का एक कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। ज्ञान के अंतर्गत, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जितने भी हमारे एकैडेमिशनस हैं, प्रोफेसर्स हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, खुद भारत सरकार की ट्रेज़री से पैसा दे कर आमंत्रित कर रहे हैं, ताकि वह हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एनआईटीज़ और आईआईटीज़ और आइसर्ज़ में जा कर हमारे छात्रों को पढ़ा सकें। इस प्रकार की क्रांति लाना क्या अपराध है? ... (व्यवधान)

सर, मैंने सुना था कि विद्या ददाति विनयम्। मुझे यह नहीं पता था कि विद्या से इतना सारा ज़हर भर जाएगा। कोशिश हमारी यह है कि जैसे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में इज़ाफा करने की बात की है। पढ़े भारत, बढ़े भारत पर हमने पहले भी सदन में उल्लेख किया है, आज भी करते हैं कि अर्ली रीडिंग राइटिंग ऑन नयूमेसी, कक्षा एक, दो, तीन पर हमारा विशेष ध्यान है, जिसके लिए इस बजट में भी 460 करोड़ रुपये का प्रावधान है। मैं आपसे आग्रहपूर्वक कहना चाहती हूँ कि उच्च शिक्षा के साधनों में तो वृद्धि हुई है, स्कूली शिक्षा में भी फ्लैगशिप्स स्कीम्स का संरक्षण होगा, ऐसा हमारी सरकार का वक्तव्य है और वह वक्तव्य मैं दोबारा दोहरा रही हूँ। बेटियों की शिक्षा के बारे में चिंता व्यक्त की गई है। मैं कहना चाहती हूँ देश में पहली बार हम एक जेंडर एटलस ले कर आए हैं, जिसके अंतर्गत सभी राज्य, किन जिलों में बेटियों की

शिक्षा में वृद्धि की जरूरत है, कहां पर चुनौती है, उसको मैप कर सकते हैं और उस हिसाब से एरिया स्पेसिफिक कार्यक्रम बना सकते हैं। हमारे प्रधान मंत्री जी ने बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत हमने सौ ऐसे जिले चिन्हित किए हैं, जिनमें स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, जिसमें 75 प्रतिशत माता-पिता, उन स्कूलों के होंगे, जिनमें छात्र जाते हैं, उनसे कहा गया है कि अगर आप स्कूली शिक्षा में बेटियों को प्राइमरी से सैकेंड्री और सैकेंड्री से हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ाएं तो हम स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को पांच लाख रुपये का इनाम देंगे। हमारी कोशिश यह है कि हम स्कूल्स का असेसमेंट कर सकें। जीआईएस मैपिंग हमने राष्ट्र भर में की है, मात्र तीन प्रदेश रह गए हैं, जिनकी मैपिंग अब तक नहीं हुई है। उन मैपिंग्स के बाद हम जानते हैं कि हैबिटेसनवाइज हमें कहाँ शिक्षा के कौन से साधन देशवासियों को देने हैं। कई लोगों ने और सुष्मिता जी ने एक विशेष चिन्ता नॉर्थ-ईस्ट के छात्रों के लिए व्यक्त की थी।

मैं कहना चाहती हूँ कि यूजीसी के अंतर्गत हमने ईशान उदय, ईशान विकास नाम के कार्यक्रमों की शुरुआत की। पहली बार देश में हम नार्थ-ईस्ट के छात्रों को विशेष रूप से देश भर के कुछ चुनिंदा संस्थानों के दौरे पर ले गए। वहाँ पर हमने उनसे कहा कि अगर आप अपने जीवन में कुछ कैरियर अपार्चुनिटीज चाहते हैं, अपार्ट फ्राम टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, ह्यूमेनिटी, तो साइंस और टेक्नॉलाजी की दुनिया में आपके लिए क्या-क्या नई ऊंचाइयाँ हैं, जिनको आप छू सकते हैं, उनका हमने उनसे परिचय करवाया। हमने दस हजार अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए विशेष रूप में नार्थ-ईस्ट के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था की। हमने पहली बार एक ऐसा स्किल फ्रेमवर्क नवंबर, 2014 को राष्ट्र को समर्पित किया, जिसके अंतर्गत जो छात्र परीक्षा कक्षा 8 के बाद पढ़ाई छोड़ देता है, मान लीजिए वह बढ़ई का काम करता है, पाँच साल वह वापस स्कूली शिक्षा अथवा शिक्षा के किसी संस्थान में नहीं पहुँच सकता, उनसे हमने कहा है कि इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत आपका *sixty per cent of your skill will now make you eligible to go up straight to graduation.*

महोदय, आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि बस्ते का बोझ बहुत सारे माता-पिताओं के लिए चिंता का विषय हो गया है। किताबों की कीमत बहुत सारे माता पिताओं के लिए चिंता का विषय हो गई है। एनसीईआरटी के माध्यम से ऑनलाइन हम ओपन रिसोर्सज उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि कक्षा 1 से 12 तक की सारी किताबें ऑनलाइन मुफ्त उपलब्ध हों। एनसीईआरटी से मैंने स्वयं निवेदन किया है कि इसे एक ऐसे मोबाइल ऐप की तरह तैयार किया जाए ताकि माता-पिता को मोबाइल पर ही चुनिंदा किताबें मुफ्त में उपलब्ध की जाएं। हमने "सारांश" नाम का कार्यक्रम शुरू किया। ये सारे वे कार्यक्रम हैं, जिनके लिए बजटरी प्रावधान है। "सारांश" नाम का कार्यक्रम हमने पिछले वर्ष शुरू किया, जिसके अंतर्गत लर्निंग आउटकम

सभी सीबीएसई स्कूलों में सब्जेक्टवाइज, चाइल्डवाइज हर सीबीएसई स्कूल को देने का प्रावधान किया है। हमने यह शुरुआत की है जिसके अन्तर्गत वह स्कूल अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने स्टेट में और नेशनल लेवल पर लर्निंग आउटकम्स को समझें और अपने छात्र की मदद करने के लिए वह स्कूल और अग्रसर हो। अब हमारी कोशिश यह है कि "सारांश" नाम का यह कार्यक्रम माता-पिता तक भी पहुँचे, क्योंकि वह माता-पिता जो मात्र पेरेंट टीचर मीटिंग में ही जान सकते हैं कि छात्र का लर्निंग आउटकम क्या है, वे रिएल टाइम अपने बच्चे का निरीक्षण कर सकते हैं और बच्चे की मदद कर सकते हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ, बहुत सारे सांसदों ने यह कहा है कि कला, संस्कृति, खेलकूद से हमारे बच्चे परे हो रहे हैं। कला उत्सव नाम का एक कार्यक्रम है, जो केरल राज्य में चलता है। मैं जब स्वयं केरल राज्य में गई तब मैंने इस कार्यक्रम की सराहना भी की और यह अपील भी की कि इसे हम राष्ट्रीय स्तर पर अपनाएं ताकि प्रादेशिक कला, संस्कृति ये सब हमारे बच्चों तक पहुँचें। मुझे यह कहते हुए बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि इस वर्ष कला उत्सव की पूरे देश में शुरुआत हो रही है। सभी प्रदेशों के स्कूली विभाग से हमारी चर्चा हो चुकी है कि हम कला उत्सव नाम के देश की विभिन्न परम्पराओं, कला, संस्कृति को उजागर अपने छात्रों के मध्य में करने के लिए इस कार्यक्रम के माध्यम से आगे बढ़ेंगे।

मैं एक विशेष निवेदन सभी माननीय सदस्यों से करना चाहती हूँ, शिक्षा की नीति को लेकर कई माननीय सदस्य चिन्तित रहते हैं। जो सदस्य कांग्रेस पार्टी से हैं, उनकी चिन्ता यह रहती है सैफ्रनाइजेशन न हो। मैंने सदन में यह कथन दिया है, एक लिखित जवाब दिया है, आज उसे मौखिक दोहराती हूँ। संविधान की मर्यादा में ही शिक्षा दी जाएगी हमारे छात्रों को यह हमारा वचन है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि उनका धर्मग्रन्थ बतौर प्रधानमंत्री देश का संविधान है, उनका धर्म भारतीयता है और प्रधानमंत्री के इस कथन को मैं दोबारा इस सदन में दोहराती हूँ। मेरा सभी सम्मानित सांसदों से एक अनुरोध है, शिक्षा की नई नीति कैसी हो, इस पर हमने 33 थीम्स विकसित की हैं। 21 मार्च को सभी प्रदेश की सरकारों के साथ एक बैठक में हमने निर्णय लिया। आज तक देश में मात्र कुछ चुनिन्दा लोग बताते थे कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए।

हमने कहा कि देश में 2 लाख 75 हजार विलेज एजुकेशन काउंसिल हैं। प्रदेश सरकारों से आग्रह किया तो उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकारा कि हम उन गाँवों के विलेज एजुकेशन काउंसिल में जाएँ और पूछें कि कैसी शिक्षा आपको चाहिए। कोई उनसे तो पूछे जिनके लिए यह व्यवस्था बनाई गई है। हम 6600 ब्लॉक्स में जाकर पूछें कि कैसी शिक्षा आपको चाहिए, उनसे तो पूछें कि अपनी तकदीर वे कैसे लिखना चाहते हैं। हम सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जाएँ और सभी जन-प्रतिनिधियों को संग लेकर, जनता के साथ बैठकर

बोलें - कैसी शिक्षा चाहिए। प्रदेशों में यह वार्ता करें और मिल-जुलकर एक नई शिक्षा नीति का निर्माण करें। सभी माननीय सांसदों से मेरा निवेदन है कि आप सब इसमें मिल-जुलकर काम करें क्योंकि देश की तकदीर कोई एक नहीं लिखेगा, हम सब मिलकर लिखेंगे, यह प्रण है हमारा।

कुछ लोगों ने कहा, यह बड़ा व्यापक चर्चा का सिलसिला शुरू किया है, क्या यह संभव है? संभावना हम इस देश में देख चुके हैं। चार दिन का समय मिला था कि प्रधान मंत्री जी टीचर्स डे पर देश के बच्चों को संबोधित करेंगे। उनकी क्या जिज्ञासा है, उन्हें कैसे प्रेरित करें कि वे कल के टीचर बनें, इसके बारे में चर्चा करेंगे। चार दिन का समय था कि कैसे जोड़ें सब स्कूलों को, लेकिन हुआ। व्यवस्थाएँ हैं, उन व्यवस्थाओं का इस्तेमाल करना है प्रदेश की सरकारों के सहयोग से। साढ़े 9 करोड़ बच्चों से हमने संपर्क किया। इसलिए कहना चाहती हूँ कि यह संभव है अगर यह संसद और यह सदन ठान ले।

टीचर्स के बारे में कई सांसदों ने यहाँ पर उल्लेख किया कि टीचर्स ट्रेनिंग पर थोड़ी बहुत चिन्ता उन्हें है कि किस प्रकार की ट्रेनिंग हो। महोदय, शशि थरूर जी ने कहा कि जस्टिस वर्मा कमेटी की रिकमंडेशंस आई थीं। मैं बड़े गर्व के साथ कहती हूँ कि उन रिकमंडेशंस को इंप्लीमेंट करने का काम एनसीटी में हमने किया है। टीचर्स की ट्रेनिंग में पहली बार यह हुआ है कि टीचर 20 सप्ताह स्कूल में जाकर पढ़ाए, अपनी ट्रेनिंग के अंतर्गत उसका इवैल्युएशन उस स्थल पर हो, इसका प्रावधान भी पहली बार किया गया है। आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन फॉर टीचर्स ट्रेनिंग की शुरुआत की जिसमें 900 करोड़ का प्रावधान है, यह भी मैं सदन को अवगत कराना चाहती हूँ।

बजट के बारे में कई माननीय सदस्यों ने अपनी चिन्ताओं को व्यक्त किया है। मैं दोबारा दोहराती हूँ। सुप्रिया सुले जी ने कहा कि जो महिला होती है, वह कोशिश करती है कि कम में ही गुज़ारा कर ले।
...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इनको ज्यादा चिन्ता है।

श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी : इनको चिन्ता है, आपको अच्छा लगना चाहिए। ...(व्यवधान)

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Smriti Ji, now you have come to your real mood. ... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please address the Chair.

श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी : मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि शिक्षा प्रदेश की सरकारों के साथ एक ऐसा विषय है जिसमें समन्वय से हम लोग काम कर रहे हैं। मुझे यह कहते हुए गर्व है कि मेरे कार्यकाल में एक भी ऐसी प्रदेश की सरकार नहीं है जिसने शिक्षा के किसी कार्य में अपनी असमर्थता को दिखाया है। सभी

प्रदेश की सरकारें केन्द्र की सरकार के साथ मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में काम करने में समर्थ हैं, यह विश्वास मैंने पिछले दस महीने में प्राप्त किया है क्योंकि यह विश्वास प्रदेश की सरकारों ने हमें दिलाया है।

शिक्षा में कई चुनौतियाँ हैं, इसको मैं स्वीकार करती हूँ। प्राइवेटाइज़ेशन के संदर्भ में कुछ सांसदों ने चिन्ता व्यक्त की है। उनसे कहना चाहती हूँ कि हमने नो यूअर कॉलेज पोर्टल खोला है, जिसमें वे सभी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, जो यूजीसी, ए.आई.सी.टी.ई. से संबंधित हैं, उन सभी की जानकारी हमारे छात्रों के लिए इस पोर्टल पर उपलब्ध है कि किस इंस्टीट्यूशन में कौन सी बिल्डिंग है, प्रॉस्पेक्टस में जो विषय दिए गए हैं, अगर वे उससे मेल नहीं खाते तो छात्र और अभिभावक सीधा रेगुलेटर को कंप्लेंट कर सकते हैं और रेगुलेटर उस संस्थान के खिलाफ कार्रवाई लेने करने का अधिकार भी रखता है और वे करते भी हैं।

मैं सभी सांसदों को आपके माध्यम से एक विशेष निवेदन करना चाहती हूँ। 15 अगस्त को हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने लाल किला से एक आह्वान किया। स्वच्छता अभियान का तो आह्वान किया ही, लेकिन विशेष रूप से एक पीड़ा को व्यक्त किया कि क्या हम यह संभावना अपने देश में नहीं देख सकते कि हर स्कूल में टॉयलैट हो? 17 अगस्त को एम.एच.आर.डी. के अंतर्गत वैबसाइट पर हमने देश में सभी जिलों में कहाँ सरकारी स्कूलों में टॉयलैट नहीं हैं, कहाँ डिसफंक्शनल हैं, इसकी जानकारी दे दी थी। मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी है कि सभी प्रदेश की सरकारों ने मिलकर प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड के अंतर्गत टॉयलैट्स के निर्माण के लिए जो पैसा एलोकेट होना था, वह पैसा एलोकेशन हो चुका है। सभी सांसदों को मैंने स्वयं पत्र लिखा है कि आपके अपने जिले में कितने टॉयलैट्स हैं, इसकी सूचना पहुँचाने का हमने प्रयास किया है। आप क्वार्टरली मीटिंग्स लेने का अधिकार रखते हैं, लेकिन विशेष रूप से अगर आप अपने डी.एम. से और कलेक्टर से पूछें कि आर्थिक प्रावधान होने के बाद मेरे जिले में, मेरी कांस्टीट्यूएंसी में कितने टॉयलैट बने हैं तो बहुत कृपा होगी, क्योंकि इससे इस काम को और शक्ति और स्फूर्ति प्रदान होगी। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले, क्योंकि, समय की सीमा है, इसलिए इतना ही कहना चाहती हूँ...(व्यवधान) मैं समय की सीमा को देखते हुए इतना ही कहना चाहूँगी कि जैसे ही अप्रैल का महीना आता है तो कई सांसद विचलित हो जाते हैं, केन्द्रीय विद्यालय की बहुत सारी कम्प्लेंट्स आने लगती हैं। वेणुगोपाल जी हंस रहे हैं, क्योंकि, उनके साथ मैं बैठक कर चुकी हूँ। कई सांसद विचलित होते हैं कि पब्लिक से प्रेशर बहुत होता है, हम जनप्रतिनिधि हैं, कूपन की संख्या को बढ़ाओ। कुछ सांसदों ने कहा है, अहमद जी कह रहे हैं, **please tell, so that it becomes an assurance.** कुछ सांसदों ने यह कहा है और अहमद जी जैसे प्रतिभाशाली, प्रभावी और बहुत ही एक्सपीरिेंसड लोग, जो मंत्री स्वयं रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं। छः से दस कूपन बढ़ाने का प्रयास मैं केन्द्रीय विद्यालय में करूँगी, मैं आज यह कह रही हूँ।

इसी के साथ वे सभी सांसद, जिन्होंने आज शिक्षा के क्षेत्र में अपना समर्थन दिया है, उन सांसदों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी और तथागत सत्यथी जी को विशेष रूप से कहना चाहूंगी कि हमने एक एक्सपर्ट कमेटी नियुक्त की है कि विशेष रूप से शिक्षा में लैंग्वेज का क्या प्रभाव हो सकता है। आप सब को मैं अवगत कराना चाहूंगी कि सैण्ट्रल इण्डियन लैंग्वेज की जो मैसूर में इंस्टीट्यूट है, उन्होंने 22 शैड्यूल्ड लैंग्वेजेज़ में 1080 बुक्स प्रकाशित की हैं, जो प्रादेशिक और ट्राइबल लैंग्वेजेज़ के साथ-साथ अंग्रेजी में भी हैं, अगर कोई भी सांसद इन किताबों का अपने संसदीय क्षेत्र के लिए लाभ उठाना चाहे तो हमसे सम्पर्क करें। हम ये किताबें आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Ashwini Kumar Choubey – Not present.

Now, Prof. Saugata Roy.

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Sir, all that was to be spoken and replied has been done. I have only one small clarification to seek and one small representation. I will do it within two minutes.

The HRD Minister spoke about who the members of the committee appointed to look into complaints of irregularities against the Vice-Chancellor of Vishva-Bharati, the Central University founded by Rabindranath Tagore are. I had spoken to her earlier. She had assured me that the report of the enquiry committee on the Vice-Chancellor will be presented by 31st March and after that the HRD Ministry will take a decision on the same.

Since she has mentioned Vishva-Bharati, I just want to seek a clarification whether such a decision had been taken because of the professors and students of Vishva-Bharati have been agitating for the removal of the Vice-Chancellor. So, there should be a clarification on it.

Lastly, I appreciate the combative and aggressive reply that the HRD Minister gave. It must have been due to the pressure she is facing within her own party. ... (*Interruptions*) But the way she raised her finger at the eminent historian like Dr. Sugata Bose is just not acceptable in Lok Sabha. As an old-time Member,

I would like to submit that a Minister should not point a finger and ask a Member, that too an eminent historian like Prof. Sugata Bose, to sit down.... *(Interruptions)*

I would request the HRD Minister to express regret for her behavior towards a Member like Prof. Sugata Bose.

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri P. Karunakaran.

... *(Interruptions)*

SHRI P. KARUNAKARAN(KASARGOD): Respected Deputy Speaker, Sir ... *(Interruptions)*

SHRI KALYAN BANERJEE: Sir, he has been personally attacked. He is a very eminent man. ... *(Interruptions)* He is not coming from TV. ... *(Interruptions)* He should not be personally attacked, whoever he may be. ... *(Interruptions)* Irrespective of whether he is outside or he is here, ... *(Interruptions)* She should not attack personally. ... *(Interruptions)*

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Let me say this much that when Professor Bose spoke that day, I showed a great amount of patience. There were aspersions made, there were doubts cast and there were snide remarks made. I had absolutely no problems with them. I sat down and heard. I was hoping that the same courtesy would be extended to me by getting a factual reply. There is no question of an apology to him. ... *(Interruptions)*

PROF. SAUGATA ROY: The way you raised your finger at him and asked him to sit down, is that the way a Minister should behave? That is not the way a Minister should behave. ... *(Interruptions)*

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri P. Karunakaran.

... *(Interruptions)*

HON. DEPUTY SPEAKER: No. Prof. Bose.

... *(Interruptions)*

PROF. SAUGATA ROY: She should not behave that way to a Member of this House. ... *(Interruptions)*

SHRI KALYAN BANERJEE: His educational qualification is appreciated. ...
(Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: All are eminent Members.

... (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Nothing will go on record. Only what Prof. Bose says will go on record.

... (Interruptions)... *

PROF. SUGATA BOSE (JADAVPUR): Let me just say a word. ...
(Interruptions)

Let me just say a word on a point of personal explanation since I was referred to as the professor and I was pointed out in the course of the debate. When I made my speech last Friday, the Minister had wanted to intervene and I graciously sat down and listened to her. In response, I pointed out that it was the Standing Committee of Human Resource Development which had described 'the Human Resource Development Ministry sounded helpless and they did not know what to do in the situation where they were facing drastic cuts.' So, that was the context in which I made my point.

I also made a plea for a little modicum of respect for the eminent scientists in our country and our professors and teachers. I think, the whole country today has seen the kind of respect that is shown to professors and scholars by this Government.

This was a debate about the Demand for Grants of the Ministry of Human Resource Development. The Minister was more concerned about condemning the previous UPA regime rather than giving us a vision for the future. Not a word has been said about the dramatic, drastic and tragic cuts that have been made in social sector programmes such as Sarva Shiksha Abhiyan and Mid Day Meal Scheme. That was the cruelest cut of all.

* Not recorded.

HON. DEPUTY SPEAKER: I do not want any speech. You simply give the explanation you want to give.

... (*Interruptions*)

PROF. SUGATA BOSE: I would simply like to say that I have not even since my primary school days been asked by anyone, when I have stood up respectfully, to sit down in the way that the Human Resource Development Minister of this country did today.

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Sir, I would very humbly and respectfully like to respond and say that a position of eminence does not guarantee the opportunity to mislead the House. Let me say this that when the hon. Member spoke of a so-called resignation, he misled this House because the scientist that he speaks about is very much a part of the board.

Sir, this is a matter of fact and it is a serious matter because the Member of Parliament has misled the House, knowingly or unknowingly is best answered by him. It is a matter of record that the IIT, Director that he speaks of is very much, as we speak, an employee of the IIT, very much a Director of the IIT. Hence, my humble submission is that eminence *per se* is not a certificate to mislead the House. Eminence *per se* is not a certificate for you to pass snide remarks. Eminence, in fact, gives you the responsibility to hear the other side of the story as well.

My request ... (*Interruptions*) My request is this. On factual positions, budgetary or otherwise, I have given an answer. That day, when the hon. Member spoke, I got up, grace or no grace, and requested him to take his words back and he was very very firm to say that there is no question of taking his words back. My request to you, Sir, is that if a charge is made, then let us all have the grace to even hear the answer given. I humbly and very respectfully submit this, through you, to this hon. House.

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Karunakaran.

... (*Interruptions*)

SHRI KALYAN BANERJEE : Sir, please look at the Minister's arrogance. It is arrogance. ... (*Interruptions*) There is more of arrogance, and there is more of governance. ... (*Interruptions*) This is your Government. This is who you are. ... (*Interruptions*) This is the Modi Government. You establish your arrogance ... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, nothing will go on record.

... (*Interruptions*)...*

SHRI P. KARUNAKARAN : Sir, I seek one clarification from the hon. Minister. Kendriya Vidyalayas and Navodaya Vidyalayas are functioning throughout the country. Of course, it gives much contribution to the total educational system, but at the same time, local languages are not permitted to be taught in these schools.

The hon. Minister may be well aware of the fact that some of Members in this House itself like to speak in their local languages and not in Hindi or English. I fully respect Hindi, English or any other language, but at the same time, when the students complete their study in Kendriya Vidyalayas or Navodaya Vidyalayas, they are not able to interact with the society after completion of their studies. I know about it because my daughter has gone to the Kendriya Vidyalaya, but she cannot write Malayalam. It is a fact as far as many of the Members or parents of students are concerned. Will the Government take a decision to include local languages like Tamil, Malayalam, etc. in the curriculum of the Kendriya Vidyalayas and Navodaya Vidyalayas? ... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, Shri K. C. Venugopal.

... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: No, I cannot allow all the people to speak. I cannot allow a debate, and only allow one Member from one Party and that is all.

... (*Interruptions*)

* Not recorded.

HON. DEPUTY SPEAKER: No, I cannot allow it. The Home Minister is waiting for his Demands to be taken up.

... (*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Thank you, Sir. The Members who have participated in this discussion have raised a serious concern about the budgetary allocation as far as SSA is concerned or RSMA is concerned or RUSA is concerned as drastic cuts have been reported. I would like to know from the Minister whether these schemes would continue in a manner that we were doing in earlier days. I am asking this because in Kerala, SSA Resource Persons have been dismissed because of shortage of funds in Kerala. ... (*Interruptions*)

The State Government is of the opinion, when we put a view to the State Government, that there is a financial crisis regarding allocation. I am asking the Minister whether the Minister is aware of this fact.... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Is there anything that you want to say?

... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please, sit down. You have already spoken on the debate. Then why are you going on raising the issue?

... (*Interruptions*)

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI : Sir, I will only say this in clarification. Firstly, the hon. Member spoke about his concerns about the Visva Bharati Inquiry. ... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: No, I cannot allow questions like this.

... (*Interruptions*)

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI : The Visva Bharati Inquiry team had asked for an extension for the inquiry. That extension, since it was asked of the MHRD, was given. I am told that the Visva Bharati Inquiry Committee will submit its Report possibly today, but I cannot confirm it for I am yet to speak to the Inquiry Officer. But they did ask for extension of the inquiry, and that is why it went beyond March as has been highlighted in your kind question.

Insofar as the Member from Kerala, Mr. Venugopal, who speaks about a fund crunch, firstly, with the 14th Finance Commission, there is to be more funds, which have devolved to the States. Secondly, in terms of Sarva Shiksha Abhiyan, I would, particularly, like to say that the Project Approval Board, whatever money is given to any State, is done in conjunction with the State Government only as per the needs and requirements of the State Government. Hence, we have not been in any way informed by the State Government that any such challenge has arisen in the State. If there is any particular challenge that you are privy to, I would request you to give it to me in writing. I shall speak to the State and get back to you personally on that particular issue.

Insofar as budgetary cuts with regard to Sarva Shiksha Abhiyan, Mid-Day Meals Scheme and RMSA are concerned, as you know, in higher education there has been an increase in allocation. Insofar as the flagship programmes of the school education are concerned, they are protected as is being said by the Government time and again.

So far as Kendriya Vidyalayas are concerned, as you know, Kendriya Vidyalayas are for employees of those who work with the Government of India. Since they are all transferable at a national level, we are telling them that instruction should be given in different languages, as the child may deem fit, so that uniformity is not hampered in any way. The Kendriya Vidyalayas are trying to balance both -- the fact that these are children of employees who are transferable at a national level and, at the same time, trying to ensure that the three-language policy is something that they adhere to and respect. Given that, that is a constraint of the language policy within the Kendriya Vidyalayas.

Sir, I have worked with this Member of Parliament, Kalyan *da*, for quite a number of years in the Standing Committee. He is quite agitated today about what I spoke to Prof. Bose. Let me just say that I do not bring my personal aggression or anger in the way the Ministry works with any State. Just to highlight an example, Sir, the State of West Bengal had a challenge with regard to teachers'

recruitment. They wanted an exemption for this particular year because there was a huge challenge in the State. I have personally worked with the Chief Minister of the State and the Education Minister of the State to ensure that no such challenge comes before the State and, at the same time, teacher education quality is maintained. Let me assure the House that insofar as education goes, the Central Government irrespective of my aggression or combative position today will work in tune with the States because ultimately, we are responsible to the children who go to these institutions. They may not be vote banks, but they are genuinely the precious next generation that we nurture under everybody's care.

SHRI KALYAN BANERJEE: That is why I have expressed our thanks to you in the Central Hall.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, Shri Kodikunnil Suresh and Shri Bhartruhari Mahtab have moved Cut Motions to the Demands for Grants relating to the Ministry of Human Resource Development.

Shri Kodikunnil Suresh, are you pressing your Cut Motions that you have already moved? Do you want to say anything?

... (*Interruptions*)

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : वहां पर केन्द्रीय विद्यालय को जमीन मिल गया है।... (ब्यवधान)

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : मैडम, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय... (ब्यवधान)

SHRI KODIKUNNIL SURESH : Sir, I am pressing for all my Cut Motions. ... (*Interruptions*)

The Government of Kerala has started Model Residential Schools for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in all the districts. May I know from the hon. Minister whether these Model Residential Schools for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes get any financial assistance from the Government of India? I would like to know whether the Government of India has given any financial assistance to these schools. ... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: You have already moved your Cut Motions and you can only seek clarifications.

SHRI KODIKUNNIL SURESH: Sir, I have not yet completed. I have moved another Cut Motion also.

HON. DEPUTY-SPEAKER: I have to dispose of the Cut Motions moved by you.

SHRI KODIKUNNIL SURESH: Sir, I have moved 12 Cut Motions. Let me make one more point. In my parliamentary constituency ... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: You are bringing in parliamentary constituency matters under the Cut Motions!

SHRI KODIKUNNIL SURESH: In my parliamentary constituency, two locations for setting up Kendriya Vidyalayas have been identified in Chengannur and Kollam. The Kendriya Vidyalaya Sangathan had already identified these two locations, but so far the Ministry has sanctioned these Kendriya Vidyalayas. I would like to know from the hon. Minister when these Kendriya Vidyalays would be started?

HON. DEPUTY-SPEAKER: I shall now put Cut Motions moved by Shri Kodikunnil Suresh to the vote of the House.

The cut motions were put and negatived.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Mr. Deputy-Speaker, Sir, after such a passionate interaction and reply after the last two sittings, my cut motion actually becomes insignificant. I had asked for a world class university in the District of Cuttack of Odisha. This was an assurance given when late Shri Arjun Singh was the HRD Minister, which was between 2004 and 2009. The HRD Ministry officials specifically visited that place. A large area also was demarcated by the Odisha Government. The Odisha Government has been repeatedly pursuing this matter. I thought by moving a Cut Motion, it will register with the HRD Ministry.

Another point is, we have a 143 year old higher education Institute which has been converted into a unitary University. If it becomes a Central University, that will be a great thing for the State of Odisha. That is called Ravenshaw University. These are the two major Cut Motions. I have moved these two Cut

Motions only because this time, the higher education has got the priority for the first time in the Budget. Other than the IITs, IIMs, IISERs that are being opened, respective universities also should be promoted. That is the reason why I am moving this. I know, with the majority opinion, this will be shouted out. But my only concern is that let it register with the HRD Ministry.

HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put the Cut Motion Nos. 32 and 33 moved by Shri Bhartruhari Mahtab to the vote of the House.

The cut motions were put and negatived.

HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put the Demands for Grants relating to the Ministry of Human Resource Development to the vote of the House.

The question is:

“That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2016, in respect of the heads of Demands entered in the Second column thereof against Demand Nos. 59 and 60 relating to the Ministry of Human Resource Development.”

Demands for Grants 2015-16 in respect of the Ministry of Human Resource Development voted by Lok Sabha

No. of Demand	Name of Demand	Amount of Demand for Grant voted by the House	
		Revenue (Rs.)	Capital (Rs.)
59	Department of School Education and Literacy	19889,42,00,000	--
60	Department of Higher Education	4475,88,00,000	--

The motion was adopted.

HON. DEPUTY SPEAKER: The Demands for Grants relating to the Ministry of Human Resource Development are passed.

(ii) Ministry of Home Affairs

HON. DEPUTY SPEAKER: The House will now take up discussion and voting on Demand Nos. 53 to 57 and 99 to 103 relating to the Ministry of Home Affairs.

Hon. Members present in the House whose cut motions to the Demands for Grants in respect of the Ministry of Home Affairs for the year 2015-2016 have been circulated may, if they desire to move their cut motions, send slips to the Table within 15 minutes indicating the serial numbers of the cut motions they would like to move. Only those cut motions, slips in respect of which are received at the Table within the stipulated time, will be treated as moved.

A list showing the serial numbers of cut motions treated as moved will be put up on the Notice Board shortly thereafter. In case Members find any discrepancy in the list, they may kindly bring it to the notice of the Officer at the Table immediately.

Motion Moved:

“That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2016, in respect of the heads of Demands entered in the Second column thereof against Demand Nos. 53 to 57 and 99 to 103 relating to the Ministry of Home Affairs.”

Demands for Grants 2015-16 in respect of the Ministry of Home Affairs submitted to the vote of Lok Sabha

No. of Demand	Name of Demand	Amount of Demand for Grant submitted to the vote of the House	
		Revenue (Rs.)	Capital(Rs.)
53	Ministry of Home Affairs	253,68,00,000	26,40,00,000
54	Cabinet	69,50,00,000	-
55	Police	9179,75,00,000	2297,59,00,000
56	Other expenditures of Ministry of Home Affairs	480,17,00,000	66,43,00,000
57	Transfers to Union Territory Governments	282,67,00,000	12,00,00,000
99	Andaman and Nicobar Islands	547,79,00,000	95,61,00,000
100	Chandigarh	538,88,00,000	95,16,00,000
101	Dadra and Nagar Haveli	99,75,00,000	51,49,00,000
102	Daman and Diu	229,59,00,000	67,32,00,000
103	Lakshadweep	162,47,00,000	30,00,00,000

15.54 hrs.(Shri K.H. Muniyappa *in the Chair*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं सदन में गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है। देश में अगर खासकर सरकार का अस्तित्व जानना चाहते हैं तो इसी मंत्रालय के स्रोत से इसका महत्व प्रकट होता है। सरकार होम मिनिस्ट्री और रेवेन्यू मिनिस्ट्री से चलती है। देश में होम मिनिस्ट्री ठीक ढंग से काम करती है तभी सभी लोग महसूस करते हैं कि सरकार अच्छे ढंग से चल रही है। लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। अगर देश में लॉ एंड ऑर्डर सही है तो इंडस्ट्रीज भी लगते हैं और डेवलपमेंट भी होता है। अगर लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है तो न डेवलपमेंट होगा, न इन्वेस्टमेंट होगा और न ही समाज में शांति रहेगी। मैं होम मिनिस्टर के वैयक्तिक क्षमता पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। सरकार को होम मिनिस्ट्री को जितना महत्व देना चाहिए उतना महत्व नहीं दिया गया है, ऐसा आप भी महसूस करते होंगे। किस विषय में कितने कट हुए हैं मैं उसका लिस्ट दूंगा, कितने डिमांड्स के पैसे को कम किया गया है और इसकी क्या वजह है, मुझे मालूम नहीं है? बजट में तीन प्रमुख विषय होते हैं। बजट सेशन में पहला डॉक्यूमेंट प्रेसीडेंट का स्पीच होता है, राष्ट्रपति के अभिभाषण से सरकार की पॉलिसी का पता चलता है, होम मिनिस्ट्री के कार्यक्रम को भी स्पीच में बताए जाते हैं। इकोनॉमिक सर्वे में राष्ट्रपति के अभिभाषण को भी उतना ही महत्व दिया जाता है। देश की आर्थिक स्थिति इकोनॉमिक सर्वे से ही मालूम होती है। आम बजट से यह पता चलता है कि कितना पैसा किस-किस डिपार्टमेंट को दिया गया है, चाहे होम डिपार्टमेंट हो, एडुकेशन डिपार्टमेंट हो, डिफेंस डिपार्टमेंट हो या हेल्थ डिपार्टमेंट हो। बजट के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सरकार संबंधित विभाग को कितना महत्व दे रही है। लेकिन जब हम आम बजट का आंकड़ा देखते हैं, चाहे आम बजट का आंकड़ा हो, चाहे डिपार्टमेंट का मैनडेट हो, चाहे डिपार्टमेंट का विजन हो, चाहे डिपार्टमेंट गोल हो, चाहे डिपार्टमेंट की पॉलिसी हो, चारों फ्रेमवर्क में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी इसी को दी गई है।

16.00 hrs.

सबसे ज्यादा जिम्मेदारी अगर किसी डिपार्टमेंट की है, तो वह होम डिपार्टमेंट की है। जब होम डिपार्टमेंट अलर्ट होकर काम करता है, तब लोगों को महसूस होता है कि सरकार जीवित है। आपको मालूम है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स 1961 के अनुसार, एलोकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल्स के मुताबिक आपकी मिनिस्ट्री को नैशनल लैवल पर कुछ रिस्पॉसिबिलिटीज दी गयी हैं, जैसे मेनटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, सेंटर-स्टेट रिलेशन्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, बॉर्डर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट आदि। इन

रिस्पॉसिबिलिटीज को परफार्म करने की जिम्मेदारी आपकी है, यानी ये रिस्पॉसिबिलिटीज आपको दी गयी हैं। देश संविधान के अनुसार चलता है और उसके तहत हमें जो भी फंडामेंटल राइट्स या हकूक दिये गये हैं, इंटरनल सिक्योरिटी के तहत उनकी रक्षा करने वाले भी आप ही हैं, कोई दूसरा नहीं है। हम एजुकेशन डिपार्टमेंट को नहीं कह सकते कि मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच यह है, फ्रीडम ऑफ रिलिजन ऐसा है, मेरे को लॉ एंड आर्डर की प्रॉब्लम है या मेरे व्यक्तित्व को धक्का पहुंचा। हम किसी और डिपार्टमेंट से नहीं पूछ सकते। अगर हमें किसी को पूछना है, तो वह आपको और आपके डिपार्टमेंट को ही पूछना पड़ेगा। इसलिए कांस्टीट्यूशन की रक्षा करना भी आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को आप निभायेंगे, ऐसी मेरी आशा है। लेकिन मुश्किल बात यह है कि आज आप जितनी भी जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं और जो कह रहे हैं, वह प्रैक्टिकली दिखाई नहीं दे रहा। अब वह क्यों नहीं दिखाई दे रहा? हो सकता है कि आपकी बात आपके लोगों तक पहुंच नहीं रही या वे आपकी बात को मानना नहीं चाहते। ऐसी कुछ बातें हो सकती हैं। मैं इसमें पोलिटिक्स नहीं करना चाहता। मैं यह कहना चाहता हूँ कि आपने और इस देश के प्रधान मंत्री मोदी जी ने कई बार कहा है कि हम संविधान की रक्षा करते हैं और उसके तहत ही चलेंगे। संविधान में जो हकूक दिये गये हैं, उन्हें मजबूत करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे। आपने यह एक बार नहीं सौ बार कहा होगा। आपकी सरकार को आये हुए एक साल भी नहीं हुआ, लेकिन इन 330 दिनों में आपने सौ बार यहां भी बोला है और बाहर भी बोला है। इसके अलावा जहां कहीं भी सभा होती है, उन सभाओं में भी आपने बोला है।

लेकिन क्या आपने इस देश के नागरिकों को वैसा विश्वास दिलाया है? क्या आपके विश्वास से वे नागरिक खुश हैं? अगर आप अपने इंटेलीजेंस, आई.बी., पुलिस के थ्रू पता करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इसमें बहुत बड़ा फर्क है। यह डिपार्टमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासकर सब डिपार्टमेंट्स से ऊपर है। देश में सुव्यवस्था और शांति बनाये रखने की जिम्मेदारी इसी डिपार्टमेंट की है। इसलिए कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और बंगाल से लेकर गुजरात तक, यानी इतने बड़े देश में लॉ एंड आर्डर को प्रोटेक्ट करना आपकी जिम्मेदारी है।... (व्यवधान) बंगाल, असम और नार्थ-ईस्ट में से आपके आने की वजह से, जब आप ही गृह राज्य मंत्री हैं और आप ही वहां सब कुछ संभाल रहे हैं। जब कभी वहां का विषय आता है तो आपसे ही कहा जाता है क्योंकि आप वहां से हैं। मोदी जी हर क्षेत्र के लिए अलग-अलग फेस रखते हैं। नार्थ-ईस्ट के लिए किसे भेजना है, उत्तर प्रदेश, बिहार में किसे भेजना है, साउथ में किसे भेजना है, सभी जगहों के लिए अलग फेस है। पालिटिकल मैनेजमेंट रखना ठीक है, लेकिन रिप्लिटी अलग है। यह देखने की जरूरत है कि आप किस ढंग से देश को चला रहे हैं।... (व्यवधान) होम मिनिस्टर यहां एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, उस समय मैं कर्नाटक का होम मिनिस्टर था। मैं हमेशा उनके पास आ कर फूड फार वर्क एंड अदर्स के लिए,

क्योंकि मैं कर्नाटक का होम मिनिस्टर होते हुए भी प्राकृतिक आपदा, बाढ़ आदि विषयों को देखता था। उस समय आडवाणी जी मार्डेनाइजेशन के लिए और दूसरे कई कामों के लिए एग्रीकल्चर विभाग में मदद करते थे।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : आपकी इनसे पुरानी जान-पहचान है।

श्री मल्लिकार्जुन खड्गे : मैं 35 साल से यहां हूँ और स्वाभाविक है कि आपके पिताजी को भी मैं जानता था हालांकि उस समय हम बच्चे थे और मैं लगभग सभी को पहचानता हूँ।

श्री भर्तृहरि महताब : आप साठ साल पुरानी बात के लिए कह रहे हैं।

श्री मल्लिकार्जुन खड्गे : मैं सबको पहचानता हूँ क्योंकि वे भी हमारे नेता थे। पहले कांग्रेस पार्टी में थे। अगर आप कांग्रेस के विरोध में हैं तो यह अलग बात है।... (व्यवधान) 'घर वापिसी' होती है तो उसे हम बाद में देखेंगे।... (व्यवधान)

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : इसका मतलब आपने 'घर वापिसी' को स्वीकार किया है।

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record. Please sit down.

... (Interruptions)... *

श्री मल्लिकार्जुन खड्गे : कांग्रेस में थे और कांग्रेस में आएंगे। इस बारे में जब कभी बात करेंगे तो उस समय कहूंगा।

आपके सामने आज बहुत बड़े सवाल है। एक सवाल लेफ्ट विंग एक्सट्रिमिस्ट का है। प्रेजिडेंट स्पीच पैरा 45 में राष्ट्रपति जी से आपने कहलवाया कि -

* Not recorded.

“Terrorism and left wing extremism pose a grave challenge to the internal security of our nation. My Government is firmly committed to deal with these challenges in cohesive collaboration with the affected people and Governments of affected States in a holistic manner.”

आपको यह भी मालूम है कि छत्तीसगढ़ में और दूसरी बहुत-सी जगहों पर हादसे हुए। हमारे देश की इस समस्या को हल करने के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अप्रैल में 72 घंटों के अंदर चार अटैक्स हुए, जिनमें करीब 13 लोगों की जान गई। बहुत आश्चर्य की बात यह है कि इतना महत्वपूर्ण मुद्दा सरकार की प्राथमिकता में बहुत पीछे है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में पैरा-45 में सरकार को इसके बारे में जितना जोर देकर कहना चाहिए था, वह दिखाई नहीं दिया। आपको मालूम है कि 2013 में जो घटना हुई और इसके पहले भी बहुत से हमारे कांग्रेस के नेता सर्वश्री महेन्द्र कर्मा, नंद कुमार पटेल और अन्य 25 लोगों ने अपनी जान दी थी। तो यह जो मुद्दा है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे सुलझाने के लिए सिर्फ भाषण से काम नहीं चलता है। यह कहना कि आपने क्या किया 60 वर्षों तक, उन्होंने 30 वर्षों तक क्या किया, इससे किसी समस्या का हल नहीं निकलने वाला है। आप क्या करने वाले हैं, यह महत्वपूर्ण है। आज बीमार आदमी को कौन-सी औषधि देकर, कौन-सा इंजेक्शन देकर उसके सेहत को ठीक करने वाले हैं। इस देश को ठीक करने की बात आपको कहनी चाहिए। यदि आप हमेशा पिछले 65 वर्षों के बारे में बोलते रहेंगे, तो हमें भी बोलना पड़ेगा। मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, पिछले 65 वर्षों में हमने क्या किया, यदि कुछ भी नहीं करते, तो आज इस देश में डेमोक्रेसी जिन्दा नहीं रहती। ... (व्यवधान) यदि इसका क्रेडिट जाता है, तो पं. जवाहर लाल नेहरू जी को जाता है, जिन्होंने कोशिश करके डेमोक्रेसी की बुनियाद डाली और उसके ऊपर आज हम लोग चल रहे हैं। ... (व्यवधान) इसलिए वह बिल्डिंग के ऊपर चल रहा है। अभी एक साल में आप उस पर चूना भी नहीं लगा रहे हैं। लेकिन यह कह रहे हैं कि 65 वर्षों में क्या हुआ? लोग साल-दो साल देखेंगे, उसके बाद उन्हें मालूम है कि आपकी क्या हालत होने वाली है?

मैं यह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यह नक्सलाइट प्रोब्लम बड़ी है। इसके लिए सभी लोगों को मिलकर काम करना चाहिए और खासकर जिस इलाके में इकोनोमिकल प्रोब्लम है या सोशल प्रोब्लम है, इन दोनों प्रोब्लम्स को ठीक करने के लिए आपके पास कौन-सा कार्यक्रम है? वहाँ पर आपने सड़कों के लिए थोड़ी राशि रखी थी, उसे भी इसमें कम कर दिया गया है। जो पैसे बॉर्डर एरिया में रोड के लिए थे या डोनर स्टेट, जो नार्थ-ईस्ट का है, आप अपने हृदय पर हाथ रखकर बोलिए, क्या डोनर स्टेट को जितनी राशि एलॉट हुई थी, वे सभी खर्च हो गयीं, यदि नहीं हुई है, तो खर्च नहीं होने की क्या वजह है? जब

डेवलपमेंट होता है, तो बहुत से लोग क्यों इसके आड़े आते हैं, वह कोई भी हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे डेवलपमेंट के लिए हम आगे नहीं आ रहे हैं। आज आपकी भी हालत वही है। डोनर में जो पैसा एलॉट हुआ है और हमने इसका पूरा बैलेंसशीट निकालकर देखा है, तो इसमें पैसा खर्च नहीं हुआ है। जब पैसा खर्च नहीं होता है, तो कम से कम यह अच्छा है कि वह लैप्स नहीं होता है। वह पैसा वैसे ही रिज़र्व में रहता है, यह एक अच्छी बात है। लेकिन पैसा रिज़र्व में रखकर क्या करेंगे? पेट में खाना नहीं, लेकिन पैसा घर में है। यह बात पूरे नॉर्थ-ईस्ट के राज्यों में डोनर की है।

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : डोनर के लिए अलग विभाग है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : वह अलग विभाग नहीं है, इनके विभाग में ही वह भी आता है। ... (व्यवधान) यह होम मिनिस्ट्री में ही आता है। यदि वे बोलेंगे तो मैं बैठ जाता हूँ। आप पूछिए। आप बहुत पढ़ते हैं, लेकिन यह बात कैसे नहीं पढ़े, यह मुझे मालूम नहीं है। ... (व्यवधान)

श्री आर.के.सिंह (आरा) : डोनर के लिए अलग विभाग है। ... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : वह होम मिनिस्ट्री में ही है। आप तो उसके सेक्रेट्री रह चुके हैं। यह होम डिपार्टमेंट में ही है। उसमें रहने की वजह से ही मैं भी मेम्बर के नाते वहाँ गया था। रिव्यू में आया था, उसी वक्त पैसे की भी बात आ गयी, वह पैसा खर्च नहीं हुआ, ये सारी चीजें मुझे मालूम हैं। डोनर का एक विभाग हो सकता है, लेकिन उसका जो आधिपत्य है, उसका जो हेड है, वह होम मिनिस्ट्री है। इसीलिए आप जरा इसे देखिए। ... (व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे : डोनर के लिए एक अलग विभाग है। ... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : आप बहस मत कीजिए। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप अपनी बात कहिए, उनकी बातों का उत्तर नहीं दीजिए।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैं आपकी नोटिस में लाना चाहता हूँ। ... (व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे : आज आप मेरी बात मान लीजिए। यह डोनर विभाग एक अलग विभाग है, केवल स्टैंडिंग कमेटी में वह होम मिनिस्ट्री का भाग है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : हां, ठीक है भाई, मैं होम मिनिस्ट्री की बात कर रहा हूँ।

सभापति महोदय, अब आप फण्ड्स को देखिए। नेशनल स्कीम फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस एंड अदर फोर्सिज, यह इतनी महत्वपूर्ण स्कीम है कि सारे राज्यों की आप इससे मदद कर सकते हैं। लॉ एंड

ऑर्डर मेंटेन करना हर राज्य का काम है, लेकिन उसको मजबूत बनाना आपका भी काम है। अगर कोई राज्य लॉ एंड ऑर्डर में वीक हुआ तो नेचुरली उसका इफेक्ट आप पर भी होता है। जैसे नेपाल में कुछ हुआ, भारत पर उसका परिणाम आता है। इसीलिए उस वक्त तिब्बत के बारे में डाक्टर राम मनोहर लोहिया और बाबा साहेब डाक्टर अम्बेडकर ने यह कहा था कि तिब्बत को आप मजबूत बनाइए, उसको स्वतंत्र बनाए रखिए ताकि कल के दिन चीन डायरेक्टली भारत पर अटैक न करे। इसलिए आप कुछ भी मुसीबत आने दो, लेकिन तिब्बत को आप मजबूत बनाइए। यह बात उन्होंने कही थी। वैसा आज हर स्टेट में वहां की पुलिस को आपको मजबूत करना है। मॉडर्नाइजेशन के लिए जो पैसे यूपीए सरकार ने दिए थे, आज एनडीए सरकार में वे नहीं हैं। मोर ऑर लेस आपने उसे कम कर दिया है, वह आज माइनस 98 प्रतिशत है यानि 1744 करोड़ रुपये वर्ष 2014-15 में थे, उनमें से अब 1709 करोड़ रुपये माइनस कर दिए गए हैं यानि अब हार्डली 35 करोड़ रुपये मॉडर्नाइजेशन के लिए रखे गए हैं। आज के जमाने में इनफ्लेशन है, प्राइस इंडेक्स बढ़ गया है, हर इक्विपमेंट का रेट बढ़ गया है, हर बिल्डिंग का रेट बढ़ गया है, अगर उसको अपडेट करना है, मॉडर्नाइज करना है तो आपके पास पैसा नहीं है। आप कहेंगे कि हमने स्टेट्स को दिया है। स्टेट के पास पैसे की कमी होती है, इसीलिए सेंटर से यह मॉडर्नाइजेशन स्कीम निकाली गयी। अगर आप हर चीज के लिए स्टेट को बोलेंगे तो कल हो सकता है कोई स्टेट उस पैसे को डायवर्ट करके किसी अन्य काम में लगा सकता है। जिस हेड में आप पैसा भेजते हैं, आपको कई राज्यों में नेचुरल कैलामिटीज के लिए जो पैसा जाता है या डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जाता है, इवेन एजुकेशन का पैसा भी दूसरे प्रोजेक्ट्स में डायवर्ट हो जाता है। यह लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम इतनी इम्पोर्टेंट है, आपने मॉडर्नाइजेशन को पूरी तरह से नेगलेक्ट किया है।

बॉर्डर मैनेजमेंट में 36 प्रतिशत कटौती हुई है। पुलिस के लिए कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल एक्मोडेशन में 31 प्रतिशत कमी हुई है। अगर घर नहीं है तो क्या पुलिस शान्ति से काम करेगी? आजकल लोग रेंटेड हाउस पुलिस को नहीं देते, वकीलों को नहीं देते, पॉलिटिशियन्स को नहीं देते क्योंकि उनको मालूम है कि एक बार पॉलिटिशियन ने मकान लिया तो वह किसी का घर छोड़ता नहीं, पुलिस ने लिया तो छोड़ता नहीं, वकील ने घर लिया तो छोड़ता नहीं। इसीलिए, पहले ही कोई पुलिस को घर नहीं देता है। ऐसे में उसकी रक्षा करना, उसको सपोर्ट करना आपका कर्तव्य है। इसमें आपने 31 प्रतिशत कटौती की है। उसी के बाद बिल्डिंग में 17 प्रतिशत कटौती की गयी। सेंट्रल प्लान आउटले में 13 प्रतिशत कटौती हुई है। सर्वे करने का काम, सेंसस का काम, जो आपका बहुत बड़ा काम है, जिसके आंकड़ों के आधार पर ही आपका प्लान बनता है, योजनाएं बनती हैं, उस डिपार्टमेंट के बजट में 42 प्रतिशत कटौती की गयी है।

श्री भर्तृहरि महताब : रिवाइज्ड एस्टीमेट में लेकर आएं, यह प्ली कर दें।

HON. CHAIRPERSON: Shri Kharge, how much more time will you take?

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: I will take another five to ten minutes. But if you want me to close now, I will do so.

Sir, why I am bringing all these points to the notice of the House is because these items pertain to law and order in the country. This is a very important Department. After the Ministries of Finance and Defence comes the Ministry of Home Affairs. अगर होम डिपार्टमेंट ठीक रहे तो इसका मतलब यह होता है कि देश में शांति है। अगर होम डिपार्टमेंट में दम न हो तो देश में शांति नहीं रह पाती, कोई कुछ बोलता है, कोई और कुछ बोलता है, कोई चार बच्चे पैदा करो ऐसा बोलता है तो कोई दस बच्चे पैदा करने की बात कहता है। लेकिन यदि आप मजबूत रहे तो कोई ऐसी बात नहीं बोलेगा, वरना कोई चर्च जलाएगा, कोई मस्जिद जलाएगा तो कोई मंदिर को धक्का लगाएगा या कोई और इस तरह का स्टेटमेंट देगा।... (व्यवधान) गृह मंत्री जी समर्थ हैं, सीनियर हैं, वह आपकी पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्हें मालूम है कि गली-गली में क्या हो रहा है।

सभापति जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आई... (व्यवधान) आप बाद में भी इनसे बाद कर सकते हैं, अभी मेरी बात सुनने दीजिए। मुझे ताज्जुब हुआ आज जब गृह मंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया कि मेरे से पहले प्रधान मंत्री को मालूम हुआ और प्रधान मंत्री ने मुझे बताया। सारी इंटेलिजेंस आपके पास है या तो कुछ दिक्कत है होम डिपार्टमेंट में या तालमेल की कमी है जिससे पहले प्रधान मंत्री को पता चला और बाद में आपको पता चला। या कोई ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं प्राइम मिनिस्टर के यहां से कि पहले मुझे बताओ, बाद में होम मिनिस्टर को कहो। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि जब सारी इंटेलिजेंस आपके पास हैं, आई.बी. आपके पास है, आपको पहले रिपोर्ट होनी चाहिए।... (व्यवधान) ठाकुर साहब, आप बैठ जाएं। आपकी भी स्पीच में लेकर आया हूं। आपने क्या कहा था और सुषमा स्वराज जी ने क्या कहा था, मैं पढ़कर बता सकता हूं। आपने कश्मीर के बारे में क्या कहा था, कश्मीरी पंडितों के रिहैब्लिटेशन के बारे में क्या कहा था, वह सब मैं बताऊंगा। इसलिए आप बैठ जाएं।... (व्यवधान) रात आठ बजे आईपीएल शुरू होने वाला है, आप बैठ जाएं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि आप इसे लाइटली न लें। यह या तो कम्युनिकेशन में गलती हुई है या जानकारी देने में, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि होम मिनिस्टर को सबसे पहले इत्तिला मिलनी चाहिए और फिर होम मिनिस्ट्री से प्राइम मिनिस्टर को जानकारी मिलनी चाहिए। डायरेक्टली आपके सेक्रेटरी या जाइंट सेक्रेटरी को उन्हें नहीं बोलना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है, आप इसे देखें और मेरी बात का बुरा न मानें।

पीएमओ के सभी सेक्रेटरीज अगर आफिस चलाते हैं तो मंत्रियों की क्या आवश्यकता है...(व्यवधान) आप ऐसा कीजिए कि एक गुप्त मीटिंग बुलाएं...(व्यवधान)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Sir, when former Ministers speak they leave a lot of things to imagination... (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: No, this is not imagination. They usually inform the Home Minister and then the Prime Minister... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri Kharge, please address the Chair.

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : हम आपसे 100 टाइम्स बैटर हैं। निशिकांत जी आप गुप्त रूप से अगर मंत्रियों से पूछेंगे कि क्या हालत है तो वे आपको सही बात बताएंगे। वह तब आपको असलियत बताएंगे।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now.

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : इमीग्रेशन सर्विसेज में भी -63 परसेंट है। पुलिस मैमोरियल में सौ परसेंट कट है। एजुकेशन और ट्रेनिंग में -21 परसेंट है। अगर आप सभी चीजों को देखें तो सभी जगह माइनस-माइनस है। कम से कम 25 आइटम्स में कट है। अगर ये कट हो गए तो होम मिनिस्ट्री में एक और डिज़ास्टर बन सकती है। कल नेचुरल डिजास्टर हुआ, लेकिन यहां तो मैन मेड क्लामिटी हो जाएगी। मैन मेड क्लामिटी हमेशा सरकार की ओर से होती है। इसलिए इन सभी में ज्यादा से ज्यादा पैसा देने की आवश्यकता है। इसमें किसी प्रैस्टीज का सवाल नहीं है। यदि मुल्क में शांति रहेगी तभी इनवेस्टमेंट और इंडस्ट्री आएगी, लोगों को इम्प्लोयमेंट मिलेगा और डेवलपमेंट होगा। ये सभी इम्पोर्टेंट चीजे हैं।

मैं आपसे एक और महत्वपूर्ण निवेदन करना चाहता हूँ क्योंकि मैं जब बोल रहा था तो अनुराग ठाकुर साहब कुछ बोल रहे थे। उनका वर्ष 2012 का भाषण मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ- 'आज जो अलगाववाद की बात हम करते हैं, मैंने पहले भी कहा है कि ये किसी की देन है, सब को मालूम है और कांग्रेस पार्टी इससे अपना पीछा नहीं छुड़ा सकती। देश की राजधानी में वहां के लोग आकर बयानबाजी करते हैं।' वे उठ कर चले गए हैं। आपका एक प्लेयर आउट हो गया।

माननीय सभापति : खड़गे जी, आप कनक्लूड कीजिए।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: महोदय, यह महत्वपूर्ण है। 'जब मंत्रालय कुछ नहीं करता है तो किस कानून के तहत इन्हें जेल भेजें। आप उन पर लाठियां चलाते हैं, कौन, बाबा रामदेव जी, अण्णा हजारे जी, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर लाठियां चलाते हैं और अरेस्ट करते हैं। अलगाववादियों के खिलाफ नरम रुख अपनाते

हैं? ऐसा उन्होंने कहा था। ऐसा ही सुषमा स्वराज जी ने नीचे कहा है, मैं उस बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके लोगों ने यह कहा और उस वक्त ओपोजिशन लीडर ने भी यह कहा- 'जो लोग अलगाववादी लोग हैं, जो देश के खिलाफ प्रचार करते हैं, एंटी-नेशनलिस्ट हैं, उनके लिए कांग्रेस का नरम रुख था।' आपका क्या रुख है? उस इलाके में जो लोग पाकिस्तान का झण्डा लेकर घूम रहे हैं, उनका स्वागत हो रहा है। उनको जेल से छोड़ा जा रहा है। देशद्रोही, एंटी-नेशनलिस्ट और सैप्रेटिस्ट की आप मुक्त कण्ठ से सराहना कर रहे हैं और जो लोग उनको मदद कर रहे हैं, उनके साथ आपकी सरकार बनी है। आज वहां सरकार पीडीपी और आपको मिलाकर बनी है।...(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : उस वक्त आपकी और नेशनल कांग्रेस की सरकार थी। उमर अब्दुल्ला की सरकार थी।...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : उस वक्त आपने यह सब बोला, इसलिए हम यह बोल रहे हैं।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now.

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मेरे भाषण का समय समाप्त हो गया है। सभापति जी बार-बार घण्टी बजा रहे हैं, इसलिए मैं आपकी बात का उत्तर नहीं दे सकता हूँ। लेकिन इतना कह सकता हूँ कि आपने यह सब बातें कही थीं। लेकिन आपने उन्हीं एंटी-नेशनलिस्ट फोर्सिस से जो पाकिस्तान का झण्डा लेकर घूम रहे हैं, जिन्दाबाद कर रहे हैं, उन्हीं के साथ आप हैं। यह भी आप याद रखिए। मैं आपसे एक बार फिर से विनती करना चाहूंगा कि इस देश में जो लोग इस देश को, इस समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो अलग-अलग बयानबाजी कर रहे हैं, उन बयानबाजी को बंद कीजिए। चर्चजिस के ऊपर जो अटैक हो रहे हैं, उनको बंद कीजिए। माइनोरिटी के लिए घर वापसी के नाम पर जो स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं, उनको बंद करने की कोशिश कीजिए।

आप महात्मा गांधी जी का नाम तो बहुत लेते हैं, उसके साथ-साथ ... * का नाम भी लेते हैं। इधर महात्मा गांधी को हार डालते हैं और ... * को जाकर नमस्ते करते हैं। यह भी चल रहा है।...(व्यवधान) इसे होम मिनिस्ट्री ही बंद कर सकती है, डिफेंस मिनिस्ट्री के बंद करने का सवाल ही नहीं है।...(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे : महोदय, ... * शब्द को हटाइये।...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : नो, नो, कोई अनपार्लियामेन्ट्री नहीं है। आप गांधी जी को हार भी डालते हैं और ... * को नमस्ते भी करते हैं, क्या यह अनपार्लियामेन्ट्री है।

HON. CHAIRPERSON : I will see.

... (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: It is not unparliamentary. ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: I will see it.

... (*Interruptions*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: इसीलिए मैं आपकी ओर से मैं माननीय गृह मंत्री जी को निवेदन करता हूँ कि ऐसी बयानबाजी को बंद करो, शांति रखो और शांति के साथ इस देश को चलाओ और सभी के मन में जो एक आशंका है, उस आशंका को दूर करो और इसे मजबूत बनाकर हर राज्य के लिए माडर्नाइजेशन में ज्यादा से ज्यादा पैसा देने की कोशिश होनी चाहिए, अन्यथा सिर्फ बयानबाजी में ही हमारा वक्त जायेगा।

इतना कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

HON. CHAIRPERSON : Those hon. Members who want to lay their written speech may kindly give it at the Table of the House.

TEXT OF CUT MOTIONS

श्री हुकुम सिंह (कैराना) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जो हमारे सम्मानित कांग्रेस दल के नेता ने शुरूआत की थी, मैं उनकी कुछ बातों के समर्थन से ही अपनी बात शुरू करता हूँ। उनकी यह बात सही है कि जब तक देश में शांति नहीं होगी, क्षेत्र में शांति नहीं होगी, कोई भी विकास कार्य वहाँ नहीं हो पायेगा, यह बात सही है। मैं उनकी इस बात का समर्थन करता हूँ। इसके अलावा उन्होंने तिब्बत का जिक्र किया कि तिब्बत को आजाद रहने दिया गया होता, मजबूत किया गया होता और जो डा.अम्बेडकर ने राय दी थी, डा.लोहिया ने राय दी थी, यदि उसे माना गया होता तो शायद वह पूरा क्षेत्र शांत रहता। लेकिन मैं नेता कांग्रेस से भी पूछना चाहता हूँ कि यह सलाह डा.अम्बेडकर ने और डा.लोहिया ने किसको दी थी और जिन्हें दी थी, उन्होंने क्या किया। आप थोड़ा उनका नाम भी ले देते, जिन्होंने डा.लोहिया और डा.अम्बेडकर की सलाह नहीं मानी कि तिब्बत को आजाद रहने दिया जाए, उनका भी नाम ले देते, उनके बारे में भी दो शब्द कह देते कि उन्होंने कितना बड़ा पाप इस देश की आजादी के लिए, यहाँ की शांति के लिए किया है तो आपको अच्छा लगता। आपने जिक्र तो कर दिया, लेकिन उन्होंने सलाह किसको दी थी और वह सलाह कितनी मानी गई।

मान्यवर, मैं एक अपील करना चाहता हूँ, माननीय गृह मंत्री जी यहाँ बैठे हैं और क्योंकि देश को उनसे बहुत उम्मीदें हैं, देश को प्रधान मंत्री जी से भी बहुत उम्मीदें हैं कि कश्मीर में पहली बार एक ऐसी सरकार बनकर आई है, जो पूरे जे.एंड के. का प्रतिनिधित्व करती है और उस सरकार को गिराने के लिए, उस सरकार को फेल करने के लिए हर तरह की ताकत लगी हुई है। कितनी शक्ति आप उस सरकार को प्रदान करेंगे, यह आप पर निर्भर करता है। वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना, यह वहाँ की आंतरिक बात नहीं है, इस काम को कराने के लिए शायद यहाँ से भी कुछ ताकतें लगी हुई हैं और कुछ ताकतें बाहर की भी लगी हुई है। उस स्थिति को आपको संभालना है और हमें विश्वास है कि आपके नेतृत्व में अब नहीं तो कुछ दिनों के बाद में वह सरकार ऐसी सफल सरकार सिद्ध होगी कि कश्मीर जो हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है, शायद इसके बाद वहाँ कोई ताकत सिर उठाकर न कह सके कि कश्मीर का कोई विवाद बाकी है, ऐसा मुझे विश्वास है और प्रधान मंत्री जी जैसे मजबूत नेता हमें मिले हैं, गृह मंत्री जी जैसे मजबूत नेता हमें मिले हैं तो ये समस्याएं जो आपने पचास साल से पैदा की हुई हैं, उन समस्याओं का समाधान दस महीने में नहीं निकलता। आप कुछ समय तो दीजिए, दस साल का कुशासन बनाम दस महीने की सरकार की अगर हम तुलना करें तो आपको सोचना पड़ेगा कि कुछ समय चाहिए कि नहीं चाहिए।

महोदय, इसी के साथ मैं आंतरिक सुरक्षा तक ही अपने आपको सीमित रखूंगा। आंतरिक सुरक्षा को हम थोड़ा आगे ले जाएं और देश के चारों तरफ जो एक वातावरण बना हुआ है, उस वातावरण की तरफ

भी हम ध्यान दें, क्योंकि आज कुछ ऐसी बात हो गई। इस वातावरण को दूषित करने के लिए, चाहे वह छत्तीसगढ़ हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, बंगाल हो, बिहार हो, और यहां तक कि उत्तर प्रदेश का भी कुछ हिस्सा उस बात से प्रभावित है। हमें समझना पड़ेगा कि इन ताकतों को समर्थन कहां से मिल रहा है। आप गए थे, और आपसे मांग की गई वहां, मैंने पढ़ा कि वहां के सुरक्षा कर्मियों ने आपसे मांग की कि हमको हथियार दीजिए, हमको एके-47 दीजिए। मान्यवर, मेरा विशेष आग्रह आपसे यह है कि अगर आज हमारे आंतरिक सुरक्षा में लगे हुए जवान इस बात की मांग करते हैं कि हमको एके-47 चाहिए, क्योंकि अब तक किस तरह के हथियार उन लोगों के पास हैं और किन लोगों का वे मुकाबला कर रहे हैं? क्या इन हथियारों के आधार पर मुकाबला हो पाएगा? मैं चाहता हूँ कि सर्वोच्च प्राथमिकता दे कर हमारे अर्धसैनिक बल जो वहां पर लगे हुए हैं, उनको पूर्ण समर्थन भी मिले, हथियार भी मिलें और एक मज़बूत नीति भी मिले, क्योंकि मज़बूत नीति का भी अभाव रहा है। इसलिए अभाव रहा है क्योंकि वहां पर मार्गदर्शन क्लियर नहीं मिला है। आखिर क्या बात है कि जहां भी हमारे अर्धसैनिक बल मूवमेंट करते हैं, वहां माओवादियों को उनसे पहले सूचना मिल जाती है। कैंप में जाते हैं, वहां पर उनको सूचना मिल जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोकल पुलिस में और इनमें समन्वय का अभाव है। इस बात का भी परीक्षण होना चाहिए और अगर अभाव है तो हमें सोचना पड़ेगा कि अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी को हम कैसे मज़बूत करें।

मैं केवल सुझाव तक अपनी बात को सीमित करना चाहता हूँ कि यह जो एक बहुत बड़े एक्टिविज्म के पैरोकार बने हुए हैं, जिसमें कहा जाता है, मानव अधिकार का उल्लंघन कर दिया। दो आतंकवादी मारे जाएंगे तो चर्चा हो जाएगी कि मानवाधिकार का उल्लंघन हो गया और हमारे जवान शहीद हो जाएंगे तो कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं होगा। एक ही महीने में, अप्रैल के महीने में इतने जवान शहीद हो जाएं, यह दुख की बात तो है है। किस प्रकार से उनकी ट्रेनिंग हुई होगी, वे सेवा में गए होंगे, अपने घर के लिए और अपने परिवार के लिए वे कमाने वाले एकमात्र व्यक्ति रहे होंगे, लेकिन शहादत तो तब होती मान्यवर जब सामने से मुकाबला होता। धोखा लगा कर के पीछे से उनको मार दिया जाए और वे अपनी डैडबॉडी भी न उठा सकें? चिंता की बात तो यह है ही और इन बातों के बारे में विचार करना पड़ेगा कि हम इस मानवाधिकार के कवच में कब तक खड़े रहेंगे। जो लोग इसका प्रचार कर के हमारे सैनिकों को बदनाम करते हैं, हमारे अर्धसैनिकों को बदनाम करते हैं, अब आज समय वह आ गया कि उसको पूर्णतः इग्नोर किया जाए। हमें अर्धसैनिकों और जवानों को सीधा-सीधा मार्गदर्शन देना होगा कि आपका क्या मिशन है। उनका मिशन घबराने का नहीं है, उनका मिशन पीछे हटने का नहीं है। उनका मिशन उनको चिन्हित कर के जो लोग इस काम पर लगे हुए हैं और नागरिकों को मार रहे हैं, क्योंकि कुछ दिनों के अंदर 20 हज़ार नागरिक हताहत हो जाएं, और कोई सरकार रहे या नहीं तब मुझे तो चिंता का विषय इसी बात के ऊपर है

कि उन सरकारों के रहते हुए 20 हजार लोग मारे गए जो मासूम लोग थे। न जाने कितने हमारे अर्धसैनिक भी मारे गए। यह गलत नीतियों का ही तो परिणाम रहा होगा। आज उन नीतियों को ठीक करने की आवश्यकता है। नीतियों को ठीक किया जाए।

बंगाल में जाएं, क्योंकि हमारे सामने दो ताकतें ऐसी लगी हुई हैं, इत्तेफाक की बात है कि इतिहास ने हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय यह किया कि देश की आजादी के लिए संघर्ष तो किया बहुत लंबा, लड़ाई भी लड़ी, शहादत भी दी, लेकिन देश के आज़ाद होने के बाद में, दोनों कोनों के ऊपर कौन लोग बसे हुए हैं, चाहे पश्चिम में पाकिस्तान में हो, चाहे बंगलादेश लग गया हो या बंगलादेश के बाद में जो चारों तरफ हमारे देश लगे हुए हैं, आज वहां पर आंतरिक सुरक्षा को ले कर के इतना खतरा पैदा हो गया है, कहीं इस्लामिक स्टेट के नाम से देश के देश बर्बाद किए जा रहे हैं, समाज के समाज बर्बाद किए जा रहे हैं। हम इस बात से शांति से नहीं बैठ सकते हैं कि वे इस्लामिक स्टेट के लोग केवल वहीं तक सीमित रहेंगे, अगर हम अपनी सीमाओं को सुरक्षित नहीं करेंगे, अपने सैनिक बलों को मज़बूत नहीं करेंगे तो वे हिंदुस्तान में भी आने का दुस्साहस कर सकते हैं। क्योंकि हमारी स्थिति बिल्कुल अलग है। हमारी स्थिति ऐसी है कि हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं। एक तरफ चीन, बंगलादेश, पाकिस्तान और पाकिस्तान के पार तमाम देश उस आतंक के शिकार हैं, एकमात्र भारतवर्ष बचा है। भारतवर्ष को बचाने की अहम भूमिका आज हमारे गृह मंत्रालय पर है। मतलब मुझे विश्वास है कि आपके सक्षम हाथों में हम लोग इस आंतरिक सुरक्षा से पार पा सकेंगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। परन्तु फिर भी हमें सीधी-सीधी नीति बनाकर आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। यह मैं आपसे विशेष आग्रह करता हूँ।

मंत्रालय में तो बहुत सी बातें हैं, आंतरिक सुरक्षा तो केवल उसका एक हिस्सा है। अगर सीमाएं सुरक्षित नहीं होंगी तो आंतरिक सुरक्षा भी सुरक्षित नहीं होगी। मेरा सौभाग्य रहा कि तीन-साढ़े तीन साल मुझे कश्मीर में रहकर एक सैनिक के रूप में वहाँ पर सेवा करने का अवसर मिला। मैं वहाँ के चप्पे-चप्पे से वाकिफ हूँ कि वहाँ क्या समस्या है, क्या नहीं है। पाकिस्तान के हमले भी हुए और उस हमले के दौरान भी मेरा सौभाग्य था कि मैं वहाँ पर रहा। मैंने वहाँ पर देखा है, वहाँ बहुत तरीके से लोगों को भड़काया जाता है। हिंदुस्तान के खिलाफ उनके दिमाग में जहर भरा जाता है। आज जो सरकार बनी है, आपका पूरा समर्थन उस सरकार को मिले और यह कोशिश हो कि हमारी राज्य सरकार ही सामने खड़ी होकर उन ताकतों का मुकाबला करे तो एक बहुत बड़े इतिहास की रचना होगी और आगे जाकर भी हमें उसका बल मिलेगा। यह मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ।

मैं सामान्य कानून व्यवस्था की तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। दिल्ली हमारे देश का दिल है। अगर दिल्ली में कानून व्यवस्था अच्छी होगी तो यह पूरे देश के सामने आइना होगा। आखिर

क्या कारण है, दिल्ली की हालत क्यों नहीं सुधर पा रही है? जो अभी घटना हुई, उसका दुःख तो सभी को है।... (व्यवधान) मैं किसी का नाम क्यों लूँ? उस घटना की जानकारी सभी को है। मुझे इस बात का दुःख है, लोग इस बात का बुरा न मानें, जो तथ्य आहिस्ता-आहिस्ता खुलकर सामने आ रहे हैं, एक आदमी के जीवन की चिंता न करके केवल कुछ राजनीतिक लाभ उठाने के लिए तमाम घटना की रचना करना, इसकी जाँच चल रही है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो जाँच अब तक सामने आई है और मीडिया में भी आनी शुरू हो गई है, हम लोग कहाँ जाएंगे, इस राजनीति को कहाँ तक ले जाएंगे हम लोग? अगर इस प्रकार के हम काम करेंगे, एक-दूसरे को बदनाम करने के लिए इस प्रकार के षडयन्त्र करेंगे, यह चिंता का विषय है और आपका ध्यान इस तरफ जाना चाहिए।

दूसरी बात, नारी की सुरक्षा। मैं खास तौर से दिल्ली की बात कह रहा हूँ, क्योंकि बाहर कानून व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है, केवल दिल्ली बची है। केन्द्र सरकार का दायित्व है दिल्ली को सुरक्षित करने का और दिल्ली का संदेश पूरे देश में जाता है। अभी तक यहाँ नारी की सुरक्षा क्यों नहीं हो पाई? आखिर पुलिस की क्या कमी है? साढ़े पांच हजार करोड़ रूपए का आपने केवल दिल्ली को बजट दिया है और इतना बजट देने के बाद में भी, गाड़ियाँ उनके पास हैं, वायरलेस उनके पास हैं, सुरक्षा के सारे उपकरण उनके पास हैं, नई टेक्नॉलाजी उनके पास में हैं, तो इसका भी सुधार करने की आवश्यकता है। क्या समन्वय की कमी है? आसपास के जिले दिल्ली को पुलिस फोर्स से फीड करते हैं। कहीं न कहीं कोई कमी पाई जाती है, तो उसके पीछे कुछ न कुछ कारण हैं। आप उनके बारे में जानते होंगे, उसके अंदर जाने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक दिल्ली ठीक नहीं होगी, आसपास के प्रदेशों में भी उसका असर ठीक नहीं पड़ेगा। जिस प्रकार से आपने समन्वय कराने का काम किया, प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से खुद इस काम में रूचि ले रहे हैं, मुझे उम्मीद है, अभी हमें दस महीने हुए हैं, दस महीने में बहुत सी समस्याओं का समाधान भी किया है, आगे चलकर एक अच्छा संदेश पूरे देश को मिलना चाहिए कि दिल्ली में आज एक अलग प्रकार का वातावरण बना है, ऐसा मेरा विश्वास है।

मान्यवर, जहाँ तक बंगाल की बात आई, असम की बात आई, यह जो घुसपैठिया वर्ग है, जो बाहर के देशों से आकर घुसपैठ कर रहा है, क्या वह हमारी सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है? ये कौन लोग हैं? यह भी संदेश जाना चाहिए, यहाँ तो बहुत कह रहे हैं, हमारे नेता जी कहते ही बाहर चले गए कि चर्च पर हमले हो रहे हैं, फलां पर हमले हो रहे हैं, यह पार्टी और यह सरकार तो कभी इस बात को स्वीकार कर ही नहीं सकती और आपने बहुत मजबूती के साथ एक बयान भी दिया कि हम इस प्रकार के तत्व को दबाकर रहेंगे। हर आदमी को अपना धर्म मानने का अधिकार है, लेकिन साथ-साथ इस बात पर भी विचार हम करें कि जहाँ कभी एक वर्ग दस प्रतिशत होता था, आज वह एक प्रतिशत भी नहीं रहा। जबर्दस्ती उनको निकालकर हिंदुस्तान में भेजा जा रहा है, पूर्व वाली सीमा में यही हो रहा है। उनके नाम से बाकी लोग, घुसपैठिए भी आ रहे हैं। असम का आज पूर्णतया नक्शा बदल गया है या नहीं बदल गया है, कौन लोग वहाँ आकर बसे हैं, वे कैसे वहाँ पर शान्ति से रहने देंगे? हमारी सीमाओं पर जो बॉर्डर लगा है, उसके ऊपर सुरक्षा बल मजबूती से तय करें ताकि बाहर से घुसपैठ न हो। किस प्रकार से यूरोप ने अपने आपको सुरक्षित कर लिया, किस प्रकार से अमरीका और मैक्सिको भी मिले हुए हैं, अमरीका और कनाडा भी मिले हुए हैं। आखिर वहाँ यह समस्या क्यों नहीं पैदा नहीं हो रही, यहीं पर समस्या क्यों आकर पैदा होती है, इस बात को हमें जानना चाहिए और इस पर हमें चिन्तन भी करना चाहिए कि कैसे उसको रोका जा सकता है। जब तक इनको नहीं रोका जाएगा, कुछ न कुछ अशांति यहाँ बनी रहेगी। हाँ, कुछ घटनाएँ इस प्रकार की हुई हैं और बहुत से लोगों को उन घटनाओं को बढ़ा-चढ़ाकर प्रचार करने का अवसर भी मिला। मुझे विश्वास है कि वे तत्व भी, जो जान-बूझकर इन घटनाओं को करके, हमारे देश को और हमारे समाज को बदनाम करने का काम करते हैं, वह खुद भी चिन्तन और मनन करेंगे इस बात के लिए, और साथ-साथ जो जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार भी उस जिम्मेदारी को निभाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है।

मान्यवर, प्रशिक्षण की बात है, मैं उस पर आना चाहता हूँ। आज हमारा ध्यान उस पर जाने की आवश्यकता है कि आंतरिक सुरक्षा के लिए हमारे जो जवान जाते हैं, उनकी ट्रेनिंग की हमने समुचित व्यवस्था की या नहीं।

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

श्री हुकुम सिंह : मैं खत्म कर रहा हूँ। मैं दोबारा घंटी बजाने का अवसर नहीं दूँगा।

महोदय, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था, उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था हमने की या नहीं। मान्यवर, मैंने भी जाकर एक-दो संस्थाओं को देखा। उनको इंप्रूव करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मेरे पास जवान आते हैं। मान्यवर, मन को दुख होता है जब कोई जवान मुझसे कहता है कि मैं छत्तीसगढ़ नहीं जाना चाहता, मेरा ट्रांसफर करा दीजिए। मैं फलां जगह झारखंड नहीं जाना चाहता, पाँच साल हो गए, मेरी ट्रांसफर करा दीजिए। आज जवानों में हीन भाव नहीं आना चाहिए। मैंने कभी किसी सैनिक को यह कहते नहीं सुना कि मैं कश्मीर नहीं जाऊँगा। यह भावना हमें इसलिए दूर करनी है कि उन जवानों का मनोबल तभी बढ़ पाएगा जब उनको अच्छा इक्विपमेंट मिलेगा, अच्छे हथियार मिलेंगे, और उनको इस बात की गारंटी होगी कि पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है तो शायद यह नौबत नहीं आएगी। मेरे लिए घंटी बज गई। मैं बात को आगे बढ़ाना चाहता था, लेकिन समय का ध्यान रखते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।

***SHRI NISHIKANT DUBEY (GODDA):** The 2014 elections for the Sixteenth Lok Sabha saw the Indian electorate delivering a positive, decisive mandate to a single party after a gap of almost three decades. An important area which is in need for urgent attention from the Narendra Modi Government is India's national security structure. Despite past efforts at reform, India's national security structure continues to be plagued by absence of coordination, turf battles and paucity of human resources. Many of these problems are symptomatic of systemic ills which therefore require a holistic relook.

There is an urgent need to revamp India's national security structure. In the past, there have been piecemeal attempts at ridding the ills plaguing the national security structure including the higher defence organisation. Given the 'systemic' nature of the problems, a holistic revamp is in order as opposed to piecemeal reforms.

The naxal problem in the country, especially the Santhal Pargana region in Jharkhand is an issue well known to all. I seek urgent intervention if the Government in the matter. The problems can be solved through a comprehensive plan of action with special emphasis on developing the basic infrastructure in the region. I have written letters to the Hon'ble Prime Minister and the Finance Minister in this regard.

The Government has identified 78 districts in various parts of the country seriously infested with Naxal menace and has chalked out a comprehensive plan for their all-round development by allocating Rs. 15,000 crore for this purpose. In this regard, I would like to bring to kind notice certain of the government the facts and figures which may help the Government in dealing with this serious problem in a more effective way.

I represent Godda Parliamentary Constituency of Santhal Pargana region in Jharkhand. As you are aware, Jharkhand is one of the worst naxal affected states of the country and Santhal Pargana, consisting of six districts (Dumka, Godda,

* Speech was laid on the Table

Deoghar, Jamtara, Pakur and Sahebganj) is the epicenter of naxalite activities in the country.

It is quite pertinent to bring to Government's notice that after becoming the Prime Minister of Nepal Shri Pushp Kamal Dahal alias Prachand revealed in a television interview that he had spent five years undercover in the Santhal Pargana region. Due to its geographical location, this region provides an ideal, fertile and safe breeding ground for naxal activities. This region borders Nepal and Bangladesh, besides being hilly and thickly forested. Further, there is no development leading to abject poverty and utter deprivation.

Approximately 75% people of this region live below the poverty line. The literacy level is abysmally low. There is no awareness among the poor tribal people about the outside world as it is cut off from the same due to lack of connectivity either through road or rail. Hence, the local people give shelter to naxalites in utter ignorance. As there is no connectivity and other infrastructure, the administration is handicapped to take any action. If something concrete is not done at the earliest, the situation may turn explosive and we may witness another Dantewada like incident in the country. The Government can get intelligence inputs and I am sure, they would only agree with my points.

In this background, I strongly suggest that the six districts (Dumka, Godda, Deoghar, Jamtara, Pakur and Sahebganj) of Santhal Pargana region should also be included in the list of districts seriously infested by naxalism. Let me point out here that the Home Ministry itself has already included three of these six districts' in the SRE list, implying clearly that the Home Ministry itself acknowledges that this region is affected by naxalism. If these districts are not accorded the same priority as the 78 districts already identified so far, the Government's initiatives, howsoever well intended and executed, would only be partially successful. Even the approach paper for the 12th Five Year Plan emphasizes on social and regional equity (refer Chapter 11) through acceleration of inclusive growth in backward, border and remote areas. I therefore, request the hon. Minister to look into the

matter and accord it top priority as he understand the magnitude of this problem in its entirety.

Further, this is an area that borders Nepal, Bangladesh and Bhutan and is therefore, susceptible to significant cultural imports and cross flows which are impacting the delicate balance of this region.

The Santhal Uprising of 1855 is a well-documented historical event that underscores the importance of what I am going to request for. The local culture, the languages and dialect and the overall history of the region deserve the close attention of the central government and ministers like your good self.

Let me draw you attention specifically on the two local languages - Aang Bhasha & Santhal Bhasha. There is an immediate need for a comprehensive plan of action that gives special emphasis on development of these languages. In order to achieve this, I would request you to take immediate steps for: Doordarshan Kendra at Deoghar focused on local programming in the two languages mentioned above. Upgradation of proposed Godda FM Station.

May I also assure you that there will be significant commercial viability for these initiatives given that the city of Deoghar is a religious, cultural capital of Eastern India and is visited by over 50 million pilgrims every year. Also the area is now heavily naxal infested having impact on the local youth, and due to proximity with Bangladesh Border, influx of infiltrators is changing the demographic character having negative impact on the local culture. Several small industries are situated in the region and there are efforts to boost this. But more than commercial considerations, it is a national need that this long neglected region of India gets some importance and attention in order to lift it up from backwardness to a new era. The tools of a Doordarshan Kendra dedicated will go a long way towards this.

Left Wing extremists operate in the vacuum created by functional inadequacies of field level governance structures, espouse local demands, and take advantage of prevalent dissatisfaction and feelings of perceived neglect and

injustice among the under privileged and remote segments of population. Systematical efforts are made by Left Wing extremists to prevent execution and implementation of development works including infrastructure like railways, roads, power and telecom through violence and terror, and to show the governance structures at field level as being ineffective. CPI (Maoist) philosophy of armed struggle to overthrow the Indian State is not acceptable in our parliamentary democracy and will have to be curbed at any cost. Government has given a call to the Maoist to abjure violence and come for talks has not been accepted by them.

A national strategy is important for planning India's economic trajectory, shaping the country's foreign relations, planning its defence modernization, improving its science and technology capabilities, resource planning, internal security and other such critical areas. Such a strategy would chalk out Indian priorities as a function of India's aspirations, security challenges and available resources.

The National Security Council Secretariat (NSCS) could be tasked with drawing up holistic medium to long-term strategies in various areas. The NSCS could also act as a coordinating mechanism which implements these strategies by bringing together various departments and ministries of the government.

The National Security Advisor (NSA) is the fulcrum around which the NSC system operates. The NSA's role has expanded over time. Thus it is important to expand the NSA's core support structure. Also, for the NSA and the NSC system to be able to function effectively it must be able to draw upon and assimilate knowledge from multiple sources into a cogent national strategy.

A decision on the position of the Chief of Defence Staff (CDS) is long overdue. The Chief of Defence Staff regardless of what we choose to call the office - will foster inter-service coordination in planning execution of operations and in the force planning process. The system will ensure faster decision making during crises and provide a platform for inter-service dispute resolution. Implementation of the system must address the drawbacks of the current system

and evolve a purely 'Indian' solution keeping in mind the Indian situation and requirements.

The 2001 GoM Report on "Reforming the National Security System in pursuance of Kargil Review Committee Report" had recommended a comprehensive review of India's national security mechanisms every five years. The exercise of revamping the existing National Security structure could be initiated with such a review.

With the strategy outlined by the government and the massive coordinated operations involving security forces launched by it to deal with the naxalite movement, there is little doubt that it would win the battle of curbing the activities of naxalites and liquidating its cadres though at considerable human cost to the communities perceived to be their support base in the affected areas. But would the government be able to win the war against naxalism rooted in the determined struggle of people yearning for social justice, liberation from the oppression and structural violence of the existing social, economic, cultural and political order and reversal of development policies detrimental to their interests which brought the people to this stage? Given the trajectory of naxalite movement and design of the public policy response, it seems unlikely. With these words, I conclude my speech. Jai Hind, Jai Bharat.

***श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला):** मैं केन्द्रीय बजट 2015-16 में गृह मंत्रालय की अनुदान माँगों का समर्थन करता हूँ। भारत का गृह मंत्रालय उसके अंतर्गत काम करने वाले लगभग साढ़े नौ लाख से भी ऊपर जांबाजों के अदम्य साहस एवं बहादुरी का प्रतीक है जो अपनी जान का जोखिम लेकर देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए दिन-रात काम कर रहे हैं। आज हमारे जांबाजों के सामने आंतरिक सुरक्षा को होने वाले सभी खतरों को समाप्त करना, समाज को अपराध मुक्त वातावरण मुहैया कराना, सामाजिक और सामुदायिक सौहार्द का प्रशिक्षण, संरक्षण, उन्नयन करना, कानून का शासन लागू करना और एक प्रभावी आपराधिक न्याय प्रणाली उपलब्ध कराना, मानवाधिकारों के सिद्धांतों की मर्यादा बनाये रखना, केन्द्र राज्य संबंधों को सौहार्द बनाना तथा सुशासन को बनाये रखना, आंतरिक सीमाओं और तटीय सीमाओं का प्रभावशाली तरीके से प्रबंधन करना, प्राकृतिक तथा मानव जनित आपदाओं के परिणामस्वरूप कष्टों का प्रशमन करना तथा सरकारी कामकाज में राजभाषा के प्रयोग को आशा अनुकूल बनाना, केन्द्र राज्य संबंध को सौहार्दपूर्ण बनाये रखने को बढ़ावा देना, संघ राज्य क्षेत्रों का कुशल प्रशासन करने जैसे चुनौतीपूर्ण कार्य हैं। इन सब उपरोक्त कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर संपन्न करने के लिए बजट में 62,124.52 करोड़ का आवंटन किया गया है जो पिछले बजट से 10.2 प्रतिशत अधिक है। भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वीज़न की झलक इस आवंटन में स्पष्टतया झलकती है जिसको अमलीजामा हमारे बहुत ही प्रतिभाशाली वित्त मंत्री अरुण जेटली जी प्रमुखता से निभा रहे हैं। इस बजट में महिलाओं की सुरक्षा, कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास, देश की आंतरिक सुरक्षा तथा वंचितों के जान-माल की सुरक्षा के लिए विशेष कदम उठाये गये हैं। महिला सुरक्षा के लिए 2 हजार करोड़ रुपया रखा गया है। जम्मू-कश्मीर के प्रवासियों के पुनर्वास के लिए 580 करोड़ रु० का आवंटन किया गया है। हमारा इस देश का अर्द्धसैनिक बल, सीआरपीएफ विश्व के विशालतम अर्द्धसैनिक बलों में से एक है, जो अक्सर हमारे देश में नक्सल विरोधी अभियान से ही आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी के लिए तैनात किया जाता है। उसके लिए 14.89 करोड़ 38 लाख का प्रावधान किया गया है। इसी तरह से, भारत-पाक और बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा करने के लिए तैनात किए जाने वाले बीएसएफ को इस बार 12 हजार 517 करोड़ रु० मिले हैं। भारत-चीन सीमा की सुरक्षा के लिए आईटीबीपी को भी 37.36 करोड़ 47 लाख रु० का प्रावधान किया गया है। हमारे देश का गृह मंत्रालय देश के हवाई अड्डों, औद्योगिक आधारभूत ढांचों, परमाणु केन्द्रों, केन्द्र शासित प्रदेशों, मेट्रो के लिए कई अन्वयों की सुरक्षा के लिए तैनात रहता है। उसके लिए भी 5196 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

* Speech was laid on the Table.

मैं माननीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उनके द्वारा जम्मू-कश्मीर पूर्वोत्तर राज्यों एवं भारत-बांग्लादेश सीमा व भारत-म्यांमार के बीच सुरक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर जो प्रमुख पहल की गई है, वह रंग ला रही है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा जैसे इलाकों में हजारों से भी ऊपर उग्रवादियों ने समर्पण किया है और शस्त्र लौटाए हैं। इसी प्रकार से वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में भी गृह मंत्रालय ने कई महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की हैं। जब से एनडीए सरकार आयी है, तथा देश में एक सकारात्मक सुरक्षा का माहौल खड़ा किया गया है। फिर भी महिलाओं की सुरक्षा एवं दलितों की सुरक्षा हमारे देश के लिए एक चुनौती का मुद्दा है।

यद्यपि हमारे पुलिस बल डिजिटल क्रांति का लाभ उठाते हुए सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण कर रहे हैं, पुलिस थानों में भी सुधार देखने को मिल रहा है। एफआईआर रजिस्टर करने में भी नियमानुसार जल्द कार्य हो रहे हैं। परंतु देश में आज भी जो ड्रग्स माफिया है उस पर काबू पाने की आवश्यकता है। विदेशों से आने वाले मादक पदार्थ हमारे युवाओं के दिलो-दिमाग में कुंठा का वातावरण पैदा कर रहे हैं। हमें इसे कुचलना होगा। इसी तरह से हमारे परंपरागत पड़ोसी देश पाकिस्तान व चीन हमारे साथ मित्रता व कटुता का मिला-जुला खेल खेलते रहते हैं। वो हमारे क्षेत्रों में घुसपैठ कराने की कोशिश करते हैं। हमारे सशस्त्र बल उनसे यद्यपि निपटने में पूर्णतः सक्षम हैं, परंतु इस क्षेत्र में निगरानी बढ़ाये जाने की अति आवश्यकता है। आज जम्मू-कश्मीर में फिर से मसरत जैसे लोग माहौल बिगाड़ने की फिराक में हैं। हमें उनके नापाक इरादों को भी कुचलना है। यद्यपि गृह विभाग केन्द्र व राज्य की मिली-जुली सूची में आता है, परंतु देश की एकता और अखंडता को बनाये रखने के लिए अगर किसी राज्य में माहौल बिगड़ता है तो संविधान ने केन्द्र को सीधी-सीधी शक्तियां प्रदान की हैं। मैं कहना चाहूंगा कि आज भी उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। उनकी बहु-बेटियों को जिंदा जलाया जा रहा है। उन्हें नंगा करके गांव बीच घुमाया जाता है। ऐसे परिदृश्य एक सभ्य समाज के ऊपर कलंक हैं। भारत के दलित समाज को भी भगवान ने इंसान बनाया है। फिर क्यों ये दबंग लोग गरीबों को अपने पांव के नीचे केचुएं की भांति मसलने में ही अपना गौरव समझते हैं। मैं मांग करता हूँ कि इस प्रवृत्ति के लोगों के प्रति भारत सरकार को कठोर रवैया अपनाना होगा।

हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी साफ तौर पर ये एलान कर चुके हैं कि भारत के हर नागरिक को भय, भूख और भ्रष्टाचार से छुटकारा दिलाया जाएगा। ऐसी स्थिति में हमारे गृह मंत्रालय पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि वो भारत की विभिन्न जातियों की, विभिन्न धर्मों की जो मोतियों के माला बनी है उस माला में से एक भी मोती को टूटने न दिया जाए। मैं अंत में गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूँ।

***डॉ० किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद):** सर्वप्रथम मैं भारत सरकार, प्रधानमंत्री जी एवं गृह मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि पिछले करीबन एक साल से यह सरकार कार्यरत है, मगर कुल मिलाकर लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति नियंत्रण में रही है। यह सरकार ने जिस तरह से इस विषय को प्राथमिकता दी है, स्थिति पर सरकार का नियंत्रण रहा है और आतंकवाद पर शिकंजा कसा जा रहा है।

26 अप्रैल को भारत के उत्तरी राज्य एवं नेपाल में भयंकर भूकंप की त्रासदी आई और इसकी वजह से कई सारी जानें गयी हैं। संपत्ति को भारी नुकसान हुआ है और सभी लोग आहत में आ चुके हैं। मगर भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी तथा गृह मंत्री जी ने त्वरित निर्णय लेकर बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल तथा नेपाल में एनडीआरएफ के विशेष दलों को भेजकर त्रासदीयुक्त लोगों को मदद मुहैया करवाई है। वहां लोगों को खाद्य सामग्री, दवाइयां तथा पानी उपलब्ध करवाया है।

एनडीआरएफ के विशेष दलों ने मलबे में दबे हुए लोगों को बाहर निकाला है। इनमें कई जिंदगियां बचा ली गयी हैं। आजकल टूरिस्ट मौसम के तहत भारत के कई प्रदेशों में से लोग नेपाल गए हैं। इनमें से कई लोगों को हवाई तथा रोड के रास्ते से भारत लाया गया है। मोदी की सरकार ने "ऑपरेशन मैत्री" के तहत पड़ोसी मुल्क को मदद करके अपना धर्म निभाया है, तथा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की साख बढ़ायी है।

मैं गुजरात के अहमदाबाद वेस्ट संसदीय क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करता हूँ। चूंकि गुजरात की सरहद पाकिस्तान से जुड़ी हुई है और गुजरात के पास करीबन 1600 किमी का समुद्री तट है, वहां सलामती के सख्त उपायों की जरूरत है। भारत सरकार को यहां कई सारे सुरक्षा के इंतजाम करने की जरूरत है। कुछ महीनों पहले पोरबंदर के पास समुद्र में एक संदिग्ध बोट को घेरकर बाद में वोट में ही विस्फोटक की वजह से हमारे सलामती दल तथा कोस्ट गार्ड ने एक बड़ी कामयाबी पायी थी, उसके लिए हमारी सरकार का अभिनंदन करते हैं।

गुजरात का स्थान सुरक्षा की दृष्टि से सेंसिटिव है तब मैंने सदन में पहले भी मांग की है कि गुजरात के अहमदाबाद में एनएसजी का हब बनाना चाहिए। उसकी वजह से हमारी सुरक्षा व्यवस्था में इजाफा होगा। मैं पुनः अपनी मांग को दोहराता हूँ कि अहमदाबाद में शीघ्र ही एनएसजी का एक विशेष हब बनाया जाए।

* Speech was laid on the Table.

***श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल):** संविधान के अनुच्छेद 355 में संघ का यह कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करे और प्रत्येक सरकार का इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे। इन दायित्वों के अनुसंधान में, गृह मंत्रालय, राज्यों के संवैधानिक अधिकारों का अतिक्रमण किये बिना स्थिति की निरंतर निगरानी करता है। सुरक्षा, शांति सद्भाव को बनाये रखने के लिए राज्य सरकारों को मानवशक्ति एवं वित्तीय सहयोग, मार्गदर्शन एवं विशेषज्ञता प्रदान करता है। गृह मंत्रालय मुख्य रूप से आंतरिक सुरक्षा, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के प्रबंधन, सीमा प्रबंधन, केन्द्र राज्य संबंध, संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासन, आपदा प्रबंधन आदि के लिए जिम्मेदार है।

भारत सरकार के अंतर्गत गृह मंत्रालय में पुलिस, कानून पुनर्वास से संबंधित आंतरिक सुरक्षा विभाग, स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन से संबंधित विभाग, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के द्वारा कार्यभार ग्रहण करने संबंधी अधिसूचना, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की सूचना, तटीय रक्षा, राजभाषा, जनगणना जैसे महत्वपूर्ण विभाग आते हैं और व्यक्तियों के विकास, समाज की अपेक्षा को पूरा करने के लिए मजबूत स्थिर एवं खुशहाल राष्ट्र निर्माण के लिए शांति और सद्भावना अनिवार्य पूर्वापेक्षाएं होती हैं।

जम्मू-कश्मीर राज्य राज्य सरकार के साथ मिलकर भारत सरकार ने सीमा पार के घुसपैठ पर नियंत्रण लगाने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें अन्य बैटन के साथ-साथ, सीमा प्रबंधन का सुदृढीकरण तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नियंत्रण रेखा और घुसपैठ के बदलते रहने वाले मार्गों पर बहु-मॉडल तैनाती, सुरक्षाबलों के लिए बेहतर हथियार और उपकरण आदि की व्यवस्था करना शामिल है/राज्य में लंबे समय तक आतंकवाद के व्याप्त रहने के कारण पड़े प्रभावों से लोगों के समक्ष पैदा हुई सामाजिक-आर्थिक समस्या से कारगर ढंग से निपटने के लिए प्रजातांत्रिक प्रक्रिया को स्थायी बनाए रखने तथा नागरिक प्रशासन की प्रमुखता को बहाल करने को सुनिश्चित करना एक समुचित उपाय है। वर्ष 2014 में जम्मू-कश्मीर राज्य में आंतरिक सुरक्षा की स्थिति में पिछले वर्ष से सुधार के विशिष्ट संकेत देखने को मिले हैं। तथापि पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2014 में आतंकवादी हिंसा तथा नागरिक कैजुअल्टी में कुछ वृद्धि हुई है लेकिन इसके साथ-साथ जम्मू कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री की पुनर्निर्माण योजना कारगर साबित हो रही है और इससे जम्मू में जल आपूर्ति में वृद्धि तथा सुधार से संबंधित परियोजना और बाहरी सहायता से

* Speech was laid on the Table.

राज्य में स्वास्थ्य केंद्र भवनों के निर्माण से संबंधित परियोजना को बल मिल रहा है। यह एक सराहनीय कदम है।

भारत सरकार ने भारतीय निगमों और गृह मंत्रालय की भागीदारी से जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष उद्योग पहल नामक योजना शुरू की है इसके लिए सरकार को बधाई देता हूँ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्रोही और उग्रवादी गतिविधियों से निपटने के लिए सरकार एक बहुआयामी रणनीति अपना रही है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इन संगठनों से बातचीत करने की इच्छा, बशर्ते कि ये हिंसा का त्याग करे और भारत के संविधान के दायरे में अपनी मांगों का समाधान कराये तथा राष्ट्र की मुख्यधारा में शामिल हों। यह कदम सरकार का उचित कदम है।

पिछले कुछ वर्षों से देश के कुछ भागों में अनेक वामपंथी उग्रवादी संगठन सक्रिय बने हुए हैं जो विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, बिहार और बिहार के पड़ोसी क्षेत्रों में सक्रिय है। माओवादी एक प्रमुख संगठन है जो कि हिंसा की अधिकांश घटनाओं में सम्मिलित हैं और सरकार ने इनको हिंसा त्याग करने और बातचीत के लिए आगे आने का आह्वान किया है यह सरकार की अहिंसा में विश्वास को दर्शाता है।

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के लिए सरकार ने सुरक्षा संबंधी व्यय योजना बनाई है। इसके तहत हिंसा में मारे गए नागरिकों और सुरक्षा बलों के परिवार को अनुग्रह भुगतान बीमा, सुरक्षा बलों को प्रशिक्षण आदि के लिए चलाया गया है। सरकार ने राष्ट्रीय जाँच एजेंसी का गठन 2008 में किया था और यह एजेंसी आतंकवाद संबंधी सूचनाएं एकत्रित करती हैं और उनका मिलान और विश्लेषण करती हैं। राष्ट्रीय जाँच एजेंसी द्वारा अब तक कुल 89 मामले दर्ज किये हैं जिनमें से 63 मामलों में आरोपपत्र दायर किए जा चुके हैं और 29 अभियुक्तों को दोषसिद्ध किया गया है।

गृह मंत्रालय के अधीन सभी अर्द्धसैनिक बल आते हैं और देश की विभिन्न सीमाओं पर अलग-अलग बटालियन तैनात किए गए हैं और यह सब बल देश की सीमा की सुरक्षा में दिन रात तत्पर रहते हैं। परंतु अभी तक इन सैनिकों के परिवारों के लिए पर्याप्त आवास मुहैया नहीं किए जा सके हैं। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इनके लिए जल्दी से जल्दी सरकारी आवास मुहैया कराये जाने का निर्णय लिया जाए।

***SHRI RABINDRA KUMAR JENA (BALASORE):** At the very outset, I would like to point out that the Ministry in question, the Ministry of Home Affairs, occupies a pivotal position in the country especially now, with multifarious forms of conflict and extremism ravaging the country. While the country, with the help of this ministry, needs to strengthen its security-both inside and on the borders including the coasts, it also need to sensitise the forces it employs, in order to ensure that conflict is not just mitigated, but is followed by peace and that it facilitates development in all parts of the country as a result. Currently, as figures stand, out of India's 640 districts, 205 are affected by some or the other kind of extreme violence-be it regional extremism, left wing extremists or terrorism. 20 districts of Jammu and Kashmir are ravaged at present by extremist threats from terrorists purportedly from Pakistan. Even very recently, within a short span of 72 hours, the country saw as many as 4 left wing extremist attacks that left 13 dead.

A total of 164 ceasefire violations have been reported along the International Border (IB) in Jammu and Kashmir. There have been reports suggesting that action has shifted to 197 Km international boundary from LoC. In the current year, 2015, 30 people have been killed in J&K, including two civilians, six SF personnel and 22 terrorists. In the Jammu Division alone, eight persons have been killed in 2015, including two civilians, three SF personnel and three terrorists.

In 2014, Left Wing Extremism (and the violence ensuing between the security forces and the extremists) had left 222 innocent civilians dead, and the lives of 87 security forces sacrificed. Again, in 2015, just up till 15.2.15, 28 civilians have been killed and 8 security forces sacrificed for this.

Thus, as figures amply depict, although over the years the approach of the Ministry of Home Affairs has changed to an extent - from use of police suppression of Maoist revolts to acknowledging that talks need to be established, the Ministry of Home Affairs has not, unfortunately, been able to solve the issue.

* Speech was laid on the Table

In fact, of late, the stand of the Government to focus more on security deployment instead of spearheading development in the regions most affected by LWE, may be doing more harm in this case than good. This is a point that was repeatedly reiterated in the 2005 Committee Report on Left Wing Extremism in India, as well as in the Supreme Court verdict on the Salwa Judum that followed soon after and heavily quoted the above mentioned report. Both these expert reports recommended understanding the issue of Left Wing Extremism as a development issue at the core reminding the government that most of the extremism is perpetrated because of support from poor tribals and villagers who are systematically oppressed by government officials. While the Integrated Action Plan, initiated by the erstwhile government in 2010-11 made an effort towards combining security infrastructure in these areas with development, it is unfortunate and significant that while IPA used to be fully centrally sponsored programme, for this FY 2015-16, funding to it has been reduced, and this programme has been shifted to the list of schemes that will be executed with 75:25 ratio fund allocation between the centre and the states.

Coming to the specific demands for grants of the Ministry, there are ten Demands for Grants which are administered by Ministry of Home Affairs. The total allocation for ten Demands for Grants of the Ministry of Home Affairs for the year 2015-16 in Budget Estimates 2015-16 is Rs. 78470.35 crore. In the BE 2014-15, it was Rs. 74884.29 crore which was reduced to Rs. 70358.34 crore at RE stage. Thus, there is an increase of 11.52% fund allocation over RE 2014-15 and 4.78% over BE 2014-15.

It is to be noted that out of Rs. 78470.35 crore allocated in BE 2015-16, Rs. 14586.98 crore is under Plan allocation whereas Rs. 63883.37 crore is earmarked under Non-Plan allocation. Of the different demand for grants of the MHA, the highest demand has been for the Police Force, amounting to 62124.52 crore, which makes up as much as 79.2% of the entire demand by the Ministry. However in connection to this, one important issue in the new Budget 2015-16

must be remembered. The Plan Schemes of MHA, as such, consist of certain ongoing as well as the new schemes/Central Sector/Centrally Sponsored Schemes (CSS). However, with effect from 2014-15, the Planning Commission restructured the Centrally sponsored Schemes of Government of India.

There used to be schemes for modernisation of police forces, that were funded by the Union (as in the Ministry of Home Affairs) but helped the states. However, with the current change in funding patterns to the states under the recommendation of the Fourteenth Finance Commission the states have gotten more unbundled funds, but there are many schemes that have been completely transferred to the states, and delinked from Union support. The Standing Committee for Home Affairs has noted in its report on Demands for grants, that the Home Affairs Ministry officials too have stated that this scheme should not have been delinked. While I concur with my colleagues and the Standing Committee Report on the Demand for Grants for the Ministry of Home Affairs, that in principle, the financial autonomy given to the States as recommended by the 14th Finance Commission, is a welcome change. However, the Committee report says that the matter of national pursuits ranging from national security to territorial integrity cannot be left at the dispensation of the State Governments alone with no monitoring and accountability of Union Government to the effect. One must make sure to preserve a structure of responsibility in these programmes and schemes, because these are of utmost importance for the country's internal security and the power would now lie completely with the State Governments.

The Standing Committee report has also revealed that with respect to the Plan Schemes of Ministry of Home Affairs during financial year 2012-13, 2013-14 and 2014-15 (as on 28.2.2015), the ministry has not been able to spend even reduced allocated amount at RE stage. And yet, at the same time, with internal and border security threats being on the constant rise in the country, the need for more fund allocation to the Ministry also is recommended by the committee. The committee has taken note of the increase of 11.52% over RE 2014-15 and 4.78%

over BE 2014-15 in allocation to the Ministry of Home Affairs for current fiscal year but has expressed its displeasure over the fact that that out of Rs. 107790.18 crore projected demand of the Ministry, only Rs. 78470.35 crore has been allocated. The Committee, therefore, strongly recommends that the Ministry should take up the matter with Ministry of Finance for enhanced allocation at RE stage. The Committee is of the view that the reduced allocation against projected demand may affect ongoing schemes/projects.

This shows a failure at multiple levels-there is a clear lack of coordination between the Ministry of Finance and the Ministry of Home Affairs, which leads to delinking of important schemes from Union support and the lack of enough allocations to significant plan budget demands of the ministry. At the same time there is also a failure at the end of the different Departments of the Ministry of Home Affairs, which has failed to effectively utilise the funds that they have been given. The Ministry should ensure that the concerned implementing agencies fast track the completion of the projects within the given time frame and avoid under utilization of funds as a matter of emergency.

Another matter of chief concern that must be brought up with regard to under-utilisation of funds, is that of the Nirbhaya Fund and the issue of women's safety and security in the country. The Nirbhaya Fund was set up under the MHA after the December 2012 incident in Delhi, by the then UPA-II government. In its first year, 1000 crores were allocated to the fund. For 2014-15, Jaitley had then allocated another 1000 crores to the fund, bring the total to 2000 crores.

However, the Ministry of Home Affairs, which managed the Nirbhaya Fund, has spent only about 1% of the total allocation since the inception-around 20 crores only. The MHA and Ministry of Women and Child Development were to use this Fund for various purposes, none of which have been executed. The Government (MHA) had planned the establishment of an platform for supporting a Call Tracking and GPS based Police vehicle dispatch function that will help in

improving the efficiency of police response to the calls of women in distress situations and provide speedy assistance.

Under this, my constituency, Balasore, would have been a beneficiary as a Type B city, but that too has been delayed. In Balasore, just in the year 2012-13, there were 87 cases of rape reported, 242 cases of assault on women with intent to outrage their modesty and 20 cases of insult to the modesty of women. Just in the year 2013, 33,707 cases of rape were reported in India-a 35% jump from 2012. In this context, it is significant that at the beginning of FY 2014-15, the Government had promised 660 One-stop Trauma Care Centres that were supposed to come up in the country. But instead of that, we will now have just 36, one in each state. One-Stop Crisis Centres that provide medical, legal and psychological support services under one roof to women survivors of violence is an urgent need, and having only one in each state is of no effect at all.

This is a disturbing fact not simply because it relays the inefficiency of the Ministry to utilise funds, but it also exposes, in a way, the approach of the Ministry to an issue as important as women's security in this country. To treat it as a trivial matter is a mistake that the government should not be accused of making. I urge the government to immediately ensure a better implementation of schemes that are to be executed with the help of the Nirbhaya Fund.

Another issue that is of great importance not just for the whole country but especially for the coastal states like Odisha, and my constituency, Balasore, which has a 80 kilometer long coastline, is the issue of coastal security, or the lack of it, under the administration of this Ministry. In spite of the 2011 attacks, even Maharashtra does not have a fool proof coastal security mechanism. Glaring loopholes in Maharashtra's coastal security were exposed in a recent report of the Comptroller and Auditor General (CAG), which was published in April 2015, which pointed to such problems as inadequate infrastructure and coastal police station staff being unable to swim. This is a dangerous fact, as the fragility of Maharashtra's 720 km long coastline was laid bare after the 1992 bomb blasts,

when explosives were brought into the state through beaches in Raigad district, as well as after the 26/11 terror attacks. The CAG, in its report on the general and social sector for the year ended March 2014, has pointed to deficiencies in planning for the scheme, delays in construction of coastal police stations and check posts, and infrastructure and manpower shortage.

The CAG report also said that 57% of the non-technical staff posted in the coastal police stations did not possess swimming skills. This was despite the government having issued a circular which made swimming skills mandatory for staff deployed for coastal security. The boats to be used for patrolling were underutilised, with districts like Ratnagiri reporting just 8.47% utilisation.

In 2005, the Centre had formulated a coastal security scheme for implementation by State government. It had approved a total of 19 police stations, 42 vessels, 32 jeeps, 71 motorcycles, 3 jetties and 32 check posts under the scheme. However, the CAG report notes that the five coastal districts of Maharashtra had a manpower shortage of 40.02% posts with the gap in deployment of technical staff for boat operations being 51.21%. The highest shortfall of non-technical staff was highest at 65.85% in Mumbai. The CAG report noted that the coastal police does not have jetties of their own in the five districts. Funds sanctioned by the Centre for the project were also unspent. The report has also raised concerns over joint patrolling with the Coast Guard, Indian Navy, Coastal Police and Customs being stopped. The audit observed that GPS systems, which could have helped the crew understand the navigational channels and locations of the boats in the sea, were not installed in 34 of the 69 operational boats.

The State Government of Odisha has been requesting the Centre to sanction a special India Reserve (IR) battalion to strengthen coastal security since February 2015. With the Intelligence Bureau (IB) circulating an input on probable terrorist attacks by Pakistan-based outfits in four States, including Odisha, recently, strengthening of coastal security has become an issue of utmost importance.

Odisha has a coastline as long as 480 km. The demand for a IR Battalion was made by Odisha first eight months back in 2014, and then reiterated in February. Besides, the State Government has requested early sanctioning of patrols boats for marine police stations. Out of the 18 marine police stations in Odisha, only five, which were opened in the first phase, have patrol boats. Boats for 13 marine police stations opened in the second phase are yet to be allocated, he said.

The Centre has also been requested to increase the funds for construction of jetties. While only Rs. 2.5 crore has so far been sanctioned for five jetties. But construction of a jetty will cost more than Rs. 5 crore. This is a matter of pressing need and must be looked at with utmost speed by the Ministry.

However, it must be mentioned that the Ministry has also been making useful headway in a lot of spheres. It is important to note that under the 'Udaan' Programme for skill development and enhancing employability by corporates, 2514 jobs were offered to educated youths of Jammu and Kashmir in 2014. Besides, nearly 13,000 more youths were selected for training during this period.

Again, the Government has been prompt to respond to the unfortunate natural disasters that have affected the country-whether it is compensation for farmers affected by the floods and hailstorm, or the victims of the recent earthquake. This must be appreciated whole-heartedly.

While extremities ravage the North Eastern States on a regular basis, with 824 incidents occurring in 2014, getting 1934 extremists arrested and 181 of them killed, while 212 innocent civilians also lost their lives and 20 lives of security force-persons were sacrificed, the government has been making progress in implementing the Bezbaruah Committee's recommendations, as the Standing Committee Report shows. However, as the data just given amply shows, the government must expedite this process in order to mitigate the conflict in these states as a matter of utmost urgency.

Thus, to conclude, this is a Ministry on whole efficiency the development of the country and the efficiency of the other Ministries also depend. If the states are not kept free on conflict and extremism, all efforts towards development and inclusive growth will not just go to waste, but with the increase in conflict and extremism, the efforts towards development that already been made will also be rendered useless. The Government and the Ministry must keep this in mind in ensuring better fund allocation and better implementation of the crucial schemes under its wings.

***SHRI PRASANNA KUMAR PATASANI (BHUBANESWAR):** The Ministry of Home Affairs is primarily responsible for internal security management of central armed police forces, border management, centre-state relations administration of Union Territories, disaster management, etc. Article 355 of the Constitution enjoins the Union to protect every state against external aggression and internal disturbance and to ensure that the government of every state is carried on in accordance with the provisions of the constitution. In pursuance of these obligations, the Ministry of Home Affairs continuously monitors the situation, issues appropriate advisories, extends manpower and financial support, guidance and expertise to the state governments for maintenance of security, peace and harmony without encroaching upon the constitutional rights of the states. Though in terms of the Entries 1 and 2 of List II 'State List' in the Seventh Schedule to the Constitution of India, 'Public order' and police are the responsibilities of states.

Several Left Wing Extremist outfits have been operating in some parts of the country for a few decades now. In a significant development in 2004, the People's War then operating in Andhra Pradesh and the Maoist Communist Centre of India then operating in Bihar and adjoining areas merged to form, the CPI (Maoist). The CPI is the major Left Wing Extremist Organization responsible for most incidents of violence and killing of civilians and security forces and has been included in the Schedule of Terrorist Organizations along with all its formations and front organizations under the Unlawful Activities (Prevention) Act 1967. The CPI (Maoist) philosophy of armed rebellion against the Indian States is unacceptable under our constitutional dispensation. The Government has given a call to the Left Wing Extremists to abjure violence and come to talks.

This plea has been rejected by them, since they believe in violence as a means to achieve their objective. This has resulted in spiraling cycle of violence in many parts of India. The poor and the marginalized sections like the tribal's are

* Speech was laid on the Table

bearing the brunt of this violence. Many well-meaning liberal intellectuals fall prey to Maoist propaganda without understanding the true nature of Maoist insurgency doctrine which glorifies violence and believes in annihilation of the so called class enemies. Since 2004 around 5000 civilians have been killed by the CPI cadres. A majority of civilians killed are tribals, who are branded as 'Police informers' before being brutally tortured and killed. In fact, tribals and economically underprivileged sections have been the biggest victims of the so called protracted people's war of CPI (Maoist).

The Government's approach is to deal with the Left Wing Extremism in a holistic manner, in the areas of security, development, ensuring rights and entitlements of local communities and public perception management. In dealing with this decades-old problem, it has been felt appropriate, after various high-level deliberations and interactions with the state governments concerned that an integrated approach aimed at the relatively more affected areas would deliver results. With this in view, a detailed analysis of the spread and trends in respect of Left Wing Extremist violence was made and 106 affected districts in ten States of Andhra Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Telangana, Uttar Pradesh and West Bengal have been taken up for special attention with regard to planning, implementation and monitoring various schemes. However, 'Police' and 'Public Order' being State subjects, action on maintenance of law and order lies primarily in the domain of the State Governments. The Central Government closely monitors the situation and supplements their efforts in several ways. These include providing Central Armed Police Forces (CAPFs) and Commando Battalions for Resolute Action (CoBRA); sanction of Indian Reserve (IR) Battalions, setting up of Counter Insurgency and Anti Terrorism (CIAT) schools; modernisation and upgradation of the State Police and their intelligence apparatus under the Scheme for Modernization of State Police Forces (MPF Scheme); re-imburement of security related expenditure under the Security Related Expenditure (SRE) Scheme; filling up critical

infrastructure gaps under the Scheme for Special Infrastructure in Left Wing Extremism affected States; providing helicopters for anti-naxal operation, assistance in training of State Police through Ministry of Defence, Central Police Organisations and Bureau of Police Research and Development; sharing of Intelligence; facilitating inter-State coordination; assistance in community policing and civic action programmes, etc. The underlying philosophy is to enhance the capacity of State Governments to tackle Maoist menace in a concerted manner. The Division also monitors the implementation of Integrated Action Plan for LWE Districts (now called Additional Central Assistance (ACA) and various other development and infrastructure initiatives of Government of India.

It is the belief of Government of India that through a combination of development and security related interventions, the LWE problem can be successfully tackled. However, it is clear that the Maoists do not want root causes like underdevelopment be addressed, and they resort to targeting school buildings, roads, railways, bridges, health infrastructure, communication facilities etc. in a major way. They wish to keep the population in their areas of influence marginalized to perpetuate their outdated ideology. Consequently, the process of development has received a setback in the areas under LWE influence. This needs to be recognised by the civil society and the media to build pressure on the Maoists to eschew violence, join the mainstream and recognise the fact that the socio-economic and political dynamics and aspirations of 21st Century India are far away from the Maoist world-view. The Government is optimistic of eradicating the LWE problem through the strategic vision articulated above. It is worth mentioning that due to the measures initiated by the Government, LWE violence has significantly declined in the last four years, i.e. 2011, 2012, 2013 and 2014. The multi-pronged efforts of the Government are slowly showing positive impact an results.

***SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI):** Ministry of Home Affairs (MHA) has multifarious responsibilities. Important among them are internal security, management of central armed police forces, border management, Centre-state relations, administration of Union Territories, disaster management, etc.

Internal Security is a sensitive issue which deals with police, law and order and rehabilitation. According to annual report of Home Ministry, Jammu and Kashmir has witnessed 86.66 per cent more casualties of civilians and 30.58 per cent increase in terror incidents in 2014 in comparison to the previous year. Referring to Maoist violence, the Home Ministry said that 309 people lost their lives in 1090 incidents of Naxal violence in 2013 in comparison to 397 deaths in 1136 incidents in 2014.

In order to face the emerging challenges on internal security in the form of terrorism, naxalism, etc., Police Forces should be modernized and they should be empowered with adequate powers, also have adequate forces of jawans, modern equipments, training etc. However, the Centre has transferred the responsibility to the State government. State government on March 27, under the chairmanship of Madhya Pradesh CM Shivraj Singh Chauhan have pressed the need of continued support from the Centre to eight Centrally Sponsored Schemes (CSS) which have since been fully transferred to them. States like Jharkhand and UP have also pressed Centre to continue its full support to programmes like police modernization. Even the Parliamentary Standing Committee questioned the move to pass on burden of key schemes aimed at police modernization to the states, and warned that the response to security challenges like terror may suffer due to the states' funds crunch and lack of perspective in planning such projects. India has the lowest citizen to police ratios in the world. The recommended average is a policeman for every 200 citizens. In India, the ratio is close to 700. If one takes into account those tied up for VIP security, the ratio will probably be close to 1 policeman for every 1000 citizens. Only way to equip them to handle the

* Speech was laid on the Table

enormous task is to provide adequate funds for infrastructure like mobility, communication systems weaponry, etc. There is also no allocation for CCTNS, the e-governance system.

I am afraid that with non-involvement of Centre, the states may take this on low priority. The state administrative machinery may not be fully equipped to take this responsibility now.

The law and order situation in the country poses a serious challenge to the peace of the country. Only a few months back, Govind Pansare, a social reformer and a member of the CPI, was with his wife when he was shot by unidentified gunmen on a motorcycle while they were on their morning walk in Kolhapur. Pansare was mass leader who was leading fights against different forms of injustice. The incident reflects the growing intolerance of the disruptive communal forces against freedom of expression. It is the duty of the state to recognize and acknowledge the valuable contributions made by Human Rights defenders and create an environment in which they can act safely and freely.

Every hour 35 cases of crimes against women are registered. And it has been progressively increasing with each year. While overall increase in the growth of crime rate was observed as 9%, crime rate against women increased by 27% in 2013. India is ranked fourth among the most dangerous countries for women. This speaks enough for the state of women in India. Cruelty by husband and relatives constitute 44% of the total crime against women. To solve issues like domestic violence, family courts needs to be increased. Though the subject comes under state subject but the Centre can communicate to the states to look into this matter. The year 2014 saw a never before 309 acid attack incidents being reported from across the country. This is almost 300 per cent more than the average number of such cases witnessed during the preceding three years. I am happy that the home Minister has expressed his intention to regulate acid sale. We need to take this on priority and provide full support towards rehabilitation of acid attack victims. There is also a need to increase the number of women in police

force. People are usually scared to visit a police station and women especially are hesitant to share issues like rape, molestation, eve teasing with the male officers. We need to make our police stations more gender friendly. The environment in the police station needs to be more welcoming.

At this point, I will also like to highlight a initiative started by RR Patil in Maharashtra. He knew that in villages often petty disputes snowball into big feuds as more people get involved and pose threat to peace and harmony. The scheme, named after Mahatma Gandhi, introduced alternative dispute resolution system which seeks to prevent the occurrence of disputes and resolve the existing disputes through people's participation. The overall thinking fashion of rural citizens is changing with time. They gradually understand the drawback of wasting energy, time and money on lengthy courts cases. This has led them to adapt dispute-free village concept and it is indeed achieving momentum in various rural parts of Maharashtra. Women are the key players in executing any programme on rural level. We must appreciate their contribution to put ban on alcohol in villages of Kolhapur. Women should participate in such social programmes while enjoying the privilege of 50 per cent reservation in local governance. Due to collective efforts of police and villagers almost 798 villages of 1029 districts have successfully achieved the title of dispute-free under Mahatma Gandhi Dispute Free Village Programme, particularly Solahpur district is leading the chart.

The programme has run successfully in over 14,000 villages in Maharashtra alone. Rest of the nation is adapting this rapidly. In 2010-11, 3824 villages and in 2011-12, 2712 villages became dispute-free in the state. These villages were awarded with a prize money worth 70 crore rupees. In 2013, the state government had instructed to utilize this prize money to deal with water scarcity problem in drought-affected region. UNO had appreciated this move. They proposed developing nations to adopt the concept. This concept should be taken up.

India has become vulnerable to natural as well as human-made disasters like floods, drought, cyclones, earthquakes, landslides, avalanches, tsunami, forest

fires, etc. There are fewer than required weather forecasting centres in the country. Many large states have only one forecasting centre each. Of 14 Doppler Weather Radars (DWR) in the country, radars in seven cities (Chennai, Jaipur, Kolkata, Machilipatnam, Dibrugarh, Patna and Nagpur) were found to be non-functional in February 2014. For instance, DWR Nagpur remained non-functional from late-February to March 2014 when Vidarbha witnessed severe thunderstorms/hailstorms. Lack of adequate weather forecasting and monitoring offices makes it difficult to forecast weather accurately on real time.

The effectiveness of the National Disaster Response Force has been hampered because of shortage of trained manpower and absence of appropriate training facilities, infrastructure and equipment and the Standard Operating Procedures for deployment of the NDRF have not been finalised. NDRF personnel are sent to DRDO, BARC, HIMI and defence establishments. However, the training slots made available by these institutions were insufficient. National Institute of Disaster Response (NIDR) to cater to the training needs to NDRF SDRF, Civil Defence personnel has not been set up so far despite government of Maharashtra having offered 110 acres of land for it at Nagpur and NDMA accepting it. Each battalion was to have strength of 1149 post including special post like medical officers, engineer, technicians, etc. Deficiency of 27% was noted in the audit conducted by CAG in 2013.

With regard to border management, in last one year there has been numerous case of incursions by China. One of which was incursion into Ladakh during President Xi Jinping's visit which went on for a long period about a fortnight. China has also erected watchtowers and installed high-resolution cameras along the border in the tribal Lahaul and Spiti district. In the wake of increasing Chinese aggression and the difficulty of physically manning the vast India-China border, there is a need to install high surveillance camera by India as well.

I need to mention that Naxalism remains a great threat. It is very important to uplift the naxal communities and bring them to the mainstream. Maharashtra is one of the Naxal affected areas. Naxals, who set up a base in Maharashtra in the early 1980s, have killed civilians in the worst-hit Gadchiroli, Chandrapur and Gondia districts of the State over the last three decades, police said. According to a release issued by the anti-naxal Cell of Maharashtra Police, an overwhelming number of victims of naxal violence were from Gadchiroli district alone (451) between February 1985 and July 2014.

Maharashtra designed a special training programme on Jungle warfare school to train the task force to fight Naxalites in their strongholds in Maharashtra. The team of 500 commandos were trained at the Unconventional Operations Training Centre (UOTC) in Nagpur. The training acclimatizes them with the dense vegetation of the operational areas. There is a need to continuously conduct training for the battalion and police force in the LWE affected area.

Now talking about coastal security in the country, India's coastal area is vast measuring about 7,500 kms where Maharashtra alone has a coastline of 750 km. Lapse on coastal security is quite often reported and we have to guard our country from coastal threats. According to sources in the state home Ministry, 70% of Maharashtra's coastline is still vulnerable and can be used as landing points by infiltrators at any time. Coastal security should be strengthened and numbers of coastal police stations and coastal patrolling boats are also to be increased. Coastal police need to provide with modern weapon and jetties to patrol coastal belt. Besides issuance of ID cards of fishermen, registration of boats, colour coding of boats installation of transponders, issuance of Multipurpose National Identity Cards (MNICs) to the residents of coastal villages should be expedited and coastal patrolling needs to be intensified.

DR. J. JAYAVARDHAN (CHENNAI SOUTH): Hon. Chairman, Sir, Public Order and Police are subjects that top the list of items under the State List of the Constitution. The founding fathers of our nation clearly delineated the function of the Central and the State Governments and accordingly made Parliament and the State Legislative Assemblies the law making institutions for the smooth performance of these functions.

There are 10 Demands for Grants which are administered by the Ministry of Home Affairs. The total allocation for the 10 Demands of the Ministry of Home Affairs for the years 2015-16 in Budget Estimates is Rs. 78,470.35 crore. In the Budget Estimates of 2014-15 it was Rs. 74,884.29 crore which was reduced to Rs. 70,358.34 crore at the Revised Estimates stage. Thus, there is an increase of 11.52 per cent in fund allocation over the Revised Estimates of 2014-15 and 4.78 per cent over the Budget Estimates of 2014-15.

Now I would like to mention a few observations and recommendations made in the Reports of the Standing Committee and hope the Minister would reply. The Standing Committee had clearly mentioned that it is quite unhappy to note that during the last three financial years, in many schemes, the Ministry has not been able to spend even reduced allocated amount at the Revised Estimates stage and it had strongly recommended that the Ministry should impress upon the concerned implementing agencies to fast track the completion of the projects within the given time frame and avoid under utilization of funds. The Committee, in its Reports, had said that the Committee is constrained to express its displeasure over the fact that out of Rs. 1,07,790.18 crore projected demand of the Ministry, only Rs. 78,470.35 crore has been allocated. The Committee is of the view that the reduced allocation against the projected demand may affect ongoing schemes and projects. I would like to know the reply of the Minister in this regard.

16.49 hrs(Hon. Deputy-Speaker *in the Chair*)

The maintenance of public order is the primary test of internal security. Where people are provided an atmosphere of public tranquility, such as our State, it is indeed a haven of peace. Communal riots and clashes that threaten many a State in our country are absent in Tamil Nadu guided by our hon. *Makkal Muthalvar Puratchi Thalaivi Amma*. With the Government reaching out to the poor and needy with benevolence and care, the Left Wing Extremist elements have not been able to gain a foothold in our State. Smuggling of essential commodities has been curbed with an iron hand and any interference in the process of law taking its own course is not tolerated. I wish to record here that it is my leader who pioneered the setting up of All Women Police Station in India, the first ever in the entire country, more than 23 years ago in 1992. Today in Tamil Nadu, there are All Women Police Stations in every Police Sub Division in Tamil Nadu totaling 200. The proportion of women in the police force at 16.5 per cent is the highest in the country. Our leader, Amma had first ever in India introduced a Woman Commando Force in the country.

With respect to protection of women, the punishment in case of sexual harassment was made more severe and the burden of proof to prove innocence was transferred to the accused in case of death or suicide resulting from sexual harassment under the amendments to the Tamil Nadu Prohibition of Harassment of Women Act passed in Tamil Nadu Legislature by our leader in 2002.

Impelled by the need to have an even stronger legislative basis to protect women from sexual violence, my leader Puratchi Thalaivi Amma was the first to bring about a thirteen-point action plan to prevent crime against women. Tamil Nadu is probably the only State in the country which has ordered the constitution of 42 Mahila Courts to be located in all the 32 districts of the State.

With regard to drug menace, our leader had launched a special drug awareness programme to be conducted in schools and colleges in 2012. The State's Narcotics Intelligence Bureau CID has stepped up its activity and detected

a large number of cases in 2014, as compared to 2013. The NIBCID acts in close coordination with the Central Government agencies including the Narcotics Control Bureau and the Coast Guard. The Coastal Security Group was first formed in the entire country in Tamil Nadu by our leader Puratchi Thalaivi Amma in 1994 with the objective of preventing smuggling and to detect and block intrusions of anti-social elements into Tamil Nadu by the sea route. It is the first State in the entire country to set up physical infrastructure in terms of Marine Police Station outpost and check-post under Phase I of the coastal security scheme.

During the Standing Committee briefing by the Home Secretary, he had clearly said that a lot still remains to be done in terms of coastal security of the entire country with regard to the Departments of the Home Ministry. I would like to know from the hon. Home Minister whether effective steps will be taken in this regard.

The Government of India's insensitive handling of the Tamil Nadu fishermen's issue, being unable to protect Indian fishermen pursuing their livelihood in the Indian Ocean, from being regularly subjected to murderous attack by the Sri Lankan Navy is a serious problem. My leader Puratchi Thalaivi Amma had repeatedly written to the Prime Minister protesting against the unprovoked, murderous attacks and arrests of innocent Tamil Nadu fishermen. The only permanent solution to the problem is retrieval of Katchatheevu and its surrounding area which was permanently ceded to Sri Lanka in 1974 without the requisite mandate of Parliament. The continuing attacks by the Sri Lankan Navy and ineffective response by the Government of India have agitated the fisher-folk community in Tamil Nadu and this impinges upon the internal security environment of the State. This was also mentioned in the Chief Ministers Conference on Internal Security by our leader Puratehi Thalaivi Amma.

With respect to the Unique Identification Authority of India, greater coordination is required within the Government of India Ministries and with the

State Governments to ensure that the Unique Identification Authority of India achieves the desired outcomes. The model of Aadhaar linkage with the National Population Register database has proved to be very useful. However, we must recognise that the population database is very dynamic and is changing by the minute. Therefore, there is a need for putting in place a mechanism for real time updation of the NPR. NPR data should be dynamically linked and be an exact mirror image at all times of the population database in the State Resident Data Hub. So also, every addition, deletion and change in the database should be carried out online. The necessary protocols for incorporating data related to birth and death, migration, change of name etc. need to be developed and shared with the State Governments. Walk-in enrolment centres should be permanently set up in all the taluks and municipal offices so that any change can be incorporated on a continuing basis and citizens can get the data updated without any problem.

With regard to the official language in the Department of Home Ministry, I would like to take this opportunity to strongly reiterate a long-standing request voiced on behalf of the people of Tamil Nadu by our leader Puratchi Thalaivi Amma. Article 348 (2) of the Constitution read with Section 7 of the Official Languages Act, 1963 clearly envisages the usage of the State's official language in judgements, decrees and proceedings of the High Court with the prior concurrence of the President. The practice is already being adopted in four States. However, our repeated requests to authorise the use of Tamil in the High Court of Madras have not been responded favourably.

Now, coming to the financial part, the Government of Tamil Nadu guided by our leader hon. Puratchi Thalaivi Amma had progressively increased an unprecedented allocation of Rs. 5,568.81 crore in the Budget Estimates 2015-16 for the Police Department in Tamil Nadu against only Rs. 3,184.47 crore in 2010-11.

The Planning Commission has restructured the Centrally sponsored schemes of the Government of India *vide* its guidelines dated 11th July, 2013, and

has introduced an umbrella Scheme called the National Scheme for Modernisation of Police and the eight Centrally sponsored schemes of MHA, except NCRMP, have been transferred to the States. The Ministry of Finance has not allocated any fund for the Centrally sponsored schemes during 2015-16 except for NCRMP. It means, the Union Government hereafter would not finance the States for strengthening police infrastructure either in terms of mobility or in terms of communication equipments or in terms of strengthening of police stations. This has been done on the ground that through the 14th Finance Commission. There is a large increase in the vertical tax devolution to the States from 32 per cent to 42 per cent of the domestic pool. It is on this ground that it has been shifted to the State Governments. However, it must be noted that there is no increase in the overall gross transfers to States as a proportion of the Centre's gross revenues. It is expected to continue at 49 per cent and it is a large decline from 53 per cent in 2011-12. The Union Budget effectively ensures that the gross transfer to the States has barely reached the 49 per cent level by two sets of measures. Firstly, the Central Government has converted certain taxes like Wealth Tax into cesses and surcharges, which are not part of the shareable pool. Secondly, the Union Budget has drastically reduced support to the various Central schemes implemented through State Governments.

Normal Central Assistance and Special Central Assistance for the State Plan will not be available in future. The revenue impact of these schemes on the State is Rs.1,137 crore per annum as per 2014-15 allocations. The Commission has also recommended to discontinue the State-specific grants for which we were receiving Rs.4,669 crores under the previous Finance Commission.

Tamil Nadu has been unfairly treated by the 14th Finance Commission with a drastic cut in the horizontal share from 4.969 per cent to 4.023 per cent of the general shareable tax pool and from 5.047 per cent to 4.104 per cent of the service tax pool.

The Standing Committee had strongly recommended that the Central Government should continue to support the State Governments financially in the schemes such as modernization of police forces. Only then the MHA would be in a position to use it to leverage and instrument with the State Government in getting various security situations managed. The Committee had also strongly recommended that the Finance Ministry should revisit this matter carefully and judiciously in consultation with various stakeholders keeping in mind the prevailing security scenario in the country. The MHA may fall short of discharging its core function of maintenance of internal security across the country. This is the report of the Standing Committee. There is a Tamil proverb which says, “the farmer who wield the plough are the ones who supply the men for the fighting forces.” Similarly, without the support of the strong State Governments (financially and administratively) there can never be victory in the fight against terrorism.

Hon. Deputy Speaker, Sir, Tamil Nadu itself would require another Rs.10,000 crore in the next few years for modernisation of police namely, building for 500 police stations functioning in rental building or in old building that require reconstruction with an estimated cost of Rs. 300 crore, construction of 60,000 more houses for achieving 100 per cent housing satisfaction of police personnel, which requires Rs. 9000 crore and updating equipment including communication equipments, data analysis, system and vehicles for urban policing requires Rs.700 crores.

Coming to the field of forensic capabilities, the development of forensic capabilities is very much important for scientific investigation and to ensure effective prosecution of crime. Tamil Nadu has a strong Forensic Science capability with laboratories at the State, regional and district levels. The Government of India should focus on creation of a national level database of fingerprints which can be accessed by investigating officers. It is a sad reflection on the state of affairs that hardly 1000 cases are detected all over India on the basis

of fingerprint technology. Out of this, over 50 per cent of these detections are contributed by Tamil Nadu. Our leader had requested that with the setting up of a National online database of fingerprints, which is shared by the police forces of all the States, there will be a quantum jump in the detection of crimes. A National project in computerized finger print applications should be undertaken on a mission mode. It is the need of the hour. The Government of India should bring in the necessary legislation to enable the building up of DNA data bases. It should be the top most priority of the Union Government.

Lastly I would like to ask the Ministry a few more questions. Sir, what about the brutal attack and killing of 20 poor labourers and the tribal people from Tamil Nadu by the Andhra Pradesh police on 7th April in the name of the Red Sanders Anti-Smuggling Task Force and for which the Minister had also promised the august house to reply. Secondly, whether the Union Government will take effective measures to prevent the suicide of Central Police Officers of various wings which is a rising trend in our country? That was also reported by the Standing Committee.

In conclusion, I would like to quote a few lines from the Holy Thirukkural.

*Anjamai Eegai Arivuookam Innargum
Enjamai Ventharku Iyalbu.*

“Courage, a liberal hand, wisdom and energy, these four are qualities, a king adorn for evermore”.

True to these unfailing words of the divine poet Thiruvalluvar, our benevolent leader, Puratchi Thalaivi Amma, is the embodiment of unfailing courage, benevolence, wisdom and zeal which are the essential qualities of a King.

Thank you, Sir.

***श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी):** मैं गृह मंत्रालय की अनुदानों की माँगों का समर्थन करता हूँ तथा कटौती प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। हमारी सरकार के गृह मंत्रालय ने पिछले 11 माह के कार्यकाल में देश की आंतरिक शांति को ठीक करने व देश तथा पड़ोसी देशों को आपदा व संकट के समय मदद करके व्यवस्थाओं को सामान्य बनाने हेतु सराहनीय कार्य किया है।

मेरा लोक सभा क्षेत्र नेपाल का सीमावर्ती क्षेत्र है जहां पर सीमा खुली होने के कारण नेपाल के माओवादियों तथा भारत के अपराधियों का लगातार आवागमन होने के कारण क्षेत्र के लोगों में असुरक्षा की भावना रहती है। उदाहरणस्वरूप हमारे जनपद लखीमपुर खीरी के 4 बड़े शांतिर अपराधी जेल व अदालत से फारार हुए व नेपाल में अड्डा बनाकर क्षेत्र के व्यापारियों व अन्य लोगों को डरा धमकाकर वसूली करते हैं तथा मोटर साइकिल, चौपहिया वाहन व ट्रैक्टर आदि की बड़े पैमाने पर चोरी होती है तथा सीमापार बेच दिया जाता है व पुलिस तथा अन्य स्थानीय एजेंसियों की मदद से बड़े पैमाने पर खाद, सीमेंट व अन्य आवश्यक वस्तुओं की बड़े पैमाने पर तस्करी होती है। परंतु प्रदेश की सरकार द्वारा राजनैतिक कारणों व अपने स्तर से कार्यकर्ताओं को संरक्षण देने के कारण स्थितियों को ठीक करने में प्रदेश सरकार सक्षम नहीं है। मेरा अनुरोध है कि मेरे लोक सभा क्षेत्र से लगी समी को विशेष जोन बनाकर उक्त क्षेत्र की कानून व्यवस्था को ठीक करने, अपराधियों पर अंकुश लगाने, तस्करी रोकने, वाहन चोरी रोकने तथा शांति स्थापित करने हेतु विशेष कार्यवाही सरकार करेगी।

मैं गृह मंत्रालय से यह भी अनुरोध करता हूँ कि मेरे क्षेत्र सहित पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस राजनैतिक दबाव में काम कर रही है, जिसके कारण पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब हो गयी है। इसके लिए भी प्रदेश सरकार को एडवाइजरी जारी करने की मांग करता हूँ तथा अभी पुलिस भर्ती में भी उत्तर प्रदेश सरकार की अनियमितता उजागर हुई है। इसी तरह, पूरे उत्तर प्रदेश सरकार की सरकारी मशीनरी व पुलिस उ० प्र. सरकार के दबाव के कारण ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रही है। परिणामस्वरूप पूरे प्रदेश की शांति व्यवस्था सहित विकास के काम व योजनाएं ठप्प हो गयी हैं, जिससे पूरे प्रदेश में हताशा व निराशा का माहौल है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि उ० प्र० में कानून व्यवस्था बहाल करने व विकास योजनाओं को गति देने हेतु आवश्यक हस्तक्षेप करें।

मैं पुनः कटौती प्रस्ताव का विरोध व गृह मंत्रालय की अनुदानों की माँगों का समर्थन करता हूँ।

***SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL):** I will focus on police behaviour and how police can be made more people-friendly. At present, going to the police station for grievance redressal is an ordeal that everyone tries to avoid. Especially the educated and middle class are averse to the idea of visiting police stations. This attitude needs to change and it can only happen with the intervention of the central government.

Making the police more people-friendly using social media and other outreach methods: Something interesting has been happening on Twitter in the recent past. The DCP of North Delhi, Madhur Verma, has been interacting with people using this medium. He has been constantly trying, on this personal level, to make his work and department more relatable to the young crowd. He talks about his case-work burden, rising levels of crime and sometimes writes poetry about his job as a police officer. Recently, he was talking about a case involving 2 year old Nandini, who was abducted and eventually rescued near Clock Tower in Delhi. The amount of encouragement he gets from the online crowd after doing such exemplary work is immense. It encourages him to work more diligently.

Another example is that of the Bangalore police. They are reaching out through Facebook and Twitter to people and using it to respond to their grievances swiftly. They encourage people to report police misbehaviour and share it publicly with them. The kind of public naming and shaming keeps the police on their best behaviour. These efforts point towards changing times. It also gives you a peek at how a police department can employ brand management techniques to make themselves more approachable for the public.

Psycho analysis of persons joining the police should be made mandatory. It needs to be assessed what is the bent of the mind of a person who will become a guardian of the public. Psycho analytical techniques have come far to allow you to do these tests in a few hours and get a report which can then be analyzed by trained psychologists. What matters is the willingness of people to listen to

* Speech was laid on the Table

someone they trust. The willingness of a police officer to engage with the public can be assessed using these tests.

Don't limit yourselves to improving police infrastructure, invest in capacity building and public interaction techniques as well. Harness technology and innovate policing. The equipment used by our police is frightfully outdated. We all remember clearly the story of Hemant Karkare and Ashok Kamte who lost their lives due to faulty bullet-proof vests during the 26/11 Mumbai attack. This was seven years ago, but there has been no major effort made to modernize equipment by the previous government. I hope this government makes a speedy headway in that direction. We need to equip our police with the latest communication equipment.

It's time to think out of the box and harness smart phone technology in policing. There is a mobile application being used to call auto rickshaws in Delhi. With one swipe, an auto gets your location and it comes to you in under ten minutes. Can we use this technology in policing?

Gone are the days of dialing '100' to call the police. Now you can have a very effective mobile application which would zoom in on the location of a person if a distress call goes out. The person sending out the distress call can see how far a police vehicle is from his/her location. Not to mention, this will be a cheap way to make response more effective and it can literally be done in 15 days time, if the government so wishes. Only the right people (and geeks) need to be brought in for this project. The Bangalore Police is making headway in this direction as well. They are inviting hackers to volunteer and help them solve cyber crimes. Perhaps the Delhi and other states police can ask App developers to volunteer and create this system for them.

If the Home Ministry is serious about improving our police, start a pilot in Delhi soon. Try it out. If this works, this can be replicated across states. I urge the government to consider this.

Uniform is the sign of identification. Commonality in uniform across the country needs to be considered. Police is a State subject but this can be changed keeping in mind the changing times. The Centre is pushing forward the GST Bill, similarly a new law needs to be brought about for a central police force. I'm sure home ministers of all states will be willing to usher in modernization with the proper support of the central government. If there is proper coordination between police from different states, if they feel like they are a part of a national police force, the motivation for them to be just and law abiding will be accentuated.

Taking the police-friendly police point forward, we need to make an effort to increase public participation in matters of internal security. I propose a national Citizen Police Force, where young citizens can keep vigilance in areas they frequent and are in constant touch with the police, informing them of untoward activities.

These volunteers can prove to be the ears and eyes of the police department, they would help identify crimes even before they happen. Give them a volunteer badge and let them feel proud that they are doing their part to protect citizens of this country. It's time for the police departments across states to open up their gates for citizens. Now just young people, but middle-aged ladies who stay at home while their husbands go to work, can be trained to keep a vigil in their area. The police needs to tap into their infamous gossip channel and make use of it to curb it to curb crime.

I admit that the implementation of this programme involves a lot of deliberation, but it's not impossible to make this work. I am confident that if this programme is promoted in the proper way, which this government is pretty good with, it can have a major contribution in reduction of crime. Start another Swacch Bharat Abhiyan, this time to clean the country to petty crime.

Judiciary today is coming under criticism because the public feels that they are not beyond reproach. Home Ministry needs to make effort to ensure punishments for certain crimes that are multiplying - like harassment of women,

kidnapping of children and molestation - are effective, efficient and speedy. Punishments for these need to be time bound and exemplary. This doesn't mean we bring about Sharia law but when law is implemented with all honesty, then related crimes show a decline in the graph.

The police is large in number when compared to Judiciary, but the effort to change mindsets should start. I remember subordinate judiciary pronouncing death sentence for a bride burning case in Delhi a decade and a half ago. Prior to that, every day we were noticing bride burning cases on the front pages. After this, a few other judgments followed in Haryana and Rajasthan. Incidentally, after a month or so, after the issue got attention, the incidents went down and were not repeated with such frequency.

Similarly, if punishment for rape and abduction are meted out swiftly and deftly, it would impact the crime levels. On one hand, humanizing police force and on the other hand enacting stiffer laws for societal crimes could show palpable changes which perhaps would be echoed in this House before 2019.

***श्रीमती संतोष अहलावत (झुंझुनु):** मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी को एवं गृहमंत्री जी को कि 11 महीनों से सरकार ने ना केवल कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया है वरन् देश की सीमाओं को भी मजबूती से रक्षित किया है। पूर्ववर्ती सरकार ने जिस प्रकार देश की कानून व्यवस्था को छिन्न-भिन्न किया है, साथ-ही-साथ पड़ोसी देशों के होंसले भी बहुत बढ़ गए थे चाहे वह पाकिस्तान हो या चीन।

देश में आंतरिक सुरक्षा तथा शांति बहाल रहे, सीमाओं पर चौकसी व सुरक्षा का ढांचा मजबूत हो। हमारी पुलिस चौक-चौबंद हो, संवेदनशील हो तथा नागरिक सुरक्षा का जिम्मा बखूबी निभाएं। पुलिस तथा सेनाएं आधुनिक उपकरणों से लैस हो। नई गाड़ियां, नई तकनीक हो। अपडेट होते रहे।

धार्मिक सहिष्णुता का ध्यान रखा जाए। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब का सम्मान हो। मैं मेरे विपक्ष में बैठे लोगों से जानना चाहती हूँ कि कश्मीर समस्या के मूल में किसके विचार रहे हैं? आज वो 11 महीनों में सरकार से सवाल पूछते रहे हैं। वो शायद जल्दी भूलने के रोग से ग्रसित है।

मैं मेरे सहित समस्त भारत की महिलाओं की तरफ से प्रधानमंत्री जी व गृहमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगी कि महिलाओं पर अत्याचार पर जीरो टोलरेन्स रखा है। निर्भया फंड में पैसा देना, महिला हैल्प लाईन जारी करना इस दिशा में सराहनीय कदम है। उदहारण के लिए 'उबर' टैक्सी कांड को तुरंत सुलझा लिया गया। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना। महिला थानों को प्रभावी बनाना काफी प्रभावी कदम है।

समय-समय पर पुलिस तथा सेना में प्रशिक्षण, आधुनिकीकरण होना चाहिए। राज्यों को भी समय-समय पर आवश्यक सहायता व निर्देश देते रहना चाहिए। भारत की छवि एक सशक्त अखण्ड और सार्वभौमिक राष्ट्र की बने। इसका काफी दायित्व गृह विभाग का होता है।

अंत में, मैं कहना चाहूंगी कि मौजूदा केन्द्र सरकार देश की अखण्डता को अक्षुण्ण बनाए रखने हेतु काफी संवेदनशील है।

17.00 hrs.

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Sir, On behalf of my Party, I rise to oppose the Demands of Grants in respect of the Ministry of Home Affairs and support the Cut Motions moved by me.

Though law and order is a State subject, the Ministry of Home Affairs is one of the biggest Ministries of the Government of India and, to my mind, is the most important Ministry. It has got 18 Divisions, seven Forces like Assam Police, BSF, CISF, CRPF, ITBP, NSF and Sashastra Seema Bal. There are 27 organizations under this Ministry. As has been commented earlier during the discussion on the Demands of Grants in respect of the HRD Ministry, the Home Ministry has not received a budget cut; rather there has been a 16 per cent jump in their budgetary allocation, which is only proper. IB has got a jump. The Paramilitary Forces have got an average hike of 10 per cent. A sum of Rs.1,000 crore has been given to Nirbhaya Fund. For the relief of Jammu and Kashmir migrants, a sum of Rs.580 crore has been allotted. CRPF, ITBP and other Forces including CBI have all received a jump in their allocation.

I would like to mention one thing to the hon. Home Minister, Shri Rajnath ji, through you, Sir, to kindly look at the successes of the Government of West Bengal as compared to your failures on some counts. Later I will detail it to one of the major failures of the present Home Ministry, that is, on the Left Wing Extremist front. In April alone, there were four major incidents of Maoist attacks on our Security Forces. In one incident, seven BSF jawans were killed and a minesweeping vehicle was blown up by the extremists. Now, I would request you to compare this with the performance of the West Bengal Government. Without killing Maoists, the State Government has been able to wean away tribals from the fold of Maoists. Even after the death of Kishenji in an encounter, who was second-in-command to Ganpati, the Maoist leader, no sporadic Maoist violence took place. Three districts of West Bengal which were earlier affected by Maoist violence – West Midnapore, Bankura and Purulia – are today free. Why? There

have been developments. Roads, schools and hospitals are being built. We have also seen that tribals are being inducted into the Police Forces, NVF and also in other Government jobs.

I think, Shri Rajnath ji would do well to emulate the example of West Bengal in having a control on Maoists. At this point of time, I have no hesitation in saying that I am all for a soft approach. Maoists should surrender; they should give more rights to tribals but the present group of Maoists, who operate in Chhattisgarh, can only be met with the sternest possible measure. I feel that the Government is yet to take a decision. I do not believe in using the Army against our own people. But if Maoists think that they can overthrow the Indian State by violence, the Indian State must show that it can counter Maoist violence. There is no place in Indian democracy for people who believe in overthrow by force. These matters – the way earlier the Congress leaders were killed; before that, 76 CRPF personnel were butchered – cannot be dealt with lightly. I would urge the hon. Home Minister, Shri Rajnath ji to follow the ‘carrot and big stick’ approach. You must show results on the ground in controlling Maoists especially in Chhattisgarh District of Bijapur, Kanker, Dantewada, etc. How come they are able to blow up your mine sweeping vehicles? How come they have got barrel launchers and how are those arms smuggled into the Chhattisgarh area? This is a matter which concerns the Government of India; and it must show the determination and political will to counter this problem.

The other success of the West Bengal Government that I want to mention is achieving peace in Darjeeling. There was a violent movement in Darjeeling Hills demanding a separate State of Gorkhaland. We had a Tripartite Agreement, which gave Gorkhaland Territorial Administration to people in the Hills. Development is taking place in the Hills. There has been no demand for a separate State in Darjeeling for a long time. There has been no violent agitation, no *bandh*, no strike. This has been achieved due to the no-nonsense attitude of the Chief Minister. The Government should emulate this. When similar demands take place

in Bodoland; when similar demands take place somewhere in North Cachar and Mikir Hills or in other parts of the North-East, unfortunately, we are not able to do so. Only in December, one NDFB Group led by Songbijit, massacred poor tribals. The Government of India was not able to prevent the same. I think that is a major failure.

Talks with Naga Militants are going on in a house in Lodhi Estate for a long time, years together. You have not been able to achieve an agreement with the NSCN(IN). It is time that the Government draws a line and says that ‘by this time, we want to achieve one break-through in the negotiations with the Naga Militants, who are the biggest force, not yet in the Government’s fold.’

One of the major achievements of the last Government was surrender of Arabinda Rajkhowa, the President of the ULFA. There is a small section of the ULFA still in Bangladesh, Myanmar and all that. It would be good if they could be brought to the negotiation tables. But otherwise, the rest of the ULFA has to be tackled firmly again. The Government must replicate the success of the previous Government in countering the United Liberation Forces of Assam.

In J&K, there is no doubt that the situation has improved; elections have taken place; and a new Government has been formed, of which the BJP is a part. It is true that the statements by the Chief Minister of J&K, when he said that people across the border, the Hurriyat also helped in peaceful elections, was not welcome throughout the country. I do not mind a soft approach by the Chief Minister of J&K.

Sir, yesterday, on the plane in one of the channels, I saw a film ‘Haider’ first time. I do not appreciate the way Kashmiri young boys were tortured. It made me sick. I do not want repetition of that. But after all, as I always say that if people take to the gun, they will be met with the gun; red terror is met with white terror; and militant violence is met with State violence, but the State violence must be effective. It should not violate Human Rights.

I saw a statement by the young Minister of State for Home saying 'No withdrawal of AFSPA in Arunachal'. I do not know where there is a problem in Arunachal that you want to keep the Armed Forces Special Powers Act. There is a lot of reaction against that. But you suddenly gave a statement. I think the Government should take a decision on AFSPA whether unbridled powers to the security forces to kill militant should be there or not. In West Bengal, we are able to achieve peace without all these draconian powers. Why should you not do it? I read the report of the Home Ministry. The UPA Government had appointed a team of interlocutors headed by Dilip Padgaonkar. I think they really worked hard to produce a report. I would like the Government's reaction to the report of the interlocutors. What are the steps that have been taken in this matter? Islamic militancy is also a problem. Recently, the BJP politically created a lot of hullabaloo about Khagragarh incident that took place in West Bengal. They are trying to link that incident to the TMC being in power in West Bengal. Now, the NIA has submitted the charge-sheet. There is no connection with TMC and the failure to stop infiltration from Bangladesh is that of the Central Government. You say that you have fenced ninety per cent of the border. The Government was trying to link it with us. But it has been proved. People who are staying in India and trying to create violence in Bangladesh, they should be met with firmly. What is the Border Security Force doing?

Sir, if you go to a Border area in West Bengal, the main complaint about Border Security Force is that they take money for every herd of cattle which crosses from India into Bangladesh. We have not been able to control. If there are illegal immigrants or infiltrators, why is the Border Security Force there on which such huge expenditure is being incurred? The BSF has a budget of Rs. 12,517 crore. With all that money spent on them, they cannot stop infiltration. So, I would like the Home Minister to look into this.

One of the mandates of the Home Ministry as I noticed is to preserve and promote national integration and communal harmony. This seems to be under

some threat because of statements made by Members of Ruling Party and also because of unwarranted attacks on churches in various parts of India. The Home Minister must state firmly that such attacks would not be tolerated and such statements against the constitution of the country should not be tolerated. The Prime Minister has stated that he believes in one *Dharm Granth* that is the Constitution of India. Where is in the Constitution there a scope for attack on churches or on calling a particular community with bad names? The Home Ministry must go on a media overdrive to speak in favour of preserving communal harmony.

Sir, lastly, we have formed many organisations. The NIA is there, the NATGRID is there, the IB was also already there but I would like to know how much our intelligence has improved? How much inputs we are getting about anti-national elements? Is the IB doing the same as it was previously doing that is feeding political output? Such and such Opposition Parties are getting so. That is not the job of the IB. We should point out where threat or danger to the nation is.

Lastly, on women security, there was a Nirbhaya Fund which was first started during Mr. Chidambaram's tenure. This year, Rs. 1,000 crore have been given. But still we are reading about atrocities on young women, particularly in and around Delhi. What is the problem that incidents of violence on women are happening in Delhi, Mumbai and in other places? Why was the proposal of the Women and Child Development Minister, Shrimati Maneka Gandhi for setting up a Rape Crisis Centre in every district not accepted by the Home Ministry? This is a matter that needs to be looked into and we would like the Home Minister to specify what work has been done by the Department of Home Affairs in ensuring women's security against sexual molestation. ... (*Interruptions*)

Under Nirbhaya scheme, nothing was done for one year. Now they are saying that they will do something. Shrimati Maneka Gandhi's proposal was rejected by her own Government.

Lastly, the Union Territories are also under the Ministry of Home Affairs. Recently, one MP from Lakshadweep made us to sign a petition wanting a Legislative Assembly. That Member is here. Why should not there be a Legislative Assembly in Andaman and Lakshadweep? There is no point in not having a Legislative Assembly. I think Rajnath Singh Ji, who is a senior Minister, will take a bold step that we will have a Legislative Assembly everywhere.

I again say that the job of the Home Minister is not easy. It is to maintain peace in a country with large diversity, with a large number of neighbours and borders. We have also coastal problem. The 2008, 26/11 incident took place from the sea. Recently, on Gujarat coast, one boat was intercepted with huge amount of narcotics in it. I think it is time that the Government girds up and gets its act in order so that the country is a safer place for its citizens, the responsibility of which squarely lies on the shoulders of the Home Minister. Thank you, Sir.

SHRI BAIJAYANT JAY PANDA (KENDRAPARA): Sir, while rising to speak on the Demands for Grants of the Ministry of Home Affairs, I would like to put things in context. Over these last few days, as we have been discussing Ministry after Ministry, one point has kept coming up again and again is that in line with the principles of federalism, a lot of funds from the national exchequer are now being directly transferred to the States. As a result, many of the Centrally-sponsored schemes are getting reduced allocations and there has been lot of discussion about that.

I would like to take a moment on that and explain that when it comes to the federal concept of fiscal devolution, the late Shri Biju Patnaik was one of the pioneering national leaders who demanded that. Sir, 25 years ago he created a storm by using the phrase that time has come for States like Odisha to get fiscal independence. The Odisha Chief Minister, Shri Naveen Patnaik has also had a consistent track record of asking for this kind of devolution and the Prime Minister himself, when he was a Chief Minister and then even after taking office as Prime Minister, has espoused this cause.

When it comes to the Department of Home Affairs, this is, perhaps, one area where we need to recognize that the Home Ministry in the Central Government has a special responsibility which in many cases cannot be devolved to the States, although law and order remains a State's responsibility.

Let me put this in context. If we look at the funds allocated this year, whether you compare it with last year's Budget Estimate or last year's Revised Estimate, there has been a very significant increase and this is something that needs to be commended. But I will come to the point of allocation to States and various programmes where the Centre has a responsibility and it needs to continue to discharge its responsibility. If you look at the sums compared to the Budget Estimate of last year, 2014-15, there has been almost a 4.8 per cent increase which is an increase from Rs.74,884 crore upwards. Now, the Budget Estimate has gone

up from Rs.74,884 crore to Rs.78,470 crore. Similarly, if you look at the Revised Estimate of last year, which is Rs.70,358 crore, there has been a significantly higher increase of little more than 11.5 per cent this year. This is a very significant increase. But here comes up the issue about Central responsibility and States responsibility.

If you look at the discussion in the Standing Committee on Home Affairs, something very interesting comes up. The Home Ministry itself disagrees with some of the proposals made by the Finance Ministry that some programmes, which had so far been handled by the Central Government, will either be wound up or be devolved to States themselves.

The most interesting thing is that those of us, who are in the Standing Committee, have given a lot of support to this idea that the Central Government needs to continue to have responsibility for certain key areas where the national security is involved. I will come to the specific areas in a minute.

It is because of lack of time, Sir, I cannot speak comprehensively on the entire demands for grants. I would like to speak on three broad areas. The broad areas are left wing extremism, which affect a large part of our country, including States like mine; police modernisation and disaster management. These are the three broad areas I want to highlight.

If you look at left wing extremism, in 2014 alone, last year, we had 1090 incidents and 309 deaths caused by those, who call themselves Maoists. This is a very large number. It does show an improvement over the year before that. Compared to the previous year, that is, 2013, where the incidents were 1136 and deaths were 397, these have come down to 1090 incidents and 309 deaths. This, of course, is commendable that the trend is improving. But these figures are something to be worried about. If more than 1000 incidents continue to happen throughout the year in our country, this is something that we must all take very seriously.

Sir, four States which primarily get affected and get the brunt of the attacks are Odisha, Chhattisgarh, Jharkhand and Bihar. It is important to note that the Government's own target of tackling left wing extremism covers 10 States and 106 districts. It remains incumbent on the Central Government and it remains incumbent on the Home Ministry to tackle these core areas of problems not just with the security angle – it cannot be just with the stick alone – it has to be with development as well, which is one of the reasons that overall incidents are coming down. In Odisha also, we have experienced reduction in these incidents. It shows that development is happening; roads are being built; hospitals are being built; schools are being built; more tribal children are getting to stay in hostels and getting proper education for the first time – these are first generation learners. So, the carrot as well, the development angle also is working.

So far as security angle is concerned, there is a concern that unless the Central Government's Home Ministry remains with a nationwide focus on left wing extremism, we will continue to have this problem. We have very many schemes, for example, MGNREGA, Backward Region Grant Fund, National Rural Health Mission, etc. But this is precisely the crux of the issue that is being discussed that if in cooperative federalism you are transferring bulk funds to the States, States have their own priorities. For example, Kerala has a much higher indicator of primary education than Odisha. So, Odisha may prefer to put more of its funds at its disposal in primary education and Kerala may prefer to put more of the funds at its disposal into something else. This is where the Central responsibility comes in, particularly in 106 districts through 10 States and four States, which are more affected by left wing extremism and both the aspects of developmental expenditure and security action need to go hand in hand. This is where the Home Ministry's hands cannot be tied and need to be given a much freer hand.

To address the infrastructure deficiencies, the Government is working on the Integrated Action Plan (IAP) and the Additional Central Assistance (ACA) for

left wing affected areas. The State Governments are also availing some of these benefits but this needs to be coordinated in a much better way. One of the successes has been the Government's Comprehensive Surrender-cum-Rehabilitation Policies which have been implemented not only at the national level but also at the State level in cooperation with the States. Sir, you will see almost every week from States like Odisha and other four or five core affected States from Left Wing extremism, find regular instances of former extremists surrendering themselves and coming into the mainstream, which, I think, is one of the success stories.

Sir, I want to raise one particular aspect related to grant. There is a Security Related Expenditure Scheme where the Centre gives assistance to the States, particularly when there are casualties of security forces or even the civilians which are coming out from the Left Wing extremism and compensation has to be given and lot of expenditure is also there. The RE last year was Rs. 737.37 crore. This year it has gone up only to Rs. 840 crore. I would like to draw the attention of the hon. Minister and this House that this sum may not be enough because of the kind of compensation that is being given to the security personnel who are risking their lives. Only last week, we have had four incidents where the security personnel had been killed. This amount may not be sufficient for a nation-wide attack on Left Wing extremism and to compensate those of our citizens who are risking their lives. So, this amount needs to be increased.

The second major aspect I want to discuss is modernisation of police forces. The overall plan to modernise India's police from British Raj era structure has been going on since 1969-70. So, it has been 45 years that we have been talking about modernising the police and we have been taking some steps in bits and pieces. The time has come now for some very comprehensive action to be taken and this is where I would like to point out that although some good work is going on, we need to do a lot more.

The good work that is going on is the emphasis being put by the Home Ministry on improving police training, infrastructure, number of police stations, housing, upgrading of weaponry and communication, but I would like to draw the attention of the House to one major issue, what I feel is a shortcoming, that needs to be addressed. During 2014-15, eight of the Centrally sponsored schemes for police modernisation, for special infrastructure for Left Wing extremism, for counter-insurgency and anti-terror schools, for crime and criminal tracking network and systems and, most importantly, for national cyclone risk management, have all been merged into one scheme.

Sir, I have no problem with many schemes being merged into one scheme for streamlining, but the problem is that none of these schemes except Disaster Management for Cyclone, have been given any funding. So, it does not make sense that we streamline by merging eight schemes into one scheme, but we do not give them any money. When it comes to National Cyclone Risk Management Project, the projection was Rs. 783 crore and only Rs. 416 crore have been allocated. This too has not been found acceptable by those of us Members, who are from cyclone prone areas. Not only am I from Odisha, my constituency is Kendrapada which is at the tail-end of the Mahanadi basin. We get affected by cyclones and floods every other year, if not every year. Most of my colleagues from Odisha and the nearby States like Andhra Pradesh have the same experiences. At the very minimum, the Ministry's own estimate of Rs. 783 crore must be granted. In fact, there is a case for much more.

If you look at disaster management, the allocation of Rs. 919.29 crore in the current Budget against Rs. 576.28 crore of last year RE seems like a major increase, particularly because it will go to capital outlay, but the fact remains that the sum of Rs. 900 crore is nothing in the overall context of what we are seeing, even compared to what we have seen in the last two days affecting Bihar and Nepal.

The responsibility of the Home Ministry apart from funding is to coordinate. I want to give one example. When Jammu and Kashmir faced floods, some of us were approached to find whether Odisha could provide certain assistance. We can. Just like the Chief Minister has offered day before yesterday, and last year also, we have certain expertise as everybody knows that Odisha has done a good job in handling cyclones and floods, particularly water-based relief. Odisha has expertise of boats, lifeguards, which other States may not have. Instead of creating parallel facilities, Odisha can provide it. But the Central Government has to take a coordinating role. Different States can have different expertise depending on which is a mountainous area and which is a coastal area. ...
(Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: The next speaker is Shri Vinayak B. Raut.

... (Interruptions)

PROF. SAUGATA ROY : Sir, kindly allow him some more time. He is making good points.

HON. DEPUTY SPEAKER: Time is not there. We have to take another Demand tomorrow. What would happen to the other Demands for Grants?

... (Interruptions)

SHRI BAIJAYANT JAY PANDA: Sir, one last point regarding the Central Industrial Security Force (CISF). CISF is doing airport security. They are not trained for it, and we need a specially-trained force for it. Thank you, Sir.

***श्री जुगल किशोर (जम्मू) :** गृह मंत्रालय की अनुदान माँगों की चर्चा में भाग लेते हुए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ सुरक्षा का भाव पैदा करना हमारा कर्तव्य बन जाता है और खास तौर पर महिलाओं की सुरक्षा हमारे लिए चुनौती होती जा रही है मैं विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर की बात करूँ हमारे सुरक्षा बल अपने प्राणों की प्रवाह न करते हुए पाकिस्तान के साथ लगी सीमा पर तैनात रहते हैं। महोदय, धन्य है यह सैनिक जो पाकिस्तान के साथ भी लड़ते हैं और दूसरी ओर आतंकवादियों के साथ भी लड़ते हैं और शहीद भी हो जाते हैं। मेरा यह कहना है कि इनका जितना सम्मान हो कम है और इन का मनोबल बढ़ाने की जरूरत है। इनको समय पर छुट्टी भी मिले यह भी तय करना है।

मैं मांग करता हूँ कि जम्मू के साथ लगी सीमा पर रहने वाले भारतीय जो सीमा पर डटे रहते हैं और पाकिस्तान की गोलियों का सामना करते हैं, जख्मी होते हैं शहीद भी हो जाते हैं पर बार्डर से भागते नहा। जम्मू क्षेत्र में सीमा के गाँवों में एक विशेष भर्ती अभियान चलायें ताकि सीमा पर रहने वाले नौजवानों अर्ध सैनिक बलों में भर्ती हो जाये और रोजगार के लिये इन लोगों को पलायन न करना पड़े। महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जम्मू सीमा पर रहने वाले लोगों की जमीन सीमा पर लगी काँटेदार तार के उस पार है। ये किसान वहाँ पर फसल नहीं लगा सकते। खेद इस बात पर है कि इन लोगों को इस जमीन की कीमत भी नहीं मिली और न ही जमीन का मुआवजा मिला। इन लोगों को कीमत या मुआवजा जल्दी मिलना चाहिये। 2002 से ये लोग परेशान हैं

अर्धसैनिक बलों एवं पुलिस को आधुनिक हथियारों से युक्त (लैस) करना होगा ताकि देश एवं जवान दोनों सुरक्षित रहें।

***KUMARI SHOBHA KARANDLAJE (UDUPI CHIKMAGALUR):** India has coastline of 7516.60 km bordering the mainland and islands with Bay of Bengal in the East, Indian Ocean on the South and Arabian Sea on the West. There are nine States viz. Gujarat, Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Orissa and West Bengal and four UTs viz. Daman & Diu, Lakshadweep, Puducherry and Andaman & Nicobar islands situated on the coast. Tamil Nadu, Gujarat and Maharashtra have constituted State Maritime Boards (SMBs). Puducherry has constituted Maritime Security Committee and Daman & Diu has constituted Maritime Advisory Committee. Governments of Karnataka, Kerala, AP, Goa & UTs of A&N Islands and Lakshadweep have been advised by the Ministry to constitute SMBs at the earliest. I also urge the Ministry of Home Affairs to expedite examination of maritime Board Bills/Ordinance of the Government of Karnataka, Kerala, Andhra Pradesh, Goa so that the Boards can be established at the earliest.

The Karnataka Coastal Security Police covers three districts i.e. Dakshina Kannada, Udupi and Uttara Kannada districts. The coastline of Karnataka runs in to nearly 320 kms in length stretching from Talapadi in Dakshina Kannada district towards Kerala state, Majali in Uttara Kannada district towards Goa state covering territorial water upto to 5 NM in sea and 500 meters on shore. Coastal Security Police have 5 police stations in three districts of Karnataka. The Ministry has sanctioned under Phase-II, four Coastal Police stations for Karnataka. While land is in possession for 3 CPSs, land is being acquired for the 4th CPS. Further, construction work has started in respect of 1 CPS. I also suggest that an attractive incentive structure may be considered for recruiting personnel for Coastal Police Security.

Government of Karnataka has informed Ministry of Home Affairs that the State Government plans to recruit separate staff for Coastal Security policing and wish to train them adequately in sea-faring. The step taken by the Government of

* Speech was laid on the Table

Karnataka has to be appreciated and the Government should urge other State Governments/UTs to also raise dedicate cadres for marine policing as has been planned by the Government of Karnataka.

The Ministry had warned that armed cadres witnessed in Western Ghats and tri-junction of Tamil Nadu-Kerala-Karnataka pose a serious security threat to the three states. Necessary steps have to be taken to modernize Anti naxal Force (ANF) and equip it with better weaponry, in addition to heightened combing and patrolling. Police and paramilitary forces should be helped to refine strategies to take on this emergent threat. While the presence of naxalites is more in Coastal and **Malnad** Karnataka region, their activities is an area of concern and this is where coordination among forces helps. Regrouping of naxalites is a cause of concern, this can easily be controlled through a well-formulated action plan. Presence and movement of the armed naxal groups have been noticed on many occasions in Udupi, Chikmagalur, Shimoga, Kodagu and Mysore districts in Karnataka. The ministry should issue directions to police forces in Karnataka to maintain strict vigil along the tri-junction of Tamil Nadu-Kerala-Karnataka and suggest joint operations to maintain dominance of the administration in the area and thwart attempts to build hideouts or organization in this strategic area. The Government should provide adequate funds to naxal-affected talukas to build roads, bridges, schools and hospitals as part of development activity. I am of the opinion that the development of socio-economic infrastructure and services such as schools, Primary Health Centres, roads, bridges, etc. should go hand in hand with security operations in Left Wing Extremism affected areas. My considered view is that providing basic infrastructure and other facilities can help check growth of influence of left wing extremism in these areas.

Some NGOs functioning from the Western Ghats areas in Udupi and Dakshina Kannada districts say that the question of livelihood is one of the reasons behind youth in the tribal areas taking up naxalism. The tribals are being prevented from collecting Minor Forest Waste (MFW) and some farmers are also

being evicted from their small agricultural or horticultural pastures in the Kudremukh National Park (KNP) area. There is a demand from many tribal organisations and NGOs to either include the tribals as a biodiversity factor in the KNP or carve out the area without disturbing the tribal settlement. The KNP has an area of 66,000 hectares, covering five districts of Dakshina Kannada, Kodagu, Chikmagalur, Shimoga and Udupi. The possible solutions to this issue may be: implementation of Panchayati Raj - forest dwellers act will make the people of those areas stakeholders. Here differences can be made between industrialization and making the local people stakeholders. The industrialization process without the active participation of the local dwellers has increased the sense of deprivation and frustration among them over the years making them more susceptible to naxal ideology; Let us take stringent anti-corrupting laws so that there are no gaps in PDS and Developmental activities for women.

India has been enduring the scourge of drug trafficking for three decades. The country's proximity to two of the world's largest illicit opium growing areas as well as various external and internal factors have contributed to it becoming a transit, source and a destination for drugs. The trends and patterns of drug trafficking in the country demonstrates that there is a gradual shift from traditional/natural drugs towards synthetic drugs that are being trafficked and consumed in the country. Various studies and newspaper reports indicate that drug consumption and trafficking are in fact showing an increasing trend. For achieving greater success in preventing drug trafficking, a few suggestions are put forth:

- ❖ Special measures need to be formulated to check trafficking of drugs through the borders.
- ❖ Coordination among various agencies needs to be improved.
- ❖ Information/intelligence gathering regarding drug trafficking, its analysis and dissemination capabilities need to be strengthened.

- ❖ A database on production, trade and consumption of various drugs at the national level needs to be prepared to ascertain the extent of the problem.
- ❖ Various domestic laws enacted for the control of drug trafficking should be implemented stringently and severe punishments should be accorded to drug stockists.
- ❖ The government should provide viable alternatives to farmers in order to wean them away from illegally cultivating poppy and cannabis.

The Ministry should accord topmost priority to improve the capacity infrastructure of Central Para Military Forces (CPMFs) and upgrade the much necessary institutional mechanisms for further enhancing internal security of the country.

There should be at least four state-of-the-art Disaster Management training institutes in each side/ corner of the country, which is prone to many natural disasters, for training and research. The proposal to establish a separate training academy for NDRF should be approved soon and suitable course of action should be put on track for ensuring timely implementation of undertaken projects.

The importance of the Scheme of Modernisation of Police Forces is vital for modernizing police forces of the states. The availability of funds with states has been inadequate and such an important scheme cannot be left alone at the availability of funds of the State Governments as this Scheme involves security and strategy ramifications. States alone may not be able to deal with such vital scheme which aims at modernisation of weapons, equipments and creation of infrastructure required for ensuring internal security of the country. The budget allocation for the Scheme of Modernization of State Police Forces during the 12th Five Year Plan was to be Rs. 3750.87 crore and out of that, Rs.1951.39 crore has been spent so far and for this fiscal, the Ministry had proposed Rs.1980.00 crore.

A person in distress only comes to police station or contacts police personnel for help. In such a situation if police personnel at the police station do not behave like a protector of law and order, it causes further problem to the

person in distress. I also suggest that a training programme of long duration on ethical and moral values and people friendly attitude should be imparted to police personnel but also train them for developing good communication skills, behavior, attitude and responsibility with the general public.

***श्रीमती जयश्रीवेन पटेल (मेहसाणा):** गृह मंत्रालय की अनुपूरक माँगों पर मैं अपने विचार प्रकट करना चाहती हूँ।

संविधान के अनुच्छेद 355 में संघ का यह कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करें और प्रत्येक राज्य की सरकार का इस संविधानक उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करें।

गृह मंत्रालय के तहत केन्द्र-राज्य संबंध, आपदा प्रबंधन, संघ राज्यक्षेत्रों का प्रशासन, सीमा प्रबंधन महत्वपूर्ण कार्य है।

हाल ही में, नेपाल, बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल में जो भूकंप आया इसमें एनडीआरएफ के तहत त्वरित राहत के कदम उठाकर अत्यंत मानवीय अभिगम वाला कार्य गृह मंत्रालय ने किया है। ऐसा कार्य कश्मीर की दो बार की बाढ़ में भी किया गया था। यह सराहनीय है।

वर्ष 2014 के दौरान वर्ष 2013 की तुलना में 6.18 प्रतिशत अधिक आतंकवादियों का खातमा किया गया है तथा वर्ष 2014 में 2013 की तुलना में घुसपैठ में 24.54 प्रतिशत कमी आयी है। वह दर्शाता है कि आतंकवादियों की हर हरकत पर मोदी जी की निगाहें जमी हैं।

वर्ष 2013-14 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में सक्रिय विभिन्न उग्रवादी समूहों के 1605 कॉडरों ने हथियारों/शस्त्रों के साथ आत्म समर्पण कर दिया है। सरकार ने वामपंथी उग्रवाद के प्रभावित क्षेत्रों में सड़क आवश्यकता योजना का क्रियान्वयन करके वहां की जनता की संवा करने का बीड़ा उठाया है।

भारत की तट सीमा 7516.6 किमी लंबी है जो 9 राज्यों तथा 4 संघ शासित क्षेत्रों से होकर गुजरती है। तट पर आपराधिक तथा देशद्रोही तत्वों की सीमा पार से होने वाली किसी भी अवैध गतिविधि से तटीय रक्षा पर विशेष ध्यान देने के लिए तटीय राज्यों की सरकारों के साथ तटीय सुरक्षा योजना के चरण-II के क्रियान्वयन की सतत समीक्षा की जाती है। वह भी सराहनीय है।

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में महिलाओं के लाभ हेतु गृह मंत्रालय द्वारा पहल की गई है। सीआरपीएफ में पहली बार 17000 महिला सुरक्षा कर्मियों की भर्ती का जो बजटीय प्रावधान किया गया है वह भी महिला सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ता कदम है। मैं इसकी सराहना करती हूँ।

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए आधुनिकीकरण योजना-II के तहत मुख्य बिंदु जवान रहे और पुनः सर्वोत्तम संभव प्रशिक्षण और उपकरण प्राप्त हो, उसके लिए सरकार ने अच्छे उद्देश्यों के साथ जो कदम उठाए हैं वह सराहनीय है।

जेल सुधार के लिए भी गृह मंत्रालय का कार्य विजनरी है इसके लिए मैं गृह मंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए बजट में गृह मंत्रालय को 62,124.25 करोड़ रु0 आवंटित किए गए हैं जो पिछले वर्ष की तुलना में 5752.07 करोड़ रु0 अधिक है, जो आवंटन में 10.2 की प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है। वह दर्शाता है कि मोदी सरकार सुरक्षा के लिए कितनी जागरूक है।

इस बजट में महिलाओं की सुरक्षा, कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास और अतिरिक्त सुरक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए किया गया है।

निर्भया फंड के लिए 1 हजार करोड़ रु0 देने का फैसला सराहनीय है क्योंकि देश की अर्धआलम की सुरक्षा आंतरिक सुरक्षा का अहम मुद्दा है। जम्मू-कश्मीर के पंडितों के लिए राहत और पुनर्वास के लिए 580 करोड़ रु0 का आवंटन किया गया है और इस दिशा में क्रियान्वयन शुरू भी हो गया है। यह एनडीए सरकार की इच्छाशक्ति का अच्छा परिणाम है।

विश्व के विशालतम अर्द्धसैनिक बल सीआरपीएफ जिन्हें अक्सर नक्सलियों के साथ लोहा लेना पड़ता है- नक्सली विरोधी अभियान सहित आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी के लिए उनको हमेशा ड्यूटी के लिए तैनात रहना पड़ता है। उनको 14089.38 करोड़ रु0 आवंटित किए गए हैं। उनके लिए भी मैं मोदी सरकार की आंतरिक सुरक्षा के तहत की गई चिंता के लिए धन्यवाद देती हूँ।

वैसे ही जवान भारत-पाक और भारत-बांग्ला देश सीमा सुरक्षा करने के लिए हर रोज तैनात रहते हैं उनके लिए 12517.82 करोड़ रु0 आवंटित किए गए हैं। वह भी सुरक्षा के तहत एक उचित कदम है।

भारत-चीन सीमा सुरक्षा के लिए 24 घंटे तैनात आईटीबीपी को 3404.93 करोड़ रु0 का आवंटन किया गया है। वह भी भारत-चीन सीमा विवाद के तहत अत्यंत सराहनीय कदम है।

देश के ज्यादातर हवाई अड्डों, औद्योगिक आधारभूत ढांचों, परमाणु केन्द्रों, दिल्ली मेट्रो के अलावा कई अन्य की सुरक्षा के लिए तैनात किए जाने वाले सीआरपीएफ के लिए 5196.65 करोड़ रु0 का आवंटन किया गया है। वह एनडीए की सीमा सुरक्षा की चिंता को दर्शाता है।

मोदी सरकार महिला सुरक्षा से कोई भी समझौता नहीं करना चाहती। सरकार उनकी संरक्षा और सुरक्षा के लिए वचनबद्ध है। मोदी सरकार ने अपने पिछले बजट में निर्भया कोष को दरिदगी की शिकार महिलाओं को तत्काल इलाज सुनिश्चित कराने के लिए इस्तेमाल किए जाने की घोषणा की थी। इसमें - निर्भया कोष में 1 हजार करोड़ रु0 और दिए गए हैं। रेल मंत्री जी ने भी महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डिब्बों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की घोषणा की है।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सुरक्षा के तहत दिल्ली पुलिस अत्याधुनिक हथियार खरीदने के लिए 11.70 करोड़ ₹0 देने का प्रावधान किया गया है। वह भी सराहनीय है।

गृह मंत्रालय की अनुपूरक माँगों के अंतर्गत गुजरात की ओर से मेरी कुछ माँगें हैं, कृपया इन पर गौर किया जाए। गुजरात सरकार की ओर से एयरपोर्ट पर यात्रियों की इमिग्रेशन/एमिग्रेशन की कार्यवाही गुजरात के 8 मरीन पुलिस स्टेशन को शुरू करने की सूचना केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने दी है। इसके तहत मरीन इमिग्रेशन चेकपोस्ट गुजरात में निर्माण की जाए।

गुजरात की समुद्री सीमा 1640 किमी है और वह पाकिस्तान की सीमा के साथ जुड़ी हुई है। इसके तहत सुरक्षा की दृष्टि से उनका महत्व अधिक है क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान के ड्रग्स माफिया की ओर से गुजरात के पश्चिमी समुद्र में 600 करोड़ का हेरोइन-ड्रग्स पकड़ा गया है। राज्य की समुद्री पट्टी पर सूरत जिले में 9, भरुच 4, भावनगर 3, अम्बरेली 5, जूनागढ़ 6, पोरबंदर 1, जामनगर 8, कच्छ भुज 5 और सबसे बड़ा बंदरगाह कांडला के साथ कुल 43 छोटे बड़े बंदरगाह हैं। इसलिए गुजरात को बंदरगाहों का राज्य कहा जाता है। कांडला के सिवा सभी बंदरगाहों की सुरक्षा गुजरात मैरीन टाइम के तहत निजी सुरक्षा दलों द्वारा की जाती है। ऐसे बंदरगाहों पर कायमी तौर पर हथियारधारी गार्ड, वॉच टावर, फ्लड लाइट और वाकी-टाकी सेट के साथ सुरक्षा जवानों की जरूरत रहती है और बार-बार पुलिस पेट्रोलिंग भी करवानी पड़ती है।

मुंबई के आतंकवादी घटनाओं में पाकिस्तान के आतंकवादी पोरबंदर के ही समुद्री रास्ते से निकले थे और गुजरात-भारत की समुद्री सीमा अरबी समुद्र से भी जुड़ी हुई है और उनकी समुद्री सीमा पाकिस्तान से भी जुड़ी हुई है। पाकिस्तान के पश्चिमी बंदरगाह ग्वादर जो चीन को दिया गया है उस वजह से भी आंतरिक और बाह्य देश की सुरक्षा के लिए छोटे-बड़े बंदरगाहों की कड़ी सुरक्षा करना अनिवार्य है। इसके लिए केन्द्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा उचित बजट आवंटन के प्रावधान किए जाएं।

भारत-पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय जल सीमा के नजदीक जो मछुआरे मच्छी पकड़ते हैं उन भारतीय मछुआरों का पाकिस्तान की मरीन सिक्यूरिटी एजेंसी द्वारा अपहरण किया जाता है और मछुआरों पर गोलीबारी की जाती है और बोटें भी जब्त करके ले जाते हैं और उन बोटों का और मछुआरों का ब्रेनवाश करके भारत विरोधी आतंकवादी प्रवृत्ति में उपयोग किया जाता है। भारतीय मछुआरों की जागरूकता के लिए गुजरात सरकार ने जो अभियान चलाया है और 21 हजार मछुआरों को जागृत किया है। उनकी तालीम का खर्चा, खाने-पीने के खर्चे के लिए केन्द्रीय गृह मंत्रालय गुजरात को शत प्रतिशत धनराशि मुहैया करवाये।

गुजरात राज्य की पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई सीमा पर बार्डर फेंसिंग का कार्य पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार फ्लड लाइट, जनरेटर सेट और बाकी का 77 किमी का बार्डर फेंसिंग का कार्य पूरा करने के लिए और उसकी मरम्मत करने के लिए उचित धन मुहैया करवाये।

कोस्टल सिक्युरिटी स्कीम के तहत कोस्टल सिक्युरिटी फेज-2 जो शुरू किया गया है, गुजरात सरकार द्वारा इसमें राज्य में 5 जेटी बनाने के लिए 50 लाख का खर्चा कम पड़ता है। इसमें 5 करोड़ रुपए तक खर्च होता है तो केन्द्र सरकार द्वारा इसमें सहायता राशि बढ़ाई जाए।

गृह मंत्रालय की सक्रियता देश में कानून, शांति, सलामती, संरक्षा की धरोहर है। जिसके कारण देश में निवेश बढ़ता है और निवेश बढ़ने से रोजगार बढ़ता है। रोजगार बढ़ने से गरीबी दूर होती है और गरीबी दूर होने से विकास गति पकड़ता है। मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि यह सब मोदी सरकार ने कर दिखाया है।

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्रालय के अनुदानों की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इस देश के 125 करोड़ आबादी की रक्षा करने की जिम्मेदारी सम्माननीय श्री राजनाथ सिंह जी ने स्वीकार की है। मुझे गर्व है, पूरे हिन्दुस्तान को संरक्षित करने और उसे आधार देने का काम गृह मंत्री जी के माध्यम से पूरे हिन्दुस्तान में हो रहा है।

गृह मंत्रालय की जो भी मांगें हैं, उसकी कार्य-कक्षा निश्चित हो चुकी है। वर्ष 1961 के कानून के अंतर्गत गृह मंत्रालय की जो भी कार्य-कक्षा है, उसके लिए जो भी बजट में प्रोविज़न किया गया है, उसका पूरा इस्तेमाल करके इस देश के सुरक्षा बलों और अन्य राज्यों के पुलिस बलों की सुरक्षा के बारे में देश के गृह मंत्री जी को सुनना चाहिए ऐसा मैं आपके माध्यम से उनसे विनती करता हूँ।

गृह मंत्री जी के सामने सबसे बड़ी कठिनाई देश की आंतरिक सुरक्षा है। आज देश की आंतरिक सुरक्षा की परिस्थिति गंभीर है। खासकर बंगलादेश से आने वाले जितने भी घुसपैठिए हैं, आज उनको रोकने के लिए जिस तरीके से कानून का इस्तेमाल होना चाहिए, वह दुर्भाग्य से नहीं हो रहा है। इसके पहले जैसा कि सम्माननीय श्री हुकुम सिंह जी ने कहा, उस बात को मैं फिर दोहराना चाहता हूँ। एक बाजू में बंगलादेश और दूसरे बाजू में पाकिस्तान तथा तीसरे बाजू में चीन है। इसी प्रकार से हिन्दुस्तान के चारों ओर से आने वाले जो घुसपैठिए हैं, उनकी तरफ गंभीरता से ध्यान देना चाहिए और पिछले कई वर्षों से महाराष्ट्र के, खासकर मुम्बई के बाजू में, जैसे भयंदर है, एक नवी मुम्बई है, इसके कई क्षेत्रों में लाखों की संख्या में बंगलादेशी घुसपैठिए घुसे हैं और उनके कारण वहाँ सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हुआ है और भी कई बातें मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ।

आज महाराष्ट्र में काम करने वालों में बंगलादेशी वर्कर्स में, बंगलादेशी चाइल्ड लेबर्स की संख्या ज्यादा है। उनको रोकने के लिए सही तरीके से काम नहीं हो रहा है। मुझे भरोसा है कि इस देश के गृह मंत्री जैसे जम्मू-कश्मीर के बारे में देख रहे हैं, वहाँ के विकास के लिए इस बजट में 36 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जम्मू-कश्मीर का सुधार करते वक्त, उसका पुनर्वासन करते वक्त, जो वहाँ के पंडित थे, उनकी घर वापसी का एलान केन्द्र सरकार के माध्यम से हुआ है, लेकिन सिर्फ कश्मीरी पंडितों को वहाँ घर बनाकर देने से उनका पुनर्वासन नहीं होने वाला है। कश्मीरी पंडितों की जो जमीनें थीं, जिन लोगों ने कश्मीरी पंडितों का घर-बार लूटा है, वे लुटेरे हैं, उनसे कश्मीरी पंडितों की प्रॉपर्टी को सरकार वापस ले और उनका पुनर्वासन सरकार सही तरीके से करे, यह मेरी प्रार्थना है।

मुझे भरोसा है कि जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी और केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह जी ने जिस तरीके से इस देश में रहकर पाकिस्तान जिन्दाबाद का एलान करने वाले मसरत को 24 घण्टे के अंदर पकड़कर जेल की हवा खाने के लिए भेजा, वैसे ही कश्मीर में लगी हुई अनुच्छेद 370 हटाइए और कश्मीर से कन्या कुमारी तक पूरे हिन्दुस्तान को एक करें, समान नागरिक संहिता का अमल करें और अगर हिन्दुस्तान में रहना है तो वन्दे मातरम कहना ही होगा, यह बात उनको कड़ी भाषा में आप समझाइए। हिन्दुस्तान की सुरक्षा से मजबूत होगी और गर्व है हमें कि आप जैसे गृहमंत्री यह कर सकते हैं। आज हिन्दुस्तान में रहने के बाद भी समस्या निर्माण करने वाले लोग कई जातियों में, कई धर्मों में भड़काऊ भाषण करने वाले हिन्दुस्तान में आज भी हैं। राजनीतिक फायदा उठाने के लिए वे ऐसे काम करते हैं, दुर्भाग्य से उन पर कार्रवाई नहीं हुई है। मेरी विनती है कि उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए।

मादक पदार्थों की संख्या बहुत बढ़ चुकी है। हमारे यहां खासकर इंटर-स्टेट ड्रग्स की सप्लाई में दुर्भाग्य से महाराष्ट्र और मुंबई की पुलिस इनवाल्ड है। दो दिन पहले जब एक ड्रग माफिया औरत को पकड़ा गया तो मालूम हुआ कि उसमें महाराष्ट्र और मुंबई के दस पुलिस वाले उसका साथ देते थे। कोलाबा के मरीन ड्राइव की एक पुलिस चौकी में जब रेड डाली गयी तो पुलिस सब-इंसपेक्टर के लॉकर में कम से कम 100 किलोग्राम अफीम और गांजा मिला। कहीं-कहीं पुलिस बलों की जो ऐसी स्थिति हो रही है, पुलिस का इनवाल्वमेंट तस्करी में हो रहा है, उसके पीछे क्या कारण हैं, उन पर सोचना चाहिए। आज पुलिस बल की स्थिति सही नहीं है, उन पर प्रेशर है, छुट्टी नहीं मिलती है, उनके ड्यूटी ऑवर्स सही नहीं हैं, ड्यूटी का प्रेशर ज्यादा रहता है और उनके निवास स्थान सही नहीं हैं। आप कहीं भी देखें, पूरे देश में पुलिस क्वार्टर्स की हालत दयनीय है। पुलिस बलों का वर्किंग ऑवर्स भी केन्द्र सरकार के माध्यम से निश्चित होना चाहिए, उनको भी बाकी फेसिलिटीज मिलनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, तटवर्ती रेखा का एक बहुत गंभीर प्रश्न निर्माण हो चुका है। हिन्दुस्तान में कई मील दूर तक तटवर्ती सीमा रेखा है, सिर्फ महाराष्ट्र में कम से कम 720 किलोमीटर लम्बी तटवर्ती सीमा रेखा है, लेकिन आज तटवर्ती मार्ग से तस्करी करने वालों की संख्या बढ़ी है। आज इस पर निगरानी रखने के लिए जिस तरीके से नौकाएं होनी चाहिए, कंट्रोलिंग के लिए अन्य प्रबंध होने चाहिए, वे प्रावधान केन्द्र शासन द्वारा किए जाने चाहिए। ... (व्यवधान) मैं आपसे कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की जेल्स आज गुनाहगारों के घर बन चुके हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने नागपुर की एक जेल में जब विजिट की तो वहां पर आरोपियों के पास कम से कम 50 मोबाइल फोन और 100 सिम कार्ड मिले। ऐसी असुरक्षित जेल्स को सुरक्षित बनाया जाए। ... (व्यवधान)

***श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा):** माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर जो माननीय गृह मंत्री जी ने इस बार बजट में पिछले वर्ष की तुलना में 10.2 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की है, उससे देश की सुरक्षा मजबूत होगी और हमें चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलेगी। इसमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष ध्यान दिया गया है और निर्भया फण्ड के लिए एक हजार करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। इससे महिलाओं की सुरक्षा में कारगर कदम उठाया जा सकेगा। कश्मीरी विस्थापितों के लिए 580 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर, उनके पुनर्वासन की योजना बनाने का विशेष प्रबंध किया गया है। इससे उनकी घर वापसी आसान होगी।

मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि इस समय जम्मू कश्मीर में जो अलगाववादी ताकतें फिर से सक्रिय हुई हैं, उनको कड़ाई से रोकना होगा, जिससे वे घाटी के अमन चैन को फिर से न बिगाड़ सकें। कश्मीरी पंडितों की वापसी शीघ्र सुनिश्चित कर उन्हें शीघ्र सुरक्षित स्थानों पर बसाने की योजना को शीघ्र क्रियान्वित करना चाहिए और ऐसी पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे कि उनको फिर से अपनी मातृभूमि को न छोड़ना पड़े। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित दस राज्य हैं, जिसमें से छत्तीसगढ़ प्रांत की हालत इधर काफी चिंताजनक है। वहाँ पर उग्रवादियों की गतिविधियों को रोकने की योजना बनाकर पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए। मेरे संसदीय क्षेत्र के चित्रकूट जनपद में भी मिर्जापुर जनपद से वामपंथी उग्रवादी आकर जंगलों में कब्जा कर रहे हैं और वनवासियों तथा आदिवासियों को धमका कर उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। वहाँ भी उग्रवाद प्रभावी क्षेत्र मान कर सुरक्षा की एवं उनकी गतिविधियों को रोकने की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। किसी भी गंभीर मामले में सीबीआई इंक्वायरी कराने का केन्द्र को सीधे अधिकार होना चाहिए। अभी यह देखने में आता है कि देश की संघीय ढांचे की आड़ में राज्यों में हो रहे गंभीर मामलों में भी सीबीआई इंक्वायरी बिना राज्यों के मांग के नहीं हो सकती है, जिससे तमाम गंभीर अपराधों का खुलासा नहीं हो पाता है। अतः ऐसे नियमों में बदलाव किया जाना चाहिए, जिससे केन्द्र सरकार ऐसे गंभीर मामलों पर तुरंत निर्णय लेकर सीबीआई इंक्वायरी करवा सके।

पुलिस बल की नियुक्ति का अधिकार राज्य की सूची में आता है। लेकिन विशेष कर हमारे उत्तर प्रदेश में यह देखने में आ रहा है कि राज्य सरकार मनमाने तरीके से पुलिस में नियुक्तियां कर रही है और केवल एक या दो जातियों के लोग अधिकतर पदों में, कहीं-कहीं तो 75 प्रतिशत तक एक ही जाति के लोग बैठे हैं। इसमें गृह मंत्रालय को ऐसा निर्देश राज्यों को देना चाहिए, जिसमें समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व पुलिस बल में दिखाई पड़े और कोई विशेष परिस्थिति आने पर भी कानून-व्यवस्था प्रभावित न हो। पुलिस बल का राजनीतिकरण भी राज्यों द्वारा किया जाना, विशेषकर उत्तर प्रदेश में चिंताजनक है।

* Speech was laid on the Table.

इसलिए ऐसी कारगर व्यवस्था बनाई जानी चाहिए, जिससे राज्य पुलिस बल का अपने हित में राजनीतिक दुरुपयोग न कर सके। देश में समान रूप से सभी को सुरक्षित रहने की सुविधा मिल सके। होमगार्डों का उपयोग ठीक से प्रांतों में नहीं हो पा रहा है। उसके लिए बजट बढ़ाकर उनको और प्रशिक्षित कर, उनके ड्यूटी के दिनों को बढ़ाना चाहिए। मेरे संसदीय क्षेत्र में पर्याप्त भूमि उपलब्ध है। अस्तु वहाँ पर केन्द्रीय सुरक्षा बलों के प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का मैं इस बजट में प्रावधान करने की माननीय गृह मंत्री जी से माँग करता हूँ।

***श्री गणेश सिंह (सतना) :** मैं वर्ष 2015-16 के लिए गृह मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर अपने विचार रख रहा हूँ। केंद्रीय बजट में गृह मंत्रालय को पिछली बार की तुलना में 56372.45 करोड़ की जगह 62124.54 करोड़ का आवंटन दिया गया है, जो 10.2 प्रतिशत की वृद्धि है।

यह आवंटन महिलाओं की सुरक्षा, कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास और अतिरिक्त सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के लिए दिया गया है। अकेले निर्भया फंड के लिए 100 करोड़ रुपये दिए गए हैं। सीआरपीएफ, जो सबसे बड़ा जोखिम का काम करती है, उसके लिए 14089.38 करोड़ रुपये का आवंटन दिया गया है। बीएसएफ को 12517.82 करोड़ रुपये दिए गए हैं। आईटीबीपी के लिए 32376.44 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इन तीनों को विगत वर्ष की तुलना में अधिक आवंटन दिया गया है। इसी तरह सीआईएसएफ को 5196.65 करोड़ रुपये दे कर हवाई अड्डों, परमाणु केंद्रों, दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा करने हेतु दिए गए हैं।

गृह मंत्रालय का जो उत्तरदायित्व है, उसमें प्रमुख रूप से देश की आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखना, केंद्र एवं राज्यों के बीच सौहार्दपूर्ण बनाए रखना, राष्ट्रीय एकता एवं संप्रभुता, सद्भाव बनाए रखना, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का गठन एवं तैनाती, राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण, मावधिकारों की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और तटवर्ती सीमा का प्रभावी रूप से प्रबंधन, आपदाओं से पैदा होने वाली कठिनाइयों को कम करना तथा राहत प्रदरान करना, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के कल्याण के लिए कार्य करना, जनगणना करना, मादक पदार्थों के अवैध व्यापार एवं दुरुपयोग की रोकथाम, आईपीसी के लिए नियमों का निर्माण जैसे चुनौतीपूर्ण कार्य हैं।

आज देश की सीमा में विदेशी घुसपैठ, आतंकवादी हमले, नक्सलवाद, कश्मीर घाटी में पाकिस्तान की घुसपैठ अत्यंत चिंता का विषय है। असम से बांग्लादेशी घुसपैठियों की बड़ी संख्या, देश के विभिन्न राज्यों में हो रही है। उनकी पहचान होनी चाहिए और देश से बाहर किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में बढ़ा हुआ नक्सवाद लगातार खून की होली खेल रहा है। इसके कारगर उपाय ढूंढने की जरूरत है। राज्यों की पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए पर्याप्त मदद की जरूरत है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में पुलिस को अत्यधिक सहायता की जरूरत है। विशेष रूप से जो क्षेत्र डकैत प्रभावित हैं। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, वह क्षेत्र जंगली क्षेत्र है और कई थाना क्षेत्र एडी घोषित हैं। लंबे समय से जिला सतना में किसी अर्ध-सैनिक बल का प्रशिक्षण क्षेत्र खोलने की मांग है, जिसके लिए जमीन राज्य सरकार उपलब्ध कराने को तैयार है।

मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन में नए थाना क्षेत्र, विशेष पुलिस बल के आधुनिकीकरण तथा संख्या बल बढ़ाने हेतु प्रस्ताव भेजे हैं, उनको वित्तीय सहायता दी जाए।

प्राकृतिक आपदाएं प्रदेश में लगातार आने से किसान अत्यंत दुखी है। अभी हाल ही में ओला तथा तेज बारिश से फसलों का भारी नुकसान हुआ है। केंद्रीय अध्ययन दल ने खुद जा कर देखा है। माननीय गृह मंत्री जी आपने भी ग्वालियर में जाकर किसानों की तबाही देखी है। लेकिन अभी तक सहायता राशि नहीं पहुंची है।

मध्य प्रदेश में बड़ी तेज गति से औद्योगिकीकरण हो रहा है। जिसमें पुलिस बल की जरूरत है। अतः सीआईएसएफ की एक बटालियन विशेष रूप से मेरे लोक सभा क्षेत्र सतना के लिए देने की मांग है।

मैं मंत्री जी से यह भी आग्रह करता हूँ कि जो गृह मंत्रालय के अधीन पुलिस फोर्स है, सिपाहियों की अपनी कुछ निजी परेशानियों के बारे में समय-समय पर जानकारी आती रहती है। जब समाधान नहीं होता तो उनके मन में हताशा आती है। उनकी लीगल समस्याओं के समाधान हेतु किसी कानूनी फोरम का का गठन किया जाना अत्यंत आवश्यकत है।

फिल्हाल देश में 88 जिलों की 31,400 ग्राम पंचायतें नक्सल प्रभावित हैं। झारखंड में 17 जिले, उड़ीसा में 18 जिले, छत्तीसगढ़ में 14 जिले, विदर्भ में 11 जिले, मध्य प्रदेश में 11 जिले पश्चिम बंगाल में 3 जिले, तेलंगाना में 4 जिले तथा उत्तर प्रदेश में 3 जिले प्रभावित हैं।

इन जिलों की समस्याओं का समाधान करने के लिए राज्यों के साथ साझा अभियान चला कर मूल कारणों की खोज कर उसका समाधान ढूंढने की जरूरत है।

अंत में मैं अनुदानों की मांग का समर्थन करता हूँ।

***SHRI T.G. VENKATESH BABU (CHENNAI NORTH):** India's internal security is threatened by the external forces also. Terrorism and insurgency are thrust on India from the foreign soils. India is sitting at the epicenter of South Asia, which is the 2nd most volatile region in the world after West Asia. The international security agencies put India on high risk category. According to the latest US report, transnational terrorist groups are targeting India. Hence if effective steps are not taken against these threats from internal and external forces, India as a country may get degraded.

As the former PM, Mr. Manmohan Singh has rightly pointed out, India's greatest internal security threat is left wing extremism. Apart from that jihadi terrorism, drug trafficking, illegal migration, supply of fake currencies, human trafficking, proliferation of small arms, cyber war fares, narcotics and drugs smuggling are the other threats.

Unlike the other threats the left wing extremism is ideology oriented. It has its roots in the pathetic conditions of the Adhivasis whom the governments has repeatedly neglected and deprived them off. The most blatant and unmindful loot of their forest lands by the greedy private corporate sector, in collusion with the governments and the officials has totally alienated them. The worst scenario of resettlement and rehabilitation of the displaced Adivasis have converted the forests as breeding ground of left extremism. This Govt. has to reach out to the Adivasis and mitigate their problems expeditiously. Left extremism is a failed ideology but it can't be tackled as a mere law and order problem.

15 million Bangladeshis are staying in our country illegally in the north eastern states bordering Bangladesh, leading to demographic upheavals in the states of Assam, Tripura etc. In the lower Assam, the locals have become minorities and the infiltrated Bangladesh Muslims have become majorities. So, it is feared that the lower Assam may opt for either an independent state or merger with Bangladesh. The infiltration by the Bangladeshi migrants, leads to unrest and

* Speech was laid on the Table

resultant militancy among the local people. These immigrants are potential threat to our internal security, since some of them harbor cross border terrorism sponsored by ISI.

Cyber war fare is the next generation threat. Year by year, it is being multiplied. If not nipped in the bud, it may reach dangerous proportions.

Jihadi Terrorism planned and executed by ISI, the intelligent agency of Pakistan is a cross border terrorism in which trained militants from Pakistan are infiltrated into India to carryout lethal terrorist activities. Recently ISI used the Indian born terrorist groups, like the Indian Muhajideens, Al-umma, Student Islamic Movement of India (SIMI) to carry out terrorist activities in India. The funds for the terrorists are derived from the fake currency which is estimated to be Rs. 16,000 crores in India.

Human trafficking is another worrisome feature. An estimated 2.5million people are trafficked every year from India, among whom 1.2 million are children. India serves as a transitional point also for human trafficking. Another menacing problem is arms trade. Round about 600 million small arms are traded every year around the world, through which around 3 lakh people die annually. This arm trade is facilitating the terrorists. The most worrying factor is that India has to guard 7516 Km coastline, the longest in the world. Our capacity build up is far too smaller to tackle this enormous problem.

In the event of internal security increasingly becoming out of control, the successive central governments instead of strengthening the states to meet this huge challenge, are more and more resorting to overpower the states. There is an attempt to modify the 7th schedule of the Constitution of India to include internal security either under central list (List - I) or under concurrent list (List-II) to enable a clear cut role for the Center to act. This overriding power mooted for the Centre will erode into the states' rights which will go against the spirit of federalism.

There are repeated attempts by the previous Central Govt. under Congress to bring in several legislations in which the central forces are empowered to exercise their power in dealing with terrorists and insurgency, without the consent of the respective state governments on the plea that it is not a mere law & order problem. The present law provides on its own. Even in such situations, the central forces have to act under the command of the states only. Since states are placed in close proximity to the problem, they have got greater role in tackling those problems also.

It should be never forgotten by anybody that the India is ruled by the states. That is the reason why the Indian Constitution defines India as a Union of States. The state police forces have to be reinforced and strengthened by the center to effectively face the threats.

The deployment of armed and paramilitary forces in the areas of conflicts in states for a longer period cause heart burns and the central forces are getting more and more alienated from the local people. The prolonged presence of army will have always excesses. That too, when special powers are given to them, they can easily breach the travesty of law and justice. Any extra powers given over and above what the situation demands will constitute extra-constitutional powers when citizens' rights will be trampled upon.

On the plea of containing communalism and terrorism, the central Govts. are striving hard to erode the states' powers which will neither help to achieve the desired objective nor entertain federalism, which bonds the unity of this country. BJP under Mr. Modi is repeatedly airing views in favour of federalism. Let them act on it to prove their credibility. After all the taste of the budding is in its eating.

Finally the main problem of our criminal justice system is huge backlog of cases, resulting in enormous delays. As a result, the under trials have to be kept in prison for years together, which results in overcrowding of the already saturated jails. The under trials constitute 24.2% of the total inmates.

All these problems addressed above are spoken and written for several times before. The point is, when these outstanding problems will be addressed to?

The status of our external security is an extension of our internal security regime. Our strategic partnership with our major neighbouring countries is not that smooth. Our relationship with Pakistan is still worsened, thanks to the intransigent stand of Pakistan vis-à-vis Jammu & Kashmir. India Govts. have been extending enormous concessions to Kashmir, by giving the elected Govt. special powers under Article 370 and dumping huge funds to the State's growth and sustainability and expending huge loss to deploy forces there to meet out the insurgency and cross border terrorism. Still we cannot win over the people of Kashmir. Today, Pakistan has become an epicenter of terrorism and bastion of the worst form of communalism. The army and the ISI are the ultimate arbitrators sitting over the elected Govts., in deciding the relationship with India. They are harbouring criminals, training terrorists and fostering terrorist attacks on India regularly at frequent intervals. They don't cooperate with India in prosecuting the terrorists leaders operating in their soil against whose culpability there are enough records with us. Still Pakistan finds favours with US and China.

After the debacle of Soviet Union in 1991, India's foreign policy had a nosedive. Along with that, India's economic policy has also become subservient to US. As a corollary, we have almost become strategic partners of US imperialism. We are circumvent to the continuing efforts of US to retain its hegemonic role through its control over the financial and banking systems, the dollar as the reserve currency and key technology.

India's foreign policy had a definite shift and lenience towards US on the eve of the visit of Obama to India. The renewal of India US Defense Framework Agreement for another 10 years from January 2015 and the Joint Vision statement of Asia-pacific and Indian Ocean are enough proofs that India has aligned with US pivot to Asia to contain China.

India has gone to the extent of endorsing the US position on South China Sea, which is relatively calm barring some territorial disputes, which have no relevance to us. The quadrilateral defense agreement between US, India, Japan and Australia is aimed at militarizing the Asia Pacific, East and South Asia and fostering enmity in the region which will aggressively boost our military budget, offsetting the NDA Govt's focus on growth and development.

We should understand that challenging China militarily in this hemisphere, at the behest of US, is wrought with dangers. China is far ahead in defense preparedness. So provoking China is not in our interest. ASEAN countries are wise enough not to confront China but to share the economic growth of the region with China.

US has deployed 60% of its nuclear arms and high tech. navy in the Asia Pacific region it is intensifying the low profile conflicts in this region into major confrontations, leading to wars and is striving hard to militarize this otherwise peaceful region. It seeks the cooperation of India to stop Chinese entry into the Indian Ocean. The demilitarized Japan after the 2nd world war at the command of US for its misadventures in that war had a potential growth factor. Now US has instigated Japan to be militarized to challenge China.

US can never be our natural ally. Right from the cold war period, US has been inimical to us. It has been all along adopting a double standard by which on one hand, it professes anti-terrorism as the main plank of its global strategy but on the other hand supporting and aiding Pakistan which sponsors terrorism against India.

China is no better but its relationship with Pakistan is mainly aimed at its expansion. It is linking various countries across at the interest of boosting multilateral trade. It is building a super highway from its Jingziang province to Europe via Quvedar Port in Pakistan and Via Giljith which is disputed territory between India and Pakistan. Through Quvedar Port, it will have an opening to Arabian Sea, which will shorten its round about sea route.

With its massive surplus and reserves China is embarking on infra developmental project outside China also, which will boost-up trade and economy and are beneficial to so many countries. Hegemonic and expansionist intent is totally absent, given the nature of these projects. China's ongoing silk route economic belt, 21st century maritime silk road, natural gas pipeline projects between China-Central Asia and China-Russia. Central Asian International freight train route between China Kazhakasthan is operational from Feb, 2015. The Asian InfraInvestment Bank initiated by China has now enrolled 41 member countries in a short period.

So China is an emerged and mighty power with highest growth rate in the world, whereas US is a declining power. Pivot to Asia is its last ditch effort to retain its hegemonic intent. China is for peace and tranquility. US is aggressive and its fight against global terror is proved to be counterproductive. In the name of containing terrorism, it intervened militarily in Afghanistan, Iraq, Libya and Syria. Its policy of going with and against the Arab Spring has resulted in Islamic fundamentalism grow and strengthening of Islamic terror. It repeatedly exercises double standards, since it always acts in its best interest only.

In its new found love for US, NDA Govt. belittles the emerging regional and world forums like the BRICS in which Russia and China are active participants, Shanghai Cooperation, the Community of Latin American and Caribbean States, Bolivarian Alliance for the Peoples of our American Union of South American Nations etc. These forums are setting up multilateral institutions, viz. New Development Bank and a contingent Reserve Fund by BRICS, Asia Infra Investment Bank with 21 Asian Countries including India. These forums and institutions are aimed at strengthening the trend towards multi polarity as an alternative safeguard against US controlled unipolarity. Neither the NDA Govt. is heady of the emerging left in EU and Latin America. So it is in our best interest to go with the emerging trends world over to bring peace and prosperity to the entire world.

Imperialistic forces don't have any solution to the world's current crisis. Instead they are intensifying the world crisis to further their interests. Despite India becoming a subordinate ally of US, US is not echoing any of the ambitions of India in the World forums, Viz. Nuclear Supply Group, Security Council etc. US has drawn us into the civil nuclear energy agreement with the express intent of tying India in its fold so that India should abandon its programme of becoming a full-fledged nuclear state. Indian Govts are boasting the nuclear pact with US as ending our nuclear isolation.

The defense documents unearthed have revealed that by our aggressive pursuit of enforcing the McMohan line on China was enough provocation for China to declare war on us in 1962 at the peak of the Cuban crisis. The imperialist forces who encouraged us to challenge China, never came to our rescue at the time of our distress and ignominious defeat in the war. But it seems that we have learnt no lesson from the 1962 Indo-China war. Instead of mending our fences with China and clarifying the Line of Actual Control (LAC) with an allowance of give and take, at the behest of US imperialism, we are pursuing a path of challenge which will be at the interest of US and will never be at our interest.

Our Prime Minister is repeatedly sermonizing about the increased role of states. But in practice the states' autonomy is increasingly eroded as it was by the previous Govt. A new appropriate policy has to be evolved with a constitutional backing that states' views are heard with regard to any shift in the foreign policy also, so that the opinion of the majority people is heard and concurrence is arrived at. This is a crucial question to be addressed to immediately given the vast diversity of India. When Kachchatheevu Island was handed over to Sri Lanka, the opinion and concurrence of Tamil Nadu state was not obtained. Kachchatheevu was gifted to Sri Lanka without any reciprocity and against the Indian Constitution which implies that an amendment has to be passed in the Parliament with 2/3 majority before ceding any portion of India to another country. The then opposition leader and the tallest leader of BJP Mr. Vajpayee opposed ceding

Kachchatheevu and also vowed to challenge it in the court. But the present BJP led Govt. refuses bluntly to initiate any move to retrieve Kachchatheevu against the spirit of the unanimous resolution passed in the Tamil Nadu Assembly.

Neither the international maritime law, which specifies that the meridian sea line between the nations should be drawn at equidistance, is honoured. Had that law been adhered to Kachchatheevu in the Palk Straits which is 12 KM away from our soil and 18 KM from Sri Lanka would have been ours. That would have safeguarded the livelihood of Tamil Nadu fishermen, who are now facing the worst kind of repression and depravity.

Because Tamil Nadu people were not consulted and their consensus never mattered to the central powers, lakhs of hill Tamils of Indian origin were deported back to India under two treacherous agreements between Sri Lanka and India. Worst still, lakhs of Hill Tamils are not still accorded citizenship rights in Sri Lanka.

The cause of Ealem Tamils was repeatedly belied by the Central Govts. at the altar of market interests of Indian Govt. and its crony capitalists allies. Worst still the previous Central Govt. was a partner in the genocidal war on Ealem Tamils in 2009. All these anti Tamil policies are still being pursued by the Central Govt. since the Tamil Nadu state has no mandate to decide on these affairs, which are Tamil Nadu specific. This is against the spirit of federalism and national integrity. Sri Lanka has always been striking discordant notes with India; India has always been at the receiving end of the relationships.

The resolutions passed unanimously in the Tamil Nadu assembly with respect of Tamil Ealem at the interest of Ealem Tamils are never heeded to by the Central Govt., Smt. Indira Gandhi supported the cause of Ealem Tamils to attain separate nationhood so that Tamil Ealem will serve as a buffer state to browbeat Sri Lanka whenever they act against us in connivance with our enemies. But inefficient Rajiv Gandhi reversed this policy and fell a prey to the treacherous Jayewardene and the Rajiv-Jayewardene pact enforced without the consent of T.

Nadu state and Ealem Tamils was the greatest catastrophe in the history of the world polity.

So I appeal that this house should enact an amendment to share powers with the State Govts., also in arriving at any decision on the international relationship which will carry the entire people of our country with the decisions arrived.

***श्रीमती रीती पाठक (सीधी) :** मैं देश की सुरक्षा व्यवस्था हेतु केन्द्र सरकार के द्वारा उठाए गए कदम की सराहना करती हूँ एवं यह अनुरोध करती हूँ कि इस देश की आंतरिक व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने हेतु सर्वप्रथम अपने देश की सुरक्षा करने वाले सैनिकों की सुविधा और आधुनिक अशत्रु-शस्त्र को उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान देना होगा साथ ही यह व्यवस्था और मजबूत करने का प्रयास करना होगा तो हमारे देश में घुसपैठियों का रास्ता सुगम करने में सहायक ना हो ।

मैं प्रधानमंत्री जी के रीति और नीति की सराहना करती हूँ । साथ ही मैं गर्व महसूस करती हूँ कि देश को पहली बार एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जिन्होंने हर क्षेत्र में देश को आधुनिकीकरण और सशक्त बनाने का प्रयास किया है ।

परंतु कुछ और कहने से पहले पुनः यही कहूंगी कि यदि घर की स्थिति मजबूत है तभी हम बाहर भी अपने आपको सशक्त रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं । इसी बात पर जोर देते हुए कहूंगी कि जिस तरह प्रधानमंत्री जी की सोच महिलाओं की सुरक्षा, बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ, जनधन योजना, गांवों को आदर्श बनाना, देश को नम्बर एक पर पहुंचाने की रही है तो उनकी सोच को और बल देने के लिए मैं यही कहूंगी कि सामाजिक समरसता के साथ, अपनी जान की बाजी लगाने वाले वीरों को मजबूत बनाकर इस देश को और लोगों को और भी मजबूत बनाने का प्रयास करें ।

केन्द्र सरकार जो देश के लिए अलग सोच की सरकार है जिसने विश्व में अपने परिवार को सर्वोच्च स्थान दिया है उससे यही अपेक्षा है कि उसमें मंत्रालय के द्वारा कुछ ऐसे कदम उठाए जाए जो इस देश के लिए और देश की जनता के लिए ऐतिहासिक हो ।

देश के सशक्त एवं यशस्वी होने में सोच के साथ ।

SHRI THOTA NARASIMHAM (KAKINADA): Mr. Deputy-Speaker, thank you very much for giving me an opportunity to speak a few words on the Demands for Grants of the Ministry of Home Affairs.

Social media is a double-edged weapon. It can be used productively and unproductively. Now-a-days, some of the anti-social elements are trying to use social media to create some unrest in the country. Recently, social media has been widely used to launch a hate campaign against the people of the North East, particularly the Bodos and the Muslims, leading to violence spreading as far as Maharashtra and Bengaluru. In the Karnataka Capital, several people from the North East suffered attacks after the campaign through Internet and SMS. Cyber laws have to be strictly implemented to curb this evil.

Naxalism is posing threats to internal security of the country. In recent days, Chhattisgarh is the worst suffering State. Andhra has overcome this problem. Except a few incidents here and there, Naxalism has been eliminated from Andhra Pradesh. Our State has observed Naxalism in two different perspectives. It is not only a law and order problem, but also a socio-economic problem. When you start developing those Naxal-affected interior villages, Naxalism will slowly lose its identity. Road connectivity should be done on top priority. We should use the services of voluntary organizations to educate the illiterate people. We should effectively use Counter Intelligence Wing. We are living in a technology-driven time. Technology has to be utilized at its optimum level to trace out Naxal movements. Geographical Positioning System (GPS) can be used accurately to identify the Naxal movements.

Recently, the Home Ministry has frozen seven bank accounts of “Green Peace India” and barred it from receiving foreign funds for allegedly violating the Foreign Contribution Regulation Act, 2010 (FCRA) and for prejudicially affecting the country’s public and economic interests. In the Ford Foundation issue, the Home Ministry also directed the Reserve Bank of India and has placed the Ford

Foundation on a 'prior permission' watch list. We should not compromise on our national security concerns.

Attacks on women have been increasing day by day. After Nirbhaya incident, the Government brought legislation. It had become the Act and came into force. Even now, we have been witnessing increasing attacks on women. Women are adored as Goddess in this country. Can we allow these incidents to happen? Let us debate this topic in the civil society. Let us involve social activists, women groups and voluntary organizations to find out a comprehensive solution to this menace. I would also request the Government to earmark this subject to one of the Parliamentary Standing Committees to continuously keep a watch on this evil.

I would also request the hon. Home Minister to increase the State Disaster Relief Fund given to Andhra Pradesh because Andhra Pradesh is affected by many cyclones during the last three years. Recently, Andhra Pradesh is affected by Hud Hud Cyclone. Keeping this in view, I would request the hon. Home Minister to increase the funds.

I have one more issue. Just now, our AIADMK friend raised the issue of encounter in Andhra Pradesh recently. I would like to raise some points on this issue. The Chief Minister of Andhra Pradesh briefed the Governor and the Union Home Ministry about the incident. Our Chief Minister Shri N. Chandrababu Naidu garu wrote a letter to the Tamil Nadu Chief Minister Shri O. Panneerselvam and assured him that apart from conducting *post mortem*, the Government also ordered a magisterial inquiry into the incident to ascertain the facts. The inquiry will be completed without delay and further necessary action will be taken accordingly.

Thank you, Sir.

***SHRI P.R. SUNDARAM (NAMAKKAL):** I would like to place here some view on the demands of grants of the Ministry of Home Affairs for the year 2015-16. There is no second opinion that the Ministry of Home Affairs is the major defence component of the country and I accept that the budget allocation of Rs. 62,124,52 crore in the Union Budget with a modest 10.2% jump comparing to the last year is a pertinent.

Particularly, the para military forces like Border Security Forces, Central Reserve Police Force, Central Industrial Security Force etc have availed significant increase in their budget allocation. However, I am deeply annoyed about the working condition of the personnel of paramilitary forces. Generally para military forces are suffering a large being isolated from their families, not able to provide education to their children.

Further, 80-89 per cent of the force remains on deployment at any given time "80-85 per cent" troops remain continuously deployed to fight Maoists in 10 affected states (37 per cent), militancy in Jammu and Kashmir (28 per cent) and insurgency in north east (16 per cent).

A survey of the educational status of the wards of CRPF personnel has shown that only 42 per cent go beyond the matriculation (class Xth) level. Only 11.33 per cent of children of this premier force of the country go for undergraduate level of education while only a dismal 3.54 per cent are able to go for higher or Post Graduate studies.

According to a survey, the percentage of our personnel who could not avail timely static posting of their choice is as high as 70-80 per cent. This generates considerable stress leading to physical and psychological problems.

There is a provision for only two months leave in a year but because of operational exigencies, elections and other administrative reasons, the personnel are unable to avail full leave.

* Speech was laid on the Table.

Another factor which generates considerable stress among the lower ranks and jawans, the report said, is movement at short notice from hot to cold areas and from normal to extreme climatic conditions. Without proper facilities to the lower ranks and jawans in the paramilitary forces who surrender their whole life for the safety of the nation, there is no use of increasing budgetary allocation. Therefore, I would like to urge the government to increase the benefits for the lower rank jawans in all para military forces. Such facilities should also include upgradation of recreational facilities, extension of leave period, providing transfer only after consultation with the jawans as well as medical facilities.

Generally jawans posted in wild areas particularly in North East are affected by vector borne diseases and are severely affected without proper medication. So, the government must ensure the medical facility to those who are posted in jungle areas and a mobile medical unit or caravan should also be posted at every place of posting to provide proper medical facility.

Secondly, I request the government to increase the allocation provided to the state governments, particularly to the states which are effectively implementing the modernization of police force in their respective states. In this connection, I would like to mention here about the effective steps taken by the Hon'ble Puratchi Thalaivi Amma in the state of Tamil Nadu. Under the golden rule of our Amma, the Tamil Nadu police forces are modernised with latest technologies and other development of infrastructure for the police force like video conferencing, building of police complex at various locations. Therefore, I request once again the government to increase the budgetary allocation for modernisation of police force to the states.

***श्रीमती रंजनबेन भट्ट (वड़ोदरा) :** मैं गृह मंत्रालय की अनुदान की मांगों के समर्थन में विचार व्यक्त करती हूँ। मैं माननीय मंत्री जी का अभिनंदन करना चाहती हूँ कि सरकार द्वारा देश की सुरक्षा के लिए जो कार्य किए गए हैं, उसके लिए मंत्री जी अभिनंदन के पात्र हैं। देश में पहली बार जम्मू-कश्मीर में सरकार बनाने का प्रयास किया है। वहां के लोग भी अमन और शांति चाहते हैं। हमारी गुजरात सरकार राज्य की सुरक्षा का बहुत ही अच्छा काम करती है। सुरक्षा बल में गुजरात की मुख्यमंत्री श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने 33 परसेंट महिलाओं की भर्ती की है और अन्य राज्यों में भी महिलाओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। ऐसा करने से जो भी पीड़ित महिला है वह अपनी बात मजबूती से सभी के सामने रख सकती है। सीमा सुरक्षा बल को थोड़ा-सा अधिकार भी देना चाहिए जिससे उनका मनोबल मजबूत बनता है और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। महिलाओं की सुरक्षा हमारे गुजरात में बहुत ही अच्छी तरह से की जाती है। सुरक्षा के मामले में लोगों में जागृति लाना भी जरूरी है और राज्यों को सुरक्षा के लिए अधिक राशि भी दी जा रही है। पुलिस विभाग में आधुनिकीकरण करना चाहिए। देश की 125 करोड़ की आबादी की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी माननीय मंत्री जी ली है जो बजट में व्यवस्था की है उसे देश के सुरक्षा बलों के लिए करना चाहिए। हमारे देश के पास में बंगलादेश और पाकिस्तान से घुसपैठ को रोकने के लिए ठोस निर्णय लेना चाहिए। जम्मू-कश्मीरी पंडितों को पुनः बसाने करने जा रहे हैं। उन पंडितों की गई हुई जमीन वापस मिले, उस दिशा में काम करना चाहिए। अंत में मैं माननीय मंत्री जी को अभिनंदन करती हूँ और समर्थन करती हूँ।

***SHRIMATI PRATYUSHA RAJESHWARI SINGH (KANDHAMAL):** Our country is very big with different topography, demography as well as people with their age old customs and traditions. My parliamentary constituency Kandhamal is affected by Left Wing Extremist and Naxalities. I have some suggestions, which I convey to Hon'ble Minister for the development of my parliamentary constituency Kandhamal in the state of Odisha.

A team of local people may be formed to help and assist the implementing authorities to complete the developmental work of the concerned locality or area. The bureaucrats, police and paramilitary forces as well as intelligence agencies should work together in such a manner that these anti-social elements may feel safe to return to main stream and left the path of violence.

A vigorous infrastructural activities coupled with unemployed benefits to the educated employed youths to some extent help in reducing the menace of naxalism.

The tribal women should be given traditional skill development programme to add value to tribal products. At the same time, the Govt. should ensure the marketing of their products in order to improve their livelihood.

It is the education which can remove their backwardness and social stigma as the educated boys and girls can easily convince their old tribal parents more successfully. The change in their thinkings, way of living can only be possible if their children are educated.

Good roads, hospitals, schools, colleges, safe drinking water and pucca houses for tribals and other backward and poor people can feel that the state as well as the Central Govt. are always with them and they never feel that they are still lagging behind the people living in urban areas.

A good and healthy centre-state relation is the foundation stone for removing all ills from the society and bring an all round development in the economy with peace and prosperity. It is an established fact that Govt. of Odisha

* Speech was laid on the Table.

has been able to largely control the Maoist activities in the state (as records establish itself).

I would urge upon the Ministry of Home Affairs to continue to extend all required support to Govt. of Odisha to control left wing extremists to its logical end.

* SHRI RAM PRASAD SARMAH (TEZPUR): While fully supporting the Demand for Grants for the Home Ministry, I would request the Hon'ble Home Minister to completely seal Indo-Bangladesh border and thereby check infiltration of Bangladeshis and smuggling out of cattle which come to annual estimate of 17 lakhs.

Further, I would request the Home Minister to protect the Gorkhas of Assam, who are facing the ignominy of being "foreigners".

* Speech was laid on the Table

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज) : उपाध्यक्ष जी, सदन में गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा हो रही है। स्वाभाविक है कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। काफी सदस्य कह रहे थे और सरकार भी कह रही है कि इस बार बजट में बढ़ोत्तरी हुई है। लेकिन आप देखें कि जो बढ़ोत्तरी हुई है हर मामले में, वह समान नहीं हुई है। अगर 2014-2015 का बजट इस मंत्रालय का देखें तो उसमें रिवाइज्ड एस्टीमेट में कटौती हुई और पैसा अनस्पेंड भी रहा। कई ऐसे मामले हैं, स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में भी उसका आकलन किया गया है। यह एक साल की बात नहीं है, पंचवर्षीय योजना देखें तो बजट एस्टीमेट जो रिवाइज हुआ और जो एक्सपेंडिचर हुआ, उसमें कमी रही है और उसका असर आंतरिक सुरक्षा पर भी पड़ा है। देश के गृह मंत्रालय को जो मेनडेट मिला है जिन कारणों से भी, उसमें भी वह कमी देखने को मिलती है।

मैं यह कह सकता हूँ कि जब से यह सरकार बनी है, सुरक्षा के बारे में, खासकर आंतरिक सुरक्षा के बारे में कहती आई है कि वह इस पर गम्भीर रहेगी। सरकार बनने से पहले भी हम इनके भाषण सुनते थे और सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, यह सबको मालूम है। कई सदस्यों ने वहां की घटना का जो ब्यौरा दिया, उसने हम सभी को झिंझोड़ दिया। चाहे प्रदेश सरकार हो या केन्द्र सरकार हो, इनकी तरफ से हमेशा यह कहा गया कि अगर केन्द्र में जिस दल की सरकार है तो राज्यों में भी उस दल की सरकारें होनी चाहिए और राज्यों में जिनकी सरकार है केन्द्र में भी उनकी सरकार होनी चाहिए, इससे तालमेल ठीक बनता है। आप यहां किस को दोष देंगे? कहीं न कहीं तो खामी रह रही है और वह तर्क भी नहीं चलता है। इसलिए जिस तरीके से, जिस ढंग से और जिस रवैये से इस मामले को निपटा जा रहा है, उसमें फिर से निगरानी होनी चाहिए।

मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारे यहां सरकार की यह बड़ी जिम्मेदारी है कि नागरिकों में सुरक्षा का भाव बना रहे। इसके लिए साम्प्रदायिक तनाव बहुत घातक सिद्ध होते हैं। यह बात सही है कि इस समय हम साम्प्रदायिक दंगे-फसाद नहीं देख रहे हैं, लेकिन समाज के अंदर जो विभाजन हो रहा है और उसमें खास कर सरकारी पक्ष से जो बयानबाजी हो रही है, मैं सरकार की बात नहीं कह रहा हूँ इसमें मैं समझता हूँ कि गृह मंत्रालय की जो इच्छा शक्ति है या सोच है उसमें कहीं न कहीं ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे यहां वर्षों से प्रिवेंशन आफ कम्युनल वायलेंस बिल लम्बित है। साम्प्रदायिक तत्वों से आप भी निपटना चाहते हैं और हम भी निपटना चाहते हैं। किसी प्रकार का भेदभाव किए बिना, साम्प्रदायिक सदभाव रहे इसके लिए साम्प्रदायिक तनाव पैदा करने वाली शक्तियों से सख्ती से निपटा जाए, इसके लिए कानूनी बंदोबस्त मजबूत करने की बहुत जरूरत है।

दूसरी बात, मैं महिलाओं की सुरक्षा के बारे में भी कहना चाहता हूँ। आज हमारे देश में सबसे ज्यादा महिलाएं असुरक्षित हैं। निर्भया फंड के बारे में हम बात करते हैं। निर्भया फण्ड में इस बार एक हजार करोड़ रुपयों की बढ़ोतरी की गई है लेकिन हम जानते हैं कि सरकार की घोषणाओं और मंशा के बावजूद हकीकत में बहुत फर्क रहता है। मैं इस सरकार की या उस सरकार की बात नहीं कह रहा हूँ। पिछली सरकार ने भी निर्भया के बारे में योजना की घोषणा की और फंड भी रखा था। इस बार के बजट को अगर आप देखेंगे तो वह फंड अनस्पेंड रहा। मैं अपने क्षेत्र की बात आपको बताना हूँ। हमारे यहां मेनका गांधी जी ने सभी सांसदों को खत लिखा कि हमारे साथ इस-इस तरह से चलो, पायलेट प्रोजेक्ट है, 50 जिलों में होगा। बंगाल में जमीन हासिल करना आसान नहीं है, फिर भी वहां की महिला डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जमीन देने के लिए तैयार हो गई। पत्र लिख दिया गया, लेकिन बाद में फाइनेंस मिनिस्टरी से, होम मिनिस्टरी से क्लियरेंस नहीं मिला और वह काम रुक गया। अगर हम सिर्फ योजनाओं की घोषणाएं करेंगे और जमीनी हकीकत में काम नहीं होगा, खास कर पीड़ित महिलाओं के लिए तो कोई फायदा नहीं है। खासकर जहां तक पीड़ित महिलाओं के रिहेब्लिटेशन का मामला है। निर्भया फंड में एक हजार करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है, लेकिन मैं इससे उत्साहित नहीं हूँ। अगर आप स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट देखेंगे तो पता चलेगा कि ऐसी कई योजनाएं हैं। वर्ष 2014-15 के बजट में जो घोषणाएं की गई थीं और उसके बाद रिवाइज्ड एस्टीमेट में कटौती हो गई। उसके बाद भी आठ स्कीम्स ऐसी हैं जिनको योजना के बाद भी पूरी तरह से लागू नहीं किया गया और कट करने के बाद भी अंडर एक्सपेंडिचर रहा।

तीसरी बात, यह है कि हमारे यहां केंद्र सरकार से सम्पर्क का जो सवाल है, वह आपके मंत्रालय के अंतर्गत आता है और सरकार 14वें फाइनेंस कमीशन की बात तो करती है और उसे लागू भी किया गया है जिसके लिए आप वाहवाही भी ले रहे हैं। लेकिन केंद्र पोषित योजनाओं को राज्य सरकार को दिया गया है। आंतरिक सुरक्षा के बारे में ऐसी बहुत-सी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो सीधे-सीधे राज्य सरकारों को नहीं दे सकते हैं। लेकिन केंद्र-राज्य के सुधार का जो मामला है, वह सिर्फ आर्थिक आवंटन नहीं है, एक स्वस्थ वातावरण बने, इसके लिए मैं समझता हूँ कि गृह मंत्रालय को ज्यादा महत्ता देनी चाहिए। मैं इसका एक उदाहरण भी दे सकता हूँ। Sir, please allow me some time. I am talking only on the Demands for Grants and nothing else.

HON. DEPUTY SPEAKER: Speak then. Others are also waiting.

SHRI MOHAMMAD SALIM : I am not making any political points. यह आपसे भी संबंधित है। तमिलनाडु से संबंधित है और यह बहुत पुराना सवाल है कि केंद्र और राज्यों के जो संबंध हैं, उन्हें हम बेहतर करें। इसके लिए मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर अगर कुछ

बुनियादी मुद्दों पर एकमत नहीं होते हैं तो जो संवैधानिक अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं। हमारे यहां 25 दिसम्बर को एचआरडी मिनिस्ट्री ने घोषणा की कि गुड गवर्नेंस डे मनाया जाएगा। जो क्रिश्चियन अक्विलयत हैं, माइनोरिटीज हैं, उनका मामला भी यही है। हमारे संविधान में हर धर्म को अपना अधिकार दिया हुआ है, चाहे वह अधिकार जितना भी क्यों न हो, चाहे वह घर वापसी के नाम पर हो, चाहे वह धर्मांतरण के मामले में हो, चाहे किसके कितने बच्चे पैदा होंगे, इसके बारे में घोषणाएं हों, चाहे वह लव जेहाद का मामला हो, चाहे चर्च के ऊपर हमले हों। अभी गुड फ्राइडे के दिन जजेज की कांफ्रेंस बुलाई गई। इसमें सरकार की जो संवेदनशीलता है, जो अलग-अलग डिनोमिनेटर्स थे, उनके बारे में आपको ही सोचना पड़ेगा। चूंकि आप एक सुलझे हुए, मंजे हुए और अनुभवी नेता हैं, आप सिर्फ गृह मंत्री नहीं हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि इधर-उधर लोग कुछ थोड़े क्रैकर्स बजा सकते हैं, लेकिन उसे आपको ही संभालना पड़ेगा।

अब मैं बार्डर पर आता हूं। बंगलादेशी घुसपैठियों के बारे में बात हो रही थी। लोग सीमा के बारे में कितनी बात करते हैं। लेकिन चाहे बंगलादेश के साथ बॉर्डर हो, पाकिस्तान के साथ हो या नेपाल के साथ हो, पिछले साल बजट में जो पैसा रखा गया था, आपने एक साल में वह पैसा खर्च नहीं किया। राजनीति के लिए घुसपैठिये बोलना और घुसपैठ को रोकना, दोनों में फर्क है। आप स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट देखिये, उसमें पिछले साल के बजट में फैंसिंग के बारे में, लाइट का अरेंजमेंट करने के बारे में, आउटपोस्ट के स्ट्रैथन करने के बारे में जो-जो स्कीम्स थीं, वे लागू नहीं हुईं, पैसा रखा रहा। इसके बारे में मैं यहां सदन में बात नहीं करूंगा तो कहां करूंगा। यह बात बाहर ले जाकर जाकर लम्बे-चौड़े भाषण देकर पोलिटिकल पाइंट स्कोर कर सकते हो। हम यह चाहते हैं कि चाहे वे कैटल हों, चाहे वे लोग हों, चाहे वे नारकोटिक्स हो, चाहे स्माल आर्म्स हों, चाहे वे खतरनाक किस्म के लोग हों, हमारे देश की सीमा पार करके वे खुलेआम आना-जाना करें, यह आपको रोकना पड़ेगा। मैं बंगाल से आता हूं, हमारा एक बहुत लम्बा सीमा का क्षेत्र है, यह बात अहलूवालिया जी भी जानते हैं। वहां बीएसएफ है, बार्डर फैंसिंग हो चुकी है, उसके बाद भी वहां स्मगलिंग एक पैरेलल इकोनोमी की तरह चलती है और उसे बंद करने के लिए आपकी इंटेलिजेंस और जो अलग-अलग एजेन्सीज हैं, मैं सिर्फ बीएसएफ की बात नहीं कर रहा हूं, उन सबको एक साथ जोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। वरना सीमा के क्षेत्र में आम जनता का बीएसएफ के साथ तनाव हो जाता है।

अब मैं मंत्री महोदय का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र की प्रॉब्लम की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि जो वहां के किसान हैं, जो खेती करते हैं, उनके ऊपर बीएसएफ बहुत कड़ा रुख अपनाती है और जो स्मगलिंग करते हैं, उस पर रोक नहीं लगती है, स्मगलिंग चलती रहती है। इसलिए सीमा में जो गांवों के लोग हैं, उनके साथ बीएसएफ का जो रवैया है, उसमें मैं समझता हूं कि जनप्रतिनिधि के साथ भी कुछ आदान-प्रदान होना चाहिए। आप स्मगलर्स के बारे में कड़ा से कड़ा रुख अपनाएं, लेकिन जो गांवों के आम

किसान हैं, उनके ऊपर आफत आ जाती है और खाते में दिखाया जाता है कि देखिये इतने लोग पकड़े गये, उतने लोग पकड़े गये, मैं समझता हूँ कि इस रैकिट को आपको रोकना पड़ेगा।

अंत में मैं यह कहूँगा कि टैरिज्म के अटैक्स अभी कम हैं, लेकिन नार्थ-ईस्ट से लेकर कश्मीर और उसी तरह से कोस्टल इंडिया में भी सरकार जोर दे रही है। इस बार बजट में भी बढ़ौतरी हुई है, जैसा मैंने सीमा के बारे में कहा, वैसे ही पिछली बार भी कोस्ट के बारे में जो सरकार के पास अमाउंट थी, वह खर्च नहीं हुई, जबकि उसे खर्च करना चाहिए था। खासकर पुलिस माडर्नाइजेशन के बारे में आपने स्टेट्स को स्कीम्स दे दीं, लेकिन जो दिल्ली पुलिस है, जो आपके अधीन है, उनके हाउसिंग की जो माडर्नाइजेशन की बात थी, वह पैसा भी पिछले साल आपने खर्च नहीं किया। पुलिस की हाउसिंग की जो सेंट्रल गवर्नमैन्ट की स्कीम्स हैं, सेंट्रल गवर्नमैन्ट की जो पैरा मिलिट्री फोर्स है, उनके हाउसेस की स्थिति काफी खराब है, कृपया आप उनकी तरफ भी ध्यान दें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

***श्री पी.पी.चौधरी (पाली):** यह अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्रालय है, इसके अंतर्गत केन्द्र व राज्यों के संबंध, सीमा सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, मानवाधिकार व महिला सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभागीय कार्य आते हैं। भारत एक प्रगतिशील, एक बढ़ता हुआ विकासशील राष्ट्र है, जिसकी प्रगति में यह सभी घटक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। भारत जैसे विशाल देश में गृह मंत्रालय की जिम्मेदारियों का दायरा बहुत व्यापक है। देश की प्रगति और खुशहाली के लिए अमन चैन बनाए रखना गृह मंत्रालय के कार्य क्षेत्र का ही हिस्सा है।

केन्द्र-राज्य संबंध मधुर रहने चाहिए, इसके लिए हमारी सरकार ने संविधान के अंतर्गत अनेकों कदम उठाए हैं, ताकि फेडरल स्ट्रक्चर सुदृढ़ बना रहे।

हमारे देश में सूचना तंत्र को मजबूत और व्यापक बनाने की आवश्यकता है, जिससे बाहरी घटनाओं की त्वरित गति से जानकारी मिल सके। यदि इसमें सुधार नहीं किया गया तो देश में आंतरिक सुरक्षा का खतरा पैदा हो जाएगा। हमारी आंतरिक सुरक्षा सवालों के घेरे में रहती है। जिसका कारण हमारी जनसंख्या है, जनसंख्या के हिसाब से हमारे पास पुलिस बल उपलब्ध नहीं है। राज्य सरकारों को जितना धन देना चाहिए, उसकी भरपूर कोशिश करके उन्हें इस बजट में धन की उपलब्धता सुनिश्चित करने का फैसला इस बजट के माध्यम से लिया गया है। केन्द्रीय बजट में गृह मंत्रालय को 62,124.52 करोड़ की धनराशि का आवंटन किया गया है, जो पिछले वर्ष के आवंटन से 10.2 प्रतिशत अधिक है। विश्व के विशालतम अर्द्धसैनिक बल सी.आर.पी.एफ., जिन्हें अक्सर नक्सल विरोधी अभियान सहित देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए तैनात किया जाता है, उन्हें 14089.38 करोड़ रु० की धनराशि आवंटित की गई है।

जम्मू-कश्मीर मुद्दे पर मैं ज्यादा बहस नहीं करना चाहता। मेरे योग्य साथियों ने इस पर विस्तृत चर्चा की है। जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। जम्मू-कश्मीर के हालातों में सुधार दर्ज हुआ है। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2014 में आतंकवादी हिंसा में 30.58 प्रतिशत वृद्धि तथा नागरिकों की कैज्युलिटी में 86.66 प्रतिशत वृद्धि हुई है, किन्तु सुरक्षा बलों में 11.32 प्रतिशत कम कैज्युलिटी हुई है। मैं सदन को यह भी बताना चाहूँगा कि वर्ष 2014 के दौरान वर्ष 2013 की तुलना में 64.18 प्रतिशत अधिक आतंकवादियों का खात्मा किया गया है तथा घुसपैठ के मामलों में 24.54 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।

हमारे देश के सामने आतंकवाद, माओवाद व नक्सलवाद जैसी चुनौतियाँ हैं। हमारे देश को माओवाद और नक्सलवाद खोखला करते जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस की एक रिपोर्ट से साफ तौर पर यह पता चला था कि माओवाद-नक्सलवाद को बढ़ाने, प्रशिक्षण देने, हथियार उपलब्ध कराने में अन्य देशों का भी हाथ है। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मामला देश की आंतरिक सुरक्षा

से जुड़ा है, इसलिए इसे गंभीरता से लेना चाहिए। ऐसे संगठनों को पनपने से रोकने के लिए उनके फंडिंग सोर्स पर भी लगाम लगाने की आवश्यकता है।

माओवाद-नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में कुछ लोगों ने उद्धेलित होकर हथियार उठाए होंगे। मैं उनका समर्थन नहीं करता लेकिन उनके भी कुछ कारण रहे होंगे। ये लोग विकास के खिलाफ हैं, ये नहीं चाहते कि गरीब समाज भी किसी तरीके से बेहतर बन सके। वे स्कूलों पर हमला करते हैं, सड़कें नहीं बनने देते, अस्पताल नहीं बनने देते, नर्सिंग और डॉक्टरों को वहाँ काम नहीं करने देते। 200 से अधिक जिले नक्सलवाद/माओवाद से प्रभावित हो चुके हैं। विधायकों, जिला कलेक्टरों व सरकारी अधिकारियों का अपहरण कर अपनी माँगें मनवाने के लिए विवश करने का भी प्रयास किया जा चुका है।

मेरा भारत सरकार से यह भी अनुरोध है कि एन.आई.ए. व सीबीआई आदि संस्थाओं की जाँच निष्पक्ष हो। इसके लिए इन विभागों के अधिकारियों का अलग से कैडर होना चाहिए। प्रतिनियुक्ति पर इन विभागों में आने वाले अधिकारियों की कमी करने की आवश्यकता है।

देश में मादक पदार्थों की तस्करी के भी मामले बढ़ रहे हैं। खबरें सुनने में आ रही है कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से तस्करी की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। यह भी सुनने में आया है कि नाइजीरिया के नागरिक भारत में मादक पदार्थों के मामले में पकड़े जा रहे हैं। भारत में भी इसके कई बड़े रैकेट सक्रिय हैं। हमारी युवा पीढ़ी को मादक पदार्थों की चपेट में आने से रोकने के लिए इस संबंध में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। मैं सदन को यह भी बताना चाहूँगा कि देश के लगभग सभी शहरों में देखा जा सकता है कि रात में नशे की हालत में युवा वर्ग सड़कों पर बदमाशी करते हैं, नशे की सामग्री हेतु पैसा इकट्ठा करने के लिए लूटपाट के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। इससे मेरा लोक सभा क्षेत्र पाली भी अछूता नहीं रहा है। अभी कुछ माह पूर्व रात में एक ज्वेलर के घर जाते वक्त उसे गोली मार कर लूटपाट करने का प्रयास किया गया। वहाँ मौजूद स्थानीय मदद करने वाले दो भाइयों को भी गोली मारी गई, जिन्हें तत्परता से डाक्टरों की टीम ने बचा लिया। इन दोनों भाइयों की वजह से लूट को विफल तो कर दिया गया, लेकिन ज्वेलर को नहीं बचाया जा सका। मेरा गृह मंत्री जी से अनुरोध है कि ऐसे मदद करने वाले लोगों को आवश्यक रूप से सम्मानित किया जाना चाहिए, ताकि लोगों को प्रोत्साहन तथा अपराधियों में पुलिस की तरह आम आदमियों का डर व्याप्त हो सके।

मैं सरकार को यह भी बताना चाहूँगा कि आज हमारे जेलों से कैदियों की भागने की संभावनाएँ तो कम हुई हैं, लेकिन जेलों की स्थिति बहुत बदतर होती जा रही है। हमारे देश के जेलों में नेशे, ऐशो आराम के सभी साधन कैदियों को उपलब्ध करावाए जा रहे हैं। नए कैदियों के साथ पुराने कैदियों और पुलिस कर्मियों का व्यवहार भी अत्यंत चिंताजनक है। मेरी जानकारी में आया है कि कैदियों को कई जगह पुराना व

सड़ा खाना भी परोस दिया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में कैदियों में आपस में हाथापाई के कारण कई कैदियों को जान से हाथ धोना पड़ा है, जिस पर भी सरकार को चिंता करने की आवश्यकता है।

मैं सरकार का ध्यान संविधान की आठवीं अनुसूची में भाषाओं को जोड़ने के प्रस्तावों की ओर आकर्षित करते हुए बताना चाहूंगा कि संसद के दोनों सदनों के लगभग सभी सदस्यगण किसी ना किसी भाषा को आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किए जाने के पक्ष में हैं। यह पूरे देश के लोगों की माँग है कि उनके द्वारा बोले जाने वाली भाषा को उसी के देश में मान्यता मिले। सदन में कई बार विभिन्न भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने पर विभिन्न नियमों के तहत चर्चा की जाती रही है। जब संविधान लागू हुआ था, तब 14 भाषाएं आठवीं अनुसूची में सम्मिलित थीं। समय-समय पर किए गए संविधान संशोधनों के माध्यम से आज 22 भाषाएं आठवीं अनुसूची में सम्मिलित हैं। भाषाएं क्षेत्रीय हो सकती हैं, लेकिन आज इस तेज रफ्तार युग में कौन आदमी कहाँ पहुँच जाता है, इसका कोई पता नहीं, सब कुछ वैश्विक हो चुका है। कहीं रहने वाला न जाने कहाँ नौकरी कर रहा है, कहाँ व्यवसाय कर रहा है। भारत अनेकता में एकता वाला देश है, यहाँ बोली जाने वाली भाषा, संस्कृति पूरे देश की धरोहर रूपी सभ्यता है। भारत में बोली जाने वाली लगभग सभी भाषाओं का अपना इतिहास है। स्वयं की अपनी-अपनी रचनाएँ, कविताएँ, लोकगीत, रागनियॉ, भजन, धारावाहिक, फिल्में, आदि हैं।

समय-समय पर सदन में उठती माँग पर सरकार ने आश्वासन दिया है। 15वीं लोक सभा के दौरान तत्कालीन गृह राज्य मंत्री जी ने प्राइवेट मेम्बर बिल के अंतर्गत जवाब देते हुए बताया कि केन्द्र सरकार ने भाषाओं को आठवीं अनुसूची में सम्मिल करने के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए श्री सीताकांत महापात्रा की अध्यक्षता में वर्ष 2003 में एक कमेटी बनाई थी। कमेटी ने वर्ष 2004 में रिपोर्ट तैयार कर संस्तुति के साथ मंत्रालय को भेजी थी, जिस पर कार्यवाही अभी तक भी मंत्रालय में चल रही है। वर्तमान में विभिन्न भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के प्रस्ताव पर संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श अपेक्षित है। इस हेतु आयोग ने 17.07.2009 को एक उच्च स्तरीय स्थायी समिति का गठन किया था, जिसकी रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। रिपोर्ट न प्राप्त होने के कारण केन्द्र सरकार निर्णय लेने में असफल है।

जहाँ तक मुझे जानकारी है भारत सरकार के पास 38 भाषाओं को सम्मिलित करने के प्रस्ताव लम्बित हैं, जिसमें राजस्थानी भाषा भी एक है, जिसे देश और विदेश में रहने वाले करीब 10 करोड़ लोग बोलते हैं। इस भाषा का अपना साहित्य, इतिहास, सिनेमा, गायन भी है। महात्मा गाँधी जी ने कहा था "बच्चा सबसे ज्यादा अपनी मातृभाषा में सीखता है"। यह भी विदित है कि भाषाओं को मान्यता देने में सरकार को कोई बजट आवंटित नहीं करना होता। राजस्थानी भाषा का प्रस्ताव वर्ष 2003 में राजस्थान विधान द्वारा संसद को अपनी सहमति के साथ भेज दिया गया था, जिसके बाद सदन में चर्चा के दौरान

तत्कालीन गृह मंत्री ने 17 दिसम्बर, 2006 को भाषा को मान्यता देने के लिए बिल पेश करने का आश्वासन दिया था, लेकिन तब आश्वासनों की सरकार थी जो 2006 से लेकर अप्रैल 2014 तक आश्वासन ही देती रही।

अतः मेरा माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध है कि देश भर के लोगों की भावना, सांसदों एवं राज्य सरकार के प्रस्तावों तथा सरकार द्वारा दिए जा रहे आश्वासनों पर गंभीरता से जल्द निर्णय लेने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित राजस्थानी भाषा सहित सभी प्रस्तावित भाषाओं को संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने की कृपा करें।

मैं खोए हुए मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड आदि उपकरणों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए बताना चाहूंगा कि देश भर में प्रतिदिन हजारों की संख्या में ये उपकरण खो जाते या चोरी हो जाते हैं। एक सर्वे के अनुसार लगभग 35 प्रतिशत लोग ही पुलिस में इसकी सूचना दर्ज कराते हैं। इन उपकरणों का इस्तेमाल आतंकवादी तत्वों द्वारा गलत तरीके से काम में लिए जाने की आशंका सदैव बनी रहती है। कई बाद खोए हुए उपकरण चोरी, डकैती, आतंकवादी घटना में बरामद किए जाते हैं। अधिकांश लोग पुलिस में गुमशुदगी रिपोर्ट इसलिए नहीं लिखाते क्योंकि पुलिस इन उपकरणों को ढूँढने के लिए कोई प्रयास नहीं करती और यदि किन्हीं कारणों से पुलिस ढूँढ भी लेती है तो ऐसा मात्र एक या दो प्रतिशत ही होता है।

अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि इन इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क उपकरणों की खोने की सूचना देना अनिवार्य कर देना चाहिए तथा खोए हुए उपकरणों को आई.एम.ई.आई. नम्बर के आधार पर जल्द से जल्द ढूँढकर मालिक के पास पहुंचाए ताकि ऐसे उपकरणों के दुरुपयोग को रोका जा सके।

भारत से लगी बंगाल तथा नेपाल की सीमा पर पूर्ण तारबंदी नहीं है, जिसके कारण लोगों का अवैध आवागमन चल रहा है। भारी मात्रा में नशीले पदार्थों की तस्करी हो रही है, सैकड़ों की तादाद में मवेशियों को बांग्लादेश ले जाया जा रहा है, जहाँ से उनका माँस अरब देशों को भेजा जा रहा है। बांग्लादेशी नागरिक भारत में आते हैं, नौकरी करते हैं और वापस बांग्लादेश नहीं जाते वे यहीं बस जाते हैं, जिसके कारण भारत में पहले से व्याप्त बेरोजगारी और बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त भारतीयों के लिए बनाई गई योजनाओं का लाभ भी छीना जा रहा है। बांग्लादेश में अधिक गरीबी व भुखमरी होने के कारण कुरीतियाँ फैली है, जो भारत की ओर बढ़ रही है जैसे वेश्यावृत्ति आदि। भारत में चल रही आतंकी गतिविधियों को मदद भी इसी बांग्लादेश के रास्ते से मिलने की सूचनाएं मिलती रही है।

मैं सरकार का ध्यान भारत में बसे पाक विस्थापितों की ओर आकर्षित करते हुए बताना चाहूंगा कि वे कोई घुसपैठिए नहीं हैं। धार्मिक, सांस्कृतिक व पारिवारिक कारणों से ये लोग भारत में वैध वीजा के साथ आते हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी है, केन्द्र सरकार को भी यह नहीं मालूम कि किन-किन राज्यों के किन-

किन जिलों में पाकिस्तान से आए लोग बसे हुए हैं। इस बारे में कभी सरकार ने सर्वे भी नहीं कराया। पाकिस्तान से आए अधिकांश हिन्दू राजस्थान के जोधपुर व जैसलमेर जिले में बसे हुए हैं। वर्तमान में भारत में पाक विस्थापितों के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। भारत की सरकार ने भले ही उन्हें नहीं अपनाया हो लेकिन वहाँ के स्थानीय लोग उन्हें अपनाते हैं।

पाकिस्तान में हिन्दू अपनी जिंदगी कैसे जी रहा है, ये सब आज इंटरनेट, फेसबुक आदि उन साधनों से देखा जा सकता है, जिन पर पाकिस्तान सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। पाकिस्तान सरकार वहाँ अल्पसंख्यक हिन्दुओं को सुरक्षा मुहैया करवाने की तो बात कहती है, लेकिन यह सर्वविदित है कि पाकिस्तान में हिन्दू अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। समय-समय पर अनेक घटनाओं की सूचनाएं प्राप्त होती रहती है। हिन्दू महिलाओं के साथ जबरन शादी की जाती है, बलात्कार किए जाते हैं, धर्म परिवर्तन कराया जाता है। इसलिए ये लोग भारत में आने के बाद लौटने की इच्छा नहीं रखते। भारत में ये लोग शरणार्थी की तरह जीवन जीने को मजबूर है। मैं उनसे मिला हूँ, और मिलता रहता हूँ, वे हमेशा एक ही बात कहते हैं *“भारत के विभाजन में हमारी क्या गलती थी। हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम मर जाएंगे लेकिन वहाँ नहीं जाएंगे। क्योंकि हमारी बहन-बेटियाँ वहाँ सुरक्षित नहीं हैं।”* अगर वे नहीं जाएंगे, तो क्या उन्हें जीने का अधिकार नहीं मिलेगा? क्या हम जबर्दस्ती उन्हें वहाँ भेजेंगे कि आप मरने के लिए पाकिस्तान जाइए।

यूनाइटेड नेशन्स में रिफ्यूजी की परिभाषा में लिखा है कि "Refugees are people who are forced to flee from their countries because of threats to their life linked to their race, religion, nationality, membership of a particular social group, or political opinion." मैं यह नहीं समझ पा रहा कि यह परिभाषा पाकिस्तान से आने वाले हिन्दुओं पर लागू क्यों नहीं होती। क्यों भारत सरकार उन्हें शरणार्थी नहीं मानती आई। अब वक्त आ गया है, पाकिस्तान विस्थापितों को नागरिकता का हक देना होगा। वे भारत में आकर शरणार्थियों जैसा जीवन जीने को मजबूर है, वरना आज कोई भी व्यक्ति अपना घर, परिवार, खेतीबाड़ी व अन्य संपत्ति छोड़ना नहीं चाहता।

गृह मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि पाकिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले और देश के विभिन्न भागों में बसे व्यक्तियों के समक्ष आ रही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें नागरिकता प्रदान करने के संबंध में तत्काल कदम उठाए ताकि वे अपना जीवन और धर्म का पालन कर सकें।

***DR. KULMANI SAMAL (JAGATSINGHPUR):** Our country is a vast country having many states, different languages, diversified culture, different geographical territory and different types of problems. Ministry of Home Affairs has to deal with the problems that emerge out of all these differences. It is a gigantic task to handle such problems. In view of the issues like terrorism, left wing extremism, separatist movements, natural calamities, fight for different statehood, etc., we need a strong will of true leadership with a handsome budget in our hand. Time will tell whether we have an appropriate hand to handle such situation. But the plan outlay budget, i.e. Rs. 705 crore for the purpose is not sufficient, I suppose. However, first of all, I would like to shed my views on internal security, as in recent past several instances have taken place all over the country which have disturbed our internal security. Inhuman attacks of terrorism on mosques, temples, churches, public parks, hotels, restaurants have shown its ugly face leading to a feeling of insecurity amongst the general public. I would like to emphasize that religious intolerance oriented extremism has spread its wings everywhere in the country. The attack on Taj Hotel in Mumbai is still unresolved though we know who the culprits are.

Recently, we have also come across the instances of how the people from North Eastern states have been attacked in Delhi, Bangalore, Chennai, Mumbai and other metropolitan cities of our country. We are in the transitional phase of so called modernisation process. We have to embrace the diversities in order to maintain our unity. A special policy should be introduced to socialize the people especially the students of different states to teach and learn the benefits of diversities which could ultimately foster the sense of national integration. In this regard, I would like to urge upon the Minister of Home Affairs to consider these things more seriously and put an end to the hatredness and create confidence in different sections of the society, particularly among the minorities, by providing equal opportunities in employment, in education, etc. If we are failed to maintain

* Speech was laid on the Table.

integrity by taking all the religions, all the communities, all the states together, the slogan of development could not be realised.

My state Odisha is severely affected with the menace of naxals, the left wing outfit along with some other states like Chhattisgarh, Jharkhand, West Bengal, Madhya Pradesh, Bihar etc. We have never given a thorough consideration to the issue why the left wing outfit is so active in such poor states, especially in the tribal dominated regions. In this regard, my view is that the socio-economic condition like untouchability, caste discrimination, social injustice, poverty, and unemployment of the poor people residing in the remote forest areas is one of the major issues. How can we bring them to the mainstream society, we have to think over it. We have to allocate a good amount of budget for their development and for their exposure to outer world. By suppression, the problem may not be resolved. It is my sincere suggestion that economic activities having recruitment policies in the remote areas should be increased. And the existing policies should also be implemented appropriately.

In view of the issue of Jammu and Kashmir, we need to be careful as currently it seems as if the State is in the hands of separatists. The BJP Government should note that involvement of local youth to defend the borders through Central forces must be taken up at the earliest. I am also in support of appropriate rehabilitation of Kashmir Pandits in Jammu and Kashmir. Hence, the Government should have a vigilant eye on the State and to ensure that Jammu and Kashmir will be that part of the country forever.

My State, Odisha is a calamity prone State. Every year we face either flood, or drought or cyclone. In recent past, we have faced very severe cyclonic storms like Phailin and Hud Hud. The damage to property, crops and livestock that has resulted from the cyclone is unimaginable. Because of the preventive measures of the State Government the loss of lives could be contained. But the relief in this regard provided by the Central Government was not at all satisfactory. In this view, I would like to draw the attention of the Minister of

Home Affairs and my Constituency, Jagatsingpur along with Kendrapara, Puri, Ganjam, Bhadrak and Balasore always faces the wrath of natural calamities especially, cyclones and floods. Hence, I wish that the allocation be enhanced more in respect of my State, Odisha in order to counter the natural calamities effectively.

I would like to state further that after completion of the first phase of the Coastal Security Scheme, the Second Phase was started from April 2011. In the First Phase, the Ministry of Home Affairs of the Union Government had sanctioned to set up 5 Marine Police Stations for Odisha, including one in Paradip. All the Marine Police Stations except Paradip have been made operational in their own State Government buildings. But Paradip Marine Police Station has been functioning in the accommodation provided by Paradip Port Trust Authority on rent. In this regard, I would like to urge upon the Minister of Home Affairs to take appropriate steps to provide adequate budgetary allocation by which the Marine Police at Paradip, Odisha could have the building of its own to strengthen the security along the coastal region.

***SHRI K. PARASURAMAN (THANJAVUR):** We are all happy that our Home Ministry has got Rs. 62.124 crores with the increase of Rs. 5752 crores from that of the last budget.

Our Police personnel are all doing serious and dedicated services to the people, society and to the country as a whole. Their service seems to be thankless job but it is our prime duty to give all our help and cooperation to them in order to keep their family in good position. Though our government is formulating many welfare schemes for the Police personnel, it is still inadequate. So far, our Hon'ble Home Minister has to think about many more welfare Schemes such as free insurance coverage for all Police Personnel and their family. Free Medical benefits, free education upto university education to the sons/daughters of police personnel, and these social care schemes will definitely encourage them. In this time, I would like to request our Hon'ble Minister for Finance to create separate better care fund for Police Forces as in U.K.

In Tamil Nadu, our Government under the able guidance of Hon'ble Makkalin Muthalvar Puratchithalaivi Amma is doing many welfare schemes for the Police Personnel, both serving and retired, like free medical assistance, supply of essential commodities at subsidized rates, introducing Tamil Nadu Police Benevolent fund, New Health Insurance Scheme, Special Scholarship Fund, Appointments on compassionate grounds, Welfare Cooperative Societies, Police Hospitals and Recreational Facilities. Such a long list of welfare schemes for the police personnel show our Hon'ble Makkalin Muthalvar Puratchithalaivi Amma's true and due care for them as their duty is wholly dedicated one.

Hence I request our Hon'ble Home Minister to introduce all these welfare schemes to the entire police personnel of our country.

Also, I would like to request our Hon'ble Minister to give more attention to the children of police personnel with regard to their education, for example, as per

* Speech was laid on the Table.

practice in vogue, only 7 MBBS and 2 BDS Central pool were allocated for the sons/daughters of Central Armed Police Forces (CAFs) personnel and this should be increased 15 MBBS and 10 BDS seats as many personnel wanted to give good medical education to their sons/daughters.

Now, I would like to request our Hon'ble Minister to convince our Hon'ble Health Minister to take necessary steps to give separate central quota for State Police personnel in the admission of MBBS and BDS. This would definitely help all the policemen in India.

As I told already that our Tamilnadu Police are doing marvelous works in maintaining law and order in our state because our government which is run by the valuable advice and guidance by our Hon'ble Makkalin Muthalvar Puratchithalaivi Amma is looking after the welfare of police personnel with due care and giving them free hand to deal with the criminals. Our Tamil Nadu Police is famous in whole Asia in the matters of detection of criminals and economic offenders.

I humbly request our Hon'ble Home Minister to help Tamil Nadu Police with more funds for the modernization of entire police force and systems. This is the necessity of time and we are all happy that our Home Minister got increased allotment of funds in the budget and hence there will not any difficulty in allotting more funds for the modernization systems.

Also, I would like to request our Hon'ble Minister for Home Affairs to make necessary arrangements to start separate Central Police University in India, which would help the Police Personnel in many ways with more focus on research in detection of crimes, combat of terrorism etc.

***श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर):** मैं माननीय गृह मंत्री जी द्वारा लाए गए प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहना चाहूंगा कि आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि आज भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गृह विभाग इतना संवेदनशीलता का परिचय दे रहा है।

मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ जहाँ पर प्राकृतिक आपदा के रूप में अतिवृष्टि एवं ओला गिरने के बाद स्वयं माननीय गृह मंत्री जी ने जा कर बिना वहाँ की सरकार के औपचारिक मांग किए हुए ही किसानों की पीड़ा से द्रवित होकर 605 करोड़ रुपये तत्काल आवंटित करने का कार्य किया। इतना ही नहीं अब तक ओला एवं अतिवृष्टि को प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन से बाहर माना जाता था, किन्तु वर्तमान प्रधानमंत्री जी के साथ त्वरित निर्णय करते हुए इसे भी औपचारिक रूप से आपदा में सम्मिलित करने का कार्य किया है। मैं उन्हें बधाई देते हुए आग्रह करूंगा कि कश्मीरी पंडितों को सम्मनपूर्वक कश्मीर में बसाने का जो निर्णय हुआ है, उसमें कोई भी यदि बाधा डालता है तो उसके साथ सख्ती करते हुए उन्हें बसाया जाए।

SHRI Y.S. AVINASH REDDY (KADAPA): Hon. Deputy Speaker Sir, on behalf of YSR Congress Party, I thank you for giving me this opportunity to speak on the Demands for Grants under control of Ministry of Home Affairs. As per our Constitution, the Union Government has to protect the States from external as well as from internal disturbances. Thus, the Ministry of Home Affairs has to monitor the situation and issue necessary advisory as per requirement. Peace and harmony are essential prerequisites for development of an individual as well as development of a nation.

The greatest threat to the internal security of our nation is Naxalism. By introducing socio-economic reforms and by introducing schemes like Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, the Government of India, over the past several years, is making efforts not only to ensure work and income to the rural poor but also providing them an option to these rural unemployed not to get attracted to Naxalism for their livelihood. More such socio-economic reforms and welfare schemes have to be introduced as still Naxals have a presence in one-third districts of our country. The Government should allocate sufficient funds for this purpose.

The weapons being used by our police at present must be upgraded. Naxals and militants are using far more advanced weapons than our police. Sufficient funds must be allocated to provide the most recent and advanced weapons for our police in order to effectively combat and reduce their loss of lives. If needed, I would request the hon. Minister to revise the budgetary allocation to buy more advanced machinery.

There is a general understanding that Governments, over the last several years, have had problems in managing borders including coastal borders. The Border Security Force is a paramilitary force which is administratively run by the Ministry of Home Affairs and mandated to guard India's land borders and prevent trans-national crime. Besides, India's borders are also manned by a large number

of military, paramilitary and police forces each of which has its own ethos and each of which reports to different Central Ministries, resulting in very less co-ordination in managing borders. This results in infiltration and drug smuggling. There have been several tough battles between Home Ministry and other Ministries over this kind of border management. The Government has to address this problem seriously and vigorously as it involves the security of our country.

Our country has been vulnerable to natural disasters on account of its geographic and other political conditions. India has been struck by numerous disasters in the recent past like the Hudhud Cyclone in the States of Andhra Pradesh and Odisha; and yesterday and day before we saw severe earthquakes in Nepal and in Bihar and other northern States. Disasters have substantial social and psychological impacts which reflect not only on the economic characteristics but the pre-existing social and economic vulnerabilities. Therefore, effective disaster management is needed to ensure that loss of life and property is minimised.

With the spread of computers and the Internet, we are seeing now that cyber crime has emerged as a major challenge for law enforcement agencies. The younger generation which uses the Internet and other online technologies extensively for staying connected to work and entertainment are more vulnerable targets of cyber crime. This happens in the form of cyber stalking, cyber bullying and child pornography, harassment, hacking of email or social networking accounts, and identity thefts. This crime is increasing day by day and the Government needs to address these issues. Urgent steps have to be taken to increase vigilance against cyber stalking and cyber violence against women.

The Government should strengthen the anti-terror mechanism and strengthen the role of NIA for swift and fair trial of terror related cases. The Government should provide State Governments with all kinds of assistance to modernise their respective police forces and equip them with the latest technology. Since our State of Andhra Pradesh is already facing financial crunch after bifurcation, the Central Government should help Andhra Pradesh abundantly in

respect of modernisation of police force and in respect of providing all things necessary to strengthen our forces and to equip ourselves with latest technologies.

18.00 hrs.

The resettlement problem of retired Servicemen...

HON. DEPUTY SPEAKER: Please listen for a minute. It is already 6.00 o'clock. If the House agrees we can extend the time of the House till this discussion is over and after that we will take up Zero Hour. We will continue with the Demands for Grants for one hour and afterwards we will take up Zero Hour. Please cooperate and try to complete the speech within the stipulated time. The hon. Minister will reply to the debate tomorrow.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes, Sir.

SHRI Y.S. AVINASH REDDY : The resettlement problem of retired Servicemen, be it police, military or paramilitary, is of vital importance. The better we look after our ex-Servicemen the higher would be the morale of the serving officers as today's Serviceman is ex-Serviceman of tomorrow.

***SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD):** I would like to express my views on the discussion on Demands for Grants of Ministry Home Affairs for the year 2015-16. Home and Defence are the most important Ministries who had to protect our nation from External attacks and also keep law and order in internal situation.

We have the information of various types of insurgencies that are emerging now a days. In our border area, our soldiers are fighting for the protection of soil and attacks and from enemies on any side has to be tackled. So without even sleeping in the night they keep our land protected. The recent instances of attacks in ammu & Kashmir from Pakistan has made some serious problems. But we should be vigilant. On one side we should not compromise with the issue of freedom of our country and on the other side, we should not pursue issues for any war.

Number of states are facing the Maoist attacks now a days. It includes not only the law and order issue but also the social and development issues. I would like to know the measures taken by the Government to tackle the Maoist attack. For the last three years how many civilians lost their lives and how many jawans and policemen have lost due to this Maoist attack, especially in the north-east region and some other states where we witness the threats of fundamentalist forces. They have tried to mobilize the people on the basis of religion and caste. We should face these challenges and there should be united action.

Foreign funds are getting into the hands of some fundamentalist forces. They also try to divide our nation on the basis of fundamentalist. India is a vast country having a number of religions, castes, sub castes.

We should project and protect the secular character of the nation. The unity and the national integration of the country is possible only with this sacred, noble objective. Sad to say, in recent time the secular values are scared for selfish interest. The Government should give adequate support to protect the secular

* Speech was laid on the Table.

character of our country. It is on the basis of the religion that many of the issues and clashes are coming up.

The destruction of Babri Masjid was a turning point in protecting the secular character of nation. It was followed by insurgencies and clashes in various parts of the country. The Government who was in power could not protect the Babri Masjid even though Left and Democratic parties had cautioned the Govt. with regard to this danger.

When the new Government has come to power, some of the statements made by the Ministers, MPs and leaders of BJP are instigating communal feelings. Their statement with regard to the Taj Mahal, Qutab Minar are against the minority sections. Statement made by another Minister Ram Sadyana Ram Sadan is another instance wounding the minority feelings. The compulsory conversion of the religion is another dangerous move of the BJP. Though Government denied all these statements a new situation has been created for communal conflicts. The shocking remark made by a BJP MP in the House equating Gandhiji and Godsey is another wound hurting the secular character of our nation.

We have heart touching experiences such as assassination of Mahatma Gandhiji. It was a result of communal fundamentalism. The assassination of then Prime Minister, Indira Gandhi was another shocking instance. That is the result of minority communalism. The assassination of the then Prime Minister Rajiv Gandhi is also the result of another fundamental ideology. We need no underestimate attacks on Sikhs in Delhi. Number of communal riots including Bombay, Ahmedabad, Karnataka, Delhi, Surat are sad episodes in the life of our nation. As a result of these riots and clashes thousands of the valuable lives are lost including women and children. The assets lost to the nation cannot be recorded or counted.

We realize the fact that this is not a war with other country, it is inside the country, among the people which results numerable problems. So the law and order situation is not a mechanical one, it is related to social, cultural, political consciousness of our nation. While we give importance to our army, navy and

airforce who sacrifice their lives for the nation, we should bear in mind that either by the word or writing or speech we should not create communal feelings to divide the society on communal sentiments. The new Government has to take this issue with utmost importance. With these words I conclude.

श्री शैलेश कुमार (भागलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, आज गृह मंत्रालय की जिन अनुदान की मांगों पर चर्चा हो रही है, मैं उस चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूँ। आज विभिन्न माननीय सदस्यों के द्वारा विभिन्न तरह की बातें यहां कही गईं, बहुत तरह के सुझाव उनकी तरफ से आए। माननीय मंत्री जी भी सदन में उपस्थित हैं। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि जो विपक्ष होता है, वह आइना होता है और माननीय मंत्री जी इन सारी बातों को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। विभिन्न बातों में सबसे पहले आंतरिक सुरक्षा की बात आई। आंतरिक सुरक्षा के बारे में बहुत सारे माननीय सदस्यों ने अपने-अपने सुझाव दिए। हम लोग कैसे सुरक्षित रहें, इसके बारे में बहुत सारी बातें आईं। मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि हर गांव में, हर समाज में पुलिस का भय एकदम समाप्त हो गया है। जो पुलिसिंग होनी चाहिए, वह आज की डेट में पूरी तरह से समाप्त हो गई है।... (व्यवधान) यह केवल बिहार की बात नहीं है, यह पूरे देश की बात है। आज से दस-बीस वर्ष पहले पुलिस को देखकर मन में जो एक भय उत्पन्न होता था, आज वह भय पूरी तरह से समाप्त हो गया है। इसका कारण क्या है, इस पर यहाँ पर बहुत विस्तृत चर्चाएँ हुईं। समय की कमी को देखते हुए मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। हम लोगों के वरिष्ठ सदस्य माननीय सलीम जी ने भी साम्प्रदायिक सौहार्द के बारे में कहा। आज पूरे देश में हर किसी के मन में यह भय व्याप्त है कि कब क्या हो जाएगा, कब क्या करवा देंगे, जो इस तरह का माहौल है, चाहे लव जेहाद के नाम पर हो, चाहे घर वापसी के नाम पर हो, चाहे अन्य चीजों के नाम पर हो, इस सौहार्दपूर्ण वातावरण को हम लोग किस तरह से संजोकर रख सकते हैं। यह पूरी तरह से जिम्मेदारी आपकी है। इसे कैसे आप कायम रखने का काम करेंगे, इस पर हम लोगों को एक निर्णय लेने की जरूरत है।

महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बहुत सारी चर्चाएँ हुईं। नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र है, खासकर मैं जहाँ से आता हूँ बिहार के भागलपुर लोक सभा क्षेत्र से, जो कि भारत के मानचित्र पर भागलपुर क्षेत्र है, वह नक्सल प्रभावित भी है। आए दिन वहाँ पर किसी न किसी तरह से नक्सल प्रभावित घटनाएँ होती रहती हैं- चाहे वह मुंगेर में हो या बांका में हो। हम लोगों के बड़े भाई माननीय सदस्य जयप्रकाश नारायण यादव जी हैं, उनका क्षेत्र भी काफी नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और आये दिन काफी बड़ी-बड़ी घटनाएँ वहाँ पर होती रहती हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि ये सारी बातें, जितनी भी बातें यहाँ पर आईं, आपने बहुत गंभीरता से इन्हें सुनने का काम किया है।

मैं समझता हूँ कि जो विपक्ष की सलाह आती है, उसको आप निश्चय ही गंभीरता से ले रहे हैं और पूरी तरह से उसका पालन करते हुए मैं चाहूँगा कि उसका निदान करने का काम भी आप करेंगे। मैं उस संदर्भ में कहना चाहूँगा कि हम लोगों का जो नेशनल एवरेज है, जो पॉपुलेशन के आधार पर पुलिस की

संख्या रहनी चाहिए थी, आज पूरे देश में यह व्यवस्था नहीं है, सारी जगहों पर कमी है - चाहे वह पुलिस के सिपाही की बात हम करें, चाहे आई.ए.एस. या आई.पी.एस. अफसर की बात करें, चाहे हम सेवा आयोग से संबंधित बात करने का काम करें, निश्चय ही इसमें सब जगह कमियाँ हैं और जब तक उस कमी को हम लोग पूरा नहीं करेंगे, तब तक हम लोग जो आंतरिक सुरक्षा की बात यहाँ बैठकर कर रहे हैं, जब तक हम लोगों के पास पर्याप्त पुलिसिंग व्यवस्था नहीं होगी, तब तक हम लोग इसको पूरा नहीं कर सकेंगे। जब हम नेशनल एवरेज को सुधारने का काम करेंगे, तो उससे संबंधित जितने संसाधन आपने उसको देने हैं, चाहे वाहन की बात हो, चाहे हथियार देने की बात हो, चाहे जगह जगह पर पुलिस चौक पोस्ट या थाना बनाने की बात हो, जब तक हम उसको पूरा करने का काम नहीं करेंगे, तब तक हम निश्चय ही इन सारी बातों पर, जिन पर यहाँ चर्चा हुई, चाहे सांप्रदायिक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने की बात हो, क्योंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। हम लोग हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी एक थाली में खाकर हम लोग इतना पले हैं और इतना बड़े हुए हैं। जब उस पर कहीं कुठाराघात होता है तो इसकी सारी जिम्मेदारी आप पर जाएगी। आप गंभीर हैं तो निश्चय ही हमें लगता है कि जो सुझाव विपक्ष द्वारा दिया गया है, उस पर आप पूरी तरह से अमल करके इसमें सुधार करने का काम करेंगे। ... (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय दो बार घंटी बजा चुके हैं।

मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगा कि हमारा जो भागलपुर, बांका, मुंगेर का पिछड़ा इलाका है और नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी है, मैं खासकर मंत्री जी का ध्यान उस तरफ आकृष्ट करना चाहूँगा कि भागलपुर जो हमारा पूरे भारत के मानचित्र पर है, उस पर ध्यान देकर नक्सल प्रभावित एरिया में विशेष ध्यान देकर उसका उन्मूलन करने का काम करें। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

***SHRI BADRUDDIN AJMAL (DHUBRI):** As many hon'ble members from different parties have already disused the issues related to Ministry of Home Affairs in length, I would prefer to speak only some important points.

I would like to state that there is an urgent need to for modernization of Police Forces and to provide them with modern arms as whenever a situation comes our Police Force has to fight against criminals, naxals, terrorists. They face problems and consequently they lose their lives. In recent past, many incidents of naxal attacks took place in Chhattisgarh in which several jawans lost their lives. So there is need to allocate more money for modernization of Police Forces.

I would like to state that Home Ministry is entrusted with the responsibility of providing safeguard to the citizens of the country without any discrimination on the basis of religions, castes and creeds. Therefore, I would request Hon'ble Home Minister to take tough action against those who are spreading the poison of communalism and trying to divide the people of the country for their political gains. Whether it is Subramanian Swamy who speaks and writes against Muslims and Christians or it is Sanjay Raut who speaks and writes against Muslims and Christians or many others, the Home Ministry need to take action against these people to save unity of the country.

I come from Assam where the infiltration is a big issue. This became tool for many to harass and torture genuine citizens and label them with Bangladeshi. Our party AIUDF has clear stand on the issue that all those who came to India before 25th March 1971 should be treated as Indian and must be given all rights. On the other hand those who came to India illegally after 25th March 1971 should be considered as foreigners and must be deported to their countries.

It is very painful matter that in a time when updation of National Register of Citizens (NRC) is under process, the President of Ruling Party Shri Amit Shah is speaking in Assam that if his party comes to power in Assam, "Some Hindus who have come from Bangladesh due to religious disturbances. BJP will give all

* Speech was laid on the Table.

of them citizenship. Not only in Assam, but the party will work towards giving Indian citizenship to all Bangladeshi Hindu migrants across the country, "Shah said at a rally here as quoted by Times of India and many other national newspapers. I fear that such statement by a leader from ruling party would leave a very bad affect and will disturb the law and order situation in Assam and other states of the North East. It would also put influence in process of the NRC updation. Therefore, I request Hon'ble Home Minister to act.

I welcome the process of NRC updation/preparation in the state of Assam. In the interest of smooth, uniform and transparent implementation of the NRC updation/preparation programme for the error-free updated NRC, we extend full co-operation with the concerned authority dealing with the NRC updation/preparation. We have gone through the modalities and operational guidelines circulated so far as well as preparation already taken by the authority and it is felt necessary to bring the following few points to your kind notice for appropriate action.

NRC 1951 has been published partially in the NSK and Web site. Authority should ensure publication of NRC 1951 in full.

Voter list of 1970 and partial voter list of 1966 have been published in the NSK and web site. Authority should ensure publication of 1966 voter list in full as well as all other voter list like 1952, 1954, 1959, 1962 etc. published and make available in all NSK prior to 1971. There are some mistakes in name in the already published voter list at NSK as compared with the certified copies available with the public. These discrepancies are to be addressed immediately as well as publication of all voter lists published prior to 1971 is to be ensured. For correction of errors in earlier voters' lists, affidavits sworn by concerned persons should be accepted.

A detailed guideline should be framed and circulated for the special cases like Orphan/Homeless People etc. for inclusion of their names in NRC.

In the interest of smooth, uniform and transparent implementation of NRC updation/preparation programme throughout the state, a handbook containing each and every aspects of modalities and guidelines should be published and widely circulated.

I would like to state that it has been the practice for last few years that some extremists groups are trying to harass and threaten these poor labourers and even killing them to collect extortion which has created a very tense environment there. In the incident that took place on 5th April in Meghalaya, 14 poor labour were killed. In 2013, at least 20 labours were killed by militants at Nagamapal area in Imphal West district of Manipur. In March this year, a youth of Assam was lynched publicly in Dimapur of Nagaland. I request the Home Minister to ensure the security and safety of people of Assam wherever they live.

The law and order situation in Assam has been a matter of concern. The crimes like murder, extortion, kidnapping, rape and harassment, etc., are prevailing in Assam. The criminals are ruling the area while the administration has totally failed to preserve the law and order situation. The time to time incidents in BTAD area by Bodo extremists targetting non-Bodos are known to all. I request to Hon'ble Home Minister to look into the matter to preserve the law and order situation in Assam.

The incident in which five Muslim youths undertrials were killed in Telangana in suspicious situation, they were shot dead when they were in police custody. Besides, there are thousands of Muslim youth who are in jail for years without any proper proof. I request Hon'ble Minister to solve their matter through speedy trial.

***श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली)** गृह मंत्रालय के अनुदानों की मांगों को समर्थन करता हूँ । पूर्व सरकार कि तुलना में घटनाओं में कमी आई है इसलिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ, लेकिन फिर आज हमारे देश में नारी सुरक्षा, नक्सल आतंकवाद, साईबर क्राईम, इत्यादि सुरक्षा हमारे देश के लिए एक बड़ी चुनौती है । आज हमारे गुजरात में महिलाएँ बहू-बेटियाँ महंगे गहने पहनकर भी बिना डर पूरे गुजरात में घूम-फिर सकते हैं, लेकिन वहीं बहू-बेटी जब गुजरात से बाहर जाते हैं तो उन्हें भय लगता है, सुरक्षित माहौल नहीं है, कोई भी दिन ऐसा नहीं है जो नारी अत्याचार संबंधित न्यूज न हो, हाल ही में गाजियाबाद में बदमाशों द्वारा एक महिला से चैन झपटा और उनके बच्ची के उपर गोली चलाया और भाग निकल, इस प्रकार कि घटनाएं दिल्ली, यू.पी. बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल इत्यादि प्रदेशों में बहुत आम है, और आये दिन होते रहते हैं, यूपी के बदायूं रेप हत्याकांड पूरे देश को हिलाकर रख दिया इसी प्रकार बंगाल में भी एक ओल्ड ऐज महिला के साथ रेप हुई जो पूरे देश को शर्मसार किया । महोदय आज हमारे देश के लिए नक्सलवाद एक बहुत बड़ी समस्या है जो छत्तीसगढ़ में नक्सलियों द्वारा लगातार हमारे सी0आर0पी0एफ0 के जवानों पर हमला होना एक ताजा उदाहरण है, नक्सलवाद हमारे देश में विकास को भी प्रभावित करते हैं, सरकारी कार्य को बाधा पहुंचाना एवं लेवी वसूलना नक्सलियों का फंड रेजींग का मुख्य कार्य है, आज-झारखण्ड, छत्तीसगढ़, ओडीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु इत्यादि प्रदेशों में नक्सलवाद बहुत मजबूत है, ओर सरकार को नक्सलवाद का अंत कैसे हो इसपर बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए ।

आज पुलिस मोर्डेनाईजेशन हमारे देश के लिए एक चुनौती है, आज हमारे देश में पुलिस पूर्ण प्रशिक्षित नहीं है, आज हमारे देश के पुलिस स्टेशन में कार्य शैली बहुत ही पारंपरिक तरीके से होते हैं हजारों केश लंबित होते हैं । देश में पुलिस मोर्डेनाईजेशन कैसे हो इस विषय जल्द से जल्द गंभीरता से सोचना चाहिए । हिन्दुस्तान के चारो ओर से देश में हो रहे घुसपैठ हमारे देश के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाईना द्वारा हमेशा किसी न किसी रूप घुसपैठ को अंजाम देते रहते हैं इस विषय को लेकर जल्द से जल्द आवश्यक कार्यवाही करे ऐसा मेरा निवेदन है ।

मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि पूरे देश में सबसे बड़ा अगर समुद्री किनारा है तो वह गुजरात में है । 1640 किलोमीटर का समुद्री किनारा है वहां पाकिस्तान, बांग्लादेश, जाफना श्रीलंका जैसे देशों में आपदा सालाना आता है और हमारे देश कि अर्थ व्यवस्था को हिला कर रख देता है तो उसपर भी ध्यान देना पड़ेगा ।

***श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) :** देश में अमन-भाईचारा बना कर रखना गृह विभाग का मुख्य जिम्मेवारी है। अखंड भारत को सभी जाति धर्म को जोड़कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। महिलाओं के हिंसा पर और भी मजबूत कानून बनाना। महिला सुरक्षा जरूरी है। गृह विभाग पड़ोसियों से बेहतर रिश्ता बनाने में बेहतर भूमिका निभाये। सीमा पर तैनात जवानों की मुसीबत तकलीफ को सरकार ध्यान देकर विशेष ध्यान दें। हमारी मुलाकात सीमा के जवानों से हुई -जो बर्फ में खड़े रहकर देश की सुरक्षा करते प्राणों की आहुति देते उन्होंने कहा जब मेरे घर गाँव में हमें परेशानी होती है तो डी.एम. ध्यान नहीं देते। कृपया जवानों की परेशानी पर डी.एम. ध्यान दे। यही यह मांग था की आधुनिक सुविधा; वाहन आधुनिक अस्त्र-शस्त्र संसाधन मिलना चाहिए। भवन-वाहन मिलना चाहिए।

जो उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र हैं वहां गरीबों के लिए आदिवासी -दलितों के लिए विशेष विकास के लिए ध्यान दिया जाय। राशि दिया जाए।

मैं बाँका संसदीय क्षेत्र से आता हूँ जो जंगल-पहाड़ से घिरा है। गरीब पिछड़ा क्षेत्र इसे विशेष नक्सल प्रभावित पिछड़ा क्षेत्र में लिया जाय। बाँका, मुगेर, जमुई लखीसराय में यातायात पेयजल एवं गरीबों को न्याय मिले ऐसी व्यवस्था किया जाय। हमारा क्षेत्र झारखण्ड से जुड़ा-कृपया विशेष ध्यान एवं सुविधा दिया जाए। गरीबों के साथ न्याय हो एवं चतुर्दिक विकास हो ध्यान देना सरकार का दायित्व है।

गृह मंत्री जी से मांग है कि बाँका संसदीय क्षेत्र पर ध्यान दिया जाए।

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : माननीय उपाध्यक्ष जी, बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय की मांगों पर चर्चा हो रही है। यह सच है कि किसी सरकार की जिद-जान गृह मंत्रालय को माना जाता है। उस पर हम गंभीरता और संवेदनशीलता से विचार कर रहे हैं।

महोदय, विषय तो बहुत हैं, चर्चाएँ बहुत की जा सकती हैं, क्योंकि 67 वर्षों में इस देश में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, इलाकों के नाम पर जो लोगों को आपस में लड़ाकर यहाँ के भाई-चारे के रिश्ते को तोड़ा गया, पोलिटिकल मोटिव के लिए, ऐसे बहुत मसले विचारे जा सकते थे, किन्तु मेरे पास समय नहीं है। इसलिए मैं दो-तीन बातें माननीय गृह मंत्री जी के ध्यान में आपके माध्यम से लाना चाहता हूँ। हमारे साथ जो डिस्क्रीमिनेशन आज़ाद भारत में हुआ, आज के गृह मंत्री जी से हम अपेक्षा करते हैं कि वे दूर करेंगे। क्योंकि ये जो हमारे राइट में बैठे हैं, इन्होंने हमेशा अपने राजसी मोटिव के लिए, जैसे मैंने कहा कि देश का विधान और कानून सबको छींके पर टांगकर फँसले किये।

महोदय, यहाँ सब प्रदेश भाषा के आधार पर बने। पंजाबी भाषा के आधार पर प्रदेश बनाने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ा। जब प्रदेश बन गया तो वहाँ की जो राजधानी चंडीगढ़ थी, उसके फार्मूले में तहसील को ईकाई माना गया। वह तहसील जो खरड का हिस्सा थी, वह पंजाब का हिस्सा बनती थी, किन्तु कहा गया कि हरियाणा के पास अभी राजधानी के लिए जगह नहीं है, कुछ समय के लिए पंजाब उसको दे दे। फिर सांझी राजधानी बना दी और हाई कोर्ट भी सांझा रख लिया। पर अभी तक वैसे ही चला जा रहा है। दूसरा डिस्क्रीमिनेशन हमारे साथ यह हुआ कि 60:40 के रेशियो में वहाँ के मुलाजिम अफसर बांटे गए। अब क्या हो रहा है? पंजाब के 20 परसेंट मुलाजिम भी वहाँ नहीं रहे। पंजाबी को बिल्कुल अनगौले ही कर दिया। मैं माननीय गृह मंत्री जी से अपेक्षा करता हूँ कि यह जो डिस्क्रीमिनेशन हमारे साथ है, इसको दूर किया जाए। दूसरे, हमारा विधान सैकुलर है, वह सब धर्मों का सम्मान करता है। हमारे सम्प्रदाय के लोगों ने अंग्रेजों के विरोध में लड़ाई लड़ कर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी बनाई और उस समय महात्मा गांधी जी और पंडित नेहरू जी की ओर से कहा गया कि आपने देश की आजादी की पहली लड़ाई जीती है, हमें बधाई दी गई।

मुझे इस बात का खेद है कि इन लोगों ने हमारे गुरुद्वारा प्रबन्धन को भी तुड़वा दिया। हरियाणा की जो पिछली सरकार थी, उसने अलग कमेटी बनवा दी। हम चाहते हैं कि अब माननीय गृह मंत्री जी हमारे साथ हुए उस डिस्क्रीमिनेशन को दूर करें। दूसरे हमारे गुरुद्वारा प्रबन्धन को जो सिख देखते हैं, उसमें ये सहजधारियों को लाये और उस मामले में उस समय के माननीय गृह मंत्री आडवाणी साहब ने यहां से नोटिफिकेशन करा दिया कि सहजधारी गुरुद्वारा प्रबन्धन में वोटर नहीं बन सकते, किन्तु माननीय अदालत ने

कहा कि इसके लिए पार्लियामेंट एक्ट बनाये। आज वह गृह मंत्रालय के पास पड़ा है, हम चाहते हैं कि उसमें भी एमेंडमेंट करें, क्योंकि, इस देश की आजादी के लिए और आजादी के बाद जो लोगों ने हिस्सा डाला और इस देश की भुखमरी दूर करने में हिस्सा डाला, हम अपेक्षा करते हैं कि हमें इन्साफ मिलेगा।

पंजाब बोर्डर स्टेट है, बोर्डर स्टेट में पाकिस्तान के साथ फेंसिंग लगी हुई है, उसके बाहर जिन लोगों के खेत हैं, उनको बड़ी मुश्किल आती है। थोड़े समय के लिए वे काम पर जाते हैं, मैं चाहता हूँ कि वहां के जो किसान हैं, सरकार उनकी जमीनें या तो कांट्रैक्ट पर ले ले या सरकार ही खरीद ले। उनका क्या कसूर है, उनको तो आधी फसल भी वहां से नहीं मिलती, इसलिए वे बहुत दुखी हैं। हमारी जो पुलिस है या जो रोड्स हैं, उनको स्ट्रेंदन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा दिया जाये, ताकि हमारे सरहदी क्षेत्र की वजह से हमारा जो नुकसान होता है, हम उसको बचा पायें।

मैं शिरोमणि अकाली दल की ओर से माननीय गृह मंत्री जी से अपेक्षा करता हूँ कि हमारे प्रदेश में मिलिटेंसी के समय एक समय ऐसा आया, जब वहां के लोग परदेशों में चले गये, अब वे वापस आना चाहते हैं, उन पर कोई केस नहीं है, जब वहां की हमारी एम्बेसी में जाते हैं तो हमारा जो गृह मंत्रालय का फॉरेन विंग है, उसने एक ब्लैक लिस्ट बनाई हुई है, वे उनको यहां आने नहीं देते। हमारे मुख्यमंत्री माननीय प्रकाश सिंह जी बादल ने और डिप्टी सी.एम. सुखबीर बादल जी ने भी कई लैटर्स लिखे हैं, लेकिन उस पर हमें कोई इन्साफ नहीं मिल रहा। हमारे लोग हमारे देश में आना चाहते हैं, उनके ऊपर कोई केस भी नहीं है, उनको आने में सुविधा के लिए यह जो ब्लैक लिस्ट है, वह खत्म होनी चाहिए और जो वीजा के लिए उनको फॉरेन इंडियन एम्बेसी में रोका जाता है, उसमें भी मैं समझता हूँ कि सुविधा मिलनी चाहिए।

धन्यवाद।

श्री आर.के.सिंह (आरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस महत्वपूर्ण वाद-विवाद में हिस्सा लेने के लिए आपने मुझे अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

यदि कोई एक मंत्रालय है, जिसका कुशल संचालन देश पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है तो वह गृह मंत्रालय है। यह मंत्रालय हमारे देश की एकता, अखंडता और आन्तरिक सुरक्षा का कस्टोडियन है। हमारे देश की आन्तरिक सुरक्षा पर कई सारे चैलेंजिज़ हैं। इसकी यूनिटी और इंटीग्रिटी के ऊपर कई सारे चैलेंजिज़ हैं, इसलिए इसके संचालन में धैर्य, सूझ-बूझ, समझदारी, विद्वता और निर्भीकता की आवश्यकता है। एक और चीज़ की आवश्यकता है, जो इसमें सबसे अहम है और वह यह है कि यह मंत्रालय और इस मंत्रालय के नेता देशहित को सबसे ऊपर रखें, पोलिटिकल कंसीड्रेशन से ऊपर रखें। मुझे लगता है कि सभी लोग आश्वस्त हैं कि वर्तमान स्थिति यह है कि वर्तमान संचालन में देशहित को सर्वोपरि रखा जाता है। अगर पूर्व में इसमें कभी भी, कहीं भी थोड़ा सा भी विचलन हुआ है, तो मैं आपको बता दूँ कि देश का कोई भी व्यक्ति इसे पसंद नहीं करता है, चाहे वह किसी भी पॉलिटिकल परसुएशन का क्यों न हो। अन्दर-अन्दर उसे यह खराब लगता है कि देशहित के साथ समझौता हुआ है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सामने जो चैलेंजेज हैं, हमारे देश की एकता, अखंडता और आन्तरिक सुरक्षा के सामने जो चैलेंजेज हैं, हम लोग इन पर गौर करें। इनमें कुछ चैलेंजेज ऐसे हैं जो कि हमारे पड़ोसी देशों के कारण हमारे सामने हैं। कुछ चैलेंजेज ऐसे हैं जो कि हमारी गलतियों के कारण हैं। इतिहास में हमने कोई गलती की, इसके कारण ये चैलेंजेज हमारे सामने हैं। कुछ चैलेंजेज ऐसे हैं, जो कि किसी भी देश के निर्माण के दौरान उभर कर आते हैं और कुछ चैलेंजेज ऐसे हैं, जो इन तीनों के सम्मिश्रण हैं। अगर हम ऐसे चैलेंजेज की बात करें, जिसमें इन सभी का सम्मिश्रण है, तो उसमें से एक है जम्मू व कश्मीर का चैलेंज। इस चैलेंज में, पूर्व में, इतिहास में जो गलतियां की गयीं, उसका परिणाम हम लोग आज भी भुगत रहे हैं। साथ ही साथ, हमारे जो पड़ोसी हैं, इसमें उनके कार्य-कलापों का भी कुप्रभाव है। यह कुप्रभाव उस समय भी था और अभी भी चला आ रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतिहास दोहराना नहीं चाहता। लेकिन, यदि हम लोग इतिहास पर गौर नहीं करेंगे तो हम लोग अपने सामने की समस्या का समाधान नहीं निकाल पाएंगे। इसका समाधान निकालने में हमारी दृष्टि, जो स्पष्ट होनी चाहिए, हमारी सोच, जो स्पष्ट होनी चाहिए, वह नहीं हो पाई।

महोदय, सबसे पहले हम लोग इस समस्या को 'कश्मीर समस्या' कहना बंद करें। कश्मीर मात्र एक क्षेत्र है एक प्रांत का। पूरा प्रांत है - जम्मू, कश्मीर और लद्दाख। कश्मीर उसका मात्र एक क्षेत्र है। मैं यह किसी विशेष कारण से, किसी विशेष प्रयोजन से कह रहा हूँ। बार-बार ऐसा कहे जाने से लोगों को यह

लगता है कि कश्मीर ही, वह पूरी घाटी ही जम्मू-कश्मीर है, जबकि ऐसी बात नहीं है। उसके और भी हिस्से हैं, बड़े-बड़े हिस्से हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जब कश्मीर के एक्सेसन का समय आया, एक तो एक्सेसन के पूर्व जो कार्रवाई की गयी, उस समय वहां के महाराजा के खिलाफ़ शेख अब्दुल्ला कुछ आंदोलन चला रहे थे। कांग्रेस पार्टी में यह मत था कि रजवाड़ों के आंतरिक मामलों में हम लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन, पंडित नेहरू जी ने वहां जाकर, शेख अब्दुल्ला के पक्ष में, हस्तक्षेप करने का प्रयास किया। उन्हें रोका गया। उन्हें गिरफ्तार किया गया। लेकिन, इससे महाराज सशंकित हो गए और एक्सेसन में जो विलम्ब हुआ, उन्होंने जो विलम्ब किया, उन्होंने इसी संशय के कारण वह किया। मैं यह बता दूँ कि सरदार पटेल तथा कांग्रेस के अन्य नेतागण इस मत के थे कि आज़ादी का आंदोलन ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ ही चलाया जाए और जो रजवाड़े हैं, उनके मामलों में हम लोग न घुसें। लेकिन, उससे डिपार्चर हुआ, जिसका कुपरिणाम हुआ। जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया, उसके बाद महाराज ने कश्मीर के भारत में एक्सेसन का पत्र भेजा। एक्सेसन का वह पत्र अन-कंडीशनल था। उसमें कोई शर्त नहीं थी। लॉर्ड माउन्टबैटन ने जो उत्तर दिया, उसमें उन्होंने दो लाइनें लिख दीं कि 'जब स्थिति सामान्य होगी तो हम जनता की राय जानना चाहेंगे।' जबकि इसकी आवश्यकता नहीं थी।

HON. DEPUTY SPEAKER: Please conclude.

श्री आर.के.सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो मैंने प्रारंभ ही किया है।...(व्यवधान)

महोदय, कंस्टीट्यूशन के निर्माण के दौरान उसमें जो आर्टिकल-370 रखा गया, उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं थी। उस समय उसके लिए कोई डिमांड नहीं था। सिर्फ़ शेख अब्दुल्ला के द्वारा ही वह डिमांड की गयी थी।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please restrict yourself to the Ministry of Home Affairs. Do not go into other matters.

... (Interruptions)

श्री आर.के.सिंह : महोदय, अभी तो मैंने शुरू किया है। ... (व्यवधान) गृह मंत्रालय एक बहुत बड़ा मंत्रालय है। यदि आप हमें मौका नहीं देंगे तो मैं जस्टिस नहीं कर पाऊँगा। ... (व्यवधान) वर्तमान में जो समस्या है, उसका एक पहलू यह समस्या है। ... (व्यवधान) इस समस्या का दूसरा पहलू है। ... (व्यवधान)

महोदय, मैं दूसरे पहलू पर आता हूँ। दूसरा पहलू पाकिस्तान से हस्तक्षेप है। ... (व्यवधान) यह पाकिस्तान से हस्तक्षेप कई कारणों से है। ... (व्यवधान) मैं ईल्ड नहीं कर रहा हूँ। ... (व्यवधान)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): My point of order is, this discussion is on Demands for Grants. If the hon. Member wants to give some constructive suggestions out of his experience, let him tell that. He is telling all the history which has nothing to do with this. We can also tell. We can tell so many things. I purposely did not say so many things, which I wanted to tell. ...
(Interruptions)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Member, you just tell as to what do you want. You tell precisely as to what do you want.

... (Interruptions)

श्री आर.के.सिंह : महोदय, वह समस्या का एक पहलू है, जो हमें विरासत में मिली है। ... (व्यवधान) यह सुनने में किसी को खराब नहीं लगना चाहिए। ... (व्यवधान) यह पॉलिटिक्स की बात नहीं है, यह इतिहास की बात है। ... (व्यवधान) यह समस्या हमें विरासत में मिली और उसको कांप्लिकेट करने के लिए हमारे नेबरिंग कंट्री से इन्टर्फेयरेंस। ... (व्यवधान) यह इन्टर्फेयरेंस तीन प्रकार का है। ... (व्यवधान) एक तो सेप्रेटिस्ट्स की फंडिंग, यह जाँचने की आवश्यकता है कि जो सेप्रेटिस्ट्स हैं, इसके बारे में सब जानते हैं। ... (व्यवधान) वे इतनी लैविश लाइफ स्टाइल कहाँ से लीड करते हैं, राशि कहाँ से आती है, इसकी जाँच की आवश्यकता है। दूसरा स्टैंड है, टेररिस्ट को वहाँ पर ट्रेन्ड करके भेजना। इन दोनों स्टैंड के अतिरिक्त तीसरा स्टैंड उनका यह है कि यहाँ पर जो भी हम लोग कदम उठाते हैं या जो भी कार्रवाई करते हैं, वह एक पूरे सुनियोजित तरीके से एक रॉग इन्फॉर्मेशन देना, मिस इन्फॉर्मेशन कैम्पेन करना।

महोदय, हम टेररिस्ट की ट्रेनिंग और उन्हें भेजने की बात कर रहे हैं और सेप्रेटिस्ट्स की कार्रवाई बात कर रहे हैं। सेप्रेटिस्ट्स का कहना है कि वे पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ एक कौम की बहुतायत है। यह आर्ग्यूमेंट नहीं चल सकता है। जो बात वे करते हैं, जितने पाकिस्तान में उस कौम के लोग हैं, उससे ज्यादा लोग हमारे यहां ऑलरेडी हैं। यह बेसिस नहीं हो सकता है। जहाँ तक टेररिस्ट्स की ट्रेनिंग और उनको भेजने का प्रश्न है, इसके विरोध में हम लोगों ने कार्रवाई की। लाइन ऑफ कंट्रोल पर

फेंसिंग की है। वह फेंसिंग इफेक्टिव हुई। फेंसिंग के बाद हमने आर्मी का डिप्लायमेंट भी किया। मैं गृह मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि उस फेंसिंग को स्ट्रेंथेन करने की जरूरत है। यह ऐसा फेंस है, जो हर एक विंटर में गिर जाता है, स्नो से दब जाता है।

HON. DEPUTY-SPEAKER: We have to finish at seven o'clock. Many Members want to speak on this. Already you have taken ten minutes.

... (Interruptions)

श्री आर.के.सिंह : महोदय, आवश्यकता इस बात की है कि उस फेंस को स्ट्रेंथेन किया जाए। यह बात रक्षा मंत्रालय की ओर से उठाई गई थी। आर्मी चीफ को गृह मंत्रालय में बुलाया गया था और उनसे कहा गया था कि एक्सपर्ट ग्रुप को एप्वाइंट करें, जो उसकी स्टडी करे कि कैसे फेंस को स्ट्रेंथेन किया जा सकता है। मैं गृह मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि यह समीक्षा कर लें कि उस पर क्या कार्रवाई हुई? फेंस अगर स्ट्रेंथेन हो जाएगी, तो इनफिल्ट्रेशन बहुत हद तक रुकेगा। फेंसिंग के बगल में जो डिप्लायमेंट है, उसे स्ट्रेंथेन करने की जरूरत है। बीच में डिप्लायमेंट कहीं पर अगर कमजोर हुआ, जैसा कि एक बार हुआ था, तो उधर से ही इनफिल्ट्रेशन हो गया। इस ओर समीक्षा करने की आवश्यकता है। तीसरी बात यह है कि गाइड्स के मार्फत इंफिल्ट्रेशन होता है। गाइड्स पर अंकुश लगाने, उनको आइडेंटिफाई और गिरफ्तार करने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, दो-तीन कार्यों की और आवश्यकता है। हमने पाया है कि वहां जितने मस्जिद थे, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अमूमन सभी मस्जिदों में मौलवी बाहर के हैं, वे कश्मीर के नहीं हैं। ऐसे मौलवी वहां लाये गये हैं जो कट्टरपंथी हैं। जो कश्मीरियत थी, जो कश्मीरी इस्लाम का लहज़ा था, उसे जान-बूझ कर लुप्त करने का प्रयास किया गया है। हम लोगों ने वहां के पदाधिकारियों को कहा था कि वहां पर जो बाहरी लोग हैं, जो मौलवी आये हैं उनको लोकल मौलवियों से रिप्लेस करने की जरूरत है।
...(व्यवधान)

HON. DEPUTY-SPEAKER: I want to complete the discussion. You please wind up.

श्री आर.के.सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने पाया है कि जो लोग उस पार मिलिटैन्सी ज्वाइन करने के लिए गये थे, अब वे लोग उससे तंग आ चुके हैं, वे लोग वापस आना चाहते हैं और बहुत लोग वापस आ रहे हैं। अगर वे सीधे नहीं आ सकते हैं तो वे नेपाल होकर आ रहे हैं। इस प्रकार वे इस मिलिटैन्सी और पाकिस्तान के रवैये से डिसैन्चान्टेड हो गये हैं। हम लोगों ने प्रयास किया था और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वह प्रयास जारी रहे, उनको वापस आने के लिए फ़ैसिलिटेड किया जाये और उनके रिहैब्लिटेशन की

कार्रवाई की जाये। हम लोगों ने राज्य सरकार से अनुरोध किया था कि इस प्रकार के जो रिटर्नीज हैं, उनके रिहैब्लिटेशन की हम लोगों को प्रस्ताव दे। वह प्रस्ताव आया है या नहीं आया है, हमें यह जानकारी नहीं है। गृह मंत्री महोदय इसकी समीक्षा कर लेना चाहेंगे। मेरा यह निवेदन होगा कि अगर वह प्रस्ताव नहीं आया है तो वह उसे मंगाएं और उस प्रस्ताव को तुरन्त लागू करवाएं। टेररिस्ट्स वापस यहां आये हैं, जो पूर्व में टेररिस्ट्स थे और अब वे मेन-स्ट्रीम में आना चाहते हैं, वे पाकिस्तान अकुपाइड कश्मीर से वापस आना चाहते हैं, हम उनको फैसिलिटेट कर सकें।

सरकार दो-तीन और कार्यक्रम चला रही है, जो कि बहुत यूजफुल है। एक कार्य है - स्पेशल इंडस्ट्री इनिशिएटिव्स, वहां पर जो आम आदमी हैं, वे चाहते हैं कि नॉर्मल जिन्दगी जाएं, उनके बच्चे पढ़-लिख कर नौकरी करें, उनकी मंशा यही है। उसके लिए स्पेशल इंडस्ट्री इनिशिएटिव्स प्रारंभ किये गये हैं। स्पेशल इंडस्ट्री इनिशिएटिव्स में यह प्रावधान है कि हमारे जो बड़े-बड़े घराने हैं, इंडस्ट्रीयल हाउसेज हैं, वे वहां पर ग्रैजुएट और पोस्ट ग्रैजुएट बच्चों को सेलेक्ट करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे और नौकरी देंगे। उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। ... (व्यवधान) यह भी प्रावधान है कि हम सी.ए.पी.एस. में स्पेशल रिक्रूटमेंट्स करेंगे। ... (व्यवधान) इसका भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा।... (व्यवधान)

HON. DEPUTY-SPEAKER: You are going to some other subject. Please wind up.

श्री आर.के.सिंह: मैं दूसरे पहलूओं पर जल्दी-जल्दी बोलता हूं। हमारे देश के सामने दूसरी महत्वपूर्ण समस्या है, वह नॉर्थ-ईस्ट की समस्या है। नॉर्थ-ईस्ट के मेजर इनसर्जन ग्रुप, एन.एस.सी.एन.(आई.एम.) से बातचीत चल रही है। बातचीत एक मुकाम पर पहुंची थी। पहले के जो इंटरलोक्यूटर्स थे, वे ऐसी बात को लाये थे, उनमें बहुत-सारे ऐसे बिन्दु थे जो हमारे लिए ऐक्सेप्टेबल नहीं थे। हम कोई भी ऐसे एग्रीमेन्ट को नहीं मान सकते हैं जो देश के लॉग टर्म इन्टरेस्ट के खिलाफ हों। बाद में उनसे बातचीत हुई, उसमें सुधार हुआ, उस पर भी आम सहमति बन गयी थी, लेकिन मणिपुर सरकार को मनाना आवश्यक है। इसमें हम लोग प्रगति नहीं कर पाये थे, उसको परशू करने की बहुत आवश्यकता है। यह भी आवश्यक है कि जब तक यह हो रहा है तब तक 'सीज फायर' के रूल्स को स्ट्रीक्टली इम्प्लिमेंट किया जाये। वह नहीं हो पा रहा है और एक्सटॉर्शन जारी है। नॉर्थ-ईस्ट की एक मुख्य समस्या यह है कि इनसर्जन ग्रुप्स का सेल्टर म्यांमार में है। अभी माननीय गृह मंत्री के लिए यह प्रॉब्लम क्रिएट हो गयी है। म्यांमार सरकार अपने यहां एथनिक ग्रुप्स के साथ पीस एग्रीमेन्ट कर रही है।... (व्यवधान)

HON. DEPUTY-SPEAKER: You have taken nearly 15 minutes. Please wind up because other hon. Members want to speak. There is a limit to speak.

SHRI R.K. SINGH: Sir, I just wind up. यह आवश्यक है कि हम लोग म्यांमार बॉर्डर का मैनेजमेन्ट सही ढंग से करें। यह नहीं हो पा रहा है क्योंकि असम राइफल्स का डुअल कंट्रोल है। हमने प्रस्ताव दिया था कि डुअल कंट्रोल समाप्त हो और असम राइफल्स गृह मंत्रालय के अधीन आ जाए क्योंकि गृह मंत्रालय उसका बजट मीट करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है। यह मामला लंबित है और बहुत आवश्यक है। नार्थ-ईस्ट की एक और समस्या है और वह इन्फिल्ट्रेशन है और इन्फिल्ट्रेटर्स को आइडेंटिफाई करके वापिस भेजने की है। उसमें कठिनाई है। आईएमडीटी एक्ट के अंतर्गत...(व्यवधान)

वह हो नहीं रहा है। ...(व्यवधान) लेकिन असम के लिए अलग कानून बन गया है। असम के लोग आपको बता देंगे। बाकी जगह से पकड़कर फारेनर्स को रीपेट्रिएट करते हैं, असम से नहीं कर सकते।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: I cannot allow this.

... (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: How much more time would you take? Let other Members also speak.

... (Interruptions)

श्री आर.के.सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। तीसरा, वहाँ बोडो समस्या है और उल्फा से बातचीत करने की जरूरत है।...(व्यवधान) गृह मंत्रालय मेरा सब्जेक्ट रहा है। मेरे पास कहने के लिए मसले हैं।...(व्यवधान) हम माओवादी समस्या और वर्तमान में जो बजट आया है, इसकी बात करें। मैं देखता हूँ कि माओवादी समस्या वहाँ-वहाँ निपट गई जहाँ स्पैसिफिक ट्रेंड फोर्सेज हैं। आंध्र प्रदेश से उसका सफाया हो गया। स्पैसिफिक ट्रेंड फोर्सेज के लिए स्पेशल इन्फ्रास्ट्रक्चर इनीशिएटिव या स्पेशल इन्फ्रास्ट्रक्चर स्कीम थी जिसके अंतर्गत राज्य सरकारों को स्पेशल फोर्सेज की ट्रेनिंग के लिए हम राशि देते थे।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: There are Members from other Parties also. Let them speak.

... (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: That is enough.

... (Interruptions)

श्री आर.के.सिंह: मैं देख रहा हूँ कि बजट में उसे समाप्त कर दिया गया है।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: You are speaking about issues from Jammu & Kashmir to Kanyakumari, North-East; South, East. That is enough

... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: You have already taken 15 minutes. Whatever you want to speak, you have to briefly speak. You cannot go on speaking.

... (*Interruptions*)

श्री आर.के.सिंह: यह देश की सबसे महत्वपूर्ण समस्याएं हैं। मैं पाता हूं कि बहुत सारी महत्वपूर्ण स्कीम्स काट दी गई हैं। अगर ऐसे मंत्रालय से जो देश की एकता और अखंडता के लिए जिम्मेदार है इस प्रकार महत्वपूर्ण स्कीम्स को काट दिया जाएगा तो यह सही बात नहीं है। वित्त मंत्रालय को इस बारे में सोचना होगा। धन्यवाद।

***SHRI D.K. SURESH (BANGALORE RURAL):** As far as women safety is concerned, the efforts of Ministry are not yielding desired results. Every day, the issue of women harassment, rape cases, and sexual assault are being reported in the country. Major cities including Delhi, the national capital are more in the news headlines for women and girl security. From school girls including small kids to working women are facing the safety challenges in every part of the country. The Union Government has allocated Rs. 1000 Crore additional fund as the Nirbhaya Fund to strengthen the measures of women safety and security.

Increasing budgetary allocation is a welcome step but there is a need to ensure useful spending of the allocated funds to achieve women safety objective in an effective and meaningful manner. The Government should create a roadmap to provide infrastructure like installation of CCTV at strategic locations, introduction of public transportation services with CCTV surveillance, increasing the number of women police stations, provide training to women and girls to protect themselves from threats, introduction of more helpline numbers to take care of women and girls, establishment of hospitals for women etc should be taken up by the Government to provide better security to women and girls. Apart from these steps, the Government should sensitise the authorities to take steps to better handling of safety of women.

In order to provide rehabilitation for rape victims, sufficient number of rape crisis centres should be set up on the country. Every district of the country should be set up with rape crisis centre. However the union budget for the 2015-16 has allocated only Rs. 18 Crore for this purpose. I would like to say that this amount is very inadequate and it is not possible to meet the required number of rape crisis centres with the insufficient amount. Therefore I urge the union Govt to increase the allocation for setting up of rape crisis centres in every district of the country.

* Speech was laid on the Table.

With regard to modernization of police force, I would like to point out that the allocation made in the budget is very insufficient. The Hon'ble Finance Minister allocated only Rs 1500 Crore for the modernisation of police forces. It is the need of the hour to enable our police personnel to obtain the best possible training and equipment to face the challenges of Naxalites, left wing extremists, terrorism etc. Many a times, the law and order of the country becomes a big challenge for the day to day living in the country particularly in the north eastern states. There are new incidents coming in the view of living peaceful life, for example the women security issue, cyber fraud, betting, etc should be dealt in a better way. Keeping all these in view, the union govt should increase the funds for modernization of police forces.

India has been traditionally vulnerable to natural disasters on account of its unique geo-climatic conditions. Floods, droughts, cyclones, earthquakes and landslides have been recurrent phenomena. About 60% of the landmass is prone to earthquakes of various intensities; over 40 million hectares is prone to floods; about 8% of the total area is prone to cyclones and 68% of the area is susceptible to drought.

Various natural calamities caused destruction of life as well as their property. The regions where a natural disaster such as flood occurs frequently the education of students is severely affect. Flood disasters will badly affect the performance of students particularly in elementary and secondary schools and their potential effects on children's access to quality education. It causes loss of learning hours, loss of qualified personnel, outbreak of waterborne diseases, high absenteeism and low syllabus coverage leading to children's poor academic performance.

Even as substantial scientific and material progress is made, the loss of lives and property due to disasters has not decreased. In fact, the human toll and economic losses have mounted. People lost their lives and about 30 million

people were affected by disasters every year. The loss in terms of private, community and public assets has been astronomical.

The goal of any warning system is to maximize the number of people who take appropriate and timely action for the safety of life and property. All warning systems start with detection of the event and with people getting out of harm's way. Such warning systems encompass three equally important elements namely; Detection and Warning; Communication; and Response.

In the last two decades, India has experienced a number of natural calamities such as floods, droughts, cyclones, earthquakes and landslides and suffered huge loss due to death of people, animals, destruction of properties. One thing clear from this is that the government of India is not adequately prepared to deal with such natural disasters.

Therefore I would like to suggest the government to take immediate steps to put in place proper disaster management strategy to face any eventualities to reduce the impact of it.

SHRI M.I. SHANAVAS (WAYANAD): Mr. Deputy Speaker, Sir, thank you very much for giving me an opportunity to express a few points with respect to the discussions on the Demands for Grants of the Ministry of Home Affairs. We, Indians, are endowed with a culture of harmony and amity even to our adversaries. We have inherited a culture which is the result of thousands of years of learning and values instilled.

Since there is not much time, I would directly proceed to call the attention of the hon. Home Minister with respect to a few issues that is boiling in this country. This is a vast country of 1.2 billion people. Amidst diversities, the unity of India stands on the foundation of secularism, democracy and the Constitution of India. Our Constitution guarantees our rights; our Constitution safeguards the interests of crores of people. Since Mr. Narendra Modi became the Prime Minister of this country, so many voices are being heard. I do not want to put entire blame on the Prime Minister alone. So many voices are being heard in our country with respect to each and every issue. From 16th May, 2014 onwards, a new era was born in where a vast section of Indians feel that something is wrong somewhere. My direct question to the hon. Home Minister is this. There are alarming news coming in from all over the country with respect to certain atrocities committed towards the minority communities and other sections of society. How many people have been arrested, how many people have been detained and what steps have been taken?

Sir, it is always being said that one community is responsible for the terrorist activities in the country. I would like to call the attention of this House with respect to a statistics. In 2014, there were 976 deaths from terrorism in India. Of this, 465 deaths occurred in the Northeast and the second highest figure of 314 deaths occurred from Left Wing Extremist affected areas. Apart from Jammu and Kashmir, only four lives were lost in 2014. So, terrorism is not the result of one section of society or one religion.

With respect to the crime ratio, I would like to state that the Nirbhaya case happened in Delhi when all of us in the Rajya Sabha and Lok Sabha and all over India, we were united in condemning it and taking steps against it. But the situation has come to such an extent that violence has increased manifold in Delhi, it has gone up by 100 per cent. In 2014 itself, the number of rape victims has increased and 1,571 cases were reported in 2013. Now it is 2,069. Due to paucity of time, I do not want to elaborate on statistics. Many crimes are happening in Delhi. Delhi has become the crime capital. Delhi Police is with the Home Ministry. But nothing is being done. Great visionary Mother Teresa is being attacked. Mahatma Gandhi's assassin Godse is being eulogized and he is being glorified. When Gandhiji's assassin gets such a glorifying praise in the modern history of India, how can this country move ahead?

The US President came here. After going back from India, he might have spoken high of India, spoken high of the Prime Minister. But he left a warning that secularism and the ideals of this country are in danger. So, when secularism is in danger, when our values are in danger, how can we move along? When something wrong is being done all over the country by some vested interests, how will it be possible for the country to move ahead and progress? Churches are being vandalised, pastors are being attacked, diktats are being sent to Missionary schools, Sunday Services and Carols are disrupted, Dalit Christians have got their own problems, forcible conversions are happening, supply of food grains under PDS is being refused to selected few and so many things are happening in this country. *Ghar vapsi* is a threat to the unity and secularism of this country. I want to ask the Home Minister that when such things are happening against the basic principles of the Constitution, what steps he has taken to control these things. They have to be controlled. The Prime Minister addressed a Church conference. Bishops were there. He said that everybody would be protected. But there is a feeling that nobody will be protected.

I want to tell you a recent incident. I saw a video which I am ready to handover to the hon. Home Minister. A person has been neck-tied to an electric post on the allegation that he is going to slaughter a cow; he has not slaughtered the cow. He is being beaten up. I will handover that video to the hon. Home Minister. Will you take steps?

In Telangana, five people were hand-tied and shot dead and it was said that it was encounter. So forcible encounters are being done; fake encounters are being done. An atmosphere is being created; a fear psychosis is being created in this country. We want to live peacefully. We are all brothers. Hindus, Christians, Muslims are all brothers. We will die for our country but we want security, we want protection. If that is not being given, there is no point in your continuing as the Home Minister of this nation.

Thank you, Sir.

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी पार्टी जनता दल यू की तरफ से गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। ... (व्यवधान) माननीय गृह मंत्री जी चले गये हैं, लेकिन गृह राज्य मंत्री जी बैठे हुए हैं। ... (व्यवधान) गृह मंत्री जी ने आज सुबह सदन में जो बात कही, उसे सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। अगर वे सदन में होते, तो मैं उन्हें जरूर उस बारे में कहता। जिस देश का गृह मंत्री यह बात बोले कि नेपाल और बिहार में जो त्रासदी आयी है, उस बारे में मुझे प्रधान मंत्री जी ने बताया है। वे दोबारा कहते हैं कि जब मैंने टी.वी. देखा तब मालूम हुआ। गृह मंत्री जी सदन में यह बात बोलते हैं, तो यह शोभनीय नहीं है। ... (व्यवधान)

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): गृह मंत्री जी ने यह कहा कि जब तक मुझे सूचना प्राप्त होती, देश के प्रधान मंत्री जी इतने तत्पर थे कि उन्हें सूचना उनसे पूर्व प्राप्त हो गयी। उनका कहने का यह उद्देश्य था। उनका यह कहने का उद्देश्य नहीं था कि उन्हें जानकारी नहीं थी। यह गलत है। ... (व्यवधान) मेरा आपसे आग्रह होगा कि आप इस विषय को उस दिशा में न ले जायें। ... (व्यवधान)

श्री कौशलेन्द्र कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी बहुत ज्यादा सीधे हैं, इसलिए उन्होंने हाउस में ऐसी बात कही। मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ कि सच्चे दिल से उन्होंने कुछ कह दिया। ... (व्यवधान)

महोदय, महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध पर नकेल कसने के लिए पिछली सरकार द्वारा लगभग दो साल पहले निर्भया फंड का गठन हुआ था, जिसमें सौ करोड़ रुपये दिये गये थे। इस साल भी इस फंड को बढ़ाया गया है। मगर चिंता की बात यह है कि निर्भया फंड की राशि खर्च नहीं हो पायी, इसलिए इस पर ध्यान देने की जरूरत है। देश में शांति और अमन-चैन है, तो लोग समझते हैं कि गृह विभाग बढ़िया चल रहा है। आज देश में क्या शांति है, क्या अमन-चैन है, यह हम सब जानते हैं। जम्मू-कश्मीर में जो घटना घटी, उसे पूरा देश देख रहा है। जहां आपके समर्थन से सरकार चल रही है, वहां पाकिस्तान का झंडा लहराया जाये और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाये जाएं, तो उस परिस्थिति में आज देश शर्मिंदा है। इस पर भी विचार करने की जरूरत है।

महोदय दिल्ली देश की राजधानी है। यहां देश और विदेश से लोग आते हैं। आपका पूरा तंत्र दिल्ली में है और दिल्ली में किसान आते हैं, पेड़ पर लटक कर फांसी लगा लेते हैं। प्रशासन मूक दर्शक है, चूंकि दिल्ली का प्रशासन इनके हाथों में है इसलिए मैं यह बात कह रहा हूँ।

आज पूरे देश में चाहे बिहार हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो आतंकवाद बढ़ रहा है। भारत सरकार को हर राज्य सरकार के साथ आतंकवाद के विषय पर बात करनी चाहिए। आज हमारी युवा पीढ़ी पढ़ लिख

कर, डाक्टर-इंजीनियर बनकर इसमें शामिल हो रहे हैं। आज हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं। चाहे चीन की सीमा हो या पाकिस्तान की सीमा हो, आज हमारी सरहद सुरक्षित नहीं है। हमारे देश के सुरक्षा जवान मारे जा रहे हैं। इस बारे में भी हम सभी लोगों को गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। अभी एक साथी बता रहे थे कि अगर किसी सुरक्षाकर्मी का ट्रांसफर छत्तीसगढ़ में होता है तो वे कहते हैं कि हमारा ट्रांसफर रुकवा दीजिए। ऐसी परिस्थिति में मेरा अनुरोध है कि यह बहुत चिंता का विषय है और इस पर माननीय मंत्री जी को विचार करने की जरूरत है।

SHRI R. RADHAKRISHNAN (PUDUCHERRY): Thank you hon. Deputy Speaker, Sir. In a diverse and a large country like ours, it is not an enviable job to provide security. At the outset, I would like to commend the hon. Home Minister and his team for shouldering such a huge responsibility.

As the Union Territory of Puducherry comes under the Home Ministry, I would like to raise a few issues pertaining to Puducherry. The budget for Puducherry is provided under the Home Ministry. Our administrative approving Department is the Home Affairs Department. In an aspirational society like ours, today people would like to see things happen very quickly. But the administrative process is very lengthy. First, we have to complete the administrative process at the UT of Puducherry. Then, it has to reach the Ministry of Home Affairs and from there it is forwarded to the concerned departments. In a few cases, it has been sent to the Legal Department also. So, any initiative takes months together to reach the people of Puducherry.

There has been a long pending demand to delegate and decentralize the authority and to provide enough authority to take decision making at the UT of Puducherry level itself. A Committee headed by the hon. Minister Shrimati Sushma Swaraj, 10 years back, had recommended Puducherry for Statehood. There are a lot of pending issues which come to the Union Government. We cannot follow them on a day-to-day basis. But we cannot find fault with the Home Ministry also because there are a lot issues which they have to attend. I also go to the Department frequently and I am quite aware of their problems. They are working overtime to attend to the needs of the country. So, in the interest of the people of Puducherry, we would request the Home Ministry to take steps to provide Statehood to Puducherry also.

This year's Finance Commission has provided a 10 per cent increase to all the States. We are happy for the States but unfortunately the benefit has not reached us because we are not a part of the Finance Commission. The Home Ministry considers us as a State and the Finance Ministry considers us as a Union

Territory. So, we are at no man's land. We have also represented it to the hon. Finance Minister and the hon. Home Minister. They have formed a Committee headed by the Additional Secretary of Integrated Finance to find out the financial issues pertaining to UT of Puducherry but its Report is yet to come. It was due a few months back. I think, there is an inordinate delay. I request the hon. Home Minister to pay personal attention to see that this Report comes out and our financial issues are fulfilled.

In this year's Budget, we have got only Rs. 187 crore in addition to what was provided last year. The minimum a State gets in the country is Rs. 1,980 crore. Either we should be provided the least that a State gets as a grant or the highest which is provided under an UT.

I would request the Home Ministry to take due care and provide us the sufficient grant. There is Rs. 560 crore which has been due from the Home Ministry. It has been brought to their notice and they are also aware about this. At the stage of passing the Supplementary Demands for Grants of the Ministry of Home Affairs, I would request that this money be provided to our Union Territory so that we could serve the people of Puducherry in a better manner.

I would, once again, like to reiterate that already the Committee has recommended full Statehood to Puducherry. I hope that the Ministry considers this demand in the interest of faster services to be provided to the people of Puducherry.

The hon. Prime Minister is also for cooperative federalism and decentralization of authority. In spirit with his words also, if it is implemented, it will definitely help us to provide better service to the citizens of Puducherry.

Thank you.

SHRI E. AHAMED (MALAPPURAM): Hon. Deputy Speaker, Sir, at the fag end of this discussion and also due to paucity of time, I do not want to make a long speech. But, at the very same time, I think, it is my duty to bring to the notice of this House the feelings of the people in the country especially about the performance of this Government when we discuss the very important Demands for Grants of the Ministry of Home Affairs.

The Ministry of Home Affairs has a very vital role to play in the administration of the country for bringing peace, stability, progress as well as cohesion among the people. In such a scenario, I think, if I make some contribution, it will be good for creating interest in the discussion.

Sir, many of the hon. Members have already made an elaborate narration as to what is going on in this country and also about the performance of the Home Ministry. The Home Ministry has the most important responsibility to see that peaceful atmosphere prevails in the country and also for creating peaceful living situation of the people.

In this connection, I would like to say that we are all very much fed up on many other occasions. Our hon. Prime Minister made a statement in this House that he was for the development of this country and also would make the standard of living of the people very much satisfactory. Inclusive growth in a multi-polar society is his aim. No doubt it is very good. But what are we seeing in our real life in this country? This is the time for me to say the naked truth as to what is going on in this country.

Last week I was in Mumbai. I had seen a section of people – I do not want to name the people and create more animosity among our people – saying that the minorities were being appeased and they had taken away everything that is belonging to other people including their economic life. I was aghast to see this. Even in Maharashtra, in the Defence Force of our country – every citizen has a right to defend their country – there was only two per cent representation of the

Muslim community. As far as representation of the Muslim community in our educational system is concerned – I do not want to use the words and all the time I use the words – their position is deplorable and sympathetic. Muslims are a sizeable people in this country.

Sir, 14 per cent of the Muslims are there in this country. They have also got the Constitutional rights. They have also got the right to live a decent life. Every community -- I am not saying only Muslim community – has got the Constitutional rights. But as I represent and am coming from one community, and if that community has been targeted by some divisive forces in this country, it becomes my duty to defend them. That is why I am saying it. They have been condemning one particular community. If that community says: “We are not getting our right”, they will say: “You are communal.” If he is denied his legitimate and Constitutional right, is it not communalism? Is it not against the provisions of the Constitution? I say everybody has his own rights under the Constitution. That should be given irrespective of one being a Hindu, Muslim or Christian. We are Indians. We all have the rights in this country. The unity and communal harmony is the most important thing in this time.

Sir, I do not want to take much of the valuable time of this House but at the very same time, I would say that those who are ruling this country must believe that all of us, all the people have their own rights. You cannot just have stream roller policy to destroy one section of people. Irrespective of a community, caste, religion, everybody has his own rights. That should be given. Why are you just aiming at only one particular community? If a community has done something wrong, you correct it. They have also got grievances. They say appeasement of some Muslim community. What is the appeasement? How many people have been appeased? What is the representation of the Muslim community in the administration of this country? What is the representation of the Muslim community in the Security Forces? What is the representation of the Muslim community in the educational institutions? Is it correct to say that they have been

given more representation than what is legally required or eligible? No, Mr. Deputy-Speaker, Sir. I would say, we are to live here. The Prime Minister says ‘inclusive growth in the multi-polar society.’ Why not we just try that? We are all here as Indians. I have been repeating it again and again that irrespective of one being a Hindu or a Muslim or a Christian or a Jain, it is a fact that we are all Indians. We all have the rights and we have to live in harmony. That is what we want.

Sir, I would also say one more thing. I know the Home Minister. He is a seasoned politician; he is a very matured politician. He always comes in this House and says: “I have taken steps. No doubt, justice will be given.” But incidents are going on. I am given to understand that more than 200 serious incidents of communal disturbances have occurred; and even criminal acts have been given communal card to use it as an instrument to create disunity in the society. It should not be allowed like that. Every single citizen of this country has a right. But the Communal Violence Bill, which was the initiative of the previous Government, has been sent to backburner.

If you say no legislation is necessary for solving the communal problem, I would be happy. But the previous Government brought that Bill only to make peaceful atmosphere and communal harmony in this country. If you want to make changes, you can make changes. There is no problem. Every law would not be a perfect law. We have our own procedures. With the Constitutional and legislature measures, we can change it. But we have to check communal disturbances; we have to check communal violence; we have to make people live in a peaceful atmosphere.

Mr. Deputy-Speaker, I would also like to say that discrimination against one section of the people is going on. There is a discrimination in their appointment; there is a discrimination in their treatment. Even those who are helping the ruling section say: "There is nothing wrong in destroying the churches. We are here to help you." ... (*Interruptions*)... *

India is a great country. But one section of the people say: "You go and destroy. We will help you." Sir, this is India. India has a status in the Comity of Nations. India's position in the Comity of Nation is not because of only 1.25 billion people irrespective of community we are living. It is only because of the communal harmony and secularism.

19.00 hrs.

Therefore, Mr. Deputy Speaker, Sir, at least, the Ruling Party should try to help to control their own people. You are bringing shame to this country. You are ashaming the country in the international fair. Internationally, India is in a good position. But I want to tell you one thing to those people. They are not thinking that they are in India, therefore, they can do anything and everything. But international communities are also watching India. India has a position in the international field. India has a status. India is trying to have a seat in the United Nations Security Council. One of the conditions is communal harmony of this country. One of the conditions is that there should not be any discrimination against any people. You cannot simply forget this. We are all Indians. We will be proud of the fact if we get a seat in the United Nations Security Council. We have to work together. Unfortunately, the Ruling Party people are very much close to Ruling Clique. I will not say Ruling section of the people. They say that we are here to destroy. You cannot have this type of policy to destroy the minority of this country. We have a Constitution. ... (*Interruptions*) As long as we have that Constitution, we will not be afraid of anybody. I do not want anything extra. We do not want anything above the Constitution. We want

* Not recorded.

whatever is enshrined in the Constitution. We want constitutional protection, constitutional right and for what our Parliament has agreed to.

***SHRI NINONG ERING (ARUNACHAL EAST):** I would like to bring to the notice of Hon'ble Minister of Defence that Armed Forces Special Powers Act (AFSPA) has been imposed on 12 more districts of Arunachal Pradesh, a state which is considered as 'the island of peace'. It is clearly evident from various reports by leading humanitarian organizations and empirical evidence that AFSPA has led to severe human rights violations and increased cycle of violence in the areas where it has been already imposed. The people of Arunachal Pradesh are terrified by the implementation of this draconian law in the state and there are already incidents of abuse against citizens by army being reported in the media. The government should explain the reasons for implementation of this law in the first place without even consulting the stakeholders in the state. The people of Arunachal Pradesh deserve to know the reason for imposing the law.

* Speech was laid on the Table.

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Sir, I have five or six points.

Regarding Mecca Masjid bomb blast case which happened on 18th May, 2008, two accused have got bail on 12th March, 2014. Ninety days have passed and this Government has not filed an SLP against the bail that was given to two accused of Mecca Masjid bomb blast case. One of them is facing a Samjhauta bomb blast case and the other accused is facing the Ajmer bomb blast case. I want to know from the Government how is it that basing on media reports which I have read that this MHA says that we do not have sufficient legal grounds to challenge that bail order. If that is the case, you drop the case. Order re-inquiry. Who has done Mecca Masjid bomb blast case? Ninety days have passed. Not a single appeal has been filed for an SLP. Now, the bail is finalized. Do they know the repercussions this will have on our relations with neighbouring country when Samjhauta bomb blast case comes up?

My second point is related with Hashimpura Massacre. This is the biggest custodial killing in Independent India. Sir, 42 people have died in 22nd March, 1987. After 28 years, the courts have exonerated the accused. They were all PAC police people. I want to know from the Government will the Government implead itself and file an SLP in the Supreme Court asking for a SIT to be formed because 42 people who have been killed in custody, justice needs to be done to them. The State Government of Uttar Pradesh in hand in glove with those killer PAC people, they will not appeal against the Judgment.

My third point is this. The Home Minister gave a speech in National Minorities Commission on its annual day stating that we will not allow demographic profile and character of this country to change. What is the demographic profile and character of this country? I want to know that. Why do you not release 2011 religious census data? Why has it been selectively leaked only to the Times of India? It says that only one per cent increase in Muslim population. There has been a decadal decrease of Muslim population of five percent points from 1991 to 2001 and from 2001 to 2011. Why are not these facts

coming out? Why are you allowing the fringe elements of your political thought and of your religious thought to make it an issue because it will take 200 years for the Muslim population to match up with the Hindu population? That cannot happen ever. But you are not coming out with religious data.

My fourth point is this. Why is not there a Parliamentary oversight of Intelligence Bureau? Intelligence Bureau has no legislative backing. It is not controlled by Judiciary. It is a holy cow. It can destroy the lives. Why cannot we have a Parliamentary oversight over Intelligence Bureau as MI-V is in UK, as US has Senate relationship.

My fifth point is about Akshardham bomb blast case. The Minister is from Gujarat. After eleven years, Mufti Abdul Qayyum was released. He wanted to release his book in Ahmedabad called '*Gyarah Saal Salakhon ke Piche*'. He was stopped. Where is this freedom of expression? Do you stand for freedom of expression or not? Regarding Aliar encounter, what is the mindset? Why has this Government not taken serious note as they have taken serious note of those 20 people who have been killed in Tirupati, Andhra Pradesh? You have not taken serious note of it. It is a clear-cut killing in Aliar but your Government has not taken serious note of it.

In transfer of seven schemes from the MHA to the State Government, your own Home Secretary is saying that it will compromise our national security; and it will have a deleterious impact. Why is not there a co-ordination between the Ministry of Home Affairs and the Ministry of Finance that your own Home Secretary has to go out and say against the Finance Secretary? This shows that there is no co-ordination within the Government itself.

On Afghanistan, we have to remember that after the US withdrawal in Afghanistan, the Chinese are speaking to Taliban in Qatar. Why are you not opening channels to speak to them? We have invested billions of dollars in Afghanistan for its development. We have built the National Assembly. We have

built roads over there. Why is it that the Government is quiet on it? What is your plan on it?

I would like to know the reply of the Government to these important issues of Mecca Masjid bomb blast case, Aliar encounter and Hashimpura massacre.

My last point is about Jharkhand. It is a classic case wherein the tribals were used. Having taken Rs.1 lakh each, they were given a rifle to go and surrender. They were given jobs in the CRPF. Lakhs of rupees were given. Why is the Jharkhand Government not doing anything? Or, why is the Union Government not ordering an inquiry because it involves the CRPF? Why is this Government not ordering a CBI inquiry? It is because the tribals have been duped of crores of rupees. These are important issues. I hope when the hon. Home Minister stands to reply, he will reply to them.

ADV. JOICE GEORGE (IDUKKI): Sir, preserving and promoting the national integrity and communal harmony in our country is one of the stated objectives of the Home Department. How can we ensure national integrity? I do not think it can be ensured by deploying military and paramilitary forces but it can be preserved only by instilling the feeling of safety and security in all sections of the people, cutting across all communities and other sections.

We know that the basic structure of our Constitution is secular in nature. Further, the inalienable rights of the people have been preserved and protected under Part III of the Constitution under Fundamental Rights. We have the right to equality; we have the right to life; we have the right of freedom of speech, and we have all other inalienable rights codified and protected in our Constitution.

Sir, very often I ask a question to myself that why all these rights are protected and how the other right of right to religion is also preserved in our Constitution under article 25. I got answer to this question from the deliberations in the Constituent Assembly where the framers of our Constitution are of the opinion that the integrity of our nation can be protected only by protecting the rights of every section of our society, whether it is Dalit or minority or majority. By protecting the rights and privileges of all the sections, we can only preserve our integrity and for that, all these rights are protected under articles 25, 26, 28 and 30. Sir, I am going to conclude.

Now, any aspersion, whether it is a misquoted statement or it is a deliberate statement, against the minorities or the Dalits or against any other community, will affect the integrity of our country and it is also an attack on our Constitution. So, it is the duty of the Government to prevent this kind of attacks on our Constitution for the purpose of the larger interest of our nation. So, I urge upon the Government to come out with such initiatives. Do not indulge in this kind of anti-Constitutional activities.

***डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार):** मैं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ जिनके कुशल नेतृत्व में जहाँ देश आर्थिक विकास की राह पर अग्रसर हुआ है वहीं नागरिकों के सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक जीवन को सुधारने हेतु कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।

श्री राजनाथ सिंह यशस्वी गृह मंत्री जी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के तहत इस मंत्रालय को वर्ष 2015-16 में 62,124 करोड़ रु0 का आवंटन किया गया है जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले 10.2 प्रतिशत अधिक है।

सबसे उल्लेखनीय विषय यह है कि इस बजट में महिलाओं की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा और हमारे कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास पर विशेष ध्यान दिया गया है।

मैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं गृह मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह जी का हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूँ कि पहली बार सरकार ने जम्मू कश्मीर में विस्थापितों के पुनर्वास हेतु 580 करोड़ रु0 उपलब्ध कराए हैं जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले 240 करोड़ रु0 अधिक है। इससे जहाँ घाटी में शांति स्थापना में सफलता मिलेगी वहीं लम्बे समय से घर से उजड़े हुए कश्मीरी पंडितों को अपनी जन्मभूमि में लौटने का मौका मिल पाएगा। मेरा पूर्ण विश्वास है कि इस कदम से राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा में कश्मीरी पंडित बंधु अपना अमूल्य योगदान दे सकेंगे।

यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि देश की सुरक्षा में लगे हमारे जांबाज अर्द्धसैनिक बलों को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने की कवायद के रूप में देश में विभिन्न बलों को इस वर्ष बजट में पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक धनराशि उपलब्ध करायी गयी है।

यह कदम जहाँ एक ओर हमारी सरकार की आंतरिक सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता जाहिर करती है वहीं दूसरी ओर सरकार देश की सुरक्षा में तैनात जवानों और अधिकारियों के कल्याण के प्रति संकल्पबद्ध होने का प्रमाण है।

दुनिया के सबसे बड़े अर्द्धसैनिक बल केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को 14089 करोड़ रु0 का आवंटन किया जो कि पिछले वर्ष से 1223 करोड़ अधिक है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि यह बल जहाँ एक ओर अपनी जान पर खेलकर नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में हमारी जानमाल की रक्षा करते हैं वहीं दूसरी ओर यह बल पूर्वोत्तर राज्यों जम्मू कश्मीर जैसे आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्रों में आंतरिक सुरक्षा की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। सीआरपीएफ के वीर जवान देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्णा बनाये रखने के लिए सर्वोच्च बलिदान करने में हमेशा आगे रहे हैं।

* Speech was laid on the Table.

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारी भारत-पाकिस्तान की सीमा एवं भारत-बांग्लादेश की सीमा पर मुस्तैदी से प्रथम रक्षा पंक्ति के रूप में देश की सीमाओं के प्रहरी के रूप में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के अमूल्य योगदान को देखते हुए इस वर्ष इस बल को 12517 करोड़ रु0 आवंटित किए गए हैं जो कि गत वर्ष से 800 करोड़ रु0 अधिक है।

भारत, चीन की संवेदनशील सीमा रेखा पर देश की रक्षा के लिए तैनात भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए इस वर्ष उन्हें 333 करोड़ रु0 अधिक आवंटित कर 3736 करोड़ रु0 का प्रावधान किया गया है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि दुर्गम हिमालयीय क्षेत्रों में नियमित रूप से आने वाली भीषण आपदा के दौरान यह बल अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अति दुर्गम क्षेत्रों में लोगों की जानमाल की रक्षा करता है। इसके तमाम प्रभाव हैं कि हथेली पर जान रखकर आईटीबीपी के जवानों ने भारत की सीमाओं की रक्षा की।

हम सभी इस बात से परिचित हैं कि हमारे औद्योगिक प्रतिष्ठान हमारी आर्थिक प्रगति में मील का पत्थर हैं। इनकी सुरक्षा का समूचा दायित्व केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल पर है। इसके अतिरिक्त, हम सभी जानते हैं कि मेट्रो रेल सहित संपूर्ण देश में हमारे हवाई अड्डों की सुरक्षा एवं सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने हेतु सीआईएसएफ के जवान सदैव तत्पर रहते हैं। राष्ट्रीय प्रतिष्ठानों में उनकी अहमियत के मद्देनजर सरकार ने उनके बजट के लिए 5196 करोड़ रु0 का प्रावधान किया गया है जो कि गत वर्ष से 209 करोड़ रु0 अधिक है।

जन सुरक्षा एवं सुरक्षा बलों से जुड़ी हुई अनेक अभिनव योजनाएं गृह मंत्रालय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं जिनमें मुख्यतः पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए 35 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बदलते परिवेश में जबकि दिन प्रतिदिन कानून व्यवस्था बिगड़ रही है और आतंक के कई नए चेहरे हमारे सामने चुनौती बनकर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में मेरा अनुरोध है कि पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए और अधिक धनराशि का प्रावधान किया जाए।

सीमा क्षेत्रों की संवेदनशीलता एवं सामरिक महत्व को देखते हुए इन क्षेत्रों के विकास हेतु 990 करोड़ रुपए का आवंटन एक स्वागत योग्य कदम है। मैं दो-दो सीमाओं से घिरे हुए उत्तराखण्ड प्रदेश से आता हूँ और मुझे सीमा क्षेत्र में रह रहे लोगों की सामाजिक, आर्थिक जीवन की जटिलताओं का पूरा अहसास है। देश के दुर्गम क्षेत्रों में रह रहे हमारे ये नागरिक द्वितीय रक्षा पंक्ति का काम करते हैं। ऐसे में उनके कल्याण के लिए जितने प्रयास किए जाए उतने कम हैं।

मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि सरकार द्वारा देश की सुरक्षा में शहीद हुए पुलिस के वीर जवानों की याद में स्मारकों हेतु 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उत्तराखण्ड वीरों की धरती है यहाँ सर्वाधिक लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी है जनसंख्या के अनुपात में।

मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने आपदा के समय आपदा प्रबंधन संस्थान और उसके पेशेवरों की अनुशासित कोर के द्वारा आपदा प्रबंधन के विभिन्न अभियानों में सफलता पायी है। यह भी प्रसन्नता की बात है कि प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास पर ध्यान केन्द्रित करते हुए उपग्रह आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

जैसा कि आपको विदित है वर्ष 2013 में जून महीने में उत्तराखण्ड में भीषण प्राकृतिक त्रासदी आयी जिसके कारण क्षेत्र का सामाजिक, आर्थिक जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। इस भयानक विनाशलीला में जहाँ 10,000 से अधिक लोग हताहत हुए एसोचेम द्वारा पर्यटन उद्योग को 12000 करोड़ की हानि हुई।

आपको अवगत होगा इससे पहले भी उत्तराखण्ड में चमोली, उत्तराकाशी में भीषण भूकंप आया था जिससे जानमाल की व्यापक क्षति हुई थी। हाल ही में जम्मू कश्मीर में भीषण जल प्रलय में सैकड़ों लोग हताहत हुए, वहीं हिमाचल प्रदेश एवं अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में भी नियमित रूप से प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। कुल मिलाकर संपूर्ण हिमालयी क्षेत्र अत्यंत संवेदनशील है। ऐसी गंभीर स्थिति में संभावित परिणामों वाली घटना के संबंध में समय पर चेतावनी दिए जाने से जहाँ हम दुष्परिणामों की तीक्ष्णता को कम कर सकते हैं। ऐसा पाया गया है और आपने अनुभव भी किया होगा कि आपदा के दौरान हमारा पूर्व चेतावनी सूचना तंत्र पूरी तरह विफल रहता है।

मेरा अनुरोध है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के अधीन एक उच्च स्तरीय शोध केन्द्र की स्थापना उत्तराखण्ड में की जाए जिसमें कि पूर्व आपदा चेतावनी तंत्र को सुदृढ़ करने पर बल दिया जाए। वहीं इसके आधार पर नियोजन की दीर्घकालिक नीतियां सृजित कर सकते हैं।

पूर्व चेतावनी तंत्र को सुदृढ़ रखने हेतु हमें यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि चेतावनी की परिशुद्धता पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जाए इसके अतिरिक्त चेतावनी प्रसारित होने और संभावित समय के मध्य का अंतराल अधिक से अधिक हो। इसके अतिरिक्त आपदा घटित होने से पहले तैयारी व नियोजन का स्तर भी क्षति या विनाश को कम कर सकता है।

मेरा विनम्र निवेदन है कि आपदा से निपटने हेतु निम्न बिन्दुओं पर ध्यान देते हुए आपदा प्रबंधन शोध संस्थान की स्थापना की जाए। आपदा चेतावनी व चेतावनी तंत्र को अधिक संसाधन युक्त बनाकर सभी हिमालयी राज्यों एवं आपदा संभावित क्षेत्रों में इसके उपकेन्द्र स्थापित किए जाएं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान

संस्थान एवं राज्यों के अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र से बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए इसमें उत्कृष्ट भूमिका निभा सकते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय चेतावनी ग्रहण करने की क्षमता का विकास: विभिन्न स्थानों पर चक्रवात चेतावनी केन्द्रों और सुनामी चेतावनी केन्द्र जैसे संगठनों द्वारा प्रसारित चेतावनी को समेकित कर देश में आयी विपदा के लिए प्रभावी प्रतिवादन सुनिश्चित किया जा सके। चेतावनी को राष्ट्र स्तर से अन्य मुख्य स्तरों तक संप्रेषित किए जाने की क्षमता का विकास किया जाना चाहिए।

आपदा प्रबंधन एवं जन प्रतिक्रिया के दृष्टिकोण से चेतावनी व आपदा समाघात के मध्य के समय का लंबा अंतराल प्रतिवादन हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। चेतावनी उपरांत उपलब्ध समय एवं चेतावनी की परिशुद्धता सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से संबंध स्थापित किया जाए। इसके विपरीत परिस्थितियों को निपटने हेतु तैयारी, आपदा समाधान पूर्व सावधानियां एवं लामबंदी अत्यंत आवश्यक है।

बेहतर नियोजन हेतु योजनाओं में चेतावनी प्रणाली के समन्वित उपयोग हेतु संस्थागत व्यवस्थाओं में प्रभावी समन्वय बिठाना आवश्यक है। चेतावनी प्रणाली की सर्वश्रेष्ठ संभावित क्रियात्मक स्तर एवं अन्य दूर संचार साधनों का उचित रख रखाव सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

जन जागरूकता एवं प्रतिभागिता: जन जागरूकता एवं जन सामान्य के मध्य चेतावनी प्रणाली को समझ के साथ ही समाज की तत्संबंधित गतिविधियों में प्रतिभागी की क्षमता और जागरूकता का अपेक्षित स्तर बनाए रखना परम आवश्यक है।

प्रशिक्षण एवं अभ्यास: चेतावनी प्रणाली के समस्त भागों का विशेषज्ञ व व्यवसायिक दृष्टिकोण से क्रियान्वयन किया जाना ही आपदा प्रबंधन का लक्ष्य है। इसके लिए प्रशिक्षण आवश्यकताओं को शीर्ष वरीयता प्रदान किया जाना आवश्यक है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी माँग पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए मंत्री जी आपदा प्रबंधन शोध संस्थान स्वीकृत करने की कृपा करेंगे।

एक बार पुनः मैं गृह मंत्री जी को उनकी आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी उत्कृष्ट एवं मजबूत नीति हेतु एवं सुरक्षा बलों को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने के लिए हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

SHRI SATYAPAL SINGH (SAMBHAL): Sir, before I make my submission, I would like to make a humble request to you. I am not going to speak here anything which is neither political nor theoretical but it is based on experience and ground realities. इस देश के लिए गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है कि देश की एकता, अखंडता और लोकतंत्र को बचाए रखना, सुरक्षा देना साथ ही साथ सामाजिक एकता को बनाए रखना। बहुत हद तक गृह मंत्रालय इस बात में सफल हुआ है, लेकिन सुरक्षा के मामले में अभी भी बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि पुलिस देश में सबको सुरक्षा नहीं दे सकती, लेकिन बिना पुलिस किसी को सुरक्षा भी नहीं मिल सकती। पुलिस सबको सुरक्षा भी देती है और सबको प्रतिष्ठा भी देती है। अगर पुलिस न हो तो लगता है कि अपनी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, अगर अपने साथ कोई पुलिस वाला न हो तो लगता है कि अपनी कोई प्रतिष्ठा नहीं है। पुलिस समाज को और लोगों को सुरक्षा भी देती है और प्रतिष्ठा भी देती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुलिस की अपनी प्रतिष्ठा नहीं है, उसका अपना सम्मान नहीं है। पिछले 68 वर्षों के दौरान इस देश के अंदर आज भी पुलिस कहीं पर वीआईपी प्रोटेक्शन करती है, कहीं क्राइम इनवेस्टिगेशन करती है, कहीं साइबर क्राइम का इनवेस्टिगेशन करती है, लेकिन आज भी उसे सेमी-स्किल्ड लेबर माना जाता है। आज भी उसे जो सैलरी और एलाउंसेज दिये जाते हैं, हमारे पिछले जो पे कमीशंस रहे हैं, उन्होंने कभी उसके साथ न्याय नहीं किया है। इसलिए मेरी सबसे पहली डिमांड यह है कि अगर हम सब लोग सुरक्षित रहना चाहते हैं, **If you want to get the police what you deserve, you will have to give what the police deserves.** पुलिस जो डिजर्व करती है, वह पुलिस को देना जरूरी है। उनके साथ न्याय किया जाए और उनके सैलरी और एलाउंसेज को ठीक किया जाए। मेरी सबसे पहली डिमांड यह है कि पे कमीशन के अंदर पुलिस का एक मैम्बर रखा जाए, जो पिछले इतने वर्षों में कभी नहीं रखा गया।

इसके अलावा इस देश का कानून यह कहता है और यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अपने देश का कानून एविडेंस एक्ट यह कहता है कि पुलिस वाले की बात पर भरोसा नहीं करना। जिस देश का अपना कानून, अपने एक आर्गेनाइजेशन, अपनी एक संस्था के साथ इस प्रकार का व्यवहार करता है, सैक्शन 25 कहता है कि पुलिसवाले का स्टेटमेंट कोर्ट के अंदर एडमिसिबल नहीं है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का कानून बदलने की जरूरत है और उसे अपना सम्मान देने की जरूरत है। वर्ष 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पुलिस रिफोर्म्स इस देश के अंदर लाने चाहिए, अगर इस देश को आंतरिक सुरक्षा देनी है। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी आज आठ-नौ वर्ष हो गये, आज तक पुलिस रिफोर्म्स देश के अंदर नहीं लाये

गये। इस बारे में हम लोग बहुत बार बोलते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि यह पोलिटिकल इंटरफेरेन्स है, पोलिटिकल इंटरफेरेन्स भी होता है, लेकिन इस देश में अगर पुलिस रिफोर्म्स नहीं आये तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण नौकरशाही का शिकंजा है। आज इस नौकरशाही के शिकंजे को खत्म करने की जरूरत है और इसका कारण यह है, हम बड़े-बड़े शहरों में देखते हैं, यूपी के अंदर किसी भी बड़े शहर के अंदर आज तक पुलिस कमीशन सिस्टम नहीं आया, क्योंकि नौकरशाही यह समझती है कि अगर पुलिस कमीशन सिस्टम आया तो उनकी सारी पावर निकल जायेगी, उनकी सारी सत्ता खत्म हो जायेगी। इसलिए नौकरशाही का शिकंजा खत्म करने की जरूरत है।

इसके बाद मैं कहना चाहता हूँ कि पुलिस क्रिमिनल ज्युडिशियल सिस्टम का एक भाग है। पुलिस इसमें स्वतंत्र नहीं है। अगर पुलिस को अच्छा बनाना चाहते हैं, देश में अपने बच्चों के लिए सुरक्षा चाहते हैं तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को भी अच्छा करने की जरूरत है। जैसा मैंने कहा कि इस देश में कानून बदलने की जरूरत है। हमारे देश में 1860 का कानून अब भी चल रहा है, 1872 का कानून अभी तक चल रहा है, 1861 का पुलिस एक्ट अभी भी चल रहा है। मेरा कहना यह है कि अगर पुलिस के ऊपर कुछ प्रावधान हैं कि 60 दिनों के अंदर या 90 दिनों के अंदर अपना इनवेस्टिगेशन खत्म करेंगे तो क्या कोर्ट के ऊपर इस तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं आनी चाहिए। कोर्ट के लिए हमारा सीआरपीसी कहता है, सैक्शन 309 कहता है कि एक बार विटनेसिज को बुलाते हैं और जब तक उनकी बात प्रतिदिन सुनकर खत्म नहीं होती है, तब तक उन्हें दूसरी तारीख नहीं दी जा सकती। लेकिन इस बात को मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। जस्टिस मलिमत कमेटी की रिपोर्ट 2003 में आई, लेकिन आज तक उसका इम्पलिमेंटेशन नहीं हुआ। हमारे देश के अंदर जस्टिस को ठीक करने के लिए हमारे एक्स-प्रेसिडेन्ट ने यह कहा था कि इस देश के अंदर जो कोर्ट्स हैं, *Court is not a Cathedral but a casino, where justice is decided; where judgement is given not on the basis of the dice advocates throw.* आज इस के अंदर अगर हमें न्याय देना है तो उसके अंदर मलिमत कमेटी की रिपोर्ट को अपने देश के अंदर लगाने की जरूरत है।

इसके साथ मैं आपसे एक निवेदन यह करूंगा, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि अमरीका आज दुनिया का सबसे धनी देश है। हम लोग कहते थे कि अमरीका में रोड्स सबसे अच्छी है, इसलिए सबसे धनी देश है। मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि अमरीका दुनिया का सबसे धनी और पावरफुल देश इसलिए है, क्योंकि वहां *the best paid job is that of police.* वहां सबसे ज्यादा सैलरी अगर किसी को मिलती है तो पुलिस को मिलती है। सबसे ज्यादा पेंशन अगर किसी डिपार्टमेंट को दी जाती है तो वह

पुलिस को दी जाती है। मैं उदाहरण के लिए सदन के सम्मानित सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि वहाँ एक पुलिस की एवरेज पेंशन 61685 डालर है। जबकि दूसरे जितने विभाग हैं, यूएस गवर्नमेंट के अंदर, उनकी पेंशन 25674 डॉलर है। ऑलमोस्ट 40 पर्सेंट कम है। मैंने आपके सामने कहा कि इस देश के सामने आंतरिक सुरक्षा की कई बड़ी चुनौतियाँ हैं। नक्सलवाद इस देश में पिछले कई सालों चल रहा है। मैं गृह मंत्रालय को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने भी कहा है कि हमारा जो पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल है, उसको लागू करना चाहिए। एक और दूसरा एक्ट है, जो सन् 2006 में बना है, उसको हम बोलते हैं फोरेस्ट राईट्स एक्ट। जब तक फोरेस्ट राईट्स एक्ट ट्राइबल एरियाज़ के अंदर, जहाँ पर नक्सलवाद है, जब तक फोरेस्ट में रहने वाले लोगों को उनका अधिकार नहीं मिलेगा, **unless they become partner in the process of development**, तब तक केवल यह कहना कि जहाँ डेवलपमेंट आएगा, जहाँ विकास आएगा, वहीं पर नक्सलवाद खत्म होगा यह बात सही नहीं है। उसके साथ-साथ टैरिज्म के बारे में और बंगलादेश के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, जो हम सब लोगों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि हमने घुसपैठियों की बात कही है। सन् 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि **it is a virtual external aggression**. हम लोगों ने उस पर काम नहीं किया। एक दूसरी सबसे बड़ी बात है, रोज़ाना इस देश से 20 से 25 हज़ार पशु, जिसमें ज्यादातर गाए हैं, रोज़ाना बंगलादेश बॉर्डर पर धकेली जाती हैं। थोड़ी बहुत जो पकड़ी जाती हैं तो उनका ऑक्शन होता है, फिर वही कैटल स्मगलर, जिनका संबंध, जो फोक करेंसी लाते हैं, आर्म्स स्मगलिंग करते हैं, उनके साथ है, उन लोगों से उनका संबंध है। बंगलादेश की इकॉनमी इस देश के जानवरों से चल रही है। एक बहुत बड़ी रिपोर्ट इसके ऊपर बनाई गई। बीएसएफ ने बहुत बड़ी रिपोर्ट भारत सरकार को दी थी कि लगभग 500 मिलियन डॉलर का बिजनस बंगलादेश हमारे देश के जानवरों से करता है। वह बोन चाइना में इतना ऊपर चला गया, वह लैडर में इतना ऊपर चला गया, वह बीफ के एक्सपोर्ट में इतना ऊपर चला गया। इसको बंद करने की जरूरत है। अगर हम अपने देश के अंदर आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं, आतंकवाद केवल गोलियों से खत्म नहीं हो सकता है, आज इस देश को इस प्रकार के माहौल की जरूरत है कि हम अपने बच्चों में ऐसा माइंडसेट बनाए, हरेक चीज़ चाहे कम्युनलिज्म हो, चाहे आतंकवाद हो, वह इस माइंड से शुरू होता है। जहाँ भेद पैदा किया जाता है, भेदात् भयम्, जहाँ भेद है, वहाँ डर पैदा होता है, जहाँ डर होता है, वहाँ असहनशीलता होती है, जहाँ असहनशीलता आती है, वहाँ हिंसा पैदा होती है, जहाँ हिंसा पैदा होती है, वहाँ आतंकवाद पैदा होता है। इसलिए हमें अपने बच्चों के मन से भेद मिटाना होगा। जातियों और धर्मों की दीवारें टूटें, उसके लिए जरूरत है कि स्कूल और कॉलेजों के अंदर इंपैक्ट कर के हम अपने बच्चों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाएं, डिस्सीप्लिन

का पाठ पढ़ाएं और जब तक यह नहीं होगा, तब तक आतंकवाद खत्म नहीं कर सकते हैं। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि मैंने बहुत अच्छा अनुभव यह किया था, कई बड़े-बड़े शहरों में एक मिशन मृत्युंजय हम लोगों ने चलाया। एक स्टूडेंट फ्रंट अगेंस्ट क्राईम एण्ड टैररिज्म चलाया। उसकी बहुत बड़ी सफलता हमको मिली। गृह मंत्रालय से मेरा एक निवेदन यह है कि अपने देश के अंदर आतंकवाद खत्म हो, क्राईम खत्म हो, देश में सुरक्षा हो, चाहे महिलाओं के प्रति हो तो देश के अंदर ऐसी शिक्षा हो जो संस्कार दे सकती हो। मैंने यह बात पहले कही थी कि केवल पुलिस के भरोसे सुरक्षा नहीं दी जा सकती है। हमारे देश के अंदर शिक्षा भी इतनी अच्छी हो, हमारे देश की पुलिस भी इतनी अच्छी हो कि सब समस्याएं समाप्त हो सकें।

*SHRI MD. BADARUDDOZA KHAN (MURSHIDABAD): I would like to draw the attention of our Home Minister that to develop the economic situation of border area BADP has been taken up. In my constituency there are six Blocks situated in Indo-Bangladesh border. Some funds are allotted every year to these Blocks under BADP. But now through a Circular, it is ordered that the money under BADP will be spent only within five kilometers from the border. This Circular is depriving the border blocks to take fruitful schemes for development. So, I request our Home Minister to withdraw the Circular. Please allocate more money in BADP and attach the concerned MPs with the implementation.

HON. DEPUTY SPEAKER: Mohammed Faizal, you may speak for only two minutes. You should be very brief.

MOHAMMED FAIZAL (LAKSHADWEEP): Sir, Lakshadweep is coming under the direct control of the Home Ministry; rather the Home Ministry is the administrative Ministry of Union Territory of Lakshadweep. My learned friends have talked about other States spread all over India. I will specifically concentrate on my constituency because I am the only Member of Parliament and there is no one else.

HON. DEPUTY SPEAKER: One more person is also there.

MOHAMMED FAIZAL: Sir, I will conclude.

Sir, it is not a political speech. It is only concerned about the development of the island. The first point which I would like to raise before the House is of the development of the fisheries in the island. As you know, Lakshadweep is having a very limited land area of only 32 square kilometres, but as far as our sea is concerned, we have 4.02 lakh square kilometres of Exclusive Economic Zone.

Till now, the fishermen of Lakshadweep are not in a position to indulge in fishing for more than eight hours. It is not because fish is not being available. It is only because of scarcity of land-based infrastructure, most modernised crafts and gears on the part of the Government. I have personally talked to the Administrator several times, and I have brought it to the notice of the Government also several times.

I will make it clear with figures. Our annual potential resource of fish availability in Lakshadweep is 1 lakh metric tonnes, but so far our exploitation of fish is only 10,000 metric tonnes. I would like to draw the attention of the Home Ministry to do something to develop this sector, so that it can contribute to the growth of the nation.

Secondly, as regards agriculture, we are blessed with coconut trees. I think that you have visited the island. If you see aerial shots, then you can see plenty of coconut trees there. The most attractive part of coconut in Lakshadweep is that it is purely organic and no fertiliser is used, and the international market for virgin

coconut oil is so huge that entire Lakshadweep can contribute or it can stand on its feet if it is given right direction for its development.

Thirdly, tourism is the most sustainable industry as far as Lakshadweep is concerned. Our neighbouring country, Maldives, is contributing 75 per cent of their income for GDP growth through this sector. Lakshadweep is almost similar to Maldives. Why is the Government not opening Lakshadweep tourism?

Sir, I am concluding. Fourthly, you know that Lakshadweep is a geographically isolated area, and telecommunication is the most important part of the island. TRAI has given suggestions in two ways, that is, to improve the present infrastructure by giving viability gap funding of about Rs. 30 crore only to BSNL so that the existing infrastructure can be improved. At the same time, in the long-term, submarine optical fibre cabling can be done, which will be the final solution for connectivity.

Sir, I am concluding, and I am not going to take much more time. The third and most important part coming under its direct control is policing. There is India Reserve Battalions who are trying for quite long time for their welfare. They are being transferred every two years from island to some other UTs because of which their family life and education of their children has suffered a lot. In this regard, I have given in writing to the Ministry to settle them in such a way that their State-wise appointment can be done.

Similarly, home guard appointment is on contract basis. Constables in Andaman & Nicobar Islands have approached the Supreme Court, and the Supreme Court has given an order in favour of them on supernumerary appointment. On the other hand, Lakshwadeep has not even prepared a proposal so far to send it to the Ministry for approval. Further, it is a shame that the home guard constables are not even being provided uniforms, and they have purchased it with their own money. It is very sad.

The Home Ministry is the administrative Ministry. So, I would urge upon the Government to do the developmental part. सबका साथ-सबका विकास का नारा, कृपया आप करके दिखाइए। Thank you very much, Sir.

श्री बिष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : महोदय, पचास साल में जो काम अंडमान निकोबार की धरती में नहीं हुआ, मोदी सरकार और पूरे गृह मंत्रालय के माध्यम से, खासकर गजपति राजू मंत्री महोदय बैठे हैं, इन्होंने जो काम अंडमान निकोबार में किया, उसके लिए जनता उनको शाबासी दे रही है।

हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम कनेक्टिविटी की थी। वहाँ पोर्ट ब्लेयर-चेन्नई चार्टर्ड फ्लाइट शुरू हुई, पोर्ट ब्लेयर-वाइजैंग शुरू हुई, आगे आने वाले दिनों में पोर्ट ब्लेयर-कोलकाता शुरू होने वाली है। कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए जो स्कीम अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में बनी, शायद भारत के किसी प्रांत में ऐसी स्कीम नहीं होगी। वहाँ मेडिकल कॉलेज खोला गया, लेकिन फिर भी बहुत सी कमियाँ रह गई हैं।

मैं अनुरोध करूँगा, गृह मंत्रालय हमारा माई-बाप है, विश्वकर्मा जी भी है, वह हमारे प्लान फंड में थोड़ा ध्यान दे। उदाहरण के लिए मैं कहूँगा कि वर्ष 2014-15 में हमें प्लान फंड बी.ई. में 1950 करोड़ दिया था। इसमें सितंबर तक पचास प्रतिशत खर्च करना था। आप अंडमान के बारे में जानते हैं, वहाँ अप्रैल से सितंबर तक बारिश रहेगी, मानसून के कारण कोई काम नहीं होगा। कटौती करके 1700 करोड़ रुपये कर दिया। इन 1700 करोड़ रुपये में 50 परसेंट कमिटेड लाइबिलिटीज़ हैं। वे क्या लाइबिलिटीज़ हैं - मैडिक्लेम का खर्चा, चार्टर्ड फ्लाइट का खर्चा, सैलेरी, गाड़ी का तेल, शिप का तेल आदि का खर्चा 800 करोड़ रुपये। वहाँ विकास नहीं हो रहा है, हम कमिटेड लाइबिलिटी दे रहे हैं। यह 1990 से चल रहा है। मेरा आग्रह है कि जो कमिटेड लाइबिलिटी हमारे प्लान में जोड़ा गया, जो 1990 से पड़ा है, उसको तुरंत हटाकर नॉन प्लान्ड दिया जाए और उतना रुपया हमारे प्लान्ड फंड में दिया जाए। खासकर मैं अनुरोध करूँगा क्योंकि मैं गृह मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी में मैम्बर भी हूँ। गृह मंत्रालय ने फर्स्ट रिपोर्ट अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रांट्स के लिए सबमिट किया यूनियन टैरिस्ट्रीज़ के बारे में। उसमें जो सुझाव दिया गया, उस पर तुरंत अमल करें। अंडमान निकोबार का विकास बहुत ज़रूरी है। हम आखिरी हिस्से पर बैठे हुए हैं, हमारी कमाई का सोर्स है टूरिज़्म और फिशरीज़। शिपिंग सैक्टर में कमाई लक्षद्वीप को है। अंडमान में इनफ्रास्ट्रक्चर की बहुत सी कमियाँ हैं। उसको स्टडी करते हुए उतने रुपये हमारे द्वीप समूह को दिये जाएँ। खासकर जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के सर्कुलर्स हैं कि सितम्बर 30 तक 50 प्रतिशत खर्च करना है, इस क्लॉज़ को रिलैक्स करके हमें बचाया जाए और नॉर्थ ईस्ट की तरह नॉन लैप्सेबल फंड हमारे द्वीप समूह को दिया जाए।

महोदय, हमारे अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में जो फायर ब्रिगेड कर्मचारी हैं, पुलिस कांस्टेबल हैं, उनको 12 महीना काम करने पर एक महीने की कंपनसेटरी पे मिलती है। लेकिन पिछली यूपीए-2 की सरकार ने वह एक महीने की पे काट दी। इस कमेटी ने उसके लिए दोबारा रिकमंड कर दिया। मैं आग्रह करूँगा कि जो बातें गृह मंत्रालय की कमेटी ने रिकमंड की हैं, उस कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार पूरा अमल

करे। इसकी ज़रूरत इसलिए है कि आज 60 साल बीत चुके हैं, लोग ज़मीन काट रहे हैं नाले में जिससे बैंक इरोज़न हो रहा है। काफी द्वीपों में ब्रिज नहीं है, रास्तों की कमी है। मैं आग्रह करूंगा कि हमारे कृषि क्षेत्र में पैसा बहुत कम मिलता है। एग्रीकल्चर में, एनिमल हस्बैंडरी और फिशरीज़ में रुपया मिलता है 0.18 परसेंट से 0.2 परसेंट। मैं इसलिए दोबारा अनुरोध करूंगा क्योंकि हमारे गृह मंत्रालय के दो मंत्री यहाँ बैठे हैं, ये पूरे द्वीप समूह को जानते हैं। इस होम मिनिस्ट्री की कमेटी ने जो सजेशन दिए और जो रिकमंडेशंस दिए, उन पर अमल करके पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए प्लांड फंड बनाया जाए, यह मेरा आपसे आग्रह है।

HON. DEPUTY-SPEAKER: The discussion on the Demands for Grants of the Home Ministry is over. The Minister will reply tomorrow.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Now, the House will take up 'Zero Hour' matters.
Shri K.C. Venugopal.

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, I would like to draw the attention of the Government to a lightning strike launched by loco pilots at Ernakulam Junction that badly affected the frequency of trains and movement of passengers.

Yesterday, train services in southern Kerala were disrupted partially after loco pilots refused to undergo breath alcohol analyzer test, which is mandatory while reporting to work. For more than ten hours, passengers were in a very difficult situation. Some local trains were cancelled and a few long distance trains got delayed at Ernakulam Junction after loco pilots protested against breath analyzer test to nullify all possibilities of them driving drunk on duty.

It is reported that it badly affected a number of major train services. Loco pilots alleged that for many days it was the indirect machine, the one that was used by the police was used for the test. The concern of the loco pilots is that there was no need to blow into it, and one only needs to talk. However, yesterday the supervisors used an old instrument as per the instruction by the Railway Officers. Loco pilots complained that since the instrument holds the breath of a person for ten seconds, there were chances of virus spread.

According to drivers, the All India Loco Running Staff Association has decided not to cooperate with such kind of breath analyzing practice using old and used equipment, which is 'imposed' on them by their supervisors in the Railways. Whereas the Railways blamed the loco pilots for disrupting the services and said the breath alcohol analyzer system was introduced as Railways was not ready to take any chances concerning efficient services and safety of its passengers.

This misunderstanding and confusion between loco pilots and railway officers brought railway operations in the Southern Zone to a standstill partially. It is reported that at least four local trains, including Ernakulam-Kottayam, Kottayam-Ernakulam, Ernakulam-Palakkad and Ernakulam-Kollam *via* Kottayam

have been cancelled due to loco pilots' strike. Passengers affected by the strike also staged a protest outside the Railway Station Master's office.

Therefore, I would request the hon. Railway Minister and the Railway Board to make an inquiry and to take necessary action to stop this sort of confusion as the lightning strike is badly affecting thousands of common passengers.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri P.K. Biju, Shri P. Karunakaran and Adv. Joice George are permitted to associate with the issue raised by Shri K.C. Venugopal.

श्री सी.आर.चौधरी (नागौर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा कि आपने मेरे क्षेत्र के महत्वपूर्ण विषय के बारे में बोलने का मौका दिया। मैं नागौर राजस्थान से आता हूँ। नागौर राजस्थान का हार्टलैंड है। यहां की जो अर्थव्यवस्था है, वहां मुख्य रूप से 80 परसेंट लोग कृषि और पशुपालन पर डिपेंड कर रहे हैं। पशुपालन एक तरह से वहां का मुख्य धन्धा है।

मैं पशुपालन पर ही बात करना चाहता हूँ। नागौर की जो देसी गायों की ब्रीड है, वह नागौरी ब्रीड के नाम से जानी जाती है। नागौरी गायों की जो नस्ल है, वह पूरे भारत में प्रसिद्ध है। नोर्थ इंडिया में विशेष रूप से नागौर के बछड़े और बैल पूरे यू.पी., हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहां पर खेती के लिए इन बैलों को काम में लिया जाता था और आज भी लिया जा रहा है। नागौरी नस्ल की जो गाय है, वह अपने दूध के लिए ज्यादा नहीं जानी जाती, बल्कि अपने बहुत अच्छे बछड़े, जो हल जोतने और बोझा ढोने के काम में आते हैं, बहुत फुर्तीले होते हैं और बहुत ही स्टाउट होते हैं। अब क्या हुआ है कि फार्मिंग के मकेनाइजेशन के बाद प्लस बछड़ों के जो पहले मेले भरते थे, आसपास के राज्यों के लोग, जो खासकर उन्हें वहां खरीदने आते थे, वह बन्द हो रहा है। इसका कारण है कि बछड़ों के ऊपर तीन साल तक प्रतिबन्ध है कि कोई भी बछड़ा बाहर नहीं जा सकता। जब तीन साल का बछड़ा हो जाता है तो उसके बाद में उसकी कीमत और घट जाती है, क्योंकि, 18 महीने से दो वर्ष के बछड़े की ही अच्छी कीमत है। मकेनाइजेशन के कारण और बछड़ों के विक्रय पर प्रतिबन्ध के कारण वहां गायों की बहुत दुर्दशा हो रही है और इसलिए मैं आपके मार्फत एग्रीकल्चर मिनिस्टर से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि नागौरी नस्ल की गाय को बचाना आवश्यक है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने देसी नस्ल के संवर्धन के लिए एक प्रोजैक्ट की घोषणा की है, जिसे भारत सरकार लाई है, जिसमें 500 करोड़ रुपये का बजट है। मैं आपके मार्फत माननीय कृषि मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जिस क्षेत्र की गायें नागौरी नस्ल की गायें, जो इतनी प्रसिद्ध

है, उनके लिए एक कैटल ब्रीडिंग सैण्टर नागौर में स्थापित किया जाये, ताकि नागौरी नस्ल को बचाया जा सके।

साथ ही मैं मंत्री जी से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो बछड़ों के ऊपर तीन साल तक विक्रय पर और बाहर ले जाने पर रोक है, उसे दो साल किया जाये। अगर बछड़े बाहर जाएंगे तो गायों को लोग पालना शुरू करेंगे, अच्छे ढंग से पालेंगे और इनका संवर्धन होगा।

आपने बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Gajendra Singh Shekhawat and Shri P.P. Chaudhary are permitted to associate with the issue raised by Shri C.R. Chaudhary.

SHRI RADHESHYAM BISWAS (KARIMGANJ): Hon. Deputy Speaker, Sir, I would like to draw the attention of the House to a very important issue related to the people of Assam. Many small traders from Karimganj, Cachar and Hailakandi districts of Assam have been doing business in Aizawl which is the Capital city of Mizoram. Unfortunately, for the last few days, members of some organizations like the MZP and the MTP etc., of Mizoram are unlawfully and forcefully harassing these traders. Many of these traders are being forced to put their shutter down. These sort of illegal activities are being predominantly carried out in localities like Khatla, Zarkhot, Step and Tuikuwal in the Aizwal city.

The action of these organizations is a pathetic one. They are summoning the outside traders to their offices in the name of checking trading documents, licenses and ILP where the traders are tortured by the members of these organizations. It may be mentioned here that there was a joint meeting between the Government of Mizoram and the Government of Assam on 17.10. 1994. it was opined that the non-governmental organizations will stop checking of trading documents, ILP and harassment of non-Mizo traders and the Government of Mizoram will provide safeguards to the traders. But, it was not followed.

Now the worst part is that different organizations from border areas of Assam are starting agitation and calling for strikes to block roads in places like

Silchar and Hailakandi which are the life-line of Mizoram. If these roads are blocked, the supply of essential commodities will be disrupted. Under these circumstances, these traders are living under acute fear while local administration failed to take action against these culprits. Therefore, through this august House, I would request the hon. Home Minister to intervene in the matter and pass necessary instructions immediately to control the situation in the light of previous joint decision.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Gaurav Gogoi is permitted to associate with the issue raised by Shri Radheshyam Biswas.

SHRI KARADI SANGANNA AMARAPPA (KOPPAL): Respected Sir, I would like to take this opportunity to speak about the agrarian crisis arising out of the recent hailstorm and heavy rain in the Northern Karnataka region comprising of Koppal, Raichur, Kalaburgi, Yadgiri, Bidar and Bellary Districts. Untimely heavy rain and hailstorm have created havoc and spoiled the agricultural and horticultural crops severely, especially the paddy field which is affected mostly and destroyed all the fields resulting in a loss of Rs.425 crore.

Generally this region records six to seven millimetres rain during the month of April whereas this year between 8th and 16th of April this region recorded 50 to 100 millimetres of rain. That is an increase of about 1000 per cent. The severity could be gazed from the fact that 50 to 100 millimetres rain was recorded within 45 to 60 minutes. It is estimated that in these eight Districts, 64,462 hectares of agricultural and horticultural crops were damaged. Hundreds of cattle, thousands of houses and electrical equipment have been damaged due to heavy rain.

The Government of Karnataka has taken a decision to grant a relief amount of Rs.25,000 per hectare which comes to about Rs.150 crore. I, therefore, request the Government to consider this as one of the natural calamities and sanction additional relief to the affected farmers.

I also would like to inform you that the relief amount granted would go to the landlords. In many cases where farmers are not the land owners but would

have invested in various activities having taken the land on lease for agricultural purposes, the farmers are put to severe hardship as the relief money goes to the landlords and not to the farmers.

Considering these facts, I earnestly request the Government to consider grant of special relief package to the farmers of these six backward Districts of Karnataka with a direction to the authorities to make sure that the original farmers are benefited and also a team of specialists from Central Government be sent there for inspection and to judge the critical situation of the affected farmers. Thank you.

श्री उदय प्रताप सिंह (होशंगाबाद) : उपाध्यक्ष जी, देश में किसानों की वर्तमान हालत को देखते हुए मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि हम देश में कृषि उपकरणों पर, रासायनिक खादों पर, डीज़ल पर, उद्योगों पर, हर क्षेत्र में सब्सिडी देते हैं। मेरा अनुरोध है कि दूध उत्पादन के लिए हमें काम करने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें किसानों को गाय-भैंस, खेती के कार्य के लिए बैलजोड़ी इत्यादि की खरीद पर सब्सिडी देने की आवश्यकता है। इस पर काम करने की जरूरत है। मैं आपके माध्यम से सरकार से इसके लिए अनुरोध करना चाहता हूँ।

माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बड़ा क्रांतिकारी निर्णय लेगी, ऐसी हमारी अपेक्षा है। दूध व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए गाय और भैंस की खरीद पर सब्सिडी या एकमुश्त मदद, बैल जोड़ी पर सब्सिडी या एकमुश्त मदद प्रदान करने की आवश्यकता है। इससे किसानों को तो लाभ होगा ही, बल्कि किसानों की जो हालत है, उसकी उन्नति के लिए भी मौका मिलेगा और साथ ही देश में खेती के लिए हमारे पास जो देशी खाद हैं, जो हरी खाद है, वह भी खेती के लिए उपलब्ध होगा। आज रासायनिक खादों के कारण ज़मीन बंजर हो रही है, खेती खराब हो रही है। उस ज़मीन को बंजर होने से भी बचाया जा सकता है। साथ ही, बाहर से रासायनिक खाद और केमिकल खरीदने में देश का जो पैसा विदेशों में चला जाता है, उस पैसे को भी हम इसके माध्यम से बचा सकते हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस देश में दूध उत्पादन के लिए किसानों के हित में, गायों के ऊपर, भैंसों के ऊपर सीधी मदद करने की आवश्यकता है। सरकार इसमें मदद करेगी, ऐसी हमारी अपेक्षा है।

ADV. JOICE GEORGE (IDUKKI): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I would like to bring to the notice of this august House the discrimination meted out by the

Central Government in allocating funds to the State of Kerala under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana.

Under PMGSY the State of Kerala has been sanctioned 1430 road works covering a road length of 3,358 kilometres whereas under Part-I of PMGSY more than 5.5 lakh kilometres of road has been constructed all over India. Allocation to the State Government includes 450 road works sanctioned in the year 2014 under Phase-8. The State has so far completed 876 road works covering 980 kilometres of road length. Kerala is having wide road network which needs to be converted into all weather roads to improve the rural connectivity. Now the Central Government has prepared the indicative annual allocation for 2015-16 whereby Kerala has been allocated only Rs 51 crore whereas the previous year the allocation was Rs 152 crore. In States like Bihar, the annual allocation in 2014-15 was only Rs 1050 crore whereas this year it is Rs 2,281 crore. The total estimated cost for 415 road works sanctioned under Phase-8 is Rs. 1,582 crore and the amount released only Rs 813 crore. An amount of Rs 6,714 crore is due to the States under Phase-8. Now the State has invited tenders for entire works and the works are in progress. Due to lower allocation, the State will be finding it difficult to pay the contractors and this will jeopardize the construction and development of rural road works in Kerala. Hence I request the immediate interference of the Government and to do the needful as early as possible.

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri P.K. Biju and Shri P. Karunakaran are permitted to associate with the issue raised by Shri Joice George.

SHRI V. ELUMALAI (ARANI): I would like to draw the attention of the Government for the dire need to take immediate steps to set up a Silk Park in Arani, which is too long pending and much awaited project by the people of my constituency. Earlier the then Union Minister and also officials from Banguluru visited Arani town and surveyed the land but nothing has happened.

As Arani is popularly called the city of silk sarees, which is next to Kanchipuram, it has more than 60,000 population, out of which 35,000 people are into the weaving profession.

The very First National Flag of our country hoisted in Red Fort on Independence Day was Silk Flag which was weaved in Arani. This Historical contribution by my Arani silk weavers to our motherland leads all of us. We are stepping into our 68th year of Independence.

I request the hon. Minister of Textiles to set up a Silk Park in Arani to benefit the thousands of families of Arani and also to protect the silk industry in and around the area.

SHRI S. SELVAKUMARA CHINNAIYAN (ERODE): Hon. Deputy Speaker Sir, the railway line between Erode and Trichy is part of the ancient railway system in our country. Right from the days of the Britishers, this line has been in operation linking the South with the North. Even today, the biggest goods yard in the South shifted from Trichy is in Erode now. This line also links many pilgrim places on its way. This has caused lot of congestion. Unfortunately, it comes in the way of running more trains and increasing the speed of popular express trains on this route. For instance, Ernakulam Express, West Coast Express and Mysore Express trains have to be operated like passenger trains between Erode and Trichy for want of additional tracks in most of the railway stations on the way. To increase the operational efficiency and to run still more profitable trains on this route, the doubling of track on this section is necessary. I urge upon the Minister of Railway to look into the urgent need to take up this project at the earliest.

श्री अजय निषाद (मुजफ्फरपुर): महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको कोटि-कोटि आभार।

महोदय, सन् 1978 में बिहार मुजफ्फरनगर एवं मोकामा स्थित वैगन निर्माण में लगी निजी कंपनियों के अधिग्रहण एवं राष्ट्रीयकरण के उपरान्त भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड का गठन किया गया और इसे उद्योग मंत्रालय के अधीन रखा गया। इसका एकमात्र उत्पादन रेलवे वैगन होने के

कारण इसे रेल मंत्रालय के अधीन विलय करना था, लेकिन वर्ष 2008 में इसका विलय करने के बजाय सिर्फ प्रशासनिक नियंत्रण में सौंपा गया, जो कंपनी की दुर्दशा का कारण बना। कंपनी लगभग 10 महीनों से बंद पड़ी है और अप्रैल, 2014 से इसके कर्मचारियों को वेतन भी नहीं मिल रहा है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से माँग करना चाहूँगा कि कारखाने को सुचारु रूप से चलाने हेतु इसका रेलवे में विलय किया जाए अथवा तत्काल इसे वैगन उत्पादन इकाई से जोड़ दिया जाए तथा इन इकाइयों को मिलने वाली सुविधाएं एवं संरक्षण भारत वैगन को दिया जाए। साथ ही कंपनी को आर्थिक संकट से निजात दिलाने के मद्देनजर वर्ष 2014-15 के बजट में आबंटित 18 करोड़ रूपए की राशि तत्काल मुहैया कराई जाए। धन्यवाद।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बॉका) : निषाद जी का विषय ठीक है, हमारा समर्थन है। ...(व्यवधान)

SHRI M. UDHAYAKUMAR (DINDIGUL): Hon. Deputy-Speaker, Vanakkam!

Crippling power cuts lasting for house has been a major issue for Tamil Nadu in the previous regime in Tamil Nadu till 2011. Many parts of the State witnessed power cuts up to 16 hours. Prior to 2011, Tamil Nadu which requires a total of 12,000 megawatts was facing a shortage of 4,000 megawatts. The power deficit of 4,000 megawatts in the first half of 2011 was systemically overcome. An additional flow of 4,991.5 megawatts to the State has been ensured by the commissioning of new power stations in the Central and State sectors and through medium and long term power purchase agreements by the hon. People's Chief Minister Puratchi Thalaivi Amma Government in Tamil Nadu. It has helped increase the State's daily average power supply from 200 million units to 260 million units. The People's Chief Minister has made Tamil Nadu power cut-free in the three years of our AIADMK regime.

With a slew of projects lined up, the State Government is on the verge of attaining self-sufficiency in power supply and the State will receive an additional 2,163 megawatts in some months. With this, the Tamil Nadu Government has applied for allocation of one coal block and has now sought another one more coal block from the Central Government. I urge upon the Central Government to allocate one more coal block in order to expedite the transmission system and

reduce the reliability margin to 500 megawatts. This will also enable the State to harness power from other regions. I urge upon the hon. Minister for Coal to allocate Mahanadi and Machchakata coal blocks since GarePelma Sector II coal block has already been allotted to Maharashtra State Power Generation Corporation Limited. This allocation will help meet the on-going and upcoming projects in Tamil Nadu. I also seek immediate environmental clearance for the commissioning of the TANGEDCO-NLC joint venture at Tuticorin.

Tamil Nadu is the leader in generation of wind energy with a capacity of more than 7,300 megawatts, which was praised by our hon. Prime Minister of India and an award was given to the hon. Puratchi Thalaivi Ammaji's Minister Shri Natham Viswanathan, who is the Energy Minister in Tamil Nadu. Therefore, I urge upon the Central Government to allocate sufficient funds for this scheme and allocate an additional coal block to Tamil Nadu.

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): उपाध्यक्ष महोदय, उत्तराखंड में वर्ष 2013 में भीषण त्रासदी आयी थी, अभी किसान उससे संभल भी नहीं पाये थे कि गत समय में भारी ओला वृष्टि और अति वृष्टि से बर्बादी हुई है, विशेष रूप से हरिद्वार जनपद के किसान बर्बाद हो गये हैं। गांवों के खेत-खलिहान रेत में तब्दील हो गये हैं और बचे हुए किसान भी इस दैवी आपदा का शिकार हो गये हैं। अभी तक उत्तराखंड कांग्रेस की सरकार ने उसका सर्वे नहीं करवाया है। बर्बाद हुए किसानों को कोई राहत राशि नहीं मिली है, जबकि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जिनकी 33 प्रतिशत फसल का नुकसान हुआ है, उनकी नुकसान की भरपाई होगी, उनको डेढ़ गुना राहत राशि दी जायेगी लेकिन अभी तक न तो उसका व्यापक सर्वे हुआ है और न उन्हें कोई राहत राशि दी गयी है। इसी का परिणाम है कि उत्तराखंड की संवेदनहीन सरकार से परेशान हो कर हरिद्वार के किसानों ने अपनी लहलहाती फसलों के बर्बाद होने पर उन्हें आग के हवाल कर दी। गांव के लोगों ने उन फसलों को आग में जला दिया। इतना ही नहीं, कलियर क्षेत्र में मेवड़ गांव के एक किसान ने दो दिन पहले अपने ही खेत में पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली। जिन लोगों का नुकसान हुआ और आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के प्रभावित परिवार को पूरी तरह सहायता दी जाए, तत्काल सर्वे कराया जाए, राहत राशि दी जाए, किसानों के ऋण माफ किए जाएं, तत्काल प्रभाव से वसूली रोकी जाए और जिन किसानों के खेत-खलिहान पूरी तरह से नदी में समाहित हो गए, उनके लिए अलग से राहत पैकेज दिया जाए, उनके परिवार के एक सदस्य को राजकीय सेवा में लिया जाए। किसान के खेत जो रेत में तब्दील हुए

हैं, उस रेत को उठाने का काम उसी को दिया जाए। खनन माफियाओं को भी उसके सिर पर बिठा दिया गया है, यह ठीक नहीं है। गन्ना किसानों का दो-दो वर्ष से भुगतान नहीं हुआ है। वे अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। जो गन्ने का भुगतान बचा हुआ है, उसे ब्याज राशि सहित तत्काल समय में उत्तराखंड सरकार किसानों को उपलब्ध कराए। मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ।

DR. J. JAYAVARDHAN (CHENNAI SOUTH): Hon. Deputy Speaker, Sir, Mass Rapid Transit System (MRTS) was introduced in Chennai, with a considerable investment by the Government of Tamil Nadu and guided by hon. Makkal Mudhalwar Puratchi Thalaivi Amma, to ease the traffic congestion on the roads of Chennai city. The MRTS, which is under the direct control of the Ministry of Railways and is maintained by it, is unable to meet the expectations of the traveling public. Due to inadequate and unpredictable frequency of the train services the public tend to ignore MRTS except during peak hours when it is unmanageably over-crowded. Most of the stations have unutilized vast areas which could be better used for the futuristic and commercially viable kiosks which will remove the deserted and the desolate look. Most of the MRTS stations are left unfinished posing a hazardous environment. Security needs to be strengthened on all the stations and in the moving trains especially in the women compartment. The stations lack in cleanliness. The coaches are improperly maintained and are not disabled-friendly. Non-functioning escalators are prevalent at many stations. The link between Vellachery and St. Thomas Mount is yet to be provided and the work is progressing at a snails pace. There has been a recent incident of derailment of MRTS train on February, 2015. The Ministry of Railways should re-look it to enhance the quality of MRTS services in Chennai which needs to be totally revamped. Thank you, Sir.

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक सहकारी समितियों की स्थापना किसानों को उनकी खाद, डीजल व अन्य कृषि जरूरतों पर आवश्यकतानुसार धन कम ब्याज पर सरलता से उपलब्ध कराने के लिए की गई थी। उक्त सहकारी समितियों का उद्देश्य यह भी था कि आर्थिक रूप से पिछड़ गए किसान भाइयों को साहूकारों के चंगुल से मुक्त कराकर समाज की मुख्य धारा में लाना तथा

आर्थिक रूप से उन्हें मजबूत करना। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उक्त प्राथमिक सहकारी समितियों द्वारा किसानों को 3 प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण उपलब्ध कराया जाता है। शेष ब्याज सब्सिडी के रूप में केन्द्र सरकार 6.7 प्रतिशत का ब्याज उक्त समितियों को उपलब्ध कराती है। परन्तु उक्त समितियों द्वारा कृषि ऋण स्वीकृत करते समय कुल ऋण का 2.5 प्रतिशत बीमा प्रिमियम के रूप में किसानों के खाते से डेबिट कर दिया जाता है जिसके कारण सरकार द्वारा कम ब्याज दर की सुविधा उपलब्ध कराए जाने के बावजूद किसान को ब्याज और बीमा के प्रिमियम के रूप में 5.5 प्रतिशत कृषि ऋण की सीमा के अनुसार अदा करना पड़ता है। इसके बावजूद किसानों को फसल बीमा का लाभ तभी मिलता है जब वह राजस्व नियमों के अनुसार फसल मुआवजे का हकदार होता है जबकि बीमा प्रिमियम का भुगतान किसान द्वारा व्यक्तिगत खाता धारक के अनुसार किया जाता है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि किसानों के फसल बीमा हेतु व्यक्तिगत प्रिमियम लेने की स्थिति में व्यक्तिगत रूप से ही जब फसल का नुकसान हो तो व्यक्तिगत बीमा पॉलिसी के अनुसार क्षति-पूर्ति की व्यवस्था की जाए अन्यथा प्राथमिक सहकारी समितियों द्वारा फसल बीमा हेतु लिए जाने वाले 2.5 प्रतिशत के प्रिमियम को समाप्त किया जाए क्योंकि यह शासन के उद्देश्यों, शासन की मंशा के विपरीत है। हम ब्याज के रूप में जो सब्सिडी देते हैं, उसका दुरुपयोग है और किसानों को अधिक भार पड़ता है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री शैलेश कुमार (भागलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा क्षेत्र भागलपुर जो गंगा नदी के उत्तरी और दक्षिणी छोर पर बसा हुआ है। स्थानीय शोध और निष्कर्ष से यह स्थापित हो गया है कि गंगा छोर के उत्तरी और दक्षिणी छोर पर 20 किलोमीटर की परिधि में आने वाला क्षेत्र आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्र है। इनमें नारायणपुर प्रखंड के अधिकाधिक गांव इससे प्रभावित हैं। बीरबना एक छोटा सा गांव है और उस गांव में प्रत्येक साल कम से कम एक व्यक्ति की मृत्यु आर्सेनिक की वजह से होती है। इस्लामपुर जिसे हमने आदर्श ग्राम के रूप में चयनित किया है, उस प्रखंड के अंदर आने वाले काफी गांव आर्सेनिक से प्रभावित हैं। 20 वर्ष की आयु के लोग 80 वर्ष के बूढ़े नजर आते हैं। गर्भवती महिलाओं के बच्चे कुपोषण के शिकार होकर हो रहे हैं। आर्सेनिक प्रभावित इन क्षेत्रों में आर्सेनिक मुक्त पेयजल के लिए बहुग्रामीण पाईप लाइन जलापूर्ति योजना की स्वीकृति दी जाए। पीरपड़ती और सुल्तानगंज प्रखंड में यह स्कीम पहले से स्वीकृत है लेकिन इस स्कीम को सेंक्शन हुए दो-तीन साल हो गए हैं लेकिन इस पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। यह कार्य शीघ्र शुरू हो ताकि भागलपुर की जनता आर्सेनिक मुक्त पानी पीकर अपने स्वास्थ्य को अच्छी तरह से देखरेख कर सके।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : उपाध्यक्ष महोदय, देश और दुनिया में दिल्ली एम्स हॉस्पिटल का कोई मुकाबला नहीं है। यह भारत का गौरव है और यह माना जाता है कि जब बीमारी का सभी जगह से इलाज कराने पर भी ठीक नहीं हो रहा है तो कहा जाता है कि एक बार एम्स जाकर देखो। यहां पर काफी अनुभवी डॉक्टर हैं, अच्छे से अच्छे डॉक्टर हैं। खासकर बिहार प्रदेश जो गरीब इलाका है वहां से 40 परसेंट मरीज असाध्य रोगों से पीड़ित होकर एम्स आते हैं। वे लोग बहुत ही गरीब हैं, उनका समय पर इलाज नहीं हो पाता है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इतना प्रतिष्ठित हॉस्पिटल होने के बावजूद, अच्छे डॉक्टर होने के बावजूद, यहां एक महीने से लेकर दो साल तक नंबर लगा दिया जाता है। इलाज कराने वाले मरीज को इतना लंबा टाइम दिया जाता है। माननीय ससंद जब इस बाबत पत्र लिखते हैं तो जो इस पत्र को जितना महत्व मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है और उसमें घोर उदासीनता बरती जाती है। यह अत्यंत ही दुखद है, यह नहीं होना चाहिए। मरीजों को साल-दो साल का जो समय देते हैं, उसमें सुधार लाया जाए। माननीय स्वास्थ्य मंत्री इसमें सुधार लाएं, माननीय सांसदों की अनुशंसा पर ध्यान दिया जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: Dr. Mahendra Nath Pandey, Shri Gajendra Singh Shekhawat, Dr. Satya Pal Singh, Shri Ravindra Kumar Pandey and Shri P.K. Biju are permitted to associate with the issue raised by Shri Jai Prakash Narayan Yadav.

SHRI M. MURLI MOHAN (RAJAHMUNDRY): Sir, there is a need to confer 'Bharat Ratna' award to Swargeeya NTR. The legendary actor of Telugu film industry, Shri Nandamuri Taraka Rama Rao, famously known as NTR needs no introduction. NTR was the doyen of Telugu films who strode the Indian Telugu film industry like a colossus for half a century and later carved out a niche for himself as the tallest political leader not only in Andhra Pradesh, but also in the whole country. He was the Chairman of the National Front.

20.00 hrs.

The late NTR, the towering figure, left an indelible imprint on the minds of Telugu people by ushering in welfare and development schemes for the farmers and workers during his phenomenal tenure as Chief Minister of united Andhra Pradesh. NTR is also credited with having played a very important and pivotal role

as Chairman of National Front in national politics and for having emerged as the main Opposition Party in Parliament during the period from 1984-89.

NTR deserves the highest civilian award “Bharat Ratna” for bringing recognition to Telugu language and culture across the geographical divide in the world comity of nations. As a deep gesture of his selfless services to society, I would earnestly appeal to the Union Government, through you, to confer the coveted “Bharat Ratna” upon the TDP founder and former Chief Minister of Andhra Pradesh and also National Front Chairman *Swargeeya* Nandamuri Taraka Rama Rao.

Thank you.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The list is over. Now I am having an extra list and there are nearly 30 Members who have given notices. We have to conclude by 8.15 p.m. Therefore, I will allow half a minute for every Member and they should complete their submissions within half a minute and not more than that.

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, thank you for giving me this opportunity. I would like to invite the attention of the House, through you, to the acute problem faced by the State of Kerala with regard to the Public Distribution System due to the reduced allocation of food grains by the Central Government. The quantity of food grains required by Kerala in a year is 16,66,644 MT, whereas Kerala produces only 15 per cent of its total consumption. The Central Government has allotted 12,26,604 MT only during the year 2015-16. This is a very small amount. You are aware that Kerala has a very good Public Distribution System, but due to the reduced allocation by the Central Government it is very difficult to maintain the Public Distribution System. I would like to request the Central Government to enhance the allocation of food grains to Kerala.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri K.S. Sundaram -- Not present.

SHRI S.R. VIJAYA KUMAR (CHENNAI CENTRAL): Sir, thank you for giving me this opportunity. Presently all the cars dropping passengers at the Chennai Airport are levied parking charges if they exceed 10 minutes. Due to the long road

and the speed breakers, it is very difficult for any car to go out of the airport within 10 minutes. When ladies, children and senior citizens are dropped with luggages the drivers find it difficult to go out within the 10 minutes time. Further, drivers also get tensed up in a hurry to move out due to traffic and meet with accidents. I would like to request the Government of India to increase the time from 10 minutes to 20 to 25 minutes to cars dropping passengers at the airport.

Also the quality of construction of the Chennai Airport is very poor. So, far, after the opening of the newly constructed Airport, the roof has fallen 33 times damaging the glass doors and creating panic and risk for the passengers. Government of India should seriously investigate into the matter and take steps in this regard for a better construction.

श्री विनोद लखमाशी चावड़ा (कच्छ) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर केन्द्रित करना चाहता हूँ कि मेरे लोक सभा संसदीय क्षेत्र में दो जिले कच्छ एवं मोरबी का समावेश है। कच्छ जिले में केन्द्रीय एवं नवोदय विद्यालय कार्यरत है लेकिन मोरबी जिला, जिसका अभी गठन हुआ है, वहां केन्द्रीय शिक्षण की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी और वहां पर सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की मांग है कि वहां पर जल्दी एक नया केन्द्रीय एवं नवोदय विद्यालय शुरू किया जाये। इससे केन्द्रीय विद्यालय में पढ़ने के इच्छुक छात्र-छात्राओं को बड़ी सुविधा प्राप्त होगी। धन्यवाद।

श्रीमती अंजू बाला (मिश्रिख) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान अपने लोक सभा क्षेत्र मिश्रिख की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। मैं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के बारे में आपको बताना चाहूंगी। केवल मिश्रिख लोक सभा क्षेत्र में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में हर जगह स्वास्थ्य केन्द्र तो हैं, लेकिन वहां न तो कभी कोई डॉक्टर दिखता है और न कोई कर्मचारी दिखता है, जिससे मरीजों को अपनी जान भी कई बार गंवानी पड़ती है, क्योंकि डॉक्टर न मिलने के कारण और प्राथमिक सुविधा न मिलने के कारण उनकी जान चली जाती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करती हूँ कि वह एक जांच समिति का गठन करे और इन स्वास्थ्य केन्द्रों की जांच करवाए तथा वहां जो तैनात डॉक्टर और कर्मचारी अपनी कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर रहे हैं, उनके विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाए।

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Sir, in the State of Kerala, the Government is running a lottery and this is really a model to other States also.

The income of the lottery is fully utilized for charitable purposes. There is a health scheme known as *Karunnuya* which provides financial assistance to poor patients. Till this day, Rs. 700 crore have already been given to the patients in various hospitals. Thousands of poor people are getting employment as agents and a large number of them are physically disabled. In the new Budget, 14 per cent service tax is imposed on the commission of these poor agents. It would adversely affect their income and also their initiative to work for the lottery. So, I request the Government to exempt the service tax on Government lotteries.

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri P.K. Biju is permitted to associate with the issue raised by Shri P. Karunakaran.

श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली) : महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि हमारे देश के समुद्री तट में से सबसे ज्यादा गुजरात में 1640 किलोमीटर समुद्री तट है जिसमें मेरे क्षेत्र के कई तहसील आते हैं। जब मछुआरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जाते हैं तो उनको पता नहीं चलता है कि हमारी अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा कहां तक है, जिसके कारण वे पाकिस्तान या श्रीलंका की समुद्री सीमा में चले जाते हैं और पकड़े जाते हैं। उसके बाद उन पर जो गुजरती है, वह मैंने स्वयं अपने क्षेत्र के लोगों से सुना है कि उनको वहां की जेलों में भूखा-प्यासा रखा जाता है और इतना टॉर्चर किया जाता है कि वे जिन्दा होते हुए भी मृत के समान जीते हैं, बाद में उसे सरकार द्वारा छुड़वाया जाता है। मैं हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र भाई मोदी की सरकार को और गृह मंत्री जी को बधाई देता हूँ कि कुछ ही दिनों पहले पाकिस्तान से 172 और श्रीलंका से 86 मछुआरों को छुड़वाया गया है। इसके बावजूद अभी भी बहुत से मछुआरे पाकिस्तान और श्रीलंका की जेल में बंद हैं, उनको तथा उनकी बोट्स को तुरन्त छुड़वाया जाए।

SHRI P.R. SENTHILNATHAN (SIVAGANGA): Hon. Deputy Speaker, Sir, the Government of Tamil Nadu, guided by our visionary leader Amma, has allocated nearly Rs. 25,000 crore for education of students. With the advent of more number of professional colleges in the last two decades in Tamil Nadu, the demand for educational loans are on the increase. Though the Centre has been promising that there should not be any hindrance in the timely disposal of educational loan applications, many loan applications are rejected even today. Even though the Union Government has promised on the floor of this House that collateral security

and surety from a Government servant will not be insisted, banks are still demanding them. The banks are also delaying the processing of applications till January even when applications are submitted well in advance in June/July.

There is a need to fix a time limit for processing educational loan applications. Earlier, educational loan was extended to all the professional courses including MBA, MCA, B.Ed. and even polytechnics. Now, it is restricted only to B.E. and M.B.B.S. It may also be noted that many students from our country particularly from my constituency, Sivagangai are seeking admission in MBBS courses in China, Russia and other countries. They are also not able to get educational loans in time.

Hence, I urge upon the Centre to streamline the educational loan schemes extending Government guarantee to such deserving students.

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने गिरिडीह लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत सीसीएल प्रबंधन ने हाल ही में गोविन्दपुर श्वान परियोजना से चासनाला कोयला भेजने की स्वीकृति प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त किया है। इस फैसले का ग्रामीणों-मजदूरों ने विरोध किया है। इसके पश्चात 25 हजार टन कोयला रूट सिल्क के माध्यम से देने की सहमति बनी। इस निर्णय से प्रतीत होता है कि सीसीएल कोयले की दूकान का संचालन कर रही है। गोविन्दपुर से चासनाला की दूरी डेढ़ सौ किलोमीटर है। जबकि गोविन्दपुर के बगल में बीएनके एरिया का करगलीवासरी है। वहाँ तीन शिफ्ट के बजाए दो शिफ्ट ही चल रहा है। वहाँ कोयले की कमी है और वहाँ कोयला न देकर चासनाला भेजा जा रहा है। चासनाला के बगल में भारत कोकिंग कोल, ईसीएल है, वहाँ से कोयला न देकर आज की तारीख में धन की बर्बादी हो रही है और कोल माफियाओं के गठजोड़ का परिणाम है। आपसे आग्रह है कि अविलम्ब करगलीवासरी को कोयला उपलब्ध कराया जाए ताकि वहाँ के मजदूरों को रोजगार मिल सके।

श्री निनॉग इरिंग (अरुणाचल पूर्व) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से आदरणीय गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि क्या यह जरूरी था कि अरुणाचल प्रदेश में अफस्पा का जो ड्रेकोनियन कानून है, उसे लागू करना पड़ा। अरुणाचल प्रदेश एक शांति का द्वीप माना जाता है। यहाँ वर्ष 2001 में तिराक, चांगलांग और लांगडिंग जिलों में इसे लागू किया गया था क्योंकि वहाँ पड़ोसी राज्य और विदेशी उग्रवादी संगठन के लोग आए थे। लेकिन अभी पूरे अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में मानवाधिकार के उल्लंघन हो रहे हैं। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि जो ड्रेकोनियन लॉ है, उसे शीघ्र ही वापस लिया जाए।

डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय (चन्दौली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह विषय अत्यंत लोक महत्व का है, इसलिए कृपया मेरे बोलने का थोड़ा समय बढ़ा दीजिएगा।

मैं आपके माध्यम से यह विषय उठाना चाहता हूँ कि आजकल दवाओं में केमिस्ट लोगों की बहुत मनमानी है। आज हार्ट अटैक की दवा स्ट्रेप्टोकिनेस 700 रुपये से 900 रुपये की है और इसकी एमआरपी 9000 रुपये हो जाती है। टाइफाइड की दवा मोनो इंजेक्शन का मूल दाम 25 रुपये है, जिसका एमआरपी 53 रुपये हो जाता है। डायलिसिस के लिए इंजेक्शन का मूल दाम 500 रुपये है, इसका एमआरपी 1800 रुपये हो जाता है। इसी प्रकार से यदि डॉक्टरों कोई एंटीबायोटिक लिखते हैं, तो वह किसी कंपनी में 150 रुपये, किसी कंपनी में 45 रुपये की है, लेकिन डॉक्टर का कमीशन जुड़ने के बार वही दवा 540 रुपये का हो जाता है। चैरिटेबुल ट्रस्ट 240 रुपये में अल्ट्रासाउंड करता है, वही अल्ट्रासाउंड दूसरी जगहों पर 750 रुपये का हो जाता है। डॉक्टरों और केमिस्टों के बीच में गठबंधन करके यह जो लूट मची हुई है, इस पर सरकार रोक लगाए, जीवन रक्षक दवाओं को सस्ता किया जाए और सभी अस्पतालों में जीवन रक्षक दवाओं के लिए औषधि वितरण केन्द्र खोले जाएं, जिन्हें न्यूनतम मूल्य पर गरीब जनता को उपलब्ध कराया जाए। जेनेरिक दवाएं, जिन पर किसी का पेटेंट नहीं है, उन दवाओं को सस्ता करने में कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए ड्रग कंट्रोलर को निर्देश दिया जाए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri P.P. Chaudhry, Shri Rajendra Agrawal, Shrimati Anju Bala, Shri Gajendra Singh Shekhawat, Shri Ravindra Kumar Pandey are allowed to associate themselves with the matter raised by Dr. Mahendra Nath Pandey.

SHRI G. HARI (ARAKKONAM): Hon. Deputy-Speaker, Sir, I wish to raise an important issue regarding better rail connectivity in my Arakkonam parliamentary constituency. Several thousands of people belonging to different walks of life travel from Tiruttani and adjoining villages to Chennai to attend to various works. It is a matter of serious concern that during the peak hours from 7 a.m. to 9.40 a.m. there is not even a single electric train, that is the EMU, towards Chennai in this route.

I urge upon the hon. Minister of Railways to instruct the officials concerned to operate EMUs from Tiruttani between 7 a.m. and 9.40 a.m., particularly at 8 a.m. so as to enable commuters to reach Chennai around 10 a.m.

I also request for extension of platforms no. 1 and 2 at the Arakkonam Junction so that women, senior citizens and students may not find it difficult to board and de-board as the bogies of the trains are mostly outside the platforms. Ten days ago, a woman lost her legs while de-boarding a train. ... (*Interruptions*)

I also urge that the express trains passing through Arakkonam should stop invariably at Arakkonam to benefit several thousands of rail passengers. ... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Only one matter is allowed, not so many matters. You have asked for EMUs from Tiruttani to Chennai. That is all right.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले शुक्रवार, 24 तारीख को मेरठ में धमतला गांव का एक किसान, जिसका नाम योगेन्द्र था, वह अपने खेत पर गया और फसल को देखकर निराश होकर एक टावर पर चढ़ गया। वहाँ एस.आई. तथा नायब तहसीलदार आये। प्रशासन की संवेदनहीनता यह है कि एस.आई. ने कहा कि इसे केले दिखाओ, यह नीचे उतर आएगा। नायब तहसीलदार अपनी गाड़ी से नीचे नहीं उतरा, वह गाड़ी में ही बैठा रहा और चार घंटे के बाद उसने वहाँ से कूदकर आत्महत्या कर ली। मेरठ में प्रदेश सरकार के बड़े मंत्री थे, लेकिन वहाँ कोई अधिकारी नहीं आया, उल्टे एस.आई. और नायब तहसीलदार ने केस कर दिया कि लोगों ने सरकारी काम में बाधा डाली। उसे कोई मुआवजा नहीं दिया गया। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि उनके खिलाफ किये गये केस को वापस लिया जाए, उसे मुआवजा दिया जाए और पूरे प्रकरण की ठीक से जांच की जाए क्योंकि यह बहुत ही हृदयविदारक घटना है। चार घंटे तक वहाँ पर कोई अधिकारी नहीं पहुंचा और उसने आत्महत्या कर ली।

आपने बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI THOTA NARASIMHAM (KAKINADA): I would like to draw your attention towards the all India Radio 100 watts relay station at Kakinada, my parliamentary constituency. It was started on January 13, 2013 on the auspicious day of Bhogi, after a long waiting of nearly 30 years. The Kakinada AIR was announced in 1983 by the then Central Electronic Minister, Shri M.S. Sanjeev Rao. Foundation stone was laid by the NDA-led Government in April, 1998 by Shri Mukhtar Abbas Naqvi, the then Information and Broadcasting Minister.

The present AIR at Kakinada is operating with 100 watts needs to be expanded at once. This small AIR Division in Kakinada does not have any facility to make programmes. It broadcasts programmes made by other AIR Divisions for the people in the radius of four kms. who can hear it clearly.

I want to request the hon. Minister to set up 10 watts FM transmitter so that it can benefit 50 lakh people of East Godavari district and around 25 lakh people of West Godavari district. I would also request the hon. Minister to set up a studio in Kakinada's AIR Division so that tailor made programmes can be made according to the needs of both the districts. This will also help in encouraging the local talents.

श्री पी.पी.चौधरी (पाली) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहूंगा कि अति सूखा क्षेत्र होने के बावजूद राजस्थान राज्य में वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए भारत सरकार से ग्रामीण पेयजल के लिए प्राप्त होने वाली वित्तीय सहायता में अत्यधिक कटौती की गयी है। पूर्व के वर्षों में मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार स्वीकृत पेयजल योजनाओं की इस वर्ष 5842 करोड़ रुपये की देनदारियां बकाया हैं। ये सभी देनदारियां भारत सरकार के दिशानिर्देशों के कारण ही उत्पन्न हुई हैं। इस वर्ष के लिए पेश किए गए बजट के अनुसार राजस्थान राज्य को ग्रामीण पेयजल योजना अंतर्गत केवल 300 करोड़ रुपये प्राप्त होना प्रस्तावित है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले सीधे-सीधे 1000 करोड़ रुपये कम है। गत वर्ष इस मद में भारत सरकार से राजस्थान राज्य को 1304 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे।

अतः मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि इस संबंध में पुनर्विचार करके ग्रामीण पेयजल योजना में इस वर्ष कम से कम 5842 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने चाहिए ताकि पिछली देनदारियों को चुका कर राजस्थान राज्य में पेयजल योजना सुचारु रूप से चलाई जा सके।

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Gajendra Singh Shekhawat is allowed to associate with the issue raised by Shri P.P.Chaudhary.

SHRI RAHUL SHEWALE (MUMBAI SOUTH CENTRAL): Thank you Sir for allowing me to speak on an important issue of delay in sanctioning and release of Central assistance under Post-Matric Scholarship Babu Jagjivan Ram Chhatravas Scheme to Maharashtra. In this connection, I would submit that long back Bharat Ratna, Dr. Babasaheb Ambedkar had set up the People Education Society in

Mumbai. This Society is running Siddhart Vihar Hostel at Vadala which is facing problems due to non-availability of funds. The building of the hostel is in a dilapidated condition. Hence, I would request the Government to grant 100 per cent Central grants to the hostel management for reconstruction of this hostel.

I would suggest that 100 per cent Central assistance should be provided to the proposal of the Maharashtra Government for sanction and release of Central aid for construction of hostels for students belonging to the Scheduled Castes under the said Scheme at the earliest.

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत) : महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र बागपत से बहने वाली हिण्डन नदी के किनारे लगी हुई शहर मिलों एवं दूसरी इंडस्ट्रीज की वजह से उसका पानी इतना प्रदूषित हो गया है कि आस-पास के लगभग एक दर्जन गांवों में हैण्डपम्प से पानी पीने के कारण कैंसर की बीमारी बढ़ती जा रही है। इससे गांगनोली, रैथना और दतनगर जैसे गांवों में 100 से अधिक लोग मर चुके हैं। मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि इस नदी के पानी को साफ किया जाए और वहां पाइप से वाटर सप्लाई दी जाए।

SHRI V. PANNEERSELVAM (SALEM): I would like to request the hon. External Affairs Minister to set up a Passport Office in my Salem constituency as this has been a long pending matter. The nearest Passport office is located nearly 130 km. away in the district of Coimbatore. It is difficult for the people of my constituency to travel that far and apply to get Passport. Salem is the fifth largest city in Tamil Nadu. Hence, I would request the hon. Minister to consider my request and set up the Passport office in Salem, Tamil Nadu which would fulfil the needs of the people of my parliamentary constituency.

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (जोधपुर) : महोदय, मैं देश के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थान के में विषय में बात करना चाहता हूं, इसलिए आपका संरक्षण चाहता हूं।

महोदय, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, एम्स के नाम से पूरे देश में सात-आठ इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी प्रवेश परीक्षा में कुल 672 सीट्स हैं, जिनके लिए लगभग पांच लाख प्रतियोगी हर साल परीक्षा में हिस्सा लेते हैं। मैंने पिछले साल जुलाई के महीने में माननीय चिकित्सा मंत्री जी को पत्र लिखा था कि इस परीक्षा की पद्धति में कुछ परिवर्तन किया जाना चाहिए क्योंकि इस परीक्षा का न तो प्रश्न पत्र प्रतियोगी को दिया जाता है, न उसकी आंसर-की दी जाती है, जिससे उसको पता नहीं चलता है कि मैं किस तरह की

परफार्मेंस करके आया हूँ। उस पत्र के परिप्रेक्ष्य में चिकित्सा विभाग एवं इसकी गवर्निंग काउंसिल ने जो निर्णय लिया है, उसके बाद परीक्षा की नई पद्धति लागू की गयी है, जिसमें दो स्लॉट्स में परीक्षा होगी, जिसमें न तो उसे परीक्षा पत्र मिलेगा, न उसको आंसर-की मिलेगी और उसका परीक्षा के लिए एडमिशन कार्ड भी वहां जमा हो जाएगा। राजस्थान के पहले अलग-अलग स्लाट्स में इस तरह की परीक्षा 2014 में हुई थी, जो विवाद का विषय बन गई। कई लोग हाई कोर्ट में गए और फिर सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने उस परीक्षा को खारिज कर दिया और उस कारण दोबारा परीक्षा करानी पड़ी। क्योंकि एम्स हमारा फ्लैगशिप संस्थान है, यह विवाद में न आए और परीक्षा खारिज न करनी पड़े इसलिए परीक्षा की इस पद्धति पर पुनर्विचार करना चाहिए।

SHRI GAURAV GOGOI (KALIABOR): Mr. Deputy Speaker, Sir, I thank you for giving me this opportunity to raise a matter of urgent national importance. This is relating to the Asian Trilateral Highway, a project started by the Ministry of External Affairs. The aim of the project was to link Northeast India with South East Asia, particularly Myanmar and Thailand. The benefits of this project are obvious. It would lead to flow of goods, creation of jobs and upgradation of infrastructure in an infrastructure-starved part of the country. But the current status of the project is quite poor. The Thailand authorities have finished their section of the Highway in Thailand. But the Indian authorities have been very slow in implementing this project within India and Myanmar. As a result, the benefits of this project are delayed. I would like to remind the Government that action speaks louder than words. When we say 'Act East', we should do 'Act East' as well.

Hence I urge upon the Ministry of External Affairs to complete this project within the targeted deadline or if it is not possible, then they should hand over the project to the Ministry of Road Transport and Highways.

श्री लक्ष्मण गिलुवा (सिंहभूम) : उपाध्यक्ष महोदय, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे एक महत्व के विषय पर बोलने का अवसर दिया। झारखंड राज्य में मेरे संसदीय क्षेत्र सिंहभूम में लौह अयस्क की लगभग 42 खदानें हैं। उनमें से मात्र दस ही चालू हैं और बाकी के बंद रहने के कारण सरकार को भारी राजस्व की हानि हो रही है तथा बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है, जिससे जिले से लगातार पलायन हो रहा है। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि कर्नाटक, छत्तीसगढ़, गोवा और ओडिशा

की तर्ज पर झारखंड में भी बंद पड़ी इन खदानों को खोला जाए। इससे सरकार को राजस्व मिलेगा और साथ ही बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा तथा पलायन को रोका जा सकेगा।

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Sunil Kumar Singh is permitted to associate with the issue raised by Shri Laxman Giluwa.

SHRI P.K. BIJU (ALATHUR): Mr. Deputy Speaker, Sir, I thank you for giving me this opportunity. I would like to raise a matter of urgent national importance before the House. A large number of migrant workers are working abroad. During the global financial crisis, lakhs of persons lost their jobs. At that time, it was estimated that their number is about 18 million, but the actual number is more than 30 million.

Due to the uprising in Arab countries and the imposition of *Nitaqat* policy in Saudi Arabia, lakhs of Indian citizens lost their jobs. The badly hit in this regard is our State Kerala. As you are aware, the remittance of migrant workers is heavy in our State. Due to the prevailing unrest in Yemen, Iraq, and also in Libya, a large number of nurses and IT professionals have come back to our State. It is very difficult to rehabilitate and resettle them.

So, I urge upon the Government to come out with a concrete proposal for the creation of a welfare fund and other measures to help those people.

SHRI K. PARASURAMAN (THANJAVUR): Mr. Deputy Speaker, Sir, I thank you for giving me this opportunity to raise a matter of urgent public importance.

I would like to draw the attention of the hon. Agriculture Minister regarding setting up of a Central Agriculture University in Thanjavur. There are as many as 650 Universities in the country. Out of these, 45 Universities are Central Universities. Besides, there are 321 State Universities, 129 Deemed Universities and 187 Private Universities. We have only 65 Universities in the country for the cause of Agriculture education and research. There are 30 National Institutes of Technology (NIT), 16 Indian Institutes of Technology (IIT), 19 Indian Institutes of Management (IIM), and 5 Science and Research Institutes. It is a matter of great worry that there is only one Agriculture University in the country. It is our

foremost duty to ensure that the benefits of the rapid advancements in the field of science and technology should be taken towards agriculture.

There is a long-felt need for setting up one Central Agriculture University in Thanjavur, the granary of South India. In Thanjavur, coconut, banana, groundnut, black gram, and green gram are grown in large scale besides rice production. Thanjavur and its adjoining five districts of Tamil Nadu are wholly dependent on agriculture and agro-based industries. As the economy of these districts is primarily dependent on agriculture, the need for an Agriculture university becomes important.

So, I urge upon the hon. Minister of Agriculture to immediately set up a Central Agriculture University in Thanjavur.

श्री विद्युत वरन महतो (जमशेदपुर): उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत एनबीसीसी, एचएससीएल और ईरकॉन काम कर रही है। लगभग 60 परसेंट काम अधूरा है। पिछले सत्र में मैंने इस बात को उठाया था, जिसके चलते जांच टीम गयी थी। 72 रोड का जांच हुई और उन्होंने इस बात को एक्सैप्ट किया कि भारतवर्ष में सभी राज्यों में सबसे ज्यादा रोड की खराब गुणवत्ता झारखण्ड राज्य में है। 7,6,4, और 7,8,9 फेज का काम पूरा नहीं हुआ है, फिर भी एनबीसीसी को काम दिया गया है। पिछले दो महीने पेमेन्ट का भुगतान न होने के कारण पीएमजीएसवाई का काम पूरी तरह से बंद है। मैं आपके माध्यम से सरकार से आह्वान करता हूँ कि उसका भुगतान किया जाए अन्यथा राज्य का भारी क्षति होने वाला है।

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Sunil Kumar Singh is permitted to associate with the issue raised by Shri Bidyut Baran Maht.

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं बुंदेलखण्ड के किसानों को बचाने के लिए आपके माध्यम से सरकार से अपील करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

हमारे उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार बुंदेलखण्ड के किसानों के साथ अन्याय का काम कर रही है। मैं यह बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली की दर कम है और हमारे बुंदेलखण्ड में दोगुना से अधिक बिजली की दर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 10 जून 2013 से 30 सितम्बर तक पूरे प्रदेश में सौ रुपये प्रति हॉर्स पावर था, वह हमारे बुंदेलखण्ड में 140 में प्रति हॉर्स पावर था। एक अक्टूबर के बाद से अभी तक पूरे उत्तर प्रदेश में जो सौ रुपये रेट है, उसमें वृद्धि नहीं की गयी है,

जबकि उसे बढ़ा कर 220 रुपये कर दिया गया है। उसके साथ-साथ लूटने का दोहरा काम जो किया जा रहा है, वह यह किया जा रहा है...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: The House stands adjourned at meet again on 28th April, 2015 at 11 a.m.

20.27 hrs

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock
on April 28, 2015/Vaisakha 8, 1937 (Saka).*
